स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018-2019

बैंकिंग को पुनर्भाषित करते हुए जीवन परिवर्तन की ओर...

Transforming lives... Redefining banking!

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

SyndicateBank
Faithful, Friendly, Fast & Forward Looking

सिंड पुनरुत्थान के लिए सक्रियता एवं सहयोग

ENERGISE AND SYNERGISE FOR SYND REVIVE

निदेशक मंडल एवं महाप्रबंधकों की कार्यनीति संगोष्ठी

Strategy Conclave of Board of Directors and General Managers

India's faithful and friendly banking partner is also forward looking... On this delightful occasion, we thank our 56 million customers for their valuable trust and patronage.

** Source: Forbes World's Best Banks 2019 ranking based on attributes like Trust, Fees, Digital Services and Financial Advice.*

SyndicateBank

Faithful, Friendly & Forward Looking

Vision

3S
VISION

- Strong Brand
- Stake Holder Delight
- Socially Committed

Values

4F
VALUE STATEMENT

- Friendly
- Forward Looking
- Faithful
- Fast

Mission

5C
MISSION

- Customer Centric in Everything
- Caring For Employees
- Contemporary Technology
- Continuous Improvement
- Comprehensive Solutions

www.syndicatebank.in

निदेशक मंडल
Board of Directors

श्री अजय विपिन नानावटी
अध्यक्ष
Sri Ajay Vipin Nanavati
Chairman

श्री मृत्युञ्जय महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ.
Sri Mrutyunjay Mahapatra
Managing Director & CEO

श्री एस कृष्णन
कार्यपालक निदेशक
Sri S Krishnan
Executive Director

श्री अजय के खुराना
कार्यपालक निदेशक
Sri Ajay K Khurana
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
निदेशक
Dr. Sanjay Kumar
Director

श्री जयन्त पी गोखले
निदेशक
Sri Jayant P Gokhale
Director

सुश्री वंदना कुमारी जेना
निदेशक
Ms Vandana Kumari Jena
Director

श्री जी रमेश
निदेशक
Sri G Ramesh
Director

श्री सुनील वशिष्ठ
निदेशक
Sri Sunil Vashisht
Director

श्री कमल किशोर सिंघल
निदेशक
Sri Kamal Kishore Singhal
Director

महाप्रबंधक
General Managers

श्री अतुल कुमार
Sri Atul Kumar

श्री उदय शंकर मजूमदार
Sri Uday Sankar Majumder

श्री एच भास्कर
Sri H Bhaskar

श्री के मंजुनाथ
Sri K Manjunath

श्री एम प्रसाद
Sri M Prasad

श्री अशोक रेड्डी नूकला
Sri Ashok Reddy Nukala

श्री के श्रीनिवास राव
Sri K Srinivasa Rao

श्री सतीश कामत
Sri Sathish Kamath

श्री के जयकुमार
Sri K Jayakumar

श्री एस रवींद्रन
Sri S Ravindran

श्री सी बी एल नरसिंह राव
Sri C B L Narasimha Rao

श्री आर अशोकन
Sri R Ashokan

श्री जगन मोहन प्रह्लाद के
Sri Jagan Mohan Prahlad K

श्री मोहन राव जी
Sri Mohan Rao G

श्री डी संपत कुमार चारी
Sri D Sampath Kumar Chary

श्री शिव कुमारवेल
Sri Siva Kumaravel

Syndicate Bank Abridged AR 2018-19 Color Pg 03-04 TY190042

महाप्रबंधक
General Managers

श्री वी एम गिरिधर
Sri V M Giridhar

श्री सुधाकर आर अय्यर
Sri Sudhakar R Iyer

श्री टी. मणिवन्नन
Sri T Manivannan

श्री वीरेश पट्टणशेट्टी
Sri Veeresh Pattanashetti

श्री टी विवेकानंद
Sri T Vivekananda

श्री एस विजय कुमार
Sri S Vijaya Kumar

श्री ए वेंकट रेड्डी
Sri A Venkata Reddy

श्री कुमारय्या
Sri Kumaraiah

श्री पी पलनीसामी
Sri P Palanisamy

श्री इंदर सेन बलूजा
Sri Inder Sain Baluja

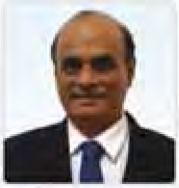

श्री वी बी जगन्नाथ राव
Sri V B Jagannadha Rao

आंतरिक लोकपाल
Internal Ombudsman

श्री सुरेश एस सवेकर
Sri Suresh S Savekar

MAKE IN INDIA

Special Schemes for MSME

Govt. of India has unique schemes for
Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) - the engines of growth.

STAND UP India
Endeavour and Prosper
Encouraging SC/ST & Women Entrepreneurs

- Loans for SC / ST and Women Entrepreneurs
- Quantum: ₹10 lakh to ₹1 crore

Striving for the success of Micro Enterprises

प्रधानमंत्री mudra योजना
पूँजी. सफलता की कुंजी

- Loans up to ₹10 lakh
- Manufacturing, trading and service sectors
- Purchase of tractor, power tiller & allied agriculture activities

psbloansin 59 minutes.com

- Loans from ₹1 lakh to ₹1 crore in less than one hour

#startupindia

- Empowering startups to grow through innovation and design

Conditions apply

Toll Free: 1800 3011 3333 | 1800 208 3333

Follow us on :

स्वच्छ भारत अभियान
Swachh Bharat Abhiyan

कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में
At Corporate Office, Bangalore

क्षेत्रीय कार्यालय, गाज़ियाबाद में
Regional Office, Ghaziabad

TOLL FREE NO. 1800 3011 3333 / 1800 208 333
Get money in need...
Synd Swarna
a friend indeed!
Loans against Gold with Easy Terms
MORE MONEY PER GRAM OF GOLD
MH-43-H 5485

Enjoy a Refreshing Banking Experience !
• Over 56 Million Satisfied Customers
• 34000+ Employees
• 4000+ Branches
• 4300+ ATMs

SyndicateBank Mobile ATM
1800 3011 3333
1800 208 3333
www.syndicatebank.in

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण
Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking
कम एवं आकर्षक ब्याज दरों में कार लोन एवं होम लोन की सुविधा

सिंड आई बैंकिंग
इटंरनेट बैंकिंग

आपके लिए सुविधाजनक

सुलभ, सुरक्षित और संरक्षित

निधि अतंरण के लिए आरटीजीएस एवं एनईएफटी

ऑनलाइन शॉपिंग एवं टिकट बुकिंग

आपके खाता विवरण को डाउनलोड एवं देखने के लिए

कागजरहित बैंकिंग

उपयोगिता बिल एवं कर भुगतान के लिए

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें संपर्क करें।

शर्तें लागू

Toll Free: 1800 3011 3333 | 1800 208 3333

Follow us on :

SyndUdyog
For MSMEs

YOUR TRUSTED PARTNER FOR PROGRESS

Working Capital / Term Loan Facilities Available

Term Loan Repayment: 7 to 10 years

Attractive Rate of Interest

No Documentation Charges for Loans up to ₹2 Lakh

No Third Party Guarantee / Collateral Security necessary for Credit Facilities eligible for coverage under CGMSE

For more details, please contact our nearest branch.

conditions apply

Toll Free: 1800 3011 3333 | 1800 208 3333

Follow us on :

Syndicate Bank Abridged AR 2018-19 Color Pg 09-10

TY190042

टाउन हॉल बैठक
Town Hall Meeting

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ
Corporate Social Responsibility Activities

आदिवासी बच्चों के उद्धार हेतु कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ सोशियल साइन्सेस को दान

Donation to Kalinga Institute of Social Sciences for Upliftment of Tribal Children

कामरेड्डी में हरितवनम हेतु दान

Donation for Haritha Vanam at Kamareddy

स्वेच्छा गोरा आई बैंक को अम्बुलेंस का दान

Ambulance Donated to Swechha GORA Eye Bank

Syndicate Bank Abridged AR 2018-19 Color Pg 11-12 TY190042

अपने धन
की वृद्धि करें
सुरक्षित
तरीके से !
पेश है
सिंड
500
मीयादी जमा*
सिंड 500 मीयादी जमा द्वारा अपने धन की वृद्धि करें। एक हजार से एक करोड़ रूपये से कम की राशि जमा कर सकते हैं। प्रति वर्ष 7.05%* की दर से ब्याज अर्जित करें।
*शर्तें लागू
Toll Free: 1800 3011 3333 | 1800 208 3333
Follow us on :

ATTRACTIVE INTEREST ON
DEPOSITS

Earn upto **7.15%** P.A.

Sl. No.	Period of Deposit	Upto 5 Crores
1	91 days to less than 1 year	6.35%
2	1 year exact	6.60%
3	1 year to 399 days	6.70%
4	400 days exact	7.00%
5	401 days to 499 days	6.70%
6	500 days exact	7.05%
7	501 days to 2 years	6.75%
8	Above 2 yrs to less than 5 yrs	7.15%
9	5 yrs to 10 yrs	6.50%

Additional Interest of 0.50% to Senior Citizens on Deposits for above 180 days*.

*Conditions apply

Contact us immediately.

Toll Free: 1800 3011 3333 | 1800 208 3333

Follow us on :

व्यापार विकास गतिविधियाँ
Business Development Activities

कोयंबत्तूर में आयोजित आवास ऋण मेला
Housing Loan Mela at Coimbatore

चेन्नई में आयोजित एमएसएमई एक्सपो
MSME Expo at Chennai

विजयवाडा में आयोजित एमएसएमई दिवस
MSME Day at Vijayawada

गाज़ियाबाद में आयोजित खुदरा एवं एमएसएमई मेला
Retail and MSME Mela at Ghaziabad

क्षेत्रीय कार्यालय, पुत्तूर द्वारा आयोजित आवास ऋण मेला
Housing Loan Mela at RO Puttur

कार्यक्रम / Events

श्री मृत्युञ्जय महापात्र, एमडी एवं सीईओ का बेंगलूरु में उनकी पदग्राहिता पर स्वागत करते हुए
Welcoming Sri Mrutyunjay Mahapatra, MD & CEO, on his joining at Bengaluru

बेंगलूरु में संपन्न बोर्ड के निदेशकों एवं महाप्रबंधकों का कारोबार कार्यनीति संगोष्ठी।
Business Strategy Conclave of Board of Directors & General Managers at Bengaluru

अभिनंदन–एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस के अंतर्गत उत्तम निष्पादन प्रदर्शित करने वालों का सम्मान कार्यक्रम
Abhinandan, felicitation of achievers of canvassing SBI life insurance

एक्युप्मेंट फाइनैन्स हेतु एसआरईआई के साथ टाई–अप
Tie up with SREI for equipment finance

कोटक सेक्युरिटीज़ की सहभागिता से 'सिंड ट्रिनिटी' खाते का प्रवर्तन
Launching of Synd Trinity account in partnership with Kotak Securities

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सिंडियन द्वारा वृक्षारोपण
Planting of sapling on World Environment Day by Syndians

कार्यक्रम / Events

बेंगलूरु में संपन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 143वीं बैठक
143rd SLBC Meeting at Bengaluru

उडुपी में सिंड एलीट लाउँज का उद्घाटन
Inauguration of Synd Elite Lounge at Udupi

आरएमएलसी, विजयवाड़ा का उद्घाटन
Inauguration of RMLC Vijayawada

वित्तीय परिणाम 2018-19 की घोषणा करते हुए
Announcing the financial results for FY-2018-19

अपने कारोबार की शानदार शुरुआत करें

सिंडव्यापार

एमएसएमई के लिए

कार्यशील पूँजी / मीयादी ऋण सुविधा उपलब्ध है

मीयादी ऋण चुकौती
7 से 10 वर्षों तक

आकर्षक ब्याज़ दर

₹2 लाख तक के ऋणों के लिए प्रलेखीकरण शुल्क नहीं है

सीजीएमएसई के अतंर्गत पात्र ऋणों के लिए किसी भी प्रकार की अन्य पक्षकार गारंटी / संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें संपर्क करें।

शर्तें लागू

Toll Free: 1800 3011 3333 | 1800 208 3333

Follow us on :

हमारे संस्थापक
Our Founders

श्री उपेन्द्र अनंत पै
Sri Upendra Ananth Pai

डॉ. टी.एम.ए. पै
Dr. T.M.A. Pai

श्री वी.एस. कुडवा
Sri V.S. Kudva

सिंडिकेट बैंक का इतिहास
SyndicateBank History

सिंडिकेटबैंक की स्थापना भगवान श्री कृष्ण की निवास भूमि, तटीय कर्नाटक के उडुपि में मात्र ₹8000/- रुपए की पूंजी से तीन दूरदर्शियों-श्री उपेन्द्र पै, व्यवसायी, श्री वामन कुड्वा, इंजिनियर और डॉ टी.एम.ए. पै, डॉक्टर द्वारा 1925 में की गई थी। इन तीनों में सामाजिक कल्याण के प्रति अडिग आस्था थी। इनका मुख्य उद्देश्य समाज से छोटी बचतों का संग्रह करके उन स्थानीय बुनकरों को वित्तीय सहायता पहुँचाना था, जो हथकरघा उद्योग में संकट के कारण संघर्ष का सामना कर रहे थे। बैंक सन् 1928 में शुरू की गई पिग्मी जमा योजना के अधीन अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से जमाकर्ताओं के घर-घर पहुँच कर प्रतिदिन दो आने की मामूली रकम एकत्रित करता था। यह योजना आज बैंक की ब्रांड ईक्विटी बन गई है और इस योजना के तहत बैंक लगभग ₹2 करोड़ प्रतिदिन एकत्रित करता है।

सिंडिकेटबैंक की प्रगति यात्रा, भारत में प्रगामी बैंकिंग के विभिन्न चरणों का पर्याय रहा है। अपनी मार्गदर्शन की भूमिका तथा दूरदर्शी नीतियों के बलबूते 93 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान बैंक ने अपने लिए दो से तीन पीढ़ियों के ग्राहकों से युक्त सुदृढ़ पकड़ और जमिनी हकीकत का व्यापक समझ होने के कारण बैंक के पास भारत के भविष्य की एक दूरदृष्टि है। बैंक अपनी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं का संरक्षण करते हुए तथा नई विचारधाराओं को अपनाते हुए बैंकिंग क्षेत्र में नवोन्मेषता लाने का प्रयास कर रहा है। बैंक और जनता दोनों के परस्पर अवलंबन द्वारा प्रगति प्राप्त करने के उसके तत्व-ज्ञान से बैंक को भारी लाभ हुआ है। बैंक द्वारा देश के विकास में उत्प्रेरक के रुप में कार्य किये जाने के साथ- साथ समावेशी विकास पर अनवरत ध्यान दिया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में 21 वीं सदी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए बैंक सन्नद्ध है। एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार की गयी है और अपने कार्यकलापों के हर क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि पाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है। बैंक ने, समाज के विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर अपने उत्पादों एवं सेवाओं को उनके अनुकूल बनाया है। हमारी सभी शाखाएँ सीबीएस प्लेटफार्म के अंतर्गत आती है। 31.03.2019 की स्थिति में लंदन शाखा सहित देश भर में बैंक की 4032 शाखाएँ और 4522 एटीएम है।

SyndicateBank was established in 1925 in Udupi, The abode of Lord Krishna in coastal Karnataka with a capital of ₹8000/- by three visionaries- Sri Upendra Ananth Pai, a businessman, Sri. Vaman Kudva, an engineer and Dr. T.M.A. Pai, a physician – who shared a strong commitment to social welfare. Their objective was primarily to extend financial assistance to the local weavers who were crippled by a crisis in the handloom industry through mobilizing small savings from the community. The Bank collected as low as two annas daily at the doorsteps of the depositors through its Agents under its Pigmy Deposit Scheme started in 1928. This scheme is the Bank's brand equity today and the bank collects around ₹2 crore per day under the scheme.

The progress of SyndicateBank has been synonymous with the phase of progressive banking in India. Spanning over 93 years of pioneering expertise, the Bank has created for itself a solid customer base comprising customers of two to three generations. Being firmly rooted in rural India and understanding the grassroot realities, the Bank's perception had vision of future India. It has been propagating innovations in Banking and has also been receptive to new ideas, without however getting uprooted from its distinctive socio-economic and cultural ethos. Its philosophy of growth by mutual sustenance of both the Bank and the people has paid rich dividends. The Bank has been operating as a catalyst of development and consistently focusing on inclusive growth across the country.

The Bank is well-equipped to meet the challenges of the 21st century in the areas of Information Technology, knowledge and competition. A comprehensive IT plan is in place and the skills and knowledge of the Bank's personnel are being upgraded through a variety of training programmes to promote customer delight in every sphere of its activity. The Bank has customized its products and services keeping in view the requirement of different strata of the society. All the Bank branches are covered under CBS platform. Bank is having 4032 branches including London Branch and 4522 ATMs across the country as on 31.03.2019.

मणिपाल में पंजीकृत कार्यालय

Registered Office at Manipal

विषय-सूची
CONTENTS

निदेशक मंडल

श्री अजय विपिन नानावटी, *अध्यक्ष*
श्री मृत्युञ्जय महापात्र, *प्रबंध निदेशक एवं सीईओ*
श्री एस कृष्णन, *कार्यपालक निदेशक*
श्री श्री अजय के खुराना, *कार्यपालक निदेशक*
डॉ संजय कुमार, *निदेशक*
श्री जयंत पी गोखले, *निदेशक*
सुश्री वंदना कुमारी जेना, *निदेशक*
श्री जी रमेश, *निदेशक*
श्री सुनील वशिष्ठ, *निदेशक*
श्री कमल किशोर सिंघल, *निदेशक*

BOARD OF DIRECTORS

Shri Ajay Vipin Nanavati, *Chairman*
Shri Mrutyunjay Mahapata, *Managing Director and CEO*
Shri S Krishnan, Executive Director
Shri Ajay K. Khurana, *Executive Director*
Dr. Sanjay Kumar, Director
Shri Jayant P Gokhale, Director
Ms. Vandana Kumari Jena, Director
Shri G Ramesh, Director
Shri Sunil Vashisht, Director
Shri Kamal Kishore Singhal, Director

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19
Annual Report 2018-19

- अध्यक्ष का संदेश Chairman's Statement 3
- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य Managing Director & CEO's Statement 6
- निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report 17
- कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट Report on Corporate Governance 62
- बासेल – III प्रकटीकरण – मार्च 2019 Basel III Disclosures – March 2019 147
- लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report 173
- तुलन-पत्र Balance Sheet 180
- लाभ व हानि लेखा P & L Account 181
- लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Accounts 182
- लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts 199
- नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement 218
- समेकित तुलन-पत्र Consolidated Balance Sheet 220
- सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड SyndBank Services Limited 271
- ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS 281
- ईसीएस अधिदेश फॉर्म ECS Mandate Form 283
- फॉर्म 2बी Form 2B 285
- कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल: कागज़ रहित Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless 287
- अप्रदत्त लाभांश Unpaid Dividends 288
- पते में परिवर्तन का फॉर्म Change of Address Form 289

लेखापरीक्षक	Auditors
मेसर्स वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी	M/s Vaithisvaran & Co. LLP
मेसर्स जे.एस. उबेरॉय एंड कंपनी	M/s J. S. Uberoi & Co.
मेसर्स एस घोष एंड कंपनी	M/s S. Ghose & Co.
मेसर्स के. के. सोनी एंड कंपनी	M/s K. K. Soni & Co.
मेसर्स फडनिस एंड गुप्ते	M/s Fadnis & Gupte

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट सं.31 से 32, गचीबाउली
फिनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032
दूरभाष: 040 67162222 या
040 67161516 (D)
फैक्स: 040 23001153
टॉल फ्री नं.: 1800-345-4001

Registrars & Share Transfer Agents
M/s Karvy Fintech Private Ltd.
Unit: SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B,
Plot No. 31–32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad 500 032
Phone No. 040 67162222 or
040 67161516 (D)
Fax No. 040 23001153
Toll Free No. 1800-345-4001

कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केंद्र
सिंडिकेट बैंक – कॉरपोरेट कार्यालय,
2 क्रॉस, गांधीनगर
बेंगलूरु – 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030
फैक्स - 080 - 22283030
ई-मेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक शिकायत:
syndinvest@syndicatebank.co.in

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank - Corporate Office
2nd Cross, Gandhinagar
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030
Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances:
syndinvest@syndicatebank.co.in

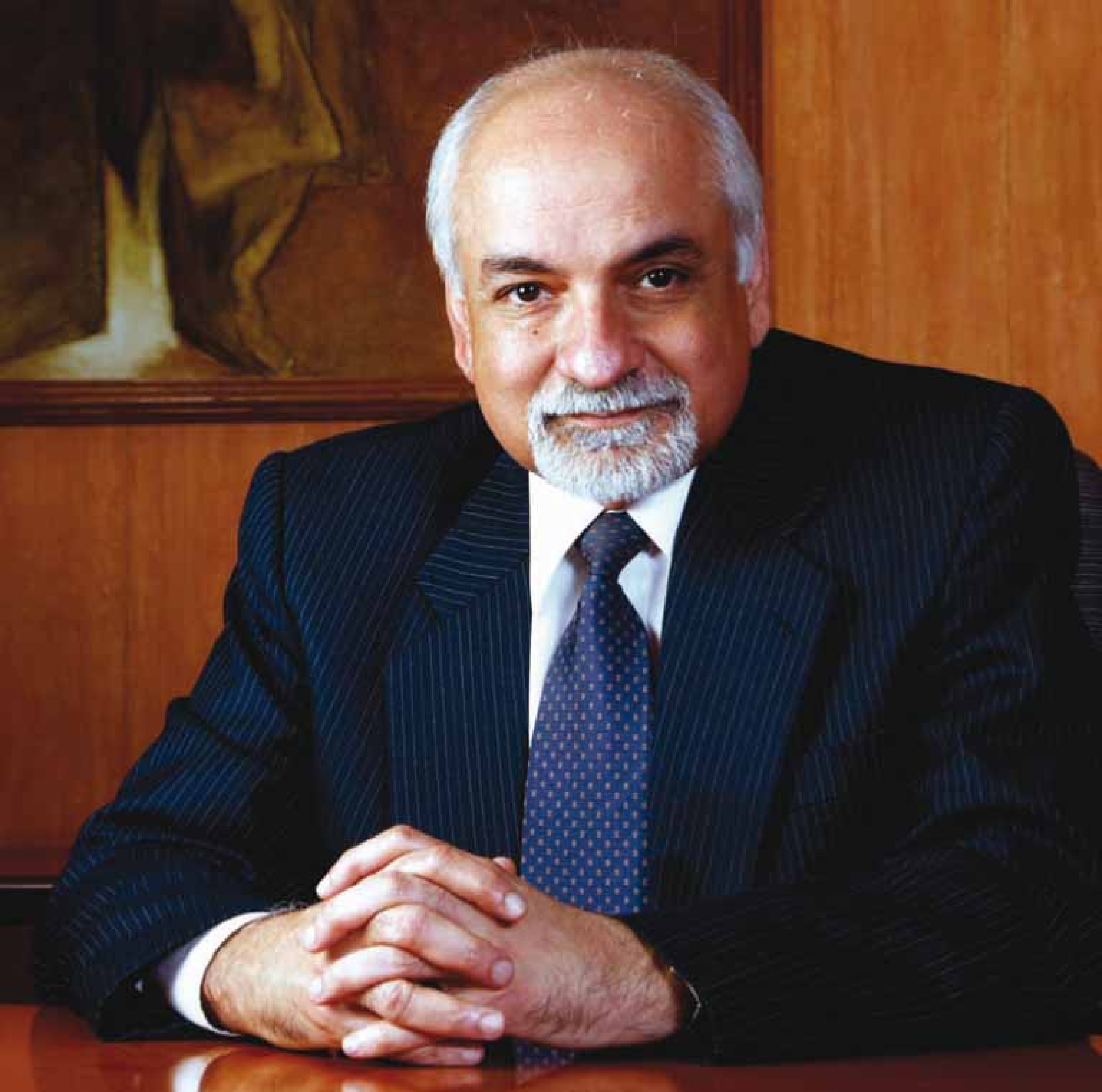

श्री अजय विपिन नानावटी
अध्यक्ष
Sri Ajay Vipin Nanavati
Chairman

''प्रसन्न ग्राहक, संतुष्ट कर्मचारी एवं सक्रिय हितधारक''
''Delighting customers, satisfying employees and energizing all stakeholders''

अध्यक्ष का संदेश
Chairman Statement

प्रिय शेयरधारको,

भारतीय एवं वैश्विक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद परिवर्तनकारी वर्ष में आपके बैंक की मुख्य बातों को आपसे साझा करते हुए मुझे अति प्रसन्नता है।

आपको यह ज्ञात होगा कि विगत वर्ष हमने अपने बैंक के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य एवं एक नया दर्शन तैयार किया था। मैं सहर्ष सूचित करता हूँ कि उन प्रस्तावों में पर्याप्त प्रगति हुई है, किन्तु हमेशा की तरह और भी अधिक कुछ करना शेष रह गया है।

आपके बैंक ने एक व्यापक संस्थागत सुधार संबंधी अभिक्रमों की शुरुआत की है।

उनमें से सर्वप्रथम कारोबार संप्रभाग (वर्टिकल) की स्वतंत्र गतिविधि के रूप में 1000 से अधिक अधिकारियों को सम्मिलित करके एक विशेष वसूली एवं समाधान संप्रभाग (वर्टिकल) का निर्माण करना था। इससे न केवल ₹4261 करोड़ की अधिक वसूली का निष्पादन हुआ है, बल्कि इसके साथ-साथ बैंक को विगत वर्ष की अनर्जक आस्ति के स्तर को कम करने में सहायता मिली है।

संवर्धित कुशलता की पहचान और कंपनी उद्देश्यों के केंद्रित कार्यान्वयन हेतु संस्थागत संरचना का व्यापक पुनर्निर्माण अपनाया गया है। बैंक ने संस्थागत संरचना, बजट प्रधान एवं निष्पादन परिमाण युक्त मापदंड और कॉरपोरेट कार्यालय, आँचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, व शाखाओं के बीच कार्य सीमा स्पष्ट निर्धारित करते हुए एक नया अंचल और 35 नये क्षेत्रीय कार्यालयों को गठित किया है।

आपके बैंक के लिए विगत वर्ष के दौरान मानव संसाधन उच्च प्राथमिकता रही है। पहली बार, अनेक पुरस्कार एवं सम्मान कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। पदोन्नति एवं पदस्थापन नियत समय में संपन्न हुआ है। आपके बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में प्रति कर्मचारी सर्वाधिक अंशदान से ₹500 करोड़ की धनराशि जुटाते हुए अपनी कर्मचारी शेयर क्रय योजना (ईएसपीएस) को अप्रतिम रूप से सफल बनाया है। इससे अपने कर्मचारियों की बैंक के भविष्य के प्रति प्रबल आस्था का परिचय मिलता है।

नये सीबीएस संस्करण, वेबसाईट के पूर्ण नवीकरण, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग, उपयोगिता और उत्कृष्ट आंकड़ा विश्लेषण केंद्र की स्थापना आदि के

Dear Shareholders,

I am delighted to share with you the highlights of what has been a transformative year for your Bank despite a challenging environment, both in India and globally.

As you will recall, last year we had set out some clear objectives and a new vision for our Bank. I am happy to report that considerable progress has been made on these initiatives but, as always, there is more to do.

Your Bank initiated a large number of organizational improvement initiatives.

First among those was the creation of a specialized recovery and resolution vertical with more than 1000 officials to concentrate on recovery and resolutions, as an activity independent of the business verticals. This has not only resulted in an enhanced recovery performance of ₹4261 crore, but alongside has helped Bank to retain the NPA level below the last year's level.

Recognizing the necessity for enhanced efficiency and focused implementation of corporate objectives, a comprehensive restructuring of the organization structure was adopted. The Bank decided to create one new Zone and 35 new Regional Offices with a clearly defined organization structure, intensive budgeting and performance measurement criteria and alignment of roles between Corporate Office, Zonal Offices, Regional Offices and Branches.

Human Resources continued to be a top priority for your Bank during last year. For the first time, a number of reward and recognition programmes were initiated. The promotions and postings were completed in a record time. Your Bank also successfully completed its first ever Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) which mobilized ₹500 crore with per employee contribution highest among the Public Sector Banks reinforcing the trust our employees have in our Bank's future.

The digital transformation journey picked up rapid pace with faster implementation of new version of CBS,

शीघ्र क्रियान्वयन से डिजिटल रूपांतरण की यात्रा में तीव्र गतिशीलता आई है। ग्राहकों की पूछताछ के लिए चैट बॉक्स और फिनटेक अनुबंध आपके प्रगतिशील एवं अग्रिम विचारशील बैंक की अन्य विशिष्टता है।

विगत दो तिमाही में कारोबार निष्पादन में तेजी आई है। यद्यपि एमएसएमई निष्पादन में थोड़ी मंदी रही है, जिसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। आवास ऋण संविभाग में विगत दो तिमाही में 3.46% तक बढ़ोत्तरी हुई है। कासा में बढ़ोत्तरी कुल जमाराशि के प्रतिशत के रूप में मार्च 2018 के 33.33% से मार्च 2019 में 36.77% हो गई है। कंपनी ऋण में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में वृद्धि हुई है। वृद्धि की एक विशेषता यह भी है कि विगत दो तिमाही के दौरान 'ए' और उससे अधिक दरांकवाले वृहद् ऋण 65% से बढ़कर 68% हो गए हैं। कोष एवं निवेश संविभाग में भी परिमाण और लाभप्रदता दोनों की दृष्टि से गुणात्मक परिवर्तन एवं विकास देखने को मिला है।

आपके बैंक ने भारत सरकार की ईज (वर्धित अभिगम एवं उत्कृष्ट सेवा) संरचना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया है और 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज सूचकांक के तहत प्रशंसनीय छठा स्थान प्राप्त किया है।

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार की ओर से ₹3,963 करोड़ का पूँजी अंतर्वेश की प्राप्त किया है और इसके साथ ईएसपीएस संग्रहण को मिलाकर आपका बैंक अच्छी तरह पूंजीकृत हो गया है।

आपके बैंक का एक समृद्ध इतिहास और विश्वसनीय ब्रान्ड है। जिसे हम सतत रूप से समृद्ध बनाते रहेंगे, चूंकि हमने संभावनाओं के यथार्थ भविष्य की ओर स्वयं कदम बढ़ाया है। भविष्य दृष्टि, महत्वूर्ण कथन एवं लक्ष्य पुनर्रचित किए गए हैं। बैंक की छवि बदलने के लिए प्रतीक रूपांतरण प्रक्रियाधीन है।

निष्कर्ष में हम अपनी उच्च प्राथमिकताओं पर ध्यान देना जारी रखेंगे :

1. अपने ग्राहकों की प्रसन्नता
2. अपने कर्मचारियों की संतुष्टि
3. अनुपालन एवं अधिशासन की उच्च मानकता का पालन
4. हमारे सभी हितधारकों को श्रेष्ठ प्रतिफल उपलब्ध कराना

बैंक की सफलता सुनिश्चित करने में सक्रिय व सकारात्मक सहयोग के लिए मैं अपने सभी निदेशकों और पथप्रदर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

हम नूतन उत्साह के साथ सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, मैं इस अवसर पर अपने शेयरधारकों, अपने कर्मचारियों, अपने ग्राहकों, आप सभी का और भारत सरकार का हमें महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने और हममें विश्वास करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद,

आपका

अजय नानावटी

अजय विपिन नानावटी
अध्यक्ष

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 24.05.2019

complete revamping of the website, internet banking, mobile banking utilities, and creation of a data analytics center of excellence. Chat bots for customer queries and fintech engagements were the other highlights of the forward looking and forward thinking initiatives of your Bank.

Business Performance witnessed a pickup in the last two quarters. MSME performance, however remained a little lackluster, for which a number of new initiatives have been taken. The housing loan portfolio in the last two quarters grew by 3.46%. CASA as a percentage of total deposits grew from 33.33% as on Mar-2018 to 36.77% as on Mar-2019. Corporate Credit grew both quantitatively and qualitatively. One signal feature of the growth was in large credits, with ratings A and above grew from 65% to 68% during the last two quarters. The Treasury and Investment portfolio too witnessed qualitative shifts and growths both in volume and profitability.

Your Bank has effectively implemented the EASE (Enhanced Access and Service Excellence) framework of Government of India and achieved a commendable 6th position under EASE index among 21 PSBs.

Your Bank has received a capital infusion of ₹3,963 crore from the Government of India during FY 2018-19 and this, combined with ESPS mobilization, ensures your Bank remains well capitalized.

Your Bank has a rich history and is a trusted brand which we continue to leverage and build upon as we reposition ourselves to leap frog into a solid future of possibilities. The Vision, Mission and Value Statement has been redesigned. The Logo transformation process is underway to give an image makeover for the Bank.

In conclusion we continue to stay focused on our top priorities:

1. Delight our customers
2. Satisfy our employees
3. Adhere to the highest standards of compliance and governance
4. Provide best-in-class returns for all our stakeholders

I would also like to put on record my appreciation for the active and positive contribution of all the Directors and leadership of the Bank in ensuring success.

As we look with renewed enthusiasm to the future, I would like to take this opportunity to thank all of you, our shareholders, our employees, our customers and the Government of India for the unstinted support and belief in us.

Thank you.

Yours sincerely,

(Ajay Vipin Nanavati)
Chairman

Place : Manipal
Date : 24.05.2019

श्री मृत्युञ्जय महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Sri Mrutyunjay Mahapatra
Managing Director & CEO

''सिंडिकेटबैंक अपने सदृढ़ कारोबार के विकास के माध्यम से शेयरधारकों का मूल्य संवर्धन करने, उच्च पुरस्कार व सम्मानों के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और कौशल विकास के माध्यम से अपनी उत्पादकता व आस्ति गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।''

''SyndicateBank is committed to creating value for share holders through robust business growth, high reward and recognition to motivate employees and building capacity for productivity and asset quality''

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का शेयरधारकों को संदेश
MD & CEO's Letter to Shareholders

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के निष्पादन से संबंधित विशेष उपलब्धियों को इस पत्र में उल्लिखित कर रहा हूँ जिनका विस्तृत ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। मेरे पत्र के प्रमुख भाग निम्नानुसार हैं :

1. आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक प्रणाली की समीक्षा
2. निष्पादन की विशेषताएं जिनमें कारोबार का स्तर, लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता सम्मिलित हैं।
3. आपके बैंक को भविष्य में और सुदृढ़ स्वरूप देने के लिए विकासात्मक गतिविधियों जैसे भवन, बैंक के स्वरूप का रूपांतरण, मानव संसाधन के संदर्भ में उठाए गए नए कदम एवं डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में उठाए गए कदम।

1. आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक प्रणाली

वर्ष 2017 के दौरान 3.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के पश्चात् वर्ष 2018 में विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से विश्व अर्थव्यवस्था औसत स्तर पर रही।

आईएमएफ का मानना है कि वर्ष 2019 के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रहते हुए 3.3 प्रतिशत रहेगी और यह दर 2020 में 3.6% हो सकती है। जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, व्यापार संबंधी वार्ताएँ अनिर्णीत हैं और विकसित अर्थव्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में धीमे विकास की संभावनाएं दिखा रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ऊर्ध्वगामी सुधार दिखा क्योंकि पहली तिमाही के दौरान हमारे सकल घरेलू उत्पाद में आकर्षक 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि, दूसरी तिमाही के दौरान और इसके आगे यह क्रमशः 7.1% एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में 6.60% रही। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक और आईएमएफ के अनुसार मध्यावधि में इसमें सुधार परिलक्षित होने और यह वृद्धि 7.7% के आसपास रहने की आशा है, बशर्ते कि संरचनागत सुधारों का कार्यान्वयन लगातार बना रहे और संरचनागत ढाँचे में आनेवाली समस्याओं को हल किया जाता रहे।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली का रूपांतरण हो रहा है। इस वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में विधायी एवं नियामक संशोधन प्रकाश में आए और बैंकिंग उद्योग ने आईबीसी एवं सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग

Dear Sir/Madam,

I am placing before you the highlights of your Bank's performance for the financial year 2018-19 in this letter, details of which have been given in the Annual Report. My letter has following sections:

1. A Review of the Economy and the Eco-system.
2. Performance Highlights, which includes Business levels, Profitability, Asset Quality and Capital Adequacy.
3. Developmental activities for making your Bank future-proof such as Building/Transforming the Bank and the new initiatives in HR and Digital Areas.

1. ECONOMY AND THE ECO-SYSTEM

After a growth of 3.8 per cent in 2017, the global economy moderated in 2018 due to different geo-political and social factors.

The IMF expects global economy to grow at a slower pace at 3.3 per cent in 2019 and 3.6% in 2020. As I write, trade negotiations remain inconclusive and the developed economies are showing slow economic revival.

Indian economy showed an uptick during the early part of FY 2018-19 as GDP registered an impressive growth of 8.0 per cent in Q1. However, from second quarter onwards, the growth has moderated to 7.1% in Q2 and 6.60% in Q3 of FY 2018-19. RBI and IMF are however optimistic of better growth of around 7.7% in the medium term with continued implementation of structural reforms and easing of infrastructure bottlenecks.

Indian banking system is transforming. A large number of enablers both in the form of legislation and regulatory enactments came during this year. Banking industry improved over the high levels of NPAs using the IBC and SARFEISI. After reaching a peak of 11.5 per cent

करते हुए बढ़े हुए एनपीए स्तर में कुछ सुधार प्राप्त किया। मार्च 2018 की स्थिति में एनपीए जो अपने सर्वोच्च स्तर 11.5 प्रतिशत तक आ गया था, वह सितंबर 2018 की स्थिति में सुधरकर 10.8 प्रतिशत हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आकलन के अनुसार इस अनुपात में मार्च 2019 तक और सुधार होने की संभावना है और यह 10.3 प्रतिशत तक रह सकता है। अधिकांश बैंकों ने वसूली और पूँजीकरण पर अत्यधिक बल देते हुए सकल एवं निवल एनपीए के अनुपात में बेहतर निष्पादन दर्ज किया है।

भारत सरकार ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समुचित मात्रा में पूंजी निवेश करते हुए अपना सहयोग प्रदान किया है। भारत सरकार ने अपनी पूँजी निवेश की नीति में जवाबदेही के पक्ष को स्पष्ट करते हुए संवर्धित पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता को प्रारंभ किया जिसे ईएएसई के नाम से जाना जाता है जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली को विभिन्न मानकों के अंतर्गत परखने के लिए कतिपय बेंचमार्क निर्धारित किए गए। इसी प्रकार भारत सरकार ने एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत उठाए गए कदमों में ब्याज सहायता, वर्धित ऋण गारंटी, डिजिटल ऋण प्रसंस्करण और निर्यातोन्मुखी गतिविधियों के लिए विशेष प्रोत्साहन सम्मिलित है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के अंतर्गत किसान सम्मान निधि एवं ग्रामीण विकास के लिए विशेष समर्थन शामिल किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों ने कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की जिसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र के अग्रिमों एवं वसूली में विपरीत प्रभाव पड़ा। यद्यपि यह प्रभाव 2018-19 के अंतिम दो तिमाहियों के दौरान कुछ स्थिर पाया गया। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय काफी उच्च स्तर पर रहा। यद्यपि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों के बावजूद बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों को प्रदत्त वित्तीय सहायता में अपेक्षित स्तर की वृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकी बावजूद इसके कि सड़क क्षेत्र के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) आदि अपनाए गए। ऊर्जा क्षेत्र आदि से संबंधित मामले अनिर्णीत रहे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में नियंत्रित कड़े रुख के स्थान पर द्वितीय तिमाही में इसे शिथिल करते हुए तटस्थ रहने अर्थात् कोई विशिष्ट नीति न अपनाने का निर्णय लिया। यद्यपि इसके बाद नीतिगत दरों में अधोगामी ढंग से दो बार परिवर्तन किए गए। यद्यपि दरों में इस परिवर्तन का प्रभाव कोई विशेष नहीं रहा क्योंकि विभिन्न बैंकों द्वारा अपने एमसीएलआर को 5 से 15 आधार प्वाइंट कम किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी अपनी तरलता के कई दरवाज़े खोले जिसमें मुद्रा को स्थिर करने और तरलता की दिशा में सुधार हेतु कदम बढ़ाए गए।

कुछ बैंकों में पीसीए लागू हुआ और जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा पूँजी निवेश के साथ बैंकिंग क्षेत्र के निष्पादन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सरलीकृत निगरानी प्रणाली अपनाई गई। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की पूँजी आवश्यकता के लिए बैंकों द्वारा दिए जानेवाले ऋणों को रेटिंग प्रणाली से जोड़ा गया (प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग संस्थाओं के अलग-अलग संव्यवहारों की तुलना में)। विश्लेषकों ने ऐसा माना है कि आरबीआई योग्य क्षेत्रों को और अधिक ऋण प्रदान कर सरकार की विकासात्मक पहल को समर्थन प्रदान करने के लिए इच्छुक है।

in March 2018, the gross non-performing asset ratio improved to 10.8 per cent in September 2018. As per the current assessment of the Reserve Bank, the ratio may further improve to 10.3 per cent by March 2019. Most of the Banks posted better gross and net NPA ratios aided by aggressive recovery and capitalization.

The Government continued its support to PSBs with significant capital infusion. As part of the Government's policy of capital with accountability, Government of India introduced EASE (Enhanced Access and Service Excellence) framework to benchmark and review various parameters of functioning of Public Sector Banks. Government also introduced significant initiatives for target sectors like MSME and Agriculture. The MSME sector initiatives included interest subvention, enhanced credit guarantee, digital loan processing and additional incentives for the export oriented MSMEs. The Agriculture incentives included Kisan Samman Nidhi and enhanced support for Rural Development. Various State Governments announced Agriculture Debt waiver schemes, which impacted both recovery and growth of the Agriculture advances. However, the impact seemed to have stabilized during the last two quarters of 2018-19. Government spending in the Infrastructure sector remained high. However, translation of government push to the various infrastructure sector did not convert to the expected growth in the Bank finances to this sector, despite new structures like Hybrid Annuity Model (HAM) for Road sector. Power sector issues remained unresolved.

Reserve Bank of India (RBI) relaxed its monetary policy from 'Calibrated Tightening' to 'Neutral' during the second quarter. Successively the policy rates were revised downwards twice. However, the transmission of the rate cuts happened minimally with MCLR of various banks getting revised downwards between 5 to 15 basis points. RBI also opened special liquidity windows and auctioning of forwards to ease liquidity and stabilize currency.

Several banks exited the PCA framework basis the capital infusion by GOI and RBI's relaxed approach on monitoring the banking sector performance. Capital requirements for Banks lending to NBFCs were aligned to the ratings (As compared to different treatment for systematically important NBFCs). Analysts took these measures as RBI's willingness to support growth initiatives of the government by enabling Banks to lend more to deserving sectors.

उक्त तथ्यों के आधार पर इस वर्ष के प्रतिवेदन के अंतर्गत आपके बैंक का निष्पादन प्रस्तुत किया गया है।

2. निष्पादन की विशिष्टताएँ 2018-19

वैश्विक कारोबार :

दिनांक 31.03.2019 तक बैंक का वैश्विक कारोबार ₹477046 करोड़ रहा, जिसमें ₹259897 करोड़ मूल्य की वैश्विक जमा और ₹217149 करोड़ मूल्य के वैश्विक अग्रिम शामिल हैं। उक्त तिथि तक बैंक का घरेलू कारोबार ₹404914 करोड़ था, जिसमें ₹230092 करोड़ मूल्य के घरेलू जमा और ₹174822 करोड़ मूल्य के घरेलू अग्रिम शामिल थे।

लाभप्रदता :

निवल ब्याज आय में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹6552 करोड़ की तुलना में मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में ₹6648 करोड़ की वृद्धि हुई है। बैंक द्वारा उपगत निवल हानि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹3223 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹2588 करोड़ है। परिचालन लाभ में वर्षानुवर्ष 27% की कमी हुई है, जिससे यह वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹3864 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹2819 करोड़ हो गया है। ब्याजेतर आय में 21% की कमी हुई है, जिससे यह वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹2806 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹2224 करोड़ हो गया है। परिचालन व्यय में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹5494 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹6053 करोड़ की आंशिक वृद्धि हुई है। प्रावधान आवश्यकता में काफी कमी की गई है, जिससे यह वित्तीय वर्ष 2018 में ₹8253 करोड़ की तुलना में घटकर वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान ₹5922 करोड़ हो गई है। विगत दो तिमाहियों में बैंक के निष्पादन में महत्वपूर्ण कायापलट और सुधार दिखाई दिए हैं।

प्रभाविकता : जमाओं की लागत, अग्रिम पर प्रतिफल और निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)

वैश्विक जमा की लागत वित्तीय वर्ष 2018 में 5.10% से आंशिक रूप से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 5.13% हो गई। अग्रिमों पर प्रतिफल वित्तीय वर्ष 2018 में 7.51% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 7.52% हो गया। घरेलू एनआईएम वित्तीय वर्ष 2018 में 2.85% से घटकर वित्तीय वर्ष 2019 में 2.73% हो गया है। वैश्विक एनआईएम वित्तीय वर्ष 2018 में 2.44% से घटकर वित्तीय वर्ष 2019 में 2.42% हो गया है।

देयताओं की संरचना : कासा, खुदरा सावधि जमा

आपके बैंक की कासा जमा स्थिति में अक्षरशः ₹4269 करोड़ की वृद्धि हुई है और प्रतिशतता में कहा जाए तो 5% की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई है। बचत जमा संवर्ग में 8.2% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज हुई है, जिसका मूल्य ₹5609 करोड़ है। कुल जमाओं में कासा का अनुपात 33.33% से बढ़कर 36.77% हो गया है। इस अवधि के दौरान सावधि जमाओं में खुदरा संवर्ग के अंतर्गत वृद्धि महत्वपूर्ण रूप से 56.56% से 66.45% हो गई है। यह खुदरा संवर्ग पर बल देने की दिशा में बैंक द्वारा कृत प्रयास के परिणामस्वरूप है।

खुदरा ऋण पर ध्यान

आरएएम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) संविभाग में वर्षानुवर्ष आधार पर 1.40% की समग्र वृद्धि हुई। आरएएम संविभाग के अंतर्गत खुदरा ऋणों ने

The above provided the backdrop of your Bank's performance during the year under report.

2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2018-19

GLOBAL BUSINESS:

As on 31.03.2019, global business was ₹477046 crore comprising global deposits of ₹259897 crore and global advances of ₹217149 crore. Domestic business was at ₹404914 crore comprising domestic deposits of ₹230092 crore and domestic advances of ₹174822 crore.

PROFITABILITY:

The Net Interest Income for the year ended March 2019, increased to ₹6648 crore as against ₹6552 crore in FY 2017-18. The Net loss incurred by the Bank has reduced to ₹2588 crore in FY 2018-19 from ₹3223 crore in FY 2017-18. The Operating Profit decreased by 27% y-o-y from ₹3864 crore in FY 2017-18 to ₹2819 crore in FY 2018-19. The Non-Interest Income declined by 21% from ₹2806 crore in FY 2017-18 to ₹2224 crore in FY 2018-19. Operating expenses have increased marginally from ₹5494 crore in FY 2017-18 to ₹6053 crore in FY 2018-19. The provisioning requirement during FY 2019 decreased considerably to ₹5922 crore as compared to ₹8253 crore in FY 2018. The Bank's performance witnessed a significant turnaround and improvement in the last two quarters.

EFFICIENCY: COST OF DEPOSITS, YIELD ON ADVANCES AND NIMs

The cost of global deposits has marginally increased from 5.10% in FY 2018 to 5.13% in FY 2019. The Yield on Advances has increased from 7.51% in FY 2018 to 7.52% in FY 2019. The domestic NIM has declined from 2.85 % in FY 2018 to 2.73% in FY 2019. The Global NIM has declined from 2.44% in FY 2018 to 2.42% in FY 2019.

COMPOSITION OF LIABILITIES: CASA, RETAIL TERM DEPOSITS

CASA deposits in your Bank has witnessed a growth of ₹4269 crore in absolute terms and in percentage terms it comes to 5% y-o-y. Savings Deposits increased by ₹5609 crore registering a growth of 8.2% y-o-y. CASA ratio to the total deposits improved from 33.33% to 36.77%. During this period the retail component of the term deposits increased significantly from 56.56% to 66.45%. This is in keeping with the Bank's effort to strengthen the retail franchise.

FOCUS ON RETAIL CREDIT

Overall on YoY basis, the RAM (Retail, Agriculture and MSME) portfolio increased by 1.40%. Of the RAM portfolio,

5.00% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की है और इसके बाद कृषि ऋणों ने 3.10% की वृद्धि दर्ज की जबकि एमएसएमई का विकास सकारात्मक नहीं रहा। एमएसएमई अग्रिमों में पतन का कारण मुख्य रूप से उच्च आपराधिक मुद्दे हैं। वर्ष के दौरान आवास ऋण की विकास प्रतिशतता 5.22% थी। बैंक ने सोच-समझकर यह निर्णय लिया है कि खुदरा ऋण संविभाग को सतत रूप से बढ़ाया जाए। कुल अग्रिमों में खुदरा अग्रिमों की प्रतिशतता 19.79% से बढ़कर 21.57% हुई। आपके बैंक का ध्यान आरएएम संविभाग को बढ़ाना और कॉरपोरेट संविभाग को सीमित करना होगा। खुदरा अग्रिम खंड पर निर्धारित समग्र कार्यनीति पर कार्य करने के लिए कॉरपोरेट, आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर पृथक संगठनात्मक ढांचे बनाए गए हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

आपके बैंक ने इस साल भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति की है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आपके बैंक की वृद्धि दर 1% रही है और आपके बैंक ने 40% की विनियामक आवश्यकता के सापेक्ष एएनबीसी का 40.54% हासिल किया है। इसी प्रकार कृषि में आपके बैंक ने 18% की नियामक आवश्यकता के सापेक्ष एएनबीसी का 18.94% हासिल किया है। अन्य सभी उप वर्गों में आपके बैंक ने नियामक आवश्यकताओं से अधिक लक्ष्य हासिल किए हैं।

आस्ति गुणवत्ता एवं वसूली

आपके बैंक ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी आस्ति गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं, जिनमें बेहतर मूल्यांकन, संपार्श्विक द्वारा समर्थित उच्च दरांकन प्राप्त कंपनियों को एक्सपोज़र, वसूली एवं समाधान हेतु पृथक संप्रभाग की स्थापना, टेक्नोलॉजी एवं विधिक पद्धतियों का सकेंद्रित प्रयोग शामिल है। सकल एवं निवल एनपीए वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्थिति 11.53% एवं 6.28% से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11.37% एवं 6.16% हो गई। उपरोक्त घटना इस बात को इंगित करती है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सकल एवं निवल एनपीए को बेहतर रूप से नियंत्रित किया गया है। गिरावट का अनुपात भी पिछले वर्ष की स्थिति 6.54% से घटकर 5.87% हो गया। वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान सकल गिरावट ₹11592 करोड़ रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2018 में यह ₹14309 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान कुल स्तरोन्नयन, वसूली एवं विवेकपूर्ण अपलेखन का कुल मूल्य ₹12670 करोड़ था जबकि वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान यह राशि ₹6160 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान कृत कुल नकद वसूली ₹6235 करोड़ थी, जिसमें ₹4261 करोड़ मूल राशि के सापेक्ष कृत वसूली है। जबकि वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान कृत नकद वसूली ₹3331 करोड़ थी, जिसमें ₹2689 करोड़ मूल राशि के सापेक्ष कृत वसूली है। नई गिरावटों के साथ नकद वसूली, स्तरोन्नयन तथा विवेकपूर्ण अपलेखन को गणना में लेने के बाद 31 मार्च, 2019 तक बैंक का सकल एनपीए ₹24680 करोड़ हो गया, जबकि 31 मार्च, 2018 को यह ₹25758 करोड़ था। परिणामस्वरूप, बैंक का सकल व निवल एनपीए अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात की तुलना में घटकर क्रमशः 11.37% और 6.16% हो गया। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2018 की स्थिति 60.71% से बढ़कर 31 मार्च, 2019 को 66.43% हो गया है।

Retail loans registered a y-o-y growth of 5.00% followed by Agriculture by 3.10%. However, growth under MSME was not positive. Drop in MSME advances was mainly due to high delinquency issues. Home Loan growth during the year was 5.22%. The Bank has taken conscious decision to consistently increase Retail portfolio. Retail Advances has improved from 19.79% to 21.57% of total advances. Your Bank's focus would be to increase the RAM portfolio and moderate the corporate portfolio. Separate organizational structure has been established at Corporate Office, Zonal Office and Regional Office levels to deliver on the overall strategy for the retail advances segments.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Your Bank continues to remain compliant with the regulatory requirement for priority sector credit. Priority sector growth has been 1% and your Bank has achieved 40.54% of ANBC as against regulatory requirement of 40%. Similarly in Agriculture your Bank has achieved 18.94% of ANBC as against regulatory requirement of 18%. In all other sub segments of Priority Sector your Bank has exceeded the regulatory requirements.

ASSET QUALITY AND RECOVERY EFFORTS

Your Bank initiated comprehensive initiatives for improving asset quality on a multi-pronged approach, which included better appraisal, exposures to highly rated companies and with collateral support, creation of a separate Recovery resolution vertical and focused use of technology and legal methods. Both Gross NPA and Net NPA have decreased from 11.53% and 6.28% respectively in FY 2017-18 to 11.37% and 6.16% respectively in FY 2018-19.This indicates that both Gross and Net NPAs were contained well below the previous year's level. The slippage ratio in FY 2019 has declined to 5.87% from 6.54% in the previous year. The gross slippages during FY 2019 was ₹11592 crore as compared to ₹14309 crore in FY 2018. The up gradations, recoveries and prudential write offs during FY 2019 aggregated ₹12670 crore as against ₹6160 crore during FY 2018. Total cash recovery for FY 2019 was ₹6235 crore of which ₹4261 crore was against principal amount. In contrast, the cash recoveries in FY 2018 was ₹3331 crore of which ₹2689 crore was against principal. After taking into account the fresh slippages as also the cash recovery, up gradationand prudential write offs, the Gross NPA as on March 31,2019, was ₹24680 crore as against ₹25758 crore as on March 31, 2018. As a result, both the Gross NPA & Net NPA ratios have declined to 11.37% and 6.16% respectively as compared to their previous year's ratios.The Provision Coverage Ratio (PCR) as on March 31, 2019 improved to 66.43% from 60.71% in March 2018.

एनपीए समाधान एवं वसूली में महत्वपूर्ण विकास हासिल करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एक समर्पित वसूली एवं समाधान संव्यवहार इकाई की स्थापना की है। इस संप्रभाग को अपेक्षित संगठनात्मक ढांचा एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया है। बैंक ने ₹15709 करोड़ मूल्य के खातों के समाधान हेतु एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) को अनुरोध प्रस्तुत किया है और हमें प्रवर्तमान वर्ष के दौरान उन न्यायाधिकरणों से थोक समाधान प्राप्त होने की उम्मीद है।

पूंजी पर्याप्तता

आपके बैंक को भारत सरकार से पूँजी अंत:प्रवाह के रूप में ₹3963 करोड़ प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, उच्च प्रावधानीकरण के बावजूद भी आपका बैंक इस साल भी पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति में बैंक का सीआरएआर 9.31% के सीईटी1 अनुपात और 11.36% के टियरI अनुपात तथा 2.87% के टियर II अनुपात साथ 14.23% है। यह 31 मार्च, 2019 की स्थिति में सीईटी1, टियर-I एवं टियर II अनुपात के लिए क्रमश: निर्धारित न्यूनतम नियामक स्तर 7.375%, 8.875%, 2.00% के सापेक्ष है। उचित पूँजी अनुपात को बनाए रखने के लिए बैंक पूँजी संरक्षण को आगे भी अपना लक्ष्य मानेगा।

आपके बैंक ने कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर ₹ 500 करोड़ की निवल पूँजी जिसका पूँजी प्रभाव ₹625 करोड़ है, हासिल किया है। यह बैंक की उत्कृष्टता एवं विकास के प्रति कर्मचारियों की प्रतिबद्धता दर्शाती है।

शाखा नेटवर्क

आपके बैंक के पास 4031 शाखाओं का एक सुदृढ़ नेटवर्क मौजूद है जो पूरे भारत में फैला हुआ है। इनमें 840 शाखाएं महानगरों मे, 815 शाखाएं शहरी प्रांतों में, 1138 अर्ध-शहरी प्रांतों में और 1238 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। बैंक की एक विदेशी शाखा लंदन में है। बैंक संभावना युक्त क्षेत्रों में आयोजित विस्तारण करने की अपनी नीति को जारी रखेगा। बैंक ने अपने शाखा नेटवर्क को विशेषीकृत शाखाओं के साथ, यथा उद्यमी-मित्र शाखा, बृहद एवं मिड कॉरपोरेट शाखा एवं विशेषीकृत कृषि वित्त शाखा आदि के रूप में पुनर्निर्धारित किया है।

डिजिटल वितरण चैनल

आपके बैंक ने डिजिटल विस्तारण हासिल करने की अपनी नीति को इस साल भी जारी रखा है। इस अवधि के दौरान इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करनेवाले ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है। आपके बैंक ने डिजिटल चैनलों में प्रयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने और नए डिजिटल उत्पादों व सेवाओं के सृजन में बड़ी मात्रा में निवेश किया है। 31 मार्च, 2019 तक 472 बीएनए के साथ बैंक के कुल एटीएम की संख्या 4509 है। एटीएम में अतिरिक्त सेवाएँ शामिल की गई हैं और बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए ई-कियोस्क के वातावरण तथा टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किए गए। डिजिटल लेनदेनों को बढ़ाने के लिए इन सेवाओं का उपभोग करनेवाले ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस और भीम आधार पे सुविधा उपलब्ध कराया है। आपका बैंक डिजिटल प्लैटफॉर्म पर ग्राहक समायोजन, सेवा आपूर्ति और प्रति बिक्री आदि कार्यों के लिए थर्ड पार्टी प्लैटफॉर्म प्रदाताओं के साथ समझौता किया है। दिनांक 31-03-2019 तक बैंक के कुल लेन-देनों में 60.91% लेन-देन गैर-शाखा चैनलों के माध्यम से हुआ है।

Your Bank has established a dedicated Recovery and Resolution Business Unit (RRBU) for achieving significant improvement in NPA resolution and recovery. The organizational structure and manpower support for the vertical have been put in place. The Bank has approached NCLT (National Company Law Tribunal) seeking resolution of ₹15709 crore and we expect bulk of the resolution to take place in the ensuing FY.

CAPITAL ADEQUACY

Your Bank has received a capital infusion of ₹3963 crore from Government of India. Apart from this, despite higher provisioning, your Bank has remained well capitalized. The CRAR of the Bank as on March 31, 2019, stood at 14.23% with CET1 Ratio of 9.31%, Tier I Ratio of 11.36% and Tier II Ratio of 2.87%. This is against the regulatory minimum of 7.375% for CET1, 8.875% for Tier-I and 2.00% for Tier II Ratio as on March 31, 2019. The Bank continues to target capital conservation for maintaining reasonable capital ratio.

Your Bank concluded a very successful Employee Share Purchase Schemes (ESPS) mobilizing ₹500 crore net with capital impact of over ₹625 crore. This exhibited the employee commitment towards excellence and growth of your Bank.

BRANCH NETWORK

Your Bank has a strong pan India network of 4031 branches of which 840 were in metro, 815 in urban, 1138 in semi-urban and 1238 in rural areas and one overseas branch at London. The Bank continues its policy of measured expansion in to potential areas. The Branch network also was repositioned with different specialized branches like Udyami Mitra branches, Large and Mid-Corporate branches and Specialised Agri finance branches.

DIGITAL DELIVERY CHANNELS

Your bank continued its policy of digital expansion. During this period, the internet banking customers and mobile banking customers saw a rapid increase. Your Bank invested significant amounts for improving user experience of digital channels and creation of new digital products and services. As on 31st March, 2019 your Bank had 4509 number of ATMs including 472 BNAs. Additional services were introduced in ATMs and e-kiosks were enhanced with both ambience and technology for better customer service. Your Bank has enabled Unified Payment Interface and also BHIM Aadhaar Pay to facilitate the customers to enhance digital transactions. Your bank entered into third party platform providers to integrate customer on boarding, service delivery and cross selling on digital platforms. As on 31-03-2019, 60.91% of the Bank's transactions were done in non-branch channels.

आपके बैंक ने अपनी डिजिटल पहल को समर्थन प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट डाटा विश्लेषण केंद्र एवं उत्कृष्ट नवोन्मेषी केंद्र की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

आधार सेवा केंद्र

भारत सरकार के निदेशानुसार बैंक ने आधार से संबंधित सेवाओं को ग्राहकों / आम जनता तक पहुँचाने के लिए शाखाओं में 530 आधार केंद्रों और अपनी प्रायोजित आरआरबी में 150 आधार केंद्रों की स्थापना की है।

वित्तीय समावेशन

बैंक ने गाँवों को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए देशभर में 6953 गाँवों को सम्मिलित करनेवाले सभी आबंटित 3229 उप-सेवा क्षेत्रों को अपनी सेवाएँ पहुँचाई हैं और देशभर में 2671 बैंक मित्रों की नियुक्ति की है। वर्ष के दौरान प्रतिदिन प्रति बैंक मित्र लेन-देनों की संख्या 21 से बढ़कर 27 हो गई है। वर्ष के दौरान बैंक ने आधार सीडिंग के तहत 86.94%, आधार अधिप्रमाणन के तहत 61.89% और मोबाइल सीडिंग के तहत 85.91% उपलब्धि हासिल की है।

3. कारोबार रूपांतरण पहल

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान बाज़ार में आपके बैंक को समुचित रूप से स्थापित कराने, अधिक ग्राहक व कर्मचारी केंद्रित बैंक बनाने और अपने शेयरधारकों के मूल्य का निर्माण करने के लिए बैंक विभिन्न प्रकार के प्रयासों को प्रारंभ किया है। इन प्रयासों के पीछे बैंक का उद्देश्य बैंक के प्रत्येक कारोबार क्षेत्र को अतिरिक्त बल प्रदान करना है। उक्त में से प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं :

1. **एक समर्पित वसूली एवं समाधान संव्यवहार इकाई (आरआरबीयू) की स्थापना**: ससमय एवं त्वरित वसूली एवं समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष संप्रभाग की स्थापना की गई है। आरआरबीयू के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन पर विशेष इकाई भी बनाई गई है जो ₹5.00 करोड़ और उससे अधिक के एनपीए खातों का समाधान/उसकी वसूली करती है और ₹5.00 करोड़ से कम के एनपीए खातों के समाधान और वसूली की निगरानी करने के लिए बैंक में एक वसूली प्रभाग मौजूद है। अलग विधि विभाग डीआरटी/मुकदमा दायर खातों और डिक्रीकृत ऋण खातों की गहन अनुवर्ती कार्य और ₹5.00 करोड़ से कम राशि के सभी खातों की सरफेसी (एसएआरएफएईएसआई) कार्रवाई की प्रगति की निगरानी करता है। सभी डीआरटी केंद्रों में वर्तमान एआरएमबी के पुनर्निर्धारित कार्य करने के लिए डीआरटी कक्ष स्थापित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान एनपीए की वसूली पर ध्यान सकेंद्रित करने के लिए पूरे बैंक में 1395 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
2. **मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) की स्थिति** : कॉरपोरेट कार्यालय में संगठन व्यापी परिचालन संबंधी उत्कृष्टता और सक्रिय जोखिम प्रबंधन के प्रवर्तन के लिए एक मुख्य परिचालन अधिकारी के पद का सृजन किया गया है। मुख्य परिचालन अधिकारी के कार्य में प्रक्रियाओं की सृष्टि और उनका प्रवर्तन और विविध चैनलों का प्रबंधन दक्षता से करना सम्मिलित है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जैसे, कपट संबंधी जोखिम की बेहतर रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन,

Your Bank has initiated steps for commencing a Data and Analytics Center of Excellence and Innovation Center of Excellence to support the Digital initiatives.

AADHAAR SEVA KENDRAS

Bank has established 530 Aadhaar Seva Kendras in the Bank and 150 in sponsored RRBs as per the directions of Government of India for extending Aadhaar related services to customers/public.

FINANCIAL INCLUSION

Bank has covered all allotted 3229 sub service areas covering 6953 villages and appointed 2671 Bank Mitras across the country to provide banking services to the villages and the number of transactions per Bank Mitra per day has increased from 21 to 27 during the year. Bank has achieved 86.94% under Aadhaar seeding, 61.89% under Aadhaar authentication and 85.91% under Mobile seeding.

3. BUSINESS TRANSFORMATION INITIATIVES

During FY 2019, your Bank has undertaken several new initiatives to position itself appropriately in the market, be more customer and employee centric and create value for all our shareholders. These initiatives are meant for giving additional thrust to each and every business segment of the Bank. Some of the key initiatives are:

1. **Creation of a dedicated Recovery and Resolution Business Unit (RRBU):** In order to facilitate timely and faster NPA resolution and recovery a specialized vertical was created. Under RRBU, there are separate units for Stressed Asset Management to monitor recovery/ resolution of NPA accounts of ₹5.00 crore and above and a Recovery Division which monitors recovery and resolution of NPA accounts of below ₹5.00 crore. Separate legal Department undertakes intensive follow up of DRT /Suit filed accounts and decreed debt accounts. Monitoring progress of SARFAESI action in all accounts involving amount below ₹5.00 crores. DRT Cells are established at all DRT centers with redefined roles of the existing ARMBs. During 2018-19, 1395 officers were deployed across the Bank in order to have focused attention on recovery of NPAs.
2. **Position of Chief Operating Officer (COO):** A COO position was created at Corporate Office to drive organization wide operational excellence and proactive risk management. COO's role includes creation and enforcement of processes and managing various channels efficiently. As a result of this several improvements like better fraud risk reporting

मुद्रा तिजोरियों और एटीएम पर बेहतर नकद प्रबंधन और ग्राहक सेवा होना शुरू हुए। इस संबंध में बैंक में एक औपचारिक भूमिका वाला स्थिरीकरण अभ्यास प्रक्रियाधीन है।

3. संकेंद्रित व्यावसायिक विकास और बेहतर निगरानी और नियंत्रण के उद्देश्य से बैंक ने 11 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या 71 हुई हैं। ये नए क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु पूर्व, बेंगलूरु उत्तर, बागलकोट, चिक्कोड़ी, हासन, कलबुर्गी, दावणगेरे, कासरगोड, पुत्तूर, सिरसी और क्षेत्रीय कार्यालय – II उडुपि हैं। इस पत्र के समय बैंक ने शीघ्र प्रगति और कॉरपोरेट पहलों के बेहतर नियंत्रण और त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक नया आँचलिक कार्यालय और 24 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं।

4. अधिक संभाव्य आवास एवं एमएसएमई खंडों के तहत बेहतर गुणवत्तावाले व्यवसाय को जुटाने हेतु बैंक ने कॉरपोरेट कार्यालय में अलग आवास ऋण और एमएसएमई वर्टिकल बनाया है। आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंक के दो अनुवर्ती वर्टिकल बनाये गए हैं। बैंक ने आवास ऋणों के प्रचार/को जुटाने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवास ऋण के परामर्शदाताओं के नामों को सूची में सम्मिलित करना शुरू किया है जो पहले केवल कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ही सीमित था। आपके बैंक ने इन खंडों में प्रगति के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

5. आपके बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान अबाध और सुदृढ़ ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने की दृष्टि से महिला हिताधिकारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋणों के वित्तीयन के लिए मेसर्स अत्यति टेक्नॉलॉजीस से और सह-उत्पादन के तहत उपस्कर वित्त हेतु एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता किया है।

6. प्रसंस्करण संबंधी प्रलेखन के बैक ऑफिस कार्य को सरलीकृत करने हेतु टीएटी को कम करने के लिए सुप्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा निर्मोचन और अनुवर्ती कार्य एवं ऋणों के एकसमान प्रसंस्करण और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक से ₹10.00 लाख और उससे अधिक के सभी बंधक आधारित खुदरा ऋणों और एमएसएमई प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए 33 संभाव्य क्षेत्रों में खुदरा एवं एमएसएम ई ऋण केंद्र (आरएमएलसी) खोले जा चुके हैं। यह शाखाओं में बैंक के उत्पादों के बिक्री एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए मानव संसाधन को स्वतंत्र करेगा। प्रारंभिक कार्य के आधार पर सभी आरएमएलसी की समीक्षा चालू है।

7. बैंक ने बाजार में अन्य स्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा करने और एमएसएमई ऋण संविभाग के तहत पर्याप्त गुणवत्ता के व्यवसाय को जुटाने के लिए ''सिंड उद्यमी'' नामक एक नए आस्ति उत्पाद का प्रवर्तन किया है। इसका उद्देश्य ऐसी व्यावसायिक इकाइयों से गुणवत्तायुक्त वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करना है जो उत्पादन और सेवा कार्यों के लिए ₹10.00 लाख से अधिक और ₹10.00 करोड़ तक के निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं।

8. आपका बैंक एमएसएमई और मुद्रा को अधिक संभाव्य और लाभप्रद कार्य मानता है, बैंक ने इन खंडों में उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के लिए कई नई पहल और डिजिटल समर्थन की शुरुआत की है।

and management, better cash management in chests and ATMs and customer service has already been achieved. A formal role stabilization exercise is under way

3. Bank has opened 11 new ROs, with the objective of focused business development and better monitoring and control. The total number of ROs has reached 71 as on 31.03.2019. These 11 new Regional Offices are Bengaluru East, Bengaluru North, Bagalkot, Chikodi, Hassan, Kalburgi, Davangere, Kasargod, Puttur, Sirsi and RO-II Udupi. As at the time of this letter, the Bank has already created one new Zone and 24 new ROs to achieve faster growth, better control and swifter implementation of corporate initiatives.

4. To augment good quality business under housing & MSME segments, where there is immense potential, Bank has created separate Housing Loan and MSME Verticals at Corporate Office. Corresponding verticals have been created at Zonal and Regional Offices Bank has also introduced empanelment of Housing Loan Counselors by all Regions for canvassing / mobilizing Housing loans which was previously limited to a few Regions only. Your Bank has taken ambitious targets for growth in these segments.

5. In order to ensure smooth and secure credit flow, your Bank has entered into new arrangements with Atyati Technologies for financing Micro & Small Enterprises loans with focused thrust on women beneficiaries and SREI Equipment Finance Limited, for equipment financing under co-origination lending during the year 2018-19.

6. To smoothen the backend office work of processing documentation, releases and follow-up through well trained staff to reduce the TAT as well as to ensure quality and uniform processing of loans, Bank has setup Retail & MSME Loan Centers (RMLC) in 33 potential areas for processing of all mortgage based Retail loans and MSME proposals of ₹10 lakhs and above. This will free human resources at branches to act as selling agents of Bank's products and services. Based on the initial working, a review of the RMLCs underway.

7. Bank introduced a new asset product "SyndUdyami", to compete with other players in the market and to add substantial quality business under MSME loan portfolio. It is aimed at financing quality proposals from business units who want to avail fund based and non–fund based credit facilities above ₹10.00 lakh and up to and inclusive of ₹10.00 crore for manufacturing and services activities.

8. Your Bank considers MSME and Mudra as high potential and profitable activities and has put in place several new initiatives and digital enablement to support entrepreneurs in these segments.

9. आपका बैंक सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉरपोरेटों और अन्य क्रेताओं से एमएसएमई के व्यापारिक प्राप्यों के वित्तीयन के लिए व्यापारिक प्राप्यों की भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) मंच पर ऑनलाइन बोली लगाने में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

10. बैंक ने कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों और शिक्षा ऋणों के कम मूल्य के एनपीए खातों का समाधान करने के लिए तीन विशेष ओटीएस योजनाएं बनायी हैं। पहली योजना ₹5.00 लाख और उससे कम के बही शेष सहित संदिग्ध और हानि आस्तियों के तहत छोटे एनपीए खातों के लिए कृषि, ट्रैक्टर ऋणों सहित कृषि एवं संबद्ध कार्यों को प्रत्यक्ष वित्त के तहत कृषकों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए है। दूसरी ₹50.00 लाख तक के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उधारकर्ताओं के लिए है और तीसरी शिक्षा ऋण के उधारकर्ताओं के हितलाभ के लिए ₹4.00 लाख एवं उससे कम की मूल संस्वीकृत सीमा के एनपीए शिक्षा ऋणों के निपटान के लिए है।

11. ₹ 2.00 लाख तक के बही शेष के एनपीए में वसूली को शीघ्र पूरा करने के लिए पिग्मी एजेंटों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। डिक्रियों में निष्पादन से वसूली करने हेतु पैनल के अधिवक्ताओं के लिए दूसरी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है।

12. प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल बैंकिंग की पहली पंक्ति में कई पहल किए गए हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं:

✓ सॉफ्टवेयर में सुधार, हार्डवेयर रिफ्रेश, संचयन, आंकड़ा केंद्र और डीआर में नई क्षमताओं के निर्माण में सूचना प्रौद्योगिकी संरचना का कोटि उन्नयन विस्तृत तौर पर किया गया है।

✓ सीबीएस रूपांतर का कोटि उन्नयन फास्ट ट्रैक पर किया गया है। इस पत्र के दिनांक पर प्रोजेक्ट सुपर्णा के तहत सीबीएस के नए संस्करण में 20 शाखाएँ स्थानांतरित की गई हैं।

✓ एलएपीएस, एनपीए ट्रैकर, पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) जैसी सभी आंतरिक उपयोगिताएं महत्वपूर्ण रूप से वर्धित और नवीकृत किए गए हैं। वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को व्यवस्थित किया गया है और इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग जैसे पुराने अनुप्रयोगों के लिए, नए ओराकल और सी एड्ज टेक्नॉलॉजी जैसे प्रसिद्ध संगठनों से बाजार में अग्रणी उत्पादों के लिए करार किए गए हैं ताकि वर्धित निगरानी एवं नियंत्रण हेतु क्षेत्र और परिचालन अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त पॉवर बी1डैशबोर्ड का उपयोग करते हुए अपने चयनित साधन (उदा. मोबाइल्स, टैब्स आदि) के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यावसायिक आंकड़ों को प्राप्त करने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके।

✓ बैंक के उत्पादों के विपणन को बढ़ाने के लिए वर्तमान ''सेल्स साथी'' एप्लिकेशन को ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) को प्रारंभिक विशेषताओं से कोटि उन्नयन कर पुनर्नामित (सिंड साथी) किया गया है। इस नए एप्प को पावर बी1 डैशबोर्डों के साथ उपलब्ध कराया गया है। ये डैशबोर्ड, प्रणाली आंकड़े मदों से लिए गए आंकड़ों से आवास ऋणों, एमएसएमई ऋणों और दूसरे अभियान विशिष्ट निष्पादन जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के निष्पादनों का विश्लेषण आसान तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि कई मानदंडों

9. Your Bank has been actively participating in the online biddings on the Trade Receivable Discounting System (TReDS) platform for financing of trade receivables of MSMEs from corporates and other buyers including Government Departments and Public Sector Undertakings (PSUs).

10. In order to resolve small ticket NPA accounts of farmers, micro & small enterprises and education loans, Bank has introduced three Special OTS schemes. The first one for considering proposals of farmers under direct finance to Agriculture & Allied activities including agricultural tractor loans, for small NPA accounts under doubtful and loss assets category with book balance of ₹5.00 lakh and below. The second one for Micro and Small Enterprises borrowers up to ₹50.00 lakh and the third one for settling NPA education loans with original sanctioned limit of ₹4.00 lakh & below for the benefit of education loan borrowers.

11. To speed up and mop up recovery in NPAs of book balance up to ₹2.00 lakhs, incentive scheme has been introduced for Pigmy Agents. Also for effecting recovery through execution of decrees, another incentive scheme has been introduced for panel advocates.

12. On technology & digital banking front, a number of initiatives have been taken. Some examples are:

✓ The IT infrastructure has been comprehensively upgraded in software revamp, hardware refresh and creation of new capacities in storage, Data Center and DR.

✓ CBS version upgrade has been put under fast track. As on the date of this letter 20 Branches have already been migrated to the new version of CBS under Project Suparna.

✓ All in-house utilities like LAPS, NPA Tracker, Early Warning Signals (EWS) have been significantly enhanced and renovated. Website, internet banking and mobile banking have already been de-cluttered and for outdated applications like internet banking and mobile banking, new and market leading products from reputed organizations like Oracle and C Edge Technologies have been contracted enabling access to critical business data on the go through the device of choice (e.g. Mobiles, Tabs etc.) using PowerBI Dashboards to be used by Field and Operational functionaries for enhanced Monitoring and Control.

✓ To enhance marketing of Bank's products, the existing 'Sales Sathi' application has been upgraded and renamed as 'SyndSathi' with initial features of Customers Relationship Management (CRM). The new app has been put in place with the adoption of Power BI dashboards. These dashboards, with data extracted from the system data points analyses performance in priority areas like housing loans, MSME loans and other campaign specific

में समान स्तर की तुलना और अखिल भारतीय तुलना की जा सके।

- ✓ शीघ्र और झंझट रहित ऋण के लिए वित्तीय जांचों, सत्यापन और वित्तीय जांचों, सत्यापन और वित्तीय आंकड़े को समर्थ बनाने के लिए पर्फियोस, आथब्रिज, सिबिल और प्रोब42 से समझौता किया गया है।
- ✓ विविध ग्राहक यात्राओं के विश्लेषण से प्रसंस्करण करना और परिवर्तन समय (टीएटी) को कम करना और संभाव्य डिजिटलीकरण और प्रक्रिया में परिवर्तन का पता लगाना। इसके तहत आवास ऋण और एमएसएमई उत्पाद पूर्ण किए गए हैं और कुछ अधिक उत्पाद प्रक्रिया के अधीन हैं।
- ✓ ऋण, विक्रय, विपणन और लक्ष्यबद्ध अभियान प्रबंधन के क्षेत्रों के बारे में और एक उत्कृष्टता विश्लेषण केंद्र को स्थापित करने के लिए आंकडों के आधार पर निर्णय करने के लिए बड़े आंकड़े, विश्लेषण, मशीन पढ़ाई (एमएल) और स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) से संबंधित पहलों का प्रवर्तन।
- ✓ कर्मचारी, ग्राहक और अन्य हितधारकों के संबंध की एक पद्धति के रूप में सोशियल मीडिया प्लैटफॉर्म को सभी मंचों पर सफलतापूर्वक प्रवर्तित किया गया। अनुयायी आधार में तेजी से वृद्धि हो रही है और बैंक के सोशियल मीडिया टीम द्वारा उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
- ✓ बैंक के वैकल्पिक वितरण चैनल के परितंत्र को एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बीएनए (बल्क नोट एक्सेप्टर), भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस), फास्टटैग, यूपीआई और आईएमपीएस प्रस्ताव, ईएमवी/चिप आधारित लेन-देन, कार्डरहित जमाराशियाँ, ग्रीन पिन से ग्राहक स्वसमर्थन और इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं को अवरुद्ध करना, एसएमएस से कार्ड हॉट-लिस्टिंग, कार्ड को अवरुद्ध करना आदि से सुदृढ़ किया गया है। बैंक ने सिंड कलेक्ट की शुरुआत की जो पेमेंट गेटवे समूह मेसर्स पेयू एंड मेसर्स बिलडेस्क (IndiaIdea.com) के साथ गठजोड़ व्यवस्था के तहत हमारे ग्राहकों को ऑनलाइन पर एक झंझट रहित ऑनलाइन वसूली/भुगतान सुविधा देती है।
- ✓ एटीएम और बीएनए पर एंटी-स्किमिंग उपायों, आवधिक सुरक्षा समाधानों, एसएमएस चेतावनियों, अन्य सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित करके ग्राहकों की रक्षा करना।
- ✓ बैंक ने डिजिटलीकरण के तहत 22 गांवों को सम्मिलित किया है और वर्तमान वर्ष के दौरान डिजिटलीकरण के लिए दूसरे 100 गांवों की पहचान की गई है। बैंक ने कर्नाटक और लक्षद्वीप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक के रूप में वर्ष के दौरान बेंगलूरु, मंगलूरु, हुब्बल्ली एवं लक्षद्वीप में मुद्रा प्रोत्साहन अभियान आयोजित किए हैं।
- ✓ बैंक ने खुदरा/एमएसएमई और मानव संसाधन अनुभाग के लिए व्यापक रूपांतरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। समग्र रूपांतरण कार्यक्रम प्रक्रिया की निगरानी आधुनिक रूपांतरण प्रबंधन कार्यालय (टीएमओ) के अंतर्गत प्रस्तावित है।

13. आपका बैंक उत्तम ग्राहक सेवा एवं ग्राहक प्रसन्नता के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने इसे ध्यान में रखते हुए 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों और

performances in an easy to understand manner and with features like peer level comparison and all India comparison on most of the parameters.

- ✓ Collaboration with FinTechs and Partners such as Perfios, Authbridge, CIBIL and Probe42 to enable financial checks, verification and extraction of financial data for quick and hassle free Loan.
- ✓ Processing and reducing TAT (Turnaround Time) by analyzing various customer journeys and finding out possible digitalization and process changes. Under this the housing loan and MSME products have been completed and a few more products are under process
- ✓ Roll out of initiatives around Big Data, Analytics, Machine Learning (ML) and Natural Language Processing (NLP) for Data Driven Decision making in the areas of Loans, Sales, Marketing and Targeted Campaign Management and setting up a Analytics Centre of Excellence.
- ✓ Social media platform as a method of employee, customer and other stakeholder connect was introduced successfully in all platforms. The follower base is witnessing rapid increase and the Bank's social media team has made a number of postings for products and services marketing.
- ✓ Alternate Delivery Channel ecosystem of the Bank is strengthened through ATM, Internet Banking Mobile Banking, BNA (Bulk Note Acceptor), Bharat Bill Payment System (BBPS), FastTag, UPI and IMPS offerings, EMV/Chip based transactions through ATM (Issuer), Cardless Deposits, Customer Self Support through Green PIN and Blocking of Internet and Mobile Banking facilities, Card hot-listing through SMS, Card Blocking. Bank introduced Synd Collect which provides a hassle free online Collection / Payment facility to our customers under tie-up arrangement with payment gateway aggregator M/s Pay U & M/s. BillDesk (IndiaIdea.com).
- ✓ Security implementations to protect customers through installation of Anti-Skimming Devices at ATMs and BNAs, Terminal Security Solutions, SMS Alerts and other security solutions.
- ✓ Bank has covered 22 villages under Digitalization and identified another 100 villages for digitalization during the Current Year. As convener of SLBC in Karnataka and Lakshadweep, Bank has organized MUDRA Protsahan Abhiyaan at Bengaluru, Mangaluru, Hubballi and Lakshadweep during the year.
- ✓ The Bank has initiated comprehensive transformation programme for retail/MSME and HR segments. The overall transformation programme process is proposed to be monitored under a modern Transformation Management Office (TMO).

13. Your Bank is committed to good customer service & customer delight. Keeping this in view, Bank has implemented Door Step Banking Facility for Senior Citizens of more than 70 years of age and Differently

दृष्टि बाधित व्यक्तियों सहित अन्यथा समर्थ या अशक्त व्यक्तियों(पुरानी बीमारी या विकलांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र वाले) के लिए द्वारस्थ बैंकिंग सेवा का कार्यान्वयन किया है।

14. बैंक ने खाते की विवरणी जारी करने, पास बुक मुद्रण और एसएमएस प्रेषित करने के लिए सीबीएस में भाषा चयन का विकल्प - हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं (वर्तमान में 10 भाषाओं में) में उपलब्ध कराया है।

15. आपका बैंक अनन्या परियोजना के अंतर्गत किए गए प्रयासों को और भी बढ़ाने और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, **रूपांतरण प्रबंधन कार्यालय(टीएमओ)** की स्थापना की गई है, जो सीओओ (मुख्य परिचालन अधिकारी) द्वारा संचालित है, जिसके द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वत्र कारोबार परितंत्र में सहक्रिया और सहयोग की प्राप्ति के लिए मुख्य भूमिका निभायी जा सके। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में बैंक की 730 शाखाएँ अनन्या परियोजना के अंतर्गत परिचालित हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनन्या परियोजना की संरचना के अंतर्गत सभी शाखाओं को लाने का महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

16. आपके बैंक ने स्टाफ और परिचालनगत ईकाइयों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करने के लिए अँचल, क्षेत्र और शाखाओं हेतु मुख्य मापदंडों में श्रेणीकरण प्रणाली की शुरुआत की है।

मानव संसाधन, प्रशिक्षण और विकास

आपका बैंक भविष्य के लिए सतत मानव संसाधन सुधार और नेतृत्व भावना को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके बैंक ने वस्तुनिष्ठ और आंकड़ा आधारित मापदंड को अधिक महत्ता देते हुए प्रणालीगत मूल्यांकन पद्धति को अपनाया है, जिससे कर्मचारियों के निष्पादन की वैज्ञानिक माप सुनिश्चित की जा सके और प्रमुख स्थान एवं कार्य हेतु उत्तराधिकार आयोजना संबंधी नीति के कार्यान्वयन किया जा सके। विभिन्न नीतियों जैसे पदोन्नति, स्थानन और पार्श्विक गतिविधि को संवर्धित और डिजिटलीकृत किया गया है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली(एचआरएमएस) परियोजना को शीघ्र निपटान सुविधा के अंतर्गत लगाया गया है और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) में अधिक सेवाओं को ले जाने के लिए कदम उठाये गए है, ताकि अधिक नीतिगत और आधुनिकीकरण पहलों के लिए मानव संसाधनों को मुक्त रखा जा सके। बैंक ने स्टाफ सदस्यों के लिए पुरस्कार और सम्मान संबंधी रूपरेखा के निर्माण और कार्यान्वयन हेतु कई पहल को अपनाया है।

आपका बैंक अधिकारियों और कार्यपालकों दोनों को आंतरिक प्रशिक्षण और बाह्य नियोजनों के माध्यम प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान पुणे, सीएएफआरएएल मुंबई, आईडीआरबीटी हैदराबाद, भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान मुंबई, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पुणे आदि में अधिकारियों एवं कार्यपालकों को नियमित रूप से प्रतिनियुक्त करता है। सिंडिकेटबैंक प्रबंधन संस्थान(एसआईबीएम) और 8 प्रशिक्षण केंद्र देश भर में कर्मचारियों की प्रशिक्षण अपेक्षाओं को पूरा करता है। इन संस्थानों में पाठ्यक्रम और संकाय प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ायी गई है। बैंक ने टीए पै प्रबंधन संस्थान को नेतृत्व विकास कार्यक्रम तैयार करने और सुपुर्द करने का कार्य सौंपा है।

औद्योगिक संबंध :

संघ/समितियाँ कॉरपोरेट लक्ष्य के प्रति उत्तरदायी एवं अधिक सक्रिय रहे

abled or Infirm persons (having medically certified chronic illness or disability) including those who are visually impaired.

14. Bank has also Introduced an option to select the language – Hindi or other Regional languages (Presently 10 languages are available) in CBS for issuing statement of account, pass book printing and sending SMS to the customers.

15. Your Bank is committed to expand and upscale the efforts taken under Project Ananya. To achieve this objective, a separate **Transformation Management Office (TMO)** is already established which is headed by COO (Chief Operating Officer) to play a key role to achieve synergy and collaboration across business eco systems to take forward this programme. As of 31.03.2019, Bank has 730 branches under Ananya and has an ambitious target of bringing all branches under Project Ananya framework during the current financial year.

16. To inculcate a healthy sense of competition amongst staff and operating units your Bank has introduced ranking system in key parameters for Zones, Regions and Branches. It is going to be further improved and made more comprehensive and aligned with corporate goals in the current financial year.

HUMAN RESOUCES, TRAINING AND DEVELOPMENT

Your Bank is committed to continuous HR reforms and developing leaders for the future. Your Bank has put in place system driven-appraisal system with more weightage to objective and data based parameters to ensure scientific measurement of staff performance and also implemented policy on Succession Planning for key positions and functions. Different policies like promotion, placement and lateral movement have been enhanced and digitized. The HRMS project has been put on fast track and steps have been taken to migrate more services into HRMS, so as to free human resources for more policy and modernization initiatives. Bank has taken a number of initiatives to formulate and implement a reward and recognition framework for staff members.

Your Bank is committed to train its Officers and Executives both through the internal training and external engagements. The Bank regularly deputes officers and executives to National Institute of Bank Management, Pune, CAFRAL, Mumbai, IDRBT Hyderabad, Indian Institute of Banking and Finance Mumbai, College of Agricultural Banking, Pune, etc. Syndicate Institute of Bank Management (SIBM) and 8 training Centers spread across the country are catering to the training needs of the employees. The curriculum and faculty training at these institutes are being comprehensively enhanced. The Bank has commissioned TA Pai Institute of Management to design a leadership development programme and deliver it.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Unions/Associations have been responsive and

हैं और औद्योगिक संबंध समग्ररूप से अत्यंत मैत्रीपूर्ण रहा है तथा बैंक की कार्यनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में पूरा सहयोग प्रदान किया है।

पुरस्कार व सम्मान:

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान के विवरण निम्नानुसार हैं:

- एनएफएस एटीएम नेटवर्क में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए एनपीसीआई से **''नैशनल पेमेंट एक्सेलेंस अवार्ड 2017''**
- नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल सोल्यूशन के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए **''स्कॉच अवार्ड – साइबर सेक्यूरिटी 2018''**
- साइबर सेक्यूरिटी परियोजना के अंतर्गत उच्चतम श्रेणी में अर्हता प्राप्त करने के लिए **''स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2018''**
- बडे बैंकों की श्रेणी के तहत असोचम द्वारा **''उत्कृष्ट सामाजिक बैंक–तृतीय स्थान''**।
- संबंधित शहरों में मौजूद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से **राजभाषा शील्ड/अवार्ड** की प्राप्ति।
- यूआईडीएआई द्वारा निम्नलिखित तीन वर्गों में **आधार श्रेष्ठता पुरस्कार:–**
  - कुल आधार सृजन एवं अद्यतन के लिए **उत्कृष्ट निष्पादक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक – तृतीय पुरस्कार**
  - औसतन आधार सृजन एवं अद्यतन के लिए **उत्कृष्ट निष्पादक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक– द्वितीय पुरस्कार**
  - आधार केंद्रों की स्थापना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि की उच्चतम प्रतिशतता हासिल करने के लिए **अचीवर्स अवार्ड – छठा पुरस्कार**

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक समाज के विभिन्न पहलुओं के सामाजिक/आर्थिक परिवर्तन और निचले तबके के उत्थान के उद्देश्य से की जानेवाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए अपने दायित्व का निर्वहण कर रहा है। इसमें उपकरण, वाहनों को दान करना, महिला एवं समाज के कमजोर वर्ग को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना आदि शामिल हैं।

अंत में, अपने सम्मानित शेयरधारक के रूप में हमारी शक्ति एवं क्षमताओं में निरंतर विश्वास के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं, बैंक और आपकी ओर से भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और बोर्ड के सदस्यों का भी उनके बहुमूल्य समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। यह उल्लेख करना अनावश्यक होगा कि हमारे ग्राहकों ने बैंक को समर्थन देने में अपनी उदारता का परिचय दिया है। मैं सभी ग्राहकों को उनके सतत सहयोग एवं विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ। टीम के सहयोग के बिना कोई भी संभव नहीं हो पाता है। बैंक की गुणवत्ता वृद्धि और रूपांतरण में 35000 से भी अधिक की मजबूत सिंडियंस की टीम ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है जिससे बैंक विगत वर्ष के दौरान अत्यधिक तीव्रता के साथ विकास की ओर आगे बढ़ा है।

साभार,

भवदीय,

(मृत्युञ्जय महापात्र)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 24-05-2019

proactive to the corporate goals and the industrial relations overall was extremely harmonious and supported the overall fulfillment of Bank's strategic objectives.

ACCOLADES AND AWARDS

Your Bank received a number of accolades and awards during the year 2018-19. Some of them were:.

- **"National Payments Excellence Awards 2017"** from NPCI in recognition of excellent performance in NFS ATM Network.
- **"Skoch Award - Cyber Security 2018"** for developing and implementing Network Access Control solution.
- **"Skoch Order of Merit Award 2018"** for qualifying amongst the top ranking Cyber Security projects.
- **"Best Social Bank – 2nd runner up award** by ASSOCHAM under large Bank Category.
- **Rajbhasha Shields/Awards** from respective Town Official Language Implementation Committees.
- **Aadhaar Excellence Award** by UIDAI in three categories viz:
  - **Best performing Public Sector Bank – 3rd Rank** in terms of total Aadhaar Generation & Update.
  - **Best performing Public Sector Bank – 2nd Rank** in terms of average Aadhaar Generation & Update.
  - **Achievers award – 6th Rank** in highest percentage of Aadhaar centres against targets

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Bank continued to fulfil its social responsibilities by actively participating in activities aimed at socio / economic transformation of various facets of society and upliftment of the downtrodden. These included donation of equipment, vehicles, Assistance for training to women and weaker strata of society etc.

To conclude, I thank you, one of our valued shareholders for your continued faith in our strength and capabilities. I also thank on behalf of the Bank and on behalf of you, Government of India, Reserve Bank of India and members of the Board for their valuable support and guidance. Needless to mention our customers have been unstinting in their support to the Bank. I thank all customers for their continued support and trust. Nothing moves without the support of the team. Team Syndians, which is over 35000 strong, contributed with all their might to the turnaround and the quality enhancement of the Bank which has proceeded forward with great intensity during the past year.

With Best Regards,

Yours Sincerely,

(Mrutyunjay Mahapatra)
Managing Director & CEO

Place : Manipal
Date : 24-05-2019

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2019 की स्थिति में लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा विवरण सहित बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट, निदेशक मंडल सहर्ष प्रस्तुत करता है।

वित्तीय निष्पादन

आपके बैंक के वित्तीय निष्पादन का सारांश निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2019	विचलन (%)
कुल जमाराशियाँ	**272776**	**259897**	-4.72
जिनमें से - घरेलू जमाराशियाँ	241092	230092	-4.56
विदेशी जमाराशियाँ	31684	29805	-5.93
घरेलू जमाराशियाँ	**241092**	**230092**	-4.56
जिनमें से - चालू खाता जमाराशियाँ	12016	10660	-11.28
बचत जमाराशियाँ	68346	73955	8.21
कासा जमाराशियाँ (घरेलू)	80362	84615	5.29
घरेलू जमाराशियों के लिए घरेलू कासा (%)	**33.33**	**36.77**	
अग्रिम	**223346**	**217149**	-2.77
जिनमें से - घरेलू अग्रिम	181477	174822	-3.67
विदेशी अग्रिम	41869	42327	1.09
कुल आस्तियाँ	323977	311279	-3.92
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	6552	6648	1.47
अन्य आय	2806	2224	-20.74
जिनमें से - शुल्क आय	710	729	2.68
निवेश की बिक्री पर लाभ	946	364	-61.52
बट्टे खाते डाले गए विवेक-सम्मत खातों से वसूली	488	570	16.80
एनआईआई + अन्य आय	9358	8872	-5.19
परिचालन व्यय	5494	6053	10.17
परिचालन लाभ	3864	2819	-27.04
प्रावधान (करेतर)	8253	5922	-28.24
जिनमें से, एनपीए और बट्टे खाते डाले गए अशोध्य प्रावधान के लिए	7707	6169	-19.96
कर पूर्व लाभ	-4389	-3103	29.30
कर हेतु प्रावधान	1166	515	-55.83
निवल लाभ/(हानि)	-3223	-2588	19.70
विनियोजन/अंतरण			
सांविधिक आरक्षित निधि	–	–	
आरक्षित पूंजी	62	17	
राजस्व और अन्य आरक्षित निधि	–	–	
(i) सामान्य आरक्षित निधि	-3285	-2605	
(ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	–	–	
(iii) निवेश आरक्षित निधि खाता	–	–	
(iv) पिछले वर्ष के दौरान कृत अधि-विनियोजन से अंतरण	–	–	
मुख्य निष्पादन संकेतक			
निधियों की औसत लागत	4.94	5.05	
निधियों पर औसत प्रतिफल (%)	7.06	7.28	
औसत अर्जक आस्तियाँ	268375	274924	
निवल ब्याज सीमांत (%)	2.44	2.42	
लागत आय अनुपात (%)	58.71	68.23	
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) (%)	-1.05	-0.87	
ईक्विटी पर प्रतिलाभ (%)	-26.68	-21.34	
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	105.43	66.60	
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, एफसीटीआर एवं निवल डीटीए को शामिल कर)	83.05	50.20	
मूल ईपीएस (₹)	-34.00	-17.12	
मिश्रित ईपीएस (₹)	-34.00	-17.11	

* शेयर का अंकित मूल्य ₹10/-

DIRECTORS' REPORT

The Board is pleased to present Directors' Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet as at 31st March 2019 and the Profit & Loss Account Statement for the Financial Year ended 31st March 2019.

Financial Performance

The snapshot of your Bank's financial performance is as below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2019	Variation (%)
Total Deposits	**272776**	**259897**	-4.72
Of which-Domestic Deposits	241092	230092	-4.56
Overseas Deposits	31684	29805	-5.93
Domestic Deposits	**241092**	**230092**	-4.56
Of which-Current Account Deposits	12016	10660	-11.28
Savings Deposits	68346	73955	8.21
CASA Deposits (Domestic)	80362	84615	5.29
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	**33.33**	**36.77**	
Advances	**223346**	**217149**	-2.77
Of which-Domestic Advances	181477	174822	-3.67
Overseas Advances	41869	42327	1.09
Total Assets	323977	311279	-3.92
Net Interest Income (NII)	6552	6648	1.47
Other Income	2806	2224	-20.74
Of which-Fee Income	710	729	2.68
Profit on sale of Investment	946	364	-61.52
Recovery from Prudential written-off accounts	488	570	16.80
NII+ Other Income	9358	8872	-5.19
Operating Expenses	5494	6053	10.17
Operating Profit	3864	2819	-27.04
Provisions (Other than Tax)	8253	5922	-28.24
Of which; Provisions for NPAs & Bad debts written-off	7707	6169	-19.96
Profit Before Tax	-4389	-3103	29.30
Provision for Tax	1166	515	-55.83
Net Profit/ (Loss)	-3223	-2588	19.70
Appropriations/Transfers			
Statutory Reserve	–	–	
Capital Reserve	62	17	
Revenue and other Reserves	–	–	
(i) General Reserve	-3285	-2605	
(ii) Special Reserve u/s 36(I)(viii) of the Income Tax Act 1961	–	–	
(iii) Investment Reserve Account	–	–	
(iv) Transfer from Excess Appropriation of previous year	–	–	
Key Performance Indicators			
Average Cost of Funds	4.94	5.05	
Average Yield on Funds(%)	7.06	7.28	
Average Earning Assets	268375	274924	
Net Interest Margin (%)	2.44	2.42	
Cost-Income Ratio (%)	58.71	68.23	
Return on Assets (ROA) (%)	-1.05	-0.87	
Return on Equity (%)	-26.68	-21.34	
Book Value per share (₹)	105.43	66.60	
Book Value per share (₹)(inclusive of revaluation reserve, FCTR & Net DTA	83.05	50.20	
Basic EPS (₹)	-34.00	-17.12	
Diluted EPS (₹)	-34.00	-17.11	

*Face value of the share ₹10/-

दिनांक 31.03.2019 तक बैंक का कुल कारोबार ₹477046 करोड़ रहा।

बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्थिति ₹6552 करोड़ से 1.47% की बढ़त से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹6648 करोड़ हो गई।

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹2819 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज किया है। कुल प्रावधान में 24% तक की कमी हुई और इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 की निवल हानि ₹3223 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹2588 करोड़ हो गया।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (0.87)% रहा जबकि, इक्विटी पर प्रतिलाभ (21.34)% रहा। प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹10/-) मूल अर्जन ₹(17.12) रहा। शेयर (अंकित मूल्य ₹10) का बही मूल्य ₹66.60 रहा।

31 मार्च, 2019 तक बैंक की निवल मालियत ₹12488 करोड़ थी (आबंटन हेतु लंबित शेयर उपयोग धन, पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि, एफसीटीआर को छोड़कर और अमूर्त आस्तियों को अलग करके)।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) **(₹ % में)**

	31.03.2018	31.03.2019
सीआरएआर	12.24	14.23
सीईटी–I	7.56	9.31
टीयर– I	9.41	11.36
टीयर– II	2.83	2.87

बासेल III के अंतर्गत जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात, 31 मार्च 2019 की स्थिति में 14.23% रहा, जो विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है। बासेल III संरचना के अंतर्गत टीयर–I अनुपात 11.36% और सामान्य इक्विटी टीयर- I (सीईटी- I) 9.31% रहा।

ए. बैंक ने वर्ष के दौरान भारत सरकार (''जीओआई'') को अधिमानी आधार पर निम्नवत् शेयर का आबंटन किया है :

❖ अधिमानी आधार के अंतर्गत दिनांक 19.12.2018 को 10 रुपये अंकित मूल्य के 18,36,99,217 ईक्विटी शेयर को 29.63 रुपये के अधिमूल्य पर कुल 728 करोड़ का ईक्विटी शेयर आबंटित किया है।

❖ अधिमानी आधार के अंतर्गत दिनांक 27.02.2019 को 10 रुपये अंकित मूल्य के 43,23,17,880 ईक्विटी शेयर को 27.75 रुपये के अधिमूल्य पर कुल 1,632 करोड़ का ईक्विटी शेयर आबंटित किया है।

❖ अधिमानी आधार के अंतर्गत दिनांक 29.03.2019 को 10 रुपये अंकित मूल्य के 45,46,22,802 ईक्विटी शेयर को 25.26 रुपये के अधिमूल्य पर कुल 1,603 करोड़ का ईक्विटी शेयर आबंटित किया है।

बी. वर्ष के दौरान बैंक ने 9.40% प्रति वर्ष की कूपन दर से ₹339 करोड़ के बासेल III गैर अनुपालित आईपीडीआई बॉण्ड के लिए क्रय विक्रय का प्रयोग किया है।

सी. वर्ष के दौरान बैंक ने 8.60% प्रति वर्ष की कूपन दर से ₹300 करोड़ के लोअर टियर II बॉण्ड श्रृंखला X की परिपक्वता का भुगतान किया है।

डी. ईएसपीएस के माध्यम से ₹500 करोड़ की पूँजी जुटाई गई है जिसे शेयर आवेदन धन का लंबित आबंटन माना गया है जिसे पूँजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए गणना में नहीं लिया गया है।

The total business of your Bank stood at ₹477046 crore as of 31.03.2019.

The Net Interest Income (NII) has improved by 1.47% from ₹6552 crore in FY 2017-18 to ₹6648 crore in FY 2018-19.

Your Bank posted an operating profit of ₹2819 crore during FY 2018-19. Total provision decreased by 24% and as a result net loss reduced from ₹3223 crore in FY 2017-18 to ₹2588 crore in FY 2018-19.

For the year ended March 31, 2019, the return on average assets was (0.87)% while return on equity was (21.34)%. The Basic Earnings Per Share (FV ₹10/-) were ₹(17.12). The Book Value of Share (FV ₹10) was ₹66.60.

Bank's Net Worth as of March 31, 2019 was ₹12488 crore (excluding share application money pending for allotment, revaluation reserves, FCTR & Net of Intangible assets).

Capital Adequacy Ratio (CAR) (₹ in %)

	31.03.2018	31.03.2019
CRAR	12.24	14.23
CET-I	7.56	9.31
Tier-I	9.41	11.36
Tier-II	2.83	2.87

Capital to Risk Assets Ratio (CRAR), at 14.23% under Basel III was well above the regulatory requirements as of March 31, 2019. Tier-1 ratio was at 11.36% and common equity Tier-1 (CET-1) was at 9.31% under Basel III framework.

a. During the year, the Bank has allotted equity shares to Government of India ("GOI") on preferential basis as detailed below:

❖ 18,36,99,217 Equity Shares were allotted on 19.12.2018 under preferential basis at face value of ₹10 each at a premium of ₹29.63 aggregating ₹728 Crore.

❖ 43,23,17,880 Equity Shares were allotted on 27.02.2019 under preferential basis at face value of ₹10 each at a premium ₹27.75 aggregating ₹1,632 Crore.

❖ 45,46,22,802 Equity Shares were allotted on 29.03.2019 under preferential basis at face value of ₹10 each at a premium of ₹25.26 aggregating ₹1,603 Crore.

b. During the year, the Bank has exercised Call option for Basel III Non-compliant IPDI Bonds of ₹339 Crore carrying coupon rate of 9.40% p.a.

c. During the year, the Bank has paid maturity of Lower Tier-II Bond Series X of ₹300 Crore carrying coupon rate of 8.60% p.a.

d. The capital of ₹500 Crore raised though ESPS treated as Share application money pending allotment which is not considered for capital adequacy purposes.

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

बृहत् आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वर्ष 2016 से प्रारंभ प्रगति के चलते वैश्विक विकास अब सामान्य स्तर पर आया है। विश्व बैंक ने अपनी हाल की रिपोर्ट में (वैश्विक आर्थिक परिदृश्य जनवरी 2019) इस बात को स्पष्ट किया है कि विकास की गति धीमी हो चुकी है, व्यापारीय तनाव उच्च स्थिति पर बना हुआ है, विभिन्न विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने वित्तीय दबाव का अनुभव किया है और परिदृश्य में जोखिम का स्तर बढ़ गया है।

इसको ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक ने वैश्विक विकास संबंधी अनुमान में अधोमुखी संशोधित करते हुए वर्ष 2019 में 0.1% घटाते हुए 3.0% से 2.9% तक और वर्ष 2020 में 2.9% से 2.8% कर दिया है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक विकास संबंधी अपने अनुमान को संशोधित करते हुए वर्ष 2019 में 3.3% एवं वर्ष 2020 में 3.6% कर दिया है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

बढ़ती खपत से प्रेरित घरेलू आर्थिक गतिविधि में सतत सुधार देखने को मिला है। जीएसटी सामंजस्य एवं ऋण विकास में सकारात्मक प्रतिक्रिया के बीच निवेश में मजबूती देखने को मिली है।

वर्ष 2018-19 की तृतीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का विकास घटकर 6.6% (वर्षानुवर्ष) हो गया है। केंद्रीय सांख्यकीय कार्यालय (सीएसओ) ने अपने द्वितीय अग्रिम अनुमान में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारत का जीडीपी विकास 7.2% निर्धारित किया है।

हालांकि, राजकोषीय घाटे, चालू खातों में गिरावट एवं वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में अनुमान से पहले दबाव तथा आईएल एवं एफएस घटना के बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सामना की गई वित्तीय तंगी के चलते इस अनुमानित विकास में जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर वर्ष 2018-19 के दौरान 5.2 प्रतिशत हुई जबकि, पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 5.4 प्रतिशत थी। आईआईपी में 40.27 प्रतिशत की संयुक्त धारिता रखनेवाले 8 मूलभूत उद्योगों की संचयी वृद्धि दर, वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 4.3 प्रतिशत रही है। विनिर्माण क्षेत्र में पिछले वर्ष के 4.6 प्रतिशत के मुकाबले 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र में वर्ष 2017-18 को 8.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 को 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2017-18 के 4.28 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में 4.10 प्रतिशत रही, जबकि डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2017-18 के 2.74 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में 3.18 प्रतिशत रही।

बैंकिंग परिदृश्य

भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियाँ, 31 मार्च 2018 को प्राप्त 6.7 प्रतिशत (₹114,260.5 बिलियन) की वृद्धि की तुलना में मार्च 2019 की स्थिति में, 9.11 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 125,725.5 बिलियन हो गई और ऋण वृद्धि, 31 मार्च 2018 को प्राप्त 10.3 प्रतिशत (₹77,303 बिलियन) की तुलना में 31 मार्च 2019 की स्थिति में, 12.2 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹86749 बिलियन हो गई।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र आज भी बढ़ती एनपीए, चलनिधि संकट की स्थिति, पूँजी की कमी एवं दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में विलंब जैसी चुनौतियों का सामना कर

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Macro-Economic Scenario

Global Economy

Global growth has entered a moderation phase after uptick that began from 2016. World Bank in its latest report (Global Economic Prospects January-2019), has observed that growth has weakened, trade tensions remain high, several developing economies have experienced financial stress, and risks to the outlook have increased.

In the light of this, World Bank has revised global growth downwards by 0.1% from 3.0% to 2.9% in 2019 and from 2.9% to 2.8% in 2020. Similarly, IMF has revised global growth forecast to 3.3% in 2019 and 3.6% in 2020.

Domestic Economy

Domestic economic activity has shown sustained recovery driven by an upswing in consumption. Investment continued to strengthen amid GST harmonisation and a rebound of credit growth.

Gross domestic product (GDP) growth slowed down to 6.6% y-o-y in Q3:2018-19. Central Statistics Office (CSO), in its Second advance estimates (FAE), has pegged India's GDP at 7.2% for FY 2018-19.

However, the risks to the projected growth could arise from fiscal slippages, deterioration in current accounts and faster than expected tightening of global financial conditions and liquidity crunch faced by non-banking finance companies post IL&FS saga.

Growth in Index of Industrial Production during 2018-19 recorded at 5.2 percent as against 5.4 percent in the corresponding period of last year. The cumulative growth of eight core industries having combined weight of 40.27 per cent in IIP was uniform at 4.3 percent during both in FY 2018-19 and in FY 2017-18. Manufacturing sector grew by 3.5 percent in comparison to 4.6 percent in the corresponding period a year ago. Services sector grew by 7.4 percent in 2018-19 as compared to 8.1 percent in 2017-18. The CPI inflation in 2018-19 was 4.10 percent as compared to 4.28 percent in 2017-18, whereas the WPI inflation was at 3.18 percent in 2018-19 as compared to 2.74 percent in 2017-18.

Banking Scenario

The deposits of Scheduled Commercial Banks in India increased by 9.11 percent y-o-y to ₹125,725.5 billion and credit increased by 12.2 percent y-o-y to ₹86,749 billion as on March 31, 2019 as against an increase of 6.7 percent (₹114,260.5 billion) in deposits and 10.3 per cent (₹77,303 billion) in credit as on March 31, 2018.

The Indian banking sector continued to face challenges of rising NPAs, tight liquidity conditions, capital constraints and

रहा है। वर्ष के बीच में आईएल और एफएस वाली घटना से उद्योग को झटका लगने से आभासी बैंकिंग को चलनिधि की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को ऋण हानि के लिए प्रावधान प्रदान करने में मदद करने, न्यूनतम विनियामक पूँजी आवश्यकता की पूर्ति करने और कम से कम 11 बैंकों को निषेधात्मक त्वरित सुधारात्माक कार्रवाई (पीसीए) के ढांचे से बाहर निकाल कर उन्हें ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान तीन चरणों में, 7 पीएसबी बैंकों को दिसंबर 2018 के दौरान ₹28,615 करोड़, 12 पीएसबी बैंकों को फरवरी 2019 में ₹48,329 करोड़ और 5 पीएसबी बैंकों को मार्च 2019 में ₹21,428 करोड़ पूँजी का निवेश दिया है।

प्रथम पूँजी निवेशन के फलस्वरूप बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नामक तीन पीएसबी बैंक पीसीए की ढांचे से बाहर निकलने में सफल हुए और द्वितीय पूँजी निवेशन के फलस्वरूप इलाहाबाद बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक नामक दो पीएसबी बैंक उक्त ढांचे से बाहर निकलने में सफल हुए।

पीएसबी बैंकों में संरचनात्मक परिवर्तन करने पर और ज़ोर दिया गया और सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक में मौजूद अपने अधिकतर धारण को भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंपा है और विजया बैंक, देना बैंक एवं बैंक ऑफ बडौदा नामक तीन बैंकों की विलयन प्रक्रिया को मंजूरी दी है।

2018-19 के लिए कॉरपोरेट कार्यनीति

आपके बैंक ने व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्यतः पाँच पहलुओं पर अपनी कार्यनीति योजना तैयार की है। वे इस प्रकार हैं :

- ✓ व्यावसायिक मापदंड
- ✓ लाभप्रदता
- ✓ ग्राहक अनुबंध
- ✓ सरलीकरण एवं नियंत्रण उपाय
- ✓ मानव संसाधन प्रबंधन

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इन छः विषयों पर ध्यान देकर वर्धित अभिगमन और उत्कृष्ट सेवा (ईएएसई) के तहत भारत सरकार की सुधार संबंधी कार्यसूची के अनुसार अपनी व्यावसायिक कार्यनीति को पुनः पंक्तिबद्ध किया है। (i) ग्राहक सहायता के लिए ग्राहक प्रतिसंवेदिता संबंधी सुविधा ग्राहकों के लिए आसान सुविधा (ii) वित्तीय स्थिरता, सुधारित अभिशासन और शुद्ध और विवेकपूर्ण व्यवसाय के लिए सुविधा (ईज़) (iii) ऋण का सक्रिय वितरण (iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बिलों की उगाही और वित्तीयन की सुविधा (v) वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलीकरण को और भी मजबूती देना (vi) ब्रांड सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के लिए कार्मिकों को विकसित करना। आपका बैंक भारत सरकार द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार सुधारात्मक कार्यसूची को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक, दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार वर्धित अभिगम एवं उत्कृष्ट सेवा सूची (ईज़ सूची) में 21 सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में 6 वां स्थान पर है। बैंक का लक्ष्य ईज़ मापदंडों में अपने निष्पादन को सुधार करते हुए अपनी स्थिति को सुधारना है।

बैंक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को सुव्यवस्थित कर रहा है और स्वयं को लाभ का अर्जन करनेवाले और प्रगतिशील बैंक के रूप में परिवर्तित बनाने के लिए कई नए उपायों को अपना रहा है।

delay in resolution of stressed assets. In mid of the year the crisis of IL& FS hit the industry due to which shadow banking is facing liquidity constraints.

To help PSBs make loan-loss provisions, meet minimum regulatory capital requirements, grow business and help at least five of the 11 weak PSBs to come out of the restrictive prompt corrective action framework and step-up lending, the government has infused capital in three trenches in FY 2018-19 ₹28,615 crore to 7 PSBs in December 2018, ₹48,329 crore to 12 PSBs in February 2019 and ₹21,428 crore to 5 PSBs in March 2019.

As a result of the first stage capital infusion, three PSBs namely Bank of India, Bank of Maharashtra and Oriental Bank of Commerce have come out of PCA and due to 2nd stage infusion, two more PSBs namely Allahabad Bank and Corporation Bank came out of PCA norms.

Structural reforms in PSBs were further pressed forward. The government has ceded its majority control in IDBI Bank to Life Insurance Corporation of India and has also approved the merger process of Vijaya Bank and Dena Bank with Bank of Baroda.

CORPORATE STRATEGY FOR 2018-19

In order to achieve the broad objectives, your Bank framed its strategy plan around five main aspects. They are:

- ✓ Business Parameters
- ✓ Profitability
- ✓ Customer Engagement
- ✓ Facilitation & Control Measures
- ✓ HR Management

For the FY 2018-19, your Bank has realigned its Business Strategy as per the reforms agenda of the Government of India under Enhanced Access and Service Excellence (EASE) focusing on the six themes. (i) Customer Responsiveness – Ease for customer comfort (ii) Financial stability, improved Governance and Ease for clean & prudent Business, (iii) Proactive delivery of credit, (iv) Ease of Financing and bill realisation for MSMEs, (v) Deepening of Financial Inclusion & Digitalization and (vi) Developing personnel for brand PSBs. Your Bank is committed to implement the reforms agenda as advised by the Government of India

Bank is in 6th position among 21 PSBs in Enhanced Access & Service Excellence Index (EASE index) as on Dec. 2018. Bank is aiming to improve its position by improving its performance in EASE parameters.

To achieve the goal posts fixed for the FY 2019-20, Bank is scaling up its efforts and taking many new initiatives to transform into a profit earning and forward looking bank.

आपके बैंक ने निदेशक मंडल और महाप्रबंधकों से सन्निविष्ट ढाई दिनों की एक कार्यनीति संबंधी निर्वाचिका सभा को जनवरी, 2019 के सप्ताह के दौरान आयोजित किया। निर्वाचिका सभा में इसे सिंड के पुनरुज्जीवन के लिए ऊर्जास्विता और सहक्रियाशील बनाने का नाम दिया गया। कार्यनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण और संकेंद्रित ध्यान के चार क्षेत्रों पर एक विचार-विमर्श किया गया। ये क्षेत्र मानव संसाधन, शासन की जोखिम एवं नियंत्रण/पालन, डिजिटल बैंकिंग और खुदरा एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं। हर एक विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए चार अलग दल बनाए गए। निर्वाचिका सभा के अंत में हर दल ने अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए कई कार्यनीतियों को अपनाने के सुझाव दिए।

मानव संसाधन दल (एचआर) ने वृत्त अध्ययनों पर अभ्यासोन्मुख प्रशिक्षण, वैज्ञानिक मानवशक्ति की आयोजना, क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रणाली से संचालित अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जैसे मानव संसाधन के उपक्रमणों का सुझाव दिया है।

शासन जोखिम एवं नियंत्रण/अनुपालन (जीआरसी) दल ने कर्मचारियों के मन में जोखिम संस्कृति को बैठाना, पूर्व चेतावनी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, उत्पादों का अनुकूलन, ग्राहकों को अवसय करना, ऋण समीक्षा फार्मेट का आशोधन आंकड़ों पर आधारित लेखा परीक्षाएं संगठन संबंधी पुनर्रचना की संस्तुति की जिसमें वर्टिकल का पता लगाना और उनका निर्माण और कर्मचारी उत्तरदायित्व के निर्धारण का डिजिटलीकरण आदि सम्मिलित हैं।

डिजिटल बैंकिंग दल ने नए उपक्रमणों को अपनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। उनमें, प्लेटफार्म इंजीनियरिंग, प्रधान आंकड़ों का प्रबंधन, प्रलेखों का इलेक्ट्रॉनिक संग्रह अपग्रेड किए गए आंकड़ों का वेयरहाउस, ज्ञान का सृजन एवं साइबर जोखिमों के निवारण के लिए समर्थित दल, सभी ग्राहकोन्मुख चैनल, उत्कृष्टता का विश्लेषण केंद्र की पुनर्रचना आदि महत्वपूर्ण हैं।

खुदरा एवं एमएसएमई समूह द्वारा सूचित कुछ उपक्रमणों में घटाई दर की लॉकर सुविधा, खुदरा एवं एमएसएमई उत्पादों के लिए नवोन्मेषी विपणन की कार्यनीति, पूर्व संस्वीकृत आधार के लिए लीवरेज बनाने के बारे में विश्लेषण आभूषण ऋण दुकान का निर्माण, प्रवर्तन के लिए नए उत्पाद, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था से सह-उत्पत्ति एवं सह-उधार देना, फिनटेक्स एवं समूहक, कारोबार अभिप्रेरणा प्रणाली और कई अधिक।

आपका बैंक कार्यनीति की निर्वाचिका सभा के दौरान सूचित किए गए नए उपक्रमणों को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उठाए गए कदम

कुछ प्रधान उपक्रमण निम्नानुसार है

1. **पुनर्गठन**

   बैंक ने व्यावसायिक विकास और बेहतर निगरानी एवं नियंत्रण के उद्देश्य से 11 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या 71 पहुँच चुकी हैं। ये 11 नए क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु पूर्व, बेंगलूरु उत्तर, बागलकोट, चिक्कोडी, हासन, कलबुर्गी, दावणगेरे, कासरगोड, पुत्तूर, शिरसी और उडुपी क्षेत्रीय कार्यालय-II हैं।

2. अधिक प्रशासनिक नियंत्रण और परिचालन में प्रभाविकता को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से एनपीए प्रबंधन और विधि विभाग का पुनर्गठन किया गया और

Your Bank organized a strategy conclave of two and a half days during the third week of January, 2019 involving the Board and all the General Managers. In the conclave, which was christened as Energise & Synergise for Synd Revive, there was a comprehensive discussion on four strategically important and focused areas which are Human Resources, Governance Risk & Control/ Compliance, Digital Banking and Retail & MSME. Four separate groups were formed to discuss on each topic. At the end of the conclave, each group made suggestions to implement a number of strategies for achieving desired results.

Human Resources (HR) Group suggested HR related initiatives such as practical oriented training through hands on case studies, scientific manpower planning, capability building programme, system driven and more objective performance appraisal, etc.

The Governance Risk & Control/Compliance (GRC) group recommended initiatives like - training for inculcating risk culture among employees, strengthening of early warning system, customization of products & onboarding of customers, modification of loan review format, data driven audit, organisational restructuring which includes identification and creation of verticals and digitization of staff accountability, etc.

The Digital Banking Group has made many suggestions to take up new initiatives. Some important ones are - platform engineering, master data management, electronic storage of documents, upgrade data warehouse, knowledge creation & dedicated team for countering cyber risks, redesign all customer facing channels, analytics center of excellence, etc.

Some of the initiatives suggested by Retail & MSME Group include discounted locker facility, innovative marketing strategy for Retail & MSME products, leveraging analytics for pre-approved base, online loan application and processing till provisional sanction, creation of Jewel Loan Shoppe, new product for Start Ups, Co-origination & co-lending using NBFCs, tie ups with Fintechs & aggregators, strengthening lead generation system and many more.

Your Bank is committed to implement the new initiatives suggested during the strategy conclave.

Steps taken in FY 2018-19

A few of the key initiatives are as under

1. **Reorganisation**

   Bank has opened 11 new ROs, with the objective of business development and better monitoring and control. The total number of ROs has reached 71 as on 31.03.2019. These 11 new Regional Offices are Bengaluru East, Bengaluru North, Bagalkot, Chikodi, Hassan, Kalburgi, Davangere, Kasargod, Puttur, Sirsi and RO-II Udupi.

2. In order to facilitate more administrative control and effectiveness in operation, NPA Management and

स्तरों को कम कर दिया गया है तथा उसे ''वसूली एवं समाधान संव्यवहार इकाई -आरआरबीयू'' के रूप में पुनर्नामित किया गया। आरआरबीयू में निम्नांकित सम्मिलित हैं-

- ✓ दवाबग्रस्त आस्ति प्रबंधन संप्रभाग - यह ₹5.00 करोड़ और उससे अधिक की एनपीए खातों की वसूली/समाधान की निगरानी करता है।
- ✓ वसूली प्रभाग यह ₹5.00 करोड़ से कम की एनपीए खातों की वसूली/समाधान की निगरानी करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान एनपीए की वसूली पर संकेंद्रित ध्यान देने के लिए पूरे बैंक में 1395 अधिकारी तैनात किए गए हैं।
- ✓ विधि विभाग - यह डीआरटी/वाद दाखिल खातों/आज्ञप्ति ऋण खातों की गहन अनुवर्ती कार्रवाई करता है और ₹5.00 करोड़ से कम की राशि से जुड़े सभी खातों में सरफेसी (एसएआरएफएईएसआई) की प्रगति की निगरानी करता है। वर्तमान एआरएमबी के पुनर्निर्धारित कार्यों के साथ सभी डीआरटी केंद्रों में डीआरटी कक्ष स्थापित किए गए हैं।

3. इन दोनों खंडों के तहत व्यवसाय को सरल बनाने हेतु कॉरपोरेट कार्यालय में अलग आवास ऋण और एमएमएमई संप्रभाग गठित किया गया है।
4. मुख्य परिचालन अधिकारी कार्यालय का गठन, परिचालन एवं सीपीपीसी, सुरक्षा विभागों, एनपीसी और संपर्क केंद्रों, परोक्ष निगरानी कक्ष, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की देखभाल के लिए किया गया था। सीओओ कार्यालय का उद्देश्य व्यवसाय की विस्तृत और धारणीय वृद्धि का संचालन और बैंक के समग्र परिवर्तन कार्य की निगरानी करना है।
5. भोपाल में एक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय खोला गया । बेंगलूरु में एक सीपीपीसी, नई दिल्ली में एक नया एनपीसी, छः नया आरएमएलसी और कृषि उधार के लिए समर्पित दो शाखाएं अत्तिबेले (कर्नाटक) और तलेगांव (महाराष्ट्र) में खोली गई।
6. **अग्रिमों की वृद्धि के लिए उठाए गए कदम:**
   - ❖ बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान महिला लाभार्थियों पर केंद्रित ध्यान देते हुए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने हेतु अत्यति टेक्नालॉजीस के साथ और सह-उत्पादन उधार के तहत उपस्कर के वित्तीयन के लिए एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनान्स लिमिटेड के साथ नई व्यवस्था/ गठबंध किया है। एजेंसियों के साथ हुए इन गठबंधनों से इन उप खंडों के अंतर्गत वर्धित/रक्षित ऋण प्रवाह सुसाध्य होगा।
   - ❖ सभी क्षेत्रों द्वारा आवास ऋणों को जुटाने के लिए आवास ऋण सलाहकार का पैनल बनाना प्रारंभ किया गया है।
   - ❖ बाजार में अन्य प्रतियोगियों से प्रतिस्पर्धा करने और एमएसएमई ऋण संविभाग के तहत पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय में वृद्धि के लिए एक नया आस्ति उत्पाद ''सिंड उद्यमी'' की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य निर्माण और सेवा गतिविधियों के ₹10.00 लाख से अधिक और कुल ₹10.00 करोड़ तक की निधि आधारित और गैर निधि आधारित ऋण सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इच्छुक कारोबारिक इकाइयों के गुणवत्तावाले प्रस्तावों को वित्तीयन करना है।
   - ❖ बैंक ने सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कारपोरेटों और अन्य क्रेताओं से एमएसएमई के व्यापारिक प्राप्यों के वित्तीयन हेतु व्यापारिक प्राप्य भुनाई प्रणाली शुरू की है।

Legal Department was reorganized and de-layered and renamed as "Recovery and Resolution Business Unit-RRBU". RRBU structure comprises of

- ✓ Stressed Asset Management Vertical which monitors recovery/resolution of NPA accounts of ₹5.00 Cr. and above.
- ✓ Recovery Division which monitors recovery and resolution of NPA accounts of below ₹5.00 Cr. During 2018-19, 1395 officers were deployed across the Bank in order to have focused attention on recovery of NPAs.
- ✓ Legal Department – which undertakes intensive follow up of DRT /Suit filed accounts and decreed debt accounts. Monitoring progress of SARFAESI action in all accounts involving amount below ₹5.00 Cr. DRT Cells are established at all DRT centers with redefined roles of the existing ARMBs.

3. Separate Housing Loan and MSME Vertical is formed in Corporate Office to facilitate business under both these segments.
4. Chief Operating Officer's (COO) office was opened taking care of Operations & CPPC, Security Departments, NPC and Contact Centers, Offsite Monitoring Cell, Fraud Risk Management. The purpose of COO office is to drive extensive and sustainable growth of business and to oversee the whole transformation exercise of Bank.
5. A staff training college was opened at Bhopal, one CPPC at Bengaluru, one new NPC at New Delhi, six new RMLCs and two dedicated branches for agriculture lending at Attibele in Karnataka and at Talegaon in Maharashtra.
6. Steps taken to increase Advances:
   - ❖ During the year 2018-19, Bank has entered into new arrangements/tie ups with Atyati Technologies for financing Micro & Small Enterprises loans with focused thrust on women beneficiaries and also with SREI Equipment Finance Limited, for equipment financing under co-origination lending. These tie-ups with agencies shall facilitate enhanced & secured flow of credit under these sub-segments.
   - ❖ Introduced empanelment of Housing Loan Counselors by all Regions for canvassing/ mobilizing Housing loans.
   - ❖ Introduced a new asset product "SyndUdyami", to compete with other players in the market and to add substantial quality business under MSME loan portfolio. It is aimed at financing quality proposals from business units who want to avail fund based and non–fund based credit facilities above ₹10.00 lakh and up to and inclusive of ₹10.00 crore for manufacturing and services activities.
   - ❖ Bank has introduced Trade Receivable Discounting System (TReDS) for financing of trade receivables of MSMEs from corporates and others buyers including Government Departments and Public Sector Undertakings (PSUs).

❖ बैंक ने सरकारी निजी सहभागिता के तहत स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) में प्रवेश प्राप्त उन विद्यार्थियों को सिंडविद्या योजना के तहत शिक्षा ऋण देना शुरू किया है।

❖ बैंक विद्यार्थियों को ₹7.50 लाख तक के संपार्श्विक रहित शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए ''शिक्षा ऋण हेतु ऋण गारंटी निधि योजना'' और कौशल विकास के लिए ₹1.50 लाख तक संपार्श्विक रहित शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए ''कौशल विकास ऋण गारंटी निधि योजना'' कार्यान्वित की गई।

❖ बैंक ने ₹5.00 करोड़ और उससे अधिक के कॉरपोरेट ऋणों के प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए ''लेंड पर्फेक्ट'' माड्यूल को सफलतया कार्यान्वित किया है। लेंड पर्फेक्ट माड्यूल प्रभावकारी ढ़ंग से कार्यान्वित किया जा चुका है और इसका लक्ष्य प्रस्ताव के प्रसंस्करण में समयावधि को कम करना और प्रस्ताव के प्रवाह की आद्योपांत निगरानी करना और प्रस्ताव के अंतराल को यथासंभव कम करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली अपनाना है।

7. **अनर्जक आस्ति में कमी के लिए उठाए गए कदम**

❖ संदिग्ध और हानि आस्तियों के वर्ग के तहत ₹5.00 लाख और कम के बहीशेष के छोटे एनपीए खातों हेतु कृषि ट्रैक्टर ऋणों सहित कृषि एवं संबद्ध कार्यों के लिए प्रत्यक्ष वित्त के तहत कृषकों के प्रस्तावों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के उधारकर्ताओं के ₹50.00 लाख तक के प्रस्तावों पर विचार करने और शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं के हितलाभ के लिए ₹4.00 लाख एवं कम की मूल संस्वीकृति सीमावाले एनपीए शिक्षा ऋणों के निपटान के लिए तीन विशेष ओटीएस योजनाएं शुरू की गई।

❖ वसूली को शीघ्र और पूर्ण करने के लिए ₹2,00,000/- तक के बही शेष के एनपीए में वसूली हेतु पिग्मी एजेंटों को कमीशन भुगतान हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ बनाई गईं, जो 20.03.2019 से 31.03.2020 तक प्रभावी हैं और अनुज्ञप्तियों के जरिए वसूली में सहयोग देनेवाले सूचीबद्ध अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न मानकों के साथ एक पृथक प्रोत्साहन योजना भी मौजूद है।

❖ बैंक ने वसूली हेतु ₹5.00 करोड़ तक के एनपीए खातों का पता लगाने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सिंड एनपीए ट्रैक्टर एप्लीकेशन शुरू किया है। एनपीए खातों पर आसान अनुवर्ती कार्रवाई के लिए यह एक डेस्कटाप/मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ कर्मचारियों और बैंकिंग आउटलेटों द्वारा सुगम पहुंच के लिए संपत्ति के स्थान का भौगोलिक अंकन, उधारकर्ता के पता का अद्यतनीकरण की सुविधा है।

8. **डिजिटल/प्रौद्योगिकी पहल**

❖ वर्धित निगरानी और नियंत्रण के लिए क्षेत्र और परिचालन अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त चयन साधन (अर्थात् मोबाइल, टैब्स, आदि) के पावर बीआई डैशबोर्डों से जाँच करके महत्वपूर्ण व्यावसायिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाना।

❖ शीघ्र और सरल ऋण प्रसंस्करण और समयावधि को कम करने के लिए वित्तीय परीक्षण, वित्तीय आंकड़ों की जाँच और संग्रहण को समर्थ बनाने के लिए पर्फियोस, अथब्रिज, सिबिल और प्रोब42 जैसे फिनटैक कंपनियों और साझेदारों के साथ सहयोग।

❖ Bank has introduced extension of Education loan to the Students who secured admission in Indian Institutes of Information Technology (IIIT) setup under Public Private Partnership (PPP) under SyndVidya Scheme.

❖ The Bank also has implemented the "Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans", to provide Collateral Free Education Loans up to ₹7.50 lakh and "Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development" to provide Collateral Free Education Loans for skill development up to ₹1.50 lakh to students.

❖ Bank has successfully implemented the 'Lend Perfect' Module for processing of Corporate Loans proposals of above ₹5.00 Crore and above. Version 1 of Lend Perfect Module is implemented effectively and it is aimed at reducing the turnaround time in processing the proposal, monitor the flow of proposal from end-to-end and to ensure that an automated system is in place so that the gaps in the proposal is reduced to minimum.

7. **Steps to reduce NPA**

❖ Three Special OTS schemes were introduced for considering proposals of farmers under direct finance to Agriculture & Allied activities including agricultural tractor loans, for small NPA accounts under doubtful and loss assets category with book balance of ₹5.00 Lakh and below, and for Micro and Small Enterprises borrowers up to ₹50.00 lakh and another one for settling NPA education loans with original sanctioned limit of ₹4.00 lakh & below for the benefit of education loan borrowers.

❖ To hasten up and mop up the recovery, incentive schemes were introduced for payment of commission to pigmy agents for recovery in NPAs of book balance up to ₹2,00,000/- effective from 20.03.2019 up to 31.03.2020 and another incentive scheme for panel advocates for effecting recovery through execution of decrees with different scales of incentive.

❖ Bank has introduced Synd NPA tracker application to track and follow up NPA accounts up to ₹5.00 crore for recovery. It is a desktop/mobile application for easy follow up of NPA accounts where there is facility for geo tagging of the location of the property, updation of address of the borrower for easy access by staff members and banking outlets.

8. **Digital/Technology initiatives**

❖ Enabling access to critical business data on the go through the device of choice (e.g. Mobiles, Tabs etc.) using PowerBI Dashboards to be used by Field and Operational functionaries for enhanced Monitoring and Control.

❖ Collaboration with FinTechs and Partners such as Perfios, Authbridge, CIBIL and Probe42 to enable financial checks, verification and extraction of financial data for quick and hassle free loan processing and reducing TAT (Turn around Time).

- ❖ शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और आँचलिक कार्यालयों के लिए विविध भारित मानदंडों में उनके निष्पादन के आधार पर उनकी श्रेणियों को मासिक अंतराल पर प्रकाशित करना जिससे उन्हें एसडब्ल्यूओटी में दृश्यता को बढ़ाने और विशिष्ट क्षेत्रों को ठीक करने पर ध्यान देने में मदद मिले।
- ❖ ऋणों, विक्रयों, विपणन और लक्षित अभियान प्रबंधनों के क्षेत्रों में आंकड़ा आधारित निर्णय करने और उत्कृष्टता विश्लेषण केंद्र स्थापित करने हेतु वृहद् आंकड़ा संकलन, विश्लेषण, मशीन अध्ययन (एमएल) और सहज भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) के बारे में पहल करना।
- ❖ सभी मंचों पर कर्मचारी, ग्राहक और अन्य हितधारक संपर्क, प्रणाली के रूप में सोशियल मीडिया की सफलतापूर्वक शुरुआत की गई। अनुयायी आधार तीव्रगति से बढ़ रहा है और बैंक की सोशियल मीडिया दल से उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए कई प्रविष्टियाँ की जा चुकी हैं।
- ❖ कर्मचारियों को अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी, कहीं भी अध्ययन को सरल बनानेवाली ई-लर्निंग माड्यूल का कार्यान्वयन, जो बैंकिंग क्षेत्र और परिचालनों से संबंधित विविध पहलुओं और विषय को सम्मिलित करता है।
- ❖ वर्धित विशेषताओं, आरोहयता और सुधारित निष्पादनवाली बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली की कोटि उन्नयन परियोजना संबंधी सुपर्णा परियोजना प्रक्रियाधीन है।
- ❖ आसान बैंकिंग के लिए बैंक के वैकल्पिक वितरण परितंत्र जैसे भारत पीएस प्रस्ताव, एटीएम (जारीकर्ता) से ईएमवी/चिप आधारित लेन-देन, बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), फास्टटैग, यूपीआई एवं आईएम कार्डरहित जमा, ग्रीन पिन के माध्यम से ग्राहक स्वयं समर्थन और इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं को अवरुद्ध करना, एसएमएस से कार्ड की हॉट-लिस्टिंग, कार्ड ब्लॉकिंग, परामर्शी और प्रयोक्ता जागरूकता संदेश और यूआई एंड यूएक्स में परिवर्तन आदि का निर्माण करना और उसे सुदृढ़ बनाना। बैंक द्वारा सिंड कलेक्ट का प्रवर्तन किया गया, जो भुगतान मार्ग का समूहक मेसर्स पेयू एवं मेसर्स बिल डेस्क (IndiaIdea.com) के साथ गठबंधन के तहत हमारे ग्राहकों को आसान ऑनलाइन वसूली/भुगतान सुविधा प्रदान करता है।
- ❖ एटीएम और बीएनए में एन्टी स्किम्मिंग उपकरण, टर्मिनल सुरक्षा समाधान, एसएमएस चेतावनी और अन्य सुरक्षा समाधानों का अधिस्थापन।

9. बैंक ने ओजीआरएस (ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली) का प्रवर्तन किया है, जिसमें ग्राहक बैंक की वेबसाइट के द्वारा अपनी शिकायतों को ऑनलाइन पर प्रस्तुत कर सकता है और अपनी शिकायतों की स्थिति को जान सकता है।

10. बैंक ने कासा संविभाग को बढ़ाने के लिए दो नए बिक्री केंद्र से संबंद्ध चालू खाता (सीए) उत्पादों की शुरुआत की है। बैंक ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) में सेवा करने वाले कार्मिकों के लिए ''सिंडबीएसएफ'' की शुरुआत की है। सिंडबीएसएफ के तहत ₹30.00 लाख वैयक्तिक आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता बीमा रक्षा उपलब्ध है।

- ❖ Publishing at monthly intervals the Rankings for Branches, Regional Offices and Zonal Offices based on their performance across a variety of weighted parameters, increasing the visibility into their SWOT and helping to focus on getting right the specific areas.
- ❖ Roll out of initiatives around Big Data, Analytics, Machine Learning (ML) and Natural Language Processing (NLP) for data driven decision making in the areas of loans, sales, marketing and targeted campaign Management and setting up a analytics center of Excellence.
- ❖ Social media platform as a method of employee, customer and other stakeholder connect was introduced successfully in all platforms. The follower base is witnessing rapid increase and the Bank's social media team has made a number of postings for products and services marketing.
- ❖ Implementation of E-learning Module facilitating anytime, anywhere learning by the employees at their convenience that covers the various aspects and subjects related to the banking domain and operations.
- ❖ Project Suparna which is Bank's core banking system upgrade project, is currently underway having enhanced features, scalability and improved performance.
- ❖ Building and strengthening the alternate delivery ecosystem of the Bank through introduction of Bharat Bill Payment System (BBPS), FastTag, UPI and IMPS offerings, EMV/Chip based transactions through ATM (Issuer), Cardless Deposits, Customer Self Support through Green PIN and Blocking of Internet and Mobile Banking facilities, Card hot-listing through SMS, Card Blocking, Advisory and User Sensitization messages and UI & UX Changes for ease of banking. Bank introduced SyndCollect which provides a hassle free online Collection/Payment facility to our customers under tie-up arrangement with payment gateway aggregator M/s PayU & M/s. BillDesk (IndiaIdea.com).
- ❖ Installation of Anti-Skimming Devices at ATMs and BNAs. Terminal Security Solutions, SMS Alerts and other security solutions.

9. Bank has introduced OGRS (Online Grievance Redressal System) wherein customer's can lodge their complaints online through Bank's website and track the status of their complaints.

10. To grow CASA portfolio, Bank has introduced two new POS linked CA products. Bank has also introduced a new savings bank account product – 'SYNDBSF' for Border Security Force (BSF) and Indian Coastal Guard (ICG) serving personnel. Under SYNDBSF, personal accidental death and permanent disability insurance coverage for ₹30.00 lakhs is available.

11. बैंक से 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और अन्यथा सामर्थ्य या दृष्टिबाधितों सहित अक्षम व्यक्तियों (चिकित्सा दृष्टि से प्रमाणित पुरानी बीमारी या अक्षमतावालों के लिए) द्वारस्थ बैंकिंग सुविधा कार्यान्वित किया है।

12. बैंक ने डिजिटलीकरण पहल के तहत 22 गांवों को डिजिटलीकृत किया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डिजिटलीकरण के लिए अतिरिक्त 100 गांवों को निर्धारित किया है। कर्नाटक और लक्षद्वीप में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में बैंक ने वर्ष के दौरान बेंगलूरु, मंगलूरु, हुब्बल्ली और लक्षद्वीप में मुद्रा प्रोत्साहन अभियान चलाया है।

13. वर्तमान में 10 भाषाओं में ग्राहकों को खाता विवरण देने, पास बुक मुद्रण और एसएमएस प्रेषित करने के लिए सीबीएस में सुविधा उपलब्ध हैं।

2019-20 में की जा रही नई कार्रवाइयाँ

❖ **पुनर्रचना:** वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 24 नए क्षेत्रीय कार्यालय और एरणाकुलम में एक नया आंचलिक कार्यालय खोले जाएंगे।

❖ **परिवर्तन प्रबंधन कार्यालय (टीएमओ):** बैंक ने पहले से महा प्रबंधक संवर्ग के सीओओ के नेतृत्व में परिवर्तन प्रबंधन कार्यालय स्थापित किया है जिसका उद्देश्य एमएसएमई व्यवसाय, खुदरा व्यवसाय में वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण कदम उठाना और परिचालन संबंधी उत्कृष्टता का निर्माण करना है। परिवर्तन प्रबंधन कार्यालय ''परिवर्तन यात्रा'' शीर्ष के तहत चर्चित बैंक के समग्र परिवर्तन प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राजेक्ट अनन्या के नाम पर व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास प्रारंभ किया था जिसका लक्ष्य समग्र बैंक के सुधार व नवीकरण के साथ ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएँ देना है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार प्राजेक्ट अनन्या के तहत बैंक की कुल 730 शाखाएँ हैं। बैंक का यह परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जिसके प्रति बैंक प्रतिबद्ध है और हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को एक उच्च स्तर पर ले जाया जाए।

परिवर्तन के द्वितीय चरण में आपका बैंक इस प्रक्रिया को और आगे ले जाने के लिए तत्पर है। इस द्वितीय चरण में हमारा ध्यान परिवेश में परिवर्तन के अतिरिक्त उच्च प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित इन तीन प्रमुख मदों पर केंद्रित रहेगा:

1. **मानव संसाधन प्रबंधन.**
2. **डिजिटल बैंकिंग एवं विपणन**
3. **खुदरा एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)**

परिवर्तन के चरण II के प्रभावकारी कार्यान्वयन/निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग **परिवर्तन प्रबंधन कार्यालय (टीएमओ)** स्थापित है जो सीओओ के नेतृत्व में कारोबार पारिस्थितिक तंत्र में सहक्रिया और सहयोग प्राप्त करने, अत्यधिक गुणवत्ता के निष्पादन देने और कार्यक्रमों में सामंजस्य और पारदर्शिता एवं नए तकनीकों और नवोन्मेषिता के सृजन को निरंतरतया अपनाने के लिए एक प्रधान भूमिका निभाएँगे।

11. Bank has implemented Door Step Banking Facility for senior citizens of more than 70 years of age and also to differently abled or infirm persons (having medically certified chronic illness or disability) including those who are visually impaired.

12. Bank has covered 22 villages under digitalization and identified another 100 villages for digitalization during the Current Year. As convener of SLBC in Karnataka and Lakshadweep, Bank has organized MUDRA Protsahan Abhiyaan at Bengaluru, Mangaluru, Hubballi and Lakshadweep during the year.

13. Presently 10 languages are available in CBS for issuing statements of account, pass book printing and sending SMS to the customers.

New Steps being taken in 2019-20

❖ **Restructuring:** 24 New ROs and One New ZO at Ernakulum is being opened during this financial year 2019-20.

❖ **Transformation Management Office (TMO):** TMO has already been established headed by COO of GM cadre whose objective is to lead the key growth initiatives in MSME Business, in Retail Business and creating Operational Excellence. TMO will oversee the whole transformation exercise of Bank which is discussed under head "Transformation Journey".

The Bank had embarked into Business Process Re-engineering under the brand name of "Project Ananya" in FY 2015-16 aimed at providing customers with the best in class services while improving and modernizing the whole Bank. Bank has a total of 730 Branches under Project Ananya as on 31.03.2019. Transformation of Bank is an ongoing process and Bank is committed for this and will take this transformation to the higher level.

As a part of Phase-II transformation, your Bank is committed to further take forward and scale-up the process of transformation. Other than improving the ambience of branches, the Phase-II of transformation will be focused on three important thrust areas of top management which are as under:

1. **Human Resource Management.**
2. **Digital Banking & Marketing.**
3. **Retail & MSME.**

To ensure effective implementation/execution of Phase-II transformation, a separate **Transformation Management Office (TMO)** headed by COO to play a key role to achieve synergy and collaboration across business eco systems, deliver highest quality execution, and provide consistency and transparency across programs as well as constantly driving adoption of new technologies and spawning innovation.

तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्य इसके साथ प्रस्तुत है।

1. मानव संसाधन प्रबंधन के तहत परिवर्तन का लक्ष्य कर्मचारियों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। बैंक का यह दृढ़ विश्वास है कि एक दक्ष, प्रतिबद्ध, व्यवसायी और जानकार कर्मचारी कारोबार की अभिवृद्धि में उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता है। इसके समर्थन में बैंक ने कई पहल किए हैं। निष्पादन और कौशल प्रबंधन, विश्वस्तरीय अध्ययन संस्थान के विकास, कर्मचारी संबंध-सतर्क औद्योगिक संबंध (आईआर) मॉडल के अनुरूप मानव संसाधन प्रक्रिया इष्टतमीकरण और मानव संसाधन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंक सलाहकार समूह के नियोजन की प्रक्रिया में लगा है।

2. हम यदि वर्धित ग्राहक सेवाएँ प्रदान करना चाहते हैं, तो डिजिटलीकरण और नवीन विपणन योजना अपरिहार्य ही नहीं आवश्यक भी बन जाती है। आपके बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कई पहल किए हैं और उपरोक्त के प्रति अर्थपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक डिजिटल बैंकिंग एवं विपणन प्रसार में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाने के उद्देश्य से, अपनी परियोजनाओं को जारी रखने हेतु प्रारूप निर्मित करने, क्रियान्वित करने, निगरानी करने, उसमें सुधार लाने तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित वैधता और भावी रूपरेखा के साथ बैंक को निर्बाध परिचालन हेतु सुपुर्द करने के लिए बैंक सलाहकारों को नियोजित करने की प्रक्रिया में है।

   - ई-कॉम एवं ओमनी चैनल संबंधी कार्यनीति
   - डिजिटल चैनल को बढ़ावा देना। डिजिटल माध्यम और (संबंधित) सीआरएम की भूमिका को बढ़ाने हेतु एकल ग्राहक ऐक मत की प्राप्ति के लिए योग्य प्रणाली और प्रक्रिया।
   - डिजिटल चैनल भागीदार एवं फिनटेक परितंत्र अनुबंध।
   - परिचालनगत दक्षता बढ़ाने, लागत संबंधी व्यय कम करने आदि के लिए लक्ष्य आधारित मॉडल संरचना एवं परिनियोजन के निर्माण को लक्ष्य बनाना।
   - आंतरिक संचार संरचना एवं डिजिटलीकरण।
   - डिजिटलीकरण संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यप्रवाह।
   - नवोन्मेष प्रबंधन कार्यालय।
   - डिजिटल विपणन एवं विक्रय: डिजिटल विपणन और ग्राहक सेवा संबंधी कार्यनीति का उपयोग ग्राहकों की प्राप्ति, प्रतिधारण और सेवा उपलब्ध करने के लिए ही नहीं बल्कि सेवा एवं विपणन व्यय दोनों की लागतों में कमी लाने हेतु भी है।
   - सामाजिक मीडिया और डिजिटल समुदाय
   - अगली पीढ़ी की सेवाएँ यथा वस्तु अंतरजाल (आईओटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आई), प्राकृतिक भाषा संसाधन, (एनएलपी), रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए), प्राइवेट क्लाउड, ब्लॉक चैन, वॉइस बोट आदि।

3. खुदरा एवं एमएसएमई क्षेत्र में पर्याप्त विकास दिखाई पड़ रहा है और इसे एक सुअवसर मानते हुए बैंक इन क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के लिए खुदरा

The objectives under three thrust areas under each head is briefed herewith.

1. The transformation under HR Management, aims at strengthening staff capabilities. Bank strongly believes that an efficient, committed, professional and well informed staff can do a sea change in harnessing profitable business. To leverage this, Bank has undertaken a number of initiatives. Bank is in the process of engaging a consultant team to accomplish the objectives of HR Process Optimization and HR Planning aligned with Bank's goal, Performance & Talent Management, Developing world class Learning organization, Employee Relation - Proactive IR (Industrial Relation) model.

2. Digitisation & innovative marketing strategies are not only inevitable but also necessary if we want to provide enhanced customer services. Your Bank has taken several initiatives and remains committed to play meaningful role towards leveraging technology to all of its customers. In order to bring quality changes in Bank's Digital Banking & Marketing space, Bank is in the process of engaging consultants to design, implement, monitor, improve and handover the undertaken projects with defined life cycle and future roadmap to Bank for continuation of the project on its own. Some of the focused areas are as under:

   - E-com & Omni channel strategy.
   - Digital Channel Ramp-up. Connecting systems and processes to achieve single customer view with an increasing role for digital channels and (connected) CRM.
   - Digital channel partner & Fintech ecosystem engagement.
   - Target operating model design and deployment for improving operational efficiency, cost reduction etc.
   - Internal Communication Framework & Digitization.
   - End to end Process & Workflow Digitization.
   - Innovation Management Office.
   - Digital Marketing and Sales: The use of digital marketing and customer service strategies to acquire, retain and service customers, adapting to the digital consumer but also promoting digital services to reduce costs, both in services and marketing spend.
   - Social media and digital communities.
   - Next generation service like Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP), Robotics Process Automation (RPA), Private Cloud, Block chain, Voice Bots etc.

3. Retail & MSME sectors are showing significant growth and hence through a host of opportunities to deploy

एवं एमएसएमई संविभाग में तीव्र विकास हेतु परिवर्तन संबंधी क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में लगे हैं। बैंक इसके लिए एक प्रमुख ऋण सलाहकार नियुक्त करेगा, जो निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल पर विपणन, विक्रय और उधार प्रक्रिया/प्रक्रियाओं में बदलाव के माध्यम से खुदरा एवं एमएसएमई विकास को गति देने के लिए सेवाएँ देंगे। यह सलाहकार सीओओ की अध्यक्षता में संचालित टिएमओ के साथ काम करेंगे। टीएमओ को व्यवसाय परितंत्र में सहक्रिया और सहयोग प्राप्त करने, उच्च गुणवत्ता के निष्पादन और प्रोग्राम में सामंजस्य तथा पारदर्शिता के साथ साथ सतत रूप से नयी तकनीक अपनाने और नवोन्मेषिता का सृजन करने में मुख्य भूमिका निभानी होगी।

हमारा लक्ष्य, भविष्य-दृष्टि तथा मूल्य कथन

बैंक ने भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी अपना कथन तय किया है, जो न केवल दूरगामी लक्ष्य तय करने में मार्गदर्शक है बल्कि नया कारोबार प्राप्त करने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने, भविष्य में बाजार की संभाव्यकताओं की कल्पना करने एवं उस पर अपनी पकड़ बनाने में मददगार है और इन अवसरों को दूरगामी कारोबार लक्ष्यों और लाभों के रूप में बदलने में भी सहूलियत प्रदान करता है।

हमारी भविष्य-दृष्टि : 3 एस

- ✓ सुदृढ़ ब्रांड
- ✓ प्रसन्न हितधारक
- ✓ सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध

हमारा मूल्य-कथन : 4 एफ

- ✓ मैत्रीपूर्ण
- ✓ प्रगतिशील
- ✓ विश्वसनीय
- ✓ त्वरित सेवा

हमारा लक्ष्य : 5 सी

- ✓ संपूर्ण ग्राहक केंद्रित
- ✓ कर्मचारी हितैषी
- ✓ आधुनिक तकनीक
- ✓ निरंतर विकास
- ✓ व्यापक समाधान

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के प्रमुख निष्पादन

पूँजी एवं आरक्षित निधि

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹ 3000 करोड़ तथा प्रदत्त पूंजी ₹ 2487.91 करोड़ (प्रति शेयर ₹10/- की दर से 248,79,11,952 ईक्विटी शेयर) रही।

बैंक की आरक्षित निधि एवं अधिशेष, पिछले वर्ष के मुकाबले 4 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹ 13524 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 14082 करोड़ हो गई।

credit to these sectors, Bank is in the process of devising a clear roadmap to implement transformation for accelerating growth in Retail & MSME portfolio. For this Bank is going to appoint a leading consultant, who shall provide services for accelerating growth in Retail and MSME portfolio through transformation in marketing, sales and lending process/procedures on Build, Operate & Transfer (BOT) model. The consultant shall work with TMO headed by COO. TMO to play a key role to achieve synergy and collaboration across business eco systems, deliver highest quality execution, and provide consistency and transparency across programs as well as constantly driving adoption of new technologies and spawning innovation.

VISION, MISSION & VALUE STATEMENTS

Bank has a Vision & Mission Statement which acts as a guiding force not only for pursuing long term corporate goals but also paving way to acquire new business, improving customer service, visualize and sizing future market potentials and converting these opportunities into a long term business goal and advantages.

Our Vision: 3 S

- ✓ Strong Brand
- ✓ Stake Holder Delight
- ✓ Socially Committed

Our Value Statement: 4 F

- ✓ Friendly
- ✓ Forward Looking
- ✓ Faithful
- ✓ Fast

Our Mission: 5 C

- ✓ Customer Centric in Everything
- ✓ Caring for Employees
- ✓ Contemporary Technology
- ✓ Continuous Improvement
- ✓ Comprehensive Solutions

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE FINANCIAL YEAR 2018-19

Capital & Reserves

Bank's authorized share capital stood at ₹3000 crore and the paid-up capital ₹2487.91 crore (248,79,11, 952 equity shares of ₹10/- each) during the financial year ended as at March 31st 2019. Share application money pending for allotment was ₹500 crore.

The Reserves and Surplus of the Bank increased from ₹13524 crore in FY 2017-18 to ₹14082 crore in FY 2018-19, registering a y-o-y growth of 4 per cent over the previous year.

निवल मालियत

बैंक की मूर्त निवल मालियत (आरक्षित निधियों के पुनर्मूल्यन, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि एवं निवल डीटीए को छोड़कर) 31 मार्च 2018 के ₹ 11771 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2019 की स्थिति में ₹ 12488 करोड़ हो गई।

कारोबार

बैंक का वैश्विक कारोबार, 31 मार्च 2018 के ₹ 496122 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹ 477046 करोड़ हो गया जबकि, बैंक का घरेलू कारोबार, 31 मार्च 2018 के ₹ 422569 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹404914 करोड़ हो गया है ।

जमाराशियाँ

बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ, 31 मार्च 2018 के ₹272776 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 की स्थिति में ₹ 259897 करोड़ हो गई। बैंक की घरेलू जमाराशियाँ 31 मार्च 2018 की स्थिति ₹ 2410092 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹ 230092 करोड़ हो गई है।

कासा जमाराशियाँ

बैंक की घरेलू कासा जमाराशियाँ, 31 मार्च 2018 के ₹ 80362 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 की स्थिति में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 84615 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार घरेलू जमाराशि पर घरेलू कासा की हिस्सेदारी की प्रतिशतता 36.77 प्रतिशत रही।

ऋण विनियोजन

31 मार्च 2019 की स्थिति में बैंक का वैश्विक अग्रिम ₹ 217149 करोड़ और घरेलू अग्रिम ₹ 174822 करोड़ रहा। वैश्विक खुदरा जमा अनुपात 31 मार्च 2019 की स्थिति में 83.55% रहा जबकि 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार यह 81.88% था।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम, वर्ष 2017-18 के ₹72762 करोड़ से 1.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान ₹73733 करोड़ हो गया जो एएनबीसी का 40.54 प्रतिशत है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 40 प्रतिशत है।

कुल कृषि अग्रिम, वर्ष 2017-18 के ₹33079 करोड़ की तुलना में 4.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान ₹34439 करोड़ हो गया जो एएनबीसी का 18.94 प्रतिशत है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 18 प्रतिशत है।

एमएसएमई अग्रिम 31 मार्च, 2018 के ₹ 27306 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 को ₹ 25825 करोड़ रहा।

लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 2819 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान यह ₹ 3864 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने ₹(2588) करोड़ की निवल हानि दर्ज की जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को ₹ (3223) करोड़ की निवल हानि हुई थी।

Net worth

Tangible Net Worth of the Bank (excluding share application money pending for allotment, Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and net DTA) increased from ₹11771 crore as at March 31, 2018 to ₹12488 crore as at March 31, 2019.

Business

The global business of the Bank stood at ₹477046 crore as at March 31, 2019 as compared to ₹496122 crore as at March 31, 2018 whereas, Bank's domestic business stood at ₹404914 crore as at March 31, 2019 as compared to ₹422569 crore as at March 31, 2018.

Deposits

Global deposits of the Bank stood at ₹259897 crore as at March 31, 2019 as compared to ₹272776 crore as at March 31, 2018. Domestic deposits of the Bank stood at ₹230092 crore as at March 31, 2019 as compared to ₹241092 crore as at March 31, 2018.

CASA Deposits

Domestic CASA deposits of the Bank increased from ₹80362 crore as at March 31, 2018 to ₹84615 crore as at March 31, 2019, registering a growth of 5 per cent. Percentage of domestic CASA share to domestic deposits stood at 36.77 per cent as at March 31, 2019.

Credit Deployment

The Bank's global advances stood at ₹217149 crore and domestic advances stood at ₹174822 crore as at March 31, 2019. The global credit deposit ratio stood at 83.55 per cent as at March 31, 2019 as compared to 81.88 per cent as at March 31, 2018.

Priority Sector Advances increased from ₹72762 crore in 2017-18 to ₹73733 crore in 2018-19 registering a growth of 1.33 per cent and forming 40.54 per cent of ANBC as against mandatory level of 40 per cent.

Total Agriculture Advances increased from ₹33079 crore in 2017-18 to ₹34439 crore in 2018-19 registering a growth of 4.11 per cent and forming 18.94 per cent of ANBC as against mandatory level of 18 per cent.

MSME Advances stood at ₹25825 crore as at March 31, 2019 as compared to ₹27306 crore as at March 31, 2018.

Profitability

Operating profit posted by the Bank is ₹2819 crore for the FY 2018-19 as against ₹3864 crore. Net loss of the Bank recorded at ₹(2588) crore for the FY 2018-19 as against Net Loss of ₹(3223) crore for the FY 2017-18.

कर्मचारी उत्पादकता

बैंक की प्रति कर्मचारी कारोबार 31 मार्च 2018 के ₹ 14.39 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 की स्थिति में ₹ 14.27 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रति कर्मचारी लाभ, ₹ 8.12 लाख रहा।

आय एवं व्यय

बैंक की कुल आय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 23949 करोड़ रही जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के यह ₹ 24581 करोड़ था।

बैंक की ब्याजी आय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 21725 करोड़ रही जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के यह ₹ 21776 करोड़ थी।

बैंक की गैर-ब्याजी आय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 2224 करोड़ रही जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के यह ₹ 2806 करोड़ थी।

बैंक की ब्याजी व्यय, वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹ 15224 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹15077 करोड़ हो गई है।

बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्थिति ₹6552 करोड़ से 1.47% की बढ़त से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹6648 करोड़ हो गई।

बैंक की परिचालन व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹5494 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹6053 करोड़ रही।

महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात

ए) बैंक की आस्तियों पर प्रतिलाभ वित्तीय वर्ष 2018-19 में (0.87) प्रतिशत था।

बी) बैंक का वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्तीय वर्ष 2017-18 के 2.44 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में न्यूनतम ह्रास दर्ज करते हुए 2.42 प्रतिशत हो गया है।

सी) बैंक की अग्रिम पर अर्जन वित्तीय वर्ष 2017-18 के 7.51 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7.52 प्रतिशत रही।

डी) बैंक की जमाराशियों की लागत, वित्तीय वर्ष 2017-18 के 5.10 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5.13 प्रतिशत रही।

ई) मूल प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹(17.12) रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹(34.00) था।

एफ) बैंक का प्रति शेयर बही मूल्य, वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹105.43 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹66.60 हो गई।

जी) बैंक का निवल एनपीए अनुपात, 31 मार्च 2018 के 6.28 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2019 की स्थिति में 6.16 प्रतिशत हो गई।

एच) बैंक का सकल एनपीए अनुपात, 31 मार्च 2018 के 11.53 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2019 की स्थिति में 11.37 प्रतिशत हो गई।

आई) बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात, 31 मार्च 2018 के 60.71 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2019 की स्थिति में 66.43 प्रतिशत हो गई है।

जे) बैंक की जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर), 31 मार्च 2018 के 12.24 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2019 की स्थिति में बढ़कर 14.23 प्रतिशत हो गया है।

Employees' Productivity

Business per employee of the Bank stood at ₹14.27 crore as at March 31, 2019 as compared to ₹14.39 crore as at March 31, 2018. Profit per employee for the year FY 2018-19 was ₹(8.21) lakh.

Income & Expenditure

The Bank's total income stood at ₹23949 crore in FY 2018-19 as compared to ₹24581 crore in FY 2017-18.

The Bank's interest income stood at ₹21725 crore in FY 2018-19 as compared to ₹21776 crore in FY 2017-18.

The non-interest income of the Bank stood at ₹2224 crore in FY 2018-19 as compared to ₹2806 crore in FY 2017-18.

The Interest expenditure of the Bank declined to ₹15077 crore in FY 2018-19 as against ₹15224 crore in FY 2017-18.

The Net Interest Income (NII) has improved by 1.47% from ₹6552 crore in FY 2017-18 to ₹6648 crore in FY 2018-19.

Operating expenditure of the Bank stood at ₹6053 crore in FY 2018-19 as compared to ₹5494 crore in FY 2017-18.

Important Financial Ratios

a) The Return on Assets of the Bank was at (0.87) per cent in the FY 2018-19.

b) The Bank's Global Net Interest Margin (NIM) declined marginally to 2.42 per cent in the FY 2018-19 as compared to 2.44 per cent in the FY 2017-18.

c) The yield on advances of the Bank stood at 7.52 per cent in the FY 2018-19 as compared to 7.51 per cent in the FY 2017-18.

d) The cost of deposits of the Bank stood at 5.13 per cent in the FY 2018-19 as compared to 5.10 per cent in the FY 2017-18.

e) The Basic Earnings Per Share (EPS) of the Bank stood at ₹(17.12) in the FY 2018-19 as compared to ₹(34.00) in FY 2017-18.

f) The Book Value Per Share of the Bank stood at ₹66.60 in the FY 2018-19 as compared to ₹105.43 in the FY 2017-18.

g) Net NPA ratio of the Bank declined to 6.16 per cent as at March 31, 2019 from 6.28 per cent as at March 31, 2018.

h) Gross NPA ratio of the Bank declined to 11.37 per cent as at March 31, 2019 from 11.53 per cent as at March 31, 2018.

i) Provision coverage ratio improved to 66.43 per cent as at March 31, 2019 as compared to 60.71 per cent as at March 31, 2018.

j) The Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of the Bank, improved to 14.23 per cent as at March 31, 2019 as compared to 12.24 per cent as at March 31, 2018.

वित्तीय निष्पादन

मुख्य वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2018	मार्च 2019
लागत निधि	4.94	**5.05**
अर्जन निधि	7.06	**7.28**
जमा लागत	5.10	**5.13**
अग्रिमों पर अर्जन	7.51	**7.52**
निवेशों पर अर्जन	7.61	**7.50**
निवल ब्याज मार्जिन वैश्विक (एनआईएम)	2.44	**2.42**
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	-1.05	**-0.87**
इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)	-26.68	**-21.34**
आय अनुपात लागत	58.71	**68.23**
प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) ₹	-34.00	**-17.12**
प्रति शेयर बही मूल्य ₹	105.43	**66.60**
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात	6.28	**6.16**
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात	11.53	**11.37**
प्रावधान कवरेज अनुपात	60.71	**66.43**
सीआरएआर	12.24	**14.23**
सीईटी 1	7.56	**9.31**

शाखा नेटवर्क का विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने 29 नए बैंकिंग आउटलेट अपने नेटवर्क में शामिल किए हैं जिससे 31 मार्च 2019 की स्थिति में बैंक के आउटलेट की कुल संख्या 4032 हो गई है और बैंक के शाखा नेटवर्क में 1238 ग्रामीण शाखाएँ, 1138 अर्धशहरी शाखाएँ, 815 शहरी शाखाएँ, 840 महानगरीय शाखाएँ और लंदन में 1 विदेशी शाखा शामिल है। इनमें से 1324 शाखाएँ कम बैंकिंग सुविधावाले जिलों में तथा 1001 शाखाएँ अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं।

31.03.2019 तक स्थापित एटीएम की कुल संख्या 4509 हो गई है। आरबीआई की अधिसूचना दि. 18.05.2017 के अनुसार बैंक ने नई शाखा विस्तार नीति अपनाई है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में बैंक का ग्राहक आधार 58 मिलियन से अधिक हो गया है।

कॉरपोरेट ऋण

बैंक निगमों को उनकी अल्पावधि एवं दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रदान करता है। ₹100.00 करोड़ से अधिक एक्सपोज़र युक्त खातों पर संव्यवहार कॉरपोरेट ऋण विभाग द्वारा किया जाता है। कार्यशील पूँजी वित्त, मीयादी ऋण वित्त, वाणिज्यिक स्थावर संपदा, बुनियादी परियोजनाएँ और अन्य परियोजनाएँ, प्राप्य भावी किराए पर ऋण, पोर्टफोलियो बाई-आउट, अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र आदि इस विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण हैं।

परियोजना मूल्यांकन एवं समूहन कक्ष

परियोजना मूल्यांकन कक्ष, विस्तृत मूल्यांकन/टीईवी अध्ययन का पुनरीक्षण/जानकारी ज्ञापन की तैयारी हेतु संस्थापित है। जहाँ उत्पाद/निर्माण/प्रक्रिया सम्मिलित है वहाँ पीएसी ₹70.00 करोड़ और उससे अधिक की परियोजना

Financial Performance

Key Financial Ratio (%)	March 2018	March 2019
Cost of Funds	4.94	**5.05**
Yield of Funds	7.06	**7.28**
Cost of Deposits	5.10	**5.13**
Yield on Advances	7.51	**7.52**
Yield on Investments	7.61	**7.50**
Net Interest Margin Global (NIM)	2.44	**2.42**
Return on Assets (RoA)	-1.05	**-0.87**
Return on Equity (RoE)	-26.68	**-21.34**
Cost to Income Ratio	58.71	**68.23**
Earning Per Share (EPS) ₹	-34.00	**-17.12**
Book Value Per Share ₹	105.43	**66.60**
Net NPA Ratio	6.28	**6.16**
Gross NPA Ratio	11.53	**11.37**
Provision Coverage Ratio	60.71	**66.43**
CRAR	12.24	**14.23**
CET 1	7.56	**9.31**

EXPANSION OF BRANCH NETWORK

During the year, the Bank has added 29 new Banking Outlets to its network and the total number of Banking Outlets were at 4032 as on 31st March, 2019 and Banking Outlets network consists of 1238 rural, 1138 semi-urban, 815 urban, 840 metro and 1 overseas Banking Outlet at London. These include 1324 outlets in under banked districts and 1001 outlets in minority concentration districts.

The total number Automated Teller Machines (ATMs) installed up to 31st March, 2019 was at 4509. The Bank adopted the New Branch Expansion Policy as per RBI Notification dated 18.05.2017. The Bank has a customer base of over 58 million as at March 31, 2019.

CORPORATE CREDIT

The Bank extends finance to Corporates for their short term as well as long term requirements. Exposure of above ₹100.00 crore are handled by Corporate Credit Department. The loans offered are working capital finance, term loan finance, project finance such as commercial real estate, infrastructure projects and other projects, loan against future rent receivable, portfolio buyouts, Inter Bank Participation Certificates, etc.

Project Appraisal & Syndication Cell

Project Appraisal Cell has been constituted for preparation of Detailed Appraisal/Vetting of TEV study/Information Memorandum. PAC undertakes detailed appraisal in respect of Term Loan proposals with project cost of ₹70.00

लागत वाले मीयादी ऋणों के प्रस्तावों और ₹35.00 करोड़ से अधिक के बैंक एक्सपोज़र के बारे में विस्तृत मूल्यांकन करता है।

समूहन के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने के लिए समूहन कक्ष की स्थापना की गई है। इस पहल से बैंक का शुल्क आधारित आय बढ़ने के साथ-साथ बैंक के लिए गुणवत्तायुक्त उच्च मूल्य वाले बेहतर आस्तियों का सृजन भी होगा एवं बैंक का एनआईएम में सुधार भी आएगा।

मिड कॉरपोरेट ऋण (एमसीडी)

बैंक का मिड कॉरपोरेट ऋण विभाग, ₹35 करोड़ से ₹100 करोड़ की ऋण आवश्यकतावाले छोटे कॉरपोरेटों को ऋण सुविधा प्रदान करता है। मिड कॉरपोरेट ऋण विभाग देशभर के सभी शाखाओं से खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, सेवा, वाणिज्यिक भूसंपदा, विनिर्माण एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों का प्रसंस्करण करता है। इसके अलावा, यह विभाग सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, बुनियादी संरचना, अल्प प्राथमिकता प्राप्त उद्योग के अंतर्गत ₹35 करोड़ से कम वाले ऋण प्रस्तावों का प्रसंस्करण भी करता है।

दि.31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल 27 मिड कॉरपोरेट शाखाएं हैं, जो कॉरपोरेट ग्राहकों के ₹10000 करोड़ के ऋण संविभाग का संचालन करती हैं। इन शाखाओं में अधिक मूल्य के ऋण प्रस्तावों को निपटाने हेतु प्रशिक्षित कार्यपालकों एवं अनुभवी ऋण अधिकारियों को नियुक्त किया गया है तथा वे सीधे तृस्तरीय ढांचे के अंतर्गत अपने आंचलिक कार्यालयों को रिपोर्ट करते हैं।

खुदरा ऋण

दीर्घ चुकौती अवधि के कारण ऋण संविभाग की स्थिरता, जोखिम स्प्रेड, ज्यादा लोगों को पोषण और अग्रिमों पर बेहतर प्रतिलाभ के कारण बैंक ने अपना ध्यान खुदरा संविभाग पर केंद्रित करना जारी रखा है। खुदरा ऋण संविभाग से आय में एक समान सुधार देखा गया है और इससे बैंक की लाभप्रदता, आस्ति संविभाग की गुणवत्ता बरकरार रखने, जोखिम प्रसरण और निवल ब्याज मार्जिन को सुधारने में सहायता मिली है। खुदरा संविभाग का बैंक के घरेलू ऋण में 21.53 प्रतिशत का योगदान है।

हमारा खुदरा कारोबार एवं एमएसएमई विभाग बाजार की प्रवृत्ति के अनुरूप उत्पादों को तैयार करने और मौजूदा उत्पादों में संशोधन करने में निरंतर प्रयासरत है। खुदरा ऋण संविभाग के तहत हमारा निष्पादन निम्नवत् है:

खुदरा ऋण संविभाग निष्पादन

योजना	31.03.2018	31.03.2019	वार्षिक वृद्धि	
			शुद्ध	(%)
आवास ऋण	17309	**18213**	904	5.22
वाहन ऋण	3065	**2729**	-336	-10.96
शिक्षा ऋण	3032	**3037**	5	0.16
अन्य खुदरा ऋण	12513	**13735**	1222	9.77
कुल खुदरा ऋण	35919	**37714**	1795	5.00

crore and above and Banks exposure of above ₹35.00 crore where production / Construction / process is involved.

A Syndication Cell has been constituted for arranging loans under Syndication. This initiative will increase the fee based income for the Bank and also will help in creating quality high value good assets for the Bank and also for improving the NIM of the Bank.

MID CORPORATE CREDIT

Mid Corporate Credit Department of the Bank caters to the credit requirements of smaller corporates whose credit requirement range between ₹35 crore to ₹100 crore. The Mid Corporate Credit Department handles such credit proposals received from medium and large branches across the country which include sectors such as Food processing, Manufacturing, Services, Commercial real estate, Construction, Educational Institutions etc. Mid Corporate Credit Department also handles proposals below ₹35 crore under MFIs, NBFCs, Infrastructure, and low priority industries.

Presently Bank has 27 Mid Corporate Branches which attend to corporate customers and handle a credit portfolio of about ₹10000 crore as on 31.03.2019. These branches are provided with trained and experienced Executives and Credit officers to handle high value credit proposals and directly report to their respective Zonal Offices under the three tier structure.

RETAIL CREDIT

Retail lending continues to be the thrust area of the Bank on account of spread of risk, better yield of advances and stability of credit portfolios due to longer repayment period. Income stream from retail credit portfolio has shown steady improvement and this has contributed to profitability, maintaining quality of asset portfolio, risk distribution and improvement of Net Interest Margin of the Bank. Retail portfolio contributes nearly 21.53 per cent of domestic credit of the Bank.

Retail Business & MSME Department has been consistently making efforts to design new products and modify the existing products in tune with market trend. Performance under retail credit portfolio is as under.

Retail Credit Portfolio performance

Scheme	31.03.2018	31.03.2019	Annual growth	
			Absolute	(%)
Housing loans	17309	**18213**	904	5.22
Vehicle loans	3065	**2729**	-336	-10.96
Education loans	3032	**3037**	5	0.16
Other retail loans	12513	**13735**	1222	9.77
Total Retail Loans	35919	**37714**	1795	5.00

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर जोर देते हुए एमएसएमई के वित्तीयन पर अधिक बल देना जारी रखा है। वर्ष 2018-19 में बैंक ने ₹2628 करोड़ की राशि के 82750 एमएसएमई ऋण स्वीकृत और वितरित किए हैं। एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को जारी कुल अग्रिम समग्र अग्रिम का 91.91% रहा जबकि, एमएसएमई के तहत मध्यम उद्यमों को जारी अग्रिम 8.09% है ।

एमएसएमई अग्रिम 31 मार्च, 2018 के ₹27306 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 के दौरान ₹25825 करोड़ रहा।

मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंक ने 31.03.2019 की स्थिति में ₹ 3145 करोड़ की राशि के 128611 खाते स्वीकृत किए और ₹ 2503 करोड़ वितरित किए जबकि वित्त मंत्रालय द्वारा एतदर्थ निर्धारित लक्ष्य ₹ 4900 करोड़ था।

''स्टैंड अप इंडिया'' के अंतर्गत बैंक ने 31.03.2019 की स्थिति में ₹28.65 करोड़ की राशि के 124 खाते स्वीकृत किए और ₹17.26 करोड़ वितरित किए। मार्च 2019 की स्थिति में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैंक द्वारा जारी अग्रिम ₹25825 करोड़ में से सूक्ष्म उद्यमों का कुल बकाया अग्रिम ₹17484 करोड़ है, जो मार्च 2019 के लिए निर्धारित लक्ष्य ₹35694 करोड़ से कम है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

बैंक ने अपनी स्थिति का समेकन कर और आस्ति गुणवत्ता पर केंद्रित रहकर और अधिक जोर-शोर से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत ऋण प्रदान करना जारी रखा है। कृषि, खुदरा, एसएमई, शिक्षा, आवास एवं अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्र, ऋण उपलब्ध कराने के प्रमुख क्षेत्र हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

बैंक ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत 40% की विनियामक आवश्यकता की तुलना में एएनबीसी में 40.54% (₹73733 करोड़) प्राप्त किया है। वैसे ही, कृषि क्षेत्र में भी 18% की विनियामक आवश्यकता की तुलना में एएनबीसी में 18.94% (₹34439 करोड़) प्राप्त किया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के सभी उप क्षेत्रों में हमारे बैंक ने विनियामक आवश्यकताओं को पार कर लिया है।

कमजोर वर्गों के मामले में बैंक ने एएनबीसी के 10% की लक्ष्य की तुलना में 15.46% प्राप्त किया है। वैसे ही, महिलाओं को वित्त प्रदान करने में भी बैंक ने अपेक्षित स्तर (12.08% एएनबीसी) को पार कर लिया है। अल्पसंख्यक समुदाय को उधार देने में भी मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भी (पीएसए के 15% के लक्ष्य की तुलना में 15.21%) बैंक ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप

मार्च 2019 की स्थिति में कृषि क्षेत्र का ऋण ₹34439 करोड़ हो गया है जो 18% की अनिवार्य आवश्यकता की तुलना में एएनबीसी का 18.94% बनता है। गैर-कॉरपोरेट उधारकर्ताओं को उधार के अंतर्गत बैंक ने ₹30120.86 करोड़ प्राप्त किया है जो 11.99% की अनिवार्य आवश्यकता की तुलना में एएनबीसी का 16.56% बनता है। बैंक ने लघु एवं सीमांत किसान वर्गों को 11.60% (₹21103 करोड़) उधार देते हुए एएनबीसी का 8% आवश्यकता को पार कर

MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

Bank continues to accord greater thrust on financing MSMEs with emphasis on Micro and Small Enterprises (MSEs). The Bank has sanctioned 82750 MSME loans and disbursed amounting to ₹2628 crore in the year 2018-19. The advances to Micro and Small Enterprises constitutes 91.91 per cent of the total advances under MSME sector while advances to Medium Enterprises constitutes 8.09 per cent under MSME.

MSME Advances stood at ₹25825 crore as at March 31, 2019 as compared to ₹27306 crore as at March 31, 2018.

Under MUDRA scheme, Bank has sanctioned 128611 accounts amounting to ₹3145 crore against target of ₹4900 crore allotted by the Ministry of Finance and disbursed ₹2503 crore as on 31.03.2019.

Under Stand up India Scheme, Bank has sanctioned 124 accounts amounting to ₹28.65 crore and disbursed ₹17.26 crore as on 31.03.2019. The outstanding advances to Micro Enterprises of the Bank constitute ₹17484 crore of advances to Micro and Small Enterprises Sector at ₹25825 crore which is below the stipulated target of ₹35694 crore as on March 2019.

PRIORITY SECTOR CREDIT

The Bank has continued its growth under Priority Sector lending with added thrust on consolidation of its position and focus on asset quality. The focus areas for credit were Agriculture, Retail, SMEs, Education, Housing and other productive sectors of the economy.

Priority Sector Advances

Bank has achieved 40.54% (₹73733 Cr.) of ANBC as against regulatory requirement of 40% under Priority Sector advances. Similarly in Agriculture our Bank has achieved 18.94% (₹34439 crore) of ANBC as against regulatory requirement of 18%. In all other sub segments of Priority Sector our Bank has exceeded the regulatory requirements.

In case of weaker section Bank has reached 15.46% against the target of 10% of ANBC. Similarly, bank has surpassed the required level in financing to women also (12.08% of ANBC). Lending to Minority communities (15.21% against the target of 15% of PSA) was also achieved by the bank for the year ending March 2019.

Agriculture and Allied activities

Credit to Agricultural Sector reached a level of ₹34439 crore forming 18.94% of ANBC as at March 2018, against the mandatory requirement of 18%. Bank has reached ₹30120.86 crore under lending to Non-corporate borrowers which is 16.56% of ANBC against the mandatory level of 11.99%. Bank has surpassed the mandatory

लिया है। मार्च 19 के ₹34250 करोड़ के परिशोधित कृषि कारोबार पूर्वानुमान की तुलना में बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त एवं गैर प्राथमिकता प्राप्त कृषि में ₹34904 करोड़ प्राप्त किए हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कृषि के अंतर्गत ₹21779 करोड़ संवितरित किए। बैंक ने 26.16 लाख से भी अधिक ग्राहकों को कृषि अग्रिम प्रदान किए हैं।

सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड (एसकेसीसी) योजना

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, 5.37 लाख सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ₹8078 करोड़ संवितरित किए गए। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, रुपे कार्ड के साथ एसकेसीसी खाताधारकों को लिंक किया गया। मार्च 2019 तक बैंक ने एसकेसीसी उधारकर्ताओं को कुल 5.59 लाख रुपे कार्ड जारी किए। मार्च 18 स्तर से ₹1334 करोड़ की निवल वृद्धि के साथ मार्च-18 की ₹11731 करोड़ के एसकेसीसी स्तर की तुलना में बैंक ने एसकेसीसी के अंतर्गत मार्च 2019 की स्थिति में ₹13065 करोड़ का स्तर प्राप्त किया।

सिंड किसान स्वर्णा – जेएल (कृषि)

बैंक ने कृषि जेएल के अंतर्गत मार्च 2018 के ₹6927 करोड़ की तुलना में मार्च 2019 की स्थिति में ₹8525 करोड़ प्राप्त किया है। सिंड किसान स्वर्ण [जेएल (कृषि)] के अंतर्गत ₹1598 करोड़ की निवल वृद्धि हुई है तथा 23.07% की वर्षानुवर्ष की वृद्धि दर्ज की है।

कृषि हेतु निवेश ऋण

निवेश ऋण के अंतर्गत बकाया शेष ₹4730.60 करोड़ है जो कुल कृषि अग्रिमों का 13.55% बनता है।

कृषि मूलभूत संरचना तथा कृषि के अंतर्गत सहबद्ध गतिविधियाँ

मार्च 2019 की स्थिति में कृषि मूलभूत संरचना तथा कृषि के सहबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत बैंक ने क्रमशः ₹441 करोड़ और ₹3189 करोड़ प्राप्त किया है जबकि मार्च 18की स्थिति में यह स्तर ₹553 करोड़ एवं ₹3800 करोड़ था। ओवरड्रॉफ्ट खातों में परिचालन और खरीदे गए आईबीपीसी की परिपक्वता के कारण इसमें मार्च 2018 की तुलना में कमी आई है।

सौर अक्षय ऊर्जा योजना

हमारा बैंक, वर्तमान में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत सौर विद्युत प्रणाली तथा सौर जल तापन प्रणाली को वित्त उपलब्ध कराने की योजना के क्रियान्वयन में लगा हुआ है। मार्च 19 की स्थिति में 1055 उधारकर्ता खातों के साथ ₹34.87 करोड़ है।

स्वसहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूह

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने स्वसहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूह को ₹2534.14 करोड़ संवतिरित किए। मार्च 2019 की स्थिति में बैंक का बकाया शेष स्तर ₹3827.40 करोड़ रहा, जबकि मार्च 18 में यह ₹3402 करोड़ था। बैंक स्वसहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूह दोनों को सीधे तथा एमएफआई/ एनजीओ के माध्यम से ऋण दे रहा है।

target of 8% of ANBC under lending to Small and Marginal farmer's category by reaching 11.60% (₹21103 crore). Bank has reached ₹34904 crore including priority and non-priority Agriculture against the revised Agriculture business projection of ₹34250 crore for March 19.

During the financial year Bank has disbursed ₹21779 crore under agriculture. Bank has covered more than 26.16 lakh customers under agricultural advances.

Syndicate Kisan Credit Card (SKCC) Scheme

During the financial year 2018-19, ₹8078 crore was disbursed through 5.37 lakh Syndicate Kisan Credit Cards. As per scheme guidelines, SKCC account holders are linked with RuPay Cards. The Bank has issued total of 5.59 lakh RuPay Cards upto March 2019 for SKCC borrowers. The Bank has reached an outstanding level of ₹13065 crore as on March 2019 under SKCC against the level of ₹11731 crore as at Mar-18 with a net increase of ₹1334 crore from Mar-18 level.

Synd Kisan Swarna-JL (Agri)

The Bank has achieved an outstanding level of ₹8525 crore as on March 2019 under AgriJL against ₹6927 crore as at Mar 2018. The net increase in SyndKisan Swarna [JL (Agri)] is ₹1598 crore and registering year on year growth of 23.07%.

Investment credit to Agriculture

The balance outstanding under investment credit is ₹4730.60 crore which constitutes 13.55% of total Agricultural advances.

Agriculture Infrastructure and Ancillary activities under Agriculture

Bank has reached an outstanding level of ₹441 crore and ₹3189 crore under Agriculture infrastructure and Ancillary activities as at March-19 while the level was ₹553 crore and ₹3800 crore as at Mar-18. Due to operations in overdraft account and maturity of IBPC purchased resulted in reduction over Mar.18.

Solar Renewable energy schemes

The Bank is presently implementing the scheme to extend finance to Solar Home Lighting Systems and Solar Water Heating Systems under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). Outstanding level as on March 19 is at ₹34.87 crore with 1055 borrower accounts.

Self Help Groups and Joint Liability Groups

Bank has disbursed ₹2534.14 crore to Joint Liability Groups and Self Help Groups during the FY 2018-19. The outstanding level as at March 2019 was ₹3827.40 crore while the level as on Mar-18 was ₹3402 crore. Bank has been lending to SHG/JLGs both directly as well as through MFIs/NGOs.

अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय को ऋण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय को आबंटित ऋणों का बकाया स्तर मार्च 2018 की समाप्ति के ₹4581 करोड़ की तुलना में मार्च 2019 की समाप्ति पर ₹4699 करोड़ हो गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को आबंटित ऋण का हिस्सा 6.37% है।

अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को आबंटित ऋणों का बकाया स्तर मार्च 2018 की समाप्ति के ₹11060 करोड़ की तुलना में मार्च 2019 की समाप्ति पर ₹11215 करोड़ हो गया है, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों के अंतर्गत 15% की अनिवार्य आवश्यकता के सापेक्ष 15.21% है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अग्रिम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आबंटित ऋणों का बकाया स्तर मार्च 2018 की समाप्ति के ₹24710 करोड़ एवं एएनबीसी की 14.40% की तुलना में मार्च 2019 की समाप्ति पर ₹28112 करोड़ हो गया है जो एएनबीसी के 10% की अनिवार्य आवश्यकता के सापेक्ष 15.46% है।

महिलाओं को अग्रिम

महिलाओं को आबंटित बकाया ऋणों का स्तर मार्च 2018 की समाप्ति के ₹20455 करोड़ की तुलना में मार्च 2019 की समाप्ति पर ₹21962 करोड़ हो गया है जो एएनबीसी के 5% की अनिवार्य आवश्यकता के सापेक्ष 12.08% है।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ

हमारा बैंक गरीबी उन्मूलन योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) आदि का सक्रिय रूप से क्रियान्वयन कर रहा है। सरकार द्वारा प्रायोजित (राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अलावा) विविध योजनाओं के अंतर्गत मार्च 2019 की समाप्ति पर बैंक का कारोबार स्तर ₹3941.44 करोड़ है।

योजना का नाम	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ऋण वितरण		दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में बकाया	
	खातों की संख्या	राशि (करोड़ में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ में)
पीएमईजीपी	2586	102.26	7935	265.33
एनआरएलएम	83067	2437.86	126379	3604.50
एनयूएलएम	1664	27.24	6777	65.83
एसआरएमएस	86	1.49	462	5.78

विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस, बैठकों, एएमआरडी/ग्रामीण शाखा प्रबंधकों की बैठकों आदि के माध्यम से सरकार प्रायोजित योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा की जाती है।

ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम

हमारा बैंक आधुनिक कृषि एवं ग्रामीण तकनीकों और बैंक के ऋण कार्यक्रमों के संबंध में ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्यतः ग्रामीण और

Advances to SC/ST communities

Outstanding advances to SC/ST communities under Priority Sector Advances have reached a level of ₹4699 crore as at the end of March 2019 against the level of ₹4581 crore as at the end of Mar-18. The share of advances to SC/ST communities to the total advances of Priority Sector is 6.37%.

Advances to Minority Communities

Outstanding advances to minorities under Priority Sector Advances reached a level of ₹11215 crore as at March 2019 forming 15.21% of Priority Sector Advances against mandatory requirement of 15% while as at Mar-18 the level of Minority was ₹11060 Crore.

Advances to Weaker Sections

Outstanding level of advances to weaker section stood at ₹28112 crore as on March 2019, constituting15.46% of ANBC against the mandatory requirement of 10%. The outstanding level as at Mar-18 was ₹24710 crore forming 14.40% of ANBC.

Advances to Women:

Outstanding advances to Women reached a level of ₹21962 crore as at March 2019 forming 12.08% of ANBC against mandatory requirement of 5% while as at March -18 the level was ₹20455 crore.

Government Sponsored Schemes

The Bank is actively implementing various poverty alleviation programmes like Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), and National Urban Livelihood Mission (NULM) etc. Business level under various schemes sponsored by the Govt. reached a level of ₹3941.44 crore as at the end of March 2019 apart from state sponsored schemes.

Name of the Scheme	Disbursement during FY 2018-19		Outstanding as on 31.03.2019	
	No. of accounts	Amount (in Cr.)	No. of accounts	Amount (in Cr.)
PMEGP	2586	102.26	7935	265.33
NRLM	83067	2437.86	126379	3604.50
NULM	1664	27.24	6777	65.83
SRMS	86	1.49	462	5.78

The Department has been regularly monitoring and reviewing the implementation and timely grounding of Govt. sponsored schemes through video conferences, meetings, AMRD/Rural branch managers meetings etc.

Rural Extension Education Programmes

Our Bank has been organizing Rural Extension Education Programmes mainly through the rural and semi-urban

अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 2233 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 113104 प्रतिभागी लाभान्वित हुए एवं इन कार्यक्रमों में ₹13.52 लाख का व्यय हुआ।

फसल बीमा योजना

भारत सरकार द्वारा खरीफ 2016 (दिनांक 01.04.2016 से) से निम्नलिखित 3 फसल बीमा योजनाएं शुरू की गईं:

- पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)
- पुनर्गठित डब्ल्यूबीसीआईएस (मौसम आधारित फसल बीमा योजना)
- यूपीआईएस (एकीकृत पैकेज बीमा योजना)

बीमा रक्षा

पात्र केसीसी खातों को संबंधित फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा रक्षा प्रदान की जाती है। बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4.54 लाख केसीसी खातों को पंजीकृत किया है।

सूखापन/आपदा से प्रभावित किसानों के लिए राहत

- बैंक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुँचाने के लिए मौजूदा फसल ऋणों एवं सावधि ऋणों में पुनःसंरचना, नए ऋण प्रदान करना, प्रतिभूति एवं मार्जिन मानदंडों में छूट, न्यूनतम 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि, चूक के मामले में बकायों के संबंध में दंडस्वरूप प्रभारित ब्याज में छूट जैसे आवश्यक सहायतापूर्वक कदम उठा रहा है।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनःसंरचित खातों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले ब्याज अनुदान को सभी पात्र मामलों को उपलब्ध कराया जाता है।

सिंड समग्र ग्राम विकास योजना (एसएसजीवीवाई)

आपके बैंक ने पूरे देश में स्थित 26 अग्रणी बैंक जिला कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले गावों में से एक गाँव को समग्र विकास के लिए अंगीकृत किया है। संबंधित जिले का अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा ग्राम परिषद की बैठकों के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभायी जाती है और गाँव के विकास के लिए चलाई जाने वाली गतिविधियों के संबंध में समुचित सुझाव दिया जाता है। क्षेत्रीय प्रबंधक/ अग्रणी बैंक प्रबंधक (एलडीएम) के परामर्श में शाखाओं द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। सिंड समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत मार्च 2019 की स्थिति में 26 अंगीकृत गाँव को ग्राम विकास गतिविधियों हेतु आबंटित ₹5.20 करोड़ के सापेक्ष ₹1.50 करोड़ व्यय किए गए हैं।

ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी)

बैंक ने देशभर में 27 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूडसेटी) का सह प्रायोजक है। इन संस्थानों ने वर्ष 2018-19 के दौरान 22077 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है। इन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 11747 महिलाएँ थीं और 6134 अभ्यर्थी अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के थे। शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 469181 है। नियोजन की दर 73% है। हमारे रूडसेटी मॉडल को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रोल मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया और देश के प्रत्येक जिले में लागू किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बेंगलूर में रूडसेटी राष्ट्रीय अकादमी की निगरानी कक्ष की स्थापना की गई है जो पूरे भारत में स्थित इन संस्थानों के कार्यकलापों की निगरानी करता है।

branches for promoting awareness among the rural people on modern agriculture & rural technologies and Bank's credit programmes. During the financial year 2018-19, 2233 programmes were conducted by benefiting 113104 participants with an expenditure of ₹13.52 Lakh.

Crop Insurance Schemes

The following three Crop Insurance schemes are introduced by Govt. of India from Kharif 2016 (From 01.04.2016 onwards)

- PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
- Restructured WBCIS (Weather Based Crop Insurance Scheme)
- UPIS (Unified Package Insurance Scheme)

Coverage

The eligible KCC holders are covered with respective crop insurance schemes and Bank has enrolled 4.54 lakh KCC accounts under crop insurance schemes during 2018-19.

Relief to drought/calamity affected farmers

- Bank is taking necessary steps to extend immediate relief to farmers affected by natural calamities such as restructuring of existing crop loans and term loans, extending fresh loans, relaxed security and margin norms, moratorium of minimum 1 year, no penal interest in respect of current dues in default, etc.
- Interest subventions provided by Govt. of India for the restructured accounts on account of natural calamities are being extended to all the eligible cases.

Synd Samagra Gram Vikas Yojana (SSGVY)

Your Bank has adopted one village in each of our 26 Lead Districts spread across the country for all round development of the village. The LDM of the concerned district is playing active role in organizing the meetings of village council and suggesting the activities to be carried out in the village. The following types of activities are carried out by the branches under the guidance of RM/LDM. As on 31st March 2019, ₹1.50 crore was spent towards the village development activities under SSGVY from 26 adopted villages out of ₹5.20 crore budget allotted.

Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI)

Bank has co-sponsored 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across the country. These institutes have trained 22077 candidates during the year 2018-19. Out of these trained candidates, 11747 are women & 6134 are from SC/ST category. Total candidates trained since inception is 469181. The settlement rate is 73%. Our RUDSETI model has been accepted by Govt. of India, Ministry of Rural Development, as a role model and replicated in each District of the Country. A Monitoring cell of National Academy of RUDSETIs has been established at Bangalore by MoRD for monitoring these RSETI institutes and their activities Pan India.

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी)

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी) की स्थापना ग्रामीण गरीबों, खासकर महिलाओं में ग्रामीण उद्यमिता एवं स्वरोज़गार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000 में की गई। अब तक बैंक ने ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र में कुल 16 सिंड ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थाओं (सिंडआरसेटी) को स्थापित किया है। न्यास ने वर्ष 2018-19 के दौरान 417 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनसे 11095 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इनमें 7360 महिलाएँ तथा 2605 अभ्यर्थी अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के थे।

अग्रणी बैंक योजना

हमारे बैंक को संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप सहित 29 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी गई है। बैंक के सभी अग्रणी जिला कार्यालयों ने जिला स्तरीय समीक्षा (डीएलआरसी) एवं जिला परामर्शदाता समिति (डीसीसी) की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया है। ऋण आयोजन प्रक्रिया पूरी हो गई है और भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित समय सूची के अनुसार जिला ऋण योजना (डीसीपी) 2018-19 की शुरुआत की गई है। बैंक कर्नाटक राज्य और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक है और बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया है। वार्षिक साख योजना 2018-19 के अंतर्गत मार्च 2019 तक अग्रणी जिलों में मौजूद हमारे सभी बैंकों का संवितरण ₹188678 करोड़ की वार्षिक लक्ष्य की तुलना में ₹186804 करोड़ रहा। इस प्रकार 99 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल हुई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे बैंक द्वारा तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए गए हैं जिनके नाम आंध्रा प्रगति, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक एवं प्रथमा बैंक हैं, जो क्रमशः आंध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, 3 राज्यों के 18 जिलों में 1601 शाखाएँ एवं 252 एटीएम हैं। हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुख्य कारोबार के मानदंडों के संदर्भ में देश के अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल व्यवसाय 31 मार्च 2019 को ₹67216 करोड़ रहा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियाँ तथा अग्रिम बढ़कर क्रमशः ₹35454 करोड़ और ₹31762 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया है। इन ग्रामीण बैंकों में 31 मार्च 2019 की स्थिति में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जारी कुल अग्रिम ₹29111 करोड़ रहा, जो कुल अग्रिमों का 91.65% है। कृषि अग्रिम ₹23635 करोड़ पहुँच गया जो कि कुल अग्रिमों का 74.41 प्रतिशत है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किसानों को कुल 13.14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं जिनका कुल बकाया ऋण ₹162.10 करोड़ है। सभी तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एनपीए का स्वतः चालन क्रियान्वित किया गया है।

प्रथमा बैंक का विलयन सर्व उ.प्र. ग्रामीण बैंक के साथ किया गया और विलयन के बाद उसका नामकरण प्रथमा उ.प्र. ग्रामीण बैंक के रूप में किया गया और दिनांक 01.04.2019 से यह पंजाब नेशनल बैंक के प्रायोजकत्व में कार्य करना शुरू किया और इसका मुख्यालय मुरादाबाद में है।

Syndicate Rural Development Trust (SRDT)

Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural entrepreneurship and self-employment among the rural poor, especially women. So far, the Bank has established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (Synd RSETIs) in 5 States and 1 Union Territory for imparting training to rural poor. During the year 2018-19, 417 training programs were conducted benefitting 11095 persons, of whom 7360 were women and 2605 were from SC/ST category.

Lead Bank Scheme

The Bank has been assigned with lead bank responsibilities in 29 districts including UT of Lakshadweep. All the Lead District Offices of the Bank have conducted the District Level Review Committee (DLRC) meetings and District Consultative Committee (DCC) meetings regularly. The credit planning process was completed and District Credit Plan (DCP) 2018-19 was launched as per time schedule envisaged by RBI. The Bank is also the convener of SLBC in Karnataka and the Union Territory of Lakshadweep and satisfactorily discharged the responsibilities assigned as the convener of State Level Bankers' Committee. The disbursement under Annual Credit Plan 2018-19 as at March 2019 of all the banks in our Lead Districts stood at ₹186804 Crore as against the Annual target of ₹188678 Crore, thus recording 99% achievement.

Regional Rural Banks

There are three Regional Rural Banks sponsored by our Bank. These are Andhra Pragathi Grameena Bank in Andhra Pradesh, Karnataka Vikas Grameena Bank in Karnataka and Prathama Bank in Uttar Pradesh. These RRBs are covering 18 districts in 3 states with a network of 1601 branches & 252 ATMs. RRBs sponsored by our Bank are in the top league among various RRBs of the country, in respect of key business parameters. Total Business of RRBs sponsored by our Bank stood at ₹67216 crore as on 31.03.2019.

The total deposits and advances of the RRBs have reached a level of ₹35454 crore and ₹31762 crore respectively. Total Priority sector advances stood at ₹29111 crore constituting 91.65 per cent of the total advances as at March 2019. Agriculture advance have reached a level of ₹23635 crore forming 74.41 per cent of total advances. All the RRBs have issued 13.14 lakh Kisan Credit Cards to farmers with an outstanding credit of ₹162.10 crore. Auto movement of NPAs is implemented in all the three RRBs.

Prathama Bank has been amalgamated with Sarva UP Gramin Bank as Prathama UP Gramin Bank under the sponsorship of Punjab National Bank with effect from 01.04.2019 with head office at Moradabad.

वित्तीय समावेशन

बैंक की संरचना

बैंक ने 614 उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में पूर्ण कालिक बैंकिंग आउटलेट खोल कर एवं 2615 एसएसए में बैंक मित्र तैनात कर 6953 गावों को जोड़ते हुए उसे आबंटित सभी 3229 एसएसए में बैंकिंग सुविधा प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त बैंक ने 56 अतिरिक्त गैर-एसएसए प्रतिष्ठानों में बैंक मित्र तैनात किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त 2 अग्रणी जिलों में (आंध्र प्रदेश के कड़पा जिला एवं हरियाणा राज्य के मेवात जिला) मोबाइल एटीएम की स्थापना भी की गई।

कारोबार संपर्की (बैंक मित्र)

बैंक 5 कॉरपोरेट बीसी सह तकनीकी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ऑउटसोर्सड मॉडल का अनुसरण कर बैंक रहित स्थानों में 2671 बैंक मित्र तैनात कर उन्हें देश भर स्थित बैंक की 1094 शाखाओं के साथ जोड़ा है। बैंक मित्रों को एईपीएस और रूपे कार्ड संव्यवहारों के लिए अंतर परिचालनक्षम माइक्रो एटीएम दिए गए हैं। 2625 बैंक मित्र वर्ष के दौरान सक्रिय रूप से बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान कारोबार प्रतिनिधि चैनल (माइक्रो एटीएम) के माध्यम से होनेवाले लेन-देनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और दैनिक लेन-देन प्रति कारोबार प्रतिनिधि 31.03.2018 की स्थिति 21 से बढ़कर 31.03.2019 की स्थिति में 27 हो गए हैं।

आधार सेवा केन्द्र की स्थापना

संशोधित पीएमएलए नियमों के अंतर्गत भारत सरकार एवं यूआईडीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने कुल 530 आधार सेवा केन्द्रों की स्थापना की है, जबकि उसका लक्ष्य 403 था । इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा स्थापित इन आधार केन्द्रों में पर्यवेक्षक व जाँचकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए बैंक के कुल 677 अधिकारियों ने यूआईडीएआई के प्रमाणीकरण पास हुए। आधार पंजीयन केंद्रों की स्थापना व संचालन में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु बैंक को यूआईडीएआई से 3 पुरस्कार प्राप्त हुए।

वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी)

बैंक अपने जेजेएफएलसीसी न्यास के जरिए वित्तीय साक्षरता का प्रचार-प्रसार कर रहा है। इस न्यास ने बैंक के अग्रणी जिलों में 55 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) और 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केन्द्र (एफआईआरसी) की स्थापना की है। वर्ष के दौरान न्यास ने 16000 साक्षरता शिविरों का आयोजन किया, जिसके जरिए 764903 व्यक्ति लाभान्वित हुए। आरबीआई की सलाह के अनुसार पांच राज्यों में बैंक ने 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केन्द्रों (एफआईआरसी) की स्थापना की है । एफआईआरसी बैंकिंग सेवा के पहलुओं, उसके विभिन्न उत्पादों, आरबीआई और उसका कार्य, मुद्रा नोट आदि विषयों पर सूचना प्रदान करने वाले एक सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

''प्रधानमंत्री जनधन योजना'' (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 28.08.2014 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के पास बैंक जाते नहीं हैं, उनके बैंक खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई के तहत 31.03.2019

Financial Inclusion

Banking Infrastructure

Bank has covered all the allotted 3229 Sub Service Areas (SSAs) covering 6953 villages with banking facilities by opening of full time banking outlets in 614 SSAs and deploying Bank Mitrs in 2615 SSAs. In addition, Bank Mitr services are provided in 56 additional non-SSA locations also. Apart from above, Mobile ATM services are provided in 2 Lead Districts namely Kadapa in AP and Mewat in Haryana. 3 Banking Kiosks are functioning in urban locations of Hyderabad.

Business Correspondent (Bank Mitr)

Bank has deployed 2671 Bank Mitrs in outsourced model through 5 Corporate BCs cum Technology Service providers (TSPs) in equal numbers of unbanked locations linked to 1094 branches across the country. The Bank Mitrs are provided with interoperable Micro ATMs for doing AEPS and RuPay card transactions. 2625 Bank Mitrs have been actively providing banking services during the year. The number of transactions happening through BC Channel (Micro ATM) increased considerably during 2018-19 and per BC per day transactions have increased from 21 as at 31.03.2018 to 27 as at 31.03.2019.

Aadhaar Seva Kendra

In compliance to Govt. of India and UIDAI directions under amended PMLA rules, Bank had set up 530 Aadhaar Seva Kendras as against the target of 403 Centers. 677 officers of the Bank have successfully obtained the UIDAI certification for functioning as supervisors cum verifiers in the Aadhaar Seva Kendras established by the Bank. Bank has won 3 awards from UIDAI for its best performance in the setting up and functioning of Aadhaar Enrolment Centers.

Financial Literacy Centers (FLCs)

Bank is promoting Financial Literacy through JJFLCC Trust which has opened 55 Financial Literacy Centers (FLC) and 21 Financial Inclusion Resource Centers (FIRC) in the lead districts of the Bank. During the year,16000 literacy camps have been conducted benefitting 764903 persons. As advised by RBI, Bank has set up 21 Financial Inclusion Resource Centers (FIRCs) in 5 states. FIRCs provide a permanent storehouse of information in the form of exhibition on various facets of banking services and its products, RBI and its functions, Currency Notes etc.

Pradhan Mantri Jan-dhan Yojana

Under "Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana" (PMJDY) launched by the Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 with an objective of covering all the uncovered households in the villages and urban wards with a bank account to

की स्थिति में ₹6476 करोड़ के बकाए शेष के साथ 128 लाख सामान्य बचत बैंक जमाराशि (बीएसबीडी) खाते खोले गए हैं जिनमें से 80% के औद्योगिक औसत के मुकाबले 4073 लाख पीएमजेडीवाई खातों (82.74%) को आधार के साथ जोड़ा गया है। अगस्त 2018 के बाद विस्तरित संशोधित पीएमजेडीवाई के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क नागरिक के नाम पर बैंक खाता खोलने के उद्देश्य से बैंक द्वारा 386626 पीएमजेडीवाई खाते खोले गए।

ग्राम स्वराज अभियान

ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत दिनांक 14.01.2018 से 15.05.2018 तक एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के दौरान बैंक ने 16 राज्यों के 66 जिलों में स्थित 170 गांवों में पीएमजेडीवाई खाता खोलने में तथा जनसुरक्षा योजनाओं (पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई) के तहत नागरिकों का पंजीयन करते हुए संतोषजनक निष्पादन किया है।

दिनांक 01.06.2018 से 15.08.2018 तक बैंक ने 115 आंकाक्षायुक्त जिलों में विस्तृत ग्राम स्वराज अभियान को क्रियान्वित किया। इसके अतिरिक्त, 20 राज्यों के 69 जिलों में आबंटित 501 गाँवों में 74,932 पीएमजेडीवाई खाते (102%) खोलकर तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत विभिन्न परिवारों के 43,159 सदस्यों को पीएमजेजेबीवाई एवं 68278 सदस्यों को पीएमएसबीवाई योजना के तहत पंजीकृत करते हुए बैंक ने संतोषजनक निष्पादन का प्रदर्शन किया है।

आस्ति गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

परिचालन क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रभाविकता सुनिश्चित करने के लिए एनपीए प्रबंधन एवं विधि विभाग को पुनर्गठित एवं पुनःस्तरित करते हुए ''**वसूली एवं समाधान संव्यवहार इकाई - आरआरबीयू**'' का प्रवर्तन किया है। **दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन संप्रभाग**, वसूली प्रभाग एवं विधि विभाग इस इकाई के अंग हैं।

सात आंचलिक केंद्रों में दि. 01.01.2019 को सात एसएएम (सैम) शाखाएँ खोली गई तथा यह शाखाएँ ₹5.00 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के सभी एनपीए खातों तथा दबावग्रस्त उच्च मूल्य के एसएमए खातों के अंतर्गत बकाया राशि का निपटान/वसूली/सरफेसी/एमसीएलटी/ओटीएस आदि के माध्यम से कर रही है। कॉरपोरेट कार्यालय स्थित सैमवी (एसएएम-वी) संप्रभाग इन शाखाओं का पर्यवेक्षण कर रहा है और उन्हें योग्य वसूली कारवाई, योग्य खातों की पूनर्संरचना सहित, करने में अपेक्षित समर्थन प्रदान कर रहा है। बैंक का उच्च प्रबंधन भी उच्च मूल्य के एनपीए खातों की निगराणी कर रहा है और वर्धित वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को योग्य परामर्श दे रहा है। एनपीए के अंतर्गत फिसलन को रोकने के लिए सीओ: सैमवी एवं सैम शाखाएँ ₹5.00 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के एसएमए-I एवं एसएमए-II श्रेणी के खातों की निगरानी और अनुप्रवर्तन कर रही है।

तीन विशेष ओटीएस योजनाओं को अल्प आशोधनों के साथ व्यापक वसूली नीति में जोड़ा गया है :

1. ट्रैक्टर ऋण प्रत्यक्ष वित्तीयन के तहत कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के संबंध में किसानों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष ओटीएस योजनाएँ।
2. ₹5.00 लाख और उससे कम की बहीशेष वाली संदेहास्पद व हानि आस्तियों के तहत आने वाले छोटे अनर्जक आस्ति खातों के लिए एकबारगी निपटान

provide banking facilities, Bank has opened 128 Lakh Basic Savings Bank Deposit (BSBD) accounts with an outstanding balance of ₹6476 crore as on 31.03.2019 out of which 40.75 lakh PMJDY accounts (82.74%) have been seeded with Aadhaar against industry average of 80%. Under modified PMJDY, extended beyond August 2018 with focus on opening of accounts for 'every adult', Bank has opened 386626 PMJDY accounts.

Gram Swaraj Abhiyaan

Under Gram Swaraj Abhiyaan, a special campaign was organized from 14.04.2018 to 15.05.2018, Bank had achieved saturation by opening of PMJDY accounts and enrolling of Jansuraksha (PMJJBY & PMSBY) schemes in identified 170 villages located in 66 Districts across 16 States.

Under Extended Gram Swaraj Abhiyaan implemented in 115 aspirational Districts from 01.06.2018 to 15.08.2018, Bank had achieved saturation in the allotted 501 villages in 69 Districts falling in 20 States by opening of 74,932 PMJDY accounts (102%) and enrolled members under 43,159 PMJJBY & 68278 PMSBY social security schemes.

ASSET QUALITY AND MANAGEMENT OF NPAs

For better administrative control and effectiveness in operation, NPA Management and Legal Department was reorganized and de-layered and renamed as **"Recovery and Resolution Business Unit-RRBU".** RRBU comprises of **Stressed Asset Management Vertical,** Recovery Division and Legal Department.

Seven Dedicated SAM Branches are opened at Zonal centers from 01.01.2019 and all NPA Accounts of ₹5.00 Crore and above and high value SMA Accounts suffering from stress are transferred to these branches. These branches are closely monitoring the accounts for resolution and recovery through SARFAESI/NCLT/OTS. SAMV at CO is overseeing these branches constantly guiding and supporting in taking appropriate recovery measures including restructure of loans wherever feasible. High value NPA Accounts are also monitored by top management of the Bank providing necessary guidance to the department for maximizing recovery. CO: SAMV and SAM Branches are following up SMA-I & SMA-II of ₹5.00 Crore and above to avoid slippage.

Three Special OTS schemes were integrated with the Comprehensive Recovery Policy with slight modifications. These are:

1. Special OTS schemes for considering proposals of farmers under direct finance to Agriculture & Allied activities including agricultural tractor loans.
2. OTS Scheme for small NPA accounts under doubtful and loss assets category with book balance of ₹5.00

योजना तथा सूक्ष्म व लघु उद्यमी उधारकर्ताओं के लिए एकबारगी निपटान योजना।

3. शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं के हितार्थ ₹4.00 लाख या उससे कम मूल मंजूरी सीमा युक्त शिक्षा ऋण खातों के निपटान हेतु विशेष ओटीएस योजना।

बैंक ने पूरे वर्ष सभी शाखाओं में ''सिंड अदालतों'' के माध्यम से 'संपर्क करें, वार्तापाल करें और निपटान करें' की नीति के आधार पर बड़ी संख्या में छोटे एनपीए खातों के बकायों का निपटान किया। क्षेत्रीय/समूह/शाखा स्तर पर दिनांक 12.06.2018, 28.08.2018, 15.11.2018 और 12.02.2019 को चार बृहद् सिंड अदालत का आयोजन किया गया जिनमें 55486 ओटीएस मामलों का निपटान किया गया और ₹219.73 करोड़ की प्रस्तावित रकम पर ₹704.03 करोड़ की राशि की वसूली की गई है।

बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान नोटिस जारी करके और सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत संपत्तियों पर कब्जा/नीलामी करके ₹6032.92 करोड़ की उल्लेखनीय राशि वसूल की, जो शाखा स्तर के प्रयास, सूचीबद्ध दक्ष एजेन्सियों और अनुमोदित मूल्यांकिकी के सहयोग के साथ पूरे हुए।

वर्ष के आरंभ में ही प्रत्येक क्षेत्र से उच्च मूल्य वाले एनपीए खातों की पहचान की गई एवं उन खातों पर विशेष ध्यान देते हुए मार्च 2018-19 के पूर्व बहुत से खातों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित दबावग्रस्त लघु आस्ति वसूली टीम (स्टार्ट) का उपयोग विशेष रूप से शाखाओं को ₹10.00 लाख से कम मूल्यवाले विशेष निगरानी आस्ति/अनर्जक खातों के समाधान हेतु शाखाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।

उच्च मूल्य के सभी एनपीए खातों की निगरानी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यपालक निदेशक द्वारा वैयक्तिक रूप से की जाती है और इन खातों के निपटान हेतु प्रभावी ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है जिसके फलस्वरूप, कई उच्च मूल्य के एनपीए खातों का निपटान संभव हो सका।

बैंक द्वारा दिनांक 31.08.2018, 29.10.2018, 29.12.2018 एवं 22.03.2019 को सरफेसी के तहत अपनी संपत्तियों की बिक्री हेतु एक मेगा ई-निलामी के अंतर्गत बैंक द्वारा प्राप्त प्रगति कुछ इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ई-निलामी हेतु प्रस्तुत संपत्तियों की सं.		सफल नीलामी की सं		असफल नीलामी की सं.		प्राप्त ओटीएस की सं.		अद्यतित खातों की सं.	
	खाता	रकम	खाता	रकम	खाता	रकम	खाता	रकम	खाता	रकम
1	300	192.74	39	47.59	261	145.15	14	15.25	8	1.89
2	498	581.04	86	34.64	412	466.03	32	11.22	34	8.64
3	372	262.05	47	15.22	325	215.77	10	2.55	4	2.04
4	246	159.91	36	7.15	210	152.76	3	0.37	9	2.42
5	225	111.36	27	12.34	198	96.72	6	1.57	5	0.73

डीआईटी द्वारा सभी ओटीएस प्रस्तावों के प्रसंस्करण व मंजूरी हेतु इन-हाउस पोर्टल तैयार किया है, जिससे शाखाएं ओटीएस प्रस्तावों का त्वरित प्रसंस्करण कर सकें और उन्हें त्वरित मंजूरी प्रदान कर सकें।

lakh and below, and OTS Scheme for Micro and Small Enterprises borrowers.

3. The Special OTS Scheme for settling NPA education loans with original sanctioned limit of 4.00 lakh & below for the benefit of education loan borrowers.

Bank continued to reduce large number of smaller NPA accounts by settling the dues through "SyndAdalats" at all branches throughout the year by meet, talk and settle approach. Four Bruhat SyndAdalats were conducted at regional/cluster/branch level on 12.06.2018, 28.08.2018, 15.11.2018 and 12.02.2019 wherein 55486 OTS cases were settled, by recovering a sum of ₹219.73 crore with an offer amount of ₹704.03 crore.

Bank was able to register a substantial recovery of ₹6032.92 crore during the year 2018-19 by issuing notices and taking possession/auctioning of properties under SARFAESI Act 2002.The efforts at branch level were supplemented by empanelling more enforcement agencies and approved valuers.

Top NPAs from each Region were identified for giving focused attention in the beginning of the year itself and many accounts were successfully resolved before March 2018-19. Stressed Tiny Asset Recovery Team (START) stationed at Regional Offices are being extensively utilized for assisting the branches having high concentration of Special Monitoring Assets/Non Performing Accounts of below ₹10.00 lakh.

All high value NPA accounts are monitored personally by Managing Director & CEO/Executive Directors and vigorous follow up is made for resolving these accounts. On account of this, many high value NPA accounts could be resolved.

Bank organized mega e-auction of assets under SARFAESI possession on 31.08.2018, 29.10.2018 29.12.2018 and 22.03.2019. Progress under mega e-auction is detailed here under

(₹ in Crore)

SL. No.	No. of Properties placed for E auction		No. of successful event		No. of unsuccessful event		No. of OTS received		No. of A/c upgraded	
	A/c	Amt	A/c	Amt	A/c	Amt	A/c	Amt	A/c	Amt
1	300	192.74	39	47.59	261	145.15	14	15.25	8	1.89
2	498	581.04	86	34.64	412	466.03	32	11.22	34	8.64
3	372	262.05	47	14.22	325	215.77	10	2.55	4	2.04
4	246	159.91	36	7.15	210	152.76	3	0.37	9	2.42
5	225	111.36	27	12.34	198	96.72	6	1.57	5	0.73

In house portal for processing and sanction of all OTS proposals is made Live by DIT, which enables the branches to process/sanction the OTS proposals quickly.

सरफेसी पोर्टल, डीआरटी पोर्टल, एनपीए ट्रैकर वह डिजिटल उपकरण है, जिसका प्रयोग बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एनपीए खातों के त्वरित समाधान हेतु किया गया।

आईबीसी अधिनियम 2016 के अंतर्गत बैंक में अधिक संख्या में उच्च मूल्य खातों का समाधान कर ₹1297.04 करोड़ की वसूली की।

एनपीए के अंतर्गत कुल नकद वसूली ₹6235 करोड़ थी, जिसमें मौजूदा एनपीए की मूल वसूली ₹4261 करोड़ थी एवं वर्ष के दौरान एनपीए में वर्गीकृत खातों में वसूली ₹670.06 करोड़ थी। कुल नकद वसूली अप्रभारित हित ब्याज के सापेक्ष कृत वसूली ₹1094.73 करोड़ थी। एवं बट्टे खाते डाले गए खातों के अंतर्गत वसूली ₹ 8.98 करोड़ थी।

पिछले दो सालों में एनपीए की स्थिति इस प्रकार रही: (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2019
सकल एनपीए	25758.60	**24680.37**
सकल एनपीए %	11.53	**11.37**
निवल एनपीए	13329.46	**12627.73**
निवल एनपीए %	6.28	**6.16**
एनपीए में परिवर्धन	14309.28	**11592.01**
वसूली/अद्यतन	3759.98	**5895.38**
अपलेखन पीडब्ल्यूओ सहित	2400.01	**6774.50**
अपलिखित खातों में वसूली	488.30	**577.42**
प्रावधान कवरेज अनुपात (पीडब्ल्यूओ सहित)%	60.71	**66.43**
प्रावधान कवरेज अनुपात (पीडब्ल्यूओ रहित)%	48.60	**48.83**

आस्ति वर्गीकरण के अनुसार बैंक के अग्रिम संविभाग का श्रेणीवार विश्लेषण निम्नवत है: (₹ करोड़ में)

आस्ति श्रेणी	31.03.2018	31.03.2019
मानक आस्ति	197587.47	**192468.49**
सकल एनपीए	25758.60	**24680.37**
कुल अग्रिम	223346.07	**217148.86**
सकल एनपीए जिसमें शामिल हो		
अवमानक	7374.67	**7864.48**
संदिग्ध आस्ति	17472.16	**16635.45**
हानि	911.77	**180.44**
कुल सकल एनपीए	25758.60	**24680.37**

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक में एक सदृढ़ एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना को क्रियान्वित किया गया है। बैंक में जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्रवाइयों का संपूर्ण दायित्व निदेशक मंडल का होता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), जो निदेशक मंडल की एक उपसमिति है, बैंक की जोखिम प्रवृत्ति का निरूपण करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति को ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) से कुशल सहयोग मिलता है।

SARFAESI Portal, DRT Portal, NPA Tracker are the digital tools used by the Bank for speedy resolution of NPA accounts during FY 2018-19.

Under IBC Act 2016, Bank has resolved many high value accounts with recovery of ₹1297.04 Cr.

The Total cash recovery in NPAs amounted to ₹6235 crore, which includes principal recovery of ₹4261 crore in existing NPAs & ₹670.06 crore in fresh NPAs slipped during the year. The total cash recovery includes ₹1094.73 crore towards uncharged interest and ₹8.98 crore in written off accounts.

The movement of NPAs during the last two years are as under:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.18	31.03.19
Gross NPA	25758.60	**24680.37**
Gross NPA %	11.53	**11.37**
Net NPA	13239.46	**12627.73**
Net NPA %	6.28	**6.16**
Addition to NPAs	14309.28	**11592.01**
Recovery/Up gradations	3759.98	**5895.38**
Write off including PWOs	2400.01	**6774.50**
Recovery in Written off accounts	488.30	**577.42**
Provision coverage Ratio (including PWO) %	60.71	**66.43**
Provision Coverage Ratio (excluding PWO) %	48.60	**48.83**

The break-up of advances portfolio of the Bank as per asset classification was as under:

(₹ in crore)

Asset Category	31.03.2018	31.03.2019
Standard Assets	197587.47	**192468.49**
Gross NPA	25758.60	**24680.37**
Total Advances	223346.07	**217148.86**
Gross NPA comprising of		
Sub-standard	7374.67	**7864.48**
Doubtful	17472.16	**16635.45**
Loss	911.77	**180.44**
Total Gross NPA	25758.60	**24680.37**

RISK MANAGEMENT

Risk Management Architecture

A robust and comprehensive Risk Management Framework is established in the Bank. The Board of Directors assumes the overall responsibility for Risk Management in the Bank. The Risk Management Committee (RMC) of the Board defines the risk appetite of the Bank. The RMC of the Board is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset Liability Management Committee (ALCO), and Operational Risk Management Committee (ORMC).

बैंक के पास एक सुपरिभाषित साइबर सुरक्षा नीति है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासी संरचना है जिसके अंतर्गत आईटी कार्यनीति समिति, आईटी संचालन समिति, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), सूचना सुरक्षा प्रबंधन समिति (आईएसएमसी), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) आदि शामिल हैं जिन्हें विभिन्न विशेषज्ञ टीमों, कारोबार निरंतरता टीमों एवं आईएस लिखापरीक्षा की सहायता प्राप्त है जो बैंक के भीतर सूचना सुरक्षा को प्रारंभ करने, कार्यान्वयन, निगरानी, बरकरार रखने तथा उन्नत बनाने का कार्य करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईटी अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा कारोबार को मूल्यवर्धित करता है।

कॉरपोरेट कार्यालय का जोखिम प्रबंधन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित जोखिम प्रबंधन कक्ष (आरएमसी) की सहायता से पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है। बैंक के पास ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक बेहतर प्रलेखित नीति और प्रक्रिया है जिसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि उसे बदलते कारोबार और बाज़ार की गतिविधियों के अनुकूल बनाया जा सके।

बैंक ने वर्ष के दौरान भारत सरकार (''जीओआई'') को अधिमानी आधार पर निम्नवत् शेयर का आबंटन किया है :

❖ अधिमानी आधार के अंतर्गत दिनांक 19.12.2018 को 10 रुपये अंकित मूल्य के 18,36,99,217 ईक्विटी शेयर को 29.63 रुपये के अधिमूल्य पर कुल ₹728 करोड़ का ईक्विटी शेयर आबंटित किया है।

❖ अधिमानी आधार के अंतर्गत दिनांक 27.02.2019 को 10 रुपये अंकित मूल्य के 43,23,17,880 ईक्विटी शेयर को 27.75 रुपये के अधिमूल्य पर कुल ₹1,632 करोड़ का ईक्विटी शेयर आबंटित किया है।

❖ अधिमानी आधार पर दिनांक 29.03.2019 को 10 रुपये अंकित मूल्य के 45,46,22,802 ईक्विटी शेयर को 25.26 रुपये के अधिमूल्य पर कुल ₹1,603 करोड़ का ईक्विटी शेयर आबंटित किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने 9.40% प्रति वर्ष की कूपन दर से ₹339 करोड़ के बासेल III गैर अनुपालित आईपीडीआई बॉण्ड के लिए क्रय विक्रय का प्रयोग किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने 8.60% प्रति वर्ष की कूपन दर से ₹300 करोड़ के लोअर टियर II बॉण्ड श्रृंखला X की परिपक्वता का भुगतान किया है।

ईएसपीएस के माध्यम से ₹500 करोड़ की पूँजी जुटाई गई है जिसे शेयर आवेदन धन का लंबित आबंटन माना गया है जिसे पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए गणना में नहीं लिया गया है।

आस्ति देयता प्रबंधन

उच्च प्रबंधन वर्ग के कार्यपालक आस्ति देयता प्रबंधन समिति के सदस्य हैं जो, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, अंतर/असंतुलन जोखिम, आधार जोखिम, पुनर्मूल्यन जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम और ईक्विटी मूल्य जोखिम आदि के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। इनमें जमाराशियों तथा अग्रिमों की उत्पाद कीमत के साथ आस्तियों एवं देयताओं की अपेक्षित परिपक्वता रूपरेखा भी शामिल है।

The Bank is having a well defined Cyber Security Policy including an information Technology Governance Framework consisting of IT Strategy Committee, IT Steering Committee, Chief Information Officer (CIO), Information Security Management Committee (ISMC), a Chief Information Security Officer (CISO) assisted by various specialist teams, Business Continuity Teams and an IS Audit function to initiate, implement, monitor, maintain and improve the information security within the Bank and to make sure that IT is aligned and delivers value to the business.

Risk Management Department functioning at Corporate Office oversees the overall implementation of various risk management initiatives across the Bank with the assistance of Risk Management Cells (RMCs) at Regional Offices. The Bank has a well-documented policy and processes for management of credit, market and operational risks which are periodically reviewed, so as to adapt to the changing business and market environment.

During the year, the Bank has allotted equity shares to Government of India ("GOI") on preferential basis as detailed below:

❖ 18,36,99,217 Equity Shares were allotted on 19.12.2018 under preferential basis at face value of ₹10 each at a premium of ₹29.63 aggregating ₹728 Crore.

❖ 43,23,17,880 Equity Shares were allotted on 27.02.2019 under preferential basis at face value of ₹10 each at a premium ₹27.75 aggregating ₹1,632 Crore.

❖ 45,46,22,802 Equity Shares were allotted on 29.03.2019 under preferential basis at face value of ₹10 each at a premium of ₹25.26 aggregating ₹ 1,603 Crore.

During the year, the Bank has exercised Call option for Basel III Non-compliant IPDI Bonds of ₹339 Crore carrying coupon rate of 9.40% p.a.

During the year, the Bank has paid maturity of Lower Tier II Bond Series X of ₹300 Crore carrying coupon rate of 8.60% p.a.

The capital of ₹500 Crore raised though ESPS treated as Share application money pending allotment which is not considered for capital adequacy purposes.

Asset Liability Management

The Asset Liability Management Committee consists of members of the top management and regularly meets to manage Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Gaps/Mismatch Risk, Basis Risk, Re-pricing Risk, Forex Risk and Equity Price Risk. It includes product pricing for deposits as well as advances and the desired maturity profile of assets and liabilities.

बैंक ने लंदन शाखा तथा पूरे बैंक में चलनिधि की प्रभावी निगरानी हेतु एक तंत्र की स्थापना की है। बैंक ने किसी भी आकस्मिकता के प्रबंधन के लिए एक बेहतर प्रलेखित आकस्मिक नकदी निधि योजना तैयार की है। बैंक अपनी ब्याज आय और चलनिधि पर प्रभाव के मूल्यांकन के लिए त्रैमासिक आधार पर स्ट्रेस टेस्ट करता है। बैंक दैनिक आधार पर बासेल III चलनिधि अनुपात ''चलनिधि कवरेज अनुपात'' की निगरानी करता है।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थाओं की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की जोखिम की पूंजी व प्रावधानीकरण के संदर्भ में बैंक ने नीति बनाई है। पिछले दो वर्षों की स्थिति निम्नवत है:

(रकम ₹ करोड़ में)

ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
यूएफसीई प्रावधान का प्रारंभिक शेष	60.00	51.00
जोड़ें: वर्तमान वर्ष के दौरान प्रावधान की वृद्धि/वापसी का प्रावधान	-9.00	-6.00
यूएफसीई प्रावधान का अंतिम शेष	51.00	45.00

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

बैंक ने, कोष परिचालन की गतिविधियों तथा समान्वित कोष परिचालन के प्रभावी प्रबंधन को पर्याप्त महत्व दिया है। कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीएंडआईबीडी) के दो विंग हैं यथा, (ए) विदेशी मुद्रा कोष तथा (बी) घरेलू मुद्रा कोष। इसके अतिरिक्त, टीएंडआईबीडी बैंक के विदेशी परिचालनों की निगरानी करने वाले एवं उनके नियंत्रक कार्यालय के रूप में भी कार्य कर रहा है।

विदेशी मुद्रा कोष

कोष एवं अंतराष्ट्रीय बैंकिंग विभाग हमारे बैंक का 'ए' श्रेणी का कार्यालय है जो, विदेशी विनिमय स्थित नोस्ट्रो एवं वोस्ट्रो खातों का रख-रखाव करता है। इसके अलावा, कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग हमारी लंदन शाखा के विदेशी मुद्रा कारोबार, प्रतिनिधि बैंकिंग संबंध तथा विदेशी कारोबार परिचालनों की निगरानी भी करता है।

टीएंडआईबीडी, मुंबई में बैंक का केंद्रीय लेन-देन रूम स्थापित है जो बैंक के विदेशी विनिमय लेनदेन परिचालनों की देखरेख करता है। बैंक की 116 प्राधिकृत शाखाएँ (''श्रेणी बी'') हैं जो, पूर्णतया विदेशी विनिमय लेन-देनों की देखरेख करती हैं और 417 नामित शाखाएँ बैंक के एफसीएनआर कारोबार का प्रबंधन करती हैं। बैंक की सभी 4031 देशी शाखाओं में एनआरई/एनआरओ जमाराशियों को स्वीकृत किया जाता है। बैंक, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) का सदस्य है जिसके द्वारा यूएसडी/आईएनआर की अंतर बैंक विदेशी मुद्रा कारोबार का निपटान होता है। बैंक, सीसीआईएल के माध्यम से कंटीन्यूअस लिंक सैटेलमेंट (सीएलएस) द्वारा क्रॉस करेंसी सौदे का निपटान करता है।

The Bank has put in place a mechanism for effective monitoring of liquidity at London Branch and for the Bank as a whole. The Bank has a well-documented contingency liquidity funding plan for managing any contingency. The Bank undertakes stress testing on quarterly basis and assesses the impact on liquidity and interest income of the Bank. Bank monitors the Basel-III liquidity ratio of "Liquidity coverage ratio" on daily basis.

Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) which is based on the guidelines issued by RBI. The position of last 2 years is as under.

(Amount in ₹ crore)

Particulars	FY 2017-18	FY 2018-19
Opening Balance of UFCE provision	60.00	**51.00**
Add: incremental/reversal of provision during the current year	-9.00	**-6.00**
Closing Balance of UFCE provision	51.00	**45.00**

TREASURY & INTERNATIONAL BANKING

Bank has accorded importance to treasury functions and efficient management of Integrated Treasury Operations. Treasury and International Banking Department (T&IBD) has two wings viz, (a) Foreign Exchange Treasury and (b) Domestic Treasury. Besides, T&IBD is also functioning as monitoring and controlling office for the overseas operations of the Bank.

Forex Treasury

Treasury and International Banking Dept. (T&IBD) is the only 'A' category office in the Bank which maintains foreign exchange position, Nostro and Vostro Accounts. T&IBD also monitors foreign exchange business, correspondent banking relationship and overseas business operations of London branch.

The Bank's centralized dealing room at T&IBD, Mumbai handles the foreign exchange dealing operation of the Bank. The Bank is having 116 designated branches (Category "B") to handle all types of foreign exchange transactions and 417 nominated branches to handle the FCNR business of the Bank. NRE/NRO deposits are accepted at all the 4031 domestic branches of the Bank. The Bank also has one overseas branch at United Kingdom. The Bank is a member of Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL), for settlement of inter-bank forex deals in USD/INR segment. Further, the Bank also settles cross-currency deals through CCIL with continuous linked settlement (CLS) Bank.

बैंक करेंसी फ्युचर्स में मालिकाना आधार पर व्यापार करने के लिए तीन एक्सचेंजों एमसीएक्स-एसएक्स; एनएसई और बीएसई का व्यापार सह समाशोधन सदस्य है।

पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1091020 करोड़ के विदेशी कारोबार की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष का कुल विदेशी कारोबार ₹1337242 करोड़ रहा और पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1023209 करोड़ की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष का अंतर बैंक कारोबार ₹1297857 करोड़ रहा।

विनिमय कंपनियाँ

आपके बैंक के धन निर्यातकों के नकद-प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए प्रतिनिधि संबंध के व्यापक नेटवर्क और प्रेषण के लिए प्रतिस्पर्धी दरों के साथ प्रभावी निर्यात वित्तीय सेवा है। इसके अतिरिक्त, बैंक ओमान सल्तनत के रूवी की एक विनिमय कंपनी मेसर्स मुसंडम एक्सचेंज कंपनी रूवी, का संचालन करती है। बैंक ने प्रवासी भारतीयों द्वारा खाड़ी देशों से भारत में बेहतर और किफायती निधि अंतरण के लिए 04 विनिमय हाउस के साथ रुपया आहरण व्यवस्थाएँ (आरडीए) की हैं, यह व्यवस्थाएँ 04 विदेशी बैंकों के साथ आरडीए के अतिरिक्त हैं।

नोस्ट्रो बैंक के साथ विशेष व्यवस्थाएँ

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग ने ग्राहकों द्वारा यूएस स्थित प्रतिनिधि बैंकों से यूएस डालर में आहरित लिखत प्राप्त करने हेतु होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, यूएसए में यूएस डालर चेक/यूएसडी नोस्ट्रो प्रतिनिधि के माध्यम से ड्राफ्ट के लिए आधारित चेकों के त्वरित संग्रहण के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की है।

घरेलू कोष

निर्बाध लेनदेन गतिविधियों के लिए सीसीआईएल द्वारा प्रवर्तित, सीआरओएमएस, टीआरईपीएस, एनडीएस-ओएम, एनडीएस-कॉल आदि जैसे ट्रेडिंग प्लेटफार्मों से अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित घरेलू व्यापार डेस्क, समर्थित है। कोष के महत्वपूर्ण संविभाग में एसएलआर निवेश सम्मिलित है और यह केंद्रीय सरकार की प्रतिभूति एवं राज्य सरकार की प्रतिभूति के बॉण्ड में निवेश के रूप में हैं।

गुणवत्तायुक्त एवं रेटेड कॉरपोरेट बांड और डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, सीडी इत्यादि में निवेश द्वारा बैंक ने गैर-एसएलआर निवेश को सुदृढ़ बनाया है जिसके परिणामस्वरूप निवेश संविभाग के प्रतिलाभ में बढ़ोत्तरी हुई है। बैंक ने सीबीएलओ, रेपो और एक दिवसीय एफएक्स मार्केट के साथ कॉल मार्केट जैसे विंडोज के प्रभावी प्रयोग की मध्यस्थता के माध्यम से भी आय अर्जित किया है। बैंक ने बाज़ार की स्थिति और दर पर निर्भर होते हुए उधार देने और लेने के समय निधि प्रवाह और चलनिधि स्थिति की निरंतर निगरानी करते हुए इस मुद्रा बाज़ार के जरिए निधियों का अत्यंत दक्षतापूर्वक प्रबंधन किया है।

बैंक का घरेलू निवेश पिछले वर्ष के ₹79204.17 करोड़ की तुलना में दि. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ₹74980.77 करोड़ हो गया। निवेश संविभाग से प्राप्त कुल आय (लाभांश और व्यापार लाभ को छोड़कर) वर्ष 2017-18 के ₹5410.37 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 में ₹ 5740.82 करोड़ हो गई। एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश ₹63001.52 करोड़

The Bank is a trading-cum-clearing member on three exchanges, i.e., MCX-SX, NSE and BSE for undertaking proprietary based position in currency futures.

The total forex turnover of the Bank was ₹1337242 crore for the current financial year, as compared to ₹1091020 crore for the previous financial year. The inter-Bank turnover was ₹1297857 crore for the current financial year as compared to ₹1023209 crore for the previous financial year.

Exchange Companies

Your Bank has efficient Export Finance services to improve cash flows of exporter with wide network of correspondent relationships and competitive rates for remittances. The Bank is managing one Exchange House M/s Musandam Exchange Company Ruwi, an exchange company at Ruwi in Sultanate of Oman. The Bank is also having Rupee Drawing Arrangements (RDA) with other 04 Exchange Houses for improved and cost-effective funds transfer by Indian diaspora to India from Gulf countries, apart from RDA with 04 foreign banks.

Special Arrangements with NOSTRO Bank

In order to mitigate the hardship faced by the customer in collection of US Dollar instruments through US based correspondent Banks, T&IBD has established special arrangements for speedy collection of US Dollar cheques/draft through USD Nostro correspondent for cheques drawn in USA.

Domestic Treasury

Domestic trading desk supported by state of art technology which is mapped with the trading platforms like CROMS, TREPS, NDS-OM, NDS-CALL etc. provided by CCIL for seamless transactions movements. The major portfolio of the treasury comprises of SLR investments and is in the form of investments in bonds of central government securities & state government securities.

The Bank has also strengthened the non SLR investments by investing in qualitative and rated corporate bonds and debentures, commercial paper, CDs, etc., resulting in improved yields on investment portfolio. The Bank has also earned from arbitrage deals, by effectively making use of windows like TREPS, Repo & Call market and Forex Market. The Bank has managed funds very efficiently through these money market channels by continuously monitoring the fund flow and the liquidity position and undertaking lending and borrowing transactions.

The domestic investments of the Bank were at ₹74980.77 crore as on 31.03.2019 as against ₹79204.17 crore for previous year. Total income from investment portfolio (excluding dividend & trading profits) was ₹5740.82 crore in the year 2018-19 as against ₹5410.37 crore in the year

हो गया है जो दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल निवेश का 84.02 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 के ₹926.48 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 का व्यापार लाभ ₹ 211.28 करोड़ रहा।

बैंक के कुल निवेश संविभाग के लिए 'आशोधित अवधि' (1 प्रतिशत ब्याज दर में परिवर्तन से मूल्य में बदलाव का संकेतक) वर्ष 2017-18 के मूल्य 4.43% की तुलना में वर्ष 2018-19 में 4.43% रहा।

ओवरसीज परिचालन

बैंक की इंगलैंड के लंदन में स्थित शाखा के साथ विदेश में उपस्थिति है। यह शाखा, इंगलैंड में भारतीय कॉरपोरेटों के लिए थोक बैंकिंग परिचालनों, मुद्रा बाज़ार परिचालनों, निवेशों तथा कोष परिचालनों का संचालन करती है। यह शाखा, वैश्विक पहचान वाले भारतीय कॉरपोरेटों के लिए द्विपक्षीय ऋणों के अलावा, समूहन और ईसीबी पर ध्यान केंद्रित करती है। शाखा का कुल कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) 31 मार्च 2018 को जीबीपी 7968.770 मिलियन (₹73533.82 करोड़) की तुलना में 31 मार्च 2019 को यह जीबीपी 7968.109 मिलियन (₹72131.30 करोड़) रहा।

सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा

बैंक ने अलग-अलग भूकंपीय क्षेत्रों में सर्वोत्तम मूलभूत संरचना के साथ मुंबई में अत्याधुनिक डाटा सेंटर और बेंगलूरु में आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा अनुसमर्थन की दृष्टि से एक इकाई मुंबई में भी स्थापित की गई है।

बैंक ने अपने यहाँ नया इंटरप्राइज क्लास सर्वर एवं स्टोरेज सिस्टम लगाया है जिससे बैंक के निष्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, डे-इंड बैच प्रोसेसिंग में सुधार एवं एमआईएस तथा रिपोर्टिंग के लिए सीबीएस डाटाबेस का मल्टी बैकअप सृजित करना संभव हुआ है।

परिचालन एवं सामान्य प्रशासन

मुद्रा प्रबंधन

❖ वर्तमान में 48 करेंसी चेस्ट शाखाओं के नकदी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं जिसमें से, 20 करेंसी चेस्ट महानगरों में, 15 शहरों, 6 अर्ध-शहरों तथा 7 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

❖ करेंसी चेस्ट से संबंद्ध सभी नकदी वाहन (कैश वैन) जीपीआरएस समर्थ है।

एनपीसीआई का एनएसीएच मंच

❖ बैंक ने एनपीसीआई के एनएसीएच मंच पर मैन्युअल मोड में परंपरागत इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) अधिदेश का संचालन शुरू किया है।

जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि (डीईएएफ)

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना का जून 2014 से कार्यान्वयन किया गया है।

❖ निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार निष्क्रिय जमाओं को मासिक आधार पर

2017-18. Bank's investment in SLR securities amounted to ₹63001.52 crore which formed 84.02% of Bank's total domestic treasury investments as on 31.03.2019. Trading profits for the year 2018-19 was ₹211.28 crore as against ₹926.48 crore during the FY 2017-18.

Modified duration (indicator of change in prices/values with change in 1 per cent Interest Rate) for Bank's total investment portfolio stood at 4.43 per cent for 2018-19 as against of 4.43 per cent for year 2017-18.

Overseas Operation

Bank's overseas presence is in United Kingdom with a Branch at London. The Branch is active in wholesale banking operations serving Indian Corporates in United Kingdom, money market operations, investments, and treasury operations. The Branch focuses on syndications and ECBs, besides bilateral loans for Indian Corporates having global presence. The total business (Deposits and Advances) of the branch stands at GBP 7968.109 million (₹72131.30 crore) as at 31st March 2019 as against GBP 7968.770 million (₹73533.82 crore) as at 31st March 2018.

INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

Bank holds the best infrastructure with state-of-the-art Data Center at Mumbai and Disaster Recovery Site at Bangalore, both located in different seismic zones and also a Near-site at Mumbai.

Bank owns the new Enterprise class Servers and Solid state storage systems bringing significant improvement in performance, reducing the Day End Batch processing window and with capacity to create multiple backup copies of CBS database for MIS and reporting.

OPERATIONS AND GENERAL ADMINISTRATION

Currency Management

❖ At present, there are 48 Currency Chests catering to the cash needs of branches. Of these, 20 currency chests are functioning in metros, 15 in urban, 6 in semi-urban and 7 in rural areas.

❖ All the Cash Vans attached to our currency chests and cash pooling centers are GPRS enabled.

NACH platform of NPCI

❖ Bank has commenced operations of Legacy Electronic Clearing Service (ECS) mandates in manual mode to the NACH platform of NPCI.

Depositor Education Awareness Fund (DEAF)

❖ Depositor Education Awareness Fund Scheme launched by Reserve Bank of India has been implemented since June 2014.

❖ The Dormant deposits as per the specified norms are

आरबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाता है और जब भी ग्राहक शाखाओं से संपर्क करते हैं, तो उन्हें तत्काल धनवापसी की जाती है तथा आरबीआई से मासिक आधार पर दावा किया जाता है।

- दिनांक 31.03.2019 तक आरबीआई-डीईए निधि खाते में बकाया मौजूदा खातों की संख्या 3888006 है और उनका मूल्य ₹866.10 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरबीआई-डीईए निधि खाते में बैंक द्वारा विप्रेषित खातों की संख्या 1225706 है और उनका मूल्य ₹ 246.12 करोड़ है जो 10 साल अधिक अवधि से बैंक में निष्क्रिय स्थिति में उपस्थित थे।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दावे के सापेक्ष आरबीआई के डीईए निधि खाते से 4117 ग्राहकों के खाते में जमा प्राप्त हुए, जिनका मूल्य ₹7.60 करोड़ था।

केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी)

- केंद्रीय पेंशन के लिए दिनांक 01.02.2012 से सीपीपीसी-I, मणिपाल में परिचालन आरंभ किया गया है। सभी केंद्र सरकारी पेंशन जैसे सिविल, रक्षा, दूरसंचार और डाक पेंशन केंद्रीकृत रूप से संसाधित किए जाते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार के पेंशन के केंद्रीकृत संवितरण हेतु सितंबर 2018 से बेंगलूरु में सीपीपीसी-2 का परिचालन आरंभ किया गया है ।
- बैंक ने पेंशन अदायगी के संबंध में ग्राहकों एसएमएस के माध्यम से सूचना देने की व्यवस्था शुरू की है। मासिक पेंशनों संबंधी विवरणी उन ग्राहकों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया जिन्होंने अपना मेल आईडी बैंक के साथ दर्ज किया है। रक्षा पेंशनरों की शिकायतों का त्वरित निपटान करने के लिए बैंक ने एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की है ताकि उनकी शिकायतों का निपटान 48 घंटों के भीतर किया जा सके। सभी डिफेंस पेंशन का संसाधन पूर्णतः केंद्रीकृत रूप से किया जाता है। दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार बैंक के पास कुल 120119 रक्षा पेंशन खाते हैं और प्रति माह औसतन रूप से ₹ 141 करोड़ रुपए इन खातों के माध्यम से संवितरित किए जाते हैं।
- वर्ष के दौरान 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण देय पेंशन में हुए संशोधन के फलस्वरूप 67000 केंद्र सरकारी पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान किया गया।
- 98% से अधिक पेंशनभोगियों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है।
- सभी पंजीकृत पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान पर पेंशन पर्ची और एसएमएस अलर्ट भेजा गया है।
- शिकायत निवारण इकाई सीपीपीसी में काम कर रही है और पेंशनभोगियों की सभी शिकायतों को तुरंत हल किया जा रहा है।

सरकारी लेन-देन कक्ष

- बैंक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय के लिए अधिकृत बैंक है।
- बैंक भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न बाँडों, जैसे 7.75% बचत बॉण्ड और सावरिन गोल्ड बॉण्ड योजनाओं को आयोजित करने के लिए अधिकृत है।

transferred to RBI on a monthly basis and whenever the customers approach the Branches, they are refunded immediately and the same is claimed from RBI on a monthly basis.

- The no. of accounts outstanding with RBI-DEA Fund as on 31.03.2019 is 3888006 amounting to ₹866.10 crore.
- The no. of accounts remitted to RBI DEA Fund for the accounts above 10 years for the financial year 2018-19 is 1225706 amounting to ₹246.12 crore.
- The no. of accounts are credited to customers from RBI- DEA Fund for the claims received for the financial year 2018-19 is 4117 amounting to ₹7.60 crore.

Central Pension Processing Center (CPPC)

- CPPC-1, Manipal is operationalized w.e.f. 01.02.2012 for Central pensions. All Central Govt. Pensions i.e. Civil, Defence, Railway, Telecom and Postal pensions are centralized. CPPC-2, Bengaluru is operationalized from September 2018 for centralized disbursement of Karnataka State Pensions.
- Bank has implemented the system of sending the details of pension paid through SMS. Detailed monthly pension statements are also sent through e-mail to all those pensioners who have registered their e-mail with the Bank. To ensure speedy redressal of grievances of defence pensioners, Bank has introduced a redressal mechanism so that any grievance is resolved within 48 hours. All Defence, Central, Civil, Railway, Postal and Telecom pension accounts are fully centralized. There are 120119 pension accounts as on 31.03.2019 and average disbursement is about ₹141 crore per month.
- During the year, arrears are paid to around 67000 Central Govt. pensioners on account of revision of pension due to implementation of recommendation of 7th Central Pay Commission.
- Aadhar seeding is completed for more than 98% of pensioners.
- Pension slips and SMS alert on pension payment are being sent to all registered pensioners.
- Pensioners' grievance redressal unit is functioning in CPPC and all the grievances of pensioners are promptly resolved.

Government Transactions Cell

- Bank is accredited Bank for Ministry of Road Transports & Highways and Ministry of Shipping.
- Bank is authorized for conducting various processes on issue of Bonds by GOI such as 7.75% Savings Bonds and Sovereign Gold Bonds scheme of Government of India.

❖ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस): बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में कार्यक्रम की निगरानी करने और सरकारी अनुदान निधि के वितरण को ट्रैक करने के लिए की गई वित्तीय सुधार पहल के अनुसार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएम एस) लागू की है । भारत सरकार ने इस मंच के तहत केंद्र, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों की एजेंसियों के सभी वित्तीय नेटवर्कों को जोड़ने के लिए **पीएफएमएस का राष्ट्रीय स्तर** पर क्रियान्वित करने का फैसला किया है।

❖ बैंक ने सभी शाखाओं में सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसएस) और किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी छोटी बचत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 02.07.2018 से प्राधिकरण प्राप्त किया है और जिसे एक समर्पित सॉफ्टवेयर और पीपीएफ एवं एसएसवाई के लिए ऑनलाइन विकल्प के जरिए भी कार्यान्वित किया गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक का मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (एचआरएमडी) आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण सतत योजना के माध्यम से श्रमशक्ति नियोजन, भर्ती, पदोन्नति, निष्पादन मूल्यांकन, कर्मचारी विकास/क्षमता निर्माण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बैंक, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सतत नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की क्षमताओं की पहचान करने, उसके पश्चात् उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन करने, उसे विकसित करने एवं उनकी प्रतिभा को उत्तरोत्तर बनाए रखने पर अधिक बल दे रहा है।

31.03.2019 को बैंक की श्रमशक्ति निम्नानुसार है

वर्ग	31.03.2018	31.03.2019
अधिकारी	17421	**17023**
लिपिक	11279	**10345**
अधीनस्थ कर्मचारी	3906	**4167**
सफाई कर्मचारी	2405	**2519**
कुल	**35011**	**34054**

बैंक के अंतर्गत शाखा एवं प्रशासनिक कार्यालयों में मौजूदा श्रमशक्ति, प्रस्तावित/अपेक्षित श्रमशक्ति, सेवानिवृत्ति, पलायन आदि को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण/मूल्यांकन किया जाता है।

भर्ती प्रक्रिया में आईबीपीएस, मुंबई द्वारा आयोजित पार्श्विक भर्ती और परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं लिपिकों की सामान्य भर्ती प्रक्रिया शामिल है।

''पहले ही दिन से तत्क्षण उत्पादक दृष्टिकोण के साथ'' से बैंक ने मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एमए जीई) बेंगलूरू और निट्टे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस नोएडा (निट्टे एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड-एनईआईपीएल) के सहयोग से रणनीतिक प्रतिभा विकास कार्यक्रम शुरू किया है । दोनों संस्थान अभ्यर्थियों को 12 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षित

❖ Bank has implemented Public Financial Management System (PFMS): PFMS is a financial reform initiative from Ministry of Finance (MoF), Govt. of India (GoI), to monitor the programme in the social sector and track the disbursement of Government Grant funds. GoI decided to undertake **National rollout of PFMS** to link all financial networks of Central, State Governments and the agencies of State Governments under this platform.

❖ Bank obtained authorization for implementation of Small Savings Schemes such as Public Provident Fund (PPF), Senior Citizen Savings Scheme (SCSS), Sukanya Samrudhi Scheme (SSS) & Kisan Vikas Patra (KVP) in all Branches and implemented w.e.f. 02.07.2018 with a dedicated software and also online option to PPF and SSY.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Human Resources Management Department (HRMD) of the Bank is playing vital role in manpower planning, recruitment, promotions, performance assessment, employee development/capacity building through in-house and external training, succession planning, etc.

Bank is giving more thrust to succession planning through identification of necessary competencies and then work to assess, develop and retain a talent pool of employees, in order to ensure continuity of leadership in all critical areas.

The Human Capital of the Bank as on 31.03.2019 is as under

Category	31.03.2018	31.03.2019
Officers	17421	**17023**
Clerks	11279	**10345**
Sub staff	3906	**4167**
Sweepers	2405	**2519**
Total	**35011**	**34054**

The analysis/assessment is being done by taking into account the existing manpower, proposed/required manpower at branches and administrative offices within the Bank, superannuation, attrition, etc.

The recruitment process include lateral recruitment and recruitment of probationary officers & clerks through the common recruitment process conducted by IBPS, Mumbai.

The Bank, with the objective of **"first day, first hour - productive"** has introduced strategic talent pipeline building programme in association with Manipal Global Education Services Pvt. Ltd. (MaGE) Bengaluru and NITTE Institute of Banking and Finance, Noida (NITTE Education International Private Limited-NEIPL). Both the Institutes will

करेंगे जिसमें 9 महीने के अकादमिक शिक्षण और शाखा में 3 महीने का प्रशिक्षण शामिल होगा। 12 महीने के प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समापन पर, इन प्रशिक्षुओं को बैंक के परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा की गई अधिकारियों/कार्यपालकों की भर्ती का विवरण नीचे दिखाया गया है

क्र. सं.	पद	नियुक्त /चयनित
1	सहायक महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)	01
2	कंपनी सचिव	01
3	पीजीडीबीएफ के माध्यम से परिवीक्षाधीन अधिकारी	335
कुल अधिकारी /कार्यपालक		**337**

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगों को आरक्षण

बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अ.जा./अ.ज.जा./अ पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगों के लिए लागू आरक्षण नीति का अनुपालन करता है तथा सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बैंक ने भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण/छूट को गंभीरता से लागू किया है।

प्रशिक्षण और विकास

बैंक विभिन्न प्रतिष्ठत शैक्षणिक/प्रबंधन संस्थानों जैसे साउर्दन इंडिया बैंकर स्टॉफ ट्रेनिंग कॉलेज, बेंगलूरु, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे, सीएएफआरएएल, मुंबई, आइडीआरबीटी, हैदराबाद, भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान मुंबई, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे आदि के माध्यम संगत कौशल क्षेत्रों पर अधिकारियों एवं कार्यपालकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है।

बैंक ने संवेदनशील क्षेत्रों और शाखाओं को संभालने के लिए पहचाने गए अधिकारियों के लिए, विशेष कार्यपालक विकास कार्यक्रमों जिनमें मुख्य रूप से गुणवत्ता ऋण विस्तारण पर कार्यक्रम की व्यवस्था की है, बैंक ने कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए खुदरा, एमएसएमई, प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण, ऋण एवं जोखिम प्रबंधन, विदेशी विनिमय इत्यादि विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रशिक्षण प्रणाली ने 531 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें 10419 अधिकारियों और 5021 कामगार कर्मचारीयों को शामिल किया गया।

उपर्युक्त आंतरिक्त कार्यक्रमों के अलावा, भारत में प्रतिष्ठा प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा बेहतर नेतृत्व कौशल पर आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 773 कामगार कर्मचारियों/अधिकारियों/कार्यपालकों को प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 5 कार्यपालकों/अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया था।

सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान(एसआईबीएम) और 8 प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। बैंक के प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा इस वर्ष में

train candidates for the period of 12 months consisting of 9 months' academic input and 3 months' internship in the Branch. On successful completion of 12 months training, these trainees will be absorbed as probationary officers of the Bank.

The details of recruitment of Officers/Executives made by the Bank during of the year 2018-19 is shown below

S.N.	Posts	Joined/Selected
1	Asst. General Manager (Risk Management)	01
2	Company Secretary	01
3	Probationary Officers through PGDBF	335
Total Officers/Executives		**337**

Reservation to SC/ST/OBC/EWS/PwBD

The Bank follows the reservation policy for SCs, STs, OBCs, EWS and PwBDs as prescribed by Government of India and state governments from time to time and has been extending applicable reservations/concessions to SC/ST/OBC/EWS/PwBD employees in recruitment/promotions strictly as per government guidelines.

TRAINING AND DEVELOPMENT

The Bank is extending training facilities to Officers and Executives on the relevant areas of skill-set through various reputed Educational/Management organizations such as Southern India Bankers Staff Training College, Bengaluru, National Institute of Bank Management Pune, CAFRAL Mumbai, IDRBT Hyderabad, Indian Institute of Banking and Finance Mumbai, College of Agricultural Banking, Pune, etc.

For the identified executives handling sensitive Regions and Branches, Bank has arranged Special Executive Development Programmes, primarily on Quality Credit Expansion. To bridge the skill gap, Bank conducted special training programmes on Retail, MSME, Priority Sector Lending, Credit & Risk Management, Foreign Exchange etc. During the year 2018–19, the training system has conducted 531 Internal Training Programmes covering 10419 Officers and 5021 Workmen Employees.

In addition to the above Internal Programmes, 773 Workmen/Officers/Executives were deputed to External Training Programmes conducted by various Training Institutes of Repute in India on finer leadership skills. Further 5 Executives/Officers were also deputed to overseas Training Programmes.

Syndicate Institute of Bank Management (SIBM) and 8 Training Centers spread across the country are catering to

8वां प्रशिक्षण केंद्र भापाल में खोला गया है । प्रशिक्षण नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में नियमित/पुनश्चर्या प्रशिक्षण/पदोन्नती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा कौशल विकास के लिए विविध कौशल विकास कार्यक्रम बैंक आयोजित किए गए।

ई-लर्निंग

बैंक ने विविध विषयों में 215+ माड्यूलों पर ई-लर्निंग प्रणाली कार्यान्वित की है। बैंक ई-लर्निंग माड्यूल के विकास में सहायता के लिए सेवानिवृत कार्यपालकों/अधिकारियों को नियोजित कर रहा है। कर्मचारियों के वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में भी ई-लर्निंग माड्यूल के माध्यम से सतत शिक्षा प्राप्त करने वालों को 10 अंक प्रदान करने की व्यवस्था है। इस माड्यूल को कर्मचारियों के लिए इंटरनेट एवं प्रॉक्सी सर्वर प्लैटफार्म में 24x7 उपलब्ध कराया गया है ताकि कर्मचारी निर्बाध शिक्षा प्राप्त कर सकें। कुल 18495 कर्मचारियों में से 687 कार्यपालक, 12813 अधिकारियों एवं 4995 लिपिकों ने ई-शिक्षण मॉडल में भाग लिया है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

बैंक द्वारा हिंदी के प्रयोग और प्रोत्साहन को विभिन्न रूपों में निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। यह केवल इसलिए नहीं कि यह भारत सरकार की नीति है बल्कि इसलिए भी कि यह समावेशी बैंकिंग के लिए एक आदर्श एवं शक्तिशाली माध्यम भी है। बैंक ने प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी आंतरिक वार्षिक कार्ययोजना जारी किया है।

आपके बैंक के 13 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं स्टाफ सदस्यों को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से राजभाषा शील्ड/पुरस्कार प्राप्त हुए।

बैंक की आंतरिक पुरस्कार योजनाएँ जैसे; क्षेत्रवार व्यक्तिगत कर्मचारियों को हिंदी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग करने हेतु पुरस्कार कंप्यूटर में हिंदी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग करने हेतु पुरस्कार और बैंक/अनुभाग स्तर पर शील्ड प्रतियोगिताएं/निबंध प्रतियोगिताएं प्रचलन में हैं।

हिन्दी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु, बैंक ने 3567 शाखाओं/कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट का ऑनलाइन भेजना सुनिश्चित किया गया है।

बैंक अनंतपुर, विजयपुर, कारवार, कण्णूर, मेरठ, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद, ओंगोल, बागपत, शिवमोग्गा, कामारेड्डी तथा संगारेड्डी एवं उडुपि में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजक है। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने हमारी रुद्र प्रयाग शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय कोयंबत्तूर, सूरत एवं नागरकोइल शाखा का क्रमशः दिनांक 03.05.18, 15.06.18, 24.10.2018 एवं 22.01.2019 को निरीक्षण किया तथा आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति ने दिनांक 08.12.2018 को क्षेत्रीय

the training needs of the employees, with the 8th being the TC opened at Bhopal during the year. For filling up the skill gap, various Skill Development Programmes have been conducted by the Bank's Training system during the year 2018–19 apart from regular Induction / Refresher Training/ Pre-promotion training Programmes as per the Training Policy.

E-Learning

Bank has implemented of E-learning system on various topics in 215+modules. Bank is engaging the Retired Executives/Officers for assisting in development of E-learning Modules. The employees Annual Performance Appraisal Report also carries a weightage up to 10 marks on continuous learning under e-learning Module, while making it available 24x7 through internet as well as proxy server, so as to enable the employees to learn uninterruptedly. A total number of 18495 employees including 687 Executives, 12813 Officers and 4995 Clerks have attempted the e-learning model.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has been displaying a strong and abiding commitment to encourage the greater use of Hindi in various ways not only because it is the policy of the Government of India but also as an ideal and powerful medium of inclusive banking. Bank issues Internal Annual OL implementation Action Plan.

Your Bank's 13 Regional Offices and staff members have received Rajbhasha Shields/Awards from respective Town Official Language Implementation Committees.

Bank's Internal Award Schemes like Cash Incentive Schemes for 'Excellent Performance in use of Hindi and Excellent performance in use of Hindi on Computers' for Region wise individual employees and also Bank level/ Branch level/Department level Shield Competitions/Essay Competitions' are in vogue.

Bank has notified 3567 branches/offices under Rule 10(4) of OL Rule, 1976 to ensure maximum usage of Hindi. Ensured online submission of quarterly Hindi Progress Reports of various Regional Offices to the concerned Regional Implementation Offices of MHA.

Bank is the convenor of Town Official Language Implementation Committees at Ananthapur, Bijapur, Karwar, Kannur, Meerut, Ghaziabad, Faridabad, Ongole, Baghpat, Shivamogga, Kamareddy & Sangareddy and Udupi. Official Language Implementation Committees were constituted in all the branches/offices for the effective implementation of Official Language.

The Third Sub Committee of the Committee of Parliament on Official Language inspected our Rudraprayag Branch, RO Coimbatore, Surat Branch and Nagercoil Branch

कार्यालय – II दिल्ली एवं दिनांक 16.02.2019 को थाणे नौपाड़ा शाखा के साथ राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी चर्चा की।

इसके अतिरिक्त, हमारे सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) द्वारा 18 क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण /दौरा किया गया। इस प्रकार के निरीक्षणों के द्वारा अप्रैल 2018 से अभी तक परिचालनगत स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सकारात्मक परिवेश का निर्माण किया जा सका।

ग्राहक सेवा

बैंक लगातार ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रहा है। बैंक का ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण भविष्य की व्यावसायिक क्षमता को आकार देने और ग्राहक आधार प्राप्त करने, बनाए रखने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है।

बैंक के पास ग्राहक सेवा, जमा, ग्राहक शिकायत निवारण, चेक संग्रहण, सेवा में विभिन्न प्रकार की कमियों के संदर्भ में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतियाँ हैं। सभी ग्राहकों की सुविधा हेतु बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध होने के अतिरिक्त ये बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों में आवधिक रूप से आयोजित बैठक में ग्राहक सेवा एवं ग्राहक शिकायत संबंधी विषयों पर चर्चा की जाती है जिसमें ग्राहकों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी सहभागिता के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ओजीआरएस पोर्टल में शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर, तद्द्वारा शिकायतों का निपटान सुलभतः करने के उद्देश्य से बैंक ने दिनांक 18.08.2015 से ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली का प्रवर्तन किया है।

ऑनलाइन शिकायत प्रणाली बैंक के वेबसाइट के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायतों की स्थिति को पता करना तथा बैंक की प्रतिक्रिया की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

बैंक शिकायतों पर उठाए जाने वाले मदों का अध्ययन संबंधित उत्पाद व सेवा के संदर्भ में निर्धारित आंतरिक दिशानिर्देशों, संवितरण मानकों और बीसीएसबीआई द्वारा जारी उचित आचरण संहिता के परिप्रेक्ष्य में करते हुए कमियों का आकलन करने का प्रयास करना शुरू किया है। कमी पाए जाने पर बैंक सीधा ग्राहक से संपर्क कर कमी को सुधारेगा और उन्हें बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार उन्हें योग्य क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

आंतरिक लोकपाल

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त दामोदरन समिति द्वारा दी गई सिफारिशों बैंक ने ग्राहकों का विश्वास स्तर बढ़ाने के लिए दिनांक 01.08.2015 को आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एक ईमानदार कॉर्पोरेट संस्था के रूप में, बैंक समाज के विभिन्न पहलूओं के सामाजिक/आर्थिक परिवर्तन और निचले वर्ग के उत्थान के उद्देश्य से जारी

respectively on 03.05.2018, 15.06.2018, 24.10.2018 & 22.01.2019 and The Drafting & Evidence Sub Committee of the Committee of Parliament on Official Language had discussion with our RO Delhi II on 08.12.2018 and Thane Naupada Branch on 16.02.2019.

In addition, 18 Regional Offices have been inspected/ visited by our AGM (OL) from OL implementation perspective. By such inspection we could create a positive environment of OL implementation at operational level during April 2018 to till date.

CUSTOMER SERVICE

Bank has been constantly striving hard to improve the customer service and making it a delightful banking experience for them. Bank's customer centric approach acts as a key component in shaping future business potential and also in acquiring, retaining and growing the customer base.

The Bank has policies duly approved by the Board on customer service, deposits, customer grievance redressal, cheque collection, compensation policy etc. These are displayed on the Bank's website for the convenience of the customers, besides being available at each branch of the Bank for the use of the customers.

Matters relating to customer service and customer complaints are discussed in the periodical meetings held at Banking Outlets/Regional Offices/Zonal Offices/ Corporate Office where senior citizen customers are also invited apart from other customers.

Bank has made online grievance redressal system live from 18.08.2015 for easy resolution of complaints where all the complaints are registered online in the OGRS portal.

The online grievance system provides for online registration of grievance through Banks website, it provides compliant status tracking and receiving response from the Bank. The system is running effectively.

Bank has initiated steps to study the issues raised in the complaint in light of the relevant internal guidelines on products and services, standards of delivery and BCSBI Fair practices code to ascertain the deficiencies. If any deficiency is observed, Bank will rectify the error and compensate the customer, as per the Bank's Compensation policy.

INTERNAL OMBUDSMAN

As per recommendation of the Damodaran Committee setup by Reserve Bank of India, our Bank has appointed Internal Ombudsman with effect from 01.08.2015 to enhance the customer confidence level.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

As a sincere Corporate Citizen, the Bank has been fulfilling its social responsibilities by actively participating in activities

गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कृत कुछेक सीएसआर गतिविधियों की जानकारी इस प्रकार है

- ❖ डॉ बी आर अंबेडकर की 127वीं जयंती के संदर्भ में कर्नाटक राज्य के मैसूरु प्रांत में स्थित सरकारी पाठशाला को वाटर प्यूरिफाइर का दान।
- ❖ अरियनकोड, कण्णूर, केरल में स्थित अनुसूचित जनजाति कॉलनी में पेय जल की व्यवस्था।
- ❖ अंबेडकर जयंती के संदर्भ में विजयपुरा, कर्नाटक में स्थित अनाथालय को इन्वर्टर बैटरी का दान।
- ❖ भारतीय विकास ट्रस्ट, शिवल्ली, उडुपि को कर्नाटक राज्य में महिलाओं के लिए उद्यमि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता।
- ❖ जीएलपीएस स्कूल, मरवंते के स्मार्ट क्लास हेतु एलसीडी प्रोजेक्टर प्रदान करना।
- ❖ कर्नाटक के कोरगा जाति के लोगों के लिए गृह निर्माण।
- ❖ राशिवनम, कामारेड्डी टाउन, निजामाबाद जिला, तेलंगाना में वृक्षारोपण।
- ❖ सरकारी उच्च माध्यमिक पाठशाला मोहाली, पंजाब को 'वाटर कूलर' का दान।
- ❖ म्हापुसा मुनिसिपल कॉउन्सिल-प्लॉस्टिक फ्री सिटी में क्लॉथ बैग का वितरण।
- ❖ स्वेच्छा गोरा आई बैंक, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश को एम्बुलेंस का दान।
- ❖ सरकारी मॉडल स्कूल, मोहाली पंजाब को पेय जल टैंक का दान
- ❖ संभल जिला, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण।
- ❖ कलिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशियल सर्विस, उड़ीसा को बालिकाओं के पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता।
- ❖ मन्नारगुडी मुनिसिपालिटी, मदुरै, तमिलनाडु को आईएचएचएल प्रदान करना।
- ❖ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित पाठशाला को वॉटर कूलर प्रदान करने और स्कूल के पुस्तकालय को पुस्तक प्रदान करना।

विपणन एवं शुल्क आधारित आय उत्पाद

बैंक में विपणन कार्यो को गति देकर बैंक द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न उत्पाद एवं सेवाओं से आय में वृद्धि करने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग से विपणन संप्रभाग है।

बैंक के कारोबार विकास की गति को बढ़ाने के लिए देश भर में 202 विपणन अधिकारी कार्यरत हैं।

कुछ उत्पादों तथा सेवाओं संबंधी जानकारी निम्न प्रस्तुत है:

बैंकाश्योरेंस

1. जीवन बीमा

- ❖ जीवन बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए कॉरपोरेट एजेंट के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैंक की कॉरपोरेट एजेंसी तालमेल

aimed at socio/economic transformation of various facets of society and upliftment of the downtrodden.

Some of the major contributions under Corporate Social Responsibility during the financial year 2018-19 are

- ❖ Donation of water purifier to govt. school at Mysuru on the occasion of 127th birth centenary of Dr. B. R. Ambedkar, Karnataka.
- ❖ Providing drinking water facility at Ariyancode Scheduled Tribe Colony, Kannur, Kerala.
- ❖ Providing an inverter battery to orphanage on the occasion of Ambedkar Jayanthi at Vijayapura, Karnataka.
- ❖ Financial assistance to Bharathiya Vikas Trust, Shivalli, Udupi for organising entrepreneurship training programmes for women, Karnataka.
- ❖ Providing LCD projector for smart class rooms for GLPS School, Maravanthe.
- ❖ Construction of houses for Koraga families, Karnataka
- ❖ Rashivanam, Planting of saplings/trees in Kamareddy Town, Nizamabad Dist., Telangana.
- ❖ Donation of water coolers to Govt. Senior Sec school, Mohali, Punjab.
- ❖ Mapusa Muncipal Council - Plastic Free City, Cloth Bag Distribution, Goa.
- ❖ Ambulance to SWETCHA GORA Eye Bank, Vijayawada, Andhra Pradesh.
- ❖ Drinking Water Tank facility at Govt. Model School at Mohali, Punjab.
- ❖ Construction toilets under Swachh Bharat Abhiyan in Sambhal Dist., Uttar Pradesh.
- ❖ Financial support to girl students for education, Kalinga Inst of Social Service, Orissa.
- ❖ Providing IHHL to Mannargudi Municipality, Madurai, Tamil Nadu.
- ❖ Providing water cooler and books to school library, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

MARKETING AND FEE INCOME PRODUCTS

Bank has a separate marketing vertical at Corporate Office and Regional Offices to accelerate marketing efforts to augment income from various products and services provided by Bank.

Bank's marketing setup is consisting of a team of 202 marketing officers spread across the country, with clear thrust on the business development.

A few of the products & services are briefed below:

BANCASSURANCE

1. Life Insurance

- ❖ Bank has a Corporate Agency tie-up with Life Insurance Corporation of India, as a Corporate

व्यवस्था है। जीवन बीमा कारोबार को संपन्न करने के लिए बैंक के पास 327 विशेषज्ञों की टीम है।

- ❖ बैंक, शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं को सामूहिक पॉलिसी के तहत जीवन बीमा कवर की सुविधा भी प्रदान करता है।
- ❖ बैंक दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक बेंगलूर सेंट्रल, बेंगलूर पश्चिम, कण्णूर तथा मदुरै जैसे चार क्षेत्रों में पीओसी आधार पर भारतीय स्टेट बैंक के जीवन बीमा उत्पादों का संवितरण करने के लिए एक कॉरपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के संबंध में एसबीआई लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी के साथ हाल ही में एक समझौता निष्पादित किया है।
- ❖ बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त कमीशन ₹8.51 करोड़ (एलआईसी पीएमजेजेबीवाई सहित) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹5.78 करोड़ (एलआईसी पीएमजेजेबीवाई सहित) का कमीशन अर्जित किया।

2. सामान्य बीमा

- ❖ अपने खाताधारकों के लिए सिंड आरोग्य (फैमिली-फ्लोटर लाभ के साथ समूह मेडिक्लेम सह निजी दुर्घटना बीमा) सहित सामान्य बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कॉरपोरेट एजेंसी तालमेल निष्पादित किया है ।
- ❖ सामान्य बीमा कारोबार से बैंक ने पिछले वर्ष के दौरान ₹13.56 करोड़ (यूआईआईसीओ पीएमएसबीवाई सहित) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹14.97 करोड़ (यूआईआईसीओ पीएमएसबीवाई सहित) का कमीशन अर्जित किया।

3. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं (पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई)

ए. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ गठजोड़ किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने कुल 63040 नई पीएमजेजेपीवाई पॉलीसी पंजीकृत की हैं। इसके साथ ही पॉलिसियों की कुल संख्या 611463 हो गई।

बी. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

बैंक ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत मृत्यु बीमा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीओ) के साथ गठजोड़ किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने कुल 124290 नई पीएमबीएसवाई पॉलीसी पंजीकृत की हैं। इसके साथ ही पॉलिसियों की कुल संख्या 2082019 हो गई है।

बैंकाश्योरेंस कारोबार का कुल आय पिछले वर्ष के ₹22.07 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान ₹20.55 करोड़ है। वर्ष 2018-19 के दौरान कारोबार के अंतर्गत जीवन बीमा कारोबार से ₹5.78 करोड़ तथा गैर जीवन बीमा कारोबार से ₹14.97 करोड़ प्राप्त हुआ।

Agent for distribution of Life Insurance Products. Bank has a team of 327 Specified Persons for soliciting life insurance business.

- ❖ Bank also offers life insurance cover under group policy to educational loan borrowers.
- ❖ Bank has recently tied up with SBI life insurance company as a Corporate agent for distribution of SBI life insurance products from 01.01.2019 to 31.12.2019 on POC basis in four regions viz. Bangalore central, Bangalore east, Kannur & Madurai.
- ❖ Bank earned commission of ₹5.78 crore (inclusive of LIC PMJJBY) during FY 2018-19 against a commission of ₹8.51 crore (inclusive of LIC PMJJBY) during FY 2017-18.

2. General Insurance

- ❖ Bank has a Corporate Agency tie-up with United India Insurance Company Limited (UIICO) for distribution of general insurance products, including Synd Arogya (a Group Mediclaim-Cum-Personal Accident Policy with family floater advantage) at competitive premium for its account holders.
- ❖ During the FY 2018-19, Bank has earned a commission of ₹14.97 crore (inclusive of UIICO PMSBY), compared to commission of ₹13.56 crore (inclusive of UIICO PMSBY) during the previous year, from general insurance business.

3. Social Security Insurance Schemes (PMJJBY & PMSBY)

a. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

Bank has tie-up with LIC of India for providing life insurance cover under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY). During FY 2018-19, Bank has enrolled 63040 fresh policies taking the total number of policies under PMJJBY to 611463.

b. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

Banks has tie-up with United Insurance Company Limited (UIICO) for providing accidental death insurance cover under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). During FY 2018-19, Bank has enrolled 124290 fresh policies taking the total number of policies under PMSBY to 2082019.

The total income from the Bancassurance Business during the year 2018-19 is ₹20.55 Crore as against ₹22.07 Crore in the previous year. Business in year 2018-19 comprises of ₹5.78 Crore from Life Insurance business and ₹14.97 Crore from Non Life Insurance business.

म्यूचुअल फंड (एमएफ)

एक वित्तीय सुपर मार्केट के रूप में कार्य करते हुए एक ही छत के नीचे विभिन्न वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए बैंक ने नौ अग्रणी आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है। सूचित बिक्री उपलब्ध कराने हेतु बैंक के पास 31.03.2019 की स्थिति में 513 एनआईएसएम (सीरीज–V–ए) प्रमाणित व्यक्ति एवं 326 ईयूआईएन अनुपालक स्टाफ हैं। म्यूचुअल फंड कारोबार से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹ 107.44 लाख के मुकाबले में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 92 लाख का कमीशन अर्जित किया।

नकद प्रबंधन सेवाएँ (सीएमएस)

प्राप्य एवं भुगतान खाते के कुशल प्रबंधन के लिए हमारा बैंक, कॉरपोरेट, निजी और विदेशी बैंकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद प्रदान करता है। बैंक, देश भर में सभी शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए सीएमएस सेवाएं प्रदान करता है। ऑटो डेबिट अधिदेश सुविधा और केंद्रीकृत चेक डेबिट सुविधाएँ दी जा रही हैं। लाभांश वारंट/ब्याज वारंट का भुगतान/डीडी आहरण व्यवस्था और रिमोट डीडी मुद्रण सुविधाएँ भुगतान के तहत प्रदान की जा रही हैं।

अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र (एएसबीए)

बैंक में एएसबीए (अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र) सुविधा का आरंभ अक्तूबर 2010 में किया गया। इस योजना का लक्ष्य आईपीओ/एफपीओ के माध्यम से शेयरों और बांड में निवेश करने में हमारे ग्राहकों की बोली की राशि की सीमा तक राशि अवरुद्ध करने की सुविधा प्रदान करना है।

निक्षेपागार सहभागी सेवाएँ

आपका बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी निक्षेपागार सहभागी के रूप में स्थायी रूप से पंजीकृत है। बैंक सीडीएसएल का एक निक्षेपागार भागीदार है। यह सुविधा, ग्राहकों को उनकी पूंजी बाजार प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ''सिंड-ई-ट्रेड'' ब्रांड नाम के तहत बैंक ने मेसर्स असित सी मेहता इनवेस्टमेंट के समन्वय के साथ 3–इन–1 खाता सह ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा शुरू की गई है। बैंक ने सिंड ट्रिनिटी के ब्रांड नाम के तहत 3–इन–1 खाता सह ऑनलाईन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए मेसर्स कोटक सिक्यूरिटी लिमिटेड के साथ करार किया है। इस सुविधा में कासा खाते, डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता शामिल है जो शेयर में ऑनलाइन ट्रेड करने के लिए कासा खाते में धन और डीपी खाते में डीमैट प्रतिभूतियों का उपयोग कर सीधी प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहकों को सक्षम बनाती है। आगे, बैंक इस प्रकार की सुविधा अन्य नामी प्रतिभूति विक्रेताओं के सहयोग से प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने नकद प्रबंधन एवं पूंजी बाजार परिचालन से ₹789.10 लाख का आय प्राप्त किया जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹632.95 लाख था।

Mutual Funds

Acting as a financial supermarket, offering various financial products under one umbrella, Bank has tied up with nine leading Asset Management Companies for distributing Mutual Fund products. As on 31.03.2019, the Bank had a team of 513 NISM (Series-V-A) Certified Persons and 326 EUIN compliant staff Bank facilitating informed selling. Bank earned commission of ₹92 lakh during FY 2018-19 against a commission of ₹107.44 lakh in FY 2017-18 from Mutual Fund business.

Cash Management Services (CMS)

The Bank offers a state-of-the-art technology driven products to corporate, private and foreign banks for efficient management of account receivables and payments. The Bank also offers CMS services to its clients through all branches across the country. Auto debit mandates facility and centralized cheque debit facilities are being offered. Payment of dividend warrants/interest warrants/DD drawing arrangement and remote DD printing facilities are being offered under payments.

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA)

The ASBA (Application Supported by Blocked Amount) facility was introduced in the Bank during October 2010. This scheme aims at providing the facility of blocking of amount to the extent of the bid amount of our customers investing in shares and bonds through the IPO/FPO.

Depository Participant Services

Your Bank is holding permanent registration as Depository Participant issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Bank is a Depository Participant of CDSL. This facility enables customers to keep their Capital Market Securities in electronic form. Your Bank provides 3-in-1 account cum on-line trading facility, in collaboration with M/s. Asit C Mehta Investment Intermediates Ltd., under the brand name "Synd-e-Trade". Bank has also entered into agreement with M/s Kotak Securities Ltd. for launching of 3-in-1 account cum on-line trading facility under the brand name "Synd-Trinity". The facility will comprise of the CASA account, demat account and trading account for enabling our customers to trade in shares online, using the funds in the CASA account and dematerialized securities in the DP account through the Straight through Process. Further Bank is also moving for tying up similar facility with better branded security dealers.

During FY 2018-19, Bank has earned an income of ₹789.10 lakh from Cash Management and Capital Market operations against an income of ₹632.95 lakh during FY 2017-18.

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

हमारे बैंक की 3481 शाखाएँ प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी-एसपी) के रूप में एनपीएस के दायरे के तहत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है ।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

देश के सभी नागरिकों, विशेषकर गरीब, वंचित वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु 1 जून, 2015 से भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की गई है । इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए कुल 3915 शाखाओं को एनपीएस लाइट संग्रह केंद्र (एनएलसीसी) के रूप में पंजीकृत किया गया है। एपीवाई के तहत एपीवाई में शामिल होने की आयु के अधीन अंशदानकर्ता 60 वर्ष की आयु में अपने अंशदान के आधार पर ₹1000/-प्रति माह से ₹5000/- प्रति माह तक की पेंशन, प्राप्त करेगा।

कार्ड कारोबार

सिंडिकेट बैंक ग्लोबल डेबिट कार्ड

बैंक ने अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड के माध्यम से 24x7 बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न भुगतान नेटवर्क के सहयोग से विभिन्न प्रकार के डेबिट कार्ड की शुरुआत की है। बैंक ने 29.03.2003 को वीजा तथा 22.06.2011 को मास्टर कार्ड (मेस्ट्रो ब्रांड) के सहयोग से ग्लोबल डेबिट कार्ड की शुरूआत की। दिनांक 20.10.2012 से बैंक उच्च मूल्य के लेनदेन की सीमावाले वीजा इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड जारी कर रहा है।

बैंक द्वारा वीजा/एनपीसीआई/मास्टर कार्ड के सहयोग से रुपे मुद्रा कार्ड, रुपे प्लेटिनम कार्ड, एईपीएस रुपे डेबिट कार्ड (आधार समर्थित), ओटीपी के माध्यम से ई-कॉमर्स लेन-देनों के लिए एनपीसीआई रुपे डेबिट कार्ड की शुरुआत की गई है।

बैंक ने विशेष रूप से एकल स्वामित्व, साझेदारी, निजी एवं सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लिए वीजा प्लैटिनम बिजनेस डेबिट कार्ड की शुरुआत की है। बैंक दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड आरंभ करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

बैंक ने ग्राहकों को सुरक्षित लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ईएमवी डेबिट कार्ड जारी करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश का पालन किया है। बैंक दिनांक 1 जनवरी, 2019 की स्थिति में सभी मैगस्ट्रिप (चुंबकीय पट्टी युक्त) कार्डों को बंद कर दिया है और केवल ईएमवी कार्ड जारी कर रहा है। बैंक ने दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में 79.98 लाख डेबिट कार्ड जारी किए हैं।

क्रेडिट कार्ड

बैंक, 20.10.2003 से वीजा इंटरनेशनल के सहयोग से गोल्ड और क्लासिक क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहा है जिनका प्रयोग एटीएम, बिक्री केंद्र टर्मिनल (पीओएस) तथा इंटरनेट में किया जा सकता है। बैंक ने दिनांक 31.03.2019 तक कुल 45722 क्रेडिट कार्ड जारी किया है। बैंक ने दिनांक 04.02.2015 से मेसर्स एटॉस वर्ल्डलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट कार्ड सेवाओं का संपूर्ण

New Pension System (NPS)

3481 branches of your Bank are registered with NSDL for offering various services under the scope of the NPS as Point of Presence – Service Provider (POP-SP).

Atal Pension Yojana (APY)

The Government of India introduced the Atal Pension Yojana (APY), with effect from 1st June, 2015, for creating a universal social security system for all Indians, especially the poor, the under-privileged and the workers in the unorganised sector. 3915 branches of your Bank have been registered as NPS Lite Collection Centers (NLCCs) to offer the services under this scheme to customers ranging from ₹1000 per month to ₹5000 per month, at the age of 60 years, depending on their contributions, which itself would vary on the age of joining the APY.

CARD BUSINESS

Syndicate Bank Global Debit Cards

Bank has launched various types of Debit Cards in association with various Payment Networks to provide 24x7 banking facility to its customers through Debit Cards. The Bank launched Global Debit Cards in association with VISA on 29.03.2003 and Master Card (Maestro Brand) on 22.06.2011. The Bank has been issuing VISA International Gold Debit Cards with higher transaction limits w.e.f. 20.10.2012.

The Bank has also launched the following new variants of Debit Cards in association with VISA/NPCI/Master Card: RuPay Mudra Cards, RuPay Platinum Cards, AEPS RuPay Debit Cards (Aadhaar enabled), NPCI's RuPay Debit Cards for e-commerce transactions through OTP.

The Bank has launched Visa Platinum Business Debit Card exclusively for Sole Proprietorship, Partnership, Private and Public Limited Companies. The Bank is in the process of launching Braille Debit Card for visually impaired persons.

For providing Secured Transaction experience to customers, the Bank has complied with RBI directions on issuing EMV Debit Cards. As on 1st January 2019, the Bank has blocked all its Magstripe Cards and issuing EMV Cards only. The Bank has issued 79.98 lakh EMV based debit cards as on 31.03.2019.

Credit Card

Bank, in association with VISA International, offers Gold and Classic Credit Cards which can be used at ATMs, Point-of Sale Terminals (POS) and Internet, w.e.f 20.10.2003. Bank has issued 45722 credit cards till 31.03.2019. Bank has entrusted end-to-end management of credit card services through M/s Atos Worldline India Pvt. Ltd. since

प्रबंधन कार्य सौंपा है । बैंक उच्च मालियत वाले व्यक्तियों हेतु एनपीसीआई के सहयोग से दि. 11.03.2019 को रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड का प्रवर्तन किया।

बैंक द्वारा पीओएस कारोबार

सभी बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल, वीजा/मास्टर/रूपे कार्ड संबंधी विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करते हैं तथा विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी प्रकार के कार्डों के लिए ईएमवी एवं पिन आधारित लेन-देन करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं।

बैंक ने दिनांक 31.03.2019 तक कुल 8453 बिक्री केंद्र टर्मिनल स्थापित किए थे, जिनमें से वर्ष के दौरान कुल 3709 टर्मिनल स्थापित किए गए। विभाग ने पीओएस मशीनों की मांग में वृद्धि और चालू खाता संविभाग को प्रोत्साहित करने के लिए दो नये पीओएस संबद्ध चालू खाता (सीए) उत्पाद की शुरूआत की है।

विभाग ने पीओएस टर्मिनल के परियोजना और उसे शीघ्र स्थापित करने के लिए एक फिनटेक कंपनी के साथ अनुबंध किया है। नयी व्यवस्था के अनुसार व्यापारियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने खाते सक्रिय करने की सुविधा प्रदान की है।

वितरण चैनल

एटीएम नेटवर्क

बैंक शाखाओं के अनुरोध पर एटीएम और बंच नोट ऐक्सेप्टर (बीएनए) उपलब्ध कर रहा है। बैंक ने दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में 4509 एटीएम और 472 बीएनए संचालित किया है। आपके बैंक के ग्राहक बीएनए का उपयोग करते हुए अपने खाते में या अन्य पक्षकार के खाते में नकद जमा कर सकता है।

इंटरनेट बैंकिंग

बैंक की दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में इंटरनेट बैंकिंग के 14.53 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन वेब इंटरफेस एप्लिकेशन को नवीकृत किया है। नेट बैंकिंग सुविधा को आसान बनाने के लिए यूआई/यूएक्स (उपयोगकर्ता अंतरापृष्ठ/उपयोगकर्ता अनुभव) को संवर्धित किया गया है। अब ग्राहक पारंपरिक ग्राहक-आईडी के बदले अपना विशिष्ट यूजरनेम चुन सकते हैं।

मोबाइल बैंकिंग

मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन काफी प्रचलित हो रहा है तथा दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में 22.29 लाख उपयोगकर्ता है। मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन सिंड स्वयं के माध्यम से बचत खाता एवं ऋण आवेदन के लिए लिंक के साथ उपलब्ध करायी गई है। मोबाइल एप्लिकेशन अपने उपयोगकर्ता को अब मीयादी जमा खाता और आवर्ती जमा खाता खोलने की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

एसएमएस बैंकिंग

खाताधारकों को अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य एसएमएस प्रेषित किए जाते हैं। अनिवार्य एसएमएस शुल्क रहित है तथा गैर अनिवार्य एसएमएस के लिए शुल्क लिया जाता है। बैंक के पंजीकृत एसएमएस बैंकिंग उपयोगकर्ता 111.26 लाख हैं।

04.02.2015. In Association with NPCI, Bank has launched Rupay Select Credit Card on 11.03.2019 for HNIs (High Net worth Individuals).

POS Business by the Bank

All POS terminals of the Bank comply with VISA / MasterCard / RuPay specified standards and are fully compliant to handle EMV and PIN based transactions for all types of cards issued by various banks.

As on 31.03.2019, Bank has installed 8453 POS terminals out of which 3709 terminals were installed during the year. The Bank has introduced two new POS linked CA products to increase demand for POS machines and boost Current Account portfolio.

The Bank has on-boarded a Fintech Company for deployment of POS terminals and for immediate installation. As per the new arrangement, the Merchants are facilitated to activate their account through a mobile app.

Delivery Channels

ATM Network

Bank is providing ATMs and Bunch Note Acceptors (BNA) to branches on their request. Bank has operationalized 4509 ATMs and 472 BNAs as on 31.03.2019. Your Bank customers can deposit cash into their accounts or third party accounts in our Bank using BNAs.

Internet Banking

Our Bank's Internet Banking has 14.53 Lakh registered users as on 31.03.2019. Bank has revamped the Internet Banking Application Web Interface Application. The UI/UX (User Interface/User Experience) has been enhanced to ease the Net-Banking experience. The customers now can choose his/her fancied username instead of the traditional Customer-ID.

Mobile Banking

Bank's Mobile Banking application is becoming more popular and is having a registered user base of 22.29 Lakh as on 31.03.2019. Mobile Banking application is provided with links to open SB account through Synd Swayam and to apply loans. The Mobile Application now extends to its users the facility to open Term Deposits and Recurring Deposits.

SMS Banking

Mandatory and non-mandatory SMSs are sent to customers. Mandatory SMSs are not chargeable whereas non-mandatory SMSs are chargeable. The registered SMS Banking users are 111.26 Lakh.

मिस्ड कॉल बैंकिंग

जो ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से बैंक के मिस्ड काल नंबर 9210332255 पर विनिर्दिष्ट संदेश भेज कर इस सेवा का उपभोग कर सकते हैं।

सफलतापूर्वक पंजीकरण के पश्चात् विशिष्ट नंबर पर मिस्ड काल करने पर ग्राहक अपने खाते का शेष जान सकते हैं ।दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में हमारे बैंक के मिस्ड कॉल बैंकिंग पंजीकृत उपयोगकर्ता 3.00 लाख हैं।

सिंड यूपीआई

सिंड यूपीआई (यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफेस) एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो खाताधारकों को आसान, सरल और त्वरित लेनदेन हेतु समर्थ करता है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या आधार संख्या अथवा खाता संख्या और आईएफएससी कोड का उपयोग कर सीधे एक बैंक से दूसरे बैंक में तत्काल भुगतान किया जा सकता है। बैंक में दिनांक 31.03.2019 की स्थिति तक 1.19 लाख उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं।

अनुपालन नीति

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति में स्पष्ट किया गया है कि आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के साथ-साथ अनुपालन कार्य, अभिशासन का एक अभिन्न अंग है। अनुपालन विभाग का नेतृत्व महाप्रबंधक श्रेणी के मुख्य अनुपालन अधिकारी करते हैं, जो बैंक के अनुपालन संबंधी कार्यों को देखते हैं और शीर्ष प्रबंधन को जोखिम अनुपालन के प्रबंधन में सहायता करते हैं।

उच्च अनुपालन मानक हेतु बैंक की वचनबद्धता को सुचारू बनाए रखने के साथ-साथ सुधार लाने के लिए अनुपालन प्रकार्य की नियमित समीक्षा की जाती है। अनुपालन नीति की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है और अर्जित अनुभव एवं उपयोगिता पहलू के आधार पर अपेक्षित संशोधन किया जाता है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण कक्ष (आरबीएस कक्ष)

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को एसपीएआरसी (जोखिम एवं पूंजी के निर्धारण के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम) कहा जाता है। एकल बिंदु समाकलन और भारतीय रिज़र्व बैंक को ट्रंच आंकड़े की प्रस्तुत के लिए बैंक में मई 2016 के दौरान आरबीएस कक्ष की स्थापना की गई। आरबीएस कक्ष ट्रांच 1, 1ए,1-बी (मात्रात्मक डाटा), ट्रांच II एवं ट्रांच III (मात्रात्मक डाटा) आरबीआई को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में यह कक्ष अनुपालन विभाग, कॉरपोरेट कार्यालय के साथ कार्य करती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

हमारे बैंक द्वारा अक्तूबर 2005 से इस अधिनियम के संगत प्रावधानों का कार्यान्वयन किया गया है। अधिनियम के तहत निर्धारित बैंक संबंधी सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिनियम के अंतर्गत बैंक के लिए अपील प्राधिकारी और विभिन्न स्तरों पर जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) एवं वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) पदनामित किए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को बैंक ने स्पष्ट किया है।

Missed Call Banking

Customers who wish to avail this facility may register their mobile number by sending specified text message from his registered mobile number to Bank's Missed call number 9210332255.

After successful registration, customer can get balance alert for their account by giving missed call to the specified number. Missed Call Banking registered users as on 31.03.2019 is 3.00 lakh.

Synd UPI

Synd UPI is a Mobile Application that facilitates customers to make simple, easy and quick payment transactions using Unified Payments Interface (UPI). Direct bank to bank payments can be made instantly using Virtual Payment Address or Aadhaar Number or Account Number and IFSC. The number of registrations with Bank is 1.19 Lakh as on 31.03.2019.

COMPLIANCE POLICY

Compliance policy approved by the Board of Directors of the Bank articulates that the compliance function is an internal part of governance along with the internal control and risk management process. The Compliance Department is headed by a Chief Compliance Officer. He oversees the compliance functions in the Bank and assists the top management in managing the compliance risk.

Continuing with the Bank's commitment to high compliance standards, compliance function is reviewed regularly for making improvements. The compliance policy is reviewed every year and amendments, if necessary, are carried out based on the experience gained and utility aspect.

Risk Based Supervision Cell (RBS Cell):

RBI's revised supervisory approach is called SPARC (Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital). RBS cell was formed in the Bank during May 2016 in order to be a single point collation, submission of Tranche data to RBI. RBS Cell ensures the submission of Tranche 1, 1A, 1B (quantitative data), Tranche II and Tranche III (qualitative data) data to RBI. At present the cell is attached to Compliance Department, Corporate Office.

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

Our Bank has implemented the relevant provisions of the Act with effect from October 2005. The information related to the Bank as stipulated under the Act is displayed in the Bank's website. The Appellate Authorities for the Bank under the Act and the PIOs and Alternate PIOs at various levels have been designated. The Bank has clearly spelt out the rules and responsibilities at different levels under the Act.

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

बैंक के पास बोर्ड अनुमोदित पूर्ण परिभाषित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति उपलब्ध है जिसके तहत जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा, विशेष लेखापरीक्षा, अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण (केवाईसी/एएमएल) अनुपालन, परोक्ष निगरानी, आंतरिक लेखापरीक्षा में सहायता हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध करना, प्रापण लेखापरीक्षा आदि आते हैं। वार्षिक आधार पर नीति की समीक्षा/अद्यतन किया जाता है।

आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहला बैंक है, जिसने सॉफ्टवेयर आधारित आरबीआईए क्रियान्वित किया है। 01.04.2018 से बैंक ने सॉफ्टवेयर आधारित संगामी लेखापरीक्षा को भी क्रियान्वित किया है। बैंक ने मौजूदा सॉफ्टवेयर का नए संस्करण में उन्नयन किया है जो शाखाओं/कार्यालयों के जोखिम रेटिंग हेतु अत्यधिक कारगर सिद्ध होगा। इस प्रकार जोखिम निर्धारण के आधार पर अनुपालन की दृष्टि से शाखाओं की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा।

सभी शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के साथ उच्च जोखिम क्षेत्र; जैसे: विशिष्ट शाखाएँ, कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग, विदेशी विनिमय संसाधन केंद्र (एफएक्सपीसी), निधि एवं निवेश प्रबंधन प्रभाग, पूँजी बाज़ार सेवाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कार्ड सेंटर, उच्च प्रमात्रावाली कारोबारी शाखाएँ आदि को जोड़ा गया है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (एएपी) को आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुरूप बनाया गया है जिसमें वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योजना की अनुसूची और सिद्धांत शामिल होते हैं।

इसी प्रकार लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग, पंजीकृत कार्यालय द्वारा सभी क्षेत्रीय एवं आंचलिक कार्यालयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए), कॉरपोरेट कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय एवं आंचलिक कार्यालय के सभी संचालित विभागों की वार्षिक प्रबंधन लेखापरीक्षा तथा 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की द्विवर्षीय प्रबंधन लेखापरीक्षा की जाती है। बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु और पंजीकृत कार्यालय मणिपाल विंग के सभी संचालित विभागों एवं आंचलिक कार्यालय की प्रबंधन लेखापरीक्षा का कार्य संपन्न किया है।

वर्ष के दौरान निरीक्षण प्रणाली के फील्ड स्तर के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण एवं पुनर्श्चर्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। आईएस लेखापरीक्षा टीम को आईबीडीआरटी, हैदराबाद द्वारा वीएपीटी प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। बैंक ने केवाईसी/एएमएल और परोक्ष निगरानी से जुड़े जेडआईसी के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

परोक्ष निगरानी कक्ष एवं केवाईसी/एएमएल कक्ष

बैंक के पास केवाईसी एवं एएमएल संबंधी उल्लंघनों की रोकथाम के लिए कारोबार क्षेत्र परिनिर्धारण नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, केवाईसी और एएमएल नीति उपलब्ध है। बैंक ने दैनिक आधार पर संवेदनशील लेनदेनों की निगरानी के लिए कॉरपोरेट कार्यालय, मणिपाल विंग में परोक्ष निगरानी कक्ष और आठ आंचलिक निरीक्षण केंद्रों में प्रत्येक में एक परोक्ष निगरानी कक्ष संबंधी ईकाई गठित किया है, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank has a well-defined, Board approved Comprehensive Internal Audit Policy (CIAP) covering RBIA, Information System Audit, Concurrent Audit, Credit Audit, Compliance Audit, Special Audit, Know Your Customer/ Anti Money Laundering (KYC/AML) Compliances, Offsite Monitoring, Empanelment of Retired Officers for assisting in internal audit, disputed seepage of income, procurement Audit etc. The policy is being reviewed/updated on annual basis.

Your Bank is the first Bank to implement software driven RBIA among all Public Sector Banks. Bank has also implemented the software driven concurrent audit w.e.f. 01.04.2018. Bank has upgraded the existing software module to a new version which will ensure more objective risk rating of branches/offices, so that special attention can be given to monitoring of branches from compliance angle, based on risk assessment.

The Risk Based Internal Audit (RBIA) of all the branches is supplemented with concurrent audit of branches having high volume business with special reference to advances, high risk areas like specialized branches, Treasury & International Banking Division, Foreign Exchange Processing Centers (FXPC), Funds and Investment Management Division, Capital Market Services, Dept. of Information Technology, Card CENTER, High Volume Business Branches etc.

The Annual Audit Plan (AAP), drawn in accordance with the Internal Audit Policy involves the schedule & rationale of the audits planned for the year.

Similarly, RBIA of all ROs and ZOs, bi-annual management audit of 3 Regional Rural Banks and annual management audit of all functional departments of Corporate Office and Registered Office and Zonal Offices is also being conducted by CO: A&ID Manipal. During the year 2018-19, Bank has completed Management Audit of 1 Regional Rural Bank and of all functional departments of Corporate Office, Registered Office, Bengaluru and Manipal wing and Zonal Offices.

Orientation and refresher training programmes were conducted for field level officials from Inspection system during the year. IS Audit Team was trained under VAPT certification by IBDRT, Hyderabad. Bank has also trained officials from all the ZICs who are handling KYC/AML and Offsite Monitoring.

Offsite Monitoring Cell and KYC/AML Cell

Bank has policy on Business Line Mapping, Fraud Risk Management Policy, KYC, and AML policies to prevent KYC and AML violations. Bank has created off-site monitoring cell at Corporate Office, Manipal wing and one OMC unit each at all the eight zonal inspection Centers to monitor sensitive transactions on a daily basis which serves as an early warning system.

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन कक्ष (एफआरएमसी)

एफआरएमसी, सीओ: परिचालन, मणिपाल विंग से सीपीपीआर (प्रदत्त दावे, लंबित वसूली) सहित सभी धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्तन करता है। यह आंतरिक जांच, स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण, विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ वसूली एवं समापन कार्य को भी सुनिश्चित करता है। यह कक्ष ₹1 करोड़/₹10 करोड़ से अधिक मूल्य के धोखाधड़ी मामलों को बैंक के बोर्ड की विशेष समिति/बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के सम्मुख आवश्यक कार्रवाई के लिए, विस्तृत नोट प्रस्तुत करता है। यह कक्ष वित्त मंत्रालय/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित पूछताछ एवं स्पष्टीकरण से संबंधित सूचना, आपराधिक कार्रवाई की प्रगति, आंतरिक जांच, कृत कार्रवाई को केन्द्रीय धोखाधाड़ी रजिस्ट्री सहित भा.रि.बैंक के डाटाबेस में रिपोर्ट/अद्यतन करता है। यह कक्ष न केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है बल्कि इसके पीछे छिपे कारकों की पहचान करके उन्हें संबंधित विभाग के साथ सुधारात्मक उपाय करने के लिए भी साझा करता है।

सतर्कता

बैंक में कर्मचारियों के बीच नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता प्रबंधन का मुख्य साधन है। बैंक सहित किसी भी संस्था के लिए सतर्कता अभिन्न अंग है। सतर्कता तंत्र का एक उद्देश्य निर्णय क्षमता और प्रभाविकता में वृद्धि करना है। सतर्कता विभाग प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने एवं विभिन्न स्तरों पर प्रणाली में सुधार संबंधी सिफारिश प्रस्तुत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

''मेरा विचार-भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' विचार के साथ 30 अक्तूबर से 4 नवंबर 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक कार्यालयों, शाखाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही, हमारे बैंक द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लोकसंपर्क गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान संस्था द्वारा लिए गए सतर्कता निवारक गतिविधियाँ

- कलैंडर वर्ष 2018 के दौरान 636 शाखाओं में निवारक सतर्कता अभ्यास का आयोजन किया गया और अभ्यास के अंतर्गत 1123 खातों में आकस्मिक निरीक्षण किए गए। बैंक के हित की रक्षा हेतु जहाँ कहीं भी क्रियाविधि संबंधी अनियमितताएँ पाई गईं वहाँ उनके ससमय सुधार हेतु शाखा/नियंत्रक कार्यालयों को अग्रेषित किया गया। जहाँ कहीं क्रियाविधि संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं वहाँ उस पर विस्तृत जाँच की गई /विषय को बैंक के लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को उनके स्तर पर आगे की कार्रवाई हेतु सौंपे गए।
- पूर्व एवं पश्च मंजूरी संबंधी समुचित सावधानी पर पुस्तिका का विमोचन किया गया तथा खुदरा अग्रिमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शाखाओं को प्रदान किया गया।
- जांचकर्ता अधिकारियों तथा शाखा प्राधिकारियों के लिए उच्च मूल्य वाले अग्रिमों (निधि आधारित) के पश्च स्वीकृति ऋण निगरानी पर एक जाँच सूची बनाई गई है।

Fraud Risk Management Cell (FRMC)

FRMC monitors and follows up of fraud cases including CPPR (Claims Paid Pending Recovery) related to frauds with CO; Operations, Manipal Wing. It also ensures conducting internal investigation, examination of staff accountability, Departmental action, and recovery is followed up and position is updated in the data base. The cell places detailed note for amounts of above ₹1 crore/₹10 crore before Special Committee of the Board/Government nominee Director on the board of the Bank for taking necessary action. The cell reports/updates RBI database including Central Fraud Registry, the progress related to criminal action, internal investigation and action taken and provides information related to queries and clarifications sought by Finance Ministry/RBI. The cell not only reports but also identifies the causative factors and share the same with respective departments for initiating corrective measures.

VIGILANCE

Vigilance function in a Bank is one of the Management's tools for upholding ethics among employees. Vigilance in any organization including the Bank is an integral part of the Management. One of the objectives of the Vigilance machinery is to enhance efficiency and effectiveness in decision making. Vigilance Department plays an active role in preventive measures to avoid misuse of systems, and suggesting systemic improvements at various levels.

The Vigilance Awareness Week was observed from 30th October to 4th November, 2018 with the theme **"My Vision-Corruption Free India".** As per the instructions received from the Commission, various activities were conducted at administrative offices, branches and RRBs. Also outreach activities were conducted by our Bank through all ROs and RRBs.

Preventive Vigilance initiatives taken by the organization during the year 2018-19

- Preventive Vigilance exercises were conducted in 636 branches and surprise inspection in 1123 accounts during the calendar year 2018. Whenever irregularities of procedural in nature observed matter is being referred to branch/controlling Offices for timely rectification to safeguard the interest of the Bank. Wherever irregularities of serious in nature observed the detail investigation was conducted/the matter is referred to the Audit & Inspection Department of the Bank for further action at their end.
- A booklet on pre and post sanction due diligence for each products/category of advances were released/ provided to branches for improving the quality of retail advances.
- A checklist on Post-Sanction Credit Monitoring of High Value Advances (Fund Based) has been prepared for the investigating Officials and branch officials.

स्टाफ सदस्यों/सामान्य जनता को अग्रचेतक नीति के तहत विभिन्न स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार/अनीतिगत कार्यों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए whistleblower@syndicatebank.co.in नामक एक समर्पित ई-मेल आईडी उपलब्ध कराई गई है। अग्रचेतक नीति के तहत स्टॉफ सदस्यों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक समर्पित टेलीफोन नंबर प्रदान किया गया है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान बैंक के औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण रहा, जिससे बैंक को कारोबार के समग्र विकास में सहायता मिली है। बैंक के यूनियन/संघ भी कॉरपोरेट लक्ष्य के प्रति संवेदनशील तथा सक्रिय रहे है।

पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान के विवरण निम्नानुसार है:

- ❖ बैंक को वर्ष 2018-19 के दौरान मुंबई में एनएफएस एटीएम नेटवर्क में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए एनपीसीआई से **''नैशनल पेमेंट एक्सेलेंस अवार्ड 2017''** प्राप्त हुआ।
- ❖ बैंक को वर्ष 2018-19 के दौरान नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल सोल्यूशन के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए **''स्कॉच अवार्ड – साइबर सेक्यूरिटी 2018''** प्राप्त हुआ।
- ❖ बैंक को वर्ष 2018-19 के दौरान साइबर सेक्यूरिटी परियोजना के अंतर्गत उच्चतम श्रेणी में अर्हता प्राप्त करने के लिए **''स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2018''** प्राप्त हुआ।
- ❖ बैंक को वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत बड़े बैंक की श्रेणी के लिए असोचाम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ❖ बैंक को असोचाम पुरस्कारों में बड़े बैंक की श्रेणी के तहत उत्कृष्ट सामाजिक बैंक–द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।
- ❖ बैंक को यूआईडीएआई द्वारा निम्नलिखित वर्गों में आधार श्रेष्ठता पुरस्कार प्राप्त हुए
  - ➢ कुल आधार सृजन एवं अद्यतन के लिए **उत्कृष्ट निष्पादक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक– तृतीय पुरस्कार**
  - ➢ औसतन आधार सृजन एवं अद्यतन के लिए **उत्कृष्ट निष्पादक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक– द्वितीय पुरस्कार**
  - ➢ आधार केंद्रों की स्थापना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि की उच्च प्रतिशतता हासिल करने के लिए **अचीवर्स अवार्ड– छठा पुरस्कार**

सुरक्षा

बैंक का सुरक्षा विभाग सभी शाखाओं, एटीएम, मुद्रा तिजोरियों तथा प्रशासनिक कार्यालयों को समय की मांग के आधार पर प्रभावी, सक्षम तथा उत्तरोत्तर बेहतर सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस प्रतिबद्धता के कारण विभाग को मई 2007 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ जिसका सितंबर 2010 में आईएसओ 9001:2008 के रूप में स्तरोन्नयन किया गया। 'अंतर्राष्ट्रीय मानक–2015' के रूप में मानकों में हुए परिवर्धन के परिणाम

A dedicated E-mail ID – whistle blower@syndicatebank.co.in – is provided to enable staff members/general public to file complaints relating to corruption/unethical practices at various levels under whistle blower policy. Telephone number for staff members is in place under Whistle Blower Policy.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the year industrial relations in the Bank has been cordial and harmonious facilitating all-round growth in the business of the Bank. The Unions/Associations have also been responsive and proactive to the corporate goals.

ACCOLADES AND AWARDS

The details of various awards and accolades received by your Bank during the year 2018-19 which have been mentioned as under.

- ❖ Bank has received ***"National Payments Excellence Awards 2017"*** from NPCI in recognition of excellent performance in NFS ATM Network at Mumbai during 2018-19.
- ❖ Bank has received ***"Skoch Award – Cyber Security 2018"*** for developing and implementing Network Access Control solution during 2018-19.
- ❖ Bank has been awarded ***"Skoch Order of Merit award 2018"*** for qualifying amongst the top ranking Cyber Security projects during 2018-19.
- ❖ Bank has been awarded ASOCHAM awards for FY 2017-18 under Large Bank Category during FY 2018-19.
- ❖ Bank has been awarded "Best Social Bank – 2nd runner up in ASSOCHAM awards under large Bank Category.
- ❖ Bank has been awarded Aadhaar Excellence Award by UIDAI under following categories
  - ➢ ***Best performing Public Sector Bank – 3rd Rank*** in terms of total Aadhaar Generation & Update.
  - ➢ ***Best performing Public Sector Bank – 2nd Rank*** in terms of average Aadhaar Generation & Update.
  - ➢ ***Achievers award – 6th Rank*** in highest percentage of Aadhaar Centers against targets.

SECURITY

The security department of the Bank is making constant efforts to provide effective, efficient and progressively better security services to all Branches, ATMs, currency chests and administrative offices based on real time needs. This commitment resulted in the department obtaining the ISO 9001:2000 Certification in May 2007 which was later in September 2010 upgraded to ISO 9001:2008. With the transition to 2015 International Standard, the Department was subjected to an extensive audit of its

स्वरूप विभाग की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) की व्यापक लेखापरीक्षा कर यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हुआ कि यह परिशोधित मानकों के अनुरूप है। इसके आधार पर सुरक्षा विभाग को दि.15.09.2016 से आईएसओ 9001:2015 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया। इस प्रकार विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के बीच आईएसओ 9001:2015 अनुपालन करने वाला पहला और एकमात्र सुरक्षा विभाग होने का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणीकरण वर्तमान में विभाग की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के आवधिक निगरानी लेखापरीक्षा के अधीन, 14 सितंबर 2019 तक मान्य है।

सिंड बैंक सर्विसेस लिमिटेड

सिंड बैंक सर्विसेस लिमिटेड (एसबीएसएल) की स्थापना दि. 25.01.2006 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सिंडिकेटबैंक, उसके ग्राहकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को बैक-ऑफिस सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से ₹10 करोड़ की प्राधिकृत पूँजी और ₹25 लाख की प्रदत्त पूंजी के साथ सिंडिकेटबैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में की गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं:

I. कंपनी, बैंक द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एसएमए उधारकर्ताओं को मासिक रूप से एसएमएस संदेश भेजने के अलावा खुदरा ऋणों के अनुवर्तन नोटिसों का मुद्रण करके मासिक आधार पर उसे भेजने का कार्य भी करती है।

II. सिंडिकेट बैंक एवं उसके द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा खरीदे गए कंप्यूटर हार्डवेयर की आईटी अधिकारियों द्वारा लदान पूर्व/लदानोत्तर परीक्षण इस बात की पुष्टि करने के लिए किया है कि आपूरित सामग्री संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा जारी क्रयादेश के अनुरूप है या नहीं ।

III. सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का मुद्रण व प्रेषण।

IV. कॉरपोरेट कार्यालय डीआईटी की ओर से इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा एटीएम निगरानी के लिए तथा कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के लिए कॉल डेस्क हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना। सिंडिकेटबैंक द्वारा स्थापित कॉल सेंटर में उपर्युक्त हेल्प डेस्कों को परिवर्तित करने के कारण एसबीएसल ने उपर्युक्त सभी हेल्प डेस्क को संसाधन उपलब्ध कराना बंद कर दिया।

V. बाह्यनियोजन के माध्यम से सिंडिकेटबैंक की ओर से बीडब्ल्यूएसएसबी शाखा, बेंगलूर के बीडब्ल्यूएसएसबी कियोस्क से नकदी व चेकों का संग्रहण करना और सीबीएस में अपलोड करने के लिए क्लियरिंग अपलोड करने योग्य फाइलों को तैयार करना ।

बोर्ड के निदेशानुसार, दि. 01.09.2018 से एसबीएसएल की सभी गतिविधियों को रोका गया। अब सिंडिकेटबैंक बोर्ड के निदेशों के अनुसार, सीओ आरबी एंड एमएसएमई विभाग ने एसबीएसएल की गतिविधियों को अग्रिम स्तर पर बेंगलूरु में आवास एवं अन्य खुदरा ऋण उत्पादों के विपणन करते हुए एसबीएसल की गतिविधियों को पुनर्संचालित किया गया। इसके अतिरिक्त, दूसरा कार्य, कॉल सेंटर का निर्माण करके खुदरा एवं एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत एसएमए तथा एनपीए खातों की अनुवर्ती कार्रवाई करना है।

Quality Management Systems (QMS) and was assessed to having conformed with the revised standards. Accordingly, the Security Department has been conferred with the ISO 9001:2015 Certification with effect from 15.09.2016. The Department has thus achieved the unique distinction of being the first and only Security Department among all the Public Sector Banks to become ISO 9001:2015 compliant. The Certification is currently valid till 14th September 2019 subject to periodic surveillance audits of the Department's Quality Management Systems.

SYNDBANK SERVICES LIMITED

Synd Bank Services Limited (SBSL) was incorporated under the Companies Act, 1956, on 25.01.2006, as a wholly owned subsidiary of SyndicateBank, with an authorized capital of ₹10 crore and paid up capital of ₹25 lakh to extend back-office services to Syndicate Bank, its clients and other financial institutions.

The company has undertaken the following activities during the year 2018-19:

I. The Company prints and dispatches retail loan follow up notices to SMA borrowers on monthly basis based on the data received from the Bank apart from sending SMS messages on monthly basis.

II. Pre-shipment/Post-shipment testing of computer hardware procured by SyndicateBank and RRBs sponsored by SyndicateBank and also of other public sector Banks/financial institutions by our IT officers to ensure that the hardware meets the specifications, as per the Purchase Order issued by the Banks/Financial institutions.

III. Printing & Dispatch of Internet Banking Passwords for customers of Syndicate Bank.

IV. Providing man power for manning help desk for Internet banking, Mobile banking and ATM monitoring on behalf of CO: DIT and call desk at State Level Bankers Committee (SLBC) at Corporate Office, Bengaluru. SBSL has stopped providing man power to the above help desks as all the help desks was moved to call CENTER set up by SyndicateBank.

V. Collection of Cheques and cash from BWSSB Kiosks spread across Bangalore city and preparing clearing up-loadable files on CBS system on behalf of Syndicate Bank, BWSSB Branch through outsourced model.

As per the Board directions, all the activities of SBSL were stopped with effect from 01.09.2018. Now under the instructions from Syndicate Bank Board, CO: RBU (Retail Business Unit) has been given directions to revive activities of SBSL by taking up marketing of Housing and other Retails loan products, initially on pilot basis in Bengaluru. Other job is to take up following up of SMA and NPA accounts under Retail & MSME sector by setting up call center.

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख मानदंडों के अंतर्गत इसकी निष्पादन विशेषताएं निम्नवत् हैं: (₹ लाख में)

विवरण	मार्च 2018	मार्च 2019
प्राधिकृत पूँजी	1,000	**1,000**
प्रदत्त पूँजी	25	**25**
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	1456	**1513**
अचल आस्तियाँ (निवल)	2	**1**
कुल आय	435	**183**
कर पूर्व लाभ	258	**78**
कर पश्चात् लाभ	187	**57**

निदेशक मंडल में परिवर्तन

1. श्री मृत्युञ्जय महापात्र ने दि. 21.09.2018 को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया है।
2. श्री अजय के खुराना ने दि. 20.09.2018 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया है।
3. डॉ संजय कुमार को दि. 05.04.2018 से भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया।
4. श्री कमल किशोर सिंघल को दि. 31.10.2018 को शेयरधारक निदेशक के रूप में चयन किया गया।
5. श्री मेलविन रेगो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी दि.13.08.2018 को अपनी अवधि पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए।
6. श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव, कार्यपालक निदेशक की दि. 20.09.2018 से इलाहाबाद बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति के कारण, कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवा समाप्त हुई।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी वक्तव्य

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष से संबंधित वार्षिक लेखों को तैयार करते समय निदेशक मंडल निम्नवत पुष्टि करते हैं;

यह कि, वार्षिक लेखा तैयार करते समय लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है तथा उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

यह कि, लेखाकरण नीतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और उनका निरंतर प्रयोग किया गया है।

यह कि, समुचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कारोबार तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ व हानि से संबंधित यथार्थ एवं स्पष्ट आकलन प्रस्तुत कर सकें।

यह कि, बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य प्रकार की विसंगतियों को रोकने व उसका पता लगाने के लिए उन्होंने भारत में बैंकों पर लागू होनेवाली विधि संबंधी उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों का रख-रखाव करने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

यह कि, वार्षिक लेखों को कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किया गया है।

The performance highlights under key parameters during the last three years is as under:

(₹ in lakh)

Particulars	March - 18	March -19
Authorised Capital	1,000	**1000**
Paid Up Capital	25	**25**
Reserves & Surplus	1456	**1513**
Fixed Assets (Net)	2	**1**
Total Income	435	**183**
Profit Before Tax	258	**78**
Profit After Tax	187	**57**

CHANGES IN THE BOARD

1. Shri Mrutyunjay Mahapatra has assumed charge as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank on 21.09.2018.
2. Shri Ajay K Khurana has assumed charge as Executive Director of the Bank on 20.09.2018.
3. Dr. Sanjay Kumar has been nominated as GOI Nominee Director, w.e.f. 05.04.2018.
4. Shri Kamal Kishore Singhal has been elected as Shareholder Director, w.e.f. 31.10. 2018.
5. Shri Melwyn O Rego, ceased to be Managing Director & Chief Executive Officer w.e.f. 13.08.2018 on completion of his tenure.
6. Shri CH S. S. Mallikarjuna Rao, ceased to be Executive Director, w.e.f. 20.09.2018 on his appointment as Managing Director & Chief Executive Officer of Alahabad Bank.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2019, confirm the following:

That the applicable accounting standards have been followed in the preparation of annual accounts along with proper explanation relating to making departures if any.

That the accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

That reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at the end of financial year and of the profit or loss of the Bank for the year ended March 31, 2019.

That proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

That the annual accounts have been prepared on a 'going concern' basis.

यह कि, सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु यथोचित प्रणाली बनाई गई है तथा ये प्रणाली पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल, भारत और विदेश के अपने मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारी सदस्यों और आम जनता से प्राप्त निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए आभार व्यक्त करता है और इसे अभिलेखित करता है।

निदेशक मंडल, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत में और विदेश के प्रतिनिधियों के प्रति भी समय-समय पर दिए गए उनके अटल एवं बहुमूल्य समर्थन व मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री मृत्युञ्जय महापात्र एवं बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त श्री अजय के खुराना का स्वागत करता है।

निदेशक मंडल, भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नामित तथा शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित क्रमशः डॉ संजय कुमार एवं श्री कमल किशोर सिंघल का स्वागत करता है।

निदेशक मंडल, श्री मेलविन रेगो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिन्होंने 13.08.2018 को अपनी सेवा पूर्ण की, को उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए कुशल मार्गदर्शन, नेतृत्व तथा समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव, कार्यपालक निदेशक जो इलाहाबाद बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए मूल्यवान योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 10.05.2019

(मृत्युञ्जय महापात्र)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालकअधिकारी

That proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENT

The Directors wish to place on record their sincere appreciation to the public, valuable customers, shareholders and staff members for their continued support and patronage in India and abroad.

The Directors are also indebted to the Ministry of Finance, Government of India, RBI, SEBI and other regulatory authorities, various Financial Institutions, Banks and Correspondents in India and abroad for their unflinching and valuable support and guidance from time to time.

The Board wishes to welcome Shri Mrutyunjay Mahapatra who has assumed charge as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank and Shri Ajay K. Khurana who has assumed charge as Executive Director of the Bank.

The Board also wishes to welcome Dr. Sanjay Kumar and Shri Kamal Kishore Singhal who have been nominated as GOI Nominee Director and as Shareholders' Director of the Bank respectively.

The Board expresses sincere gratitude to Shri Melwyn O Rego, Managing Director & Chief Executive Officer completed tenure on 13.08.2018 for his able guidance, leadership and support that he had provided during their tenure.

The Board also acknowledges the valuable contributions of Shri CH S. S. Mallikarjuna Rao during as Executive Director of the Bank and who has been appointed as Managing Director & Chief Executive Officer of Alahabad Bank.

For and on behalf of the Board of Directors.

Place : Manipal
Date : 10.05.2019

(Mrutyunjay Mahapatra)
Managing Director & CEO

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी कथन

बैंक की भविष्य-दृष्टि एवं लक्ष्य कथन दीर्घ कालिक कॉरपोरेट लक्ष्यों को साकार करने के साथ ही नये कारोबार जुटाने, ग्राहक सेवा में सुधार करने, भावी बाजार की संभवनाओं का अनुमान लगाने व इसे आँकने और इन अवसरों को दीर्घकालिक व्यवसाय लक्ष्यों में बदलने एवं इनका लाभ उठाने के लिए भी मार्गदर्शन करता है।

हमारी भविष्य-दृष्टि : 3 एस

✓ सुदृढ़ ब्रांड
✓ प्रसन्न हितधारक
✓ सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध

हमारा मूल्य-कथन : 4 एफ

✓ मैत्रीपूर्ण
✓ प्रगतिशील
✓ विश्वसनीय
✓ त्वरित

हमारा लक्ष्य : 5 सी

✓ संपूर्ण ग्राहक केंद्रित
✓ कर्मचारी हितैषी
✓ आधुनिक तकनीक
✓ निरंतर विकास
✓ व्यापक समाधान

2018-2019 के लिए कॉरपोरेट कार्यनीति

कारोबार स्तर, ग्राहक सेवा, अभिशासन एवं अनुपालन में सुधार और भावी लक्ष्यों को साकार करने एवं बदलते बाजार परिदृश्य के अनुमान के द्वारा बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए व अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रहने के लिए बैंक सावधानीपूर्वक कॉरपोरेट कार्यनीति के अनुसार कार्य कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के कारोबारी लक्ष्य हासिल करने तथा भविष्य की वृद्धि हेतु अवसर को पता लगाने के लिए अपनाई जानेवाली कार्यनीति पर विचार विमर्श करने के लिए बैंक ने 20 एवं 21 जनवरी 2019 को बेंगलूर में कार्यनीति संगोष्ठी का आयोजन किया।

2018-2019 के लिए कॉरपोरेट थीम

बैंक की कॉरपोरेट थीम ''एस्पायर'' है जिसे निम्नत: व्यक्त किया गया है:

ए – गुणवत्तायुक्त कारोबार हासिल करना
एस – धारणीय संवृद्धि
पी – संपूर्ण निष्पादन
आई – अभिशासन में सुधार
आर – दबावग्रस्त आस्तियों को कम करना
ई – उत्कृष्ट ग्राहक सेवा

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन में किए गए हरित पहल

प्रलेखों को ई-मोड से उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के साथ अपने ई-मेल आईडी रजिस्टर करने वाले सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 की सॉफ्ट प्रति भेजी जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 की एक प्रति बैंक की वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 की कागजी प्रतियाँ ऐसे सदस्यों को भेजी जाएगी जिन्होंने बैंक के साथ अपने ई-मेल आईडी रजिस्टर नहीं किए हैं।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

VISION & MISSION STATEMENTS

Bank has a Vision & Mission Statement which acts as a guiding force not only for pursuing long term corporate goals but also paving way to acquire new business, improving customer service, visualize and sizing future market potentials and converting these opportunities into a long term business goal and advantages.

Our Vision: 3 S:

✓ ***S****trong Brand*
✓ ***S****take Holder Delight*
✓ ***S****ocially Committed*

Our Value Statement: 4 F:

✓ ***F****riendly*
✓ ***F****orward Looking*
✓ ***F****aithful*
✓ ***F****ast*

Our Mission: 5 C:

✓ ***C****ustomer Centric in Everything*
✓ ***C****aring for Employees*
✓ ***C****ontemporary Technology*
✓ ***C****ontinuous Improvement*
✓ ***C****omprehensive Solutions*

CORPORATE STRATEGY FOR 2018-19

In order to improve the business level, customer service, governance and compliance and address the key issues with an anticipation of meeting future goals and changing market conditions, Bank is prudently pursing corporate strategies to be ahead in race of its rivals. Bank conducted Strategy Conclave on 20th & 21st of January, 2019 at Bengaluru to discuss the strategies to be adopted for achieving the business goals of FY 2018-19 and identify and realize opportunities for future growth.

CORPORATE THEME FOR 2018-19

The corporate theme of the Bank is "ASPIRE' which signifies as under:

A – Acquire Quality Business
S – Sustainable Growth
P – Perform 360 Degree
I – Improve Governance
R – Reduced Stressed Assets
E – Excellence in Customer Service

Green Initiatives in the Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs regarding service of documents by e-mode, soft copies of Annual Report 2018-19 of the Bank is sent to those members, who have registered their email IDs with M/s. Karvy Fintech Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank. Soft copy of Annual Report 2018-19 is placed on the website of the Bank www.syndicatebank.in.

Hard copies of Annual Report 2018-2019 will be sent to the members who have not registered his/her e-mail address with the company.

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार तथा केंद्र सरकार के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ 4/1/94-BO.I(1) दि. 03.04.1995 जोकि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) एवं वित्तीय संस्थान नियम (संशोधन) अधिनियम 2006 के तहत संशोधित है, में कथित नियमों का अनुपालन करते हुए किया गया है।

संप्रति, मंडल में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 1 गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक निदेशक यानी केद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा 2 कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, 1 सीए निदेशक, 2 नामित निदेशक तथा 2 निर्वाचित शेयरधारक निदेशक हैं। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर, सभी गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष निदेशक मंडल की अध्यक्षता करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक मंडल की अध्यक्षता करेंगे। बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश, कारोबार एवं कार्यों का प्रबन्धन बैंक के निदेशक मंडल में निहित है।

बैंक के निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन एवं श्रेणी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	निदेशक पद पर श्रेणी	धारा 9(3) की उप धारा के अंतर्गत	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री अजय विपिन नानावटी	बीएससी, रसायन अभियांत्रिकी	अंशकलिक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	खंड (एच)	22.08.2017
2.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	एमएससी (भौतिक विज्ञान), अडवांस डिप्लोपा इन मैनेजमेंट, सीएफपी, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फाइनेन्स, सीएआईआईबी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	खंड (ए)	21.09.2018
3.	श्री एस कृष्णन	एम.कॉम., आईसीएमए, सी.ए.आई.आई.बी.	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	01.11.2017
4.	श्री अजय के. खुराना	बीएससी, एमबीए	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	20.09.2018
5.	डॉ. संजय कुमार	एमए (आधुनिक भारतीय इतिहास), पीएचडी	भारत सरकार के नामिती निदेशक (केंद्र सरकार के अधिशासी)	खंड (बी)	05.04.2018
6.			भा.रि.बैं. के नामिती निदेशक (भा.रि.बैं. के पदाधिकारी)	खंड (सी)	01.07.2017 से रिक्त
7.			कामगार कर्मचारी निदेशक	खंड (ई)	04.09.2016 से रिक्त
8.			अधिकारी कर्मचारी निदेशक	खंड (एफ)	17.07.2016 से रिक्त
9.	श्री जयंत पी गोखले	बी.कॉम., एल.एल.बी., एफ.सी.ए.	सी.ए. निदेशक	खंड (जी)	30.08.2016
10.	सुश्री वन्दना कुमारी जेना	एम. ए. (राजनीति शास्त्र), विकास प्रशासन में स्नातकोतर	नामित निदेशक	खंड (एच)	25.04.2016
11	श्री जी रमेश	एम.ए.(अर्थशास्त्र) आई.आई.एम. के संकाय	नामित निदेशक	खंड (एच)	25.04.2016
12.			नामित निदेशक	खंड (एच)	01.02.2016 से रिक्त
13.	श्री सुनील वशिष्ठ	बी.कॉम., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	17.09.2016
14.	श्री कमल किशोर सिंघल	बी.कॉम., एम.ए., एल.एल.बी., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	31.10.2018

BOARD OF DIRECTORS

The Board has been constituted in accordance with section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as per the Central Government Gazette Notification No. F 4/1/94-BO.I(1) dated 03.04.1995 as amended vide Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006.

Presently the Board comprises of 1 Non-Executive Chairman, 3 whole time Directors - the Managing Director & Chief Executive Officer and the 2 Executive Directors, 1 Government Nominee Director, 1 CA Director, 2 nominee Directors, all appointed by Central Government and 2 elected Shareholder Directors. All the Directors of the Bank, except the Managing Director & Chief Executive Officer and the Executive Directors, are non-Executive Directors. The Chairman presides over the Board and in his absence, The Managing Director & Chief Executive Officer, and in his absence the senior most among the Executive Directors, presides over the Board. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank are vested with the Board of Directors of the Bank.

The present composition and category of the Board of Directors of the Bank are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Qualifications	Category of Directorship	Under sub-section of Section 9 (3)	Date of assuming office
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati	B. S. (Chemical Engg)	Part Time Non-Executive Chairman	Clause (h)	22.08.2017
2.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	M. Sc (Physics), Adv. Dip. in Mgmt., CFP, Dip. In Industrial Finance, CAIIB	Managing Director & Chief Executive Officer	Clause (a)	21.09.2018
3.	Shri S Krishnan	M.Com, ICMA, CAIIB	Executive Director	Clause (a)	01.11.2017
4.	Shri Ajay K Khurana	B. Sc, MBA	Executive Director	Clause (a)	20.09.2018
5.	Dr Sanjay Kumar	M. A. (Modern Indian History), Ph.D	Govt. Nominee Director (Official of Central Government)	Clause (b)	05.04.2018
6.			RBI Nominee Director (Official of RBI)	Clause (c)	Vacant from 01.07.2017
7.			Workmen Employee Director	Clause (e)	Vacant from 04.09.2016
8.			Officer Employee Director	Clause (f)	Vacant from 17.07.2016
9.	Shri Jayant P Gokhale	B.Com, LLB, F.C.A.	CA Director	Clause (g)	30.08.2016
10.	Smt Vandana Kumari Jena	M. A. (Pol Sc) Masters in Development Admn	NoD	Clause (h)	25.04.2016
11	Shri G Ramesh	M.A. (Econ). Fellow IIM	NoD	Clause (h)	25.04.2016
12.			NoD	Clause (h)	Vacant from 01.02.2016
13.	Shri Sunil Vashisht	B.Com, F.C.A	Shareholder Director	Clause (i)	17.09.2016
14.	Shri Kamal Kishore Singhal	B.Com., M.A., LLB, F.C.A	Shareholder Director	Clause (i)	31.10.2018

जिन निदेशकों ने 2018-19 के दौरान कार्यग्रहण किया है, उनका एक संक्षिप्त बॉयो-डेटा निम्न प्रस्तुत है:

श्री मृत्युञ्जय महापात्र:

श्री मृत्युञ्जय महापात्र, सिंडिकेट बैंक में दिनांक 21.09.2018 को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अपना कार्यग्रहण किया। श्री मृत्युञ्जय महापात्र को भौतिक विज्ञान एवं कारोबार प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है। आप भारतीय स्टेट बैंक में पिछले 35 सालों में देश और विदेश में कई सारी भूमिकाएं निभायी हैं। भारतीय स्टेट बैंक में आपने कॉरपोरेट ऋण, पट्टाकरण, वैश्विक कार्यनीति, भुगतान, लेन-देन, सामान्य प्रशासन एवं परिवर्तन कार्यक्रमों में विस्तृत रूप से कार्य किया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक (कार्यनीति) एवं मुख्य डिजिटल अधिकारी और सीआईओ के रूप में आपने देश के सबसे बड़े बैंक के एवं एसबीआई ग्रूप के आईटी, डाटा एवं अनालिटिक्स, इन्नोवेशन आदि विभागों का प्रभावी रूप से नेतृत्व किया। आपने कई भारतीय एवं वैश्विक कंपनियों के बोर्डों में भी कार्य किया। आप जाने माने वक्ता है और नियमित अंतराल पर देश के पत्र-पत्रिकाओं में लेख आदि लिखते है।

आपको लंबी दूर दौड़ना और लोगों को अभिप्रेरित करना पसंद है। आप वॉयलिन का भी शौक रखते हैं और हिंदुस्तानी शैली के संगीत में भी आप इसे बजा सकते हैं।

श्री अजय के खुराना:

श्री अजय के खुराना कार्यपालक निदेश के रूप में अपना कार्यभार दिनांक 20.09.2018 को ग्रहण किया। सीएआईआईबी के साथ कारोबार प्रबंधन में आपको स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है। यहां कार्यभार ग्रहण करने से पहले आप विजया बैंक में महा प्रबंधक थे। लेखापरीक्षा, एनपीए वसूली, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कॉरपोरेट ऋण विभाग आदि में इन्हें आपार अनुभव हासिल है। आपने विजया बैंक के परिचालन क्षेत्र में 17 साल और चार वर्ष क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्य किया।

डॉ संजय कुमार:

आप 2003 बैंक के भारतीय डाक एवं टेलिकाम लेखा एवं वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारी है। आपने वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में दिनांक 21.09.2017 को पदभार ग्रहण किए। इस विभाग में प्रवेश करने से पूर्व आप दूरसंचार विभाग में पदस्थ थे। वित्तीय सेवाएं विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के बाद आपने स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार, लाइसेंस वित्त एवं वैश्विक सेवा मांग निधि में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। आप भारत में स्पेक्ट्रम का प्रयोग करने के लिए सामर्थ्य युक्त माने जाने वालों के लिए प्रदेय एसयूसी प्रभावों में संशोधन करने के लिए गठित समिति के सदस्य थे। आपने वित्तीय सेवा विभाग में निदेशक (सतर्कता) के रूप में भी कार्य किया। आपने डाक विभाग में आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया और इस दौरान आपने आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं निदेशक (लेखा) के रूप में कार्य किया और वित्तीय सलाह लेखा बजट एवं आंतरिक लेखापरीक्षा से जुड़े कार्यों का प्रभावीपूर्वक निर्वहण किया। आप भारतीय एक्चुअरी संस्थान परिषद द्वारा गठित अनुशासनिक समिति के सदस्य भी है।

श्री कमल किशोर सिंघल:

श्री कमल किशोर सिंघल का चयन बैंक के शेयरधारकों में से (केंद्र सरकार को छोड़कर) निदेशक के रूप में तीन साल की अवधि के लिए 31 अक्तूबर 2018 से 30 अक्तूबर 2021 तक हुआ।

विधिक योग्यता के साथ आप वाणिज्य के स्नातक एवं सनदी लेखाकार है। आप कंपनी सचिव की इंटरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए है और आपने समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण हुए हैं। सन 1985 में आप प्रत्यक्षतः नियुक्त सनदी लेखाकार के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड में अपना कार्यभार ग्रहण किया और कंपनी के तरफ विभिन्न हैसियत से देश के विभिन्न स्थानों पर कार्य किए। आपने फिजी देश में स्थित कंपनी के विदेशी कार्यालय में प्रमुख कार्यों का निर्वहन किया। सन् 2008 से आप निगम के निवेश विभाग तरह तरह की भूमिकाएं निभाई है। जीवन बीमा निगम लिमिटेड में कार्यपालक निदेश (निवेश, जोखिम प्रबंधन एवं अनुसंधान) संविभाग का निर्वहन करने के साथ-साथ आप मुख्य जेखिम अधिकारी की भूमिका निभाये हैं। अधिवर्षिता प्राप्त करने पर भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड से आपकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.04.2018 को हुई।

A brief bio-data of directors who joined the Board in 2018-19 is given here below:

Shri Mrutyunjay Mahapatra:

Shri Mrutyunjay Mahapatra joined Syndicate Bank as MD & CEO on 21.09.2018. Mr. Mrutyunjay Mahapatra is a Post Graduate in Physics and Business Management. He had varied stints in State Bank of India, in the country and abroad for over 35 years. He has worked extensively in Corporate Credit, Leasing, Global Strategy, Payments, Transactions, General Management and Transformation Programmes at SBI. Till recently as the Deputy MD (Strategy) & Chief Digital Officer and CIO of State Bank of India, he has handled IT, Data and Analytics, Innovation of India's largest Bank and SBI Group. He has worked on Boards of several Indian and Global companies.

He is a well-known public speaker and regularly writes for leading newspapers and periodicals. He loves long distance running and mentoring. He is a violin enthusiast and plays in Hindustani Classical style.

Shri Ajay K Khurana:

Sri Ajay K Khurana joined Syndicate Bank as Executive Director on 20.09.2018. He is a Post graduate in Business Management with CAIIB. Before joining Syndicate Bank, he was serving as General Manager at Vijaya Bank. He has rich experience in Audit, NPA Recovery, International Banking, Operations, Information Technology Dept and Corporate Credit. He has served in field operations for 17 years and four years as Regional Head at Vijaya Bank.

Dr. Sanjay Kumar:

He belongs to 2003 batch of Indian Post & Telecom accounts and Finance Service. He has joined Department of Financial Service as Director on 21.9.2017. Prior to joining this Department, he was posted in Department of Telecommunication. In this Department, he dealt with the works related to Spectrum Usage Charges (SUC), License Finance and Universal Service Obligation Fund in various capacities. He was member of the committee constituted for revision of SUC for Captive users of Spectrum in India. He also worked as Director (Vigilance) in the Department. He has also worked in Department of Post as Internal Finance Advisor and Director Accounts, and dealt with the works related to Finance advice, Accounts, Budget and Internal audit. Presently, he is also member of disciplinary committee constituted by the Council of the Institute of Actuaries of India.

Shri Kamal Kishore Singhal:

Shri Kamal Kishore Singhal has been elected as a Director from amongst shareholders of the Bank (other than Central Government) for a period of three years from 31st October, 2018 to 30th October, 2021.

He is a Commerce Graduate and Chartered Accountant with Law qualification. He has also passed Company Secretary Intermediate and has done M. A in Sociology. He had joined LIC of India as Direct Recruit Chartered Accountant in 1985 and has worked in different capacities in various parts of the country. He has also held important assignment in Corporation's overseas office at FIJI. Since 2008 he was working in Investment department of Corporation in different capacities. Along with the portfolio of Executive Director (Investment- Risk Management & Research) he was also the Chief Risk Officer of the Life Insurance Corporation of India. He retired from the services of LIC of India on superannuation on 30.04.2018.

वर्ष 2018-2019 के दौरान, बोर्ड के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण:

कार्यक्रम की तारीख	प्रशिक्षण के आयोजक	सहभागिता करने वाले निदेशक	कार्यक्रम का विवरण
14 जून 2018	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	श्री जयंत पी गोखले, श्री के के सिंघल एवं श्री सुनील वशिष्ठ	इनस्पायर हॉल, होटल ली मेरिडियन दिल्ली में सनदी लेखाकार निदेशकों की संवादात्मक बैठक
18 जून 2018	मेसर्स सीएएफआरएएल, मुंबई	सुश्री वंदना कुमारी जेना तथा श्री सुनील वशिष्ठ	वाणिज्यिक बैंकों के निदेशक मंडल में नियुक्त गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए बैंकों की ऋण समितियों पर कार्यशाला
4 एवं 5 अक्तूबर 2018	मेसर्स आईडीआरबीटी, हैदराबाद	सुश्री वंदना के जेना	निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए आईटी पर दो दिन का प्रमाणीकरण कार्यक्रम
3 एवं 5 दिसंबर 2018	मेसर्स आईडीआरबीटी, हैदराबाद	श्री सुनील वशिष्ठ एवं श्री जयंत पी गोखले	निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए आईटी पर दो दिन का प्रमाणीकरण कार्यक्रम

निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन:

निदेशक मंडल की बैठक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के अनुसार सामान्यत: एक वर्ष में कम से कम 6 बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2018-2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में 12 बैठकें आयोजित की।

27.04.2018	15.05.2018	06.06.2018	27.06.2018	06.08.2018
12.09.2018	30-31.10.2018	19.11.2018	20.12.2018	07.01.2019
02.02.2019	22.02.2019	27.02.2019	02.03.2019	19.03.2019

निदेशक मंडल की बैठकों में मंडल के सदस्यों की पिछली वार्षिक आम बैठक, बैंक के मंडल की अन्य समितियों में उनकी सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों के रूप में उनकी साझेदारी इत्यादी के पूर्ण ब्यौरे निम्नवत् हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों में सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		बोर्ड	पिछली ए.जी.एम. 28.06.2018		
1.	श्री अजय विपिन नानावटी	15/15	उ	आरएमसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी, एनसी, आरसी	2
2.	श्री मेलविन ओ रेगो ^	05/05	अ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, बीआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, सीएमआर, सीडीटी, सीआरडीएनबीसीसी	1
3.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र$	09/09	–	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, बीआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, सीएमआर, सीडीटी, सीआरडीएनबीसीसी	1
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव#	06/06	उ	एसीबी, एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, एसटीसी, सीएमआर, एसएचआरसी, सीडीटी, बीआरसी	1
5.	श्री एस कृष्णन	15/15	उ	एसीबी, एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, एसटीसी, सीएमआर, एसएचआरसी, सीडीटी, बीआरसी	1
6.	श्री अजय के. खुराना ^ ^	09/09	–	एसीबी, एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, एसटीसी, सीएमआर, एसएचआरसी, सीडीटी, बीआरसी	1
7.	डॉ. संजय कुमार@	07/15	अ	एसीबी, आरसी, आईटीएससी, सीएमआर, एससीएमएफएफसी, सीडीटी	–

During the year 2018-2019, the details of the Training Programme attended by the Directors on the Board:

Date of Programme	Training conducted by	Directors attended	Programme attended
14th June 2018	The Institute of Chartered Accountants of India	Sri Jayant P Gokhale, Sri K K Singhal & Sri Sunil Vashisht	Interactive Meeting of CA Directors' Programme at Inspire Hall, Hotel Le Meridien, New Delhi
18th June 2018	M/s CAFRAL Mumbai	Ms Vandana Kumari Jena and Sri Sunil Vashisht	Workshop for Non-Executive Directors on Credit Committees of Banks on the Boards of Commercial Banks
4th & 5th October 2018	M/s IDRBT, Hyderabad	Ms Vandana K Jena	Two days programme Certification Programme in IT and Cyber Security for Board Members
3rd & 5th December 2018	M/s IDRBT, Hyderabad	Sri Sunil Vashisht & Sri Jayant P Gokhale	Two days programme Certification Programme in IT and Cyber Security for Board Members

CONDUCT OF BOARD MEETINGS:

The Meetings of the Board shall ordinarily be held at least 6 times in a year and at least once in a quarter in accordance with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. During the year 2018-2019 the Board held 12 meetings on the following dates:

27.04.2018	15.05.2018	06.06.2018	27.06.2018	06.08.2018
12.09.2018	30-31.10.2018	19.11.2018	20.12.2018	07.01.2019
02.02.2019	22.02.2019	27.02.2019	02.03.2019	19.03.2019

The details of the Board members at the Board meetings and last AGM, their membership in other Committees of the Board of the Bank and their association with other Companies as Directors are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 28.06.2018		
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati	15/15	P	RMC, SCMFFC, HRC, NC, RC,	2
2.	Shri Melwyn O Rego ^	05/05	A	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, BRC, CRDWDIC, CMR, CDT, CRDNBCC	1
3.	Shri Mrutyunjay Mahapatra$	09/09	--	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, BRC, CRDWDIC, CMR, CDT, CRDNBCC	1
4.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao#	06/06	P	ACB, MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, STC, CMR, SHRC, CDT, BRC	1
5.	Shri S Krishnan	15/15	P	ACB, MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, STC, CMR, SHRC, CDT, BRC	1
6.	Shri Ajay K Khurana ^ ^	09/09	–	ACB, MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, STC, CMR, SHRC, CDT, BRC	1
7.	Dr Sanjay Kumar@	07/15	A	ACB, RC, NC, ITSC, CMR, SCMFFC, CDT	-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों में सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		बोर्ड	पिछली ए.जी.एम. 28.06.2018		
8.	श्री जयंत पी गोखले	12/15	उ	एसीबी, एसटीसी, आरसी, आईटीएससी, एनसी, बीआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, सीसीबी	2
9.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	13/15	उ	एमसीबी, एनसी, सीएससी, एचआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, सीडीजीएमए, सीसीबी	–
10.	श्री जी रमेश	14/15	उ	आरएमसी, सीडीटी, आईटीएससी, सीडीजीएमएसए, एनसी, सीआरडीएनबीसीसी, बीआरसी, सीसीबी, एसीबी	1
11.	श्री सुनील वशिष्ठ	15/15	उ	एसटीसी, एचआरसी, एसएचआरसी, एससीएमएफएफ, सीआरडीएनबीसीसी, सीएमआर, सीडीजीएमएसए, सीसीबी	4
12.	श्री कमल किशोर सिंघल%	09/15	उ	एमसीबी, आरएमसी, एसएचआरसी, सीएससी, एसटीसी, आरसी	–

* कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 के अनुसार
^ - दिनांक 13.08.2018 को कार्यकाल पूरे किए
$-दिनांक 21.09.2018 को पदग्रहण किए
#- दि. 20.09.2018 को पदोन्नति पर इलाहाबाद बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदग्रहण किए
^ ^-दिनांक 20.09.2018 को पदग्रहण किए
@-दिनांक 05.04.2018 को भारत सरकार द्वारा नामित किए
%-दिनांक 31.10.2018 को शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित

उ	–	उपस्थित	अ	–	अनुपस्थित
एमसीबी	–	मंडल की प्रबंधन समिति	एसीबी	–	मंडल की लेखा परीक्षा समिति
सीडीटी	–	डिजिटल लेन-देन के लिए मंडल की समिति	बीआरसी	–	कारोबार समीक्षा समिति
आरएमसी	–	जोखिम प्रबंधन समिति	एसएचआरसी	–	शेयरधारक संपर्क समिति
एनसी	–	नामांकन समिति	आरसी	–	पारिश्रमिक समिति
एससीएमएफएफसी	–	कपटपूर्ण मामलों की जांच एवं अनुवर्तन के लिए विशेष समिति	सीएससी	–	ग्राहक सेवा समिति
एसटीसी	–	शेयर अंतरण समिति	आईटीएससी	–	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
एचआरसी	–	मानव संसाधन समिति	सीएमआर	–	वसूली निगरानी समिति
सीसीबी	–	मंडल की क्षतिपूर्ति समिति			
सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी	–	इरादतन चूककर्ता पहचान समिति के निर्णय की समीक्षा हेतु समिति			
सीआरडीएनबीसीसी	–	गैर-सहकारी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण समिति के निर्णय की समीक्षा हेतु समिति			
सीडीजीएमएसए	–	महा प्रबंधकों की अपीलों के निपटान के लिए मंडल की समिति			

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एम.सी.बी.):

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी) का गठन भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.4/1/86/बी.ओ.आई. (1) दिनांक 11.07.1986 के अनुसार की गई थी और भारत सरकार द्वारा उनके परिपत्र सं.एफ.सं.4/1/94 - बीओआई (i) दिनांक 10.11.1995 के जरिए सूचित किए गए अनुसार उसका पुनर्गठन किया गया । आगे, भारत सरकार ने भा.रि.बैं. के साथ परामर्श करके 'योजना 1970' में संशोधन किया जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) (संशोधन) योजना, 2007 कहा गया और जिसे दि. 08.03.2007 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। प्रबंधन समिति, ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने, धोखाधड़ी संबंधी मामलों में ऋणों का एक बारगी निपटान सहित समझौता निपटान करने, प्रस्तावों का अपलेखन करने, राजस्व व्ययों का अनुमोदन देने, परिसर और भवनों का अधिग्रहण और किराये पर देने, दावा/अपील दायर करने, निवेश, अंशदान अन्य मामले जो बोर्ड द्वारा समिति को सौंपे जाते हैं/प्रत्यायोजित किए जाते हैं, के संबंध में अपनी सभी अधिकारों का प्रयोग करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 12 बैठकें आयोजित की गई:

26.04.2019	14.05.2018	31.05.2018	28.06.2018	21.07.2018
24.08.2018	16.10.2018	17.11.2018	19.12.2018	01.02.2019
21.02.2019	18.03.2019	–	–	–

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 28.06.2018		
8.	Shri Jayant P Gokhale	12/15	P	ACB, STC, RC, ITSC, NC, BRC, CRDWDIC, CCB	2
9.	Smt. Vandana Kumari Jena	13/15	P	MCB, NC, CSC, HRC, CRDWDIC, CDGMsA, CCB	-
10.	Shri G Ramesh	14/15	P	RMC, CDT, ITSC, CDGMsA, NC, CRDNBCC, BRC, CCB, ACB	1
11.	Shri Sunil Vashisht	15/15	P	STC, HRC, SHRC, SCMFF, CRDNBCC, CMR,CDGMsA, CCB	4
12.	Shri Kamal Kishore Singhal%	09/15	P	MCB, RMC, SHRC, CSC, STC, RC	-

* As per section 184 of Companies Act, 2013
^-Tenure completed on 13.08.2018
$-Assumed charge on 21.09.2018
#-assumed charge as MD&CEO of Allahabad Bank on promotion w.e.f. 20.09.2018
^ ^-assumed charge w.e.f. 20.09.2018
@-nominated by GOI w.e.f. 05.04.2018
%-Re-elected as Shareholder Director w.e.f. 31.10.2018

P - Present
MCB - Management Committee of the Board
CDT - Committee of the Board for Digital Transactions
SHRC - Stake Holders Relationship Committee
SCMFFC - Special Committee for Monitoring & Follow up of Fraud Cases
CSC - Customer Service Committee
ITSC - Information Technology Strategy Committee
CCB - Compensation Committee of Board
A - Absent
ACB - Audit Committee of the Board
BRC - Business Review Committee
RMC - Risk Management Committee
NC - Nomination Committee
RC - Remuneration Committee
STC - Share Transfer Committee
HRC - Human Resources Committee
CMR - Committee for Monitoring Recovery
CRDWDIC - Committee for Reviewing Decision of Willful Defaulters Identification Committee
CRDNBCC - Committee for Reviewing Decision of Non-Cooperative Borrowers Classification Committee
CDGMsA - Committee of Board for Disposal of GMs Appeals

MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD (MCB):

The Management Committee of the Board was constituted in terms of Govt. of India Notification No. F 4/1/86.BO.I (I) dated 11.07.1986 and was reconstituted as advised by Govt. of India vide their Notification No. F No. 4/1/94-BO.I (i) dated 10.11.1995. Further Government of India after consultation with the RBI made the Scheme to amend the 'Scheme 1970' called Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme 2007, read with corrigendum dated 08.03.2007. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of sanctioning of credit proposals, compromise settlement of loans including OTS in case of Fraud cases, write off proposals, approval of capital & revenue expenditure, acquisition & hiring of premises, filing suits/appeals, investments, donations and any other matter referred to / delegated to the Committee by the Board.

During the year, the Committee met 12 times during the year on the following dates:

26.04.2019	14.05.2018	31.05.2018	28.06.2018	21.07.2018
24.08.2018	16.10.2018	17.11.2018	19.12.2018	01.02.2019
21.02.2019	18.03.2019	-	-	-

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	06/06
2.	श्री मेलविन ओ रेगो	05/05
3.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	05/06
4.	श्री एस कृष्णन	12/12
5.	श्री अजय के. खुराना	06/06
6.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	07/10
7.	श्री जी रमेश	06/06
8.	श्री कमल किशोर सिंघल	03/04
9.	श्री सुनील वशिष्ठ	04/04

निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति (ए.सी.बी.):

परिपत्र डीओएस सं. बीसी 14 एडीएमएन/919/ 16.13.100-95 दिनांक 26 सितंबर, 1995 भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया, जो बैंक में संपूर्ण लेखा परीक्षा परिचालन हेतु निदेश देने के साथ-साथ उसकी निगरानी भी करती है, जिसमें संगठन, परिचालनीकरण और आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा एवं आरबीआई निरीक्षण पर अनुप्रवर्तन आदि कार्यों को करती है । बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक की आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है और बैंक की वित्तीय जानकारी की रिपोर्टिंग प्रणाली एवं प्रकटीकरण संबंधी मामलों की पर्यवेक्षण करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि बैंक वित्तीय विवरणी सहीं, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है । यह विशिष्ट एवं असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 8 बैठकें आयोजित की गईं:

27.04.2018	14.05.2018	27.06.2018	06.08.2018	18.08.2018
30-31.10.2018	23.11.2018	02.02.2019	-	-

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री जयंत पी गोखले	08/08
2.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव- विशेष आमंत्रित	03/05
3.	श्री एस कृष्णन	08/08
4.	श्री अजय के. खुराना - विशेष आमंत्रित	03/03
5.	डॉ संजय कुमार	04/08
6.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	01/02
7.	श्री जी रमेश	01/02
8.	श्री सुनील वशिष्ठ	04/04

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. बीपी. 520/21.04.103/2002-03 दिनांक 12 अक्तूबर 2002 में कथित निदेशानुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में जोखिम प्रबंधन पद्धति के सफल कार्यान्वयन हेतु बोर्ड की ''जोखिम प्रबंधन समिति'' का गठन किया है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 7 बैठकें आयोजित की गईं :

14.05.2018	06.06.2018	26.06.2018	12.09.2018
19.11.2018	07.01.2019	19.03.2019	-

The members of the Management Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	06/06
2.	Shri Melwyn O Rego	05/05
3.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	05/06
4.	Shri S Krishnan	12/12
5.	Shri Ajay K Khurana	06/06
6.	Smt Vandana Kumari Jena	07/10
7.	Shri G Ramesh	06/06
8.	Shri Kamal Kishore Singhal	03/04
9.	Shri Sunil Vashisht	04/04

AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB):

The Audit Committee of the Board was constituted as per the instructions /guidelines issued by Reserve Bank of India vide circular DOS No. BC 14 Admn/919/ 16.13.100-95 dated September 26, 1995 to provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank which includes the organising, operationalising and quality of Internal Audit and Inspection within the Bank and follow up of the statutory/external Audit of the Bank and Inspection of RBI. The ACB reviews the internal Inspection/Audit function in the Bank as also the oversight of the financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible. It also reviews the inspection reports of specialized and exceptionally large Branches and also Branches with unsatisfactory ratings.

The Committee met 8 times during the year on the following dates:

27.04.2018	14.05.2018	27.06.2018	06.08.2018	18.08.2018
30-31.10.2018	23.11.2018	02.02.2019	-	-

The details with regard to the members of the Audit Committee of the Board and their attendance at the meetings are as given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Jayant P Gokhale	08/08
2.	Shri CH SS Mallikarjuna Rao-Special Invitee	03/05
3.	Shri S Krishnan	08/08
4.	Shri Ajay K Khurana-Special Invitee	03/03
5.	Dr Sanjay Kumar	04/08
6.	Smt Vandana Kumari Jena	01/02
7.	Shri G Ramesh	01/02
8.	Shri Sunil Vashisht	04/04

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC):

In terms of RBI guidelines on Credit Risk Management and Market Risk Management vide letter No. BP. 520/21.04.103/2002-03 dated October 12, 2002, the Board of Directors of the Bank constituted "Risk Management Committee" of the Board for successful implementation of proper Risk Management Systems in the Bank.

During the year the Committee held 7 meetings on the following dates:

14.05.2018	06.06.2018	26.06.2018	12.09.2018
19.11.2018	07.01.2019	19.03.2019	-

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अजय विपिन नानावटी	07/07
2.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	03/03
3.	श्री मेलविन ओ रेगो	03/03
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	04/04
5.	श्री एस कृष्णन	07/07
6.	श्री अजय के. खुराना	02/03
7.	श्री जी रमेश	05/07
8.	श्री कमल किशोर सिंघल	05/07

धोखाधड़ी मामलों की निगरानी एवं अनुप्रवर्तन हेतु विशेष समिति (एससीएमएफएफसी):

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं.डीबीएस.एफजीवी(एफ) सं.1004/23.04.01ए/2003-2004 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने ₹1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के ‘‘कपटपूर्ण मामलों की निगरानी एवं अनुप्रवर्तन हेतु विशेष समिति’’ का गठन किया है।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

14.05.2018	12.09.2018	19.11.2018	22.02.2019

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अजय विपिन नानावटी	04/04
2.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	02/02
3.	श्री मेलविन ओ रेगो	01/01
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	02/02
5.	श्री एस कृष्णन	04/04
6.	श्री अजय के. खुराना	02/02
7.	डॉ संजय कुमार	01/04
8.	श्री सुनील वशिष्ठ	04/04

हितधारक संपर्क समिति (एसएचआरसी):

निदेशक मंडल ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) 2015 विनियमन की विनियमन सं. 20 में कथित निदेशों का अनुपालन करते हुए शेयरधरकों एवं निवेशकों की शिकायतों जैसे शेयरों का हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, लाभांश वारंट न मिलना, आदि का निपटान व समाधान करने के लिए हितधारक संपर्क समिति का गठन किया है।

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें निम्नांकित तारीखों को हुई:

26.04.2018	02.02.2019

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री सुनील वशिष्ठ	02/02
2.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	01/01
3.	श्री एस कृष्णन	02/02
4.	श्री अजय के. खुराना	01/01
5.	श्री कमल किशोर सिंघल	02/02

The members of the Committee and their attendance at the meetings is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati	07/07
2.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	03/03
3.	Shri Melwyn O Rego	03/03
4.	Shri CH SS Mallikarjuna Rao	04/04
5.	Shri S Krishnan	07/07
6.	Shri Ajay K Khurana	02/03
7.	Shri G Ramesh	05/07
8.	Shri Kamal Kishore Singhal	05/07

SPECIAL COMMITTEE FOR MONITORING AND FOLLOW UP OF FRAUD CASES (SCMFFC):

In terms of RBI circular No.DBS.FGV(F) No. 1004/23.04.01A/2003-2004 dated 14.01.2004, the Board of Directors of the Bank constituted "Special Committee for Monitoring and Follow up of Fraud Cases" involving amount of ₹1 Crore and above.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

14.05.2018	12.09.2018	19.11.2018	22.02.2019

The members of the Committee and their attendance at the meeting is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati	04/04
2.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	02/02
3.	Shri Melwyn O Rego	01/01
4.	Shri CH SS Mallikarjuna Rao	02/02
5.	Shri S Krishnan	04/04
6.	Shri Ajay K Khurana	02/02
7.	Dr Sanjay Kumar	01/04
8.	Shri Sunil Vashisht	04/04

STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (SHRC):

In terms of Regulation no. 20 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 Regulations, of the Listing Agreement Stakeholders Relationship Committee" of the Board was constituted, specifically to look into redressing shareholder and investor complaints/grievances like transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of dividend warrants etc.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

26.04.2018	02.02.2019

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Sunil Vashisht	02/02
2.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	01/01
3.	Shri S Krishnan	02/02
4.	Shri Ajay K Khurana	01/01
5.	Shri Kamal Kishore Singhal	02/02

वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों से 671 शिकायतें/परिवाद/प्रश्न प्राप्त हुए तथा सभी शिकायतों/परिवादों/प्रश्नों को ध्यान में लिया गया तथा उनका समाधान कर दिया गया । 31.03.2019 की स्थिति तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं रही। इनमें से एक भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि तक लंबित नहीं रहा है। दि. 31.03.2019 की स्थिति में स्थानांतरण हेतु कोई भी शेयर लंबित नहीं है ।

अनुपालन अधिकारी

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के विनियम 6 (1) के अनुसार श्री संतोष कुमार बारीक, बैंक के कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्स्चेंजों के सूचीकरण करार, कंपनी के रजिस्ट्रार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन करने तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया की निगरानी करने वाले अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा समिति (सीएससी):

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीओडी सं एलईजी 96/09.07.007/2004-05, दि. 17.08.2004 के अनुसार बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु बोर्ड की ''ग्राहक सेवा समिति'' का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

26.04.2018	11.09.2018	01.02.2019

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	01/01
2.	श्री मेलविन ओ रेगो	01/01
3.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	02/02
4.	श्री एस कृष्णन	03/03
5.	श्री अजय के. खुराना	01/01
6.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	03/03
7.	श्री कमल किशोर सिंघल	02/03

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी):

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन पर गठित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल द्वारा जारी दिशानिर्देशों, जिसकी सूचना दि.01.02.2012 के परिपत्र के माध्यम से दी गई है, के अनुपालन में आईटी परियोजनाओं की आयोजित प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए एक योग्य निगरानी तंत्र बनाने के उद्देश्य से बोर्ड ने सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) नामक एक उप समिति का गठन किया गया ।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

26.04.2018	31.05.2018	11.09.2018	19.12.2018	18.03.2019

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री जी रमेश	05/05
2.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	01/02
3.	श्री मेलविन ओ रेगो	02/02
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	03/03
5.	श्री एस कृष्णन	05/05
6.	श्री अजय के. खुराना	02/02
7.	डॉ. संजय कुमार	01/03
8.	श्री जयंत पी गोखले	02/05

During the year 2018-19, 671 complaints/ grievances/ queries were received from the Shareholders/ Investors of the Bank and all of them, have been resolved/ attended to. No complaint, was pending as on 31.03.2019. None of the above complaints were pending for more than one month. There were no shares pending for transfer as at 31.03.2019.

COMPLIANCE OFFICER

In terms of Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) 2015, Shri Santosh Kumar Barik, Company Secretary of the Bank is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.,

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE (CSC):

In terms of RBI DBOD letter No. Leg 96/09.07.007/2004-05 dated 17.08.2004, "Customer Service Committee" of the Board was constituted to bring improvement in the quality of customer service in the Bank.

During the year the Committee held 3 meetings on the following dates:

26.04.2018	11.09.2018	01.02.2019

The members of the Committee and their attendance at the meetings is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	01/01
2.	Shri Melwyn O Rego	01/01
3.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	02/02
4.	Shri S Krishnan	03/03
5.	Shri Ajay K Khurana	01/01
6.	Smt Vandana Kumari Jena	03/03
7.	Shri Kamal Kishore Singhal	02/03

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC):

In terms of guidelines issued by RBI Working Group on IT Governance as conveyed vide Circular dated 01.02.2012, Information Technology Strategy Committee (ITSC), a sub Committee of the Board was constituted to have proper monitoring system in place to evaluate and ensure that the IT projects are progressing as planned.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

26.04.2018	31.05.2018	11.09.2018	19.12.2018	18.03.2019

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri G Ramesh	05/05
2.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	01/02
3.	Shri Melwyn O Rego	02/02
4.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	03/03
5.	Shri S Krishnan	05/05
6.	Shri Ajay K Khurana	02/02
7.	Dr Sanjay Kumar	01/03
8.	Shri Jayant P Gokhale	02/05

शेयर अंतरण समिति (एसटीसी):

सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति, शेयरों का अंतरण, अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण व नाम परिवर्तन तथा शेयरों का पुन: कागज़ीकरण और उससे संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी करती है और उनका अनुमोदन करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं।

26.04.2018	15.05.2018	07.08.2018	02.02.2019	18.03.2019

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	03/03
2.	श्री एस कृष्णन	05/05
3.	श्री अजय के. खुराना	02/02
4.	श्री कमल किशोर सिंघल	05/05
5.	श्री सुनील वशिष्ठ	05/05

नामांकन समिति (एनसी):

भा.रि.बैं. के पत्र डी.बी.ओ.डी. सं.बी.सी. 47/29.39.001/2007-2008 दि. 01.11.2007 के अनुसार निदेशक मंडल ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निदेशक के रूप में चयन किए जानेवाले व्यक्ति की ''उपयुक्त तथा उचित'' स्थिति का निर्धारण करने के लिए सम्यक तत्परतावाली प्रक्रिया शुरू करने हेतु ''नामांकन समिति'' का गठन किया है।

भा.रि.बैं. ने निदेश दिया है कि ''उपयुक्त और उचित'' मानदंड को चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) – वर्तमान और भावी दोनों पर लागू किया जाए ।

समिति ने वर्ष के दौरान वर्तमान शेयरधारक निदेशक एवं शेयरधारक निदेशक पद के उम्मीदवार को ''उपयुक्त तथा उचित'' प्रदान करने के लिए दि. 15.10.2018 को बैठक आयोजित की।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री जी रमेश	01/01
2.	डॉ. संजय कुमार	01/01
3.	श्री जयंत पी गोखले	01/01
4.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	01/01

मानव संसाधन समिति (एचआरसी):

बैंक में मानव संसाधन प्रणाली/प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार के पत्र सं एफ न. 9/18/2019 आईआर, दि. 21.03.2012 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मंडल की मानव संसाधन समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 8 बैठकें निम्नलिखित तारीख में आयोजित की गयीं।

14.05.2018	06.06.2018	07.08.2018	30.10.2018
20.12.2018	01.02.2019	22.02.2019	19.03.2019

SHARE TRANSFER COMMITTEE (STC):

Share Transfer Committee is constituted in accordance with the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998.

The Committee monitors and approves share transfers, issue of duplicate share certificates, transmission, transposition and deletion of names and re-materialisation of shares and matters relating thereto.

During the year the committee held 5 meetings on the following dates:

26.04.2018	15.05.2018	07.08.2018	02.02.2019	18.03.2019

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	03/03
2.	Shri S Krishnan	05/05
3.	Shri Ajay K Khurana	02/02
4.	Shri Kamal Kishore Singhal	05/05
5.	Shri Sunil Vashisht	05/05

NOMINATION COMMITTEE (NC):

In terms of the RBI letter DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, the Board of Directors constituted "Nomination Committee" to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing/the persons to be elected as a director under Sec. 9 (3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 as amended in 2006.

RBI has directed that the Fit and Proper" Criteria as of now, be made applicable to the elected Directors (Shareholder Directors) - both present and future.

The Committee met during the year on 15.10.2018 to determine the "fit & proper" of existing shareholder Director and for the Candidates who had applied for the Shareholder Director election.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri G Ramesh	01/01
2.	Dr. Sanjay Kumar	01/01
3.	Shri Jayant P Gokhale	01/01
4.	Smt Vandana Kumari Jena	01/01

H.R. COMMITTEE (HRC):

H.R. Committee of the Board was constituted in terms of Government of India guidelines vide letter F.NO.9/18/2009-IR dated 21.03.2012 for the review of HR Systems/ practices in the Bank.

During the year the Committee held 8 meetings on the following date:

14.05.2018	06.06.2018	07.08.2018	30.10.2018
20.12.2018	01.02.2019	22.02.2019	19.03.2019

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अजय विपिन नानावटी	08/08
2.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	05/05
3.	श्री मेलविन ओ रेगो	03/03
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	03/03
5.	श्री एस कृष्णन	08/08
6.	श्री अजय के. खुराना	05/05
7.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	07/08
8.	श्री सुनील वशिष्ठ	08/08

वसूली निगरानी के लिए समिति (सीएमआर):

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं एफ. सं 7/112/2012-बीओए दिनांक 21 नवंबर, 2012 में कथित निर्देशों के अनुसार, नियमित आधार पर वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए सीएमडी, ईडी और भारत सरकार के निदेशक को सदस्य बनाते हुए वसूली निगरानी समिति का गठन किया गया है और यह समिति मासिक आधार पर अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी ।

भारत सरकार ने अपने पत्र एफ.सं. 7/2/2015-वसूली दिनांक 1 जनवरी, 2016 के माध्यम से निदेश दिया है कि वसूली समिति की नियमित बैठकें निर्धारित अधिदेशी सम्मिश्रण के अभाव के चलते नहीं हो रही हैं, यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक समिति के गठन के संबंध में निर्धारित सम्मिश्रण का निर्धारण कर सकते हैं। यह भी निर्देश दिया गया है कि समिति को नियमित रूप से मिलना चाहिए और बैंक की दबावग्रस्त आस्तियों की निगरानी करनी चाहिए तथा कार्यवाही के अभिलेख और सिफारिशों को नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एमडी एवं सीईओ तथा ईडी (जो समिति के मौजूदा सदस्य हैं) के अलावा किसी भी स्वतंत्र निदेशक को शामिल करते हुए वसूली निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों में 8 बैठकें हुईं:

27.04.2018	27.06.2018	21.07.2018	15.10.2018
17.11.2018	07.01.2019	21.02.2019	18.03.2019

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	04/05
2.	श्री मेलविन ओ रेगो	02/03
3.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	03/03
4.	श्री एस कृष्णन	08/08
5.	श्री अजय के. खुराना	05/05
6.	डॉ संजय कुमार	06/08
7.	श्री सुनील वशिष्ठ	08/08

सतर्कता पर निदेशकों की समिति:

बोर्ड ने अपनी संकल्प सं. बीडी परिपत्र 07/2018-2019/2941 दिनांक 07.12.2018 के माध्यम से वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति एवं सतर्कता आनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जांच की प्रस्थिति की जांच त्रैमासिक आधार पर करने हेतु गठित बोर्ड की उप समिति - निदेशकों की पदोन्नति समिति एवं सतर्कता पर निदेशकों की समिति के गठन को मंजूरी प्रदान किया है।

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati	08/08
2.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	05/05
3.	Shri Melwyn O Rego	03/03
4.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	03/03
5.	Shri S Krishnan	08/08
6.	Shri Ajay K Khurana	05/05
7.	Smt Vandana Kumari Jena	07/08
8.	Shri Sunil Vashisht	08/08

COMMITTEE FOR MONITORING RECOVERY (CMR):

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, directives vide letter F.No. 7/112/2012-BOA dated 21st November, 2012, Committee for Monitoring Recovery was constituted with members viz., CMD, ED and Government of India Director to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board on monthly basis.

The Government of India, vide their letter F.No. 7/2/2015-Recovery dated 1st January, 2016 directed that as the regular meetings of Recovery Committee are not taking place due to mandatory composition prescribed, it was decided to leave the composition of Recovery Committee to the Board of respective Public Sector Banks. It has also been directed that the Committee must meet regularly and monitor stressed assets of the Bank and its record of proceedings and recommendations must be placed before the Board regularly.

In view of the above, the Committee for Monitoring Recovery is reconstituted with inclusion of any independent Director in addition to MD & CEO and EDs (who are the existing members of the Committee.

During the year the Committee held 8 meetings on the following dates:

27.04.2018	27.06.2018	21.07.2018	15.10.2018
17.11.2018	07.01.2019	21.02.2019	18.03.2019

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	04/05
2.	Shri Melwyn O Rego	02/03
3.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	03/03
4.	Shri S Krishnan	08/08
5.	Shri Ajay K Khurana	05/05
6.	Dr. Sanjay Kumar	06/08
7.	Shri Sunil Vashisht	08/08

COMMITTEE OF DIRECTORS VIGILANCE:

The Board, vide resolution Ref. No. BD Cir 07/2018-2019/2941 dated 07.12.2018, has approved for constitution of a Sub-Committee of the Board – The Directors Promotion Committee and Committee of Directors on Vigilance for dealing with the promotions at senior levels and for review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries on a quarterly basis.

वर्ष के दौरान 01.02.2019 को तथा 19.03.2019 को समिति की दो बैठकें आयोजित हुईं।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	02/02
2.	डॉ. संजय कुमार	01/02
3.	श्री कमल किशोर सिंघल	02/02
4.	श्री एस कृष्णन- आमंत्रित	02/02
5.	श्री अजय के. खुराना- आमंत्रित	02/02

इरादतन चूककर्ता पहचान समिति के निर्णय की समीक्षा हेतु समिति (सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी):

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र सं. डी.बी.आर. सं. सी.आई.डी.बी.सी. 57/20.16.003/2014-15 दि. 01.07.2014 की शर्तों के अनुसार तथा दि. 07.01.2015 तक उसमें कृत अद्यतनों में निहित दिशानिदेशों के अनुसार बैंकों को असहयोगी उधारकर्ताओं की पहचान करने तथा उनकी समीक्षा करने तथा ₹5.00 करोड़ एवं उससे अधिक उधार लेने वाले असहयोगी ग्राहकों की जानकारी सीआरआईएलसी, सेक्शन डी में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 2 निदेशक उक्त समीक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे। तदनुसार बोर्ड ने अपनी संकल्प सं. बीडी 13/2014-2015/14/853/2941 दिनांक 23.01.2015 के माध्यम से इरादतन चूककर्ता पहचान समिति के निर्णय की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया।

वर्ष के दौरान दि. 20.12.2018 को समिति की एक बैठक हुई।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	01/01
2.	श्री जयंत पी गोखले	01/01
3.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	01/01

महा प्रबन्धक की अपीलों के निपटान के लिए निदेशकों की उप-समिति:

सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन, 1976 में कथित दिशानिर्देशों के अनुपालन में आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उद्घोषित दंड के विरुद्ध महाप्रबंधकों द्वारा दायर अपीलों, यदि कोई हो तो, के निपटान करने व उन पर सुनवाई का आयोजन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया।

वर्ष के दौरान महा प्रबन्धक द्वारा अधिमानित अपीलों के निपटान करने हेतु दिनांक 21.07.2018 को समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया :

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री जी रमेश	01/01
2.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	01/01
3.	श्री सुनील वशिष्ठ	01/01

डिजिटल लेनदेन के लिए बोर्ड की उप समिति:

वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग परिचालन और लेखा), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं एफ सं 8/02/2015-बीओए दिनांक 4 अगस्त 2017 में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है।

वर्ष के दौरान दि. 11.09.2018 को तथा 18.03.2019 को समिति की दो बैठकें हुई।

During the year the Committee met twice, on 01.02.2019 and on 19.03.2019.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	02/02
2.	Dr Sanjay Kumar	01/02
3.	Shri Kamal Kishore Singhal	02/02
4.	Shri S Krishnan-Invitee	02/02
5.	Shri Ajay K Khurana-Invitee	02/02

COMMITTEE FOR REVIEWING DECISION OF WILLFUL DEFAULTERS INDENTIFICATION COMMITTEE (CRDWDIC):

In terms of the RBI directions vide Master Circular No. DBR.No.CID.BC. 57/20.16.003/2014-15 dated 01.07.2014, and updated up to 07.01.2015, Banks were directed to form Committees to identify the cases of Non-Cooperative borrowers and to review the same and to report all the cases of Non-cooperative borrowers of ₹5.00 crore and above every quarter to RBI in CRILC (Central Repository of Information on Large Credits), Section – D. As per the RBI guidelines, the Review Committee shall be headed by the Chairman / MD & CEO and 2 Directors. Accordingly, the Committee for Reviewing Decision of Willful Defaulters' Identification Committee was constituted by the Board vide Resolution No. BD 13/2014-2015/14/853/2941 dated 23.01.2015.

During the year the Committee met once on 20.12.2018.

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	01/01
2.	Shri Jayant P Gokhale	01/01
3.	Smt Vandana Kumari Jena	01/01

SUB COMMITTEE OF THE BOARD FOR DISPOSAL OF GM'S APPEALS:

In terms of SyndicateBank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations 1976 guidelines, the Committee was constituted, to hear and dispose of the appeals, if any, from General Managers against the penalty imposed on them by the Disciplinary Authority.

The Committee met once during the year on 21.07.2018 to dispose appeals preferred by General Manager's.

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri G Ramesh	01/01
2.	Smt Vandana Kumari Jena	01/01
3.	Shri Sunil Vashisht	01/01

SUB COMMITTEE OF THE BOARD FOR DIGITAL TRANSACTIONS:

The Committee was constituted in terms of guidelines vide letter ref. no. F.No. 8/02/2015-BOA dated 4th August 2017 of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (Banking Operation & Accounts).
The Committee met twice during the year, on 11.09.2018 and on 18.03.2019.

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	01/01
2.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	01/01
3.	श्री एस कृष्णन	02/02
4.	श्री अजय के. खुराना	01/01
5.	डॉ. संजय कुमार	02/02
6.	श्री जी रमेश	02/02

कारोबार समीक्षा समिति:

बोर्ड ने यह महसूस किया है कि कारोबार कार्यनीति एवं जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट ध्यान देते हुए भारत में मौजूद बैंकों के बोर्डों के अभिशासन की समीक्षा करने के लिए गठित डॉ पी जे नायक समिति के विचारों के अनुसार सात महत्वपूर्ण विषयों पर ज्यादा समय देना आवश्यकता है। उपरोक्त अवलोकनों के मद्देनजर, बोर्ड ने 13.09.2017 को आयोजित बैठक में संकल्प सं. बीडी 07/2017-18/A11/495/2941 के माध्यम से बोर्ड को नियमित टिप्पणियों की समीक्षा करने के लिए कारोबार समीक्षा समिति-निदेशकों की उप-समिति का गठन करने का निर्देश दिया ताकि बोर्ड मुख्य रूप से नीतिगत मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सके।

वर्ष के दौरान समिति की 7 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं ।

26.04.2018	31.05.2018	07.08.2018	11.09.2018
15.10.2018	19.12.2018	21.02.2019	-

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	02/03
2.	श्री मेलविन ओ रेगो	02/03
3.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	04/04
4.	श्री एस कृष्णन	07/07
5.	श्री अजय के. खुराना	03/03
6.	श्री जयंत पी गोखले	04/07
7.	श्री जी रमेश	06/07

बोर्ड की क्षतिपूर्ति समिति:

बोर्ड ने अपनी संकल्प सं. बीडी 05/2018-19/A11/249/2941 दिनांक 06.08.2018 के माध्यम से कर्मचारी स्टॉक खरीदी योजना (ईएसपीएस) के अभिशासन व पर्यवेक्षण के लिए सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी हित-एसबीईबी) विनियमन, 2014 के अनुपालन में बोर्ड की क्षतिपूर्ति नीति - बोर्ड की उप समिति का गठन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं ।

20.12.2018	07.01.2019

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री जी रमेश	02/02
2.	श्री जयंत पी गोखले	01/02
3.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	02/02
4.	श्री सुनील वशिष्ठ	02/02

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	01/01
2.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	01/01
3.	Shri S Krishnan	02/02
4.	Shri Ajay K Khurana	01/01
5.	Dr Sanjay Kumar	02/02
6.	Shri G Ramesh	02/02

BUSINESS REVIEW COMMITTEE:

The Board felt lot of time is required to be spent largely on the seven critical themes as per the views of the P.J.Nayak Committee to review Governance of Boards of Banks in India, with specific attention given to Business Strategy and Risk Management. In view of the observations, the Board in its meeting held on 13.09.2017 vide resolution No.BD 07/2017-18/A11/495/2941 directed to constitute Business Review Committee – a Sub-Committee of the Directors, for reviewing routine notes being placed to the Board so as to enable the Board to concentrate mainly on Policy matters.

During the year the Committee held 7 meetings on the following dates:

26.04.2018	31.05.2018	07.08.2018	11.09.2018
15.10.2018	19.12.2018	21.02.2019	-

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Mrutyunjay Mahapatra	02/03
2.	Shri Melwyn O Rego	02/03
3.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	04/04
4.	Shri S Krishnan	07/07
5.	Shri Ajay K Khurana	03/03
6.	Shri Jayant P Gokhale	04/07
7.	Shri G Ramesh	06/07

COMPENSATION COMMITTEE OF BOARD:

The Board, vide resolution Ref.No.BD 05/2018-19/A11/249/2941 dated 06.08.2018, has approved for constitution of a Sub-Committee of the Board – Compensation Committee of the Board, pursuant to SEBI (Share Based Employee Benefits – SBEB) Regulations 2014., for administration and superintendence of the Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) scheme.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

20.12.2018	07.01.2019

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri G Ramesh	02/02
2.	Shri Jayant P Gokhale	01/02
3.	Smt Vandana Kumari Jena	02/02
4.	Shri Sunil Vashisht	02/02

ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (राजपत्रित अधिसूचना दि. 05.12.2011 के तहत शामिल) के खंड 13 ए के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। किसी व्यक्ति/कंपनी या एक ही समूह के सभी उधारकर्ताओं/कंपनियों के प्रस्तावित एक्सपोज़र सहित कुल एक्सपोज़र ₹400.00 करोड़ से अधिक न होने पर उन मामलों में निर्णय लेने के लिए बोर्ड समान अधिकार इस समिति को होगा।

निम्नलिखित कार्यपालक इस समिति के अंतर्गत सदस्य हैं:

(ए) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी – समिति के अध्यक्ष

(बी) कार्यपालक निदेशकगण

(सी) महाप्रबंधक (ऋण)

(डी) महाप्रबंधक (लेखा)/ मुख्य लेखा अधिकारी

(ई) महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)/ मुख्य जोखिम अधिकारी

(एफ) महाप्रबंधक (प्रस्ताव पेश किए जाने पर, अन्य ऋण संविभाग के वसूली विभाग के)

वर्ष के दौरान समिति की 17 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं ।

03.04.2018	13.04.2018	17.04.2018	02.06.2018	07.06.2018
22.06.2018	19.07.2018	26.07.2018	07.08.2018	05.10.2018
20.11.2018	13.12.2018	09.01.2019	06.02.2019	02.03.2019
07.03.2019	29.03.2019	–	–	–

बोर्ड में परिवर्तन

1. श्री मृत्युञ्जय महापात्र ने दि. 21.09.2018 को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया ।
2. श्री अजय के खुराना ने दि. 20.09.2018 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया ।
3. डॉ संजय कुमार को दि. 05.04.2018 से भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया ।
4. श्री मेलविन रेगो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने दि. 13.08.2018 को अपनी अवधि पूर्ण की ।
5. श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव, कार्यपालक निदेशक दि. 20.09.2018 से इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए ।
6. श्री कमल किशोर सिंघल, निदेशक को दि. 31.10.2018 से शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया।

निदेशकों के पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक, गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने हेतु बैठक शुल्क, यात्रा व्यय तथा विराम भत्ता के अलावा अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं देता है।

बैठक शुल्क

गैर-सरकारी निदेशक को प्रदत्त बैठक शुल्क निम्नवत् है

1) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के संदर्भ सं. 15/1/2011/बी.ओ.आई. दि. 20.07.2015 के अनुसार, निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹20,000/- प्रति बैठक तथा अन्य समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹10,000/- प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क अदा करना होगा।
2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के संदर्भ सं. 15/1/2011/बी.ओ.आई. दि. 18.01.2019 के अनुसार, निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹40,000/- प्रति बैठक (समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ₹10,000/- की अतिरिक्त राशि) अन्य समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹20,000/- प्रति बैठक (समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ₹5,000/- की अतिरिक्त राशि) की दर से बैठक शुल्क अदा करना होगा।

दि. 01.04.2018 से दि. 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान निदेशकों को प्रदत्त शुल्क के विवरण:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	Sitting Fees (₹)
1.	श्री अजय विपिन नानावटी	7,15,000
2.	श्री कमल किशोर सिंघल	5,20,000
3.	श्री जयंत पी गोखले	5,15,000
4.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	6,60,000
5.	श्री जी रमेश	6,95,000
6.	श्री सुनील वशिष्ठ	8,75,000
	कुल	**39,80,000**

CREDIT APPROVAL COMMITTEE (CAC):

The Credit Approval Committee was constituted in terms of Clause 13A of Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (inserted vide Gazette Notification dated 05.12.2011). The Committee exercises such powers of the Board subject to total exposure including proposed exposure to an individual /company or to all the borrowers /companies in the same group not exceeding ₹400.00 Crore.

The Committee consists of the following members:

(a) Managing Director & Chief Executive Officer – Chairman of the Committee
(b) Executive Directors;
(c) General Manager (Credit);
(d) General Manager (Accounts) /Chief Financial Officer
(e) General Manager (Risk Management) /Chief Risk Officer
(f) General Manager/s (of other Credit verticals/ recovery Dept. when proposals are present)

During the year, the Committee met 17 times on the following dates:

03.04.2018	13.04.2018	17.04.2018	02.06.2018	07.06.2018
22.06.2018	19.07.2018	26.07.2018	07.08.2018	05.10.2018
20.11.2018	13.12.2018	09.01.2019	06.02.2019	02.03.2019
07.03.2019	29.03.2019	-	-	-

CHANGES IN THE BOARD:

1. Shri Mrutyunjay Mahapatra has assumed charge as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank on 21.09.2018.
2. Shri Ajay K Khurana has assumed charge as Executive Director of the Bank on 20.09.2018.
3. Dr Sanjay Kumar, GOI Nominee Director, nominated w.e.f. 05.04.2018
4. Shri Melwyn O Rego, Managing Director & Chief Executive Officer completed tenure on 13.08.2018.
5. Shri CH S S Mallikarjuna Rao, Executive Director – appointed as Managing Director & Chief Executive Officer of Allahabad Bank w.e.f. 20.09.2018.
6. Shri Kamal Kishore Singhal, Director was re-elected as Shareholder Director w.e.f. 31.10.2018.

REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official Directors of the Bank apart from sitting fees, travelling expenses and halting expenses for attending meetings.

SITTING FEES:

Sitting fees is to be paid to the non-official Directors:

1) at the rate of ₹20,000/- and ₹10,000/- per meeting for attending Board and other Committee meetings respectively, in terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, New Delhi Ref. No. 15/1/2011-BO.I dated 20.07.2015.
2) at the rate of ₹40,000/- for attending Board (Plus ₹10,000 for chairing the Board Meeting) and ₹20,000/- per meeting for attending other Committee meetings (Plus ₹5,000 for chairing the Committee Meetings), in terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, New Delhi Ref. No. 15/1/2011-BO.I dated 18.01.2019.

Details of Sitting Fees paid to Directors during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019:

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees (₹)
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati	7,15,000
2.	Shri Kamal Kishore Singhal	5,20,000
3.	Shri Jayant P Gokhale	5,15,000
4.	Smt Vandana Kumari Jena	6,60,000
5.	Shri G Ramesh	6,95,000
6.	Shri Sunil Vashisht	8,75,000
	TOTAL	**39,80,000**

आचार संहिता

मंडल ने अपने सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया है । इसे बैंक की वेबसाइट पर ''शेयरधारकों की सूचना'' के अंतर्गत रखा गया है।

मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग ने संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

निवेशकों की शिकायत

निवेशकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए हमारे बैंक ने शिकायतों की प्राप्ति/समाधान के लिए एक विशेष ई-मेल आई.डी. - "syndinvest@syndicatebank.co.in", का आरंभ किया है ताकि बैंक ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर सकें ।

अनुपालन अधिकारी

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के विनियम 6 (1) के अनुसार श्री संतोष कुमार बारिक, बैंक के कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्स्चेंजों के सूचीकरण करार (यानी बीएससी एवं एनएससी), कंपनी के रजिस्ट्रार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन करने तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया की निगरानी करने वाले अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

दि. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण:

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
श्री अजय विपिन नानावटी	शून्य
डॉ. संजय कुमार	शून्य
श्री जयंत पी गोखले	शून्य
सुश्री वंदना कुमारी जेना	शून्य
श्री जी रमेश	शून्य
श्री सुनील वशिष्ठ	299
श्री कमल किशोर सिंघल	400

सूचीबद्ध संस्था/ओं के निदेशक मंडल में निदेशकत्व:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशकत्व की श्रेणी	सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकत्व
1.	श्री अजय विपिन नानावटी	अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष	अलिकॉन कास्टअलॉय लिमिटेड में निदेशक
2.	श्री जयंत पी गोखले	सनदी लेखाकार निदेशक	पीटीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक
3.	श्री सुनील वशिष्ठ	शेयरधारक निदेशक	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड में निदेशक

निदेशक मंडल का कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता:

निदेशक मंडल के निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का संक्षिप्त प्रोफाइल बैंक के वेबसाइट https://www.syndicatebank.in/english/boardofdirectors.aspx में उपलब्ध है ।

अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने, सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार किया है ।

Code of Conduct

The Board has approved the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management of the Bank. The same is also placed on the Bank's Website i.e. under "shareholders information".

All Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance to the code.

Investor Grievance

As part of the initiative to provide enhanced levels of service to the investors, our Bank has designated an e-mail ID "syndinvest@syndicatebank.co.in" exclusively for the purpose of receiving / addressing complaints and to enable the Bank to attend to such complaints on priority.

COMPLIANCE OFFICER

In terms of Regulation 6(1) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) 2015, Mr. Santosh Kumar Barik, Company Secretary of the Bank is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities and Exchange Board of India (SEBI); Listing Agreements - entered with Stock Exchanges (i.e. BSE & NSE); Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.

Details of shareholding of Non-Executive Directors as on 31.03.2019:

Name of the Director	Number of Shares Held
Shri Ajay Vipin Nanavati	Nil
Dr. Sanjay Kumar	Nil
Shri Jayant P Gokhale	Nil
Ms. Vandana Kumari Jena	Nil
Shri G Ramesh	Nil
Shri Sunil Vashisht	299
Shri Kamal Kishore Singhal	400

Directorship of Board of Directors in Listed Entity/ies:

Sl. No	Name of the Director	Category of Directorship	Directorship in Listed Entities
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati	Part Time Non-Executive Chairman	Alicon Castalloy Limited as Director
2.	Shri Jayant P Gokhale	CA Director	PTC India Limited as Director
3.	Shri Sunil Vashisht	Shareholder Director	Madras Fertilizers Limited as Director

Skills / Expertise / Competence of the Board of Directors:

The brief profile comprising core skills / expertise / competencies of all Directors on the Board of the Bank is available on Bank's Website https://www.syndicatebank.in/english/boardofdirectors.aspx.

Compliance to mandatory / non-mandatory requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time.

अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की प्रमात्रा निम्न प्रस्तुत है:

आवश्यकताएँ	अनुपालन
बैंक से अपेक्षित है कि वे अपनी ओर से तथा शेयरधारकों की ओर से निर्धारित शर्तों के साथ, पेंशन के अधिकारों और प्रतिपूर्ति भुगतान सहित कार्यपालक निदेशक के लिए देय विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर बैंक की नीति निर्धारित करने हेतु एक पारिश्रमिक समिति का गठन करें।	भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यपालक निदेशक(कों) की प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए बोर्ड की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।
बैंक की अग्रचेतक नीति बैंक में अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या बैंक की आचार संहिता या नैतिक नीति में उल्लंघन के बारे में संबंधित प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु बैंक कर्मचारियों के लिए एक प्रणाली लागू करें और कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाव के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करें।	बैंक ने अपने परिपत्रों के माध्यम से यह दोहरा रहा है कि कर्मचारी सदस्य शिकायतों/सुझावों के रूप में संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना को उचित माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। वर्ष के दौरान परिपत्र के माध्यम से अग्रचेतक नीति पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए । आवश्यकता/अनिवार्यता की स्थिति में बिना किसी झिझक या डर के उसे सीधे समुचित प्राधिकारी को संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी सदस्य एक सही अग्रचेतक की भूमिका अदा करते हुए विचलनों को लिखित रूप में और विधिवत हस्ताक्षर करके प्रबंधन के ध्यान में ला सकते हैं जिनको रोकना/परिशोधित करना संगठन के हित की दृष्टि में आवश्यक है। बैंक, पब्लिक इंट्रेस्ट डिसक्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फोर्मर्स (पी आई डी पी आई) रेजोल्यूशन के अंतर्गत अग्रचेतक नीति का अनुपालन पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। बैंक ने अग्रचेतक सूचक नीति बनाई है, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही, धोखाधड़ी संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक समर्पित ई-मेल आई डी whistleblower@syndicatebank.co.in भी उपलब्ध कराया गया।
वित्तीय निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा तथा पिछले 6 महीने से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित किया जाए।	बैंक द्वारा इस आवश्यकता को वेबसाइट पर अपलोड करते हुए अनुपालन किया जाता है।
लेखापरीक्षा अर्हताएं - बैंक अनर्हक वित्तीय विवरण प्रणाली अपना सकता है।	बैंक की वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षित रिपोर्ट अनर्ह है।
बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षण - बैंक अपने बोर्ड सदस्यों को कंपनी के कारोबार मॉडेल तथा कारोबार प्राचल की जोखिम प्रोफाइल, निदेशक के रूप में उनका कर्तव्य एवं उन्हें उत्तम रूप से निर्वहन करने के तरीके आदि पर प्रशिक्षण दे सकता हैं ।	बैंक अपने निदेशकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशकों ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया: 1. इनस्पायर हॉल, होटल ले मेरिडियन दिल्ली में सनदी लेखाकार निदेशकों की एक दिवसीय संवादात्मक बैठक- आईसीएआई द्वारा आयोजित 2. वाणिज्यिक बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए बैंकों की ऋण समितियों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: सीएएफआरएएल द्वारा आयोजित 3. निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए आईटी एवं साइबर सेक्यूरिटी प्रमाणन पर दो दिन का कार्यक्रम- आईडीआरबीटी द्वारा आयोजित 4. निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए आईटी एवं साइबर सेक्यूरिटी प्रमाणन पर दो दिन का कार्यक्रम- आईडीआरबीटी द्वारा आयोजित
गैर कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किसी समकक्ष समूह द्वारा करवाया जाए, जिसमें (एक पूर्णकालिक निदेशक मंडल मौजूद हो, मूल्यांकन किए जाने वाले निदेशक को छोड़) सभी निदेशक शामिल हों और समकक्ष समूह के मूल्यांकन को गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने/उसे जारी रखने की प्रणाली को अपनाया जाए।	भारतीय रिज़र्व बैंक के दि. 01.11.2007 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शेयरधारक निदेशकों का वार्षिक आधार पर चयन करते समय और बैंक बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त और उचित स्थिति की जाँच की जाएगी।

The extent of implementation of mandatory / non-mandatory requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
The Bank should set up a Remuneration Committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's Policy on specific remuneration packages for Executive Directors including pension rights and any compensation payment.	Remuneration Committee of the Board has been constituted to determine the incentive payments to Managing Director & Chief Executive Officer / Executive Directors in terms of the Government of India (GOI) guidelines.
Whistle Blower Policy of the Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees.	The Bank has reiterated time and again through internal circulars that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints / suggestions / grievances through proper channel. Guidelines on Whistle Blower Policy were also issued during the year by way of circular. In case of urgency / exigency, it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can, thus effectively perform the role of a genuine 'Whistle Blower' in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is not in the interest of the organization and needs to be checked / rectified. Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Whistle Blower Policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy, which is placed on website of the Bank and dedicated email id i.e. whistleblower@syndicatebank.co.in is available.
A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant event in the last six months may be sent to each shareholder.	The Bank ensures compliance by uploading the requirement on the website.
Audit Qualifications – Bank may move towards a regime of unqualified financial statements.	The Audit Report on the Financial Statements of the Bank is unqualified.
Training of Board Members – Bank may train its Board Members in the business model of the company as well as the risk profile of the business parameters of the company, their responsibilities as directors, and the best ways to discharge them.	The Bank is providing training opportunities to its directors to enable them to discharge their duties effectively. During the year 2018-19, following training programmes were attended by the Directors: 1. One day Interactive Meeting of CA Directors' Programme at Inspire Hall, Hotel Le Meridien, New Delhi: conducted by ICAI 2. One day workshop for Non-Executive Directors on Credit Committees of Banks on the Boards of Commercial Banks: conducted by CAFRAL 3. Two days programme Certification Programme in IT and Cyber Security for Board Members: conducted by IDRBT 4. Two days programme Certification Programme in IT and Cyber Security for Board Members: conducted by IDRBT
The performance evaluation of Non-Executive Directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the Director being evaluated; and Peer Group Evaluation could be the mechanism to determine whether to exceed / continue the terms of appointment of Non-Executive Directors.	As per RBI guidelines dated 01.11.2007, a 'Fit and Proper' status is being looked into by the Nomination Committee of the Board of the Bank at the time of election of the Shareholder Director/s and on annual basis.

कंपनी की शेयर पूंजी:

बैंक की प्राधिकृत पूँजी ₹3000 करोड़ है, जो ₹10/- मूल्य के है और ₹300 करोड़ ईक्विटी शेयरों में विभक्त है। बैंक की चुकता पूँजी दि. 31.03.2018 को ₹1,417.27 करोड़ थी ₹728.00 करोड़ मूल्य के 18,36,99,217 ईक्विटी शेयर, जिसका अंकित मूल्य ₹10/- था, ₹39.63 की जारी मूल्य पर , ₹29.63 की प्रीमियम के साथ, भारत सरकार को समय-समय पर संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2018 की विनियमन सं. 164 मे कथित पद्धति का अनुसरण कर अधिमान्यता के आधार पर आबंटित करने पर बढ़कर दि. 19.12.2012 को ₹1600.97 करोड़ हो गई है।बैंक की चुकता पूँजी ₹1632.00 करोड़ मूल्य के 43,23,17,880 ईक्विटी शेयर जिनका अंकित मूल्य ₹10/- है, 37.75 जारी मूल्य पर ₹27.75 प्रीमियम के साथ भारत सरकार को समय-समय पर संशोधित सेबी (आईसीडीआर), 2018 की विनियमन सं. 164 में कथित पद्धति का अनुसरण कर अधिमान्यता के आधार पर आबंटित करने पर दि. 27.02.2019 को और बढ़कर ₹2033.29 करोड़ हो गई।

तत्पश्चात् बैंक की चुकता पूँजी ₹1603 करोड़ मूल्य के 45,46,22,802 ईक्विटी शेयर, जिनका अंकित मूल्य ₹10/- है, ₹35.26 जारी मूल्य पर, ₹25.26 की प्रीमियम राशि के साथ भारत सरकार को समय-समय पर संशोधित सेबी (आईसीडीआर), 2018 की विनियमयन सं. 164 में कथित प्रक्रिया का अनुसरण कर अधिमान्यता के आधार पर आबंटित करने के बाद दि. 29.03.2019 को बढ़कार ₹2,487.91 करोड़ हो गई।

भारत सरकार को अधिमान्यता के आधार पर ईक्विटी शेयर जारी करने के बाद बैंक की कुल चुकता पूँजी बढ़कर ₹2,487.91 करोड़ हो गई और बैंक में भारत सरकार का शेयरधारण 73.07% से बढ़कर 84.66% (11.59% की वृद्धि) हो गया। दि. 31.03.2019 तक बैंक में जनता का शेयरधारण 15.34% है।

भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी शेयर निर्गत और आबंटित करने के पश्चात बैंक की कुल चुकता पूँजी ₹2,487.91 करोड़ हो गई तथा बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत 73.07% से बढ़कर 84.66% (11.59% की वृद्धि) हो गया। दि. 31.03.2019 की स्थिति में बैंक में जनता की शेयरधारिता का 15.34 % है।

आम बैठकें:

i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ए (2) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को गत 31 मार्च तक के तुलन-पत्र, बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखों में कथित अवधि के दौरान बैंक के कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा खातों के बारे में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने का हक होगा।

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण निम्नवत हैं।

आम बैठक का स्वरूप	दिनांक	समय	स्थान
19वाँ वार्षिक आम बैठक	28.06.2018	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
18वाँ वार्षिक आम बैठक	23.06.2017	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
17वाँ वार्षिक आम बैठक	24.06.2016	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

ii) शेयरधारकों की पिछली तीन असाधारण आम बैठकों (ई.जी.एम.) के ब्यौरे निम्नवत हैं:

दिन एवं दिनांक	समय	स्थान	उद्देश्य/विशेष संकल्प
सोमवार, 29 अक्तूबर 2018	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	1. केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से 1 (एक) निदेशक के चयन हेतु; & 2. प्रत्येक ₹10/- (रुपये दस मात्र) की अंकित मूल्य वाले 9,00,00,000 (नौ करोड़) तक के ईक्विटी) शेयरों के सृजन, ऑफर, निर्गम तथा आबंटन हेतु एक या अधिक अंश में सिंडिकेटबैंक-कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (सिंडीबैंक-ईएसपीएस के तहत।
शुक्रवार, 16 मार्च 2018	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन	भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी आधार पर पर्याप्त मात्रा में ईक्विटी शेयरों के आबंटन
शुक्रवार, 16 सितंबर 2016	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन	1. भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी आधार पर पर्याप्त मात्रा में ईक्विटी शेयरों के आबंटन हेतु.; एवं 2. शेयरधारकों में से एक निदेशक का चयन करने हेतु (केंद्र सरकार के अलावा)

Share Capital of the Company:
The Authorized Capital of the Bank is ₹3000 Crore, divided into 300 Crore Equity Shares of ₹10/- (Rupees Ten only) each. The Paid up Capital of the Bank, which stood at ₹1,417.27 Crore as on 31.03.2018 increased to ₹1,600.97 Crore as on 19.12.2018 after the allotment of 18,36,99,217 (Eighteen Crore Thirty Six Lakh Ninety Nine Thousand Two Hundred Seventeen) Equity Shares of the face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each for cash at an issue price of ₹39.63 (Rupees Thirty Nine and Paise Sixty Three only) per share including premium of ₹29.63 (Rupees Twenty Nine and Paise Sixty Three only) as determined in accordance with regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, aggregating upto ₹728.00 Crore (Rupees Seven Hundred Twenty Eight Crore only) through Preferential Issue to the Government of India (GOI). The paid up capital further increased to ₹2,033.29 Crore as on 27.02.2019 after the allotment of 43,23,17,880 (Forty Three Crore Twenty Three Lakh Seventeen Thousand Eight Hundred Eighty) Equity Shares of the face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each for cash at an issue price of ₹37.75 (Rupees Thirty Seven and Paise Seventy Five only) per share including premium of ₹27.75 (Rupees Twenty Seven and Paise Seventy Five only) as determined in accordance with regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, aggregating upto ₹1,632.00 Crore (Rupees One Thousand Six Hundred Thirty Two Crore only) through Preferential Issue to the Government of India (GOI).

Subsequently, the paid up capital increased to ₹2,487.91 Crore as on 29.03.2019 after the allotment of 45,46,22,802 (Forty Five Crore Forty Six Lakh Twenty Two Thousand Eight Hundred Two) Equity Shares of the face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each for cash at an issue price of ₹35.26 (Rupees Thirty Five and Paise Twenty Six only) per share including premium of ₹25.26 (Rupees Twenty Five and Paise Twenty Six only) as determined in accordance with regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, aggregating upto ₹1,603.00 Crore (Rupees One Thousand Six Hundred Three Crore only) through Preferential Issue to the Government of India (GOI).

The total Paid up Capital of the Bank increased to ₹2,487.91 Crore, after the issue and allotment of Equity Shares in favour of Government of India and the percentage of Government of India shareholding in the Bank went up from 73.07% to 84.66% (an increase of 11.59%). The Public Shareholding in the Bank is 15.34% as on 31.03.2019.

GENERAL BODY MEETINGS:

i) In accordance with the provisions under Section 10A(2) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, the shareholders of our Bank present at an Annual General Meeting shall be entitled to discuss, approve and adopt the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank made up to the previous 31st day of March, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

The details of the last three Annual General Meetings of the Bank are furnished here below:

Nature of General Meeting	Date	Time	Venue
19th Annual General Meeting	28.06.2018	10:00 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal
18th Annual General Meeting	23.06.2017	10:00 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal
17th Annual General Meeting	24.06.2016	10:00 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

ii) The details of the last three Extraordinary General Meetings (EGM) of shareholders are as follows:

Day & Date	Time	Venue	Purpose / Special Resolution
Monday, 29th October 2018	10:00 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	1. To elect 1 (one) Director from amongst Shareholders of the Bank (other than Central Government); & 2. To create, grant offer, issue and allot up to 9,00,00,000 (Nine Crore) new Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each under SyndicateBank - Employee Stock Purchase Scheme (SYNDIBANK-ESPS) in one or more tranches.
Friday, 16th March 2018	10:00 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Issuance & Allotment of requisite number of Equity Shares to the Government of India (GOI) under Preferential Issue
Friday, 16th September 2016	10:00 AM	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	1. Issuance & Allotment of requisite number of Equity Shares to the Government of India (GOI) under Preferential Issue; & 2. Appointment of Directors from amongst Shareholders of the Bank (other than Central Government)

पिछले तीन सालों में एजीएम/ईजीएम बैठकों में पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरें: दि. 16.09.2016, 16.03.2018 29.10.2018 को संपन्न ईजीएम बैठकों में बैंक से शेयरधारकों में से (केंद्र सरकार को छोड़) शेयरधारक निदेशक का चयन करने, भारत सरकार को अधिमान्यता के आधार पर अपेक्षित मात्रा में ईक्विटी शेयर जारी व आबंटित करने, के संबंध में विशेष संकल्प पारित किए गए।

डाक मत, यदि कोई हो, के द्वारा पारित विशेष प्रस्तावों के विवरण:

दिन एवं दिनांक	उद्देश्य / विशेष संकल्प
मंगलवार, 18 दिसंबर 2018	i. भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी आधार पर अपेक्षित मात्र में ईक्विटी शेयरों के आबंटन एवं जारी करना; & ii. प्रत्येक ₹10/- (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य पर 30,00,00,000 (तीस करोड़) नई ईक्विटी, पूँजी संवर्धन हेतु प्रीमियम राशि के निर्धारण के साथ, प्रत्येक पात्र कर्मचारी को सिंडीकेटबैंक – कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (सिंडीबैंक-ईएसपीएस) के अंतर्गत एक या एक से अधिक अंशों में जारी और आबंटित कर, सीमा को रुपए 500 करोड़ (रुपए पांच सौ करोड़ मात्र) तक बढ़ाने के लिए।
बुधवार, 27 फरवरी 2019	भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी आधार पर अपेक्षित मात्रा में ईक्विटी शेयरों के आबंटन एवं जारी करना।
शुक्रवार, 29 मार्च 2019	भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी आधार पर अपेक्षित मात्रा में ईक्विटी शेयरों के आबंटन एवं जारी करना।

प्रकटीकरण:

बैंक का नियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 द्वारा किया जाता है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जो कंपनियां नहीं है, परंतु वे अन्य संविधि के अंतर्गत निगमित निकाय (यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि) हैं तो उन पर सेबी (सूचीकरण आवश्यकताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 समय-समय पर यथा आशोधित के अनुसार उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक वे अपने संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी संगत संविधि तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

i. **निदेशकों का पारिश्रमिक**

बैंक द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है:

17.01.2019 तक

बोर्ड की बैठक के लिए : ₹20,000/- प्रति बैठक

समिति की बैठक के लिए : ₹10,000/- प्रति बैठक

18.01.2019 से प्रभावी

बोर्ड की बैठक के लिए : ₹40,000/- प्रति बैठक

समिति की बैठक के लिए : ₹20,000/- प्रति बैठक

18.01.2019 से प्रभावी (बैठक की अद्यक्षता के लिए)

बोर्ड की बैठक के लिए : ₹10,000/- प्रति बैठक

समिति की बैठक के लिए : ₹5,000/- प्रति बैठक

ii. **महत्वपूर्ण लेन-देन और आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण**

बैंक ने अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार से भिन्न अपने किसी भी प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगी संस्थाओं या रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों पर विरोध होने की संभावना हो । वर्ष के दौरान गैर कार्यपालक निदेशक(कों) के साथ या उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है ।

बैंक की यह सुस्थापित पद्धति है कि जब निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के संबंध में बैठक में चर्चा होती है तो वे निदेशक मंडल या अन्य उप-समितियों के विचार-विमर्श में सहभागिता नहीं करते हैं ।

iii. **सार्वजनिक निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि की प्राप्य राशि:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने ₹728.00 करोड़ मूल्य के 18,36,99,217 (अठारह करोड़ छत्तीस लाख निन्यानवे हज़ार दो सौ सत्रह) ईक्विटी शेयर का, जिनका अंकित मूल्य ₹10/- है, ₹39.63 की जारी मूल्य पर ₹29.63 की प्रीमियम राशि के साथ भारत सरकार को समय-समय पर संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 की विनियमन सं. 164 में कथित पद्धति का अनुसरण कर अधिमान्यता के आधार पर जारी किया है और ₹1632.00 करोड़ मूल्य के 43,23,17,880 ईक्विटी शेयर, जिसका अंकित मूल्य ₹10/- है ₹37.75 की जारी मूल्य पर ₹27.75 की प्रीमियम के साथ भारत सरकार को समय-समय पर संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 की विनियमन सं. 164 में कथित पद्धति का अनुसरण कर अधिमान्यता के आधार पर जारी किया है तथा ₹1603.00 करोड़ मूल्य के 45,46,22,802 ईक्विटी शेयर जिनका अंकित मूल्य ₹10/- है, ₹25.26 की प्रीमियम राशि के साथ भारत सरकार को

Details of Special Resolutions passed at AGM / EGM during the last 3 years; Special Resolutions were passed in the EGM held on 16.09.2016, 16.03.2018 & 29.10.2018 for approving Appointment of Director from amongst Shareholders of the Bank (other than Central Government), Issuance & Allotment of requisite number of Equity Shares to the Government of India (GOI) under Preferential Issue, Issuance & Allotment of requisite number of Equity Shares to the Government of India (GOI) under Preferential Issue & Appointment of Director from amongst Shareholders of the Bank (other than Central Government).

Details of Special Resolutions passed through Postal Ballot, if any:

Day & Date	Purpose / Special Resolution
Tuesday, 18th December 2018	1. Issuance & Allotment of requisite number of Equity Shares to the Government of India (GOI) under Preferential Issue; & 2. To increase the limit up to ₹500 Crore (Rupees Five Hundred Crore only) including premium to raise capital by creating, granting offer, issuing and allotting up to 30,00,00,000 (Thirty Crore) new Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to eligible employees under SyndicateBank - Employee Stock Purchase Scheme (SYNDIBANK-ESPS) in one or more tranches.
Wednesday, 27th February 2019	Issuance & Allotment of requisite number of Equity Shares to the Government of India (GOI) under Preferential Issue
Friday, 29th March 2019	Issuance & Allotment of requisite number of Equity Shares to the Government of India (GOI) under Preferential Issue

DISCLOSURES:

The Bank is governed under The Banking Regulations Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. SEBI has clarified that for listed entities which are not Companies, but Body Corporate (e.g. Private and Public Sector Banks, Financial Institutions, Insurance Companies etc.) incorporated under other statutes, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

i. **Remuneration of Directors:**

The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors excepting sitting fees, which is as under:

Up to 17.01.2019

For Board Meeting : ₹20,000/- per meeting
For Committee Meeting : ₹10,000/- per meeting

w.e.f. 18.01.2019

For Board Meeting : ₹40,000/- per meeting
For Committee Meeting : ₹20,000/- per meeting

w.e.f. 18.01.2019 (for chairing the meeting)

For Board Meeting : ₹10,000/- per meeting
For Committee Meeting : ₹5,000/- per meeting

ii. **Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship:**

Other than those in the normal course of Banking Business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its Promoters, Directors or the Management, their Subsidiaries or Relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Director(s) vis-à-vis the Bank during the year.

SIt is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.

iii. **Proceeds from public issues, preferential issues, Bonds, etc.**

During the year under review, the Bank has issued 18,36,99,217 (Eighteen Crore Thirty Six Lakh Ninety Nine Thousand Two Hundred Seventeen) Equity Shares of the face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each for cash at an issue price of ₹39.63 (Rupees Thirty Nine and Paise Sixty Three only) per share including premium of ₹29.63 (Rupees Twenty Nine and Paise Sixty Three only) as determined in accordance with regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, aggregating upto ₹728.00 Crore (Rupees Seven Hundred Twenty Eight Crore only) through Preferential Issue to the Government of India (GOI) & 43,23,17,880 (Forty Three Crore Twenty Three Lakh Seventeen Thousand Eight Hundred Eighty) Equity Shares of the face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each for cash

समय-समय पर संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 की विनियमन सं. 164 में कथित पद्धति का अनुसरण कर अधिमान्यता के आधार पर जारी किया है।

इन निधियों का समाहरण पूँजी पर्याप्तता आवश्यकता को सदृढ़ बनाने, बैंक के ऋण विकास को वित्तपोषण प्रदान करने, न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर-I के अंतर्गत निर्धारित विनियामक पूँजी मानकों का अनुपालन करने और पूँजी बफर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है और उनका विनियोग इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है।

iv. बैंक के संगत-पार्टी लेन-देनों का प्रकटीकरण दि. 31.03.2019 के तुलन-पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में किया गया है। संगत-पार्टी के लेन-देनों से संबंधित नीति निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है:

https://www.syndicatebank.in/MenuDoc/Related_Party_Transaction_Policy.pdf

v. ''महत्त्वपूर्ण अनुषंगी'' निर्धारण हेतु नीति निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है:

https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_Determination_of_material_subsidiary.pdf

vi. महत्त्वपूर्ण इवेंट के निर्धारण एवं प्रकटीकरण संबंधी नीति निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_determination_and_disclosure_of_material_events.pdf

vii. पण्य बाज़ार गतिविधियों में बैंक भाग नहीं लेता है।

viii. भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के अंतर्गत 3 (तीन) चरणों में ₹3,963.00 करोड़ (रुपये तीन हजार नौ सौ तिरसठ करोड़) मूल्य का पूँजी अंतः प्रवाह प्रदान किया है। बैंक ने इस राशि का विनियोग सामान्य बैंकिंग उद्देश्यों के लिए किया है।

ix. बैंक ने जब से शेयरों को सूचीबद्ध किया है तब से पूँजी बाज़ार से संबंधित सभी मामलों का पालन किया है।

x. जनहित में प्रकटीकरण व सूचनादाताओं की सुरक्षा संबंधी (पी.आई.डी.पी.आई.) प्रस्ताव के तहत की गई शिकायतों के बारे में बैंक अग्रचेतक नीति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निदेशों का पालन करता है। बैंक ने अग्रचेतक नीति बनाई है जो निम्नांकित वेबलिंक पर उपलब्ध है: https://www.syndicatebank.in/downloads/Whistle-Blower-Policy.pdf

xi. किसी भी कार्मिक को मंडल की लेखा परीक्षा समिति की कार्रवाई का पर्यवेक्षण करने से इनकार नहीं किया गया है।

xii. दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले में शेयर बाज़ार या सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की आलोचना की गयी है ।

xiii. बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और जहाँ कहीं भी लागू हो, वहाँ पात्र शेयरधारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर लाभांश का भुगतान किया है ।

xiv. समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 43ए के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है जो निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है ।

https://www.syndicatebank.in/downloads/Dividend-Distribution-Policy.pdf

xv. समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सी.ई.ओ. और सी.एफ.ओ. के प्रमाणपत्रों को बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

xvi. समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V(ई) के अनुसार वर्ष 2018-2019 केलिए बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

xvii. समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 40(09) के अनुसार, प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर अन्य बातों के साथ-साथ अंतरण, संप्रेषण, उप-विभाजन, समेकन, नवीकरण और ईक्विटी शेयरों के विनिमय के संबंध में व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद से हर छह महीने में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है । समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के अनुसार उक्त प्रमाण-पत्रों को बी.एस.ई. और एन.एस.ई. को प्रस्तुत कर दिया जाता है।

xviii. सेबी परिपत्र सं. डी. एण्ड सी.सी./एफ.आइ.टी.टी.सी./सी.आइ.आर. 16 दि. 31.12.2002 ईक्विटी सूचीकरण करार की विनियमन 55ए) के अनुसार बैंक ने दोनों निक्षेपगारों यानी एन.एस.डी.एल. तथा सी.डी.एस.एल. के साथ कुल स्वीकृत पूंजी तथा बैंक की कुल निर्गत और सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के उद्देश्य से और सेबी के निर्देशों के अंतर्गत आनेवाले अन्य मामलों में एक व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा त्रैमासिक आधार पर शेयर पूँजी समाधान लेखा परीक्षा की जाती है। इस संबंध में निर्गत रिपोर्ट को क्रमशः दि. 26.04.2018, 07.08.2018, 19.12.2018 और 21.02.2019

at an issue price of ₹37.75 (Rupees Thirty Seven and Paise Seventy Five only) per share including premium of ₹27.75 (Rupees Twenty Seven and Paise Seventy Five only) as determined in accordance with regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, aggregating upto ₹1,632.00 Crore (Rupees One Thousand Six Hundred Thirty Two Crore only) through Preferential Issue to the Government of India (GOI) and 45,46,22,802 (Forty Five Crore Forty Six Lakh Twenty Two Thousand Eight Hundred Two) Equity Shares of the face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each for cash at an issue price of ₹35.26 (Rupees Thirty Five and Paise Twenty Six only) per share including premium of ₹25.26 (Rupees Twenty Five and Paise Twenty Six only) as determined in accordance with regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, aggregating upto ₹1,603.00 Crore (Rupees One Thousand Six Hundred Three Crore only) through Preferential Issue to the Government of India (GOI).

The funds were raised for strengthening Capital Adequacy Ratio, fund the credit growth of the Bank, meeting regulatory capital norms in terms of minimum Common Equity Tier I (CET-I) and Capital Buffer requirements and the same were utilized for the said purpose.

iv. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2019. Policy on dealing with related party transactions is available under the following web link: https://www.syndicatebank.in/MenuDoc/Related_Party_Transaction_Policy.pdf.

v. Policy for determining "Material Subsidiaries" is available under the web link: https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_Determination_of_material_subsidary.pdf.

vi. Policy on determination and disclosure of material events is available under the following web link: https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_determination_and_disclosure_of_material_events.pdf.

vii. The Bank does not undertake commodity market activities.

viii. The Government of India (GOI) infused Capital amounting to ₹3,963.00 Crore (Rupees Three Thousand Nine Hundred Sixty Three Crore) in 3 (three) tranches in FY 2018-19 under preferential allotment of Equity Shares. The said fund was deployed for the general Banking purpose/s.

ix. The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of Shares.

x. Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Whistle Blower Policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy, which is available under the following web link: https://www.syndicatebank.in/downloads/Whistle-Blower-Policy_10042019.pdf

xi. No personnel has / have been denied access to the Audit Committee of the Board.

xii. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or, any other Statutory Authority on any matter related to Capital Markets during the last 3 years ended 31st March 2019.

xiii. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame wherever applicable.

xiv. In terms of Regulation 43A of SEBI (Listing Obligations& Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from to time, Bank has framed Dividend Distribution Policy which is available under the following web link: https://www.syndicatebank.in/downloads/Dividend-Distribution-Policy.pdf.

xv. The Certificate of CEO and CFO in terms of Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this Report.

xvi. In terms of Regulation 34(3) and Schedule V(E) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, a certificate has been obtained from the Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2018-19 and the same is annexed to this Report.

xvii. As required under Regulation 40(09) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, a certificate is obtained every six months from a Practicing Company Secretary viz. M/s K K Rao and Associates, Hyderabad, with regard to inter-alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of Equity Shares within one month of the lodgement. The certificates are filed to BSE and NSE as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, as amended from time to time.

xviii. In terms of SEBI's Circular No. D &CC/FITTC/CIR-16 dated 31.12.2002 in reference of Regulation 55A of the equity listing agreement, a Share Capital Reconciliation Audit is conducted on a quarterly basis by a Practicing Company

को बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और तिमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है ।

xix. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3) के तहत भारत सरकार द्वारा बैंक का बोर्ड गठित है। समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 की अनुसूची II के भाग ई में उल्लिखित निम्नलिखित लागू विवेकाधिकार अपेक्षाओं का पालन करने के लिए बैंक निम्नलिखित कदम उठा रहा है:
- असंशोधित लेखापरीक्षा राय सहित वित्तीय विवरण संबंधी व्यवस्था की ओर अग्रसर होना।
- शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को, पिछले छ: महीनों के महत्वपूर्ण आयोजनों की संक्षिप्त विवरणी निहित वित्तीय निष्पादन के संबंध में अर्धवार्षिक प्रकटीकरण भेजना।

xx. बैंक, समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनिमय 46 के उप-विनियम के खंड (बी) (i) एवं विनियम 17 से 27 में विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

xxi. बैंक को मेसर्स के के राव एंड असोसिएट्स से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है कि सिंडिकेटबैंक के किसी भी निदेशक को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय/बोर्ड या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने से या उन्हें निदेशक के रूप कार्य करने के लिए असमर्थ घोषित नहीं किया गया है।

xxii. बैंक तथा उसके अनुषंगियों ने, सभी सेवाओं के लिए समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परिक्षकों को शुल्क के रूप में कुल ₹32.99 करोड़ (रुपये बत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख मात्र) का भुगतान किया है।

xxiii. कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में मात्र एक शिकायत दर्ज हुई है, जिसका निपटान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ही किया गया है। अत: वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक इस अधिनियम के तहत कोई भी शिकायत निपटान हेतु लंबित नहीं रही।

xxiv. सिंडिकेटबैंक - कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (सिंडीबैंक - ईएसपीएस) की व्यापक नीति में कोई वस्तुगत परिवर्तन नहीं हुआ है और यह सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 (निनियमों) के अनुपालन में है। विनियमों के अनुरूप प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट (www.syndicatebank.in) पर उपलब्ध है।

संप्रेषण माध्यम

बैंक के परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन से संबंधित जानकारी, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, जिसमें कॉरपोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, नकदी प्रवाह विवरण इत्यादि शामिल होते हैं। शेयरधारक बैंक के निष्पादन/वित्तीय परिणाम को समाचार पत्र या बैंक के वेबसाइट या फिर स्टॉक एक्स्चेंजों की सूचना के ज़रिए जान सकते हैं । इसके अतिरिक्त, बैंक के त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों को निम्नांकित राष्ट्रीय अंग्रेज़ी तथा हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है।

अवधि	समाचार पत्र का नाम			प्रकाशन की तारीख
	अंग्रेजी	हिंदी	कन्नड़	
मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	बिजनेस स्टैंडर्ड	बिजनेस स्टैंडर्ड	उदयवाणी	16.05.2018
जून 2018 को समाप्त तिमाही	फाइनांशियल एक्सप्रेस	जनसत्ता	प्रजावाणी	07.08.2018
सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही /अर्ध-वर्ष	बिजनेस स्टैंडर्ड	बिजनेस स्टैंडर्ड	विजय कर्नाटक	01.11.2018
दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही	फाइनांशियल एक्सप्रेस	फाइनांशियल एक्सप्रेस	विजयवाणी	03.02.2019

समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33(3) एवं 52 के अनुसार, वित्तीय परिणाम एवं मूल्य संवेदी सूचना (ओं) की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी:

बीसवीं वार्षिक आम बैठक एवं वित्तीय कैलेण्डर

बैंक के शेयरधारकों की 20 वीं वार्षिक आम बैठक सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल - 576 104 में, दिनांक 28.06.2019 को प्रात: 10.00 बजे होगी और वर्ष 2019-20 के लिए बैंक का वित्तीय कैलेण्डर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यकलाप का स्वरूप	तारीख
1.	31.03.2019 के वार्षिक वित्तीय लेखों के अनुमोदन के लिए बोर्ड की बैठक	10.05.2019
2.	बही बंदी	22.06.2019 से 28.06.2019 तक
3.	प्रॉक्सी फार्मों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	21.06.2019
4.	20 वीं वार्षिक आम बैठक	28.06.2019
5.	प्रथम 3 तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर
6.	पत्र-व्यवहार का पता	कंपनी सचिव, सिंडिकेटबैंक, निवेशक संपर्क केंद्र, कॉरपोरेट कार्यालय, II क्रॉस, गांधीनगर, बेंगलूरु - 560 009

Secretary, viz. M/s K K Rao and Associates, Hyderabad, for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both depositories i.e. NSDL and CDSL and the total Issued and Listed Capital of SyndicateBank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI. Reports issued in this regard were placed before the Board of Directors of the Bank on 26.04.2018, 07.08.2018, 19.12.2018 and 21.02.2019 respectively and forwarded within 30 days from the end of the quarter to BSE and NSE, where the Equity Shares of the Bank are listed.

xix. Board of the Bank is constituted by Government of India in terms of Section 9(3) Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. Bank is taking steps for complying with the following applicable discretionary requirements as specified in Part E of Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time:
- To move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.
- To send a half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, to each household of shareholders.

xx. Bank is in compliance with Corporate Governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clause (b)(i) of sub-regulation(s) of regulation 46 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time.

xxi. Bank has obtained a certificate from M/s K K Rao & Associates, Practicing Company Secretaries, Hyderabad that none of the Directors on the Board of the SyndicateBank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs (MCA) or any such Statutory Authority.

xxii. Bank and its Subsidiary paid total fees of ₹32.99 Crore (Rupees Thirty Two Crore Ninety Nine Lakhs only) to the Statutory Auditors for all services on a consolidated basis.

xxiii. In terms of Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, only 1 (one) Sexual Harassment of Women Complaint was filed during the FY 2018-19 and the same was disposed during the FY 2018-19. Thus, there is no Complaint is pending as on end of the FY 2018-19.

xxiv. There is no material change in the Comprehensive Policy of the SyndicateBank – Employee Stock Purchase Scheme (SYNDIBANK-ESPS) and the same is in compliance with the SEBI (SBEB) Regulations, 2014 (Regulations). The disclosure is available on the Bank's website (www.syndicatebank.in) pursuant to Regulations..

MEANS OF COMMUNICATION:

The information about the operations and financial performance of the Bank is mainly provided through the Annual Report of the Bank, which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors' Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders can also see the Bank's Performance / Financial Results through Newspapers or Website of the Bank (www.syndicatebank.in), besides Notice to Stock Exchanges. Further, the quarterly / half-yearly Financial Results are published in the English, Hindi and Regional Newspapers as detailed below:

Period	Name of the Daily			Date of Publication
	English	Hindi	Kannada	
Year ended March 2018	Business Standard	Business Standard	Udayavani	16.05.2018
Quarter ended June 2018	Financial Express	Jansatta	Prajavani	07.08.2018
Quarter / Half Year ended September 2018	Business Standard	Business Standard	Vijay Karnataka	01.11.2018
Quarter / Nine Months ended December 2018	Financial Express	Financial Express	Vijayavani	03.02.2019

In terms of Regulation 33(3) and 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the Financial Results and the price sensitive information(s) are furnished to Stock Exchanges.

GENERAL INFORMATION TO SHAREHOLDERS:

20th Annual General Meeting and the Financial Calendar:

The 20th Annual General Meeting of Shareholders of the Bank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104, on 28.06.2019 at 10:00 AM and Financial Calendar of the Bank for the year 2019-20 is as follows:

S. No.	Nature of Activity	Date
1.	Board Meeting to approve Annual Financial Statements as at 31.03.2019	10.05.2019
2.	Book Closure	From 22.06.2019 to 28.06.2019
3.	Last Date of Receipt of Proxy Form/s	21.06.2019
4.	20th Annual General Meeting	28.06.2019
5.	Publication of Un-audited Financial Results for the first 3 Quarters	Within 45 days from the end of each quarter
6.	Address for Correspondence	Company Secretary SyndicateBank Investor Relations Centre 2nd Cross, Gandhi Nagar, Bengaluru – 560 009

ऋण रेटिंग:
बैंक ने अपने बकाया ऋण लिखतों के लिए मेसर्स केयर रेटिंग्स लिमिटेड से दि.12.11.2018 को ऋण रेटिंग प्राप्त किया है। रेटिंग आधार बैंक के वेबसाइट https://www.syndicatebank.in/downloads/care-rating-syndicatebankš 12092018.pdf में उपलब्ध है।

सूचीकरण:
बैंक के शेयरों का निम्नलिखित स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीकरण किया गया है :

क्र.सं.	एक्स्चेंज का नाम	स्क्रिप कूट
1.	नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ''एक्स्चेंज प्लाज़ा'', बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051	SYNDIBANK
2.	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001	532276

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा बैंक को आबंटित आई.एस.आई.एन. कूट आई.एन.ई. 667ए 01018 है।

दि. 31.03.2020 तक के वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नियत तारीखों के भीतर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएससी एवं एनएससी को कर दिया गया है।

शेयर बाजार आंकड़े
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बी.एस.ई.) और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) के साथ किये गए शेयर लेन-देन की प्रमात्रा एवं मासिक उच्च तथा निम्न भाव दर निम्नानुसार हैं :

दिनांक	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज				नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज			
	उच्च	निम्न	लेन-देन की प्रमात्रा	बैंकेक्स	उच्च	निम्न	लेन-देन की प्रमात्रा	निफ्टी पीएसयू बैंक
	(₹)	(₹)	(सं.)	(प्वाइंट)	(₹)	(₹)	(सं.)	(प्वाइंट)
अप्रैल – 2018	62.00	52.05	6405904	28651.87	62.00	52.10	91417203	2863.65
मई – 2018	55.35	42.75	6433681	30007.14	55.40	42.65	89461358	2969.00
जून – 2018	53.50	38.10	5268908	29250.56	53.50	38.70	85559045	2791.50
जुलाई – 2018	46.50	37.00	6361856	31005.96	46.60	37.45	82265040	3186.25
अगस्त – 2018	46.00	37.30	6855015	31741.91	45.90	37.30	107876016	3315.50
सितंबर – 2018	42.10	30.65	6600965	27992.18	42.20	30.60	88688152	2700.45
अक्तूबर – 2018	36.85	29.55	7040695	28359.59	36.80	29.50	97646651	2915.85
नवंबर – 2018	37.20	33.05	4833631	29948.98	37.05	33.30	76407722	2915.20
दिसंबर – 2018	40.00	30.20	5090576	30376.68	39.90	30.10	90829401	3088.00
जनवरी – 2019	41.95	33.45	5843888	30731.37	41.80	34.20	92362729	3025.80
फरवरी – 2019	38.45	30.55	4989011	30027.41	38.40	30.55	79059816	2760.80
मार्च – 2019	43.80	33.55	8344558	34141.94	43.70	33.60	113432374	3339.35

Credit Ratings:

The Bank obtained Credit Ratings for its outstanding Debt Instruments on 12.11.2018 from Credit Rating Agency named M/s Care Ratings Limited. The rationale of Rating is available on the Bank's Website https://www.syndicatebank.in/downloads/care-rating-syndicatebank_12092018.pdf.

Listing:

The shares of the Bank are listed at the following Stock Exchanges:

S. No.	Name of the Exchange	Scrip Code
1.	National Stock Exchange of India Limited (NSE) Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051	SYNDIBANK
2.	BSE Limited (BSE) Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	532276

The ISIN Code allotted by National Securities Depositories Limited (NSDL) for the Bank is INE667A01018.

The Annual Listing Fees up to 31.03.2020 have been paid to both Stock Exchanges i.e. BSE & NSE within the prescribed due dates.

STOCK MARKET DATA

The monthly high & low quotations and the quantity of Shares traded on BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) during the Financial Year 2018-19 is as follows:

Year – Month	BSE				NSE			
	High	Low	Traded Quantity	BANKEX	High	Low	Traded Quantity	NIFTY PSU Bank
	(₹)	(₹)	(No.)	(Points)	(₹)	(₹)	(No.)	(Points)
April – 2018	62.00	52.05	6405904	28651.87	62.00	52.10	91417203	2863.65
May – 2018	55.35	42.75	6433681	30007.14	55.40	42.65	89461358	2969.00
June – 2018	53.50	38.10	5268908	29250.56	53.50	38.70	85559045	2791.50
July – 2018	46.50	37.00	6361856	31005.96	46.60	37.45	82265040	3186.25
August – 2018	46.00	37.30	6855015	31741.91	45.90	37.30	107876016	3315.50
September – 2018	42.10	30.65	6600965	27992.18	42.20	30.60	88688152	2700.45
October – 2018	36.85	29.55	7040695	28359.59	36.80	29.50	97646651	2915.85
November – 2018	37.20	33.05	4833631	29948.98	37.05	33.30	76407722	2915.20
December – 2018	40.00	30.20	5090576	30376.68	39.90	30.10	90829401	3088.00
January – 2019	41.95	33.45	5843888	30731.37	41.80	34.20	92362729	3025.80
February – 2019	38.45	30.55	4989011	30027.41	38.40	30.55	79059816	2760.80
March – 2019	43.80	33.55	8344558	34141.94	43.70	33.60	113432374	3339.35

बीएसई बैंकेक्स एवं सीएनएक्स पीएसयू बैंक की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन निम्नवत है:

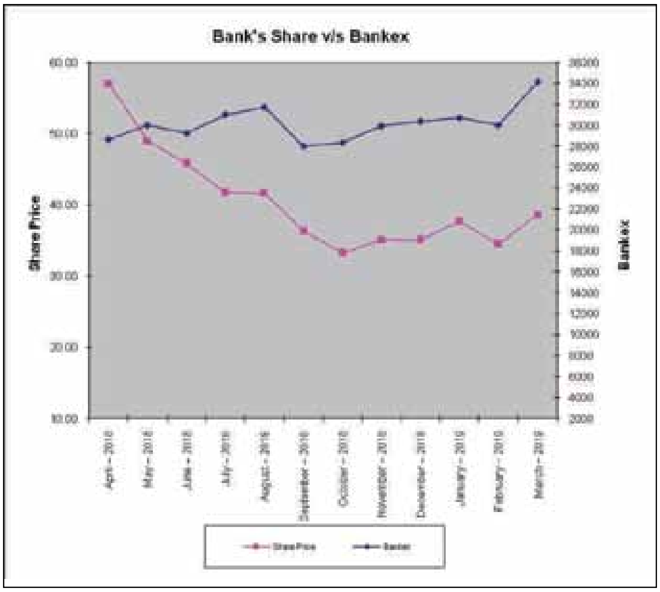

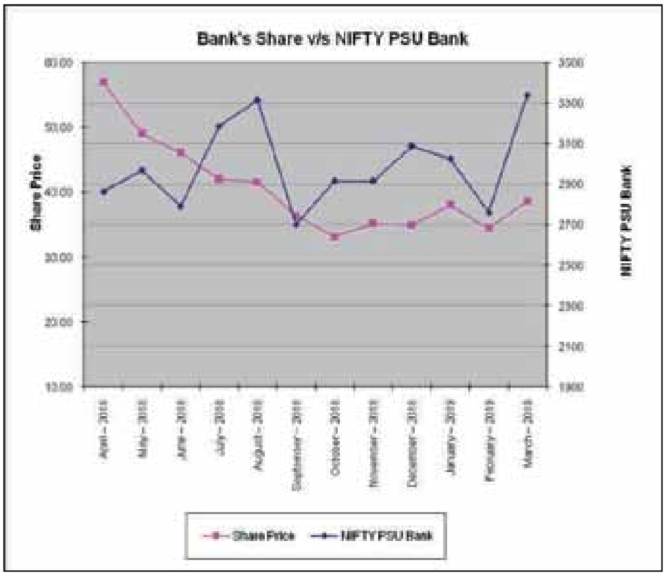

शेयर अंतरण प्रणाली, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

(ए) कागज़ी शेयर

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कागज़ी शेयरों का अंतरण रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज करने की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी हो। बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों के प्रभावी अंतरण हेतु बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति (एसटीसी) का गठन किया है जिसकी नियमित अन्तरालों में बैठकें होती हैं।

बैंक ने मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (पहले मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर के नाम से जाना जाता था), हैदराबाद को अपने रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के कार्यालय द्वारा शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों संबंधी कार्यकलाप

Performance of the Bank's Share Price vis-à-vis BSE BANKEX and NSE NIFTY PSU Bank are as under:

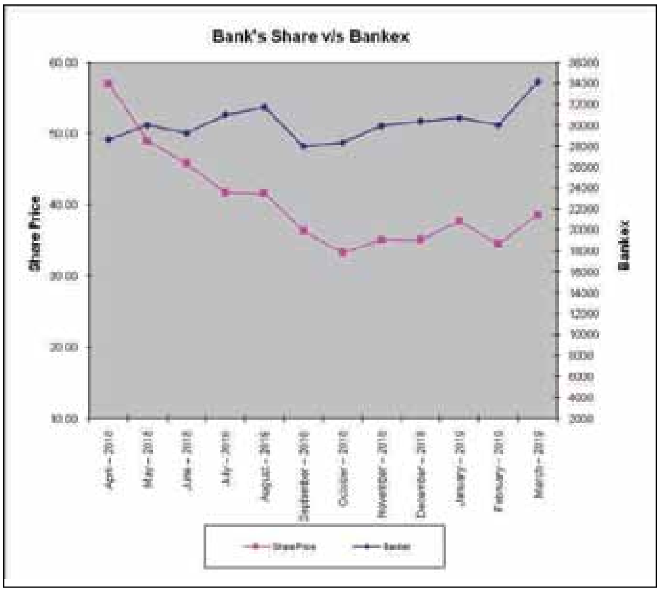

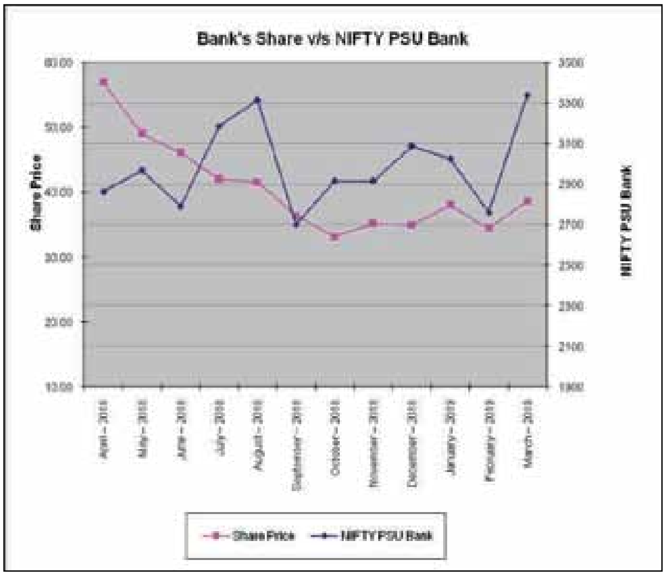

SHARE TRANSFER SYSTEM, REGISTRAR AND TRANSFER AGENTS

(a) Physical Shares

The Bank ensures that all transfers of physical shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment with the Registrar and Share Transfer Agent. The Board has constituted Share Transfer Committee (STC) and Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC), which meets at regular intervals for effecting transfer of shares, issued by the Bank.

The Bank has appointed M/s Karvy Fintech Private Limited (formerly, M/s Karvy Computershare Private Limited), Hyderabad as its Registrar and Share Transfer Agent (RTA). Share Transfers, Dividend Payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar and Share Transfer Agent. Shareholders

देखे जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं । शेयरधारक, अंतरण पत्र एवं कोई अन्य दस्तावेज, परिवाद तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं :

मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी,
प्लाट सं. 31-32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद 500 032
दूरभाष : 040 67162222 अथवा 040 67161516 (सीधा)
फैक्स : 040-23420814
टोल फ्री सं : 1800-345-4001
ई-मेल : support@karvy.com

(बी) बेकागज़ी शेयर

बैंक के शेयरों का लेन-देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड के पास स्क्रिप कूट "**सिंडिबैंक**" के अंतर्गत आई एस आई एन कूट आई एन ई 667A01018 और बीएसई लि. (बीएसई) के पास स्क्रिप कूट सं. 532276 के अंतर्गत किया जाता है। नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) बैंक के शेयरों को बेकागज़ीकृत रूप में रखने वाले डिपॉजिटरी हैं।

दि. 31.03.2019 तक, बैंक के कुल शेयर होल्डिंग के 80.93% को बेकागज़ीकृत किया गया है। बेकागजी न किए गए 19.07 % शेयरों में से 18.27 % के ईक्विटी शेयर दि. 29.03.2019 को भारत सरकार के पक्ष में जारी किए गए हैं जिन्हें दि. 31.03.2019 के बाद बेकागजीकृत किया गया है। वर्तमान में, केन्द्र सरकार द्वारा 210, 61, 79, 287 ईक्विटी शेयर के रूप में रखी गयी संपूर्ण शेयर पूंजी जो कुल प्रदत्त पूंजी का 78.48 % है, बेकागज़ी रूप में है।

दि. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा बेकागज़ी रूप में और कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के विवरण:

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	कुल प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिशतता
कागज़ी	98,670	37.95	47,44,20,327	19.07
एन.एस.डी.एल.	1,08,758	41.83	33,36,25,371	13.41
सी.डी.एस.एल.	52,586	20.22	167,98,66,254	67.52
कुल	**2,60,014**	**100.00**	**248,79,11,952**	**100.00**

शेयरधारण का पैटर्न

दि. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारण पैटर्न (ईक्विटी शेयर पूंजी) निम्नानुसार है:

क्र. सं.		श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
ए.	**प्रवर्तक धारण**			
	1	भारत सरकार	210,61,79,287	84.66
	2	विदेशी प्रवर्तक	शून्य	लागू नहीं
	3	सहमति से कार्य करनेवाले व्यक्ति	शून्य	लागू नहीं
		उप-योग	**210,61,79,287**	**84.66**
बी.	**गैर-प्रवर्तक धारण**			
	4	संस्थागत निवेशक		
	ए.	म्यूच्युअल फंड्स	3,49,45,712	1.40
	बी.	बैंक, वित्तीय संस्थाएँ	3,48,53,576	1.40
	सी.	बीमा कंपनियाँ	15,68,69,760	6.31
	डी.	एफ.आई.आई.	शून्य	लागू नहीं
	ई.	विदेशी संविभाग निर्गम	3,95,19,804	1.59
	एफ.	विदेशी नागरिक	शून्य	लागू नहीं
		उप-योग	**26,61,88,852**	**10.70**

can lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints with the Registrar and Transfer Agent at the following address:

M/s Karvy Fintech Private Limited
Unit: SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B,
Plot No. 31 -32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032
Phone No. - 040 6716 2222 or, 040 6716 1516 (D)
Fax No. - 040 2342 0814
Toll Free No. – 1800 345 4001
Email - support@karvy.com

(b) Shares in Demat Form

The Bank's shares are traded compulsorily in Demat mode under ISIN Code INE667A01018 with Scrip Code "SYNDIBANK" of National Stock Exchange of India Limited (NSE) and Scrip Code No. 532276 of BSE Limited (BSE). The National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) are the depositories, holding the Bank's Share in Demat mode.

As on 31.03.2019, 80.93% of the total shareholding of the Bank has been dematerialized. Out of 19.07% which have not been dematerialized, 18.27% of Equity Shares have been issued to the Government of India (GOI) on 29.03.2019 which was dematerialized after 31.03.2019. Presently, entire Share Capital held by the Government of India (GOI) i.e. 210,61,79,287 Equity Shares constituting 78.48% of the total Paid-Up Equity Capital is in dematerialized form.

Particulars of Shares in Demat and Physical form held by the Shareholders as on 31.03.2019 are as under:

Category	No. of Holders	% of Total	Total Shares	% of Total
PHYSICAL	98,670	37.95	47,44,20,327	19.07
NSDL	1,08,758	41.83	33,36,25,371	13.41
CDSL	52,586	20.22	167,98,66,254	67.52
TOTAL	2,60,014	100.00	248,79,11,952	100.00

Shareholding Pattern:

The shareholding pattern (Equity Share Capital) as on 31.03.2019 is as follows:

S. No.		Category	No. of Shares Held	Percentage of Shareholding
A	**Promoter's Holding**			
	1	Government of India	210,61,79,287	84.66
	2	Foreign Promoters	NIL	NA
	3	Persons acting in concert	NIL	NA
		Sub-Total	**210,61,79,287**	**84.66**
B	**Non – Promoter's Holding**			
	4	Institutional Investor		
	a	Mutual Funds	3,49,45,712	1.40
	b	Banks, Financial Institutions	3,48,53,576	1.40
	c	Insurance Companies	15,68,69,760	6.31
	d	FIIs	NIL	NA
	e	Foreign Portfolio – Corp	3,95,19,804	1.59
	f	Foreign Nationals	NIL	NA
		Sub-Total	**26,61,88,852**	**10.70**

क्र. सं.		श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
	5	अन्य		
	ए.	कॉरपोरेट निकाय	1,55,18,108	0.62
	बी.	भारतीय जनता	9,09,02,241	3.65
	सी.	एनआरआई/ओसीबी/गैर-प्रत्यावर्तन	26,94,201	0.11
	डी.	एनबीएफसी	1,01,671	0.00
	ई.	वैकल्पिक निवेश निधि	शून्य	लागू नहीं
	एफ.	अन्य (न्यास, एचयूएफ तथा निकासी सदस्य)	63,27,592	0.25
		उप-योग	**11,55,43,813**	**4.64**
		गैर-प्रवर्तक धारण का योग	**38,17,32,665**	**15.34**
		कुल योग	**248,79,11,952**	**100.00**

दि. 31.03.2019 की स्थिति में 1% से अधिक के चुकता शेयर पूँजी रखनेवाले शेयरधारकों के ब्यौरे :

श्रेणी	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
प्रवर्तक	**भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार** निदेशक, वित्त मंत्रालयआर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), संसद मार्ग, नई दिल्ली	210,61,79,287	84.66
बीमा	**भारतीय जीवन बीमा निगम**	14,45,34,988	5.81
	कुल	**225,07,14,275**	**90.47**

दि. 31.03.2019 की स्थिति में शेयर वितरण पैटर्न

क्र.सं.	नाममात्र मूल्य के शेयरधारण (₹)	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	रकम (₹)	कुल प्रतिशतता
1	1 - 500	235397	89.95	39799404	397994040	1.60
2	501 - 1000	14771	5.64	11630286	116302860	0.47
3	1001 - 2000	6156	2.35	9251313	92513130	0.37
4	2001 - 3000	1837	0.70	4693106	46931060	0.19
5	3001 - 4000	889	0.34	3187660	31876600	0.13
6	4001 - 5000	695	0.27	3270558	32705580	0.13
7	5001 - 10000	1007	0.38	7320000	73200000	0.29
8	10001 - 50000	729	0.28	15213717	152137170	0.61
9	50001 - 100000	85	0.03	6292931	62929310	0.25
10	100001and above	123	0.05	2387252977	23872529770	95.95
	योग	**261689**	**100.00**	**2487911952**	**24879119520**	**100.00**

दि. 31.03.2019 की स्थिति में शेयरधारकों का भौगोलिक फैलाव

स्थान	कागज़ी			बेकागजी			कुल		
	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता
दिल्ली									
-भारत सरकार	1	454622802	**18.27**	1	1651556485	**66.38**	2	2106179287	**84.66**
- अन्य	6047	1565901	**0.06**	11713	12085864	**0.49**	17760	13651765	**0.55**
बेंगलूर	68858	13241972	**0.53**	98208	45694418	**1.84**	167066	58936390	**2.37**
चेन्नई	9527	1927111	**0.08**	13519	10119446	**0.41**	23046	12046557	**0.48**
हैदराबाद	3010	595100	**0.02**	6866	7700424	**0.31**	9876	8295524	**0.33**
कोलकाता	3555	753327	**0.03**	6237	4749900	**0.19**	9792	5503227	**0.22**
मंगलूर	1281	306301	**0.01**	4971	5479352	**0.22**	6252	5785653	**0.23**
मुंबई	1406	291700	**0.01**	2879	1476159	**0.06**	4285	1767859	**0.07**
उडुपि	3516	831313	**0.03**	14431	273331775	**10.99**	17947	274163088	**11.02**
अन्य स्थान	1469	284800	**0.01**	2519	1297802	**0.05**	3988	1582602	**0.06**
योग	**98670**	**474420327**	**19.07**	**161344**	**2013491625**	**80.93**	**260014**	**2487911952**	**100.00**

S. No.		Category	No. of Shares Held	Percentage of Shareholding
	5	Others		
	a	Bodies Corporates	1,55,18,108	0.62
	b	Indian Public	9,09,02,241	3.65
	c	NRIs/OCBs/NRI Non – Repatiration	26,94,201	0.11
	d	NBFCs	1,01,671	0.00
	e	Alternative Investment Fund	NIL	NA
	f	Any Others (Trust, HUF & Clearing Members)	63,27,592	0.25
		Sub-Total	**11,55,43,813**	**4.64**
		Total Non Promoter's Holding	**38,17,32,665**	**15.34**
		Grand Total	**248,79,11,952**	**100.00**

Details of Shareholding of more than 1% of the paid up share capital as on 31.03.2019:

Category	Name of the Shareholder	No. of Shares	% of Shareholding
Promoters	**President of India, Government of India** The Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), Sansad Marg, New Delhi	210,61,79,287	84.66
Insurance	**Life Insurance Corporation of India (LIC)**	14,45,34,988	5.81
	TOTAL	**225,07,14,275**	**90.47**

Distribution Pattern as on 31.03.2019:

Sl. No.	Shareholding of Nominal Value of (₹)	No.of Share Holders	% age of Total	No. of Shares	Amount (₹)	% age of Total
1	1 - 500	235397	89.95	39799404	397994040	1.60
2	501 - 1000	14771	5.64	11630286	116302860	0.47
3	1001 - 2000	6156	2.35	9251313	92513130	0.37
4	2001 - 3000	1837	0.70	4693106	46931060	0.19
5	3001 - 4000	889	0.34	3187660	31876600	0.13
6	4001 - 5000	695	0.27	3270558	32705580	0.13
7	5001 - 10000	1007	0.38	7320000	73200000	0.29
8	10001 - 50000	729	0.28	15213717	152137170	0.61
9	50001 - 100000	85	0.03	6292931	62929310	0.25
10	100001and above	123	0.05	2387252977	23872529770	95.95
	TOTAL:	**261689**	**100.00**	**2487911952**	**24879119520**	**100.00**

Geographical Spread of Shareholders as on 31.03.2019:

Places	PHYSICAL			DEMAT			TOTAL		
	No. of Share-holders	No. of shares	% holding	No. of share-holders	No. of shares	% holding	No. of share-holders	No. of shares	% holding
Delhi									
- GOI	1	454622802	**18.27**	1	1651556485	**66.38**	2	2106179287	**84.66**
- Others	6047	1565901	**0.06**	11713	12085864	**0.49**	17760	13651765	**0.55**
Bangalore	68858	13241972	**0.53**	98208	45694418	**1.84**	167066	58936390	**2.37**
Chennai	9527	1927111	**0.08**	13519	10119446	**0.41**	23046	12046557	**0.48**
Hyderabad	3010	595100	**0.02**	6866	7700424	**0.31**	9876	8295524	**0.33**
Kolkata	3555	753327	**0.03**	6237	4749900	**0.19**	9792	5503227	**0.22**
Mangalore	1281	306301	**0.01**	4971	5479352	**0.22**	6252	5785653	**0.23**
Mumbai	1406	291700	**0.01**	2879	1476159	**0.06**	4285	1767859	**0.07**
Udupi	3516	831313	**0.03**	14431	273331775	**10.99**	17947	274163088	**11.02**
Others	1469	284800	**0.01**	2519	1297802	**0.05**	3988	1582602	**0.06**
TOTAL	**98670**	**474420327**	**19.07**	**161344**	**2013491625**	**80.93**	**260014**	**2487911952**	**100.00**

स्थायी खाता संख्या (पैन)

सेबी के निदेशों और सूचीकरण करार में किए गए संशोधन के अनुसार, कागजी शेयरों के निम्नलिखित लेन-देनों के लिए अंतरिती/अंतरितियों द्वारा पैन कार्ड की साक्ष्यांकित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है:

- शेयरों का अंतरण (शेयरों के अंतरण में अंतरणकर्ता का पैन कार्ड भी अपेक्षित है)
- दिवंगत शेयरधारकों के नाम को हटाना
- विधिक वारिस के नाम पर शेयरों को अंतरित करना
- शेयरों का क्रम परिवर्तन - यदि नामों के क्रम में परिवर्तन हो
- पते में हुए परिवर्तन को नोट करने के लिए
- ई. सी. एस. अधिदेश को नोट करने के लिए

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.) भुगतान की एक आधुनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को राष्ट्रीय ई.सी.एस. सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शामिल किए गए सभी केंद्रों में सुविधा प्राप्त करने के विकल्प के साथ यह सेवा प्रदान किया गया है। एनईसीएस अधिदेश प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

नामांकन सुविधा

बैंक का प्रत्येक शेयरधारक किसी भी समय निर्धारित ढंग से किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् बैंक में धारित शेयर प्रदान किए जा सकें । जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हैं वहाँ संयुक्त धारक मिलकर नियत तरीके से एक व्यक्ति को नामित करें जिससे सभी संयुक्त धारियों की मृत्यु के संदर्भ में उन्हें बैंक शेयरों के सभी हक प्रदान किए जा सकें।

तदनुसार, कागज़ी रूप से शेयरों को रखनेवाले शेयरधारी बैंक के साथ या रजिस्ट्रार और बैंक के अंतरण अभिकर्ताओं के साथ विधिवत भरे गए फार्म 2बी (संलग्न) दायर करके नामांकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । बेकागज़ीकृत शेयरों के संदर्भ में निक्षेपण सहभागी द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार नामांकन किया जा सकता है।

अदावी लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधित) अधिनियम, 2006 जो दि. 16.10.2006 से लागू है, के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में एक नयी धारा 10 बी. शामिल की गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

i. यदि कोई शेयरधारक लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर लाभांश का नकदीकरण/दावा नहीं किया है तो बैंक के चालू खाते में रही ऐसी रकम को ''वर्ष .... के लिए सिंडिकेटबैंक के अप्रदत्त लाभांश'' नामक एक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।

ii. ''अप्रदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित धन राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती है तो, उक्त धनराशि को समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) खाते को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को सिंडिकेटबैंक द्वारा अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित किया गया है। अतएव, ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहनेवाली ऐसी धनराशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

यथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अंतर्गत अपेक्षित, बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते में मौजूद शेष राशि को कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) में अंतरित किया गया है जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	घोषणा की तारीख	आई ई पी एफ में अंतरित राशि (₹)	आई ई पी एफ में अंतरण की तारीख
1	लाभांश 1999-2000	25.05.2000	21,73,984/-	25.07.2014
2	लाभांश 2000-01	02.07.2001	42,90,243/-	25/07/2014
3	लाभांश 2001-02	30.05.2002	51,25,533/-	17/07/2014
4	लाभांश 2002-03	11.06.2003	65,93,738/-	18/07/2014
5	अंतरिम लाभांश 2003-04	10.12.2003	49,85,761/-	18/07/2014
6	अंतिम लाभांश 2003-04	11.06.2004	46,27,478/-	18/07/2014

PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN)

As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission of attested copy of PAN card by the Transferee/s, is made mandatory for the following type of transactions of physical shares:

- Transfer of Shares (PAN Card of the transferor is also required in respect of transfer of shares)
- Deletion of name of the deceased shareholder/s.
- Transmission of shares to the legal heir/s
- Transposition of shares – when there is a change in the order of names;
- For noting Change of Address
- For noting ECS Mandate

National Electronic Clearing Services (NECS)

National Electronic Clearing Services (NECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend / interest, etc are directly credited to the Bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under National ECS facility. NECS mandated form is appended with the Annual Report.

NOMINATION FACILITY

Every shareholder of the Bank may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his / her shares in the Bank shall vest in the event of his / her death. Where more than one person holds the shares jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares of the Bank shall vest, in the event of death of all the joint holders.

Accordingly, the shareholders holding the shares in physical form can avail the nomination facility by filing Form 2B (annexed) with the Bank or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank. In case of dematerialized holdings, nomination may be done as per the procedure prescribed by Depository Participant.

UNCLAIMED DIVIDEND

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new Section 10B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

i. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of SyndicateBank for the year ……….."
ii. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 125 of the Companies Act, 2013, as amended from time to time.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Accounts of SyndicateBank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Amounts lying under Unpaid Dividend Accounts of the Bank, detailed hereunder were transferred to Investor Education Protection Fund (IEPF) maintained by Ministry of Corporate Affairs, New Delhi as required under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Date of Declaration	Amount transferred to IEPF (in ₹)	Date of transfer to IEPF
1	Dividend 1999-2000	25.05.2000	21,73,984/-	25.07.2014
2	Dividend 2000-2001	02.07.2001	42,90,243/-	25/07/2014
3	Dividend 2001-2002	30.05.2002	51,25,533/-	17/07/2014
4	Dividend 2002-2003	11.06.2003	65,93,738/-	18/07/2014
5	Interim Dividend 2003-2004	10.12.2003	49,85,761/-	18/07/2014
6	Final Dividend 2003-2004	11.06.2004	46,27,478/-	18/07/2014

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	घोषणा की तारीख	आई ई पी एफ में अंतरित राशि (₹)	आई ई पी एफ में अंतरण की तारीख
7	अंतरिम लाभांश 2004-05	31.03.2005	29,47,635/-	18/07/2014
8	अंतिम लाभांश 2004-05	07.06.2005	59,01,848/-	18/07/2014
9	अंतरिम लाभांश 2005-2006	16.02.2006	63,69,848/-	18/07/2014
10	अंतिम लाभांश 2005-2006	20.07.2006	45,89,891/-	18/07/2014
11	अंतरिम लाभांश 2006-2007	20.12.2006	61,04,266/-	18/07/2014
12	अंतिम लाभांश 2006-2007	16.07.2007	63,66,422/-	16/08/2014
13	अंतरिम लाभांश 2007-2008	11.04.2008	78,19,953/-	11/05/2015
14	अंतिम लाभांश 2007-2008	18.07.2008	67,27,757/-	17/08/2015
15	अंतिम लाभांश 2008-2009	29.04.2009	85,69,040/-	23/05/2016
16	अंतिम लाभांश 2008-2009	21.07.2009	89,21,209/-	19/08/2016
17	लाभांश 2009-2010	06.07.2010	1,67,84,625/-	10/08/2017
18	लाभांश 2010-2011	07.07.2011	2,14,99,866/-	24/08/2018
	कुल		13,03,99,097/-	

बैंक के अन्य अप्रदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आईईपीएफ में अंतरण हेतु नियत तिथि निम्नलिखित है:

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	चालू खाता सं.	घोषणा की तिथि	दि. 31.03.2019 को शेष (₹)	आईईपीएफ में अंतरण हेतु नियत तारीख
1	लाभांश 2011-12	3008.101.9176	27.07.2012	2,52,43,136	30.09.2019
2	लाभांश 2012-13	3008.101.9567	28.06.2013	4,30,91,701	28.07.2020
3	अंतरिम लाभांश 2013-14	3008.101.9793	28.01.2014	1,96,15,990	28.02.2021
4	अंतिम लाभांश 2013-2014	3008.101.9943	27.06.2014	1,99,67,157	27.07.2021
5	लाभांश 2014-2015	3008.101.10283	08.07.2015	3,14,50,736	08.08.2022

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है, उनसे अनुरोध है कि पुनर्वैधीकरण/लाभांश वारंटों की अनुलिपि जारी करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

निवेशकों के नाम तथा लाभांश के वर्ष सहित अप्रदत्त लाभांशों के विवरण भी शेयरधारकों के लिए बैंक के वेबसाइट पर ''शेयरधारकों को सूचना'' खंड के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है ताकि शेयरधारक अपने दावे को शेयर अंतरण एजेंट/या बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में स्थित निवेशक संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकें। आगे शेयरधारक सहायता के लिए syndinvest@syndicatebank.co.in के माध्यम से बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

बकाया जीडीआर/एडीआर या अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और ईक्विटी पर संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय लिखतों को जारी नहीं किया है।

बॉण्ड

पूँजी वृद्धि के उद्देश्य से बैंक ने ईक्विटी में अपरिवर्तनीय प्रकृति की असुरक्षित एवं प्रतिदेय बॉण्ड जारी किया है । दि. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया रहनेवाले ऐसे बॉण्ड के विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	श्रेणी सं.		आईएसआईएन सं.	राशि ₹ करोड में	ब्याज दर (%)	जारी करने की तारीख	परिपक्वता की तारीख	न्यासी का नाम
1	XI	लोवर टियर II	INE667A09151	200	8.49	15/06/2009	15.06.2019	आईडीबीआई ट्रस्टी
2	आईपीडीआई III	टियर I	INE667A09169	194	8.90	29/06/2009	बेमीयादी	
3	XII	लोवर टियर II	INE667A09177	1000	9.00	31/12/2012	31.12.2022	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लि.
4	बासेल III	टियर II	INE667A08013	750	8.95	02/12/2014	02.12.2024	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.
5	बासेल III	टियर II	INE667A08021	400	8.75	23/03/2015	23.03.2025	
6	बासेल III	टियर II	INE667A08039	1000	8.58	28/09/2015	28.09.2025	
7	बासेल III	टियर II	INE667A08047	750	8.62	18/12/2015	18.12.2025	

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Date of Declaration	Amount transferred to IEPF (in ₹)	Date of transfer to IEPF
7	Interim Dividend 2004-2005	31.03.2005	29,47,635/-	18/07/2014
8	Final Dividend 2004-2005	07.06.2005	59,01,848/-	18/07/2014
9	Interim Dividend 2005-2006	16.02.2006	63,69,848/-	18/07/2014
10	Final Dividend 2005-2006	20.07.2006	45,89,891/-	18/07/2014
11	Interim Dividend 2006-2007	20.12.2006	61,04,266/-	18/07/2014
12	Final Dividend 2006-2007	16.07.2007	63,66,422/-	16/08/2014
13	Interim Dividend 2007-2008	11.04.2008	78,19,953/-	11/05/2015
14	Final Dividend 2007-2008	18.07.2008	67,27,757/-	17/08/2015
15	Interim Dividend 2008-2009	29.04.2009	85,69,040/-	23/05/2016
16	Final Dividend 2008-2009	21.07.2009	89,21,209/-	19/08/2016
17	Dividend 2009-2010	06.07.2010	1,67,84,625/-	10/08/2017
18	Dividend 2010-2011	07.07.2011	2,14,99,866/-	24/08/2018
	TOTAL		13,03,99,097/-	

The Details of other Unpaid Dividend accounts of the Bank and the due date for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Current account No	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2019 (in ₹)	Due date of transfer to IEPF
1	Dividend 2011-12	3008.101.9176	27.07.2012	2,52,43,136	30.09.2019
2	Dividend 2012-13	3008.101.9567	28.06.2013	4,30,91,701	28.07.2020
3	Interim Dividend 2013-14	3008.101.9793	28.01.2014	1,96,15,990	28.02.2021
4	Final Dividend 2013-2014	3008.101.9943	27.06.2014	1,99,67,157	27.07.2021
5	Dividend 2014-2015	3008.101.10283	08.07.2015	3,14,50,736	08.08.2022

The shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation/issue of duplicate dividend warrants.

Details of unpaid dividends containing names of the investor and Year of Dividend have also been placed on the website of the Bank under shareholders information to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent/ or with Investors Relation Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru. Further, the shareholders can contact the Bank at syndinvest@syndicatebank.co.in for assistance.

Outstanding GDRs / ADRs or any Convertible Instruments, Conversion Date and likely impact on Equity:

The Bank has not issued any GDRs/ ADRs / warrants or any convertible instruments.

Bonds:

Bank has raised unsecured, redeemable bonds in order to augment capital, which are not convertible to Equity. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2019 are as follows:

Sl. No.	SERIES No.		ISIN No.	Size ₹ in Crore	Interest Rate(%)	Date of Issue	Date of Maturity	Trustee Name
1	XI	Lower TIER II	INE667A09151	200	8.49	15/06/2009	15.06.2019	IDBI Trustee
2	IPDI III	TIER I	INE667A09169	194	8.90	29/06/2009	Perpetual	
3	XII	Lower TIER II	INE667A09177	1000	9.00	31/12/2012	31.12.2022	AXIS Trustee Services Ltd.
4	Basel III	Tier II	INE667A08013	750	8.95	02/12/2014	02.12.2024	SBI CAP Trustee Co.Ltd.
5	Basel III	Tier II	INE667A08021	400	8.75	23/03/2015	23.03.2025	
6	Basel III	Tier II	INE667A08039	1000	8.58	28/09/2015	28.09.2025	
7	Basel III	Tier II	INE667A08047	750	8.62	18/12/2015	18.12.2025	

क्रम सं.	श्रेणी सं.		आईएसआईएन सं.	राशि ₹ करोड में	ब्याज दर (%)	जारी करने की तारीख	परिपक्वता की तारीख	न्यासी का नाम
8	बासेल III	टियर II	INE667A08096	500	8.00	03/05/2017	03/05/2027	एसबीआईई कैप ट्रस्टी कॉ. लि.
9	बासेल III	एटी I एसआर I	INE667A08062	370	11.25	30/03/2016	बेमीयादी	
10	बासेल III	एटी I एसआर II	INE667A08054	500	11.25	30/03/2016	बेमीयादी	
11	बासेल III	एटी I एसआर III	INE667A08070	930	11.25	15/07/2016	बेमीयादी	
12	बासेल III	एटी I एसआर IV	INE667A08088	1000	9.95	24/10/2016	बेमीयादी	
13	बासेल III	एटी I एसआर V	INE667A08104	450	9.80	25/07/2017	बेमीयादी	
			कुल	**8044**				

* आईपीडीआई – नवोन्मेषी बेमियादी ऋ ण लिखत अदावी शेयर

''सेबी'' द्वारा अपने परिपत्र सं सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/1/2009/24/04, दिनांक 24.04.2009 के जरिए प्रस्तुत सूचीकरण समझौते के खंड 5 ए में कथित नियमों के अनुसार बेकागजी शेयर के संबंध में बैंक के अदावी शेयरों को किसी एक निक्षेपागार सहभागी के पास जारीकर्ता द्वारा खोले गए डीमैट उचंत खाते में जमा किया जाए।

बैंक, एफपीओ के अदावी शेयरों के संबंध में एक निलंब खाता रखता है। दि. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, उक्त खाते के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

निक्षेपागार सहभागी का नाम	सिंडिकेटबैंक
डीपीआईडी/सीएलआईडी	1305060000006734
नाम	सिंडिकेटबैंक – अदावी उचंत खाता–डीमैट शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, सिंडिकेट बैंक भवन, द्वितीय तल, 26, पी.एम रोड, फोर्ट, मुंबई – 400 001

बैंक के अदावी शेयरों (बेकागज़ी) के विवरण निम्नवत् हैं:

1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानी दि. 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	110	20298
2. शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2018-2019 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	0	0
3. शेयरधारकों की संख्या, जिनका वर्ष 2018-2019 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	0	0
4. वर्ष के अंत में यानी दि. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	110	20298

दि. 31.03.2019 की स्थिति में बैंक कागजी रूप में रखे गए अदावी शेयरों के संबंध में निम्नलिखित निलंब (एस्क्रो) खाता रखता है:

निक्षेपागार सहभागी का नाम	सिंडिकेटबैंक
डीपीआईडी/सीएलआईडी	1305060000006721
नाम	सिंडिकेटबैंक – अदावी उचंत खाता–कागजी शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, सिंडिकेट बैंक भवन, द्वितीय तल, 26, पी.एम रोड, फोर्ट, मुंबई – 400 001

Sl. No.	SERIES No.		ISIN No.	Size ₹ in Crore	Interest Rate(%)	Date of Issue	Date of Maturity	Trustee Name
8	Basel III	Tier II	INE667A08096	500	8.00	03/05/2017	03/05/2027	SBI CAP Trustee Co.Ltd.
9	Basel III	AT I SR.I	INE667A08062	370	11.25	30/03/2016	Perpetual	
10	Basel III	AT I SR.II	INE667A08054	500	11.25	30/03/2016	Perpetual	
11	Basel III	AT I SR.III	INE667A08070	930	11.25	15/07/2016	Perpetual	
12	Basel III	AT I SR.IV	INE667A08088	1000	9.95	24/10/2016	Perpetual	
13	Basel III	AT I SR.V	INE667A08104	450	9.80	25/07/2017	Perpetual	
			TOTAL	**8044**				

* IPDI – Innovative Perpetual Debt Instruments Unclaimed Shares

In terms of Clause 5A of the Listing Agreement introduced by SEBI, vide their Circular No. SEBI/CFD/DIL/LA/1/2009/24/04 dated 24.04.2009, the unclaimed shares of the Bank in respect of Demat Shares shall be credited to a Demat Suspense Account opened by the issuer with one of the depository participants.

The Bank is maintaining an Escrow Account relating to Unclaimed Shares of FPO as per following details as on 31.03.2019:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID / CLID	1305060000006734
Name	SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Demat Shares
Address of the Depository Participant	Syndicate Bank Syndicate Bank Building, 2nd Floor, 26, P.M, Road, Fort, Mumbai - 400 001

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Demat) are as under:

1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2018	110	20298
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2018-2019	0	0
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2018-2019	0	0
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2019	110	20298

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares issued in physical form as per following details as on 31.03.2019:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID / CLID	1305060000006721
Name	SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares
Address of the Depository Participant	Syndicate Bank Syndicate Bank Building, 2nd Floor, 26, P.M, Road, Fort, Mumbai - 400 001

बैंक के अदावी शेयरों (कागजी) के विवरण निम्नवत् हैं:

विवरण	मामलों की सं.	शेयरों की सं.
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में अर्थात दि. 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	525	94100
2. शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने वर्ष 2018-2019 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	0	0
3. शेयरधारकों की संख्या, जिनको वर्ष 2018-2019 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	0	0
4. वर्ष के अंत में अर्थात दि. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	525	94100

अदावी शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक उन शेयरों का सही मालिक उन पर अपना दावा नहीं करता।

सेबी विनियमावली, 1992/2015 (अंतरंग व्यपार निषेध) का अनुपालन

उक्त विनियमावली के अनुसार, बैंक ने बैंक की प्रतिभूतियों के लेन-देन हेतु पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार को रोकने हेतु आचार संहिता निरूपित की है। इन विनियमों की शर्तों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म तैयार किए गए हैं। पुनः, बैंक के निदेशकों और पदनामित कर्मचारियों द्वारा बैंक शेयरों के लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो निम्नलिखित विवरण के अनुसार बंद कर दिया गया है:

ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
दि. 08.05.2018 से 17.05.2018 तक	31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा तथा वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश, यदि हो।
दि. 31.07.2018 से 08.08.2018 तक	30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 26.10.2018 से 02.11.2018 तक	30 सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 28.01.2019 से 04.02.2019 तक	31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा

बैंक ने सेबी (अंतरंग व्यापार निषेध) विनियमावली, 2015 के संदर्भ में आचार संहिता बनाई है, जो 16.05.2015 से प्रभावी है।

अधिग्रहण संहिता

बैंक ने समय-समय पर संशोधित, सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन में किए गए हरित पहल

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रलेखों को ई-मोड से उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में, मेसर्स कार्वी फिनटेक प्रा. लि. (पूर्ववर्ती मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि.) हैदराबाद, बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ अपने ई-मेल आईडी रजिस्टर करने वाले सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 की सॉफ्ट प्रति भेजी जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 की कागजी प्रतियाँ ऐसे सदस्यों को भेजी जाएगी, जिन्होंने बैंक में अपने ई-मेल आईडी रजिस्टर नहीं किए हैं।

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Physical) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2018	525	94100
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2018-2019	0	0
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2018-2019	0	0
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2019	525	94100

Voting rights on the unclaimed shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

COMPLIANCE WITH SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 1992 / 2015

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these regulations. Further, the trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of closure
From 08.05.2018 to 17.05.2018	Declaration of Annual Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2018 and dividend for 2018-19, if any
From 31.07.2018 to 08.08.2018	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th June 2018.
From 26.10.2018 to 02.11.2018	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th September 2018.
From 28.01.2019 to 04.02.2019	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 31st December 2018.

Bank has framed code of conduct in terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, which is effective from 16.05.2015.

Takeover Code

The Bank has complied with the applicable provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended from time to time.

Green Initiatives in the Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs regarding service of documents by e-mode, soft copies of Annual Report 2018-19 of the Bank will be sent to those members, who have registered their email IDs with M/s Karvy Fintech Private Limited (formerly, M/s Karvy Computershare Private Limited), Hyderabad, Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank. Soft copy of Annual Report 2018-19 will be placed on the website of the Bank www.syndicatebank.in.

Hard copies of Annual Report 2018-19 will be sent to the members who have not registered his/her e-mail address with the company.

कारोबार दायित्व रिपोर्ट 2018-2019

समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 का विनियम 34

भाग ए : बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

1. बैंक की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सी आई एन)	लागू नहीं
2. बैंक का नाम	सिंडिकेटबैंक
3. पंजीकृत कार्यालय	मणिपाल – 576 104
4. वेबसाइट	www.syndicatebank.in
5. ई-मेल	coplan@syndicatebank.co.in
6. वित्तीय वर्ष	2018-19
7. उस क्षेत्र का नाम जिसमें बैंक जुड़ा है (औद्योगिक गतिविधि कूटवार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद/सेवाएँ जिन्हें बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है (जैसा कि तुलन पत्र में है)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद तथा विप्रेषण इत्यादि
9. बैंक द्वारा कारोबार किये जाने के कुल स्थानों की संख्या स्थानों की संख्या I. राष्ट्रीय II. अंतर्राष्ट्रीय	 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में 4031 शाखाएं 1 (लंदन)
10. बैंक द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराए जानेवाले बाजार – स्थानीय/राज्य/ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक की शाखाएं हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड किंगडम में बैंक की शाखा है।

भाग बी : बैंक के वित्तीय विवरण

1. चुकता पूंजी (भारतीय रुपये)	₹2,487.91 करोड़
2. कुल लेन-देन (भारतीय रुपये)/राजस्व	₹23,949.22 करोड़
3. कर के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये)	(₹2,588.30 करोड़)
4. कर (%) पश्चात लाभ की प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च	वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के अंतर्गत ₹47.93 लाख खर्च हुई है।
5. कार्यकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त (4) खर्च हुई है।	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत बैंक का प्रमुख योगदान कुछ इस प्रकार है। ❖ डॉ बी आर अंबडकर की 127वीं जंयती के उपलक्ष्य में कर्नाटक राज्य के मैसूर स्थित सरकारी पाठशाला को वाटर प्यूरिफायर का दान ❖ आर्यनकोड, कण्णूर केरल में अनुसूचित जन जाती कॉलोनी में पेय जल की व्यवस्था ❖ डॉ बी आर अंबडकर की 127वीं जंयती के उपलक्ष्य में कर्नाटक राज्य के विजयपुर स्थित एक अनाथाश्रम के लिए इनवर्टर बैटरी का दान ❖ भारतीय विकास ट्रस्ट, शिवल्ली, उडुपी, कर्नाटक को महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता ❖ जीएलपीएस स्कूल, मरवंते के लिए स्मार्ट क्लास हेतु एलसीडी प्रोजेक्टर का दान ❖ कर्नाटक में कोड़गा समूह के लिए गृह निर्माण ❖ कामारेड्डी टॉउन, निज़ामाबाद, तेलंगाना में राशिवनम (वृक्षारोपण) ❖ सरकारी प्रौढ़ माध्यमिक पाठशाला, मोहाली, पंजाब के लिए वाटर कूलर का दान ❖ मापूसा मुनिसिपल काउंसिल, प्लास्टिक फ्री सिटी में क्लॉथ बैग का वितरण ❖ स्वेच्छा गोरा आई बैंक, विजयवाडा, आंध्रप्रदेश के लिए एंबुलेंस ❖ सरकारी मॉडल स्कूल, मोहाली, पंजाब के लिए पेय जल टैंक सुविधा ❖ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत संबल जिला, उत्तर प्रदेश में प्रसाधनों का निर्माण ❖ कलिंगा इन्सिट्यूट ऑफ सोश्यल सर्विज, ओडीशा के महिला छात्रों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता ❖ मन्नारगुडी मुनिसिपालिटी, मदुरै, तमिलनाडु के लिए आईएचएचएल का दान ❖ गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश में स्कूल लाइब्रेरी के लिए वाटर कूलर एवं पुस्तकों का दान

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT – 2018-19

Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time

Section A: General Information about the Company

1.Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	Syndicate Bank
3. Registered Office	Manipal 576 104
4. Website	www.syndicatebank.in
5. Email	coplan@syndicatebank.co.in
6. Financial Year Reported	2018-2019
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company No. of Locations I. National II. International	 4031 branches as on 31.03.2019 1 (London)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	National and International Markets Bank has branches in all the States and Union Territories of India and International presence in UK.

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR)	₹2,487.91 Crore
2. Total Turnover (INR)/ Revenue	₹23,949.22 Crore
3. Total Profit after Tax (INR)	(₹2,588.30 Crore)
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	Amount spent under CSR activity during 2018-19 is ₹47.93 lakhs
5. List of the activities in which expenditure on (4) above has been incurred:	Some of the major contributions under Corporate Social Responsibility during the financial year 2018-19 are: ❖ Donation of water purifier to govt. school at Mysuru on the occasion of 127th birth centenary of Dr. B R Ambedkar, Karnataka ❖ Providing drinking water facility at Ariyancode Scheduled Tribe Colony, Kannur, Kerala. ❖ Providing an inverter battery to orphanage on the occasion of Ambedkar Jayanthi at Vijayapura, Karnataka. ❖ Financial assistance to Bharathiya Vikas Trust, Shivalli, Udupi for organising entrepreneurship training programmes for women, Karnataka. ❖ Providing LCD projector for smart class rooms for GLPS School, Maravanthe ❖ Construction of houses for Koraga families, Karnataka ❖ Rashivanam, Planting of saplings/ trees in Kamareddy Town,Nizamabad Dist., Telangana ❖ Donation of water coolers to Govt Senior Sec school, Mohali, Punjab ❖ MapusaMuncipal Council- Plastic Free City, Cloth Bag Distribution, Goa ❖ Ambulance to SWETCHA GORA Eye Bank, Vijayawada, Andhra Pradesh ❖ Drinking Water Tank facility at Govt. Model School at Mohali, Punjab ❖ Construction toilets under Swachh Bharat Abhiyan in Sambhal Dist, Uttar Pradesh ❖ Financial support to girl students for education, Kalinga Inst of Social Service, Orissa ❖ Providing IHHL to Mannargudi Municipality, Madurai, Tamil Nadu. ❖ Providing water cooler and books to school library, Ghaziabad, Uttar Pradesh

भाग सी : अन्य विवरण

1. क्या बैंक की कोई अनुषंगी बैंक/कंपनियाँ है/हैं	हाँ 1. सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड
2. क्या अनुषंगी अपने मूल बैंक के बीआर पहल का कार्यान्वयन करती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगियों की संख्या	▪ सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड के पिछले 3 वर्षों का निवल लाभ बड़े पैमाने पर किसी भी सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए पर्याप्त नहीं था।
3. क्या बैंक किसी अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरण :आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), के साथ कारोबार करती हैं, जिनके कारोबार दायित्व पहल बैंक में शामिल होते हैं? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं की प्रतिशतता (30% से कम, 30% से 60%, 60% से अधिक)	नहीं

भाग डी : कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

1. कारोबार दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण	
I. कारोबार दायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण	
डीआईएन संख्या	07261965
नाम	श्री एस कृष्णन
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

II. कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्यौरे

क्र.सं.	मद	विवरण
1	डीआईएन सं. (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री इंदर सेन बलूजा
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	दूरभाष	080 22201903
5	ई-मेल आईडी	gmplanning@syndicatebank.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार दायित्व संबंधी नीति/नीतियाँ : (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्र. सं.	प्रश्न	कारोबारी सिद्धांत	उत्पाद दायित्व	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों की वचनबद्धता	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	समावेशी वृद्धि	ग्राहक संपर्क
1.	क्या आपके पास इनके लिए नीति/नीतियाँ हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या संबंधित हितधारकों के संपर्क से नीतियां बनाई जा रही हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है ? यदि हाँ तो (50 शब्दों में) स्पष्ट करें।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या यह प्रबंध निदेशक/मालिक/सीईओ/सक्षम बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या कंपनी में इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड/निदेशक/कर्मचारियों की समिति निर्धारित की गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	क्या नीति को ऑनलाईन देखने के लिए लिंक के ब्यौरे दिया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या इस नीति से संबंधित आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से अवगत कराया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	क्या बैंक में नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक ढांचा उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या बैंक के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायत निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या बैंक ने इस नीति के कार्य प्रचालन के लिए किसी आंतरिक/बाह्य एजेंसी से स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाई है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

Section C: Other Details

1. Does the Bank have any Subsidiary Company/ Companies:	YES 1. SyndBank Services Limited
2. Do the subsidiaries implement BR initiatives of the parent company? If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	▪ Net profit of SyndBank Services Limtied for last 3 years was not sufficient to carry out any social responsibility in large scale.
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Bank does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%).	NO

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible to BR	
I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies	
DIN Number	07261965
Name	Shri S. Krishnan
Designation	Executive Director

II. Details of the BR head

Sl. No.	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Shri Indersain Baluja
3	Designation	General Manager
4	Telephone no.	080 2220 1903
5	e-mail id	gmplanning@syndicatebank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl No	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ Owner/ CEO/ appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2ए. यदि क्रम सं. 1 के सापेक्ष किसी भी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया व्याख्या करें (2 विकल्पों तक चिह्न लगाएँ)

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी इन सिद्धांतों को समझ नहीं पायी है									
2	कंपनी उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर नीतियों को सूत्रबद्ध तथा कार्यान्वित कर सके									
3	कंपनी के पास इस कार्य हेतु वित्तीय अथवा मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।					लागू नहीं				
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर करने हेतु योजना बनाई गयी है।									
5	इसे अगले1 वर्ष के भीतर करने हेतु योजना बनाई गयी है ।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3. कारोबार दायित्व से संबन्धित अभिशासन

▪ निदेशक मंडल, बोर्ड समिति अथवा सीईओ द्वारा कंपनी के कारोबार दायित्व के निष्पादन के निर्धारण के अंतराल को दर्शाएँ	▪ कारोबार दायित्व रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखा गया है और उस पर अनुमोदन प्राप्त किया गया है।
▪ क्या कंपनी कारोबार दायित्व अथवा धारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है?	▪ इसे भविष्य में उपलब्ध कराया जाएगा

भाग ई : सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार का लेन-देन एवं अभिशासन उनकी नीति, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिए

1. क्या नैतिक मूल्य, घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबन्धित पॉलिसी केवल कंपनी तक ही सीमित है? क्या इसका विस्तार, समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य तक है?	▪ भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2006 में, स्वतंत्र स्वायत्त पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों को बैंक के साथ अपने लेन-देनों में बेहतर सेवा मिल सके । ▪ बीसीएसबीआई ने 'ग्राहक के प्रति बैंक प्रतिबद्धताओं की संहिता - जनवरी 2014' और 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता - अगस्त 2015' का प्रकाशन किया जिससे बैंकों के अनुपालन हेतु बैंकिंग प्रक्रिया के न्यूनतम मानक तथा ग्राहक सेवा के बेंचमार्क तय किए गए । ▪ हमारा बैंक बीसीएसबीआई का एक सदस्य है और इसलिए, अपने ग्राहकों के साथ लेन-देनों में उपर्युक्त संहिताओं को अपने सर्वोत्तम व्यवहार संहिता के रूप में स्वैच्छिक रूप से अपनाया है । ▪ ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता को कार्यान्वयन हेतु निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष रखा गया है । ▪ ग्राहक के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता और एमएसई के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता, ऋण से संबंधित कार्यों का विस्तार से वर्णन करती है, जिसमें ऋण आवेदनों की पावती, आवेदनों का निपटान, ग्राहकों को दी जानेवाली दस्तावेजों की प्रतियाँ, विभिन्न ऋण उत्पादों से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें इत्यादि शामिल हैं । ▪ संहिता की पूरी प्रति www.syndicatebank.in पर उपलब्ध है। ▪ 'सिंडिकेटबैंक का सिटीजन चार्टर', बैंक की शाखाओं में ग्राहकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ▪ सिटीजन चार्टर के साथ उक्त संहिता से ग्राहकों के साथ बैंक के लेन-देनों में जवाबदेही, जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता का उच्च स्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा। ▪ चार्टर, बैंक की शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित व्यापक जानकारी भी उपलब्ध कराता है। इससे, बैंकर-ग्राहक के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए ग्राहकों के दायित्व की भी जानकारी मिलती है।

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task				NOT APPLICABLE					
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason(Please specify)									

3. Governance related to BR

▪ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company	▪ BR Report was placed before the Board and its approval obtained.
▪ Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	▪ Would be made available in due course

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	▪ In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. ▪ The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2014" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2015" which sets out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. ▪ Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealings with its customers. ▪ Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for implementation. ▪ Code of commitment to customers and Code of commitment to MSE deal elaborately with credit functions including acknowledgement of credit applications, disposal of applications, copies of documents to be provided to customers, most important terms and conditions in respect of various loan products etc. ▪ Complete copy of the Code is available at www.syndicatebank.in. ▪ "Citizens' Charter of SyndicateBank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank. ▪ The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers. ▪ The Charter also provides comprehensive information on Bank's Grievance redressal mechanism. It also specifies the obligations on the part of the customers for healthy banker-customer relationship.

2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्रबंधन द्वारा इनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का निवारण संतोषप्रद तरीके से किया गया। यदि हो तो, 50 शब्दों में इसके ब्यौरे दें।	वर्ष के दौरान इस श्रेणी के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बैंक, 'ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली (ओजीआरएस)- एक वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली' को क्रियान्वित करने के जरिए अपनी शिकायत निवारण तंत्र को और मज़बूत बनाने के लिए अपेक्षित कदम उठाया है।
■ वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	601
■ वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	19751
■ वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	19424
■ वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	928
■ निवारण की गई शिकायतों की प्रतिशतता	98.34%

सिद्धांत 2 : कारोबार द्वारा ऐसी वस्तुएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा अपने संपूर्ण जीवन काल तक बने रहे

1. आपके 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची जिन्हें सामाजिक या पर्यावरण सरोकारों, जोखिमों तथा/अथवा अवसरों को देखते हुए तैयार किया गया है।	बैंक निम्नांकित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है जिनमें सामाजिक सरोकार और अवसरों को शामिल किया गया है: ■ स्वयं सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह ■ वित्तीय साक्षरता केन्द्र और वित्तीय समावेशन संसाधन केन्द्र ■ सिंडिकेट ग्रामीण विकास ट्रस्ट (एस आर डी टी) ■ किसान क्लब एवं ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम
2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संदर्भ में उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक): i) क्या पूरे मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष की तुलना में सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण में कटौती हुई है? ii) क्या उपभोक्ता (ऊर्जा, जल) द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में कमी पाई गई है ?	लागू नहीं
3. क्या बैंक में स्थिर सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कोई कार्रवाई हो रही है i) यदि हाँ तो, आपके इनपुट का कितना प्रतिशत सस्टेनेबिलिटी सोर्स किया गया? साथ ही, 50 शब्दों में उसका विवरण प्रस्तुत करें	लागू नहीं लागू नहीं
4. क्या बैंक ने अपने कार्यस्थल के आस-पास के समुदायों सहित स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति हेतु कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ तो, स्थानीय एवं लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?	हाँ ■ परिवहन खर्च कम करने तथा समय की बचत करने के खास उद्देश्य से वस्तुएँ खरीदने में नजदीकी विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाती है।
5. क्या बैंक के पास उत्पादों तथा अवशिष्टों को रीसाइकिल करने की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हाँ तो, उत्पादों तथा अवशिष्टों के रीसाइकिलिंग की प्रतिशतता दर्शाएँ (<5%, 5%-10% के रूप में अलग से)। साथ ही, 50 शब्दों में इसके ब्यौरे प्रस्तुत करें।	हाँ <5%

सिद्धांत 3 : कारोबार से समस्त कर्मचारियों के कल्याण में बढ़ावा मिले

1. कुल कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	31521 (अंशकालिक सफाई कर्मियों को छोड़कर)
2. किराये पर/अस्थाई/ठेके पर/अनियत आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएँ (वर्ष के दौरान)	बैंक, ठेका मज़दूरों की सेवाओं का उपयोग नहीं करता है। तथापि, बैंक निजी सुरक्षा एजेन्सियों (पी एस ए) और अभिरक्षा सेवाओं का उपयोग कर रहा है।
3. स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	10025 (अंशकालीन सफाई कर्मचारी सहित)
4. स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	819 (अंशकालीन सफाई कर्मचारी, 40% अधिक विकलांगता युक्त कर्मचारियों सहित)

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	During the year no complaints were received in this category The Bank is taking measures to strengthen Customer Complaints Redressal and had already implemented On-line Grievance Redressal System (OGRS) – a web based on-line customer redressal module.
▪ No. of complaints pending at the beginning of the year	601
▪ No. of complaints received during the year	19751
▪ No. of complaints redressed during the year	19424
▪ No. of complaints pending during the year	928
▪ % age of complaints resolved	98.34%

Principle 2 : Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	▪ Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns, and opportunities: ▪ Self Help Groups and Joint Liability Groups ▪ Financial Literacy Centre and Financial Inclusion Resource Centres ▪ Syndicate Rural Development Trust (SRDT) ▪ Farmers' Clubs & Rural Extension Education Programmes
2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	NOT APPLICABLE
3. Does the Bank have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE
4. Has the Bank taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	YES ▪ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce transportation cost and time lag.
5. Does the Bank have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES <5%

Principle 3 : Businesses should promote the well-being of all employees

1. Please indicate the Total number of employees	31521 (excl Part Time Sweepers)
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis (during the year)	The Bank does not engage contact labour. However, the Bank is utilizing the services of private security agencies (PSA) and ward services
3. Please indicate the number of permanent women employees	10025 (including PTS)
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	819 (including PTS, Disabilities above 40%)

5. क्या आपके यहाँ कर्मचारी संघ हैं, जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त हो	हाँ
6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों की प्रतिशतता	सिंडिकेटबैंक अधिकारी संघ (एसबीओए) – कुल अधिकारियों का 96% सिंडिकेटबैंक कर्मचारी यूनियन (एसबीईयू) – कुल कर्मचारियों का 85%

7. पिछले वित्तीय वर्ष एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बालश्रम, जबरन मजदूरी, अस्वैच्छिक मजदूरी, यौन शोषण से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या दर्शाएँ

क्रम सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बालश्रम/जबरन मजदूरी/अस्वैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
2.	यौन शोषण	1	1
3.	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. आपके निम्नलिखित कर्मचारियों की प्रतिशतता, जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान सुरक्षा एवं कौशल स्तरोन्नयन प्रशिक्षण दिए गए?	
▪ स्थायी कर्मचारी	45.76%
▪ स्थायी महिला कर्मचारी	37.17%
▪ अनियत/अस्थायी/ठेका कर्मचारी	शून्य
▪ विकलांग कर्मचारी	42.16%

सिद्धांत 4 : कारोबार, समस्त हितधारकों, विशेषकर लाभ से वंचित, असुरक्षित तथा सीमांत हितधारकों के हितों का ख्याल रखें तथा उनके प्रति जवाबदेह हो

1. क्या बैंक ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों की वित्तीय स्थिति का पता लगाया है? हाँ/नहीं	हाँ ▪ शेयरधारकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे, सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, म्यूच्युअल फंड, बैंकों एवं वैयक्तिक ▪ ग्राहकों को बृहद कॉरपोरेट, मध्य कॉरपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा खुदरा ग्राहकों में विभाजित किया गया है ▪ एच.आर.डी. विभाग बैंक कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखता है
2. उपर्युक्त में से, क्या बैंक ने सुविधाओं से वंचितों, असुरक्षित तथा सीमांत हितधारकों की पहचान की है?	हाँ बैंक ने सुविधाओं से वंचित, असुरक्षित और सीमांत हितधारकों की पहचान भी की है, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषक, काश्तकारी और पट्टाधारी किसान, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं । इन्हें, विशेष ऋण सुविधाओं सहित किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि, आभूषण ऋण, संयुक्त देयता समूह आदि शामिल हैं, ताकि स्थानीय साहूकारों के चंगुल से किसानों को मुक्त किया जा सके और उनका पुनर्वास किया जा सके।
3. क्या बैंक द्वारा की गई कोई भी विशेष पहल वंचित, असुरक्षित और सीमांत हितधारकों से संबंधित है ? यदि हाँ तो, 50 शब्दों में तत्संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराएं।	हाँ

सिद्धांत 5 : व्यवसाय मानवाधिकारों को बढ़ावा एवं सम्मान देने वाला हो

1. क्या मानवाधिकारों पर बैंक की नीति का विस्तार केवल बैंक तक ही सीमित है या ग्रुप/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी फैला है?	बैंक में कोई विशेष मानवाधिकार नीति मौजूद नहीं। हालांकि इन मदों को बैंक की मानव संसाधन नीति एवं प्रथा के अंतर्गत शामिल किया गया है।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया?	19751 98.34%

<table>
<tr><td>5. Do you have an employee association that is recognized by the management</td><td colspan="4">YES</td></tr>
<tr><td>6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association</td><td colspan="4">SyndicateBank Officers Association (SBOA)96 % of total officers
SyndicateBank Employees Union (SBEU)– 85 % of total workmen employees</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year</td><td>Sr. No.</td><td>Category</td><td>No. of complaints filed during the financial year</td><td>No. of complaints pending as on end of the financial year</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Child labour/ forced labour/ involuntary labour</td><td>Nil</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sexual harassment</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Discriminatory Employment</td><td>Nil</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?
▪ Permanent Employees
▪ Permanent Women Employees
▪ Casual/ Temporary/ Contractual Employees
▪ Employees with Disabilities</td><td colspan="4">

45.76%
37.17%
NIL
42.16%</td></tr>
</table>

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the Bank mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	YES ▪ Shareholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks and Individuals. ▪ Customers are segmented into Large Corporate, Mid-Corporate, Small and Medium enterprises and retail customers. ▪ HRD dept. looks after the interest of the Bank Employees.
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?	YES Bank has also identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities Kisan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Joint Liability Group, etc., with the objective of liberating and rehabilitation of farmers from the clutches of local money lenders.
3. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/Others?	Bank does not have a separate Human Rights Policy. However these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	19751 98.34%

सिद्धांत 6 : व्यवसाय के द्वारा सम्मान, सुरक्षा एवं वातावरण को बहाल करने संबंधी प्रयास

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल बैंक तक ही सीमित है या समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी फैला है?	बैंक ने हरित पहल हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं: ▪ जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के द्वारा भेजे जा रहे हैं। ▪ जिन क्रेडिट कार्ड धारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, उन्हें विवरण ई-मेल के द्वारा भेजे जाते हैं, और ▪ सभी विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं आदि के भुगतान केवल आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किए जाते हैं।
2. क्या बैंक के पास वैश्विक वातावरण के मुद्दे, जैसे, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, आदि पर ध्यान देने के लिए कोई रणनीति/पहल उपलब्ध है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि हेतु हाईपरलिंक दें।	कई जगहों में बैंक पार्क एवं बगीचों का रख-रखाव करता है।
3. क्या बैंक को संभावित वातावरणीय जोखिम की पहचान है और वह वहाँ तक पहुँच रखता है ? हाँ / नहीं	हाँ
4. क्या बैंक की कोई स्वच्छ विकास नीति से संबंधित परियोजना है ? यदि हाँ, तो 50 शब्दों में तत्संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराएँ। यदि हाँ, तो क्या कोई वातावरण अनुपालन दर्ज किया गया है ?	कारोबार की प्रकृति के तौर पर बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास नीति नहीं है।
5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी , उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा, आदि पर कोई अन्य पहल की शुरुआत की है ? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि हेतु हाईपरलिंक दें।	हाँ ▪ उर्जा दक्षता वाले उपकरण कार्यालय में लगाए गए हैं। ▪ संसाधनों और उर्जा के अपव्यय को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं। ▪ भुगतानों/लेन-देनों को नेट बैंकिंग द्वारा किया जाता है (चेक बुक, चालान, रसीद आदि के प्रयोग में पर्याप्त कमी की गई है)
6. क्या रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उत्पादित उत्सर्जन/कचरा, सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमोदित सीमा के दायरे में है?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ नोटिस/विधिक नोटिस की संख्या, जो लंबित हैं (संतोषजनक रूप से निपटाया नहीं गया)	शून्य

सिद्धांत 7 : व्यवसाय जब एक सार्वजनिक और विनियामक नीति के अनुसार कार्य करने लगे तो, एक जिम्मेदार ढंग से ऐसा करना चाहिए

1. क्या आपका बैंक कोई ट्रेड एवं चैम्बर या संगठन का सदस्य है ? यदि हाँ तो केवल उन प्रमुख संगठनों के नाम बताएं जिनसे आप व्यवसाय करते हैं।	हाँ आईबीए, आईआईबीएफ, आईबीपीएस, एनआईबीएम
2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से जनहित के सुधार या उन्नति हेतु वकालत/पैरवी की है? हाँ/नहीं; यदि हाँ, तो विस्तृत क्षेत्र बताएं (ड्रॉप बॉक्स : शासन और प्रशासन। आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, उर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संपोषणीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)	उद्योग के सतत विकास हेतु नीति निर्माता के साथ घनिष्ठता से बैंक कार्य करता है।

सिद्धांत 8 : व्यवसाय से समग्र विकास और समान विकास को बढ़ावा मिले

1. क्या बैंक के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति की तलाश में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हाँ, तो बताएं।	ए) बेरोजगार युवकों को अल्पावधि प्रशिक्षण और अनुरक्षक सेवाएं प्रदान करते हुए स्वरोजगार इकाइयों को स्थापित करने में मदद करने के उद्देश्य से हमारे बैंक ने वर्ष 1982 में एसडीएमई ट्रस्ट और केनरा बैंक के सहयोग से ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी) की स्थापना की है। देशभर में 16 राज्यों में 27 रूडसेटी कार्यरत हैं।

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

1. Does the policy relates to Principle 6 cover only the Bank or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/ NGOs/others.	Bank has taken the following steps towards Green Initiative: ▪ Sending Annual Reports through email to the Shareholders whose email ids are registered; ▪ Credit Card statements are sent to the card holders whose email ids are registered; and ▪ All payments to vendors, service providers etc. are made through RTGS/NEFT only.
2. Does the have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc.	In many places, Bank is maintaining Parks and Gardens.
3. Does the Bank identify and assess potential environmental risks? Y/N	YES
4. Does the have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.
5. Has the company undertaken any other initiative on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.	YES ▪ Energy efficient equipment installed in the offices ▪ Steps taken to reduce wastage of resources and energy ▪ Payments/transactions are effected through Net banking (considerable reduction in use of cheque books, challans, receipts etc.)
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	N A
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your Bank a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with.	YES IBA, IIBF,IBPS,NIBM
2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	Bank works closely with the Policy makers for the sustainable development of the industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the Bank have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	a. With a view to enable the unemployed youth to set up self-employment ventures by imparting them short term training and providing escort services, our Bank started Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI) in collaboration with SDME Trust and Canara Bank in 1982. There are 27 RUDSETI s across 16 states in the country.

	बी) बैंक, देशभर में समाज के बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में मूल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। बैंक ने देशभर में विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से 6953 गाँवों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आनेवाले गाँवों में 128.01 लाख ग्राहकों के मूल बचत बैंक खाते खोले गये । तकनीक का लाभ उठाते हुए बैंक कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्राहकों के घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है। सी) आगे, बैंक, ग्राहकों को छोटी रकम के ओवरड्राफ्ट, सामान्य क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को अपेक्षित ऋण सुविधाएँ प्रदान कर रहा है। समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी कमाई और जीविका में सुधार लाने में इससे मदद मिलती है, जो समग्र रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देता है।
2. क्या कार्यक्रम/परियोजना इन-हाउस टीम/अपनी संस्था/बाह्य एनजीओ/सरकारी ढांचा/कोई अन्य संस्था के माध्यम से ली गई है?	जैसा कि पहले ही बताया गया है प्राधिकृत बैंकों तथा संस्थागत प्रायोजकों की तरफ से वित्तीय साक्षरता केंद्रों की देख-रेख के लिए मणिपाल में दिनांक 20.10.2010 को ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की स्थापना की गई है। वर्ष के अंत तक बैंक के पास 55 एफएलसी हैं। ये एफ़एलसीसी जरूरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ ऋण परामर्श तथा ऋण संरचना योजनाओं से अवगत कराती है । सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी) की स्थापना गरीब ग्रामीणों को विशेषकर महिलाओं को ग्रामीण उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में की गई। एसआरडीटी के माध्यम से बैंक ने 5 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अब तक 16 सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (सिंडआरसेटी) की स्थापना की है।
3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?	इस क्षेत्र में हमारे प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा एफएलसी के असर तथा प्रभाव के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण किया गया है ।
4. समाज विकास परियोजना में आपके कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपये में रकम तथा ली गई परियोजना के ब्यौरे	वर्तमान वर्ष में रूडसेटी द्वारा 805 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 22068 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 15638 प्रशिक्षार्थी रोजगार में जुट गए । सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (सिंड आरसेटी) ने वर्तमान वर्ष में 417 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिनमें 11095 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में 8632 अभ्यर्थी रोजगार में जुट गए ।
5. समाज द्वारा इन समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या आपने कोई कदम उठाया है? 50 शब्दों में वर्णन करें	हमारे रूडसेटी तथा एसआरडीटी द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्वरोजगार की शुरुआत करने हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणालीबद्ध रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

सिद्धांत 9 : कारोबार, ग्राहक के साथ जुड़े रहे, अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से सम्मान दें तथा उनसे जुड़े रहें।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायत/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?	ग्राहक शिकायत - 4.72% उपभोक्ता मामले - 45.97%
2. क्या बैंक, उत्पादों के लेबल पर उत्पाद संबंधी वैसी सूचना दर्शाता है, जो स्थानीय कानून के अनुसार अधिदेशी से अतिरिक्त हो? हाँ/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. क्या पिछले 5 वर्षों में किसी भी हितधारक द्वारा बैंक के विरुद्ध अनुचित व्यापार, व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतियोगी व्यवहार के लिए कोई मामला दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार कोई मामला लंबित है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरे 50 शब्दों में दें	नहीं
4. क्या आपका बैंक, कोई उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि ट्रेंड चलाता है?	हाँ

	b. Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking services to the unbanked segments of the society, across the country. Bank has so far extended banking facilities to 6953 villages pan India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts have been opened to 128.01 lakh customers in the villages covered under financial inclusion. By leveraging technology, bank is providing the facilities at the doorstep of the customers through Business Correspondents. c. Further, Bank is extending required credit facilities to the eligible households by way of Small Overdraft, General Credit Card and Kisan Credit Card for the customers. This helps the needy people in the society to improve their earnings and the livelihood which aids in social and economic development of the nation, as a whole.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?	As already stated, Jnana Jyothi FLCC Trust has been established at Manipal on 20.10.2010 for overseeing the Financial Literacy Centres (FLCs) on behalf of the Bank and the Institutional sponsors. Bank is having 55 FLCs as at the end of the year. The FLCs provide financial literacy among public and also offer credit counseling to the needy people. Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural entrepreneurship and self-employment among the rural poor, especially women.Through SRDT, Bank has so far established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (SYNDRSETIs) in 5 states and one Union Territory.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	Survey has been conducted by the Bank to study the impact and effectiveness of FLCs for strengthening our efforts in these lines.
4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	805 training programmes were conducted by RUDSETIs during the year; 22068 candidates were trained and out of them 15638 trainees were settled. SYNDRSETIs conducted 417 training programmes during the year, imparted training for 11095 candidates and 8632 candidates are settled during the year out of the trained candidates.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Systematic follow up and counseling services are being undertaken by our RUDSETIs and SRDTs to facilitate the trained candidates to adopt self-employment initiatives

Principle 9 – Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1. What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year.	Customer complaints - 4.72% Consumer cases - 45.97%
2. Does the Bank display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./N.A/Remarks(additional information)	Not applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	NO
4. Did your Bank carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	YES

कॉरपोरेट अभिशासन पर कार्यशील कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V (ई) के अनुसार)]

सेवा में,

बैंक के सभी शेयरधारक

अनुबंध I

1. सूचीबद्ध संस्था का नाम: **सिंडिकेटबैंक**
2. समाप्त तिमाही: **31.03.2019**

I. निदेशक मंडल का गठन

श्री/सुश्री	निदेशक का नाम	पैन एवं डीआईएन	निदेशक का संवर्ग	वर्तमान अवधि में नियुक्ति की / सेवा समाप्ति की तारीख	अवधि	सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या	लेखापरीक्षा/ हितधारक समिति (यों) में सदस्यता की संख्या	सूचीबद्ध संस्थाओं की लेखापरीक्षा/ हितधारक समिति (यों) में अध्यक्ष पद की संख्या
श्री	अजय विपिन नानावटी	02370729	अध्यक्ष(गैर-कार्यकारी स्वतंत्र)	22.08.2017	3 (तीन) वर्ष	2 (दो)	शून्य	शून्य
श्री	मृत्युञ्जय महापात्र	AAGPM5870Q	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ)	21.09.2018	31.05.2020 तक	1 (एक)	शून्य	शून्य
श्री	एस कृष्णन	07261965	कार्यपालक निदेशक (ईडी)	01.11.2017	31.10.2020 तक	1 (एक)	2 (दो)	शून्य
श्री	अजय के. खुराना	AAFPK3551M	कार्यपालक निदेशक (ईडी)	20.09.2018	19.09.2021 तक	1 (एक)	1 (एक)	शून्य
डॉ	संजय कुमार	AMVPK8231A	सरकार द्वारा नामित गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	05.04.2018	अगले आदेश तक	1 (एक)	1 (एक)	शून्य
श्री	जयंत पी गोखले	00190075	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	30.08.2016	22.08.2019 तक	2 (दो)	1 (एक)	1 (एक)
सुश्री	वन्दना कुमारी जेना	ABXPJ2831J	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	25.04.2016	24.04.2019 तक	1 (एक)	शून्य	शून्य
श्री	जी रमेश	05273063	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	25.04.2016	24.04.2019 तक	1 (एक)	1 (एक)	शून्य
श्री	सुनील वशिष्ठ	01967138	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र-शेयरधारक निदेशक	17.09.2016	16.09.2019 तक	2 (दो)	1 (एक)	1 (एक)
श्री	कमल किशोर सिंघल	AFRPS4142R	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	31.10.2018	30.10.2021 तक	1 (एक)	1 (एक)	शून्य

कंपनी की टिप्पणियाँ	
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है	जी हाँ

II. समितियों का गठन

समिति का नाम	समिति सदस्यों के नाम	सदस्य वर्ग
1. लेखापरीक्षा समिति	श्री जयंत पी गोखले	अध्यक्ष – गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
	श्री एस कृष्णन	कार्यपालक निदेशक
	डॉ. संजय कुमार	सरकार के नामिती गैर-कार्यकारी निदेशक
	श्री जी रमेश	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
	श्री अजय के. खुराना	कार्यपालक निदेशक/विशेष आमंत्रित
2. नामांकन समिति	श्री अजय विपिन नानावटी	अध्यक्ष एवं गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
	डॉ. संजय कुमार	सरकार के नामिती गैर-कार्यकारी निदेशक
	श्री जयंत पी गोखले	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
	श्री जी रमेश	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
	सुश्री वन्दना कुमारी जेना	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

PRACTICING COMPANY SECRETARY CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(In terms of Regulation 34(3) and Schedule V (E) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
All the Shareholders of the Bank,

ANNEXURE I

1. Name of ListedEntity : **SYNDICATEBANK**
2. Quarterending : **31.03.2019**

I. Composition of Board of Directors

Title	Name of the Director	PAN & DIN	Category of the Director	Date of Appointment in the Current Term / Cessation	Tenure	No. of Directorship in the Listed Entity/ies	No. of Membership in Audit / Stakeholder Committee/s	No. of Post of Chairperson in Audit / Stakeholder Committee held in Listed Entity/ies
Mr.	Ajay Vipin Nanavati	02370729	Chairman (Non Executive Independent)	22.08.2017	3 (three) yrs.	2 (two)	Nil	Nil
Mr.	Mrutyunjay Mahapatra	AAGPM5870Q	Managing Director & Chief Executive Officer (MD&CEO)	21.09.2018	Up to 31.05.2020	1 (one)	Nil	Nil
Mr.	S. Krishnan	07261965	Executive Director (ED)	01.11.2017	Up to 31.10.2020	1 (one)	2 (two)	Nil
Mr.	Ajay K Khurana	AAFPK3551M	Executive Director (ED)	20.09.2018	Up to 19.09.2021	1 (one)	1 (one)	Nil
Dr.	Sanjay Kumar	AMVPK8231A	Govt. Nominee Non Executive Independent	05.04.2018	Until further orders	1 (one)	1 (one)	Nil
Mr.	Jayant P Gokhale	00190075	Non Executive Independent	30.08.2016	Up to 22.08.2019	2 (two)	1 (one)	1 (one)
Ms.	Vandana Kumari Jena	ABXPJ2831J	Non Executive Independent	25.04.2016	Up to 24.04.2019	1 (one)	Nil	Nil
Mr.	G Ramesh	05273063	Non Executive Independent	25.04.2016	Up to 24.04.2019	1 (one)	1 (one)	Nil
Mr.	Sunil Vashisht	01967138	Non Executive Independent-Shareholder Director	17.09.2016	Up to 16.09.2019	2 (two)	1 (one)	1 (one)
Mr.	Kamal Kishore Singhal	AFRPS4142R	Non Executive Independent-Shareholder Director	31.10.2018	Up to 30.10.2021	1 (one)	1 (one)	Nil

Company Remarks	
Whether Permanent Chairperson appointed	Yes

II. Composition of Committees

Name of Committee	Name of Committee members	Category of the Member
1. Audit Committee	Mr. Jayant P Gokhale	Chairperson - Non Executive Independent Director
	Mr. S. Krishnan	Executive Director
	Dr. Sanjay Kumar	Govt. Nominee Non Executive Independent Director
	Mr. G Ramesh	Non Executive Independent Director
	Mr. Ajay K Khurana	Executive Director / Special Invitee
2. Nomination Committee	Mr. Ajay Vipin Nanavati	Chairperson - Chairman & Non Executive Independent Director
	Dr. Sanjay Kumar	Govt. Nominee Non Executive Independent Director
	Mr. Jayant P Gokhale	Non Executive Independent Director
	Mr. G Ramesh	Non Executive Independent Director
	Ms. Vandana Kumari Jena	Non Executive Independent Director

समिति का नाम	समिति सदस्यों के नाम	सदस्य वर्ग
3. पारिश्रमिक समिति	श्री अजय विपिन नानावटी	अध्यक्ष एवं गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
	डॉ. संजय कुमार	सरकार के नामिती गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
	श्री जयंत पी गोखले	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
	श्री कमल किशोर सिंघल	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र - शेयरधारक निदेशक
4. जोखिम प्रबंधन समिति	श्री अजय विपिन नानावटी	अध्यक्ष एवं गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
	श्री मृत्युञ्जय महापात्र	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	श्री एस कृष्णन	कार्यपालक निदेशक
	श्री अजय के खुराना	कार्यपालक निदेशक
	श्री जी रमेश	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
	श्री कमल किशोर सिंघल	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र - शेयरधारक निदेशक
5. हितधारक संपर्क समिति	श्री सुनील वशिष्ठ	अध्यक्ष - गैर-कार्यकारी स्वतंत्र - शेयरधारक निदेशक
	श्री एस कृष्णन	कार्यपालक निदेशक
	श्री अजय के खुराना	कार्यपालक निदेशक
	श्री कमल किशोर सिंघल	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र - शेयरधारक निदेशक

III. निदेशक मंडल की बैठक

पिछली तिमाही की बैठकों की तारीख	वर्तमान तिमाही की बैठकों की तारीख	लगातार दो बैठकों के बीच का अधिकतम अंतर
31-10-2018, 19-11-2018 तथा 20-12-2018	07-01-2019, 02-02-2019, 22-02-2019, 27-02-2019, 02-03-2019 तथा 19-03-2019	25 दिन

IV. समिति की बैठकें

समिति का नाम	संबंधित तिमाही में समिति की बैठकों की तारीख	क्या अपेक्षित कोरम उपस्थित था (विवरण)	पिछली तिमाही में समिति की बैठकों की तारीख	लगातार दो बैठकों के बीच का अधिकतम अंतर
लेखापरीक्षा समिति	02-02-2019	जी हाँ	30 एवं 31-10-2018, 23-11-2018	70 दिन
नामांकन समिति	नहीं	नहीं	10.01.2018	लागू नहीं
पारिश्रमिक समिति	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
जोखिम प्रबंधन समिति	07-01-2019, 19-03-2019	जी हाँ	19-11-2018	70 दिन

V. संबद्ध पार्टी लेनदेन

विषय	अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
क्या लेखापरीक्षा समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया गया है	लागू नहीं
क्या महत्वपूर्ण आरपीटी के लिए शेयरधारक की मंजूरी प्राप्त की गई है	लागू नहीं
क्या लेखापरीक्षा समिति द्वारा सार्वजनिक अनुमति के अनुपालन में प्रविष्ट आरपीटी के विवरण की समीक्षा की गई है।	लागू नहीं

Name of Committee	Name of Committee members	Category of the Member
3. Remuneration Committee	Mr. Ajay Vipin Nanavati	Chairperson - Chairman & Non Executive Independent Director
	Dr. Sanjay Kumar	Govt. Nominee Non Executive Independent Director
	Mr. Jayant P Gokhale	Non Executive Independent Director
	Mr. Kamal Kishore Singhal	Non Executive Independent – Shareholder Director
4. Risk Management Committee	Mr. Ajay Vipin Nanavati	Chairperson - Chairman & Non Executive Independent Director
	Mr. Mrutyunjay Mahapatra	Managing Director & Chief Executive Officer (MD&CEO)
	Mr. S. Krishnan	Executive Director
	Mr. Ajay K Khurana	Executive Director
	Mr. G Ramesh	Non Executive Independent Director
	Mr. Kamal Kishore Singhal	Non Executive Independent – Shareholder Director
5. Stakeholders' Relationship Committee	Sh. Sunil Vashisht	Chairperson - Non Executive Independent – Shareholder Director
	Sh. S. Krishnan	Executive Director
	Sh. Ajay K Khurana	Executive Director
	Sh. Kamal Kishore Singhal	Non Executive Independent – Shareholder Director

III Meeting of Board of Directors

Date of Meetings in the Previous Quarter	Date of Meetings in the Current Quarter	Maximum gap between anytwo Consecutive (in number of days)
31-10-2018, 19-11-2018 and 20-12-2018	07-01-2019, 02-02-2019, 22-02-2019, 27-02-2019, 02-03-2019 and 19-03-2019	25 days

IV Meeting of Committees

Name of the Committee	Date(s) of Meeting of the Committee in the relevant quarter	Whether requirement of quorum met (details)	Date(s) of Meeting of the Committee in the previous quarter	Maximum gap between any two consecutive Meetings in number of days
Audit Committee	02.02.2019	Yes	30 & 31.10.2018, 23.11.2018	70 days
Nomination Committee	Nil	Nil	10.01.2018	NA
Remuneration Committee	Nil	Nil	Nil	NA
Risk Management Committee	07.01.2019, 19.03.2019	Yes	19.11.2018	70 days

V. Related Party Transactions

Subject	Compliance status (Yes/No/NA)
Whether prior approval of audit committee obtained	NA
Whether shareholder approval obtained for material RPT	NA
Whether details of RPT entered into pursuant to omnibus approval have been reviewed by Audit Committee	NA

VI. पुष्टीकरण

1. निदेशक मंडल का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुसार हुआ है।
2. निम्नलिखित समितियों का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुसार हुआ है:
   ए. लेखापरीक्षा समिति
   बी. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
   सी. हितधारक संपर्क समिति
   डी. जोखिम प्रबंधन समिति (शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए लागू)
3. समिति के सदस्यों को, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में निर्धारित उनके अधिकारों, भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया गया है।
4. निदेशक मंडल तथा उपर्युक्त समितियों की बैठकों को, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में निर्दिष्ट तरीके से आयोजित किया जाता है।
5. इस रिपोर्ट तथा/या पिछली तिमाही में प्रस्तुत रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

नोट : जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है-

सिंडिकेटबैंक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक है तथा उस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है। बैंक के बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 9 (3) के अनुसार किया गया है। सभी निदेशक (शेयरधारक निदेशकों के अतिरिक्त) अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किए गए हैं।

हितधारकों की संपर्क समिति को छोड़कर अतिरिक्त अन्य समितियों का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के तहत किया गया है। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं नामांकन समिति की भूमिका एवं क्रियाविधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।

सूचीयन विनियमन, 2015 के विनियम 15 (2) के अनुसार, अन्य सूचीबद्ध संस्थाएं जो कंपनी नहीं हैं किंतु निगमित निकाय या अन्य कानूनों के तहत नियमों के अधीन हैं, पर विनियम 17 से 27 (निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संपर्क समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति से संबंधित), 46 (2) (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी एवं ई में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधान उस हद तक लागू होंगे जब तक वे उनसे संबंधित नियमों तथा दिशानिर्देशों या संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन न करें।

कृते के के राव एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
शंकर कडियाला
साझेदार
सीपी.सं.: 12730

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 10.05.2019

VI. Affirmations

1. The composition of Board of Directors is in terms of SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.
2. The composition of the following committees is in terms of SEBI(Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015
   a. Audit Committee
   b. Nomination & remuneration committee
   c. Stakeholders relationship committee
   d. Risk management committee (applicable to the top 100 listed entities)
3. The committee members have been made aware of their powers, role and responsibilities as specified in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.
4. The meetings of the board of directors and the above committees have been conducted in the manner as specified in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.
5. This report and/or the report submitted in the previous quarter has been placed before Board of Directors.

Note: As already stated-

Syndicate Bank is one of the Public Sector Banks nationalized under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 (ACT) and are governed by provisions of the ACT. Board of the Bank is constituted in terms of Section 9(3) of the ACT. All the directors (other than Shareholder Directors) are appointed/nominated by Government of India in terms of Section 9(3) of the ACT.

Other than Stakeholders Relationship Committee, other committees are constituted in terms of RBI guidelines and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Role and functions of Audit Committee of the Board and Nomination Committee are prescribed in RBI guidelines.

As per the Regulation 15(2) of the Listing Regulations,2015, for other listed entities which are not companies, but body corporate or are subject to regulations under other statues, the provisions of Corporate Governance as specified in Regulation 17 to 27 (relating to Board of Directors, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee and Risk Management Committee), 46(2) (b) to (i) and Para's C,D & E of Schedule V shall apply to the extent that it does not violate their respective statues and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

For K. K. Rao Associates
Company Secretaries

Sd/-
Shankar Kadiyala
Partner
CP. No: 12730

Place: Hyderabad
Date: 10.05.2019

अनुबंध II

I. सूचीकरण विनियमन की शर्तों के अनुसार वेबसाइट पर प्रकटीकरण

ब्यौरे	अनुपालन की स्थिति
कारोबार के ब्यौरे	जी हाँ
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित नियम एवं शर्तें	जी हाँ
निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन	जी हाँ
निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग संबंधी आचार संहिता	जी हाँ
सतर्कता तंत्र/अग्रचेतक नीति की स्थापना के ब्यौरे	जी हाँ
गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान से संबंधित मापदंड	जी हाँ
संबद्ध पार्टी लेनदेनों से संबंधित नीति	जी हाँ
महत्वपूर्ण अनुषंगियों को निर्धारित करने के लिए नीति	जी हाँ
स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त पहचान कार्यक्रम	जी हाँ
सूचीबद्ध संस्था के नामित प्राधिकारी, जो निवेशक शिकायतों की देखरेख करता है की संपर्क सूचना	जी हाँ
शिकायत निवारण के लिए ई-मेल पता तथा अन्य संगत ब्यौरे	जी हाँ
वित्तीय परिणाम	जी हाँ
शेयरधारण पैटर्न	जी हाँ
मीडिया कंपनियों तथा /या अन्य सहयोगियों के साथ किए गए करारों के ब्यौरे।	जी हाँ
सूचीबद्ध संस्था का नया एवं पुराना नाम	लागू नहीं

II. वार्षिक पुष्टिकरण

ब्यौरे	विनिमय संख्या	अनुपालन की स्थिति
स्वतंत्र निदेशक जिन्हें स्वतंत्रता तथा /या पात्रता के मापदंडों की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया	16(1)(b) & 25(6)	जी हाँ
मंडल का गठन	17(1)	जी हाँ
निदेशक मंडल की बैठक	17(2)	जी हाँ
अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा	17(3)	जी हाँ
नियुक्ति के लिए क्रमिक उत्तराधिकार योजना	17(4)	जी हाँ
आचार संहिता	17(5)	जी हाँ
शुल्क/क्षतिपूर्ति	17(6)	जी हाँ
न्यूनतम सूचना	17(7)	जी हाँ
अनुपालन प्रमाणपत्र	17(8)	जी हाँ
जोखिम निर्धारण एवं प्रबंधन	17(9)	जी हाँ
स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन	17(10)	जी हाँ
लेखापरीक्षा समिति का गठन	18(1)	जी हाँ
लेखापरीक्षा समिति की बैठक	18(2)	जी हाँ
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन	19(1) एवं (2)	जी हाँ
हितधारक संपर्क समिति का गठन	20(1) एवं (2)	जी हाँ
जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका एवं गठन	21(1),(2),(3),(4)	जी हाँ
सतर्कता तंत्र	22	जी हाँ
संबद्ध पार्टी लेनदेन संबंधी नीति	23(1),(5),(6),(7) & (8)	जी हाँ
सभी संबद्ध पार्टी लेनदेनों के लिए लेखापरीक्षा समिति की पूर्व या सार्वजनिक अनुमति	23(2), (3)	लागू नहीं
संबंद्ध पार्टी लेनदेनों का अनुमोदन	23(4)	लागू नहीं

ANNEXURE II

I. Disclosure on website in terms of Listing Regulations

Particulars	Compliance Status
Details of business	Yes
Terms and conditions of appointment of independent directors	Yes
Composition of various committees of board of directors	Yes
Code of conduct of board of directors and senior management personnel	Yes
Details of establishment of vigil mechanism/ Whistle Blower policy	Yes
Criteria of making payments to non-executive directors	Yes
Policy on dealing with related party transactions	Yes
Policy for determining 'material' subsidiaries	Yes
Details of familiarization programmes imparted to independent directors	Yes
Contact information of the designated officials of the listed entity who are responsible for assisting and handling investor grievances	Yes
email address for grievance redressal and other relevant details	Yes
Financial results	Yes
Shareholdingpattern	Yes
Details of agreements entered into with the media companies and/or their associates	Yes
New name and the old name of the listed entity	Not Applicable

II. Annual Affirmations

Particulars	Regulation Number	Compliance status
Independent director(s) have been appointed in terms of specified criteria of'independence' and/or 'eligibility'	16(1)(b) & 25(6)	Yes
Board composition	17(1)	Yes
Meeting of Board of directors	17(2)	Yes
Review of Compliance Reports	17(3)	Yes
Plans for orderly succession forappointments	17(4)	Yes
Code of Conduct	17(5)	Yes
Fees/compensation	17(6)	Yes
Minimum Information	17(7)	Yes
Compliance Certificate	17(8)	Yes
Risk Assessment & Management	17(9)	Yes
Performance Evaluation of Independent Directors	17(10)	Yes
Composition of Audit Committee	18(1)	Yes
Meeting of Audit Committee	18(2)	Yes
Composition of nomination & remuneration committee	19(1) & (2)	Yes
Composition of Stakeholder RelationshipCommittee	20(1) & (2)	Yes
Composition and role of Risk Management Committee	21(1),(2),(3),(4)	Yes
Vigil Mechanism	22	Yes
Policy for related party Transaction	23(1),(5),(6),(7) & (8)	Yes
Prior or Omnibus approval of AuditCommittee for all Related Party Transactions	23(2), (3)	NA
Approval for material Related Party Transactions	23(4)	NA

ब्यौरे	विनिमय संख्या	अनुपालन की स्थिति
असूचीबद्ध महत्वपूर्ण अनुषंगियों के निदेशक मंडल का गठन	24(1)	जी हाँ
सूचीबद्ध संस्था के अनुषंगियों से संबंधित अन्य कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाएं	24(2),(3),(4),(5) एवं (6)	लागू नहीं
अधिकतम निदेशक पद एवं अवधि	25(1) एवं (2)	लागू नहीं
स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	25(3) एवं (4)	जी हाँ
स्वतंत्र निदेशकों की पहचान	25(7)	जी हाँ
समिति में सदस्यता	26(1)	जी हाँ
निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग की आचार संहिता के अनुपालन का पुष्टीकरण	26(3)	जी हाँ
गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा शेयरधारण का प्रकटीकरण	26(4)	जी हाँ
निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की बाध्यताओं से संबंधित नीति	26(2) & 26(5)	जी हाँ

III. पुष्टीकरण:

सूचीबद्ध संस्था के अनुषंगी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुषंगी नीति तथा कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का सूचीबद्ध संस्था ने अनुपालन किया है।:- **हाँ**

कृते के के राव एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
शंकर कडियाला
साझेदार
सीपी.सं.: 12730

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 10.05.2019

Particulars	Regulation Number	Compliance status
Composition of Board of Directors ofunlisted material Subsidiary	24(1)	Yes
Other Corporate Governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	24(2),(3),(4),(5) & (6)	NA
Maximum Directorship & Tenure	25(1) & (2)	NA
Meeting of independent directors	25(3) & (4)	Yes
Familiarization of independent directors	25(7)	Yes
Memberships in Committees	26(1)	Yes
Affirmation with compliance to code of conduct from members of Board of Directors and Senior management personnel	26(3)	Yes
Disclosure of Shareholding by Non-Executive Directors	26(4)	Yes
Policy with respect to Obligations of directors and senior management	26(2) & 26(5)	Yes

III. Affirmations:

The Listed Entity has approved Material Subsidiary Policy and the Corporate Governance requirements with respect to subsidiary of Listed Entity have been complied.:- **YES**

For K. K. Rao Associates
Company Secretaries

Sd/-
Shankar Kadiyala
Partner
CP. No: 12730

Place: Hyderabad
Date: 10.05.2019

अनुबंध-ए

वर्षांत 31.03.2019 के लिए सिंडिकेटबैंक की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

हमने निम्नलिखित की जांच की है:

ए) मेसर्स सिंडिकेटबैंक (सूचीबद्ध संस्था) द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों और अभिलेखों तथा तत्संबंधी स्पष्टीकरण,

बी) सूचीबद्ध संस्था द्वारा शेयर बाजार को उपलब्ध कराई गई फाइलिंग/प्रस्तुति,

सी) सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट,

डी) इस प्रमाण पत्र को जारी करने हेतु आवश्यक अन्य कोई संबंधित दस्तावेज़/फाइल,

निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में वर्षांत (31.03.2019) ("समीक्षा अवधि") के लिए

ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (सेबी अधिनियम) और उसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश और

बी) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए), और उसके अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बनाए गए नियम और जारी किए गए विनियम, परिपत्र,दिशानिर्देश

निर्दिष्ट विनियमनों जिनके प्रावधानों और तदनुसार जारी किए गए परिपत्रों/दिशानिर्देशों का परीक्षण किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण देयताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015;

बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2018;

सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पर्याप्त शेयरों का अर्जन और अधिग्रहण) विनियमन, 2011;

डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियमन, 2018;

ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014;

एफ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008;

जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय एवं प्रतिदेय अधिमानी शेयरों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2013;

एच) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार निषेध) विनियमन, 2015;

आई) (अन्य लागू विनियमन)

और तदनुसार जारी परिपत्र/दिशानिर्देश;

(नोट: विनियमनों की उपरोक्त सूची सांकेतिक हैं। समीक्षा अवधि के लिए सूचीबद्ध कंपनी की सभी संबंधित एवं लागू सेबी विनियमनों की सूची को जोड़ा जाएगा)

समीक्षा अवधि के दौरान उपरोक्त जांच के आधार पर हम एतद्द्वारा निम्नवत रिपोर्ट करते हैं:

ए) सूचीबद्ध कंपनी ने उपरोक्त प्रावधानों और तदनुसार जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है।

बी) सूचीबद्ध कंपनी ने अभी तक उपरोक्त प्रावधानों और तदनुसार जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुरूप अभिलेखों का समुचित रख-रखाव किया है जो हमारे द्वारा उन अभिलेखों की जांच से पाया गया है।

सी) उपरोक्त अधिनियमों/विनियमनों और तदनुसार जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत (सेबी द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से जारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं सहित) शेयर बाजार या सेबी द्वारा सूचीबद्ध संस्था/उसके प्रवर्तकों/निदेशकों/मुख्य अनुषंगी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	किसके द्वारा कार्रवाई की गई	उल्लंघन का विवरण	कृत कार्यवाही का विवरण जैसे जुर्माना, चेतावनीपत्र, विवर्जित करना आदि	कंपनी सचिव के प्रेक्षण/ टिप्पणी, यदि कोई हो
समीक्षा अवधि के दौरान इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है।				

Annexure - A

Secretarial compliance report of Syndicate Bank for the year ended 31-03-2019

We have examined:

(a) all the documents and records made available to us and explanation provided by M/s. Syndicate Bank ("the listed entity"),

(b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges,

(c) website of the listed entity,

(d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification,

for the year ended [31-03-2019] ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of:

(a) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and

(b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India("SEBI");

The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued thereunder, have been examined, include:-

(a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015;

(b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations,2018;

(c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations,2011;

(d) Securities and Exchange Board of India(Buybackof Securities) Regulations,2018;

(e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations,2014;

(f) Securities and Exchange Board of India (Issue & Listing of Debt Securities) Regulations,2008;

(g) Securities and Exchange Board of India(Issue and Listing of Non- Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations,2013;

(h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations,2015;

(i) (other regulations as applicable)

and circulars/ guidelines issued thereunder;

(Note: The aforesaid list of Regulations is only illustrative. The list of all SEBI Regulations, as may be relevant and applicable to the listed entity for the review period, shall be added.)

Based on the above examination, we hereby report that, during the Review Period:

(a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder.

(b) The listed entity has maintained proper records under the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder insofar as it appears from our examination of those records.

(c) The following are the details of actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ material subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (*including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars)* under the aforesaid Acts/ Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder:

S.No.	Action taken by	Details of violation	Details of action taken E.g. fines, warning letter, debarment, etc.	Observations/ remarks of the Practicing Company Secretary, if any.
No Such Instances happened during the period under review				

डी) पिछले रिपोर्ट के प्रेक्षणों पर सूचीबद्ध कंपनी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:

क्रम सं.	पिछले रिपोर्ट में कंपनी सचिव के प्रेक्षण	जिस वर्षांत के लिए सचिविक अनुपालन रिपोर्ट में प्रेक्षण किए गए हैं (वर्ष का उल्लेख करें)	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा कृत कार्रवाई, यदि कोई हो	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा कृत कार्रवाई पर कंपनी सचिव की टिप्पणी
1	तिमाही की समाप्ति के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना	1-04-2018 से 30-06-2018 तक	नहीं	नहीं
2	तिमाही की समाप्ति के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना	01-07-2018 से 30-09-2018 तक	नहीं	नहीं
3	30 सितंबर 2018 को समाप्त अर्धवर्ष के लिए सूचीकरण करार के विनियमन 40(9) के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करना	01-04-2018 से 30-09-2018 तक	नहीं	नहीं
4	तिमाही की समाप्ति के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना	01-10-2018 से 31-12-2018 तक	नहीं	नहीं
5	तिमाही की समाप्ति के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना	01-01-2019 से 31-03-2019 तक	नहीं	नहीं
6	30 सितंबर 2018 को समाप्त अर्धवर्ष के लिए सूचीकरण करार के विनियमन 40(9) के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करना	01-10-2018 से 31-03-2019 तक	नहीं	नहीं

कृते के के राव एवं एसोसियट्स
कंपनी सचिव

ह/-
शंकर कड़ियाला
साझेदार
एफसीएस: 9983
सीपी. सं: 12730

स्थान: हैदराबाद
तिथि : 18.04.2019

The listed entity has taken the following actions to comply with the observations made in previous reports:

S. No.	Observations of the Practicing Company Secretary in the previous reports	Observations made in the secretarial compliance report for the year ended… (The years are to be mentioned)	Actions taken by the listed entity, if any	Comments of the Practicing CompanySecretary on the actions taken by the listed entity
1	issue of secretarial audit report for the quarter ending	1-04-2018 to 30-06-2018.	No	No
2	issue of secretarial audit report for the quarter ending.	01-07-2018 to 30-09-2018.	No	No
3	issue of certificate under Regulation 40(9) of listing agreement for the half year Ending 30th September 2018.	01-04-2018 to 30-09-2018.	No	No
4	issue of secretarial audit report for the quarter ending.	01-10-2018 to 31-12-2018.	No	No
5	issue of secretarial audit report for the quarter ending.	01-01-2019 to 31-03-2019.	No	No
6	issue of certificate under Regulation 40(9) of listing agreement for the half year Ending 30th September 2018.	01-10-2018 to 31-03-2019.	No	No

For K. K. Rao & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Shankar Kadiyala
Partner
FCS: 9983
CP. No: 12730

Place: Hyderabad
Date: 18.04.2019

निदेशक मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

[सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत] मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि:

ए. मैंने/हमने वर्ष 2018-2019 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

1. इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
2. ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है ।

बी. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

सी. हम बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहन करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिचालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया गया है ।

डी. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:

1. वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
2. वर्ष 2018-19 के दौरान लेखाकरण नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
3. हमारे ध्यान में लाए गए धोखाधड़ी के गंभीर मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका व्यापक प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है ।

स्थान : बेंगलूरु	ह/	ह/
दिनांक : 10.05.2019	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के बैंक की आचार संहिता का **निदेशक मंडल** तथा बैंक के **वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग** ने दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया है।

ह/-
(मृत्युञ्जय महापात्र)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 10.05.2019

CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

(In terms of Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

I/We Certify that -

A. I/We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2018-2019 and that to the best of our knowledge and belief:
   (1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
   (2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2018-2019 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware of and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit committee:
   (1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year 2018-2019;
   (2) Significant changes in accounting policies during the year 2018-2019 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   (3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Place : BENGALURU	**Sd/-**	**Sd/-**
Date : 10.05.2019	**CHIEF FINANCIAL OFFICER**	**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

DECLARATION BY MANAGING DIRECTOR & CEO

The Board of Directors and the **Senior Management Personnel** of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2019.

Sd/-
(Mrutyunjay Mahapatra)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place : Bengaluru
Date : 10.05.2019

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक केप्रमुख निष्पादन

कारोबार

- 31 मार्च 2019 की स्थिति में बैंक का वैश्विक कारोबार, अग्रिम तथा जमाराशि क्रमशः ₹4,77,046 करोड़, ₹2,17,149 करोड़ तथा ₹2,59,897 करोड़ रहा।
- घरेलू जमाराशि के लिए कासा अनुपात मार्च 2019 को बढ़कर 36.77% हो गया जबकि मार्च 2018 को यह 33.33% था।
- कुल मीयादी जमाराशि के लिए प्रतिशत के रूप में खुदरा मीयादी जमाराशि का हिस्सा मार्च 2019 को बढ़कर 66.45% हो गया जबकि यह मार्च 2018 को 56.56% था।

आस्ति गुणवत्ता

- बैंक का सकल एनपीए, मार्च 2018 के ₹25,759 करोड़ (11.53%) से घटकर मार्च 2019 की स्थिति में ₹24,680 करोड़ (11.37%) हो गया है।
- बैंक का निवल एनपीए, मार्च 2018 के ₹13,239 करोड़ (6.28%) से घटकर मार्च 2019 की स्थिति में ₹12,628 करोड़ (6.16%) हो गया है।
- बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात, मार्च 2018 के 60.71% की तुलना में मार्च 2019 की स्थिति में बढ़कर 66.43% हो गया है।
- उन्नयन व वसूली, वित्तीय वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹5685 करोड़ रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह ₹3740 करोड़ था।

लाभप्रदता

- बैंक की निवल ब्याज आय (एनएनआई), वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹6552 करोड़ से 1.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹6648 करोड़ हो गई।
- बैंक का परिचालन लाभ, वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹3864 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹2820 करोड़ हो गया। यह ह्रास मुख्यतः निवेशों की बिक्री में लाभ की कमी के कारण हुआ है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक की निवल हानि ₹3223 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को ₹2587 करोड़ की निवल हानि हुई है। जबकि, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की तीसरी एवं चौथी तिमाही के दौरान क्रमशः ₹108 एवं ₹128 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है।

मुख्य अनुपात

- जमा लागत वित्तीय वर्ष 2017-18 के 5.10 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5.13 हो गया।
- अग्रिम पर प्रतिफल वित्तीय वर्ष 2017-18 के 7.51 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7.52 हो गया।
- निवल ब्याज मार्जिन वित्तीय वर्ष 2017-18 के 2.44 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.42 हो गया।

पूँजी

- सीईटी 1 अनुपात मार्च 18 की स्थिति 7.56 से बढ़कर मार्च 19 को 9.31 हो गई।
- टियर 1 अनुपात मार्च 18 की स्थिति 9.41 से बढ़कर मार्च 19 को 11.36 हो गई।
- सीआरएआर 1 अनुपात मार्च 18 की स्थिति 12.24 से बढ़कर मार्च 19 को 14.23 हो गई।
- कुल आस्तियों में कुल जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) अनुपात मार्च 18 की स्थिति 57 से घटकर मार्च 19 को 51 हो गई।
- सकल अग्रिम में ऋण जोखिम भारित आस्ति अनुपात मार्च 18 की स्थिति 68 से घटकर मार्च 19 को 60 हो गई।

Brief Review of Financial Performance for the FY 2018-19

Business

- Global business of the bank stood at ₹4,77,046 crore as on Mar. 19, Advances at ₹2,17,149 crore and Deposit at ₹2,59,897 crore.
- CASA % to Domestic Deposits have improved from 33.33% as on Mar. 18 to 36.77% as on Mar. 19.
- The share of Retail Term Deposits as a percentage to Total Term Deposits has also improved from 56.56% as on Mar. 18 to 66.45% as on Mar 19.

Assets Quality

- The Gross NPA declined to ₹24,680 crore (11.37%) as at Mar. 19 from ₹25,759 crore (11.53%) as at Mar. 18.
- The Net NPA declined to ₹12,628 crore (6.16%) as at Mar. 19 from ₹13,239 crore (6.28%) as at Mar. 18.
- Provision Coverage Ratio has improved from 60.71% as on Mar. 18 to 66.43% as on Mar. 19.
- Upgradation & Recovery increased to ₹5685 crore in the FY 2018-19 as against ₹3740 crore in FY 2017-18.

Profitability

- The Net Interest Income (NII) has improved by 1.47% from ₹6,552 crore in FY 2017-18 to ₹6,648 crore in FY 2018-19.
- Operating Profit of the Bank for FY 2018-19 is ₹2820 crore against ₹3,864 crore of FY 2017-18. The Reduction is mainly due to decrease in profit on sale of investment.
- The Bank incurred Net Loss of ₹2,587 crore for the FY 2018-19 compared to Net loss of ₹3,223 crore reported in its corresponding FY 2017-18. However, Bank has reported Net Profit of ₹128 crore in Q4 FY 2018-19 and ₹108 crore in Q3 FY 2018-19.

Key Ratio

- Cost of Deposit for FY 2018-19 is 5.13% against 5.10% for FY 2017-18.
- Yield on Advances for FY 2018-19 is 7.52% against 7.51% for FY 2017-18.
- Net Interest Margin for FY 2018-19 is 2.42% against 2.44% for FY 2017-18.

Capital

- The CET 1 Ratio as on Mar. 19 improved to 9.31% from 7.56% as on Mar. 18.
- The Tier 1 Ratio as on Mar. 19 improved to 11.36% from 9.41% as on Mar. 18.
- The CRAR Ratio as on Mar. 19 improved to 14.23% from 12.24% as on Mar. 18.
- The ratio of Total Risk Weighted Assets (RWA) to Total Assets has come down from 57% as on Mar. 18 to 51% as on Mar. 19.
- The ratio of Credit Risk Weighted Assets to Gross Advances has come down from 68% as on Mar. 18 to 60% as on Mar. 19.

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बासेल III पिलर 3 का प्रकटीकरण

सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 को केनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लिमिटेड के नाम से प्रधानत: स्थानीय बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य के उडुपि में हुई। 1963 में बैंक ने अपने नाम को केनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लि. से सिंडिकेट बैंक लिमिटेड में बदल दिया। 1969 में बैंक राष्ट्रीयकृत होकर एक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक बना।

31 मार्च 2019 को बैंक में भारत सरकार का हिस्सा 84.61% रहा है। बैंक के शेयर, मुंबई शेयर बाजार (बीएसई: 532276) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई: सिंडिबैंक) की सूची में हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बासेल III पूँजी विनियामक कार्यान्वयन की तिथि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी निर्धारित किया है । बैंकों द्वारा बासेल III पूँजी विनियामक के तहत निर्धारित नियामक पूँजी सीमा तथा निम्नतम सीआरएआर का अनुपालन निरंतर रूप से किया जाना है। बासेल III में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नतम बासेल पूँजी अनुपात, पूँजी की घटकों का पूर्ण नियामक समायोजन आदि की प्राप्ति के लिए उचित परिवर्ती व्यवस्थाएं की गई हैं । बासेल III पूँजी विनियमन जिसका पूर्ण कार्यान्वयन 31 मार्च 2019 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था को अब बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है।

प्रयोग की परिधि तथा पूँजी पर्याप्तता

पिलर 3 प्रकटीकरण सिंडिकेटबैंक पर लागू है तथा समेकित संस्था होने के नाते बैंक द्वारा पूँजी पर्याप्तता अनुपात का अनुपालन दो स्तरों पर अपेक्षित है ।

ए) समेकित (''समूह'') स्तर की पूँजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षाएं, जो बैंक की ऐसी संस्थाएं जो बीमा तथा गैर-वित्तीय कार्यकलापों में जुड़ी हैं, को छोड़कर बैंक की अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों आदि की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का समेकन कर इसकी पूंजी शक्ति तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता की माप करता है; तथा

बी) स्टैंडएलोन (''एकल'') स्तर की पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं, जो बैंक की स्टैंडएलोन पूंजी शक्ति तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता की माप करता है।

अपनी लंदन स्थित शाखा के माध्यम से किए जाने वाले सिंडिकेटबैंक के विदेशी परिचालन को उपरोक्त दोनों परिदृश्यों के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

सारणी डी एफ-1: प्रयोग की परिधि

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण**

पूंजी पर्याप्तता के लिए समेकन आधार

पूंजी पर्याप्तता के लिए विचारणीय संस्थाओं में बैंक की अनुषंगियों, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यम शामिल हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार विवेकपूर्ण समेकित रिपोर्ट तैयार करने की परिधि में उल्लिखित बैंकिंग या वित्तीय प्रकृति के कार्यकलापों का निर्वहन करते हैं।

Basel- III, Pillar 3 Disclosures for the quarter ended 31.03.2019

Syndicate Bank was established in 1925 in Udupi in Karnataka State as Canara Industrial and Banking Syndicate Ltd., mainly to provide financial assistance to local weavers. In 1963, the Bank changed its name from Canara Industrial and Banking Syndicate Ltd. to Syndicate Bank Ltd. In 1969, the Bank was nationalised and became a Public Sector Bank.

As of 31st March 2019, the Government of India has held 84.61% stake in the Bank. The Bank's shares are listed with Bombay Stock Exchange (BSE: 532276) and the National Stock Exchange (NSE: SYNDIBANK).

RBI has prescribed implementation of the Basel III capital regulations in India with effect from April 1, 2013. Banks have to comply with the regulatory capital limits and minimum CRAR as prescribed under Basel III capital regulations, on an ongoing basis. To ensure smooth transition to Basel III, appropriate transitional arrangements have been provided for meeting the minimum Basel III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital etc. Basel III capital regulations, which was supposed to be fully implemented by March 31, 2019, has been further extended upto March 31, 2020.

Scope of Application and Capital Adequacy

Pillar 3 disclosures apply to Syndicate Bank and Bank, being a consolidated entity, has to comply with the capital adequacy ratio requirements at two levels:

a) Consolidated ("Group") level capital adequacy ratio requirements, which measure the capital adequacy of a bank based on its capital strength and risk profile after consolidating the assets and liabilities of its subsidiaries / joint ventures / associates etc. except those engaged in insurance & any non-financial activities; and

b) Standalone ("Solo") level capital adequacy ratio requirements, which measure the capital adequacy of a Bank based on its standalone capital strength and risk profile.

Overseas operations of Syndicate Bank through its branch in London are covered in both the above scenarios.

Table DF-1: Scope of Application

i. **Qualitative Disclosures**

Basis of consolidation for capital adequacy

The entities considered for consolidation for capital adequacy include subsidiaries, associates and joint ventures of the Bank, which carry on activities of banking or financial nature as stated in the scope for preparing consolidated prudential reports as prescribed by RBI.

समेकन के लिए विचार करने योग्य समूह संस्थाओं की सूची (लेखांकन/नियामक)

संस्था का नाम/उद्गम देश	क्या संस्था समेकन की लेखांकन परिधि में है (हाँ/नहीं)	समेकन की विधि बताएं (लेखांकन परिधि)	समेकन विधि में अंतर के कारण दें	यदि केवल एक ही समेकन परिधि के भीतर है तो इसके कारण स्पष्ट करें
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड (भारत)	हाँ	एएस 21 सिलसिलेवार तरीके से	गैर वित्तीय अनुषंगी (100% स्वामित्व वाली)	नियामक पूंजी से घटायी गई
प्रथमा बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु जोखिम भारित
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	

समेकन की लेखांकन तथा विनियामक परिधियों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न किए जाने योग्य समूह संस्थाओं की सूची।

सिंडिकेटबैंक में ऐसी कोई समूह संस्था नहीं है जो समेकन की लेखांकन संभाव्यता तथा समेकन की विनियामक संभाव्यता दोनों की परिधि के तहत विचारणीय न हों ।

ii. **परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

ए) समेकन के लिए विचार किए जाने योग्य समूह संस्थाओं की सूची (विनियामक संभाव्यता):

शून्य

बी) समस्त अनुषंगियों में पूँजी अपर्याप्तता की कुल रकम जो समेकन की विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं है अर्थात जिन्हें घटा दिया गया हो:

शून्य

सी) बीमा कंपनियों में बैंक की कुल ब्याज की सकल राशि (जैसे चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है:

बैंक का बीमा कंपनियों में किसी प्रकार का निवेश नहीं है।

डी) बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण अथवा नियामक पूँजी में किसी प्रकार का गतिरोध अथवा बाधा:

कुछ नहीं

List of group entities considered for consolidation (Accounting/Regulatory)

Name of the Entity/Country of incorporation	Whether the entity is Included under Accounting scope of Consolidation (Yes/ No)	Explain the method of consolidation (Accounting scope)	Explain the reasons for difference in the method of Consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scope of Consolidation
Syndbank Services Limited (India)	Yes	AS 21 line–by–line basis	Non-Financial subsidiary (100% owned)	Deducted from Regulatory Capital
Prathama Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	Risk Weighted for Capital adequacy purposes
Karnataka Vikas Grameena Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	
Andhra Pragathi Grameena Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	

a list of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities of Syndicate Bank that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

ii. **Quantitative Disclosures:**

a) List of group entities considered for consolidation (Regulatory scope):

Nil

b) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Nil

c) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Bank does not have any investment in insurance entities.

d) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

Nil

सारणी डीएफ–2: पूँजी पर्याप्तता

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण**

पूँजी निर्धारण: बैंक के पास अपनी जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपेक्षित पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए एक प्रक्रिया है और अपनी पूँजी स्तरों के अनुरक्षण के लिए एक कार्यनीति है। यह प्रक्रिया एक प्रकार से आश्वासन देती है कि बैंक के कारोबार में निहित सभी जोखिमों के समर्थन में बैंक के पास पर्याप्त पूँजी बफर उपलब्ध हैं। बैंक, मजबूत अभिशासन तथा नियंत्रणकारी उपायों, मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा तथा पूँजी गणना एवं योजना के लिए निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से उसे होनेवाले समस्त जोखिमों का व्यापक रूप से पहचान, निर्धारण तथा प्रबंधन करता है।

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक तनाव आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) तथा दबाव परीक्षण नीति है जिसका अनुपालन 2008 से किया जा रहा है। बैंक द्वारा अपनी आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) में प्राप्त अनुभवों व सुविधाओं तथा आरबीएस/पर्यवेक्षी समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों/टिप्पणियों के आधार पर परिवर्तन/संशोधन किया जाता है। इस प्रकार का अंतिम संशोधन दि. 12.09.2018 को हुआ है।

बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले ऐसे समस्त जोखिमों के महत्व की पहचान तथा मूल्यांकन के लिए बैंक के पास आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया में संरचनागत प्रबंधन ढाँचा उपलब्ध है। बैंक अपने कारोबार में निम्नलिखित जोखिमों को महत्वपूर्ण मानता है; अतएव इन्हें आईसीएएपी में स्थान प्रदान किया गया है।

(ए) ऋण जोखिम

(बी) ऋण संकेंद्रण जोखिम

- एकल उधारकर्ता संकेंद्रण
- समूह संकेंद्रण
- उद्योग संकेंद्रण
- पर्याप्त एक्सपोज़र

(सी) बाज़ार जोखिम (पिलर 1 के अंतर्गत न आनेवाले)

(डी) परिचालन जोखिम (पिलर 1 के अंतर्गत न आनेवाले)

(ई) तरलता जोखिम

(एफ) बैंक बही में ब्याज दर जोखिम

आईसीएएपी के पिलर 2 में आनेवाले अन्य जोखिम: उपर्युक्त जोखिमों के अतिरिक्त बैंक निम्नलिखित जोखिमों को भी पिलर 2 के अंश के रूप में मानते हुए इनका आकलन गुणात्मक/मात्रात्मक तरीके से करता है ।

(ए) प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम

(बी) कार्यनीति जोखिम

Table DF-2: Capital Adequacy

i. **Qualitative Disclosures**

Assessment of capital: The Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to the Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. The process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks inherent to its present business and to support the planned business growth and an appropriate capital buffer based on its business profile. The Bank identifies, assesses and manages comprehensively all risks that it is exposed to, through sound governance and control practices, robust risk management framework and an elaborate process for capital calculation and planning.

Bank has, Board approved comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress Test Policy which was adopted since 2008. Bank has been modifying/revising the ICAAP policy on an annual basis based on the experience gained, sophistication achieved and also as per the suggestions/observations made by RBI during its RBS/ Supervisory Review and Evaluation Process. The last such revision was done on 12.09.2018.

The Bank has a structured management framework in the Internal Capital Adequacy Assessment Process for the identification and evaluation of the significance of all risks that the Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. The Bank considers the following as material risks; it is exposed to, in the normal course of its business and therefore, factors these in ICAAP

(a) Credit Risk

(b) Credit Concentration Risk

- Single Borrower concentration
- Group Concentration
- Industry concentration
- Substantial exposure

(c) Market Risk (not covered under Pillar I)

(d) Operational Risk (not covered under Pillar I)

(e) Liquidity Risk

(f) Interest Rate Risk in Banking Book

Other Risks covered as part of Pillar 2, in ICAAP: In addition to the above mentioned risks, Bank also assesses the following risks as part of Pillar 2 in quantitative/qualitative manner:

(a) Reputational Risk

(b) Strategic Risk

(सी) मॉडल जोखिम

(डी) पेंशन दायित्व जोखिम

(ई) निपटान जोखिम

(एफ) सामूहिक जोखिम

(जी) प्रमुख कार्मिकों की कमी

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो बैंक के आईसीएएपी का अभिन्न भाग है, को ध्यान में रखकर बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण ढाँचा का कार्यान्वयन किया है तथा तनावपूर्ण परिस्थितियों का निपटान करने के लिए बैंक की अपेक्षित पूँजी आवश्यकताओं का निर्धारण करने और इस निर्धारण से लाभ पर बैंक द्वारा परिकल्पित प्रभाव का आकलन भी करता है।

तनाव परीक्षण का उद्देश्य बैंक संविभाग की गुणवत्ता पर विविध ''झटकों'' के असर का आकलन करना तथा ऐसी घटना होने पर इन झटकों से उबारने की बैंक की क्षमता का निर्धारण करना है। जब ऐसी घटनाएँ वास्तव में घटित होती है तो, बैंक के आस्तियों की गुणवत्ता में कमी आती है जिससे बैंक का लाभ घटता है या बैंक अधिक पूंजी रखने पर मजबूर हो जाता है।

बैंक के सीआरएआर तथा आय पर प्रभाव के निर्धारण के लिए तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण किया जाएगा ।

बैंक, दबाव परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों पर असर का आकलन करता है:

(ए) ऋण जोखिम

- अनर्जक आस्तियाँ
- पुनर्संरचित आस्तियाँ
- संपार्श्विक
- संकेंद्रण जोखिम

(बी) बाज़ार जोखिम

- विदेशी विनिमय जोखिम
- ब्याज दर जोखिम
  - व्यापार बही
  - बैंकिंग बही
- ईक्विटी मूल्य जोखिम

(सी) तरलता जोखिम

दबाव परीक्षण हेतु मुख्यतः दो महत्वपूर्ण श्रेणियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं; सेंसिटिविटी परीक्षण तथा सिनारियो एनालिसिस।

(c) Model Risk

(d) Pension Obligation Risk

(e) Settlement Risk

(f) Group Risk

(g) Loss of Key Personnel

The Bank has implemented a Board approved Stress Testing Framework taking into consideration RBI guidelines which forms an integral part of the Bank's ICAAP and provides an assessment of the capital requirement and impact on Profits of the Bank under stressed conditions envisaged by the Bank.

The purpose of stress testing is to assess the impact of various 'shocks' on quality of the bank's portfolio and an assessment of the bank's ability to withstand such shocks if such an event materializes. When such events actually take place, the quality of assets held by a bank will deteriorate and may lead to reduced profits or constrain the bank to keep more capital.

In order to assess the impact on CRAR and income of the bank, the Stress Test will be conducted on quarterly basis.

The Bank assesses the impact on the following risks, as part of Stress Test:

(a) Credit Risk

- Non-performing assets
- Restructured assets
- Collateral
- Concentration Risk

(b) Market Risk

- Foreign Exchange Risk
- Interest rate Risk
  - Trading Book
  - Banking Book
- Equity Price Risk

(c) Liquidity Risk

The two broad categories of stress tests used are sensitivity tests and scenario analysis.

ii. **परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

ए) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता:

विवरण	रकम (₹ मिलियन में)
वह संविभाग जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन है	141,506.36
प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र*	-
कुल	**141,506.36**

* बैंक के पास प्रतिभूतीकरण के लिए किसी प्रकार का एक्सपोज़र नहीं है।

बी) बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ :

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	रकम (₹ मिलियन में)
ब्याज दर जोखिम	10,632.56
विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	122.34
ईक्विटी जोखिम	2,808.12
कुल	**13,563.01**

सी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएँ :

विवरण	रकम (₹ मिलियन में)
मूल संकेतक दृष्टिकोण	18,502.00

डी) कॉमन ईक्विटी टियर1, टियर 1 और कुल पूँजी अनुपात (बासेल III):

विवरण	%
कॉमन ईक्विटी टियर 1 अनुपात (सीसीबी सहित)	9.31%
अतिरिक्त टियर 1 अनुपात	2.05%
टियर 1 अनुपात (सीसीबी सहित)	11.36%
टियर 2 अनुपात	2.87%
कुल पूंजी अनुपात (सीसीबी सहित)	14.23%

iii. **जोखिम एक्सपोजर और मूल्यांकन**

ए. ऋण जोखिम

ए) परिभाषा: ऋण जोखिम को, प्रतिपक्षकार के ऋण की गुणवत्ता में होनेवाले ह्रास से जुड़ी हुई संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बैंक के संविभाग में, ग्राहक या प्रतिपक्षकार द्वारा उधार, व्यापार, समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित दायित्व की पूर्ति में क्षमता के अभाव से या अनिच्छा से भुगतान में चूक होने से हानि उत्पन्न होती है। इससे विकल्पतः वास्तविक या आस्तियों की ऋण गुणवत्ता में अवनति से उत्पन्न संविभाग मूल्य में कमी के कारण हानि उत्पन्न होगी।

बी) ऋण जोखिम कार्यनीति: ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे का एक महत्वपूर्ण घटक ऋण जोखिम कार्यनीति है। बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुदृढ़ ऋण जोखिम

ii. **Quantitative Disclosures:**

a) Capital requirement for Credit risk:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Portfolios subject to Standardized Approach	141,506.36
Securitization exposures*	-
Total	**141,506.36**

* Bank does not have any exposure to securitization transactions

b) Capital requirements for Market risk:

Standardized Duration Approach	Amount (₹ in Millions)
Interest rate risk	10,632.56
Foreign exchange risk (including gold)	122.34
Equity risk	2,808.12
Total	**13,563.01**

c) Capital requirements for Operational risk:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Basic indicator approach	18,502.00

d) Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios (Basel III):

Particulars	%
Common Equity Tier 1 Ratio (incl. CCB)	9.31%
Additional Tier 1 Ratio	2.05%
Tier 1 Ratio (incl. CCB)	11.36%
Tier 2 Ratio	2.87%
Total Capital Ratio (incl. CCB)	14.23%

iii. **Risk Exposure and Assessment**

A. Credit Risk

a) Definition: Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of counterparties. In a Bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions. Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality of the assets.

b) Credit Risk Strategy: One of the key components of credit risk management framework is credit risk strategy. Bank has sound credit risk strategy to meet the objectives of

कार्यनीति है। बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति बैंक के ऋण सिद्धांत के अनुरूप है, जो गुणवत्तापरक आस्तियों, लाभप्रद संबंध और विवेकपूर्ण वृद्धि पर जोर देता है।

तदनुसार, बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित है:

- बैंक के ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया के अंतर्गत सावधानीपूर्वक उधारकर्ताओं का चयन किया जाता है और विवेकपूर्ण रूप से ऋणों की मंजूरी की जाती है।
- उपार्जन या उसके परिमाण के लिए ऋण की गुणवत्ता में समझौता न किया जाए। कारोबार वृद्धि का उद्देश्य ग्राहक आधार को बढ़ाने, क्षेत्रवार विविधीकरण और भौगोलिक वितरण के माध्यम से ऋण जोखिमों को कम करना है।
- बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति, यह सुनिश्चित करती है कि वह साइक्लिकल इकनॉमिकल ट्रेंड को दूर करे ताकि ऋण संरचना में हुए परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव ऋण संविभाग की समग्र गुणवत्ता पर न पड़े।

बैंक अपनी ऋण जोखिम कार्यनीतियों की पूर्ति के लिए निम्नांकित प्रक्रियाओं को अपनाता है:

- सक्रिय जोखिम प्रबंधन पद्धतियों की स्थापना
- ऋण मंजूरी से ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य को अलग करना
- जोखिम आधारित मूल्यांकन और मंजूरी
- बहुस्तरीय ऋण स्वीकृति प्रणाली
- रकम, लेन-देन जोखिमों और रेटिंग के आधार पर विभेदकारी मंजूरी स्तर
- स्वतंत्र ऋण समीक्षा तंत्र
- समस्यावाले/कमज़ोर ऋण एक्सपोजर पर केंद्रीकृत ध्यान
- निम्न गुणवत्ता की आस्तियों के मामले में समीक्षा/निर्गम
- ऋण की उच्चतम सीमाओं का जोखिम आधारित प्रबंधन
- ऋण जोखिम का अधिग्रहण, विश्लेषण और मापन
- जोखिम आधारित कीमत निर्धारण
- विशेषीकृत उधार पर केंद्रीकृत दृष्टिकोण। यह बृहद/मिड कॉरपोरेट शाखाओं, आवास ऋणों के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र आदि की स्थापना के जरिए किया जाता है।
- चालू एक्सपोजर और एनपीए स्तरों के आधार पर कम प्राथमिकतावाले उद्योगों की पहचान।

इस प्रकार कार्यनीति आर्थिक क्रियाकलाप का स्वरूप, भौगोलिक स्थान, मुद्रा, बाजार, परिपक्वता और प्रत्याशित लाभप्रदता के आधार पर ऋण प्रदान करने में बैंक की रुचि का

credit risk management. Bank's Credit Risk Strategy is in consonance with credit philosophy of the Bank, which emphasizes quality assets, profitable relationships and prudent growth.

Accordingly, Bank's Credit Risk Strategy is guided by the following principles:

- Credit granting process of the Bank would be marked by careful assessment in selecting borrowers and prudence in approving loans.
- Credit quality shall not be compromised for the sake of earnings or volumes. The business development would aim to diffuse credit risks through broadening of the client base, sectoral diversification and geographical distribution.
- Credit Risk strategy of the Bank would also seek to mitigate the cyclical economic trends and ensure that, the shifts in the composition of credit do not have an adverse effect on overall quality of the credit portfolio.

Bank employs the following processes to accomplish its credit risk strategies:

- Establishment of pro-active risk management practices
- Separation of credit risk management functions from credit sanction
- Risk based appraisal and sanction
- Multi-tiered credit approval system
- Discriminatory sanction levels based on amount, transaction risks and rating
- Independent loan review mechanism
- Focused attention on problem/weak credit exposures
- Review/exit in case of low quality assets.
- Risk driven management of credit ceilings or limits
- Capture, Analysis and Measurement of Credit Risk
- Risk based pricing
- Focused approach to specialized lending. This is being done through establishment of Large/Mid-corporate branches, Centralized Processing Centre for Housing Loan
- Identify Low Priority Industries based on the current exposure and NPA levels

Thus the strategy would determine the Bank's willingness to grant loans based on the type

निर्धारण करेगी। इससे लक्षित बाजारों और कारोबार क्षेत्रों की पहचान, अधिमान्य स्तर का विविधीकरण और संकेंद्रीकरण, ऋण प्रदान करने में पूँजी की लागत और अशोध्य ऋण की लागत को अवश्य पता लगाया जा सकता है।

सी) ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली :

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में निम्नांकित मदें शामिल हैं :

i. **जोखिम की पहचान:** बैंक के पास ऋण जोखिम को पहचानने या पता लगाने की पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ हैं। समय पर जोखिम की पहचान करने से बैंक समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

ii. **जोखिम का निर्धारण:** एक खास जोखिम श्रेणी के अंतर्गत उधारकर्ता की रेटिंग और उसका वर्गीकरण करते हुए जोखिम का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक जोखिम श्रेणी संविभाग में अन्य ग्राहकों की तुलना में उधारकर्ता का जोखिम स्तर इंगित करता है। जोखिम निर्धारण को ग्रेडिंग तथा तुलना के उद्देश्य से परिमाणित किया जाता है।

iii. **जोखिम की निगरानी**: यदि एक बार जोखिम की पहचान और निर्धारण कर लिया जाता है, तो बैंक निरंतर रूप से उसकी निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि जोखिम संभालने की स्थिति में है। आस्ति की गुणवत्ता को रक्षित करने और एनपीए से बचाने के लिए बैंक की जोखिम निगरानी एक महत्वपूर्ण साधन है।

iv. **जोखिम का नियंत्रण व न्यूनीकरण:** जोखिम नियंत्रण को, 'विशेष उल्लिखित खाते' के अंतर्गत वर्गीकृत खातों की निरंतर निगरानी के जरिए, बैंक के 'ऋण निगरानी एवं समीक्षा विभाग' नामक विशेष विभाग द्वारा सुनिश्चित किया गया है। आस्ति गुणवत्ता में हुई गिरावट के संकेत एवं संवेदनशील क्षेत्रों के एक्सपोज़र की निगरानी मासिक आधार पर की जाएगी। जोखिम को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। संपार्श्विक प्रतिभूतियों और गारंटियों को प्राप्त करते हुए जोखिम को कम किया जाता है।

डी) ऋण जोखिम प्रबंधन:

बैंक में स्वतंत्र ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है, जिसका संचालन महा प्रबंधक द्वारा किया जाता है और वे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और कुल मि लाकर सभी जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह विभाग, ऋण विभाग और अन्य परिचालन एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न घटकों में जोखिमों को पहचानने, निर्धारण करने, निगरानी करने और नियंत्रण करने तथा कम करने की ओर ध्यान केंद्रित करता है।

of economic activity, geographical location, currency, market, maturity and anticipated profitability. This would necessarily translate into the identification of target markets and business sectors, preferred levels of diversification and concentration, cost of capital in granting credit and cost of bad debts.

c) Credit Risk Management System:

The credit risk management system encompasses the following:

i. **Identification of Risk:** Bank has methods and procedures to identify or locate the credit risk. Timely identification of risk will enable the Bank to initiate timely corrective action.

ii. **Assessment of Risk:** Assessment is done by rating the borrower and classifying the borrower under a particular risk grade. Each risk grade indicates the relative riskiness of the borrower vis-à-vis others in the portfolio. Risk assessment is quantified for the purpose of grading and comparison.

iii. **Monitoring of Risk:** Once the risk is identified and assessed, Bank continuously monitors and ensure that the risk remains within manageable limits. Risk monitoring is an important tool of the Bank to protect the quality of the asset and avoid slippage to NPA.

iv. **Control and Mitigation of Risk:** Controlling of risk is ensured by the Continuous monitoring undertaken in respect of 'Special Mention Accounts' by the bank under a separate vertical called Credit Monitoring and Review department showing signs of slippage in asset quality and monitoring of exposure to sensitive sectors are undertaken on a monthly basis. Efforts are made to mitigate the risk. Risk is mitigated by way of obtaining collaterals or guarantees.

d) Credit Risk Governance:

The Bank has an independent Risk Management Department, which is headed by General Manager and is responsible for managing credit risk, market risk, operational risk and integration of all risks. The department functions independent of Credit Department and other operations and decision making processes. The Risk Management Department focuses on identification, assessment, monitoring and controlling and mitigating of risks across various segments.

ई) संगठनात्मक संरचना:

बैंक ने सुदृढ़ तथा व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे का कार्यान्वयन किया है। निदेशक मंडल ऋण जोखिम प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लेता है और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति और तत्संबंधी कार्यनीतियों का निर्णय करता है तथा विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं को करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग की संरचना निम्नवत है :

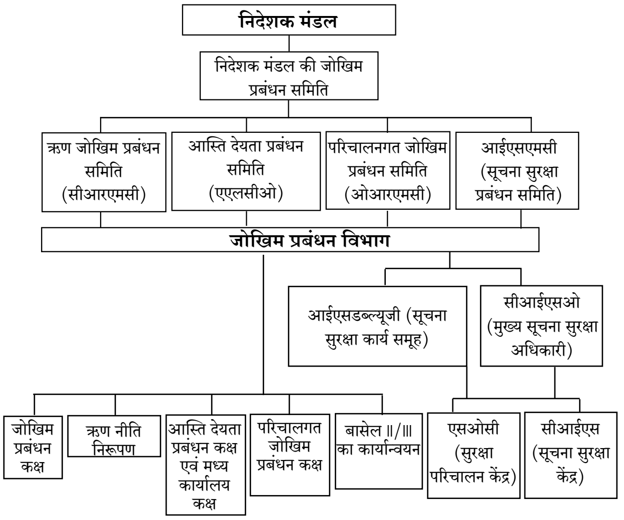

1. **निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):** जोखिम प्रबंधन समिति, मंडल की उप-समिति है, जिसका संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और कार्यनीति बनाते हैं, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोज़र शामिल हैं। यह समिति ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के कार्य की समीक्षा करती है और इन समितियों की सिफारिशों पर विचार करती है। आरएमसी की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं:

   ए) बैंक की जोखिम कार्यनीतियों, जोखिम नीतियों, जोखिम-वहन क्षमता और जोखिम की सहनशीलता का निर्धारण।

   बी) ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के मापन/प्रबंधन/निगरानी/रिपोर्टिंग के लिए नीतियाँ और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना। ऋण नीति, ऋण जोखिम नीति, फोरेक्स (विदेशी मुद्रा) राजकोष नीति एवं परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत, घरेलू राजकोष नीति और परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत, एएलएम नीति, परिचालनगत जोखिम नीति आदि सभी संबद्ध नीतियों का अनुमोदन प्रदान करना।

   सी) विभिन्न जोखिमों को विश्लेषित करने, मापन करने और निगरानी के लिए प्रक्रियाओं को अनुमोदन देना, जो बैंक के कारोबार में होनेवाली सभी महत्वपूर्ण संभावित जोखिम का पता लगाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक हो।

e) Organization Structure:

The Bank has implemented a robust and comprehensive Credit Risk Management framework. The Board of Directors assumes the overall responsibility for credit risk management and decides the credit risk management policy, strategies and sets prudential & other limits.The set-up of Risk Management Department is here under:

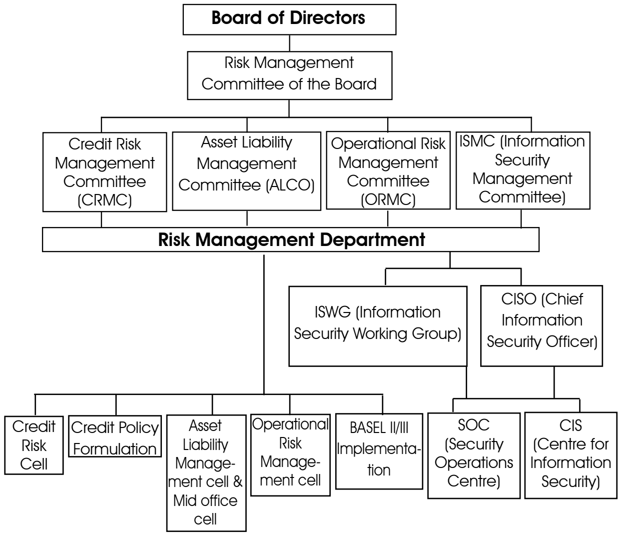

1. **Risk Management Committee (RMC) of the Board:** The Risk Management Committee, a sub-committee of the Board headed by the Chairman, devises the policy and strategies for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank, including the credit risk. The committee reviews the functions and considers the recommendation of Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALCO) and the Operational Risk Management Committee (ORMC). The responsibilities of RMC include:

   a) Setting risk strategies, risk policies, risk appetite and risk tolerance of the Bank.

   b) Setting policies and guidelines for measurement/ management/monitoring/reporting of Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. Approving all related policies i.e., Credit policy, Credit Risk Policy, Forex Treasury Policy and Operational guidelines, Domestic Treasury Policy and Operational Guidelines, ALM policy, Operational risk policy, etc.

   c) Approving procedures for analyzing, measuring and monitoring various risks, which should be sufficiently comprehensive to capture all material risk inherent in the Bank's business.

डी) प्रभावी परिचालनों, विश्वसनीय रिपोर्टिंग, आस्तियों की रक्षा को प्रोत्साहित करने और जोखिम सीमाओं, विधि, विनियमन और अनुमोदित नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था करना।

ई) ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिमों के अंतर्गत जोखिम सीमाओं का अनुमोदन और समीक्षा।

एफ) निरंतर आधार पर ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, परिचालनगत जोखिम, विधि जोखिम आदि का आकलन करना।

जी) ऋण/मार्केट/परिचालनगत जोखिमों के परिकलन के लिए उपयोग की जानेवाली सभी प्रणालियों की प्रभावकारिता और वित्तीय मॉडलों की सशक्तता सुनिश्चित किया जाना।

एच) विभिन्न परिचालन विभागों द्वारा जोखिम मानदंडों के अनुपालन की निगरानी और बैंक के कार्यकलापों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को ध्यान में रखकर जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना।

आई) महत्वपूर्ण कमियों को पहचानने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के प्रति तुरंत ध्यान देना।

जे) जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालन, सीमा और नियंत्रण से संबंधित) बैंक की नीति के अनुरूप है, इसे सुनिश्चित करना।

के) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के कार्यवृत्तों की समीक्षा के जरिए इन समितियों के साथ समन्वय स्थापित करना और इनका पर्यवेक्षण करना।

एल) आरएमसी बैठकों के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना।

एम) मामले के महत्व के आधार पर निदेशक मंडल को अनुमोदन/चर्चा के लिए नोट प्रस्तुत करना।

विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए अलग उप-समितियाँ गठित की गईं।

- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)
- सूचना सुरक्षा प्रबंधन समिति (आईएसएमसी)

2. **ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी):** ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) का संचालन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य

d) Setting up efficient internal control system to promote effective operations, reliable reporting, safeguarding assets and ensuring compliance with risk limits, laws, regulations and approved policies.

e) Approving and Reviewing risk limits under credit risks, market risks and operational risks.

f) Undertaking on an ongoing basis an assessment of credit risk, market risk, liquidity risk, interest rate risk, equity price risk, foreign exchange risk, operational risk, legal risk, etc.

g) Ensuring robustness of financial models and effectiveness of all systems used to calculate Credit/Market/Operational risks.

h) Monitoring compliance with risk parameters by various operating departments and ensure the appropriateness of risk control process, keeping in view the level of risks posed by the bank's activities.

i) Paying prompt attention to identify material weaknesses and take remedial action.

j) Ensuring that risk management processes (related to people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.

k) Co-ordinate and supervise Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset-Liability Management Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC) through review of minutes of these committees.

l) Report to the Board of Directors by placing the minutes of RMC meetings.

m) Place any note to the Board for approval /discussion depending upon the importance of the matter.

Separate sub-committees, are set up to manage and control various risks:

- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- Information Security Management Committee (ISMC)

2. **Credit Risk Management Committee (CRMC):** The Credit Risk Management Committee (CRMC) chaired by Managing Director & CEO, is responsible for the

कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है और यह बोर्ड द्वारा स्वीकृत ऋण जोखिम नीति तथा कार्यनीतियों का कार्यान्वयन करने हेतु उत्तरदायी है। समिति, ऋण जोखिम की निगरानी, नीतियों का अनुमोदन एवं नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

3. **क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन कक्ष:** बासेल संबंधी कार्य सहित समस्त ऋण एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के कार्यों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की जोखिम प्रबंधन कक्ष उत्तरदायी है। जोखिम प्रबंधन कक्ष के कार्यों में रेटिंग की पुष्टि, बासेल का कार्यान्वयन, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन, समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा, एसएम खातों की निगरानी, मित्रा समिति की रिपोर्ट, विधिक अनुपालन और समुचित सावधानी प्रमाणपत्र जारी किए जाने की निगरानी आदि आते हैं।

ऋण जोखिम रिपोर्टिंग की प्रकृति एवं क्षेत्र और/या मापन प्रणाली

i. ऋण रेटिंग प्रणाली के द्वारा उधारकर्ता के ऋण जोखिम या उधारकर्ता को संस्वीकृत ऋण सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। उधारकर्ता की रेटिंग ऋण की मंजूरी के पहले की जाती है और नियमित आधार पर रेटिंग की समीक्षा की जानी है। रेटिंग की संपुष्टि संस्वीकृति पर निर्भर नहीं करती है। बोर्ड द्वारा विभिन्न निवेश सूची हेतु एक प्रस्ताव को विचार करने या अस्वीकृत करने के लिए न्यूनतम प्रतिलाभ दर को निर्धारित किया जाता है। मंजूरी प्राधिकारी, मार्जिन, कीमत निर्धारण और निगरानी उद्देश्य आदि से भी ऋण रेटिंग जुड़ा हुआ है।

ii. निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत जारी एक्सपोज़र का अध्ययन कर जोखिम संवर्ग की समीक्षा की जाती है और उच्च प्रबंधन, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को इनके बारे में नियमित आधार पर अवगत कराया जाता है।

- वैयक्तिक एवं समूह उधारकर्ता के लिए विवेकसम्मत सीमाएं– वैयक्तिक उधारकर्ता/समूह उधारकर्ता के लिए माने जानेवाली अधिकतम ऋण सीमा
- शीर्ष 20 समूह और शीर्ष 20 वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोज़र सीमा
- उद्योगवार / क्षेत्रवार एक्सपोजर की उच्चतम सीमा
- संवेदनशील क्षेत्रों हेतु एक्सपोजर
- पूंजी बाज़ार हेतु एक्सपोजर
- सभी अग्रिमों का रेटिंग दृष्टि से वितरण
- रेटिंग का स्थानांतरण – विभिन्न समयावधियों में ऋण निवेश-सूची में ऋण रेटिंग की अदला बदली

4. **ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम) :** बैंक के पास ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम) है जो अग्रिम के गुण, ऋण प्रबंधन की प्रभावशीलता, बैंक के आंतरिक नीति का अनुपालन और विनियामक ढांचा एवं ऋण संविभाग के गुण को स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करता है। यह खाते में उत्पन्न कमजोरी की

implementation of the Credit Risk Policy and strategies approved by the Board. The committee monitors credit risk, formulate policies and ensures compliance of policies.

3. **Risk Management Cells at ROs:** The Risk Management Cell at RO is responsible for overall credit and operational risk management functions including Basel related work. The functions of Risk Management cell include confirmation of ratings, Basel implementation, operational risk management, review of concurrent audit reports, monitoring of SM accounts, Mitra committee reports, monitoring issuance of Legal Compliance and Due Diligence certificate.

The scope and Nature of Credit Risk reporting and/or measurement system

i. The credit risk of a borrower or that of a credit facility sanctioned to a borrower is assessed through a credit rating system. The rating of the borrower is done prior to sanction of the loan and review of the rating is to be done on regular basis. The confirmation of the rating is independent of sanction. Hurdle rates are prescribed by the Board for considering or rejecting a proposal for various portfolios. Credit Rating is also linked to decide Sanctioning Authority, Margin, Pricing and monitoring purposes.

ii. Portfolio credit risk is assessed by studying the exposures under the following categories and appraised to Top Management, Risk Management Committee of the Board, Audit Committee of the Board and Board of Directors on a regular basis.

- Prudential limits for individual and group borrowers – Ceiling on maximum credit that can be considered for an individual borrower / group of borrowers
- Exposure ceiling for Top 20 Group and Top 20 Individual Borrowers
- Industry-wise/sector-wise exposure ceilings
- Exposure to Sensitive Sector
- Exposure to Capital Market
- Rating-wise distribution of all the advances
- Migration of ratings – Movement of credit ratings in the credit portfolio as a whole over different time periods

4. **Loan Review Mechanism (LRM):** Bank is having Loan Review Mechanism (LRM), which involves independent assessment of the quality of an advance, effectiveness of loan administration, compliance with internal policies of bank and regulatory framework and portfolio quality. It also helps in tracking weaknesses developing in the

जानकारी देता है ताकि प्रारंभिक समय में ही इसे दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

5. **बचाव-व्यवस्था हेतु नीतियाँ और / या जोखिम को कम करने एवं कार्यनीति और प्रतिरक्षा/प्रशामक की प्रभावशीलता को जारी रखने हेतु निगरानी की विधि**

ऋण जोखिम को कम करने एवं निगरानी के लिए बैंक ने विभिन्न प्रकार की नीतियों/प्रणालियों/विधियों को विकसित किया है। नियंत्रण प्रणाली एवं जोखिम निगरानी के संबंध में बैंक में प्रचलित परिचालनगत दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:-

- बैंक के पास सभी समस्या युक्त खाते को पहचानने के लिए स्वतंत्र ऋण निगरानी एवं समीक्षा विभाग है जो उन समस्याओं को उच्च प्रबंधन के सम्मुख प्रस्तुत करता है एवं विशेष उल्लेख खातों/पुनर्गठित खातों की प्रभावी निगरानी के लिए कॉ.का./प्र.का. से समन्वय करता है और प्रणाली/नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु सुझाव प्राप्त करता है। आस्तियों की गुणवत्ता को सुधारने एवं अनर्जक आस्ति की श्रेणी में जाने से रोकने के लिए ससमय उपचारी कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में इस प्रकार की संरचना विद्यमान है।
- उधार खातों में ₹1 करोड़ और उससे अधिक रकम के बकाया खाते की निगरानी के लिए बैंक के पास मासिक निगरानी रिपोर्ट की प्रणाली है जो अग्रिमों का अनुवर्तन करती है एवं उन्हें एनपीए में जाने से रोकती है।
- प्रारंभिक सीमा के ऊपर एक्सपोज़र युक्त खातों की निगरानी हेतु बैंक में आवधिक ऋण लेखा-परीक्षा और स्टॉक लेखा-परीक्षा संचालित करने की प्रणाली है।
- ऋण जोखिम को कम करने में प्रतिभूति प्रबंधन महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत बैंक के पक्ष में उधारकर्ता/तीसरी पक्षकार की आस्तियों पर प्रवर्तनीय प्रभार सृजित किया जाता है और नियमित अंतरालों पर उचित मूल्यांकन/भंडारण/अनुरक्षण एवं प्रतिभूतियों की बीमा सुनिश्चित करता है ताकि बैंक के अग्रिम/ऋण प्राप्य मूल्य युक्त प्रतिभूतियों के साथ पूर्ण रूप से संरक्षित रहें। इसके अतिरिक्त प्रभारित प्रतिभूतियों का आवधिक अंतरालों पर मूल्यांकन होता हैं एवं हमेशा निर्दिष्ट मार्जिन को बनाए रखा जाता है।

सारणी डीएफ-3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण**

वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने हेतु अनिश्चित काल के लिए एक दृढ़ एवं दक्ष बैंकिंग प्रणाली अनिवार्य है। बैंक की आस्तियों में ऋण एवं अग्रिम महत्वपूर्ण है जो आय के प्रमुख स्रोत हैं। आस्ति गुणवत्ता बैंक की सुदृढ़ता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इसलिए आस्ति गुणवत्ता को सुधारने के लिए विशेष बल दिया जाता है। ऋणों एवं अग्रिमों की ससमय वसूली केवल बैंक की तरलता एवं लाभ स्तर को ही नहीं बढ़ाता बल्कि प्रत्यावर्ती उत्पादकारी गतिविधियों तथा संवृद्धि हेतु निधियों का पुनर्निवेश करने के लिए बैंक को सक्षम बनाता है।

account for initiating corrective measures in time.

5. **Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigates:**

Bank has evolved several strategies/systems/procedures to mitigate and monitor credit risk. The operational guidelines pertaining to the Risk Monitoring and control systems put in place by the bank are as under.

- The Bank has an independent Credit Monitoring & Review Department for identifying all problem accounts which places the same before Top Management and co-ordinates with functional departments at CO/HO, for effective monitoring of Special Mention accounts/Restructured accounts and takes feedback for any changes in the system/policy. Timely remedial action is taken to improve the quality of the assets and arrest slippage to NPA category. Similar structure exists in each RO.
- Bank is having the system of Monthly Monitoring Report for borrowal accounts with balance outstanding of ₹1 Crore and above for monitoring and follow up of advances and preventing from slipping to NPA.
- Bank has also system of conducting periodic credit audits and stock audit for exposure beyond a threshold limit.
- Security management is instrumental in mitigating credit risk. It involves creation of enforceable charge over the borrower/third party assets in favour of the Bank, proper valuation/storage/maintenance and insurance of the securities so charged at regular intervals, in order that the Bank's advances/loans remain fully covered by the realizable value of the securities charged to it. Further, the charged securities are valued at periodic intervals and stipulated margins are maintained at all times.

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures

i. **Qualitative Disclosures**

A sound and efficient banking system is a sine qua non for maintaining financial stability. Loans and advances constitute major portion of the assets of the Bank and also a vital source of income. Asset quality is one of the major soundness indicators of a bank. Therefore considerable emphasis has been placed on improving asset quality. Prompt recovery of loans and advances not only increases the liquidity and profitability position of the Bank, but also enables the Bank to recycle the funds for alternate productive activities and to improve the bottom line.

आस्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और अग्रिम निवेश-सूची के प्रावधानों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक अपने अग्रिमों को (ऋण और साख अग्रिम की प्रकृति में प्रतिस्थापन है) अर्जक एवं अनर्जक ऋणों में वर्गीकृत किया है। अनर्जक आस्ति वह ऋण या अग्रिम होता है जहाँ :

- ❖ एक आस्ति, पट्टा आस्ति सहित, अनर्जक आस्ति तब बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है।
- ❖ अनर्जक आस्ति (एनपीए) वह आस्ति होती है जहाँ एक ऋण या अग्रिम:
  - ➢ मीयादी ऋण के संदर्भ में ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों की अवधि से अधिक के लिए अतिदेय हो।
  - ➢ ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में खाते अनियमित हों।
  - ➢ खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो।
  - ➢ अल्पावधि फसलों के लिए जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसम से अधिक अवधि से अतिदेय हो।
  - ➢ लंबी अवधि के लिए मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो।
  - ➢ भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभूतीकरण 1 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशानुसार कृत प्रतिभूतीकरण अंतरण के संदर्भ में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक से अतिदेय हो।
  - ➢ व्युत्पन्नी संव्यवहारों के मामले में व्युत्पन्नी संविदा में बाजार भाव पर दर्शाए गए मूल्य की अतिदेय प्राप्तियाँ यदि निर्दिष्ट देय तारीख के भुगतान से 90 दिन तक अप्रदत्त हो।
  - ➢ किसी क्रेडिट कार्ड खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाएगा यदि, विवरण में वर्णित न्यूनतम देय राशि का पूर्ण भुगतान देय विवरणों में उल्लिखित तारीख से 90 दिनों के भीतर नहीं किया जाए तो।
  - ➢ ब्याज भुगतान के मामले में, खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा जब किसी तिमाही के दौरान बकाया और प्रभारित ब्याज का पूर्ण भुगतान तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है।

क्रम में नहीं रहने की स्थिति: यदि किसी खाते की बकाया राशि 90 दिनों के लिए अवधि के दौरान निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक होती है, तो उस खाते को 'क्रम में नहीं'खाते के रूप में मानना चाहिए। यदि सक्रिय खाते की बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/

The Bank classifies its advances (loans and credit substitutes in the nature of an advance) into performing and non-performing loans in accordance with the extant RBI guidelines on Asset classification, Income Recognition and Provisioning to Advances portfolio. An NPA is defined as a loan or an advance where:

- ❖ An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate Income for the bank.
- ❖ A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;
  - ➢ Interest and/or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
  - ➢ The account remains 'out of order', in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
  - ➢ The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
  - ➢ The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
  - ➢ The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops,
  - ➢ The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of RBI guidelines on Securitization dated February 1, 2006.
  - ➢ In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.
  - ➢ A Credit card account will be treated as non-performing asset if the minimum amount due, as mentioned in the statement is not paid fully within 90 days from the payment due date mentioned in the statement.
  - ➢ In case of interest payments, the account shall be classified as NPA only if the interest due and charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

Out of Order status: An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for 90 days. In case where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there

आहरण अधिकार से कम है, लेकिन तुलन-पत्र की तारीख से निरंतर 90 दिनों की अवधि तक उस खाते में कोई राशि जमा नहीं की गई है या जमा की गई रकम उसी अवधि के दौरान नामे डाले गए या वह जमा ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है तो ऐसे खातों को 'क्रम में नहीं' खातों के रूप में मानना चाहिए।

अतिदेय: किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख तक रकम अदा नहीं की जाती है तो उसे अतिदेय माना जाएगा।

are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts also should be treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

ii. **परिमाणात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosures:**

31 मार्च 2019 की स्थिति में कुल एक्सपोज़र का उद्योगवार विवरण (₹ मिलियन में)/Industry-Wise Distribution of Exposures as on 31.03.2019 (₹ in Millions):

श्रेणी/ S. N.	उद्योग/INDUSTRIES	निधि आधारित/FB	गैर-निधि आधारित/ NFB	व्युत्पन्न/ DERIVATIVE	निवेश/ INVESTMENT	कुल/TOTAL
1	कृषि/Agriculture	4,16,420.47	0.00	0.00	0.00	416420.47
2	खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)/Mining & Quarrying (incl. Coal)	8,298.87	2,999.89	0.00	196.96	11495.72
3	खाद्य प्रसंस्करण/Food Processing	25,880.08	1,732.47	19.60	8.16	27640.31
	चीनी/Sugar	6,365.53	30.00	0.00	1.13	6396.66
	खाद्य तेल एवं वनस्पति/Edible Oils & Vanaspati	2,042.39	51.85	1.20	2.75	2098.19
	चाय/Tea	333.35	2.99	0.00	0.00	336.34
	अन्य 1/ Others 1	17,138.80	1,647.63	18.40	4.28	18809.11
4	मादक पेय एवं तंबाकू/Beverage & Tobacco	1,494.38	186.49	0.00	0.00	1680.88
5	कपड़ा उद्योग/Textiles	14,558.36	972.95	45.94	246.76	15824.01
	कपास वस्त्र उद्योग/Cotton Textiles	6,774.90	641.88	17.34	0.75	7434.87
	जूट वस्त्र उद्योग/Jute Textiles	92.59	0.00	0.00	0.00	92.59
	मानव-निर्मित वस्त्र उद्योग/Man-Made Textiles	1,076.97	0.17	0.00	0.00	1077.14
	अन्य वस्त्र उद्योग/Other Textiles	6,613.90	330.91	28.60	246.00	7219.41
6	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद/Leather & Leather Products	1,648.42	56.73	1.82	0.00	1706.96
7	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद/Wood & Wood Products	2,275.25	502.63	0.75	0.00	2778.64
8	कागज़ एवं कागज़ उत्पाद/Paper & Paper Products	6,016.40	338.02	0.00	82.34	6436.76
9	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं न्यूक्लियर इंधन/Petroleum, Coal Products & Nuclear Fuels	22,419.18	26,428.58	0.00	1426.95	50274.71
	उनमें से:/Of which:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पेट्रोलियम/Petroleum	20502.48	26423.19	0.00	1426.95	48352.62
10	रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद/Chemicals & Chemical Products	24479.25	8240.73	157.73	455.80	33333.51
	उर्वरक/Fertiliser	6394.54	5754.25	152.24	0.18	12301.22
	ड्रग्स एवं फार्मासिटिकल्स/Drugs & Pharmaceuticals	7339.41	555.08	0.00	455.42	8349.91
	पेट्रो केमिकल्स/Petro Chemicals	6399.86	15.16	0.00	0.00	6415.02
	अन्य 2/Others 2	4345.44	1916.24	5.49	0.20	6267.36
11	रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद/Rubber, Plastic & their Products	9210.87	1992.31	3.36	0.00	11206.54
12	कांच एवं कांच के उत्पाद/Glass & Glassware	456.92	13.19	0.00	0.00	470.11

श्रेणी/ S. N.	उद्योग/INDUSTRIES	निधि आधारित/FB	गैर-निधि आधारित/ NFB	व्युत्पन्न/ DERIVATIVE	निवेश/ INVESTMENT	कुल/TOTAL
13	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद/Cement & Cement Products	10401.36	633.12	0.00	705.16	11739.63
14	मूल धातु और धातु उत्पाद/Basic Metal & Metal Product	84369.28	2265.59	2.54	1124.97	87762.38
	लोहा और इस्पात/Iron & Steel	64294.49	2021.80	1.13	980.01	67297.43
	अन्य धातु और धातु उत्पाद/Other Metal & Metal Product	20074.79	243.79	1.41	144.96	20464.95
15	सभी इंजीनियरिंग/All Engineering	29093.32	52046.31	16.04	666.58	81822.24
	इलेक्ट्रॉनिक्स/Electronics	2531.10	6276.85	0.00	52.77	8860.71
	अन्य 3/ Others 3	26562.22	45769.46	16.04	613.81	72961.53
16	वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन उपकरण/Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment	10584.66	448.70	0.00	1863.62	12896.98
17	रत्न और आभूषण/Gems & Jewellery	13902.93	786.61	9.96	0.00	14699.50
18	निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर से भिन्न)/Construction (other than Infrastructure)	22213.36	41310.96	0.00	1493.52	65017.83
19	इन्फ्रास्ट्रक्चर/Infrastructure	261649.74	43037.83	0.00	11665.79	316353.36
	पॉवर/Power	124812.04	9635.84	0.00	7827.50	142275.38
	उनमें से:/Of which:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य-स्वामित्व पावर उपयोगिता/State-owned Power Utilities	78265.80	3695.00	0.00	6553.50	88514.30
	दूरसंचार/Telecommunication	15922.05	23270.24	0.00	2066.60	41258.89
	सड़क/Roads	30346.51	4041.14	0.00	594.92	34982.58
	विमान पत्तन/Airports	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पत्तन/Ports	6062.27	2200.00	0.00	100.00	8362.27
	रेलवे (भारतीय रेल्वे को छोड़कर)/Railways (other than Indian Railways)	14740.75	825.19	0.00	0.00	15565.95
	अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर/Other Infrastructure	69766.11	3065.42	0.00	1076.77	73908.30
20	अन्य उद्योग (एनबीएफसी को छोड़कर)/Other Industries (EXCLUDING NBFC)	31017.81	3405.03	1.27	349.29	34773.41
21	एनबीएफसी/NBFC	302941.57	280.00	0.00	24550.90	327772.47
	उद्योगों की कुल संख्या (एनबीएफसी सहित)/Total of Industries (including NBFC)	1299332.48	187678.14	259.01	44836.79	1532106.43
	अवशिष्ट अग्रिम/Residual Advances	1066967.92	59552.92	53190.25	99499.86	26581067.27
	कुल एक्सपोज़र/TOTAL EXPOSURE	2366300.40	247231.06	53449.26	144336.65	28113173.70

पिछली तिमाही की स्थिति में उद्योग के कुल एक्सपोज़र से 5% अधिक एक्सपोज़र:
Exposure to Industries in excess of 5% of total exposure as on last quarter:

(₹ मिलियन में/₹ in Millions)

उद्योग/INDUSTRIES	निधि आधारित/ FB	गैर-निधि आधारित/NFB	व्युत्पन्न/ DERIVATIVE	निवेश/ INVESTMENT	कुल/TOTAL	%
कृषि/ Agriculture	416420.47	0.00	0.00	0.00	416420.47	15.11%
इन्फ्रास्ट्रक्चर/Infrastructure	261649.74	43037.83	0.00	11665.79	316353.36	11.48%
उनमें पॉवर/Of which Power	124812.04	9635.84	0.00	7827.50	124812.04	5.16%
एनबीएफसी/NBFC	302941.57	280.00	0.00	24550.90	327772.47	11.90%

30.09.2018 की स्थिति के अनुसार आस्तियों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग-अलग आंकड़े :

Residual contractual maturity breakdown of assets as on 30.09.2018:

(₹ मिलियन मे /₹ in Millions)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	नकद Cash	भा.रि.बैं. में शेष Balances with RBI	अन्य बैंकों में शेष Balances with other banks	निवेश Investments	निवल अग्रिम Net Advances	स्थिर आस्तियां Fixed Assets	अन्य आस्तियां Other Assets	कुल Total
अगले दिन/Next Day	10,492	2,133	1,479	1,04,975	1,28,022	-	1,211	2,48,312
2 -7 दिन/2 to 7 days	-	2,886	-	1,661	39,377	-	158	44,082
8 -14 दिन/8 to 14 days	-	1,286	-	-	32,000	-	142	33,428
15 -30 दिन/15 to 30 days	-	2,002	-	8,859	60,797	-	261	71,919
31 दिन से 2 महीने तक/31 days & upto 2 m	-	5,332	-	664	98,301	-	669	1,04,966
2 महीने से अधिक और 3 महीने तक/ > 2 mths & upto 3 mths	-	8,196	-	15,792	95,416	-	3,631	1,23,035
3 महीने से अधिक और 6 महीने तक/ > 3 mths and upto 6 mths	-	7,334	-	18,008	1,41,265	-	597	1,67,204
6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक/ > 6 mths and upto 1 y	-	17,376	-	12,936	1,84,217	-	-	2,14,529
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक/ > 1 year and upto 3 years	-	58,189	22,475	1,28,719	6,64,867	-	9,207	8,83,457
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक/ > 3 years and upto 5 years	-	9,168	10,212	1,54,444	2,04,218	-	60,332	4,38,374
5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक/ > 5 years and upto 7 years	-	4,585	-	1,43,217	96,233	-	-	2,44,035
7 वर्षो से अधिक और 10 वर्षो तक/ > 7 years and up to 10 years	-	2,735	-	1,10,422	86,491	-	-	1,99,648
10 वर्षो से अधिक और 15 वर्षो तक/ > 10 years and up to 15 years	-	1,620	1,273	52,801	25,645	-	-	81,339
15 वर्षो से अधिक/>15 years	-	2,796	-	8,234	67,318	25,724	11,377	1,15,449
कुल/Total	10,492	1,25,638	35,439	7,60,732	19,24,167	25,724	87,586	29,69,777

अनर्जक आस्तियों की कुल राशि (सकल)

आस्तियों की श्रेणी	राशि (₹ मिलियन में)
अवमानक	78,644.76
संदिग्ध 1	58,616.62
संदिग्ध 2	82,891.72
संदिग्ध 3	24,846.20
हानि	1,804.40
कुल अनर्जक आस्ति	**246,803.70**
निवल अनर्जक आस्ति	**126,277.30**

अनर्जक अनुपात

(i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां (%)	11.37
(ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	6.16

Amount of NPAs (Gross)

Category of Assets	Amount (₹ in Millions)
Substandard	78,644.76
Doubtful 1	58,616.62
Doubtful 2	82,891.72
Doubtful 3	24,846.20
Loss	1,804.40
Total NPA	**246,803.70**
Net NPAs	**126,277.30**

NPA Ratios

(i) Gross NPAs to Gross Advances (%)	11.37
(ii) Net NPAs to Net advances (%)	6.16

अनर्जक आस्तियों में बदलाव

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
एनपीए (अथ शेष)	257,586.00
एनपीए में वृद्धि	
नया एनपीए	107,308.20
परिचालन की वजह से वृद्धि	5,648.80
विदेशी मुद्रा में अंतर की वजह से वृद्धि	2,963.10
अन्य कुछ (कृपया सूचित करें)	–
कुल (ए)	115,920.10
एनपीए में कटौती	
मूलधन के प्रति वसूली	36,924.00
बट्टे खाते डालना + पीडब्ल्यूओ	67,745.00
उन्नयन	19,916.30
परिचालन की वजह से कमी	330.70
विदेशी विनिमय की वजह से कमी	1,786.40
अन्य कुछ (कृपया सूचित करें)	–
कुल (बी)	126,702.40
एनपीए (इति शेष)	246,803.70

अनर्जक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
अथ शेष	123,413.00
जोड़ें: अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	57,978.30
घटाएं :	
• बट्टे खाते डालना	57,438.60
• अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	5,822.30
इति शेष	**118,130.40**

अनर्जक निवेश

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
अनर्जक निवेशों की रकम	8,195.80
अनर्जक निवेशों एवं निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान	13,620.70
उनमें से	
अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान की रकम	7,584.53
निवेशों पर मूलह्रास के लिए प्रावधान रकम*	6,036.17

अनर्जक निवेशों तथा निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रावधान में बदलाव (मूल्यांकन)

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
अथ शेष	12,233.50
आलोच्य अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	3,766.50
अतिरिक्त प्रावधान में अपलेखन/कटौती	2,379.30
इति शेष	**13,620.70**

Movement in NPA

Particulars	Amount (₹ in Millions)
NPA (Opening balance)	257,586.00
Increase in NPA	
Fresh NPA	107,308.20
Increase due operations	5,648.80
Increase due to Diff in FX exchange	2,963.10
Any other (Pl specify)	–
Total (A)	115,920.10
Reduction in NPAs	
Recovery towards Principal	36,924.00
Write off + PWO	67,745.00
Upgradation	19,916.30
Decrease due to operations	330.70
Decrease due FX Exchange	1,786.40
Any other (Pl specify)	–
Total (B)	126,702.40
NPA (Closing balance)	246,803.70

Movement of Provisions for NPAs

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Opening balance	123,413.00
Add : Provisions made during the period	57,978.30
Less :	
• Write Off	57,438.60
• Write back of excess provisions	5,822.30
Closing Balance	**118,130.40**

Non-Performing Investments

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Amount of Non-Performing Investments	8,195.80
Total Provision for Non-Performing Investments & Depreciation on Investments	13,620.70
Of which	
Amount of provisions held for Non-Performing Investments	7,584.53
Amount of provisions for Depreciation on Investments*	6,036.17

Provision movement of Non-Performing Investments & Depreciation on Investments (Valuation)

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Opening balance	12,233.50
Provisions made during the period	3,766.50
Write Off / Write back of excess provisions	2,379.30
Closing Balance	**13,620.70**

सारणी डीएफ–4 – ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन लाए गए संविभागों पर प्रकटीकरण

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण :**

1. उपयोग किए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम और किसी परिवर्तन के लिए कारण :-

   बासेल II के अंतर्गत संशोधित ढाँचे के प्रावधानों के अनुसार जहाँ बैंक द्वारा प्रदान की गई सुविधा की रेटिंग, जो पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई है, वही रेटिंग दावा के जोखिम भार का आधार होगा। बैंक, पूँजी पर्याप्तता के उद्देश से दावों पर जोखिम भार निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग का उपयोग करता है :

   - क्रेडिट रेटिंग इनफॉरमेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया (क्रिसिल)
   - क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
   - इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स)
   - इनवेस्टमेंट इनफारमेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्रा)
   - ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
   - एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड
   - इन्फोमेरिक्स वेल्युएशन एंड रेंटिंग प्रा. लि.

   बैंक पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए दावों पर जोखिम भार निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग का उपयोग करता है :

   - फिच
   - मूडीज़
   - स्टैण्डर्ड एण्ड पूवर्स

2. उन एक्सपोज़रों के प्रकार जहाँ रेटिंग का प्रयोग होता है :-

   - बैंक ने ऑन–बैलेंस शीट और ऑफ–बैलेंस शीट दोनों के पात्र सभी ऋणों, चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि, के लिए उपर्युक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा तय किए गए याचित रेटिंग्स का उपयोग किया है। बैंक ने न तो इन एजेंसियों द्वारा तय किए गए रेटिंग्स में कोई विभेद किया है न ही उनका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रकार के ऋण के लिए सीमित रखा है।
   - यदि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए दो रेटिंग्स से विभिन्न जोखिम भार का परिकलन किया जाता है, तो निचले स्तर के रेटिंग के लिए परिकलित उच्चतम जोखिम भार लागू किया जाता है।
   - जहाँ रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न प्रकार के रेटिंग्स (दो से अधिक) दिए जाते हैं वहाँ न्यूनतर एवं न्यूनतम रेटिंग भार में से उच्चतम रेटिंग भार अर्थात् नीचे से दूसरे स्थान पर मौजूद रेटिंग भार का प्रयोग किया जाता है।

Table DF-4 – Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

i. **Qualitative Disclosures:**

1. Names of the credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes:-

   In line with the provisions of the Revised Framework under Basel II, where the facility provided by the Bank possesses rating assigned by an eligible credit rating agency, the risk weight of the claim will be based on this rating. Bank uses the ratings of the following domestic credit rating agencies for the purposes of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:

   - Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL)
   - Credit Analysis and Research Limited (CARE)
   - India Ratings and Research Private Limited (India Ratings)
   - Investment Information and Credit Rating Agency of India (ICRA)
   - Brickwork Ratings India Pvt. Limited (Brickwork)
   - Acuite Ratings & Research Ltd.
   - Infomerics Valuation and Rating Pvt. Ltd.

   Bank use, the ratings of the following international credit rating agencies for the purposes of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:

   - Fitch
   - Moody's
   - Standard & Poor's

2. Types of exposures for which ratings are used:-

   - The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term. The Bank has not made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.
   - If there are two ratings accorded by credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight corresponding to lowest rating applied.
   - If multiple ratings accorded by credit rating agencies with different ratings, then the ratings corresponding to the two lowest risk weights referred to and the higher of those two risk weights applied. i.e., the second lowest risk weight.

3. बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग्स के अंतरण के लिए प्रयोग की जानेवाली प्रक्रिया का वर्णन:
   - बैंक किसी विशिष्ट निर्गम में निवेश करता है जिसका चुनिंदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा तय किया गया निर्गम विशिष्ट रेटिंग होता है; दावे का जोखिम भार इसके निर्धारण पर आधारित होगा।
   - निर्गम विशिष्ट रेटिंग (बैंक का निजी ऋण या उसी उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी द्वारा दिया गया अन्य ऋण निर्गम) या जारीकर्ता रेटिंग (उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसी उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी के गैर-श्रेणी निर्धारित ऋण के लिए लागू किया जाता है:
   - निर्गम विशिष्ट रेटिंग का उपयोग तभी किया जाता है जब बैंक का गैर-श्रेणी निर्धारित दावा श्रेणी निर्धारित निर्गम/ऋण के समरूप होता है या अधिक होता है।
   - जहाँ कहीं गैर-श्रेणी निर्धारित दावों के जोखिम भार निर्धारित करने हेतु जारीकर्ता रेटिंग या निर्गम विशिष्ट रेटिंग का उपयोग किया जाता है वहाँ ऐसे रेटिंग उसी काउंटरपार्टी पर दावे की संपूर्ण रकम के लिए दिया जाता है।
   - जोखिम भार निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त रेटिंग को संबंधित रेटिंग एजेंसियों के वेबसाइट से पुष्टि की जाती है।

ii. **परिमाणात्मक प्रकटीकरण:**

कुल बैंक एक्सपोज़र मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने (सीआरएम) के बाद प्रमुख जोखिम श्रेणी में बैंक के निवेश बकाया सकल अग्रिम (श्रेणी निर्धारित और गैर श्रेणी निर्धारित सहित) की रकम

(रकम ₹ मिलियन में)

जोखिम भार वर्ग	**रकम**
अग्रिम	
निधि आधारित	
100% से कम जोखिम भार	1,478,146.32
100% जोखिम भार	281,644.41
100% से अधिक जोखिम भार	178,288.95
कटौती - सी.आर.एम.	233,408.92
योग	2,171,488.60
गैर-निधि आधारित	
100% से कम जोखिम भार	138,242.63
100% जोखिम भार	36,944.42
100% से अधिक जोखिम भार	25,524.36
ऋण जोखिम न्यूनकारक से कटौती	12,366.08
योग	213,077.49
निवेश (बैंकिंग बही)	
100% से कम जोखिम भार	501,692.80
100% जोखिम भार	0.00
100% से अधिक जोखिम भार	618.30
पूँजी से कटौती	44.30
योग	**502,355.40**

3. Description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book.
   - Bank invests in a particular issue that has an issue specific rating by a chosen credit rating agency; the risk weight of the claim will be based on this assessment.
   - Issue Specific Ratings (Bank's own exposures or other issuance of debt by the same borrower constituent/counterparty) or Issuer Ratings (borrower constituent/counterparty) are applied to unrated exposures of the same borrower constituent/counterparty subject to the following:
   - Issue specific ratings are used where the unrated claim of the Bank ranks *pari-passu* or senior to the rated issue/debt.
   - Wherever issuer rating or issue specific ratings are used to risk weight unrated claims, such ratings are extended to entire amount of claim on the same counterparty.
   - Ratings used for risk weighting purposes are confirmed from the websites of the rating agencies concerned.

ii. **Quantitative Disclosures:**

Amount of the Bank's Exposures – Outstanding Gross Advances (including Rated & Unrated) in Major Risk Buckets after factoring Risk Mitigants under Standardized Approach.

(Amount ₹ in Millions)

Risk Weight Category	**Amount**
Advances	
Fund Based	
Risk weight Below 100%	1,478,146.32
Risk weight of 100%	281,644.41
Risk weight more than 100%	178,288.95
Deducted-CRM	233,408.92
Total	2,171,488.60
Non-Fund Based	
Risk weight Below 100%	138,242.63
Risk weight of 100 %	36,944.42
Risk weight more than 100%	25,524.36
Deducted-CRM	12,366.08
Total	213,077.49
Investments (Banking Book)	
Risk weight Below 100%	501,692.80
Risk weight of 100%	0.00
Risk weight more than 100%	618.30
Deducted from capital	44.30
Total	**502,355.40**

सारणी डीएफ – 5: ऋण जोखिम में कमी : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण:**

बैंक द्वारा ऋण जोखिम में कमी का प्रकटीकरण करने की प्रणाली अपनाई जा रही है जिसे ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं को कम करने हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत मान्यता दी गई है और यह ओटीसी व्युत्पन्न के प्रतिपक्षकार जोखिम प्रभारों के परिकलन के लिए तथा ट्रेडिंग बही में किए गए रेपो-स्टाईल लेन-देनों के लिए भी लागू होगी।

1. **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीति एवं प्रक्रिया**

   नियंत्रण की मूल प्रक्रियाएँ एवं ब्यौरे तथा मानक/स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, ऋण प्रदान करने के लिए आवश्यक गारंटी, विभिन्न प्रकार के ऋण एवं संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन प्रक्रिया, संपार्श्विक प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति और निर्गमन आदि बैंक द्वारा जारी ऋण नीति तथा ऋण जोखिम नीति में सूचित किए जाते हैं।

2. **बैंक द्वारा स्वीकार किए जानेवाले मुख्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्णन**

   मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी परिकलन हेतु जोखिम को कम करनेवाली पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ निम्नवत् हैं:

   - नकद या नकद समान (उधारकर्ता बैंक द्वारा जारी मीयादी जमाराशि रसीदों सहित)
   - सोना (दोनों बुलियन और आभूषण सहित)
   - केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
   - किसान विकास पत्र (केवीपी) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
   - आईआरडीए द्वारा विनियमित, किसी बीमा कंपनी की घोषित अभ्यर्पण मूल्य की जीवन बीमा पॉलिसियाँ
   - बीबीबी श्रेणी निर्धारित ऋण प्रतिभूतियाँ - या अल्पावधी मीयादी ऋण लिखतों के लिए बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3

3. **गारंटर काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण-पात्रता**

   बैंक उन गारंटियों के रूप में ऋण सुरक्षा पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, विहित, अविकल्पी और अप्रतिबंधित हैं। बैंक, पूंजी आवश्यकताओं के परिकलन में ऐसी ऋण सुरक्षा को ध्यान में रखता है।

   ऋण जोखिम को कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार हैं - केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गारंटी, ईसीजीसी (राज्य सरकार और ईसीजीसी के गारंटीकृत हिस्से के लिए लागू 20% जोखिम भार), सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच (निम्न आयवाले आवास के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट)।

Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

i. **Qualitative Disclosures:**

Disclosures on credit risk mitigation methodology are being adopted by the Bank which are recognized under the Standardized Approach for reducing capital requirements for credit risk and this will also be applicable for calculation of the counterparty risk charges for OTC derivatives and repo-style transactions booked in the trading book.

1. **Policies and processes for collateral valuation and management**

   Basic procedures and descriptions of controls as well as types of standard/acceptable collaterals, guarantees necessary in granting credit, evaluation methods for different types of credit and collateral, frequency of revaluation and release of collateral are stipulated in the Credit policy & Credit Risk Policy framed by the Bank.

2. **A description of the main collaterals taken by the Bank**

   Collaterals eligible as risk mitigants for capital computation under Standardized Approach comprise namely:

   - Cash or Cash equivalent (including fixed deposit receipts, issued by the lending bank)
   - Gold (include both bullion and jewellery)
   - Securities issued by Central and State Governments
   - Kisan Vikas Patra (KVP) and National Savings Certificates (NSC)
   - Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA
   - Debt Securities rated BBB–or better/PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments

3. **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness**

   The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements.

   The types of guarantees recognized for credit risk mitigation are guarantees by Central Government, State Governments, ECGC (Risk Weight at 20% for guaranteed portion of State Govt. & ECGC), CGTMSE, CRGFTLIH (Credit Guarantee Fund Trust for Low income housing).

प्रतिपक्षकार एक्सपोजर का गारंटीकृत हिस्से से गारंटर के लिए लागू जोखिम भार तय किया जाता है तथा असुरक्षित हिस्से से प्रतिपक्षकार का जोखिम भार निर्धारित किया जाता है। अतः प्रतिपक्षकार से कम जोखिम भारवाली कंपनियों द्वारा जारी गारंटियों से पूंजी प्रभार में कमी होती है।

ii. **परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

पात्र सीआरएम द्वारा संरक्षित एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर निधि आधारित):

विवरण	रकम (₹ मिलियन में)
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति	141,456.80
पात्र गारंटी [केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीजीएमएसई]	104,318.20
योग	245,775.00

सारणी डीएफ–6: प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

नियत अवधि तक सिंडिकेटबैंक ने किसी प्रकार की प्रतिभूतीकरण लेन-देन में भाग नहीं लिया है।

सारणी डीएफ–7: व्यापार बही में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम का संदर्भ उन आगामी अर्जनों की अनिश्चितता से है जो ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, मार्केट मूल्य में होनेवाले परिवर्तन और उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश और बाज़ार जोखिम नीति तथा उस पर परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत मौजूद हैं, जिनकी समीक्षा वार्षिक तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय और व्युत्पन्न का परिचालन सुदृढ़ और स्वीकार्य कारोबार नीतियों के अनुरूप किया जाता है तथा वे मौजूदा विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

व्यापार बही में बाज़ार जोखिम का निर्धारण मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है। व्यापार बही में बाज़ार जोखिम के पूंजी प्रभार अर्थात् धारित संविभाग (एच.एफ.टी.) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध (ए.एफ.एस.) संविभाग का परिकलन भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ

मानक अवधि दृष्टिकोण	रकम (₹ मिलियन में)
ब्याज दर जोखिम	10,632.56
विदेशी विनिमय जोखिम (सोना सहित)	122.34
ईक्विटी जोखिम	2,808.12
योग	**13,563.01**

सारणी डीएफ–8: परिचालनगत जोखिम प्रकटीकरण

परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिम हानि की वह जोखिम है, जो आंतरिक प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता या असफल होने के कारण, लोगों या प्रणालियों की वजह

As the guaranteed portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the applicable to guarantor and the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty. Hence Guarantees issued by entities with attracting lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges.

ii. **Quantitative Disclosures**

Exposures (Fund Based and Non Fund Based) covered by Eligible CRMs:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Eligible Collaterals	141,456.80
Eligible Guarantees [Central Govt., State Govt., CGMSE]	104,318.20
Total	245,775.00

Table DF-6: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

As on date, Syndicate Bank has not entered into any kind securitization transaction

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Board approved Investment and Market Risk policies and operational guidelines thereon are in place, reviewed annually to ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines.

Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardised approach. The capital charge for Market Risk in Trading Book, i.e. Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Capital requirements for market risk

Standardized Duration Approach	Amount (₹ in Millions)
Interest rate risk	10,632.56
Foreign exchange risk (including gold)	122.34
Equity risk	2,808.12
Total	**13,563.01**

Table DF-8: Operational Risk Disclosures

Operational Risk

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from

से होती है या बाह्य कारणों से होती है। परिचालनगत जोखिम के अंतर्गत कानूनी जोखिम आती है जबकि कार्यनीतिक जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं।

बैंक के पास ऐसी अनुदेश पुस्तिका है, जिसमें उसका संपूर्ण कारोबार क्षेत्र शामिल है। बैंक को आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों की अद्यतन सूचना से अवगत कराने हेतु आवधिक तौर पर परिपत्र जारी किए जाते हैं। बैंक के पास एक परिचालन जोखिम प्रबंधन ढाँचा है, जिसमें मुख्य नीति के रूप में परिचालन प्रबंधन नीति और निम्नलिखित पर निर्धारित नीति शामिल हैं।

1. जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए)
2. प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और
3. हानि डेटा प्रबंधन (एलडीएम)

इसके अतिरिक्त बैंक के पास बिज़नेस लाइन मैपिंग नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, केवाईसी और एएमएल उल्लंघन को रोकने के लिए केवाईसी और एएमएल नीति हैं। दैनिक आधार पर संवेदनशील लेन-देनों की निगरानी हेतु बैंक ने पंजीकृत कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में परोक्ष निगरानी कक्ष की स्थापना की है जो प्रारंभिक चेतावनी प्रक्रिया प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। बैंक ने हित विरोध पर भी नीति का ढाँचा बनाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि संगठन के प्रति व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करते समय व्यक्तिगत हित में बाधा न बन जाए।

बैंक ने प्राप्त अनुभव के आधार पर और भा.रि.बैं. द्वारा गठित गोपाल कृष्ण समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भी कारोबार निरंतरता योजना नीति को परिशोधित किया है। एक विस्तृत आपदा निवारण योजना बनाई गई है और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विघटनों से बचने तथा कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु, सूचना सुरक्षा नीति के माध्यम से सूचना सुरक्षा का प्रबंधन किया जाता है।

परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक वर्तमान में परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना करने हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया जा रहा है।

मानक दृष्टिकोण (टीएसए) की सुविधा के लिए, बैंक ने बिजनेस लाइन की मैपिंग की प्रक्रिया को अपनाया है। बैंक ने दिनांक 31.03.2019 तक 32 तिमाहियों की आय के मैपिंग कार्य को पूर्ण किया है। भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित विभिन्न बिजनेस लाइन में स्थित सकल आय की मैपिंग की प्रक्रिया तिमाही आधार पर अपनायी गई है और उसे अनुमोदन के लिए परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) की ओर डाटा अंतरण को सक्षम बनाने के लिए बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समाधान (ओआरएमएस) को क्रियान्वित किया है ताकि आंतरिक हानि डेटा; प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्याकंन (आरसीएसए), परिवेश जैसी पूँजी गणना तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए जोखिम पर मूल्य (वीएआर) की गणना के लिए भी अपेक्षित आवक के सिस्टम इनपुट फ्लो हो सके। बैंक, परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण की ओर हो रहे डाटा अंतरण का विश्लेषण भी कर रहा है।

external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic risk and reputation risk.

Bank has well laid down manual of instructions covering the entire gamut of its business. These manuals are periodically supplemented with circulars to update the information with the developments internal and external to the bank. Bank has a well developed Operational risk management framework, which includes operational management policy, as parent policy and other policies on

1. Risk and Control Self Assessment(RCSA)
2. Key Risk Indicators (KRIs) and
3. Loss Data Management (LDM).

In addition to this, Bank has policy on Business Line Mapping, Fraud Risk Management Policy, KYC and AML policies to prevent KYC and AML violations. Bank had created off-site monitoring cells at Registered Office and ROs to monitor sensitive transactions on a daily basis which serves as an early warning system. Bank has also framed a Policy on Conflicts of Interest to ensure that Personal interests are not coming in the way of discharging the Professional duties towards the Organization.

Bank has revised the Business Continuity Plan Policy on the basis of experience gained and also on the basis of the recommendations made by the Gopala Krishna Committee formed by RBI. A detailed disaster recovery plan has been put in place to address the IT related disruptions & to ensure Business Continuity. Information security is managed through Information Security policy.

Approach for Computation of Capital Charge for Operational Risk

In accordance with Reserve Bank of India guidelines, the Bank is presently adopting the Basic Indicator Approach (BIA) for measurement of Operational Risk Capital Charge.

For facilitating migration towards The Standardized Approach (TSA), Bank has undertaken the process of Business Line Mapping. Bank has completed mapping of income for 32 quarters as on 31.03.2019. The mapping of Gross Income to various Business Lines as defined by RBI is undertaken on a quarterly basis and the same is being placed before the Operational Risk Management Committee (ORMC) meeting for approval.

As part of the Operational Risk Framework Key Risk Indicators (KRIs) and Risk and Control Self Assessment (RCSA) have been rolled out. Bank is one of the founder members of CORDEX (Consortium of Banks for Credit & Operational Risk Data Exchange), a company formed by Indian Banks' Association (IBA) for enabling the Bank in collecting External Loss Data.

सारणी डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण:**

संगठनात्मक ढाँचा:

बोर्ड या निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा बनाए गए जोखिम मानदंडों के तहत बैंक द्वारा बाज़ार जोखिम एक्सपोजर की व्यवस्था करने हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) उत्तरदायी है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति के पर्यवेक्षण में आस्ति देयता प्रबंधन समूह निगरानी करता है और जोखिम का प्रबंधन करता है। समुद्रपारीय लंदन शाखा में आस्ति-देयता प्रबंधन समूह (एएलएम ग्रुप) ब्याज दर जोखिम और तरलता जोखिम की निगरानी करती है।

बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन नीति में निदेशक मंडल जोखिम समिति/आस्ति-देयता प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित तरलता और ब्याज दर जोखिम पर विवेकपूर्ण मानदंड निहित रहता है। विवेकपूर्ण सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। सीमाओं का व्यतिक्रम होने पर इसकी सूचना, आस्ति-देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति/बोर्ड को दी जाएगी।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम निम्न दो दृष्टिकोणों से प्राप्त की जाती हैं :

- पारंपरिक अंतराल विश्लेषण – अर्जन परिप्रेक्ष्य
- अवधि अंतराल विश्लेषण – आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य

अंतराल विश्लेषण: ब्याज दर अंतराल या असंतुलित जोखिम का आकलन, घरेलू और समुद्रपारीय परिचालनों के लिए दी गई तिथि पर विभिन्न समय-अंतरालों की गणना के आधार पर होता है। अंतराल विश्लेषण का आकलन दर संवेदनशील देयताएँ (आरएसएल) या दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए) (जिनमें तुलन-पत्रेतर स्थिति शामिल है) के अंतर के आधार पर होता है। रिपोर्ट, अवशिष्ट परिपक्वता या अगले पुनर्मूल्यांकन, जो भी पहले हो, के अनुसार निर्धारित समय पर, समूह दर संवेदनशील देयताओं, आस्तियों तथा तुलन-पत्रेतर स्थितियों के आधार पर तैयार की जाती है। अपरिपक्व आस्तियों/देयताओं (जैसे आस्ति कॉलम में कार्यकारी पूँजी सुविधा और देयता कॉलम में चालू और बचत बैंक जमा)का वर्गीकरण समयानुसार भा.रि.बैं. के निश्चित मानदंडों के अनुरूप की जाती है। आर.एस.ए. और आर.एस.एल. के बीच प्रत्येक समयसूची का अंतर उस समय के अंतर को दर्शाता है। अंतर की अभिदशा यह दर्शाती है कि निवल आय सकारात्मक है या नकारात्मक और ब्याज दर में परिवर्तन की ओर इंगित करती है और अनुमानतः ब्याज आय में आए अंतर को पूर्ण करने हेतु ब्याज पर परिवर्तन किया जाता है। बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन नीति असंतुलन उत्पन्न होने की स्थिति में श्रेणीवार सीमाओं का निर्धारण करता है।

जोखिम पर अर्जन (ईएआर): अंतर यह दर्शाता है कि बैंक (आरएसए>आरएसएल) के सकारात्मक अंतर के कारण ब्याज दर घटाने की स्थिति में है। बैंक ब्याज दरों के स्तर में 200 बेसिक प्वाइंट के आधार पर निवल ब्याज आय (एनआईआई) के ईएआर की निगरानी

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

i. **Qualitative Disclosures:**

Organizational set-up

ALCO (Asset-Liability Management Committee) is responsible for management of the balance sheet of the Bank with a view to managing the market risk exposure assumed by the Bank within the risk parameters laid down by the Risk Management Committee of the Board or the Board of Directors. The Asset Liability Management Group at the Bank monitors and manages the risk under the supervision of ALCO. At overseas branch, London, ALM group monitors interest rate risk along with liquidity risk.

The ALM Policy of the Bank contains the prudential limits on liquidity and interest rate risk, as prescribed by the Board of Directors/Risk Committee/ALCO. The prudential limits are monitored on regular basis. Any breach in the limits will be reported to ALCO/RMC/Board.

Interest Rate Risk in Banking Book is derived under following two approaches

- Traditional Gap Analysis – Earnings perspective
- Duration Gap Analysis – Economic value perspective

Gap analysis: The interest rate gap or mismatch risk is measured by calculating gaps over different time intervals at a given date for domestic and overseas operations. Gap analysis measures mismatches between Rate Sensitive Liabilities (RSL) and Rate Sensitive Assets (RSA) (including off-balance sheet positions). The report is prepared by grouping rate sensitive liabilities, assets and off-balance sheet positions into time buckets according to residual maturity or next re-pricing period, whichever is earlier. For non-maturity assets/liabilities (for instance, working capital facilities on the assets side and current and savings account deposits on the liabilities side) grouping into time buckets is done based on behavioral studies or by making certain assumptions in line with RBI guidelines. The difference between RSA and RSL for each time bucket signifies the gap in that time bucket. The direction of the gap indicates whether net interest income is positively or negatively impacted by a change in the direction of interest rates and the extent of the gap approximates the change in net interest income for that given interest rate shift. The ALM Policy of the Bank stipulates bucket-wise limits for mismatches.

Earnings at Risk (EaR): The gap reports indicate whether the Bank is in a position to benefit from rising interest rates by having a positive gap (RSA > RSL) or whether it is in a position to benefit from declining

करता है। पिछले वर्ष की एनआईआई की प्रतिशतता से इस वर्ष की एनआईआई की प्रतिशतता का प्रभाव हमें बैंक के अरक्षित जोखिम की स्पष्ट गणना करने में सहायक होता है। ईएआर की गणना बैंकिंग बही व व्यापार बही में शामिल की गई है।

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (ईवीई): ब्याज दरों में परिवर्तन, बैंक की ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर दीर्घावधि प्रभाव डालता है; साथ ही, बैंक का आर्थिक मूल्य, बैंक की आस्ति एवं देयताएं और बैंक की तुलन-पत्रोत्तर स्थितियाँ भी प्रभावित करती है। आस्ति देयताओं और ईक्विटी पर ब्याज दर की संवेदनशीलता का मापदंड 'अवधि' है। ब्याज दर में परिवर्तन करने पर आस्ति या देयताओं (या ईक्विटी) के बाज़ार मूल्य में अंतर की प्रतिशतता को परिभाषित करता है। इस प्रकार से ब्याज दरों में परिभाषित परिवर्तन के कारण किसी कंपनी की ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में परिवर्तन होता है तो ईवीई उसका मापदंड होता है। बैंक, अपने घरेलू और समुद्रपारीय परिचालनों के आईआरआरबीबी की व्यवस्था करने के लिए ईवीई को एक ढाँचे के रूप में इस्तेमाल करता है। एसएलएम नीति बैंक की समग्र ईवीई को अनुबंधित करती है।

ii. **परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

ब्याज दर जोखिम पर प्रभाव

अर्जन परिदृश्य (पारंपरिक अंतराल विश्लेषण)–बैंक अर्जन पर प्रभाव

(₹ राशि मिलियन में)

	ब्याज दर में वृद्धि		ब्याज दर में कमी	
	100 बीपीएस	**200 बीपीएस**	**100 बीपीएस**	**200 बीपीएस**
आई एन आर	4545	9090	(4545)	(9090)
यू एस डी	174	348	(174)	(348)
अन्य	(45)	(90)	45	90
योग	**4674**	**9348**	**4674**	**9348**

आर्थिक परिदृश्य (अवधि अंतराल विश्लेषण)–निवल मालियत पर प्रभाव

क्रम संख्या	विवरण	मूल्य
1	दर संवेदनशील देयताओं हेतु भारित औसत संशोधित अवधि	0.84
2	दर संवेदनशील आस्ति की भारित औसत संशोधित अवधि	1.07
3	ब्याज दर में 1% बदलाव के कारण निवल मालियत पर प्रभाव	-9623.50
4	ब्याज दर में 2% बदलाव के कारण निवल मालियत पर प्रभाव	-19247.00

interest rates by a negative gap (RSL > RSA). The Bank monitors the EaR with respect to net interest income (NII) based on a 200 basis points adverse change in the level of interest rates. The magnitude of the impact over a one year period, as a percentage of the NII of the previous year gives a fair measure of the earnings risk that the Bank is exposed to. The EaR computations include the banking book as well as the trading book.

Economic Value of Equity (EvE): Change in the interest rates also have a long-term impact on the market value of equity of the Bank, as the economic value of the Bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions is impacted. Duration is a measure of interest rate sensitivity of assets, liabilities and also equity. It may be defined as the percentage change in the market value of an asset or liability (or equity) for a given change in interest rates. Thus EvE is a measure of change in the market value of equity of a firm due to the identified change in the interest rates. The Bank uses EvE as a part of framework to manage IRRBB for its domestic and overseas operations. The ALM Policy stipulates a limit on the overall EvE of the Bank.

ii. **Quantitative disclosures**

Impact of interest rate risk

Earnings perspective (Traditional Gap Analysis)– Impact on Bank earning

(Amount ₹ in Millions)

	Interest rate rise by		Interest rate fall by	
	100 bps	**200 bps**	**100 bps**	**200 bps**
INR	4545	9090	(4545)	(9090)
USD	174	348	(174)	(348)
Others	(45)	(90)	45	90
Total	**4674**	**9348**	**4674**	**9348**

Economic perspective (Duration Gap Analysis) – Impact on Net worth

S. No.	Particulars	Value
1	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Liabilities	0.84
2	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Assets	1.07
3	For 1% change in interest rate – Impact on Net Worth	-9623.50
4	For 2% change in interest rate – Impact on Net Worth	-19247.00

ब्याज-दर जोखिम को मापने की आवृत्ति

बैंकिंग बही में ब्याज-दर जोखिम की संगणना बैंक द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। बैंक, ब्याज-दर में बदलाव के साथ ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में संभावित गिरावट की भी मासिक आधार पर गणना करता है। मासिक आधार पर जोखिम पर अर्जन की माप पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के द्वारा की जाती है।

सारणी डीएफ-10-प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्स्पोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण**

- बैंक के पास व्युत्पन्नी जमाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक उत्तम नीति है।
- बैंक, अपने तुलनपत्र में जोखिम से बचने के लिए और व्यापार/मार्केट तैयार करने के उद्देश्य से व्युत्पन्नी कारोबार करता है। बैंक, एफआरए, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली तथा मुद्रा विकल्प जैसे व्युत्पन्नी कारोबार अन्य बैंक एवं गैर-बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ करता है। बैंक केवल मुद्रा वायदा एक्सचेंज के मालिकाना ट्रेडिंग की स्थिति बताता है।
- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए तथा केवल सिंड 01 से सिंड 04 तक रेटिंग वाले ग्राहकों के लिए पिछले निष्पादन-श्रेणी के तहत वायदा संविदाएँ बुक की गई।
- वर्ष के दौरान बैंक ने बचाव के उद्देश्य से ब्याज दर अदला-बदली और एफआरए को अपनाया ताकि लंदन शाखा में देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।
- मूलधन और ब्याज दोनों के लिए एक-एक करके विदेशी मुद्रा अदला-बदली अपनाई गई और इस प्रकार से बिना किसी लागत व्यय के विनिमय दर जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बचाव किया जा सके।
- लगातार 10 वर्षों तक बिना किसी जोखिम के उसी परिस्थिति में विदेशी मुद्रा अदला-बदली जारी रही।
- केवल सिंड 01 से 04 रेटिंग के ज़रिये गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली की गई।
- निगरानी करने के बजाए व्युत्पन्नों एवं एमआईएस के साथ जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए बैंक ने नियमित निगरानी की एक प्रणाली तैयार की है।
- बैंक ने, प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं के मूल्यांकन तथा नियमित निगरानी की व्यवस्था की है।
- चालू ऋण एक्सपोज़र विधि (सीईएम) के आधार पर व्युत्पन्न लेन-देनों के लिए ऋण एक्सपोज़र की निगरानी की जाती है।
- सीसीआईएल/सीएलएस के द्वारा प्रतिपक्षकार एक्सपोज़र सीमाओं, देशी जोखिम एक्सपोज़र सीमाओं का निर्धारण करके और निपटान जोखिम को न्यूनतम करके ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है।
- हमारे प्रतिपक्षकार बैंकों और गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के अंतर्गत लेन-देन किए जाते हैं। बिना

Frequency of Measurement of interest rate risk

Measurement and Computation of Interest rate risk in Banking Book is carried out by the Bank on a monthly basis. Bank also calculates on a monthly basis, the likely drop in Market Value of Equity with change in interest rates. Earnings-at-Risk is measured on a monthly basis using Traditional Gap Analysis.

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

i. **Qualitative Disclosures**

- The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading/market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps with bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on three Exchanges.
- Forward contracts under past performance category are booked for clients with rating SYND 01–SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- During the year, Bank undertook FRA for hedging purpose to mitigate interest rate risk in banking book for liabilities at London Branch.
- Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- Currency swaps are undertaken for non Bank counterparty with ratings SYND 01–SYND 04 only.
- The bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Exposure Method (CEM).
- Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits, setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL/CLS.
- The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with

किसी बाज़ार जोखिमों के एक-एक करके गैर-बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ लेन-देन किया जाता है।

- बैंक जटिल व्युत्पन्नों में कोई एक्सपोज़र नहीं रखता है और न ही उप-प्रमुख आस्तियों में कोई सीधा एक्सपोज़र रखता है।
- बैंक ने किसी खाते को न तो क्रिस्टिलाइज या अपलिखित किया है और न ही व्युत्पन्नों के लेन-देन में बचाव के अंतर्गत किसी प्रकार की हानि उठाई है।
- ब्याज पर प्रतिकूल असर से बचने और जोखिम के स्तर को कम करने के लिए फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस में विभाजन किया गया है। मिड ऑफिस सीधे जोखिम प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु को रिपोर्ट करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार आईएसडीए करार प्रत्येक प्रतिपक्षकार बैंक/गैर-बैंक ग्राहकों के साथ निष्पादित/विनिमय किए जाते हैं।
- मिड ऑफिस व्यापारिक लेन-देनों में उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को स्वतंत्र रूप से निगरानी करता है।
- बोर्ड/भा.रि.बैं. द्वारा स्वीकृत समग्र अंतराल सीमाओं तथा निवल ओवरनाइट जोखिमरहित सीमाओं के तहत लेन-देन किए जाते हैं।
- बचाव के उद्देश्य से किया गया कोई भी लेन-देन यदि अप्रतिभूत होता है तो उसे ट्रेडिंग लेन-देन माना जाता है और उसे परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति होती है।
- लेन-देनों को सुरक्षित या असुरक्षित लेन-देन के रूप में अलग से वर्गीकृत किया जाता है और उसे अच्छे मूल्य के रूप में माना गया है।
- एक-एक करके कवर किए गए लेन-देनों तथा बैंक की आस्ति और देयताओं को जोखिम से बचाव सहित किए गए लेन-देनों का मूल्यांकन निर्धारित मूल्य और उपार्जन के आधार पर गणना किए गए ब्याज के अनुसार किया गया।
- बचाव के उद्देश्य से लिए गए लेनेदेन जो अप्रतिभूत बनते हुए बाजार के नुकसान के कारण बनते हैं, के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। तथापि, अवधि के दौरान कोई लेनदेन अप्रतिभूत नहीं हुए हैं।
- निवेश हेतु: यदि खरीदी के समय कोई प्रीमियम लिया गया हो तो उसका परिशोधन लेन-देन की अवधि के आधार पर किया जाएगा। लाभ का परिशोधन परिपक्वता पर किया गया। अग्रिम लेखा में प्राप्त आय के साथ बट्टे को रखा गया है और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि खाते में समायोजित किया जाता है।
- बाज़ार निर्माण के उद्देश्य से किए गए लेन-देन पाक्षिक आधार पर चिह्नित किए गए हैं और बचाव के उद्देश्य से किए गए हैं उसे उपार्जित आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- स्वीकृति की शर्तों के अनुसार संपार्श्विकों को भी लिया जाता है।
- 99.51% व्यूत्पन्न (कल्पित रकम के आधार पर) अल्पावधि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम है।

non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.

- The Bank is neither having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Bank has neither crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivatives transactions.
- The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ISDA agreements are executed/exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board/RBI.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose which became naked resulting in mark to market losses. However during the period no transactions turned naked.
- For Investment: In case of Investments under HTM category, premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the security and in case of discount at the time of purchase, if any, income is appropriated to profit and loss account on maturity.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at monthly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- 99.51% of Derivatives (based on notional amount) fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

ii. **परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

ए) हमारी लंदन शाखा में, वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली । एफआरए/आईआरएस करार यूएसडी मुद्रा में होते हैं।

क्रम संख्या	मद	रकम (₹ मिलियन में)
i)	अदला-बदली करार के आनुमानिक मूलधन	27,662.00
ii)	यदि प्रतिपक्षकार, करार (1) के अंतर्गत अपनी दायित्व को पूर्ण कर नहीं पाता है तो होनेवाली हानि (सीसीई का मूल्य)	138.31
iii)	अदला-बदली में भाग लेने के लिए बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	-
iv)	अदला-बदली से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	-
v)	अदला-बदली बही (2) का उचित मूल्य (धनात्मक एवं ऋणात्मक एमटीएम को घटाकर)	-158.93

नोट : स्थायी ब्याज दर देयता को समपरिपक्वता वाले ब्याज दर अदला-बदली प्रक्रिया का प्रयोग कर अस्थायी दरों में बदल दिया जाता है।

बी) हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग मुंबई में यूएसडी/आईएनआर में मुद्रा की अदला-बदली: शून्य

सी) विनिमय व्यापारित व्युत्पन्न

मुद्रा वायदे:

बैंक, तीन विनिमय कंपनियों में यूएसडी/आईएनआर में मुद्रा वायदों पर स्वामित्व व्यापार करता है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदों के अंतर्गत कोई संविदा बकाया नहीं है।

ब्याज दर वायदे:

दि. 31.03.2019 की स्थिति में विनिमय व्यापारित ब्याज दर उत्पन्न **शून्य** है। बैंक द्वारा विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न संबंधी व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

ii. **Quantitative Disclosures**

A. Forward Rate Agreements/Interest Rate Swaps at London Branch. The FRAs/IRS' are contracted in USD.

S. No.	Items	Amount (in ₹ Millions)
i)	The notional principal of the swap agreements	27,662.00
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfill their obligations under the agreements (1) (value of CCE)	138.31
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	-
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	-
v)	The fair value of the swap book (2) (Net of Positive and Negative MTM)	-158.93

Note: The fixed interest rate liability was converted in to Floating rates by entering in to Interest Rate Swaps of matching maturity.

B. Currency swaps at International Division, Mumbai in USD/INR : NIL

C. Exchange Traded Derivatives

Currency Futures:

The Bank undertakes proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on three recognized exchanges. There are no outstanding contracts under currency future as on 31.03.2019.

Interest Rate Futures:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL as on 31.03.2019. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति/ सदस्य
एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमारी राय,

हमने सिंडिकेटबैंक (बैंक) के एकल वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2019 की स्थिति में तुलन-पत्र, तत्संबंधी वर्षांत के लिए लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के संक्षिप्त विवरण सहित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पण तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियों के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाएँ, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 2,268 शाखाएं तथा 1 विदेशी शाखा शामिल है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण की जानेवाली शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए निदेशों के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण में वैसी 1,744 शाखाओं के विवरण भी शामिल हैं जिनका लेखापरीक्षण नहीं किया गया है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं के लेखा में 0.92 प्रतिशत अग्रिम, 25.92 प्रतिशत जमाराशियाँ, 6.30 प्रतिशत ब्याजी आय तथा 18.63 प्रतिशत ब्याजी व्यय शामिल हैं।

हमारी राय, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में मांगी गई सूचना, बैंकों के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हैं और यह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। साथ ही,

ए) तुलन-पत्र के संदर्भ में यह 31 मार्च 2019 की स्थिति में बैंक के क्रियाकलापों की स्थिति को सही एवं स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

बी) लाभ और हानि लेखा के संदर्भ में यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष में बैंक के लिए हानि शेष की सही स्थिति को दर्शाती है।

सी) नकद प्रवाह विवरणी के संदर्भ में यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष केलिए नकद प्रवाह की सही एवं स्पष्ट स्थिति को दर्शाती है।

हमारे राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'लेखापरीक्षा मानक' (एसए) का अनुपालन करते हुए की है। इन मानकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी आगे 'वित्तीय विवरणियों की कृत लेखापरीक्षा के संदर्भ में लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी' खंड में विस्तृत रूप से बताया गया है। 'भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान' द्वारा जारी 'आचार संहिता' एवं वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारे लिए लागू आचरणगत अपेक्षाओं के अनुपालन में हम यह सूचित करना चाहते हैं कि 'हम पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य आचरणगत जिम्मेदारियों

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The President of India/ Members
Report on audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the standalone financial statements of Syndicate Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2019, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches audited by us and 2,268 branches audited by statutory branch auditors including 1 foreign branch. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 1,744 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.92 per cent of advances, 25.92 per cent of deposits, 6.30 per cent of interest income and 18.63 per cent of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

a) true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;
b) true balance of loss in case of Profit and Loss Account for the year ended on that date; and
c) true and fair view in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements sectionof our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial

का वहन उन अपेक्षाओं व आचरण संहिता का अनुपालन करते हुए किया है'। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत 'लेखापरीक्षा साक्ष्य' हमारे राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदें

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदें, वे मद हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरणियों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एकल वित्तीय विवरणी की हमारी समग्र लेखापरीक्षा में और उस पर अपने राय तैयार करते समय इन मदों पर पर्याप्त विचार किया गया है और हम इन मदों पर कोई पृथक् राय व्यक्त नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संसूचित करने के लिए निम्नांकित मदों को, जिनके बारे में विस्तृत विवरणी नीचे प्रस्तुत है, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में निर्धारित किया है:-

क्रम सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदें	लेखापरीक्षक की राय
1.	**आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण** आय का निर्धारण अग्रिमों एवं निवेशों से संबंधित उपचय के आधार पर, अग्रिमों/निवेशों के वर्गीकरण एवं उस पर प्रावधानीकरण, आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान लागू विवेकपूर्ण मानकों का अनुपालन करते हुए किया गया है। इन मानकों के अनुपालन में कुछ हद तक निर्णय लेना भी शामिल है। कृपया एकल वित्तीय विवरणी की अनुसूची 17 की नोट सं.5 एवं 8 का संदर्भ लें।	हमने आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन किया है। हमारी लेखापरीक्षा में संरचना एवं परिचालन का परीक्षण, आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता और स्वतंत्र परीक्षण शामिल थे, जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है। - आईआरएसी पर जारी विवेकपूर्ण मानकों के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना का मूल्यांकन। - नमूना के आधार पर संबोधित संबद्ध आईटी नियंत्रण की जांच। - संबंधित क्षेत्रों में हुए, हमें उपलब्ध कराए गए विभिन्न निरीक्षणों/लेखापरीक्षाओं की रिपोर्टों की समीक्षा। - विधिक मुद्दों, स्वत्व मूल्यांकन एवं बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के अन्य पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अभिमतों की विश्वसनीयता का निर्धारण। - नमूना के आधार पर चुने गए उधारकर्ताओं की फाइलों एवं उन खाते के परिचालनों की समीक्षा। - संबंधित विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का निष्पादन। - ब्याज, अन्य प्रभार, कमीशन आदि को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया की जाँच।

statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed, in the context of our audit of the standalone financial statement as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sr. No.	Key Audit Matter	Auditors' Response
1.	**Income Recognition, Asset Classification & Provisioning** The recognition of income on accrual basis on Advances and Investments, Classification of Advances/Investments and Provisioning thereof are in accordance with the extant Prudential norms on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) issued by the Reserve Bank of India. Application of these norms involve certain degree of judgment. Refer Notes 5 & 8 to Schedule 17 of Standalone Financial Statements	We have assessed the process adopted by the bank to ensure compliance with Prudential norms on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) issued by the Reserve Bank of India. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as under :- - Evaluating the design of internal controls relating to implementation of Prudential norms on IRAC. - Testing relevant IT Controls on sample basis. - Review of various audit/ inspection reports made available to us in the relevant areas. - Placing reliance on the opinions of experts on legal matters, titles, valuation and other aspects of securities charged to the bank. - Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts. - Performing relevant analytical procedures. - Test Checking of Interest application, levying of other charges, commission etc.

क्रम सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदें	लेखापरीक्षक की राय
2.	**आकस्मिक देयताएँ** एएस 29 में यथा प्रस्तावित आकस्मिक देयता - वह प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं व आकस्मिक संपत्तियों में संभावित परिणामों एवं नकद प्रवाह का मूल्यांकन अपेक्षित होता है। आकस्मिक देयताओं की पहचान व उसके परिमाणीकरण करने के लिए प्रबंधन द्वारा आकलन व निर्णय की आवश्यकता होती है। एकल वित्तीय विवरणी की अनुसूची 12 का संदर्भ लें।	हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के वैधीकरण के लिए निम्नांकित प्रक्रियाओं का पालन किया है :- - निहित पूर्वधारणाओं की व्यावहारिता का मूल्यांकन। - अभिलेख में उपलब्ध संबंधित दस्तावेज़ों की जांच। - विधिक राय, संबद्ध न्यायिक पूर्व निर्णयों एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं सहित उपलब्ध संबद्ध 'बाह्य साक्ष्य' पर विश्वास। - जहाँ-कहीं अपेक्षित हो वहाँ, 'प्रबंधन से पुष्टीकरण प्राप्त करना'
3.	**आईटी प्रणाली एवं नियंत्रण** - वित्तीय विवरणियों का निर्माण कार्य अधिकांशतः 'कोर बैंकिंग समाधान' एवं अन्य समर्थक सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर नियंत्रणों पर आश्रित होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए किये आईटी एप्लिकेशन डाटा यथा वांछित है और योग्य पद्धित के अनुसार इसमें परिवर्तन किए गए हैं, यथोचित आईटी नियंत्रणों की आवश्यकता होती है। ये नियंत्रण ऑउटपुट डाटा में गलती होने की संभावित जोखिम को कम करने में मदद करेगी। लेखापरीक्षा के ये परिणाम वर्तमान आईटी नियंत्रणों एवं प्रणालियों पर निर्भर होते हैं।	हमने अपेक्षित लेखापरीण प्रक्रियाओं एवं नमूना जांच को योजनाबद्ध एवं रूपांकित किया है और हमारा विचार है कि यह बैंक में मौजूद वर्तमान आईटी प्रणालियों की पर्याप्तता पर उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त होंगे। साथ ही, हमने आईएस एवं अन्य संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विश्वास किया है तथा चुनिंदा क्षेत्रों में आईएस विशेषज्ञों से राय प्राप्त किए हैं।

एकल वित्तीय विवरणी एवं उस पर लेखापरीक्षकों के विचार के अलावा कुछ अन्य जानकारी

अन्य जानकारी खंड को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक के निदेशक मंडल की है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण में जोड़ी गई मदें, अनुबंध सहित बोर्ड रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन एवं शेयरधारक सूचना शामिल है। जबकि इसमें एकल वित्तीय विवरणी एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणियों पर हमारे विचार में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासनपूर्ण निष्कर्ष प्रदान नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणियों पर हमारे द्वारा कृत लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारी, 'अन्य जानकारी' का वाचन करना और इस बात का विचार करना कि कहीं एकल वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में या हमारी लेखापरीक्षा

Sr. No.	Key Audit Matter	Auditors' Response
2.	**Contingent Liabilities** The contingent liability as defined in AS 29– Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets requires assessment of probable outcomes and cash flows. The identification and quantification of contingent liabilities require estimation and judgment by the management. Refer Schedule 12 of Standalone Financial Statements	We have carried out the validation of the information provided by the management by performing the following procedures :- - Evaluating reasonableness of the underlying assumptions. - Examining the relevant documents on record. - Relying on relevant external evidence available including legal opinion, relevant judicial precedents and industry practices. - Getting management confirmation where-ever necessary.
3.	**IT Systems & Control** Preparation of financial statements is highly dependent on Core Banking Solution and other supporting software and hardware controls. Appropriate IT Controls are required to ensure that these IT applications process data as expected and changes are made in an appropriate manner. Such controls contribute to mitigating the expected risk of erroneous output data. Audit outcome is dependent on the extant IT controls and systems.	We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, which in our opinion are adequate to provide reasonable assurance on the adequacy of IT controls in place. In addition we have relied on IS and other related audit reports and obtained inputs from IS experts in selected areas.

Information other than the Standalone financial statement & auditors thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board Report's including annexures to Board Report. Corporate Governance and Shareholders Information, but does not include the standalone financial statement and our auditors' report thereon.

Our opinion on standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone

के दौरान हमें प्राप्त जानकारी की तुलना में यह 'अन्य जानकारी' में तात्विक असंगति या त्रुटि तो नहीं है।

हमारे किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस 'अन्य जानकारी' में कोई तात्विक त्रुटि है तो हमें उसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करना होगा। इस संदर्भ में उल्लेख करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी के उत्तरदायित्व

बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्गत लेखांकन मानक और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के उपबंधों एवं समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रों व दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह पर सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य व्यतिक्रमों की पहचान एवं रोकथाम के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन संबंधी अभिलेखों का अनुरक्षण; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग; उचित व विवेकपूर्ण प्राक्कलन एवं निर्णय करना; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को तैयार करना, क्रियान्वित और अनुरक्षित करना, जो लेखांकन अभिलेख की पूर्णता और यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से संचालित हो, वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति संगत हो, जो सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हो और विवरणी धोखाधड़ी या त्रुटि, किसी भी प्रकार से होनेवाली तात्विक त्रुटि से मुक्त हो शामिल है।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, एक कार्यशील संस्था के रूप में बनाए रखने की बैंक की क्षमता का मूल्यांकन, कार्यशील संस्था से संबंधित तथ्यों को यथोचित प्रकट करने और जब तक कि प्रबंधन बैंक की परिसमाप्ति या परिचालन बंद करने का विचार न करे अथवा ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प उपलब्ध न हो, तब तक कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन प्रक्रिया का प्रयोग करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी होता है।

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि पूर्ण वित्तीय विवरणियाँ तात्विक त्रुटियों से मुक्त हैं, भले ही वह त्रुटियाँ धोखाधड़ी अथवा गलती के फलस्वरूप हुई हो एवं उसके बाद हमारी राय के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है किन्तु यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप संपन्न लेखापरीक्षा में मौजूद तात्विक त्रुटियों की पहचान हो सके। यह तात्विक त्रुटियाँ, धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकती हैं और वैयक्तिक या समग्र रूप से होने पर तात्विक त्रुटि मानी जाती है। यह त्रुटियाँ इन वित्तीय विवरणियों पर आधारित प्राधिकारी के आर्थिक निर्णय में प्रभाव डाल सकती हैं।

financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

लेखापरीक्षा मानक के अनुपालन में लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हम संपूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय और व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त हम :

- वित्तीय विवरणियों में तात्विक त्रुटियों के जोखिमों की पहचान और जांच करते हैं भले ही वह त्रुटियाँ धोखाधड़ी अथवा गलती के फलस्वरूप हुई हो और उन जोखिमों के प्रभावी निपटान के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे राय के लिए पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। वित्तीय विवरणी में प्रेक्षित न होने वाले धोखाधड़ी के कारण हुए तात्विक त्रुटि में गलती से हुई तात्विक त्रुटि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक जोखिम होता है क्योंकि धोखाधड़ी में गुप्त समझौता,जालसाजी, इरादतन चूक, गलत रूप से प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन करना शामिल होता है।
- लेखापरीक्षा में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता की जांच करते हैं।
- लेखांकन आधारित और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में प्रचालन की सत्यता पर निष्कर्ष निकालना कि क्या मौजूदा तात्विक अनिश्चितता बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करने की क्षमता संबंधी संशय उत्पन्न करती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्विक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणियों में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरण को दर्शाना होता है या यदि यह प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है तो हमें हमारी राय बदलनी होती है। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर है। तथापि भविष्य की घटनाओं और स्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करने में अक्षम हो सकता है।
- वित्तीय विवरणियों के प्रकटीकरण सहित विषयवस्तु, सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण और संरचना का मूल्यांकन करना तथा सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरणी अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि उचित प्रस्तुतीकरण किया जा सके।

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ संप्रेषण कर अन्य मदों जैसे, लेखापरीक्षा का क्षेत्र, समय आदि के साथ लेखापरीक्षा परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों संबंधी जानकारी संसूचित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को एक विवरणी के माध्यम से यह सूचित करते हैं कि स्वतंत्रता के संबंध में हमने लागू आचरण से जुड़ी सभी निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। साथ ही, हम उन्हें उक्त संप्रेषण के माध्यम से बैंक के साथ हमारे संबंध के बारे में और अपनी स्वतंत्रता से जुड़ी सभी अन्य मदों और उनकी अनुप्रयोज्यता से जुड़ी संरक्षणात्मक पहल के बारे में अवगत कराते हैं।

हमारे द्वारा संसूचित अभिशासन से जुड़े मामलों के संदर्भ में, हम यह निर्धारित करते हैं कि वह मदें चालू अवधि की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा में

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of

अति महत्वपूर्ण पाए गए। अतः हम उन मदों को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मद के रूप में वर्गीकृत किया है।

हम इन मदों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक कर सकते हैं, जब तक विधिक व विनियामक प्राधिकरण द्वारा इन मामलों को प्रकटीकृत करने से रोक न लगा दिया जाए या बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हमारे द्वारा यह निर्धारित न किया जाए कि इन मामलों के प्रकटीकरण से होने वाले दुष्परिणाम इन मामलों को संसूचित करने से होने वाले सार्वजनिक हित से अधिक प्रभावी होने की संभावना है।

अन्य मदें

हमने बैंक की एकल-विवरणियों में समायोजित उन 2,268 शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसमें यह कहा गया है कि 31 मार्च 2019 तक बैंक की कुल संपत्ति ₹2,76,768 करोड़ है और कथित तिथि को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का कुल राजस्व ₹16,196 करोड़ है, जिसका उल्लेख एकल वित्तीय विवरणी में किया गया है। इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है और उन लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई तथा राशि व प्रकटीकरण के संबंध में, शाखा से जुड़े आंकड़ों सहित, हमारी राय पूर्णतः शाखा लेखापरीक्षकों की उन रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मद के संबंध में हमारी राय अनाशोधित हैं।

विनियामक और अन्य विधिक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा तैयार किया गया है;

उपर्युक्त लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अपेक्षानुसार, उसमें प्रकटन अपेक्षाओं की सीमा के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) बैंक के लेनदेनों, जो हमारी जानकारी में आया है, को बैंक की क्षमता के अंतर्गत किया गया है।

सी) हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु बैंक की शाखाओं और; कार्यालयों द्वारा प्राप्त विवरणियाँ यथोचित पाई गई हैं।

इसके अतरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि;

ए) हमारी राय में विधि द्वारा अपेक्षित यथोचित लेखा बही का रख-रखाव बैंक द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा अबतक उन लेखा बहियों की जाँच से पता चला है और हमारे द्वारा जिन शाखाओं का निरीक्षण नहीं किया गया है, उनसे हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त यथोचित विवरणियाँ प्राप्त हुई;

बी) इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरणी, हमारे द्वारा जिन शाखाओं का निरीक्षण

most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

We did not audit the financial statements / information of 2,268 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements/ financial information reflect total assets of ₹2,76,768 crore as at 31st March 2019 and total revenue of ₹16,196 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;

c) The returns received from the offices; and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report

नहीं किया गया है, उनसे प्राप्त विवरणियों और लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

सी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक की शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों की लेखा-रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसका पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और

डी) हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरणी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के संगत होने के साथ-साथ लागू लेखांकन मानक के अनुरूप हैं।

कृते वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन : 004494 एस/एस200037	**कृते जे एस उबेरॉय एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफआरएन : 111107 डब्ल्यू	**कृते एस घोष एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एलएलपी एफआरएन : 302184ई / ई 300007
एस गणेशन साझेदार सदस्यता सं. : 019530	**हरीश भोनेजा** साझेदार सदस्यता सं. : 045814	**बितोल कुमार सरकार** साझेदार सदस्यता सं. : 015774
कृते के के सोनी एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 00947एन	**कृते फडनिस एंड गुप्ते** सनदी लेखाकार एफआरएन : 006600सी	
संत सुजात सोनी साझेदार सदस्यता सं. : 094227	**मनोज फडनिस** साझेदार सदस्यता सं. : 072707	

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 10.05.2019

are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For M/s VAITHISVARAN & CO LLP *Chartered Accountants* FRN : 004494S/S200037	**For M/s J S UBEROI & CO.** Chartered Accountants FRN : 111107W	**For M/s S GHOSE & CO** Chartered Accountants LLP FRN : 302184E/E300007
S GANESAN Partner Membership No. 019530	**HARISH BHONEJA** Partner Membership No. 045814	**BITOL KUMAR SARKAR** Partner Membership No. 015774
For M/s K K SONI & CO Chartered Accountants FRN : 00947N	**For M/s FADNIS & GUPTE** Chartered Accountants FRN : 006600C	
SANT SUJAT SONI Partner Membership No. 094227	**MANOJ FADNIS** Partner Membership No. 072707	

Place : Bengaluru
Date : 10.05.2019

तुलन–पत्र BALANCE SHEET

31 मार्च, 2019 का तुलन–पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2019

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

पूँजी और देयताएँ CAPITAL & LIABILITIES	अनुसूची सं. Schedule No.	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
पूँजी/Capital	1	**2487 91 20**	1417 27 21
आबंटन हेतु शेष शेयर आवेदन राशि/Share Application Pending allotment		**500 00 00**	-
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**14082 30 67**	13524 53 96
जमाराशियाँ/Deposits	3	**259896 96 10**	272776 10 62
उधार/Borrowings	4	**25604 45 37**	29613 61 17
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**8707 22 96**	6645 60 65
योग/TOTAL		**311278 86 30**	323977 13 61
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**13612 82 82**	11684 16 40
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**3543 94 30**	9832 07 89
निवेश/Investments	8	**76073 15 13**	80354 23 03
अग्रिम/Advances	9	**205044 40 03**	210683 86 80
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**2572 38 06**	2478 10 22
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**10432 15 96**	8944 69 27
योग/TOTAL		**311278 86 30**	323977 13 61
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**191299 62 93**	122848 78 05
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**5723 76 46**	5491 48 82
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

नागेश्वर राव वाई विशेष कार्य अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक	(अनुपस्थिति की अनुमति) **अजय के खुराना** कार्यपालक निदेशक	**एस कृष्णन** कार्यपालक निदेशक	**Nageswara Rao Y** Officer on Special Duty & Whole Time Director	(Leave of absence) **Ajay K Khurana** Executive Director	**S Krishnan** Executive Director
मृत्युञ्जय महापात्र प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी		**अजय विपिन नानावटी** अध्यक्ष	**Mrutyunjay Mahapatra** Managing Director & CEO		**Ajay Vipin Nanavati** Chairman
डॉ संजय कुमार निदेशक		**जी पी बोरा** निदेशक	**Dr. Sanjay Kumar** Director		**G.P. Borah** Director
जयंत पी गोखले निदेशक	(अनुपस्थिति की अनुमति) **कमल किशोर सिंघल** निदेशक	**सीए सुनील वशिष्ठ** निदेशक	**Jayant P Gokhale** Director	(Leave of absence) **Kamal Kishore Singhal** Director	**CA Sunil Vashisht** Director
दीपेश देवचंद देढ़िया सहायक महाप्रबंधक		**यूएस मजूमदार** मुख्य वित्त अधिकारी	**Deepesh Devchand Dedhia** Asst. General Manager		**US Majumder** Chief Financial Officer

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 10.05.2019

Place : Bengaluru
Date : 10.05.2019

लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	**As on दि. 31.03.2019 को**	As on दि. 31.03.2018 को
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**21725 40 85**	21775 94 98
	अन्य आय/Other Income	14	**2223 81 24**	2805 90 11
	योग/TOTAL		**23949 22 09**	24581 85 09
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**15076 53 76**	15223 93 04
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**6053 48 76**	5494 06 50
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**5407 49 04**	7086 69 29
	योग/TOTAL		**26537 51 56**	27804 68 83
III.	**लाभ/PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)/Net Profit / (Loss) for the Year		**-2588 29 47**	-3222 83 74
	आगे लाया गया लाभ/(हानि)/Profit / (Loss) brought forward		**0**	0
	योग/TOTAL		**-2588 29 47**	-3222 83 74
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण/Transfer to :			
ए/A	सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve		**0**	0
बी/B	आरक्षित पूँजी/Capital Reserve		**16 83 39**	61 89 22
सी/C	लाभ व हानि/Profit & Loss		**-2605 12 86**	-3284 72 96
डी/D	आयकर अधिनियम 1961, धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि Special Reserve under Section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		**0**	0
ई/E	प्रस्तावित अंतिम लाभांश/Proposed Final Dividend		**0**	0
एफ/F	प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर/Tax on Proposed Final Dividend		**0**	0
	योग/TOTAL		**-2588 29 47**	-3222 83 74
	प्रति शेयर मूल अर्जन (₹ 10/- प्रति शेयर) Basic Earnings per share (₹ 10 per share)		**-17.12**	-34.00
	प्रति शेयर मिश्रित अर्जन/Diluted Earnings per share		**-17.11**	-34.00
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते **वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 004494S/ S200037)

(एस गणेशन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 019530

कृते **जे एस उबेरॉय एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 111107W)

(हरिश बोनेजा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 045814

कृते **एस घोष एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार एलएलपी
(एफ आर एन: 302184E/ E300007)

(बितोल कुमार सरकार)
साझेदार
सदस्यता सं.: 015774

कृते **के. के. सोनी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 00947N)

(संत सुजात सोनी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 094227

कृते **फडनिस एंड गुप्ते**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 006600C)

(मनोज फडनिस)
साझेदार
सदस्यता सं.: 072707

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 10.05.2019

For **VAITHISVARAN & CO LLP**
Chartered Accountants
(FRN : 004494S/ S200037)

(S GANESAN)
Partner
Membership No : 019530

For **J.S. UBEROI & CO.**
Chartered Accountants
(FRN : 111107W)

(HARISH BHONEJA)
Partner
Membership No. 045814

For **S GHOSE & CO**
Chartered Accountants LLP
(FRN : 302184E/E300007)

(BITOL KUMAR SARKAR)
Partner
Membership No. 015774

For **K K SONI & CO**
Chartered Accountants
(FRN : 00947N)

(SANT SUJAT SONI)
Partner
Membership No. 094227

For **FADNIS & GUPTE**
Chartered Accountants
(FRN : 006600C)

(MANOJ FADNIS)
Partner
Membership No.072707

Place: Bengaluru
Date : 10.05.2019

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE-1 : CAPITAL

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
	प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹10 AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	**3000 00 00**	3000 00 00
I.	निर्गत, अभिदत्त, मांगी गई और प्रदत्त पूँजी/ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED and PAID UP CAPITAL		
	अथशेष/Opening Balance	**1417 27 21**	904 53 94
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the Year	**1070 63 99**	512 73 27
	248,79,11,952 (पिछले वर्ष 141,72,72,053) ईक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹10 248,79,11,952 (Previous year 141,72,72,053) Equity Shares of ₹10/- each	**2487 91 20**	1417 27 21
	ए/a) केंद्र सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 210,61,79,287 (पिछले वर्ष 103,55,39,388) ईक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹10 210,61,79,287 (Previous Year 103,55,39,388) Equity Shares of ₹10/- each	**2106 17 93**	1035 53 94
	बी/b) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/Held by Public and Others 38,17,32,665 (पिछले वर्ष 38,17,32,665) ईक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹10 38,17,32,665 (Previous Year 38,17,32,665) Equity Shares of ₹10/- each	**381 73 27**	381 73 27
II.	बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर Perpetual Non-Cumulative Preference Share	**0**	0
	योग/TOTAL	**2487 91 20**	1417 27 21
III.	आबंटन हेतु शेष शेयर आवेदन राशि/Share Application Money pending allotment	**500 00 00**	0

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2019 को		As on दि. 31.03.2018 को	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**3472 75 55**		3472 75 55	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन कटौतियाँ/Additions/ (Deductions) during the year	**-378 25 27**	**3094 50 28**	0	3472 75 55
II.	**आरक्षित पूँजी/Capital Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**347 97 10**		286 07 88	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**16 83 39**	**364 80 49**	61 89 22	347 97 10
III.	**शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
	अथशेष/Opening Balance	**6635 12 58**		3170 56 33	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**2892 36 01**	**9527 48 59**	3464 56 25	6635 12 58
IV.	**पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**1549 82 62**		1595 61 99	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/कटौतियाँ/Additions/Deductions during the year	**170 56 97**		14 43	
		1720 39 59		1595 76 42	
	घटाएं: राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण/Less: Transferred to Revenue Reserve	**22 99 71**	**1697 39 88**	45 93 80	1549 82 62
V.	**सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**581 16 40**		581 16 40	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581 16 40**	0	581 16 40
VI.	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and Other Reserves**				
	अथशेष/Opening Balance	**2657 03 67**		2611 09 87	
	जोड़ें: पुनर्मूल्य आरक्षित निधि से अंतरण Add: Transferred from Revaluation Reserve	**22 99 71**		45 93 80	
		2680 03 38		2657 03 67	
			2680 03 38		2657 03 67
VII.	**विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**28 92 07**		25 89 24	
	जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**83 13 20**	**112 05 27**	3 02 83	28 92 07
VIII.	**विशिष्ट आरक्षित निधि/Special Reserve (आयकर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत) (Under Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)**				
	अथशेष/Opening Balance	**1536 46 93**		1536 46 93	
	जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**0**	**1536 46 93**	0	1536 46 93
IX.	**लाभ व हानि लेखा खाते में शेष/Balance in Profit and Loss Account**				
	अथशेष/Opening Balance	**-3284 72 96**			
	जोड़ें : सांविधिक आरक्षित निधियों से अंतरित/Add: Transferred from Statutory reserve	**378 25 27**			
		-2906 47 69			
	जोड़ें/घटाएं : लाभ व हानि लेखा खाते से अंतरण/Add/ Less: Transfer from Profit and Loss Account	**-2605 12 86**	**-5511 60 55**	-3284 72 96	-3284 72 96
	योग/TOTAL		**14082 30 67**		13524 53 96

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
ए./A.I. **मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
i) बैंकों से/ From Banks	**62 45 17**	92 02 20
ii) अन्य से/ From Others	**10660 19 82**	11971 20 68
II. **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**73955 07 09**	68346 36 91
III. **सावधि जमाराशियाँ/Term Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**27133 59 32**	28405 47 05
ii) अन्य से/From Others	**148085 64 70**	163961 03 78
योग ए/TOTAL A (I+II+III)	**259896 96 10**	272776 10 62
बी./B. i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**230092 13 06**	241092 44 95
ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**29804 83 04**	31683 65 67
योग बी/TOTAL B (I+II)	**259896 96 10**	272776 10 62

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I. **भारत में उधार/Borrowings in India**		
ए/a) भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**6060 00 00**	9821 00 00
बी/b) अन्य बैंक/Other Banks	**6351 77 81**	4331 60 68
सी/c) अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**1398 02 93**	875 25 82
डी/d) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आई.पी.डी.ई.)/Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDE)	**194 00 00**	533 00 00
ई/e) अतिरिक्त टियर-I बांड/Additional Tier-I bonds	**3250 00 00**	3250 00 00
एफ/f) गौण ऋण/Subordinated Debt	**4600 00 00**	4900 00 00
जी/g) प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर/Redeemable Cumulative Preference Shares	**0**	0
योग/TOTAL	**21853 80 74**	23710 86 50
II. **भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India**	**3750 64 63**	5902 74 67
योग/TOTAL (I + II)	**25604 45 37**	29613 61 17
उपर्युक्त I और II में शामिल जमानती उधार/Secured Borrowings included in I and II above	**6060 00 00**	9821 00 00

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I. देय बिल/Bills Payable	**2546 21 28**	845 97 15
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**45 84 98**	29 40 90
III. उपचित ब्याज/Interest Accrued	**1323 70 94**	1489 03 92
IV. मानक आस्तियों के संदर्भ में आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**837 83 51**	1140 41 41
V. अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**3953 62 25**	3140 77 27
योग/TOTAL	**8707 22 96**	6645 60 65

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**1049 18 85**	946 65 97
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	**12563 63 97**	10737 50 43
अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
योग/TOTAL	**13612 82 82**	11684 16 40

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I. **भारत में/In India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/Current Accounts	**72 32 45**	81 87 29
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**3396 04 69**	3930 46 80
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/प्रतिवर्ति रेपो के अंतर्गत ऋण Money at Call and Short Notice/Lending under reverse repo		
ए)/a) बैंकों के पास/with Banks	**0**	5600 00 00
बी)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with Other Institutions	**0**	0
योग/Total	**3468 37 14**	9612 34 09
II. **भारत के बाहर/Outside India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**75 57 16**	11 17 80
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**0**	208 56 00
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
योग/Total	**75 57 16**	219 73 80
योग/TOTAL	**3543 94 30**	9832 07 89

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I. **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**74980 77 27**	79204 16 50
घटाएँ: मूल्यह्रास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**1346 43 01**	1187 98 24
भारत में निवल निवेश/Net Investments in India	**73634 34 26**	78016 18 26
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**69436 94 97**	73029 49 99
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	**90 50**	90 50
शेयर/Shares	**242 14 35**	279 25 77
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**3010 72 60**	3501 56 12
अनुषंगी और/या सहयोगी/Subsidiaries and/or Associates	**26 52 22**	26 52 22
अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जोखिम पूँजी, सी.ओ.डी. इत्यादि)/ Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	**917 09 62**	1178 43 66
योग/ Total	**73634 34 26**	78016 18 26
II. **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)**	**2454 44 72**	2373 40 47
घटाएँ: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	**15 63 85**	35 35 70
भारत के बाहर निवल निवेश/Net Investments Outside India	**2438 80 87**	2338 04 77
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**0**	0
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**2438 80 87**	2338 04 77
अन्य/Others	**0**	0
योग/Total	**2438 80 87**	2338 04 77
योग/TOTAL	**76073 15 13**	80354 23 03

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 9: अग्रिम (प्रावधानों का निवल)/SCHEDULE – 9: ADVANCES (Net of Provisions)

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
ए/A.	i) खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	**675 60 70**	1015 77 99
	ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण/ Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**32646 58 78**	53402 76 36
	iii) मीयादी ऋण/Term Loans	**171722 20 55**	156265 32 45
	योग/Total	**205044 40 03**	210683 86 80
बी/B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित)/ Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	**151292 97 62**	139520 86 93
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	**36646 28 81**	32552 53 36
	iii) अनारक्षित/Unsecured	**17105 13 59**	38610 46 51
	योग/Total	**205044 40 03**	210683 86 80
सी/C.	I) **भारत में अग्रिम/Advances in India**		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/Priority Sector	**71084 88 78**	73219 13 35
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**382 54 04**	2519 04 29
	iii) बैंक/Banks	**102 09 56**	131 56 38
	iv) अन्य/Others	**92620 94 88**	94325 96 14
	योग/Total	**164190 47 26**	170195 70 16
	II) **भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside of India**		
	i) बैंकों से देय/Due from Banks	**33763 30 17**	30594 03 83
	ii) अन्यों से देय/Due from Others		
	ए)/a) खरीदे गए और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	**134 88 34**	194 93 41
	बी)/b) सामूहिक ऋण/Syndicated Loans	**5029 28 40**	5126 64 74
	सी)/c) अन्य/Others	**1926 45 86**	4572 54 66
	योग/Total	**40853 92 77**	40488 16 64
	योग सी/TOTAL C (I + II)	**205044 40 03**	210683 86 80

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर At cost/revaluation as on March 31, of the preceding year	**2142 92 86**	2093 90 36
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Add: Additions during the year	**189 56 53**	49 52 87
	घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**2 42 29**	50 37
		2330 07 10	2142 92 86
	घटाएँ: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**359 43 16**	329 80 81
	योग/Total	**1970 63 94**	1813 12 05
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजी/Capital work in progress**	**9 44 17**	27 84 03
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर तथा उपस्कर सहित)/ Other Fixed Assets (including Furniture and Fixture)**		
	पिछले वर्ष के 31मार्च की लागत पर/At cost/ as on March 31, of the preceding year	**1879 16 84**	1744 32 86
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**154 24 06**	228 69 17
	घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन Less: Deductions/Adjustments during the year	**72 13 70**	93 85 19
		1961 27 20	1879 16 84
	घटाएँ: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**1368 97 26**	1242 02 70
	योग/Total	**592 29 94**	637 14 14
	योग/TOTAL (I+II+III)	**2572 38 05**	2478 10 22

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	0
II.	उपचित ब्याज/Interest accrued	**1673 55 35**	1776 94 58
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)	**3738 74 80**	2951 01 86
IV.	लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**35 39 08**	28 71 60
V.	दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3 06**	3 23
VI.	अन्य/Others	**4984 43 67**	4187 98 00
	योग/TOTAL	**10432 15 96**	8944 69 27

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I.	बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो कर्ज़ के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	**517 25 24**	149 94 95
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/Venture Funds	**26 61 26**	32 58 72
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	**158262 27 00**	87759 60 73
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantees given on behalf of constituents		
	ए)/a) भारत में/In India	**12639 52 30**	15241 75 29
	बी)/b) भारत के बाहर/Outside India	**7 24**	7 38
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**8668 15 31**	7034 19 24
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable		
	i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाना है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for	**2 77 91**	9 32 81
	ii) अन्य/Others	**11182 96 67**	12621 28 93
	योग/TOTAL	**191299 62 93**	122848 78 05

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	**15540 82 76**	15722 82 79
II.	निवेशों पर आय/Income on Investments	**5667 01 10**	5199 58 89
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**362 59 91**	713 13 80
IV.	अन्य/Others	**154 97 08**	140 39 50
	योग/TOTAL	**21725 40 85**	21775 94 98

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018
I. कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**728 80 65**	709 87 40
II. निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**364 27 08**	945 96 47
घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments		
III. जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	**2 56 59**	2 17 04
घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Land, Buildings & Other Assets	**-3 53 47**	-2 72 44
IV. विनिमय लेन-देन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions	**105 45 81**	194 93 86
घटाएँ: विनिमय लेन-देन पर हुई हानि/Less: Loss on Exchange Transactions	**-14**	-10 71 75
V. अनुषंगियों से लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of Dividends etc. from subsidiaries	**0**	0
VI. विविध आय/Miscellaneous Income	**1026 24 72**	966 39 53
योग/TOTAL	**2223 81 24**	2805 90 11

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**13475 51 18**	13723 77 52
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank borrowings	**108 16 85**	76 71 04
III. अन्य/Others	**1492 85 73**	1423 44 48
योग/TOTAL	**15076 53 76**	15223 93 04

अनुसूची – 16: परिचालन व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018
I. कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**4070 57 11**	3604 44 08
II. किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	**381 01 31**	365 90 17
III. मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**33 36 73**	28 20 28
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**21 45 07**	28 62 59
V. बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**217 22 34**	237 78 31
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**1 71 29**	1 43 44
VII. लेखापरीक्षकों के शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)/Auditors' Fees and Expenses (including for Branch Auditors)	**36 43 56**	35 22 60
VIII. विधिक प्रभार/Law Charges	**21 60 78**	8 88 15
IX. डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**86 34 44**	74 79 08
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**192 95 42**	143 96 31
XI. बीमा/Insurance	**256 34 00**	229 11 91
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	**734 46 71**	735 69 58
योग/TOTAL	**6053 48 76**	5494 06 50

अनुसूची 17
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति: 2018-19

1. **(ए) लेखांकन पद्धति**

विदेशी कार्यालय सहित बैंक की वित्तीय विवरणियों को जब तक अन्यथा न हो पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतों का पालन करते हुए तैयार किया जाता है । वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोट से युक्त होते हैं और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति के अनुरूप होते हैं। तथापि, विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुपालित होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित की जाने वाली आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाते हुए आकलन करें। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हो। लेखांकन अनुमानों में जब तक अन्यथा न हो किसी भी प्रकार के संशोधन को चालू अवधि तथा भावी अवधि में भविष्यलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है ।

(सी) लेखांकन नीति का उपयोग

जब तक कि सांविधिक अपेक्षाओं या लेखांकन मानकों के अनुपालन या कोई अन्य परिवर्तन जिसके फलस्वरूप वित्तीय विवरणी की अधिक सटीक प्रस्तुति की आवश्यकता न हो तब तक लेखांकन नीतियों का लगातार प्रयोग किया जाता है।

2. **विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन**

2.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन की रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर विदेशी मुद्रा राशि रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करते हुए अभिलेखित किया जाता है। प्रारंभिक निर्धारण हेतु निम्नलिखित विनिमय दरों का उपयोग किया जाता है:

ए) शाखाओं में (एफसीएनआर, ईईएफसी, आरएफसी) विदेशी मुद्रा देयता संबंधी लेनदेनों के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर) प्रकाशित किया जाता है।

बी) शाखाओं में विदेशी मुद्रा संबंधी आस्तियों तथा 'ए' श्रेणी की प्राधिकृत शाखा (कोष व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग) में आस्तियों व देयताओं संबंधी लेन-देन के लिए संव्यवहार की तिथि में बाजार दर पर।

2.2 सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनियम हाजिर/वायदा दर

SCHEDULE – 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: 2018-19

1. **(A) BASIS OF ACCOUNTING**

The financial statements of the Bank including foreign office have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. However, in respect of foreign office, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign country are complied with.

(B) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

(C) USE OF ACCOUNTING POLICY

Accounting Policy is consistently used unless change is required by statute or for compliance with Accounting Standard or the change would result in a more appropriate presentation of the financial statements.

2. **TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE**

2.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency. Following exchange rates are used for initial recognition:

a) For transactions involving foreign currency liabilities at branches (FCNR, EEFC, RFC) Weekly Average Rate (WAR) published by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

b) For transactions involving foreign currency assets at branches and assets and liabilities at 'A' designated branch (Treasury and International Banking Department) market rate on the date of transaction.

2.2 All the foreign currency monetary assets and liabilities are reported at closing exchange spot/forward rates

पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को, लाभ और हानि खातों में निर्धारित किया जाता है।

2.3 विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयाताओं को फेडाई के अंतिम हाजिर दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

2.4 व्यापार हेतु बकाया विदेशी विनिमय हाजिर एवं वायदा का पुनर्मूल्यांकन ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों तथा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं हेतु फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर किया जाता है। सीसीआईएल-शून्य कूपन प्रतिफल वक्र (जेडसीवाईसी) दरों के प्रयोग द्वारा बाजार भाव पर प्रदर्शित (एम टीएम) लाभ/हानि का वर्तमान मूल्य प्राप्त करने के लिए परिणामी बाजार भाव पर प्रदर्शित (एमटीएम) लाभ/हानि को बट्टाकृत किया जाता है और इसे लाभ/हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

2.5 गैर व्यापार वाले विदेशी विनिमय वायदा करारों के मामले में शुरुआत के प्रीमियम या छूट का परिशोधन करार की समयावधि पर व्यय अथवा आय के रूप में किया जाता है।

2.6 बैंक की एक शाखा लंदन में है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 11(एएस-11) के अनुसार इसके परिचालन को ''गैर-समाकलित विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ए) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, दोनों तथा आकस्मिक देयताओं को, फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित अंतिम हाजिर दरों पर परिवर्तित किया गया है ।

बी) आय तथा व्यय का परिवर्तन प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर (क्यूएआर) पर किया गया है।

सी) लेखांकन मानक-11 (एएस-11) के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी शाखा के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में संचित किया गया है।

डी) शाखा की विदेशी मुद्रा (शाखा की स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) वाली आस्तियों एवं देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में लागू हाजिर दर का उपयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

3. निवेश

प्रतिभूतियों में लेन-देन को ''निपटान तिथि'' पर अभिलेखित किया जाता है ।

3.1 वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

ए) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) निवेशों को परिपक्वता तक धारण करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यम एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित निवेश वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

notified by the FEDAI at the end of each quarter and the resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss A/c.

2.3 Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rate.

2.4 Outstanding foreign exchange spot and forward for trading are revalued at the exchange rates notified by the FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities". The resultant Marked to Market (MTM) gain/loss is discounted to arrive at present value MTM gain/loss by using CCIL-Zero Coupon Yield curve (ZCYC) rates and the same is recognized in Profit and Loss A/c.

2.5 In the case of foreign exchange forward contacts which are not intended for trading, premium or discount arising at the inception is amortised as expenses or income over the life of the contract.

2.6 The Bank has a branch at London and the operations of the same is classified as "Non-Integral Operations" in accordance with Accounting Standard 11(AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing spot rates notified by the FEDAI at end of each quarter.

b) Income and Expenditure are translated at Quarterly Average Rates (QAR) notified by the FEDAI at end of each quarter.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

d) The Assets and liabilities of the branch in foreign currency (other than local currency of the branch) are translated into local currency using applicable spot rate at the end of each quarter.

3. INVESTMENTS

The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".

3.1 Classification:

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

a) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

बी) ''व्यापार के लिए धारित'' (एचएफटी) निवेश को अल्पावधि कीमत/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापार करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। इनको खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंतर्गत व्यापार किया जाना अपेक्षित है।

सी) ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' (एएफएस) निवेश उपर्युक्त (ए) एवं (बी) दोनों में शामिल नहीं है अर्थात वे निवेश, जो "परिपक्वता तक धारित" या "व्यापार के लिए धारित" वर्ग में नहीं आते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन पत्र में निवेश को निम्नलिखित छह श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
(iii) शेयर
(iv) डिबेंचर और बंध पत्र
(v) अनुषंगी और/या सहयोगी
(vi) अन्य

जोखिम पूँजी निधि (वीसीएफ) की इकाइयों में बैंक के निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है तथा इनका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है। वितरण की तिथि से तीन वर्षों के पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार इसे विक्रय के लिए उपलब्ध वर्ग में अंतरित किया जाता है (एएफएस) तथा इसे बाजार भाव पर निर्धारित कर दिया जाता है।

3.2 निवेश का अधिग्रहण लागत:

ए) निवेशों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसआईटी) को लागत से हटाकर एक बारगी व्यय के रूप में लिया जाता है।

बी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को लागत/बिक्री राशि से हटाकर ब्याज व्यय/आय माना जाता है।

सी) निवेशों की लागत को भारित औसत मूल्य पद्धति पर निर्धारित किया जाता है।

डी) अभिदान पर प्राप्त प्रोत्साहन रकम को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया जाता है। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधी प्रदत्त ब्रोकरेज/कमीशन/स्टांप शुल्क की गणना राजस्व व्यय के रूप में की जाती है।

3.3 मूल्यांकन पद्धति:

ए) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन यदि उसका मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा है, तो भारित औसत अर्जन लागत पर किया जाता है, उन मामलों में प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की शेष अवधि तक निरंतर प्राप्ति आधार पर किया जाता है। ऐसे प्रीमियम का परिशोधन ''निवेश पर ब्याज'' शीर्ष के तहत आय में समायोजित किया जाता है।

बी) अस्थाई स्वभाव के अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों को छोड़कर अन्य अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों में किया गया निवेशों का मूल्यनिर्धारण अभिग्रहण लागत से ह्रास को कम करके किया जाता है।

b) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

c) "Available for Sale" (AFS) comprises of Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

In the balance sheet, the investments are disclosed as per the following six classifications in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India:

(i) Government Securities
(ii) Other Approved Securities
(iii) Shares
(iv) Debentures and Bonds
(v) Subsidiaries and/or Associates
(vi) Others

Bank's investments in units of VCF's are classified under HTM category and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it is shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

3.2 Acquisition Cost of Investment:

a) Brokerage, Commission, Securities Transaction Tax (STT) etc., paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

b) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/sale consideration.

c) Cost of investments is determined at weighted average price method.

d) Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/ Commission/Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expense.

3.3 Method of Valuation:

a) Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity, on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

b) Investments in subsidiaries and joint ventures are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

सी) एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो अधिग्रहण मूल्य/बही मूल्य के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाता है। अंतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनः मूल्यांकन किया जाता है और इससे मूल्यह्रास के होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

डी) एएफएस तथा एचएफटी के तहत धारित निवेशों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

ए) सरकार/अनुमोदित प्रतिभूतियाँ i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	फाइनेन्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबी-आईएल) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) पर। एफबीआईएल/आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
बी) केंद्र/ राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम के बाँड द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ के अग्रिम प्रकृति का नहीं)	एफबीआईएल/आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
सी) ईक्विटी शेयर	यदि उद्धृत हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा अद्यतित तुलन पत्र के अनुसार शेयरों के अलग-अलग मूल्य पर (18 माह से अधिक पुराना नहीं), अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी
डी) अधिमानी शेयर	यदि उद्धृत हो, तो बाजार मूल्य पर या आरबीआई/एफबीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल पर, जो निर्मोचन मूल्य से अधिक न हो।
ई) बाँड एवं डिबेंचर (अग्रिम प्रवृत्ति का नहीं)	यदि उद्धृत हो, तो बाजार मूल्य पर या आरबीआई/एफबीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल पर, जो निर्मोचन मूल्य से अधिक न हो।
एफ) म्यूच्युअल फंड की यूनिट	उद्धृत होने पर, शेयर बाजार के भाव पर, उद्धृत न होने पर पुनःखरीद/निवल आस्ति मूल्य पर।
जी) जोखिम पूँजी	18 महीने से अनधिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या विश्लेषित एनएवी। यदि 18 से अधिक महीने के निरंतर आधार पर एनएवी/लेखा परीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है, तो ₹1 प्रति जोखिम पूँजी निधि की दर पर किया जाता है।
एच) प्रतिभूति रसीदें	आरबीआई/ सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) यदि आस्ति दिनांक 01/04/2017 के बाद बेची गई है, तो प्रतिभूति रसीद (एसआर) का प्रावधान निम्न से अधिक है- ए) एसआर/ आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के अनुसार अपेक्षित प्रावधानिक दर और बी) अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधानिक दर, यह मानते हुए कि ऋण अनुमानतः बैंक की बही में जारी है ।
आई) वाणिज्यिक पत्र/सीओडी	लागत पर मूल्यांकित

c) Transfer of securities from HFT/AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/market value on the date of transfer whichever is lower. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for on acquisition price/book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

d) Investments held under AFS and HFT are valued as under:

a) Government / Approved Securities I. Central Govt Securities II. State Govt Securities	At market prices/YTM as published by Financial Benchmarks Pvt. Ltd. (FBIL). On appropriate yield to maturity basis as per FBIL/RBI guidelines.
b) Securities guaranteed by Central/ State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FBIL /RBI guidelines.
c) Equity Shares	At market price if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise at Re. 1 per company.
d) Preference Shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/ FBIL guidelines.
e) Bonds & Debentures (Not in nature of advances)	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/ FBIL guidelines.
f) Units of Mutual Funds	As per stock exchange quotation, if quoted at repurchase price/ NAV, if unquoted.
g) Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.
h) Security Receipts	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines. In case of assets sold after 01/04/2017 Provisioning of SR is higher of a. Provisioning rate required in terms of net asset value declared by the SR/RC and b. Provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.
i) Commercial Paper/COD	Valued at cost

उपरोक्त मूल्यांकन 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों में तिमाही आधार पर खंडवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास संकलित किए गए हैं। प्रत्येक वर्गीकरण के लिए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई है, उपलब्ध कराया गया है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को छोड़ दिया गया है । मूल्यह्रास हेतु प्रावधान होने पर, वैयक्तिक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार भाव पर प्रदर्शित करने के पश्चात अपरिवर्तित रहती है। परिवर्तन के माध्यम से, प्राप्त लिखत पर मूल्यह्रास, चाहे मानक या एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो, एएफएस श्रेणी के अन्तर्गत धारित किसी प्रतिभूति की मूल्यवृद्धि पर तुलन नहीं किया जाता है।

3.4 देश में स्थित कार्यालयों के लिए आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों के अनुसार निवेशों को अर्जक एवं अनर्जक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। देश में स्थित कार्यालयों के निवेश निम्न परिस्थितियों में अनर्जक बन जाते हैं:

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता प्रतिलाभ सहित) 90 से अधिक दिनों तक बकाया हो और भुगतान न किए हों।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न होने के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन ₹ 1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाता है तो, ये इक्विटी शेयर एनपीआई माने जाएँगे।
- यदि किसी संस्था द्वारा ली गई ऋण सुविधा बैंक बहियों में एनपीए के तौर पर चिह्नित है तो उसी संस्था द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति के लिए निवेश एवं इसके विपरीत को भी एनपीआई समझा जाएगा। निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किए गए अधिमानी शेयरों पर यथोचित परिवर्तन सहित उपर्युक्त शर्तें लागू होंगी।
- अग्रिम प्रकृति वाले डिबेंचर/बांड में निवेश, निवेश हेतु लागू मानदंडों के साथ एनपीआई की शर्तों के अधीन भी है।
- अनर्जक प्रतिभूतियों के संदर्भ में आय का निर्धारण नहीं होता है तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन प्रतिभूतियों पर अवमूल्यन हेतु प्रावधान किए जाते हैं। अनर्जक निवेशों के लिए किया गया प्रावधान अन्य अर्जक आस्तियों के संदर्भ में अधिमूल्यन के लिए समंजित नहीं होता है।

3.5 प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के निर्गम पर प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में प्रतिभूति रसीद (एसआर) में किए गए निवेश का निर्धारण-i) निवल बही मूल्य (एनबीवी) अर्थात् वित्तीय आस्तियों के बही मूल्य में से धारित प्रावधान को घटाकर तथा ii) प्रतिभूति रसीद (एसआर) के निर्मोचन मूल्य से कम होता है। किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, संबंधित योजना के अंतर्गत एससी/एआरसी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीद लिखत में निर्दिष्ट वित्तीय आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति तक सीमित होने की स्थिति में ऐसे निवेशों के मूल्यांकन हेतु एससी/एआरसी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य को गणना में लिया जाता है।

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market. Depreciation on the instrument acquired by way of conversion, whether classified as standard or NPA, is not offset against the appreciation in any of other securities held under the AFS category.

3.4 Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in the case of domestic offices and respective regulators in the case of foreign offices. Investments of domestic offices become non-performing where:

- Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares will be reckoned as NPI.
- If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investments in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. The above would apply mutatis-mutandis to Preference Shares where the fixed dividend is not paid.
- The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.
- In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation for such securities as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.5 In case of sale of NPA (financial asset) to securitisation Company (SC)/Asset. Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognised at lower of (i) Net Book Value (NBV) (i.e.), book value less provisions held) of the financial asset: and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ARC, is reckoned for valuation of such investments.

3.6 निवेशों का निपटान

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि का निर्धारण लाभ एवं हानि खाते में संबंधित निवेशों के भारित औसत लागत/बहीमूल्य के आधार पर की जाती है और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्गीकरण में निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ के समान राशि का विनियोजन पूँजी आरक्षित निधि खाते में होता है।

बी) एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाता में निर्धारित किया गया है।

3.7 विदेशी शाखा में अस्थिर/स्थिर दर नोट तथा ऋण संबद्ध नोट के निवेश 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार भाव पर प्रदर्शित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य अंकित मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ व हानि खाता में संबंधित प्रभार निर्धारित किए गए हैं।

3.8 रेपो/प्रतिवर्ती रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियाँ संपार्श्विक उधार देने और लेने के संव्यवहारों के रूप में लेखांकित हैं। तथापि, प्रतिभूतियाँ सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद संव्यवहारों के मामलों के अनुरूप अंतरित की जाती है और प्रतिभूतियों के ऐसे चलन को रेपो/प्रतिवर्ती रेपो खातों और प्रतिप्रविष्टियों का उपयोग करते हुए परिलक्षित किए जाते हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित की जाती हैं। लागतों और राजस्वों का लेखांकन, जो भी स्थिति है, उसके अनुसार ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते के शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिवर्ती रेपो खाते के शेष का वर्गीकरण बैंकों में नकदी शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय मुद्रा के रूप में किया गया है।

3.9 विदेशी शाखा का निवेश

ए) विदेशी शाखा में अस्थिर/स्थिर दर नोट के निवेश को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन अंकित मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

बी) खरीद के समय कोई प्रीमियम होने पर लिखत की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किए जाएंगे जबकि खरीद पर किसी भी प्रकार की छूट को छोड़ दिया जाता है।

सी) ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार भाव पर प्रदर्शित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य कल्पित मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ व हानि लेखा में संबंधित प्रभार को निर्धारित किया जाता है।

4. व्युत्पन्न

4.1 बैंक व्युत्पन्न संविदा जैसे विदेशी विनिमय वायदा संविदा, ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप और पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप, और वायदा दर करार में तुलन पत्र पर/तुलन पत्र से बाहर आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए या व्यापार उद्देश्य के लिए निष्पादित करता है।

3.6 Disposal of Investments:

a) Profit/ loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost/book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

b) Profit/ loss on sale of Investment in AFS/ HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

3.7 Floating / Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available for Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.8 The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

3.9. Foreign Branch's Investment:

a) Floating and Fixed Rate Note investments at Foreign Branch are classified as Available for Sale category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower.

b) Premium at time of purchase if any shall be amortised over the residual period of the instrument while any discount on purchase is ignored.

c) These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit & Loss A/c.

4. DERIVATIVES

4.1 The Bank enters into derivative contracts, such as Foreign Exchange Forward contracts, Interest Rate Swaps, Currency Swaps, and Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The Swap

तुलन पत्र पर आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए हस्ताक्षरित संविदाएं इस प्रकार से संरचित होती हैं कि उनका तुलन पत्र में निहित मदों पर विपरीत व प्रतितुलन प्रभाव पड़ता है।

4.2 सभी वायदा संविदा को उद्योग में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार बाजार भाव पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

4.3 बैंक मुद्रा फ्युचर्स के रूप में मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के सहयोग से व्युत्पन्न विनिमय व्यापार का काम कर रहा है। मुद्रा फ्युचर्स दैनिक आधार पर बाजार भाव पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

4.4 व्युत्पन्न लेनदेन हेतु ऋण एक्सपोजर का परिकलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है जिसकी निगरानी चालू ऋण एक्सपोजर पद्धति पर की जाती है।

4.5 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देन को व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाता है।

5. अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक आवश्यक हो, उसके अनुसार किया जाता है।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

5.3 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/बैंक/एफआई/एनबीएफसी को, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर अर्थात् बही मूल्य से धारित प्रावधान घटाकर, बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में, कमी को लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाला जाता है तथा एनबीवी मूल्य से अधिक मूल्य की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान उस साल के लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दिया जाता है जिस साल वह प्राप्त हुआ है।

6 परिसर, अन्य अचल आस्तियां एवं अवमूल्यन

6.1 परिसर एवं अन्य अचल संपत्तियों को परंपरागत लागत पर और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य से संचित ह्रास राशि को घटाकर निर्धारित किया जाता है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर तीन वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

6.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है।

6.3 आस्तियों के पुनर्मल्यांकन के मामले में अचल आस्तियों से संबंधित मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यांकित रकम के संदर्भ में की जाती है तथा यह लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित होते हैं। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकित रकम के संदर्भ में की जाती है तथा लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित होते हैं। पुनर्मूल्यांकित

contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items.

4.2 All Forward Contracts are marked to market as per the generally accepted accounting practices prevalent in the industry.

4.3 Bank is undertaking the Exchange Trade Derivatives in form of Currency Futures with recognized Stock Exchanges. Currency Futures are marked to market on daily basis.

4.4 The credit exposures for derivative transactions are calculated in accordance with the guidelines issued by RBI monitored on Current Credit Exposure method.

4.5 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

5. ADVANCES

5.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

5.3 In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC) / Banks / FIs / NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e. Book Value less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is reversed to Profit and Loss Account in the year in which the amounts are received.

6. PREMISES, OTHER FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every three years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated.

6.3 Depreciation in respect of fixed assets is calculated on with reference to cost or revalued amount, in case of assets revalued and the same is charged to Profit and Loss account. In the case of Revalued assets, the

आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप होनेवाले अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से निर्वाध आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

6.4 मूल्यह्रास की दर प्रयोज्य काल और अवशिष्ट मूल्य, यदि कोई हो, पर आधारित है और मूल्यह्रास की विधि में सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) को अपनाया गया है।

परिवर्धन सहित अन्य अचल आस्तियों पर सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित दरों से मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है:

(ए) परिसर	दरें (एसएलएम)
i) बैंक स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्ववाले/पट्टे पर लिए गए)- भवन का प्रयोज्य काल 60 वर्ष है	1.58%
ii) पट्टे पर लिए गए परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	10% पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

(बी) अन्य आस्तियां				
क्रम सं.	आस्ति का स्वरूप	प्रयोज्य काल (वर्ष)	अवशिष्ट मूल्य	मूल्यह्रास दर (एसएलएम)
1.	फर्नीचर व फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण – कंप्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर	10 वर्ष	5%	9.50%
2.	यूपीएस	6 वर्ष	5%	15.83%
3.	अन्य उपकरण	7 वर्ष	5%	13.57%
4.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	5 वर्ष	0	20.00%
5.	**कंप्यूटर एवं एटीएम**			
5. (i)	सर्वर हार्डवेयर, नेटवर्क उपकरण तथा स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)	5 वर्ष	0	20.00%
5. (ii)	उपर्युक्त 5 (i) को छोड़कर अन्य कंप्यूटर	3 वर्ष	0	33.33%
6.	मोटर कार, मोटर साइकिल आदि वाहनों सहित	5 वर्ष	0	20.00%

6.5 अचल आस्तियों में जोड़ी गई आस्तियों पर मूल्यह्रास इसमें जोड़ने की तिथि से आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

7. कर्मचारियों के लाभ

7.1 कर्मचारियों के अल्पावधि लाभ :

ए. सेवा प्रदान किए जाने के 12 महीनों के भीतर पूर्ण रूप से देय कर्मचारी लाभ को कर्मचारियों के अल्पावधि लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इन्हें कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई संबंधित सेवा अवधि में निर्धारित किया जाता है।

बी. कर्मचारियों के दीर्घावधि लाभ :

i. भविष्य निधि के रूप में कर्मचारी लाभ एक निर्धारित अंशदान योजना है और भविष्य निधि हेतु, विकल्प चुननेवाले कर्मचारियों के संबंध में जिस वर्ष में अंशदान देय हैं उस वर्ष में अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है।

additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation reserve to Free Reserve in the Balance Sheet.

6.4 The rate of Depreciation is based on the useful life and residual value, if any and the method of depreciation adopted is Straight Line Method (SLM).

Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of Straight Line Method at the following rates:

(A) PREMISES:	Rates (SLM)
i) Bank owned (freehold / leasehold) -- Useful life of Building is 60 Years	1.58%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease – where lease period is not specified – where lease period is specified	10% Amortised over the residual period of lease.

(B) OTHER ASSETS:				
Sl. No.	Type of Asset	Useful Life (Yrs)	Residual Value	Depr. Rate (SLM)
1.	Furniture & Fittings, Electrical Equipments – Other than Computers and ATMs	10 Yrs	5%	9.50%
2.	UPS	6 Yrs	5%	15.83%
3.	Other Equipments	7 Yrs	5%	13.57%
4.	Electronic Equipments	5 Yrs	0	20.00%
5.	**Computers and ATMs**	XX	XX	XX
5. (i)	Server Hardware, Network Equipments and Automated Teller Machines (ATMs)	5 Yrs	0	20.00%
5. (ii)	Computers other than mentioned at 5 (i) above	3 Yrs	0	33.33%
6.	Vehicles including Motor Car, Motor Cycle etc.	5 Yrs	0	20.00%

6.5 Depreciation on any additions to fixed assets is provided on a pro rata basis from the date of such addition.

7. EMPLOYEE BENEFITS

7.1 Short Term Employee Benefits:

a. Employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service is classified as short term employee benefits and are recognized in the period in which the employee renders the related service.

b. **Long term Employee Benefits :**

i. Employee Benefits in the form of Provident Fund is a Defined Contribution Scheme and the contributions are charged to Profit & Loss Account in the year in which the contributions are due in respect of employees who have opted for Provident Fund.

ii. ए. जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना के लिए विकल्प चुना है उनके संबंध में पेंशन लाभ एक निर्धारित लाभ की बाध्यता है और उसे 31 मार्च, 2010 तक बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। बैंक द्वारा पेंसन की देयता का भुगतान बैंक के पेंसन निधि न्यास में की जाती है।

बी. नई पेंशन योजना जो 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए लागू है। यह एक पूर्व निर्धारित दर युक्त निर्धारित अंशदान योजना है और बैंक की बाध्यता ऐसे अंशदान के लिए सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

iii. उपदान निधि देयता एक निर्धारित लाभ योजना है और उसे वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए वास्तविक मूल्यांकन पर दिया जाता है। उपदान देयता को बैंक के उपदान निधि न्यास में संचित किया जाता है।

iv. छुट्टी के नकदीकरण जैसी संचित और क्षतिपूरक अनुपस्थितियां वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है।

8. राजस्व/ व्यय का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यत: उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/ कमीशन, गैर-बैंकिंग आस्तियों से आय, लॉकर किराया, अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी, अनर्जक आस्तियों से आय, एसडीआर / एस4ए खातों एवं दावा दायर खातों पर विधिक व्यय, जिनका हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है।

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्ति का अधिकार स्थापित किया जाता है।

सी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

डी) आयातित सोने के सिक्कों की परेषण-बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

ई) प्रतिरक्षा के लिए हस्ताक्षरित व्युत्पन्न लेन-देन पर ब्याज आय तथा व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है।

एफ) परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे भुगतान का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी एएस-19 (पट्टे) के नियमानुसार पट्टे की अवधि पर लाभ एवं हानि लेखा में परिलक्षित होते हैं।

9. आय पर कर

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

ii. a. In respect of employees who have opted for Pension Scheme, Pension Benefit is a Defined Benefit Obligation and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year for the employees who have joined the Bank up to 31st March, 2010. The Pension liability is funded by the Bank to the Pension Fund Trust of the Bank.

b. New Pension Scheme which is applicable to employees who joined the Bank on or after 1st April, 2010 is a Defined Contribution Scheme at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such contribution. The Contribution is charged to Profit & Loss Account.

iii. Gratuity liability is a Defined Benefit Plan and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year. The gratuity liability is funded to the Gratuity Fund Trust of the Bank.

iv. Accumulated Compensated absences such as Leave Encashment are provided for based on actuarial valuation.

8. RECOGNITION OF REVENUE/EXPENSES

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees / commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills / tax refunds, income from non-performing assets, SDR/S4A accounts and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item as per RBI guidelines.

d) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

e) The Interest Income and Expenditure on Derivatives Transactions entered for hedging is accounted on accrual basis.

f) Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS-19 (Leases) issued by ICAI.

9. TAXES ON INCOME

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

10. देशीय जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार देशीय जोखिम प्रबंधन नीति अपनायी है। निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) नगण्य जोखिम, कम जोखिम, मध्यम कम जोखिम, मध्यम जोखिम, मध्यम उच्च जोखिम, उच्च जोखिम, अति उच्च जोखिम/प्रतिबंधित तथा ऋणेतर नाम से सात देशीय जोखिम श्रेणी का वर्गीकरण प्रकाशित करता है। देशीय निवेश जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है। प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशी निवेश (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक न होने पर ऐसे देशीय निवेश पर किसी प्रकार के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। देशीय जोखिम प्रावधानों (यदि आवश्यक हो, तो) को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ''अन्य देयताएँ और प्रावधान'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

11. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से बढ़ते हुए ऋण जोखिम को रोकने के लिए एक नीति अपनायी है तथा उसे अनुमोदित किया है।

12. आस्तियों की हानि

आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन पत्र के दिनांक पर आस्तियों की वहन राशि का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि का निर्धारण उसी समय हो जाता है जब किसी आस्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

13. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात किया गया है:

- आय कर और धन कर के लिए प्रावधान
- अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
- मानक आस्तियों पर प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
- आकस्मिकताओं का अंतरण
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

14. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। प्रति ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया ह्रासमानित संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करते हुए की जाती है।

9.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines. Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) publishes the Seven Country Risk Category classification, namely, Insignificant, Low, Moderate, High, Very High, Restricted and Off-credit. Provision for country risk exposure is made as per extant RBI Guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is required on such country exposures. The Country Risk Provision (if required) is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under "Other Liabilities and Provisions".

11. UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The Bank has framed and approved a policy for administration of credit risk rising out of Unhedged foreign currency exposures in accordance with extant RBI guidelines.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

13. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

- Provision for Income Tax and Wealth Tax
- Provision / Write off of Non-Performing Advances and Investments
- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation / depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.

14. EARNINGS PER SHARE

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिकआस्तियाँ

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ) के अनुसार बैंक प्रावधान तभी निर्धारित करता है जब इसकी किसी गत घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई बाध्यता हो, यह संभव है कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े और तब बाध्यता राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब ही किया जाता है जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न हो। आकस्मिक आस्तियाँ वित्तीय विवरण में निर्धारित नहीं की जाती क्योंकि इससे कभी प्राप्त न की जा सकनेवाली लाभ का निर्धारण हो सकता है।

15. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची – 18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ: 2018 – 2019

1. पूँजी

ए. बासेल III के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**9.31**	7.56
ii) टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**11.36**	9.41
iii) टियर 2 पूँजी अनुपात (%)	**2.87**	2.83
iv) कुल पूँजी अनुपात (सी.आर.ए.आर.) (%)	**14.23**	12.24
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता	**84.66**	73.07
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	**3,963.00**	3,989.80
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर। पूँजी, जिसमें;		
– पी.एन.सी.पी.एस.	**0.00**	0.00
– पी.डी.आई.	**0.00**	0.00
– अतिरिक्त टियर-1 बाँड	**0.00**	450.00
viii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें;		
– ऋण पूँजी लिखत	**0.00**	500.00
– अधिमानी शेयर पूँजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	**0.00**	0.00

नोट: दि. 31-03-2019 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 14.81 प्रतिशत है जबकि दि. 31-03-2018 की स्थिति में यह 12.67 प्रतिशत था।

ए. वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने अधिमान्यता के आधार पर ईक्विटी शेयर भारत सरकार को निम्नानुसार जारी किया है ।

- दि. 19.12.2018 को ₹728 करोड़ मूल्य के 18,36,99,217 ईक्विटी शेयर, अधिमान्यता के आधार पर ₹10 के अंकित मूल्य पर, ₹29.63 की प्रीमियम राशि के साथ जारी किया गया।
- दि. 27.02.2019 को ₹1,632 करोड़ मूल्य के 48,23,17.880 ईक्विटी शेयर, अधिमान्यता के आधार पर ₹10 के अंकित मूल्य पर, ₹27.75 की प्रीमियम राशि के साथ जारी किया गया।
- दि. 29.03.2019 को ₹1,603 करोड़ मूल्य के 45,46,22.802 ईक्विटी शेयर, अधिमान्यता के आधार पर ₹10 के अंकित मूल्य पर, ₹25.26 की प्रीमियम राशि के साथ जारी किया गया।

बी. वर्ष के दौरान बैंक ने 9.40% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ ₹339 करोड़ मूल्य के बासेल III अननुपालक आईपीडीआई बाँड निष्पादित किया है।

सी. वर्ष के दौरान बैंक ने 8.60% कूपन दर युक्त (प्रति वर्ष) ₹300 करोड़ मूल्य के न्यूनतर टिइर- II बॉण्ड के लिए परिपक्व राशि का भुगतान किया है।

डी. ईएसपीएस के माध्यम से वसूली गई ₹500 करोड़ की पूँजी को आबंटन हेतु शेष शेयर आवेदन राशि माना गया और पूँजी पर्याप्तता गणना में इन्हें शामिल नहीं किया गया है ।

2. निवेश

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी.बीसी. 102/21.04.048/2017-18 , दिनांक अप्रैल 02.2018 के जरिए बैंक को 31 दिसंबर, 2017 एवं 31 मार्च 2018 तिमाही के दौरान एफएस एवं एचएफटी निवेश में उपगत बाज़ारी हानि को जिस तिमाही के दौरान हानि हुई है उस तिमाही से चार तिमाहियों में समान रूप से समायोजित करने का विकल्प प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.113/21.04.048/2017-18, दिनांक 15 जून 2018 के माध्यम से एएफएस एवं एचएफटी निवेशों में बैंक को हुई बाज़ारी हानि को 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही में भी समायोजित करने का विकल्प प्रदान किया है।

बैंक ने उपरोक्त दोनों विकल्पों का प्रयोग किया है और तदनुसार एएफएस एवं एचएफटी श्रेणी में सरकारी प्रतिभूतियों पर बैंक दिसबर 2017, मार्च 2018 एवं जून 2018 को समाप्त तिमाहियों में हुई एमटीएम हानि को चार निमाहियों में समायोजित किया है और 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही की लाभ एवं हानि लेखा में ₹248.09 करोड़ को एमटीएम हानि के रूप में प्रभारित किया है और 30 सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही की विवरणी में ₹585.79 करोड़ मूल्य के समग्र शेष राशि को परिशोधित मूल्यह्रास के अंतर्गत दर्शाया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(1) *निवेश का मूल्य*		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	**74,980.77**	79,204.16
(बी) भारत के बाहर	**2,454.45**	2,373.40
(ii) मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	**1,346.43**	1,187.99*
(बी) भारत के बाहर	**15.64**	35.36
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	**73,634.34**	78,016.17
(बी) भारत के बाहर	**2438.81**	2,338.04
(2) *निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन*		
(i) अथ शेष	**1,223.35**	614.79
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**376.65**	628.13
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**237.93**	19.57
(iv) **इति शेष**	**1,362.07**	1,223.35

* मूल्यह्रास के संबंध में उपरोक्त प्रावधान आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी.बीसी. 102/21.04.048/2017-18, दिनांक 2 अप्रैल 2018 में कथित निर्देशों के अनुसारसरकारी प्रतिभूतियों पर उपगत एमटीएम हानि को चार तिमाहियों में समायोजित करने के बाद किया गया है।

SCHEDULE – 18 NOTES ON ACCOUNTS: 2018 – 2019

1. CAPITAL

a. Capital Adequacy Ratio as per Basel III

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio **(%)**	**9.31**	7.56
ii) Tier 1 Capital Ratio **(%)**	**11.36**	9.41
iii) Tier 2 Capital Ratio **(%)**	**2.87**	2.83
iv) Total Capital Ratio (CRAR) **(%)**	**14.23**	12.24
v) Percentage of the shareholding of the Government of India **(%)**	**84.66**	73.07
vi) Amount of equity capital raised (Including Share Premium)	**3,963.00**	3,989.80
vii) Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which		
- PNCPS	**0.00**	0.00
- PDI	**0.00**	0.00
- Additional Tier I Bonds	**0.00**	450.00
viii) Amount of Tier 2 Capital raised; of which		
- Debt Capital Instrument	**0.00**	500.00
- Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0.00**	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31-03-2019 as per Basel - II norms is 14.81% and as on 31-03-2018 it was 12.67%.

a. During the year, the Bank has allotted equity shares to Government of India ("GOI") on preferential basis as detailed below:

- 18,36,99,217 Equity Shares were allotted on 19.12.2018 under preferential basis at face value of Rs. 10 each at a premium of Rs. 29. 63 aggregating Rs. 728 Crore.
- 43,23,17,880 Equity Shares were allotted on 27.02.2019 under preferential basis at face value of Rs. 10 each at a premium Rs. 27.75 aggregating Rs. 1,632 Crore.
- 45,46,22,802 Equity Shares were allotted on 29.03.2019 under preferential basis at face value of Rs. 10 each at a premium of Rs. 25.26 aggregating Rs. 1,603 Crore.

b. During the year, the bank has exercised Call option for Basel III Non-compliant IPDI Bonds of ₹ 339 Crores carrying coupon rate of 9.40% p.a.

c. During the year, the bank has paid maturity of Lower Tier II Bond Series X of ₹ 300 Crores carrying coupon rate of 8.60% p.a.

d. The capital of Rs.500crore raised though ESPS treated as Share application money pending allotment is not considered for capital adequacy purposes.

2. INVESTMENTS

RBI vide circular no.DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 grants an option to spread mark to market loss on AFS and HFT investments for quarters ended December 31,2017 and March 31,2018, equally over four quarters commencing with the quarter in which loss is incurred. Further, RBI vide circular no DBR.No.BP.BC.113/21.04.048/2017-18 dated June 15, 2018 granted an option to spread mark to market loss on AFS and HFT investments for quarters ending June 30, 2018 as well.

The Bank has availed both the options and accordingly has spread MTM loss on Government Securities in AFS and HFT category for the period Dec17 March 18 and June 18 over four quarters and charged MTM loss to Profit & Loss account amounting to Rs.248.09 Crore for the period ended June 30,2018 and balance entire unamortized depreciation amounting to Rs.585.79 Crore in the quarter ended September 30,2018.

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	**74,980.77**	79,204.16
(b) Outside India	**2,454.45**	2,373.40
(ii) Provisions for Depreciation and NPA		
(a) In India	**1,346.43**	1,187.99*
(b) Outside India	**15.64**	35.36
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	**73,634.34**	78,016.17
(b) Outside India	**2438.81**	2,338.04
(2) Movement of provisions held towards depreciation on Investments		
(i) **Opening balance**	**1,223.35**	614.79
(ii) Add: Provisions made during the year	**376.65**	628.13
(iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year on account of sale of investments	**237.93**	19.57
(iv) Closing balance	**1,362.07**	1,223.35

*The provision for Depreciation stated above is after Spread of the MTM losses on Government Securities over four quarters as permitted by RBI vide circular no.DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018.

2.1 रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2019 को इति शेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ					
(i)	चलनिधि समायोजन रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	97.83 (102.83)	658.61 (665.51)	131.72 (77.74)	**590.00 (621.83)**
(ii)	सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ)	919.16 (0.00)	919.16 (0.00)	2.52 (0.00)	**0.00 (0.00)**
(iii)	मियादी रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	975.04 (303.17)	5,670.32 (9,242.30)	4,395.32 (911.16)	**5,470.00 (9,242.30)**
(iv)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	1107.00 (0.00)	1181.00 (0.00)	594.00 (0.00)	**1107.00 (0.00)**
(v)	सीआरओएमएस उधार	103.31 (69.00)	4924.85 (4419.17)	954.03 (560.27)	**1,499.99 (115.00)**
(vi)	टीआरईपीएस उधार	500.00 (0.00)	4400.00 (0.00)	1361.44 (0.00)	**1498.97 (0.00)**
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ					
(i)	चलनिधि समायोजन रिवर्स रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	92.73 (89.07)	6301.48 (9088.64)	518.71 (678.48)	**0.00 (5,524.58)**
(ii)	मियादी रिवर्स रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	2.77 (289.14)	2,142.70 (18,717.67)	150.71 (5430.46)	**0.00 (0.00)**
(iii)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	**0.00 (0.00)**
(iv)	सीआरओएमएस उधार	10.00 (9.44)	1287.99 (3,679.99)	34.80 (742.94)	**0.00 (0.00)**
(v)	टीआरईपीएस उधार	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	**0.00 (0.00)**

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है, सीआरओएमएस एवं टीआरईपीएस उधार नहीं ।

2.2 गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

(i) दि. 31-03-2019 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	"निम्न निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की मात्रा	"अनिर्धारित" प्रतिभूतियों की मात्रा	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	865.65 (1,432.33)	181.16 (1,258.01)	560.35 (0.00)	560.35 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1,586.73 (1,783.88)	858.85 (752.96)	75.25 (0.25)	0.25 (0.25)	0.25 (0.25)
(iii)	बैंक	2,257.23 (2,223.29)	105.23 (184.52)	836.96 (187.57)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी निगम	2,526.67 (2,831.15)	2,260.80 (2,137.81)	320.62 (346.72)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	अनुषंगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi)	अन्य*	7,170.86 (2,930.45)	7,141.37 (2,868.49)	0.00 (61.96)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	मूल्यह्रास के प्रति रखे गए प्रावधान	996.37 (1,064.82)	***	***	***	***
	कुल	13,437.30 (10,162.80)	10,573.93 (7,228.31)	1,793.18 (596.50)	560.62 (0.27)	0.27 (0.27)

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

*अन्य में भारत सरकार से प्राप्त ₹6,802 करोड़ के पुनः पूँजीकरण बाँड (गैर-एसएलआर, एचटीएम श्रेणी के) शामिल हैं। "भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह वैयक्तिक आधार पर जारी किए जाने वाले बाँड होने के कारण इसे निजी स्थानन पर रखा गया है।"

नोट: 1. कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

2. ईक्विटी, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, उद्यम पूँजी, दरांकित आस्ति द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, और प्रतिभूति रसीद में कृत निवेश का पृथक श्रेणीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें दरांकित/सूचीकृत दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त है। पुन:संरचना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियाँ दरांकन के पात्र नहीं हैं।

(ii) अनर्जक गैर-एस.एल.आर. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019			31-03-2018		
	देशी	लंदन *	कुल	देशी	लंदन *	कुल
अथ शेष	1,383.47	0.00	1,383.47	570.58	0.00	570.58
वर्ष के दौरान परिवर्धन 1 अप्रैल से	31.05	0.00	31.05	951.37	0.00	951.37
उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	594.94	0.00	594.94	138.48	0.00	138.48
इति शेष	819.58	0.00	819.58	1,383.47	0.00	1,383.47
धारित कुल प्रावधान	758.45	0.00	758.45	889.19	0.00	889.19

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण मुद्रा दरों/आई.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

2.1 Repo Transactions (in face value terms)

(₹ in Crores)

	Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2019
Securities sold under Repo					
i)	Government Securities for LAF Repo	97.83 (102.83)	658.61 (665.51)	131.72 (77.74)	590.00 (621.83)
ii)	MSF	919.16 (0.00)	919.16 (0.00)	2.52 (0.00)	0.00 (0.00)
iii)	Government Securities for Term Repo	975.04 (303.17)	5,670.32 (9,242.30)	4,395.32 (911.16)	5,470.00 (9,242.30)
iv)	Corporate Debt Securities	1107.00 (0.00)	1181.00 (0.00)	594.00 (0.00)	1107.00 (0.00)
v)	CROMS Borrowing	103.31 (69.00)	4924.85 (4419.17)	954.03 (560.27)	1,499.99 (115.00)
i)	TREPS Borrowing	500.00 (0.00)	4400.00 (0.00)	1361.44 (0.00)	1498.97 (0.00)
Securities purchased under Reverse Repo					
i)	Government Securities for LAF Reverse Repo	92.73 (89.07)	6301.48 (9088.64)	518.71 (678.48)	0.00 (5,524.58)
ii)	Government Securities for Term Reverse Repo	2.77 (289.14)	2,142.70 (18,717.67)	150.71 (5430.46)	0.00 (0.00)
iii)	Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
iv)	CROMS Lending	10.00 (9.44)	1287.99 (3,679.99)	34.80 (742.94)	0.00 (0.00)
i)	TREPS Lending	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(Figures in brackets are previous year figure.)

The above figures are inclusive of margin excluding CROMS & TREPS Lending/Borrowing.

2.2 Non-SLR Investment Portfolio

(i) Issuer composition of Non SLR investments as on 31-03-2019.

(₹ in Crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	865.65 (1,432.33)	181.16 (1,258.01)	560.35 (0.00)	560.35 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	Financial Institutions (including NBFCs)	1,586.73 (1,783.88)	858.85 (752.96)	75.25 (0.25)	0.25 (0.25)	0.25 (0.25)
(iii)	Banks	2,257.23 (2,223.29)	105.23 (184.52)	836.96 (187.57)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	Private Corporate	2,526.67 (2,831.15)	2,260.80 (2,137.81)	320.62 (346.72)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi)	Others*	7,170.86 (2,930.45)	7,141.37 (2,868.49)	0.00 (61.96)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	Provision held towards depreciation	996.37 (1,064.82)	***	***	***	***
	TOTAL	13,437.30 (10,162.80)	10,573.93 (7,228.31)	1,793.18 (596.50)	560.62 (0.27)	0.27 (0.27)

(Figures in brackets are previous year figure.)

*Others include Recapitalisation bonds (NON-SLR HTM Category) received from Govt of India amounting to ₹6,802.00 Crore. "As per Government Notification it appears it is on one to one basis hence included in private placement."

Note:

1. Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.
2. Investment in Equities, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets backed Securities, Central Government Securities, and Security Receipts are not segregated under these categories as they are exempt from ratings / listing guidelines. Securities issued under restructuring are not subjected to ratings.

(ii) Non performing Non-SLR Investments

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019			31-03-2018		
	Domestic	London*	Total	Domestic	London*	Total
Opening balance	1,383.47	0.00	1,383.47	570.58	0.00	570.58
Additions during the year since 1st April	31.05	0.00	31.05	951.37	0.00	951.37
Reduction during the above period (UPPCL)	594.94	0.00	594.94	138.48	0.00	138.48
Closing balance	819.58	0.00	819.58	1,383.47	0.00	1,383.47
Total provisions held	758.45	0.00	758.45	889.19	0.00	889.19

Note: *Appreciation / Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates / INR rates.

(iii) *एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण*

एच.टी.एम. श्रेणी को/से प्रतिभूतियों की बिक्री और उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक न हो है।

(iv) *एसजीएल उछाल*

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एसजीएल का कोई उछाल नहीं था।

2.3 एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹25,87,60,421.90 (पिछले वर्ष ₹94,64,79,349.50) को लाभ एवं हानि लेखा में लिया गया और तदनंतर पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित किया गया है।

2.4 एच.टी.एम. वर्ग की प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹296,72,69,784.00 (पिछले वर्ष ₹272,09,55,070) को लाभ एवं हानि खाते में नामे डाल दिया गया है और यह भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्र के अनुसार अर्जित ब्याज: मद सं II - निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची-13 में प्रतिबिंबित होता है।

3. व्युत्पन्न

3. ए वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ पारस्परिक मुद्रा की अदला-बदली

- **वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली**

वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2014-15 के दौरान बैंक ने यूएसडी 1400.00 मिलियन के स्थिर ब्याज दर एमटीएन फंड को 3 हिस्से में संचयी करके 5 ½ वर्ष के लिए बढ़ाया है।

बैंक ने 1265 मिलियन डॉलर (यूएसडी) के लिए मध्यम अवधि नोटों पर लागू स्थाई ब्याज दर को लिबॉर से जुड़ी अस्थाई दर में परिवर्तित करने के लिए ब्याज दर स्वैप सुविधा अपनाया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**2,766.20**	5,865.75
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, होने वाली हानि	**13.83**	0.04
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**-15.89**	-30.57

नोट: किये गए सभी वायदा करार दर और ब्याज दर अदला-बदली प्रतिपक्षी बैंकों के परिप्रेक्ष में है ताकि तुलन पत्र के अंतर की प्रतिरक्षा की जा सके।

- **मुद्रा अदला-बदली**

'मुद्रा अदला-बदली' सुविधा व्यापारियों को दी जाती है और यह अंतर-बैंक प्रतिकार के साथ परस्पर आधार पर संरक्षित की जाती है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	-	654.25
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, होने वाली हानि	-	14.21
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	-	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	-	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	-	1.72

(1) हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वर्तमान ऋण निवेश (संभाव्य भावी निवेश) और प्रतिस्थापन जोखिम (सकारात्मक एमटीएम) शामिल हैं।

(2) अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदला-बदली पर एमटीएम प्राप्य और देय को घटाकर है।

(3) वायदा दर करार (एफआरए) और ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस) को अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है। मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैक-टु-बैक आधार पर कवर किया गया है।

(4) इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन प्रतिपक्षकारों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करते हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है।

(5) व्युत्पन्नों की लेखांकन नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2018-19 में प्रस्तुत हैं।

3.बी विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न

मुद्रा वायदा:

बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31-03-2019 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया संविदा नहीं है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

क्रम सं	विवरण	(₹ करोड़ में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	

(iii) *Sale and transfers to / from HTM category*

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

(iv) ***SGL Bouncing***

There was no instance of SGL bouncing during the financial year 2018-19.

2.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹ 25,87,60,421.90 (Previous Year ₹94,64,79,349.50) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account.

2.4 The amortization charges of ₹296,72,69,784.00 (Previous Year ₹272,09,55,070) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

3. DERIVATIVES

3.A Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap / Cross Currency Swaps

- **Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps**

During the financial years 2011-12, 2012-13 and 2014-15, Bank had raised Fixed Interest rate MTN funds in 3 tranches cumulating to USD 1400.00 Mio for 5 ½ Years. Bank had entered into Interest Rate Swaps for USD 1265 Mio for converting the Fixed Interest Rates on Medium Term notes with the floating rates linked to Libor.

(₹ in Crores)

Sl. No.	Items	31-03-2019	31-03-2018
i)	The notional principal of swap agreements	**2,766.20**	5,865.75
ii)	Losses which would be incurred if the counter parties fail to fulfil their obligations under the agreements	**13.83**	0.04
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**-15.89**	-30.57

Note: All Interest Rate Swaps undertaken are against counterparty Banks to hedge Balance Sheet gaps.

- **Currency Swaps**

Currency Swaps was offered to Merchant and covered on Back-to-Back basis with Interbank Counterparty.

(₹ in Crores)

Sl. No.	Items	31-03-2019	31-03-2018
i)	The notional principal of the swap agreements	-	654.25
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	-	14.21
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	-	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	-	0.00
v)	The fair value of the swap book	-	1.72

(1) Losses have been defined as Total Credit Exposure which is inclusive of Current Credit Exposure (Potential Future Exposure) and Replacement Risk (Positive MTM).

(2) Fair Value of Swaps book is the Net of MTM receivable and Payable on the above Swaps.

(3) Forward Rate Agreement (FRA's) and Interest Rate Swaps (IRS's) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing assets and Liabilities mismatches. Currency Swap has been undertaken with customer for hedging their exposures and covered back-to back with identical terms.

(4) These Derivatives transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters/limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn up in accordance with the RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 –Significant Accounting Policies 2018-19.

3.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The Bank is undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges namely BSE, NSE & MCX. There is no Outstanding Contracts under Currency future as at 31-03-2019.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in Crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	**NIL**
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2016 (instrument-wise)	

क्रम सं	विवरण	(₹ करोड़ में)
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल राशि जो ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार-दर-बाजार मूल्य जो ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	

3.सी व्युत्पन्नों में जोखिम एक्सपोज़र संबंधी प्रकटीकरण

ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

- ✓ व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- ✓ बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर प्रतिपक्षकारों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।
- ✓ पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01 - सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- ✓ वर्ष के दौरान बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु एफ.आर.ए. किया।
- ✓ मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को परस्पर मुद्रा अदला-बदली में शामिल किया गया। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- ✓ परस्पर मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसे जोखिम स्थिति के बगैर संरक्षित किया गया।
- ✓ केवल गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है।
- ✓ बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई. एस. को अपनाया है ।
- ✓ बैंक में प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली है ।
- ✓ व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।
- ✓ ऋण जोखिम की निगरानी प्रतिपक्षकार एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सीसीआईएल/सीएलएस के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है।
- ✓ प्रतिपक्षकार बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- ✓ बैंक के पास सम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत न ही कोई निवेश है और न ही उसके पास न्यून-ब्याज दर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है।
- ✓ बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है।
- ✓ ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- ✓ भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपक्षकार बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई. एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- ✓ मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से निगरानी एवं आकलन करता है।
- ✓ संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- ✓ प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- ✓ लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में अलग से वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया।
- ✓ बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचय आधार पर होता है।
- ✓ प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है। फिर भी, अवधि के दौरान कोई प्रतिरक्षा लेनदेन असुरक्षित नहीं हुआ है।
- ✓ विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को मासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- ✓ मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- ✓ **99.51%** व्युत्पन्न (कल्पित राशि पर आधारित), शेष परिपक्वता की एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

Sl. No.	Particulars	(₹ in Crores)
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL
iv)	Marked-to-Market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	

3.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) Qualitative Disclosure

- ✓ The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- ✓ The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on two Exchanges.
- ✓ Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- ✓ During the year Bank undertook FRA for hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- ✓ Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- ✓ Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- ✓ Currency swaps are undertaken for non-bank counter party with ratings SYND 01 to 04 only.
- ✓ The Bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- ✓ The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- ✓ Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Exposure Method (CEM).
- ✓ Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- ✓ The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- ✓ The Bank is neither having any exposure in complex derivatives nor it has any direct exposure to the sub-prime assets.
- ✓ The Bank has neither crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- ✓ The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ✓ ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- ✓ Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- ✓ The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- ✓ Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- ✓ The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- ✓ The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- ✓ Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to market losses. However during the period no Hedge Transaction turned naked.
- ✓ Transactions for market making purposes are marked-to-market at monthly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- ✓ Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- ✓ **99.51%** of Derivatives (based on notional amount) fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

बी) दि. 31.03.2019 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31-03-2019		31-03-2018	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)				5,865.75
	ए) प्रतिरक्षा के लिए	–	2766.20	654.25	–
	बी) व्यापार के लिए	–	–	–	
2	बाज़ार दर बाज़ार				0.04
	ए) आस्तियाँ (+)	–	–	7.67	30.60
	बी) देयताएँ (-)	–	15.89	5.95	42.40
3	ऋण एक्सपोज़र	–	13.83	14.21	
4	ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवीओ 01)				-38.24
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	–	-13.85	-0.04	0.00
	बी) व्यापार व्युत्पन्न पर	–	0.00	0.00	
5	वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवीओ 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	ए) प्रतिरक्षा पर				–
	न्यूनतम	–	–	–	–
	अधिकतम	–	–	–	
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अधिकतम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3.डी ऋण चूक अदला बदली

वित्तीय वर्ष के दौरानबैंक ने ऋण चूक अदला बदली में व्यापार नहीं किया है।

3.ई आरबीआई के साथ एफसीएनआर बी जमाराशि की अदला-बदली

वर्ष 2013 में आरबीआई द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नई एफसीएनआर बी जमा के लिए स्वीकृत मुद्रा में 3 या उससे अधिक वर्षों की अवधि के लिए, एक 'यूएस डॉलर रियायती अदला-बदली खिडकी' उपलब्ध कराया गया है। दि.31.03.2019 की स्थिति के अनुसार यह शून्य है।

4. आस्ति गुणवत्ता

ए. अनर्जक आस्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(i) निवल अग्रिमों की तुलने में निवल अनर्जक आस्ति (%)	**6.16%**	6.28%
(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. अथ शेष	25,758.60	17,609.31
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	11,592.01	14,309.28
सी. वर्ष के दौरान कटौती	12,670.24	6,159.99
डी. इति शेष	24,680.37	25,758.60
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. अथ शेष	13,239.46	10,410.98
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,794.18	6,433.23
सी. वर्ष के दौरान कटौती	6,405.91	3,604.75
डी. इति शेष	12,627.73	13,239.46
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
ए. अथ शेष	12,341.30	7,049.74
बी. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5,797.83	7,876.05
सी. अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	6326.09	2,584.49
डी. इति शेष	11,813.04	12,341.30
ई. प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	66.43%	60.71%

बी. आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान – (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32/21.डी4.डी18/2018-19 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार, प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है चूँकि दोनों शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।)

b) Quantitative Disclosure as on 31.03.2019

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	31-03-2019		31-03-2018	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	**Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	a) For Hedging	---	2766.20	654.25	5,865.75
	b) For Trading	--	--	--	--
2	**Marked To Market Positions**				
	a) Asset (+)	---	---	7.67	0.04
	b) Liability (-)	---	15.89	5.95	30.60
3	**Credit Exposure**	---	13.83	14.21	42.40
4	**Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)**				
	a) On Hedging Derivatives	----	-13.85	-0.04	-38.24
	b) On Trading Derivatives	----	0.00	0.00	0.00
5	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year**				
	a) On Hedging				
	Minimum	--	--	--	--
	Maximum	--	--	--	--
	b) On Trading				
	Minimum	NA	NA	NA	NA
	Maximum	NA	NA	NA	NA

3.C Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Bank has not traded in Credit Default Swaps.

3.D FCNR B Deposit Swap with RBI

In 2013, RBI introduced a US Dollar concessional Swap window for Fresh FCNR B Deposit for the period of 3 years in any permissible currency for the minimum tenor of 3 years or more. As on 31.03.2019 it is NIL.

4. ASSET QUALITY

a. **Non-Performing Assets**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(i) Net NPA to Net Advances (%)	6.16%	6.28%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	25,758.60	17,609.31
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	11,592.01	14,309.28
c. Reductions during the year	12,670.24	6,159.99
d. Closing balance	24,680.37	25,758.60
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	13,239.46	10,410.98
b. Additions during the year	5,794.18	6,433.23
c. Reductions during the year	6,405.91	3,604.75
d. Closing balance	12,627.73	13,239.46
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	12,341.30	7,049.74
b. Provisions made during the year	5,797.83	7,876.05
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	6326.09	2,584.49
d. Closing balance	11,813.04	12,341.30
e. Provision Coverage Ratio (%)	66.43%	60.71%

b. **Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs** – In terms of RBI Circular No DBR.BP.BC.NO.32/21.D4.D18/2018-19 dated 01.04.2019, no disclosure is required since the conditions are not breached.

सी/c) वर्ष *2018 – 19* के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/*Details of Accounts Restructured during the Year 2018 – 19*

(₹ करोड़ में /₹ in Crores)

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण/ DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2019

क्र.सं. S.No.	पुनर्संरचना का प्रकार / TYPE OF RESTRUCTURING		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत /UNDER CDR MECHANISIM					एस एम ई के अंतर्गत /UNDER SME					अन्य /OTHERS					कुल /TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण/ASSET CLASSIFICATION		मानक/ STD	अव-मानक/ SUB STD	संदिग्ध आस्ति/ DA	हानि/ LOSS	कुल/ TOTAL	मानक/ STD	अव- मानक/ SUB STD	संदिग्ध/ आस्तिDA	हानि/ LOSS	कुल/ TOTAL	मानक/ STD	अव- मानक/ SUB STD	संदिग्ध आस्ति/ DA	हानि/ LOSS	कुल/ TOTAL	मानक/ STD	अव- मानक/ SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/ LOSS	कुल/ TOTAL
1	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते/Restructured accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER	1	0	13	0	**14**	51	76	831	7	**965**	40761	29609	49765	111	**120246**	40813	29685	50609	118	**121225**
		बकाया राशि AMT O/S	17.68	0.00	997.73	0.00	**1015.41**	7.07	11.88	93.27	2.54	**114.76**	1895.95	1027.45	1792.37	4.02	**4719.79**	1920.70	1039.33	2883.37	6.56	**5849.96**
		प्रावधान PROVISION	0.46	0.00	5.58	0.00	**6.04**	0.26	0.00	0.30	0.00	**0.56**	142.35	46.09	46.86	0.00	**235.30**	143.07	46.09	52.74	0.00	**241.90**
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना/ Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER	0	0	0	0	**0**	3459	73	2	0	**3534**	4778	64	19	0	**4861**	8237	137	21	0	**8395**
		बकाया राशि AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	157.84	11.82	0.08	0.00	**169.74**	238.88	2.42	0.55	0.00	**241.85**	396.72	14.24	0.63	0.00	**411.59**
		प्रावधान PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	15.25	0.45	0.00	0.00	**15.70**	34.49	0.12	0.00	0.00	**34.61**	49.74	0.57	0.00	0.00	**50.31**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत /Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER	2	0	0	0	**2**	616	0	0	0	**616**	2346	0		0	**2346**	2964	0	0	0	**2964**
		बकाया राशि AMT O/S	58.28	0.00	0.00	0.00	**58.28**	40.86	0.00	0.00	0.00	**40.86**	636.71	0.00		0.00	**636.71**	735.85	0.00	0.00	0.00	**735.85**
		प्रावधान PROVISION	0.04	0.00	0.00	0.00	**0.04**	0.89	0.00	0.00	0.00	**0.89**	2.86	0.00		0.00	**2.86**	3.79	0.00	0.00	0.00	**3.79**
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाए जाने की आवश्यकता न हो / Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as retructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER					**0**					**0**	4				**4**	4	0	0	0	**4**
		बकाया राशि AMT O/S					**0.00**					**0.00**	228.23				**228.23**	228.23	0.00	0.00	0.00	**228.23**
		प्रावधान PROVISION					**0.00**					**0.00**	11.28				**11.28**	11.28	0.00	0.00	0.00	**11.28**
5	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट/ Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER	0	0	-1	1	**0**	-4	27	4	0	**27**	-5649	8061	8965	3	**11380**	-5653	8088	8968	4	**11407**
		बकाया राशि AMT O/S	0.00	0.00	-56.85	56.85	**0.00**	-3.40	4.70	1.76	0.00	**3.06**	-193.00	190.61	285.53	0.06	**283.20**	-196.40	195.31	230.44	56.91	**286.26**
		प्रावधान PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.12	0.00	0.00	**0.12**	-9.34	9.48	13.33	0.00	**13**	-9.34	9.60	13.33	0.00	**13.59**
6	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन/ Written off restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER	1	0	7	0	**8**	563	74	550	7	**1194**	35877	29557	-11117	-239	**54078**	36441	29631	-10560	-232	**55280**
		बकाया राशि AMT O/S	17.69	0.00	333.76	0.00	**351.45**	2.31	19.49	48.02	2.54	**72.36**	1943.96	1016.99	-19.19	-396.39	**2545**	1963.96	1036.48	362.59	-393.85	**2969.18**
		प्रावधान/PROVISION	0.46	0.00	5.58	0.00	**6.04**	1.06	0.38	-0.05	0.00	**1.39**	116.94	45.57	-15.53	0.00	**147**	118.46	45.95	-10.00	0.00	**154.41**
7	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते (इति शेष)*/ Restructured accounts as on 31.03.2019 (Closing figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER	2	0	5	1	**8**	3559	102	287	0	**3948**	6355	8177	69866	353	**84751**	9916	8279	70158	353	**88706**
		बकाया राशि AMT O/S	58.27	0.00	607.12	56.85	**722.24**	200.06	8.91	47.09	0.00	**256.06**	406.35	203.49	2097.64	400.47	**3107.95**	664.68	212.40	2751.85	457.32	**4086.25**
		प्रावधान PROVISION	0.04	0.00	0.00	0.00	**0.04**	15.34	0.19	0.35	0.00	**15.88**	42.14	10.12	75.72	0.00	**127.98**	57.52	10.31	76.07	0.00	**143.90**

1. इति शेष = अथ शेष + नया + स्तरोन्नत – अपवर्जित + गिरावट – बट्टे खाते डाले गये, बंद किया गया आदि अर्थात् 7 =1+2+3-4+5-6. Closing Balance = Opening Bal+Fresh+Upgradations - Excluded+Slippages - Write off, closed etc. i.e. 7 =1+2+3-4+5-6.
2. अपवर्जित खातों से उत्पन्न फिसलन के कारण संदिग्ध एवं हानि आस्तियों में बढ़ोत्तरी हुई है। / Increase in Doubtful and Loss assets is due to slippages from Excluded accounts.

डी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(i) खातों की संख्या	शून्य	2
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)		38.49
(iii) कुल प्रतिफल		143.50
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल		0.00
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि		105.01
(vi) अनर्जक आस्ति की बिक्री पर लाभ-हानि खाते को प्रतिवर्तित की गई अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा		1.19

d. Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(i) No. of accounts	Nil	2
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company / Reconstruction Company		38.49
(iii) Aggregate consideration		143.50
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years		0.00
(v) Aggregate gain / loss over net book value.		105.01
(vi) The quantum of excess provision reversed to the Profit & Loss A/c on account of sale of NPAs		1.19

ई) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस सी)/पुन:निर्माण कंपनी (आर सी) के प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(i) मौलिक रूप में बैंक द्वारा भेजी गयी अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	**953.84**	1,124.50
(ii) मौलिक रूप में अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्ति द्वारा समर्थित	**0.00**	0.00
कुल	**953.84**	1,124.50

प्रतिभूति रसीदों में निवेश संबंधी अतिरिक्त प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पिछले 5 वर्ष के दौरान जारी एसआर	5 वर्ष से अधिक किंतु पिछले 8 वर्ष के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से अधिक अवधि पूर्व जारी एसआर
(i) मौलिक रूप में बैंक द्वारा भेजी गयी अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	936.11	0.00	17.73
उपरोक्त (i) के सापेक्ष धारित प्रावधान	105.64	0.00	17.73
(ii) मौलिक रूप में अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्ति द्वारा समर्थित	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त (ii) के सापेक्ष धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
कुल (i) + (ii)	**936.11**	**0.00**	**17.73**

e. Book value of Investments in Security Receipts of Securitisation Company (SCs)/Reconstruction Company (RCs)

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	**953.84**	1,124.50
(ii) Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying	**0.00**	0.00
TOTAL	**953.84**	**1,124.50**

Additional Disclosures pertains to the Investment in Security Receipts:

(₹ in Crores)

Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 year ago
(i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	936.11	0.00	17.73
Provisions held against **(i)**	105.64	0.00	17.73
(ii) Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
Provisions held against **(ii)**	0.00	0.00	0.00
TOTAL (i) + (ii)	**936.11**	**0.00**	**17.73**

एफ) दि.31.03.2019 को कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना योजना संबंधी प्रकटीकरण (वे खाते जो फिलहाल निष्क्रिय अवधि के अधीन है।)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर लागू किया गया है	रिपोर्टिंग तारीख 31-03-2019 तक की स्थिति के अनुसार बकाया राशि		रिपोर्टिंग तारीख 31-03-2019 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन शेष है।		रिपोर्टिंग तारीख 31-03-2019 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन हो गया है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
–	–	–	शून्य	–	–	–

नोट : दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु तैयार संशोधित ढ़ाचें के संबंध में दि. 12.02.2018 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एसडीआर योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। अतः पूर्व इस योजना के अंतर्गत दर्शाए गए सभी खातों को, जो वर्तमान में क्रियान्वयन में है, 'असफल मामले' माना गया है और इन्हें एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

जी) दि.31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों की दीर्घकालिक संरचना योजना (एस4ए) संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए का अनुप्रयोग किया गया है।	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान (नोट 2 का संदर्भ लें)
		भाग ए	भाग बी	
मानक के रूप में वर्गीकृत				
2	234.33	102.42	131.91 (नोट 1 का संदर्भ लें)	78.81
एनपीए के रूप में वर्गीकृत				
1	43.04	19.74	23.30	18.15

नोट 1. कुल बकाया राशि आईएनआर 131.91 करोड़ में से, आईएनआर 38.71 करोड़ एनपीए से संबद्ध है। इस खाते के लिए भाग ए मानक है।

2. धारित प्रावधान में निवेश के संबंध में (अर्थात् भाग बी) मौजूद प्रावधान भी शामिल है।

एच) मौजूदा ऋणों की सुविधानुसार संरचना संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए उधारकर्ताओं की संख्या	सुविधानुसार संरचान के लिए चुने गए ऋणों की राशि		सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए ऋणों की एक्सपोजर आधारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	सुविधानुसार संरचना का अनुप्रयोग करने से पहले	सुविधानुसार संरचना का अनुप्रयोग करने के बाद
वित्तीय वर्ष 2017-18	01	195.04	146.25	14.00	14.00
वित्तीय वर्ष 2018-19	–	–	–	–	–

आई) एसडीआर योजना से पृथक स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन है।)

खातों की संख्या, जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को लागू किया है	31.03.2019 के अनुसार बकाया राशि		31.03.2019 के अनुसार बकाया राशि, जहाँ ऋण को ईक्विटी के रूप में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों की गिरवी लागू करना शेष है।		31.03.2019 के अनुसार बकाया राशि, जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों की गिरवी को लागू किया गया है।		31.03.2019 के अनुसार बकाया राशि जहाँ स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना प्रवर्तक के ईक्विटी की बिक्री या नए शेयर जारी करने के माध्यम से की गयी है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-	शून्य	-	-	-	-

नोट : दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु तैयार संशोधित ढ़ाचें के संबंध में दि. 12.02.2018 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एसडीआर योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। अतः पूर्व इस योजना के अंतर्गत दर्शाए गए सभी खातों को, जो वर्तमान में क्रियान्वयन में है, 'असफल मामले' माना गया और इन्हें एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

f. Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme as on 31.03.2019 (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in Crores)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31-03-2019		Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31-03-2019 with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date i.e 31-03-2019 with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
–	–	–	NIL	–	–	–

Note: As per RBI Circular dated 12.02.2018 in respect of Revised Framework on Resolution of Stressed Asset, the SDR scheme has been discontinued with immediate effect. Therefore all accounts under this scheme which are under implementation have been treated as failed cases and classified as NPA.

g. Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31-03-2019

(₹in Crores)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held(Refer Note 2)
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard				
2	234.33	102.42	131.91 **(Refer Note 1)**	78.81
Classified as NPA				
1	43.04	19.74	23.30	18.15

Note: 1. Out of INR 131.91 Crore, INR 38.71 Crore belong to NPA. Part A is standard for this account.

2. Provision held includes provision in respect of Investments (i.e. Part B) also.

h. Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹in Crores)

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible Structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
FY 2017-18	01	195.04	146.25	14.00	14.00
FY 2018-19	–	–	–	–	–

i. Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31.03.2019		Amount outstanding as on 31.03.2019 with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on 31.03.2019 with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on 31.03.2019 with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
–	–	–	–	NIL	–	–	–	–

Note: As per RBI circular dated 12.02.2018 in respect of Revised Framework on Resolution of Stressed Asset, the scheme under change in management outside SDR has been discontinued with the immediate effect. Therefore all the accounts under this scheme which are under implementation have been treated as failed cases and classified as NPA.

जे) क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन है)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को लागू किया है।	31.03.2019 तक बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुन:संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

के) खरीदे/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
1. बेचे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

एल) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	दि. 31-03-2019 को	दि. 31-03-2018 को
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	837.84	1,140.41

एम) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में संशोधित ढ़ांचे पर आरबीआई द्वारा दि. 12.02.2018 को जारी परिपत्र के अनुसार:

31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों की संख्या जिनमें आरबीआई के परिपत्र दि.12.02.2018 में कथित शर्तों के अनुसार समाधान योजना लागू की गई।	31.03.2019 तक बकाया निधि आधारित शेष
शून्य	शून्य

5. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	7.28%	7.06%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में गैर ब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	0.74%	0.91%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	0.94%	1.25%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	(0.87%)	(1.05%)
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) **(₹ करोड़ में)**	14.27	14.39
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ **(₹ लाख में)**	(8.20)	(9.92)

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षकों द्वारा माना गया है ।

j. **Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)**

(₹ in Crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31.03.2019		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
NIL	NIL	NIL	NIL

k. **Details of non-performing financial assets purchased / sold:**

A. **Details of Non Performing Financial Assets Purchased**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL

B. **Details of Non Performing Financial Assets Sold**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
1. No. of Accounts Sold	NIL	NIL
2. Aggregate Outstanding	NIL	NIL
3. Aggregate Consideration Received	NIL	NIL

l. ***Provisions on Standard Assets***

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31-03-2019	As on 31-03-2018
Provisions towards Standard Assets	837.84	1,140.41

m. ***Resolution on Stressed Assets-Revised Framework as per RBI Circular dated 12.02.2018:***

No. of accounts where Resolution Plan has been implemented as on 31.03.2019 in terms of RBI Circular dated 12.02.2018	Fund Based balance outstanding as on 31.03.2019
NIL	NIL

5. **BUSINESS RATIOS**

Sl. No.	Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds **(%)**	7.28%	7.06%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds **(%)**	0.74%	0.91%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds **(%)**	0.94%	1.25%
(iv)	Return on Assets **(%)**	(0.87%)	(1.05%)
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee **(₹ in Crores)**	14.27	14.39
(vi)	Profit per Employee **(₹ in *Lakhs*)**	(8.20)	(9.92)

Note : Working funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the auditors.

6. **आस्ति देयता प्रबंधन/ASSET LIABILITY MANAGEMENT**

ऋण एवं अग्रिम, निवेश, जमा और उधार के परिपक्वता स्वरूप (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न परिपक्वता समूह के तहत) / THE MATURITY PATTERN OF LOANS AND ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS (UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY RESERVE BANK OF INDIA

As on 31.03.2019/दि.31.03.2019 तक

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन और 2 महीने तक 31 days & upto 2 months	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक >2 months & upto 3 months	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक >3 months & upto 6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक > 6 months & upto 1 yr	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 yr to 3 yr	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 yr to 5 yr	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक >5 yr to 7 yr	7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक >7 yr to 10 yr	10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक > 10 yr to 15 yr	15 वर्ष से अधिक Over 15 years	कुल /Total
जमाराशि/Deposits	1840.28	12351.88	3776.65	11751.68	16033.96	18433.15	16019.54	34304.22	107125.33	16537.78	8830.99	5270.07	3122.73	4498.69	**259896.96**
अग्रिम/Advances	12802.99	3932.24	3191.49	6070.40	9794.95	9520.81	14107.15	18421.68	66584.54	20778.95	9266.10	8649.06	2564.51	6731.78	**192416.67**
निवेश/Investments	0.00	166.11	0.00	885.88	66.44	1579.17	1800.79	1293.60	12871.87	15444.40	14321.69	14741.22	11324.73	1577.25	**76073.15**
उधार/Borrowings	0.00	6288.95	2000.26	0.00	837.96	744.71	620.43	2780.83	6240.24	2497.91	3093.15	500.00	0.00	0.00	**25604.45**
विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency Assets	7106.11	3341.68	1001.54	4845.57	5651.83	3784.59	8021.54	3063.09	3985.27	2745.01	204.83	0.00	0.00	0.00	**43751.06**
विदेशी मुद्रा देयताएँ/Foreign Currency Liabilities	238.68	7149.28	1377.69	7246.58	6193.40	3111.90	3386.16	4957.67	3034.74	1051.88	0.00	0.00	0.00	0.00	**37747.99**

नोट: विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को संबंधित जमा, अग्रिम, निवेश और उधार में शामिल किया गया है।

Note: Foreign Currency Assets & liabilities are included in respective deposits, advances, investments and borrowings

7. एक्सपोज़र

ए. रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31-03-2019	31-03-2018
ए) प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	**29,550.30**	29,275.06
(i) आवासीय बंधक– उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार; (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाने के लिए योग्य आवास ऋणों को अलग सा दर्शाया जाए).	**21,572.78**	18,951.52
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित): वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार।	**5,834.84**	8,790.28
(iii) गैर सी.आर.ई. के अंतर्गत अन्य प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	**2,142.68**	1,533.26
(iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत एक्सपोज़र –		
ए. आवासीय	**0.00**	0.00
बी. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	**0.00**	0.00
बी) परोक्ष एक्सपोज़र राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र	**9686.33**	1,769.73
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र	**39236.63**	31,044.79

बी. पूँजी बाजार में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**217.42**	237.12
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.34**	0.32
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और बेज़मानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियाँ	**0.00**	0.00
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**39.09**	41.39
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.00**	0.00
(x) जोखिम पूंजी के अंतर्गत कुल एक्सपोज़र (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**128.12**	143.86
पूँजी बाजार के अंतर्गत कुल एक्सपोज़र	**384.97**	422.69

7. **EXPOSURES**

A. **Exposure to Real Estate Sector**

(₹ in Crores)

Category	31-03-2019	31-03-2018
a) Direct Exposure	**29,550.30**	29,275.06
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately).	**21,572.78**	18,951.52
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based & non fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.).	**5,834.84**	8,790.28
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	**2,142.68**	1,533.26
(iv) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure		
a. Residential	**0.00**	0.00
b. Commercial Real Estate	**0.00**	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**9,686.33**	1,769.73
Total Exposure to Real Estate Sector	**39,236.63**	31,044.79

B. **Exposure to Capital Market**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**217.42**	237.12
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.34**	0.32
(iii) Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.00**	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**0.00**	0.00
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**39.09**	41.39
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stock brokers for margin trading	**0.00**	0.00
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**128.12**	143.86
Total Exposure to Capital Market	**384.97**	422.69

सी. बैंक ने निम्नांकित कंपनियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना (एसडीआर) को लागू कर ईक्विटी शेयर हासिल किया है। दिनांक 31-3-2019 तक बकाया ईक्विटी शेयर संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	एसडीआर के तहत प्राप्त ईक्विटी शेयरों की संख्या
1	आधुनिक पॉवर एण्ड नैचुरल रिसोर्सस लिमिटेड	14,99,440
2	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड*	15,75,701
3	जीएमआर राजमंड्री एनर्जी लिमिटेड	5,59,00,000
4	पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड	1,28,074
5	गेम्मॉन इंडिया लिमिटेड	2,26,96,508
6	एलएनटी हलोल शामलाजी टॉलवे लिमिटेड	5,94,92,481
7	प्रतिभा इंडस्ट्रीज	49,02,369
8	डायमंड पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर	9,23,433
9	जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड	7,00,00,000
10	बीआरजी आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड	1,45,48,286
11	आईकॉम टेली कंपनी लिमिटेड	66,59,707
12	हिंदूस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी	96,93,580
13	बेलोना एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड	1,15,646
14	जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड	11,25,319
15	एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड	5,55,797
16	गुजरात एनआरई कोक	97,55,213
17	एमएसपी स्टील्स लिमिटेड *	51,55,213

* मोनेट इस्पात लिमिटेड 243012 शेयर एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना के अंतर्गत कम कर दिए गए हैं।

डी. जोखिम श्रेणी वार देशी एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

जोखिम वर्ग	31 मार्च, 2019 को एक्सपोज़र (निवल)	31 मार्च, 2019 को धारित प्रावधान	31 मार्च, 2018 को एक्सपोज़र (निवल)	31 मार्च, 2018 को धारित प्रावधान
नगण्य	10,623.05	**3.15**	4,074.97	शून्य
कम	1,445.18	–	3,686.97	शून्य
मध्यम कम	9.24	–	1.87	शून्य
मध्यम	8.67	–	2.94	शून्य
मध्यम अधिक	0.45	–	1.77	शून्य
उच्च	–	–	0.00	शून्य
अति उच्च/प्रतिबंधित	–	–	0.00	शून्य
ऋणेतर	–	–	0.00	शून्य
कुल	12,086.59	**3.15**	**7,768.52**	शून्य

नोट: बैंक ने 31-03-2019 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि निवेश का विश्लेषण किया है और ऐसे निवेश बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित बैंक के कुल आस्तियों के 1% की लक्ष्य के अंतर्गत है ।

ई. बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल) एवं समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण: शून्य

एफ. बेजमानती अग्रिम

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ ली गयी है:

(₹ करोड़ में)

कुल अग्रिमों की राशि जहाँ अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर चार्ज प्राप्त किए गए हैं।	344.90
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	700.00

8. प्रावधान

ए) आय कर प्रावधान

अपने कर परामर्शदाताओं की सलाह, कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एमएटी लागू नहीं है, के आधार पर तैयार अपनी संगत नीति के अनुसरण में, बैंक ने अपनी चालू वर्ष की कर देयता का परिकलन किया है।

C. **The Bank has invoked Strategic Debt Restructuring (SDR) as per RBI guidelines in the following companies and acquired equity shares pursuant to invocation of SDR. The details of outstanding equity shares as on 31-03-2019 are as follows:**

Sl No	Name of the Company	No of Equity Shares acquired under SDR
1	Adhunik Power and Natural Resources Ltd	14,99,440
2	Monnet Ispat & Energy Ltd (*)	15,75,701
3	GMR Rajahmundry Energy Ltd	5,59,00,000
4	Patel Engineering Ltd	1,28,074
5	Gammon India Ltd	2,26,96,508
6	LNT Halol Shamlaji Tollway Ltd	5,94,92,481
7	Prathiba Industries	49,02,369
8	Diamond Power Infrastructure	9,23,433
9	Jaiprakash Power Ventures Ltd	7,00,00,000
10	BRG Iron and Steel Co Ltd	1,45,48,286
11	ICOMM Tele Ltd	66,59,707
12	Hindustan Construction Co	96,93,580
13	Bellona Estate Developers Ltd	1,15,646
14	Jindal Stainless Ltd.	11,25,319
15	SPML Infra Ltd	5,55,797
16	Gujrat NRE Coke	97,55,213
17	MSP Steels Ltd *	51,55,213

*Monnet Ispat Ltd 243012 Shares has been reduced under resolution plan approved by NCLT.

D. Risk Category wise Country Exposure

(₹ in Crores)

Risk Category	Exposure (net funded) as at 31st March 2019	Provision held as at 31st March, 2019	Exposure (net funded) as at 31st March, 2018	Provision held as at 31st March, 2018
Insignificant	10,623.05	3.15	4,074.97	Nil
Low	1,445.18	–	3,686.97	Nil
Moderately Low	9.24	–	1.87	Nil
Moderate	8.67	–	2.94	Nil
Moderately High	0.45	–	1.77	Nil
High	–	–	0.00	Nil
Very High / Restricted	–	–	0.00	Nil
Off-Credit	–	–	0.00	Nil
Total	**12,086.59**	**3.15**	**7,768.52**	**Nil**

Note: The Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31-03-2019 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Bank

E. Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank: NIL

F. Unsecured Advances

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

(₹ In Crores)

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	344.90
Estimated value of such intangible collaterals.	700.00

8. PROVISIONS

a) Income Tax Provision

Following its consistent policy based on the advice of its tax consultants that MAT is not applicable to the Public Sector Banks, the Bank has calculated its current year tax liability.

बी) वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
आयकर (लंदन शाखा सहित) के लिए प्रावधान	**165.38**	256.57
(डीटीए)/डीटीएल	(680.21)	(1422.21)
कुल	(514.83)	**(1165.64)**

9. चलनिधि कवरेज अनुपात

ए) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)		चालू वर्ष (मार्च - 2019)		पिछले वर्ष (मार्च - 2018)	
		कुल अभारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल भारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल अभारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल भारित मूल्य (दैनिक औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ					
1	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		49108.40		48,272.27
नकद बहिर्गमन					
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा, जिसमें :				
(i)	स्थायी जमा	50,221.18	2511.41	56,201.19	2,786.98
(ii)	कम स्थायी जमा	1,21,818.78	12,183.23	88,375.69	8,764.97
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें :				
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	519.63	130.34	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	23,708.47	9480.22	21,280.00	8,276.99
(iii)	असुरक्षित ऋण	23,201.58	23,210.47	17,363.85	17,573.65
4	सुरक्षित थोक निधीयन	3419.21	853.80		1,365.25
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें :				
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजर्स से संबंधित बहिर्गमन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	64.69	64.69	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर कोष की हानि संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधा	24,668.19	3083.02	17,002.75	5,465.50
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	783.01	783.01	419.70	423.61
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	21,434.82	643.04	22,563.71	671.23
8	**कुल नकद की बहिर्गमन**		**52,943.24**		**45,328.19**
नकद का आगमन					
9	रक्षित उधार (उदाहरण रिवर्स रेपो)	1,998.01	1,612.20	2,964.39	2,936.12
10	पूर्णरूप से अर्जक एक्सपोजरों से आगमन	22,782.40	15,017.82	25,043.48	17,591.47
11	अन्य नकद आगमन	345.76	251.65	188.04	186.10
12	**कुल नकद आगमन**	**25,126.18**	**16,881.68**	**28195.91**	**20,713.69**
			समायोजित कुल मूल्य		**समायोजित कुल मूल्य**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**49,108.40**		**48,272.27**
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		**36,061.56**		**24,614.50**
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**136.18%**		**196.11%**

बी) गुणात्मक प्रकटीकरण

1. एलसीआर में योगदान हेतु मुख्य संचालक एसएलआर की आवश्यकता में अधिक तरल निवेश, आरबीआई द्वारा उपलब्ध, मार्जिनल स्टैंडिंग फेसलिटी (सीमांत/अल्प स्थाई सुविधा) और एलसीआर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा है। जमा मुख्य बहिर्गमन है। परिपक्वता पूर्व निकासी हेतु विकल्प प्रदान किए बिना मीयादी जमा प्रतिग्रहण की प्रथा के प्रोत्साहन से कालांतर में अनुपात में सुधार आएगा।
2. उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्ति (एचक्यूएलए) में मुख्यत: नकद, अतिरिक्त सीआरआर, एसएलआर की आवश्यकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपलब्ध एम एस एफ सुविधा, एलसीआर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा आदि शामिल होते हैं।
3. निधीयन स्रोत मुख्य रूप से खुदरा जमा, लघु कारोबार की जमा, गैर वित्तीय कॉर्पोरेट द्वारा जमा, अन्य वैध संस्थाओं द्वारा निधीयन पर संकेंद्रित है।
4. स्थाई जमा राशि में डीआईसीजीसी योजना के तहत 1 लाख तक संरक्षित जमा राशि शामिल है। हालांकि, बैंक के साथ स्थाई संबंध युक्त जमाकर्ताओं की जमाराशि और संव्यवहार खाते में मौजूद जमा राशि स्थाई जमा राशि नहीं मानी जाएगी।

b) Amount of provisions made for Tax during the year

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Provision for Income Tax (including overseas Branch)	**165.38**	256.57
(DTA)/ DTL	(680.21)	(1422.21)
Total	(514.83)	**(1165.64)**

9. LIQUIDITY COVERAGE RATIO

A. Quantitative Disclosures (₹ in Crores)

Liquidity Coverage Ratio (LCR)		Current Year (March - 2019)		Previous year (March -2018)	
		Total Unweighted value (Daily Average)	Total Weighted value (Daily Average)	Total Unweighted value (Daily Average)	Total Weighted value (Daily Average)
High Quality Liquid Assets (HQLA)					
1	High Quality Liquid Assets (HQLA)		49108.40		48,272.27
Cash outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
(i)	Stable deposits	50,221.18	2511.41	56,201.19	2,786.98
(ii)	Less Stable deposits	1,21,818.78	12,183.23	88,375.69	8,764.97
3	Unsecured wholesale funding of which:				
(i)	Operational deposits (all counterparties)	519.63	130.34	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	23,708.47	9480.22	21,280.00	8,276.99
(iii)	Unsecured debt	23,201.58	23,210.47	17,363.85	17,573.65
4	Secured Wholesale Funding	3419.21	853.80		1,365.25
5	Additional requirements, of which				
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	64.69	64.69	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	24,668.19	3083.02	17,002.75	5,465.50
6	Other contractual funding obligations	783.01	783.01	419.70	423.61
7	Other Contingent funding obligations	21,434.82	643.04	22,563.71	671.23
8	**Total Cash Outflows**		**52,943.24**		**45,328.19**
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	1,998.01	1,612.20	2,964.39	2,936.12
10	Inflows from fully performing exposures	22,782.40	15,017.82	25,043.48	17,591.47
11	Other Cash Inflows	345.76	251.65	188.04	186.10
12	**Total Cash Inflows**	**25,126.18**	**16,881.68**	**28195.91**	**20,713.69**
			Total adjusted value		**Total adjusted value**
13	**Total HQLA**		**49,108.40**		**48,272.27**
14	**Total Net Cash Outflows**		**36,061.56**		**24614.50**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**136.18%**		**196.11%**

B. Qualitative Disclosures

1. The main drivers for the contribution to the LCR are Excess liquid investments over the SLR (Statutory Liquidity Ratio) requirement, the Marginal Standing Facility (MSF) available from RBI and the facility to avail liquidity for LCR. Major outflows are the deposits. Promotion of acceptance of Term Deposits without pre-mature option will improve the ratio over a period.
2. High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of Cash, Excess CRR, Government Securities in excess of SLR requirements, Available MSF facility, Facility to avail liquidity for LCR.
3. Mainly the funding sources are concentrated with the retail deposits, Small Business Deposits and Deposits from non-financial corporate and funding from other legal entities.
4. Stable deposits comprise of deposits covered under DICGC scheme upto 1 Lakh. However, deposits of the depositors having established relationship with the Bank and deposits in transactional accounts are not considered as stable deposits.

5. ब्याज दर परिदृश्य में परिवर्तन होने से एलसीआर भी बदल जाता है और ऋण में भी वृद्धि होती है।
6. बैंक के पास संतुलित व्युत्पन्नी एक्सपोजर है और एलसीआर को उसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान संपार्श्विक मांगें महत्वपूर्ण नहीं है।
7. भारतीय मुद्रा महत्वपूर्ण मुद्रा है तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्रा में, अमेरिकी डॉलर महत्वपूर्ण है, जिसके लिए एलसीआर वैश्विक आधार पर तैयार की जाती है।
8. निवेश समिति उच्च स्तरीय समिति है जिसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक तथा महत्वपूर्ण विभागों; जैसे ट्रेजरी (राजकोष), जोखिम प्रबंधन, ऋण एवं आयोजना आदि के म हाप्रबंधकों को शामिल किया जाता है। यह समिति प्राय: सप्ताह में दो बार एवं तत्काल आवश्यकता पडने पर बैठती है। निवेश समिति की महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बैंक की निवेश स्थिति एवं निधियों की समीक्षा है। इस बैठक के दौरान तरलता स्थिति एवं प्रक्षेपित नकद का आगमन और बहिर्गमन पर चर्चा की जाएगी।
9. एल्को, एलसीआर की स्थिति कि मासिक आधार पर समीक्षा करती है और अपेक्षित होने पर आवश्यक दिशानिर्देश जारी करती है।
10. बैंक के पास एलसीआर की गणना के उद्देश्य से अन्य कोई महत्वपूर्ण नकद आगमन एवं बहिर्गमन परित्यक्त नहीं है।
11. भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 80/21.06.201/2014-15, दिनांक 31.03.2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एलसीआर वर्ष की चारों तिमाहियों की औसत दर्शाती है। आगे, जून-2018, सितंबर-2018, दिसंबर-2018 एवं मार्च - 2019 तिमाहियों की औसत संबंधित तिमाहियों की दैनिक औसत को दर्शाती है।

10. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

i) उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस 5):

हमारे पास ऐसे कोई आय/ व्यय मद अवधि पूर्व सामग्री मौजूद नहीं है जिसके लिए एएस-5 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

ii) राजस्व की पहचान (एएस 9):

अनुसूची - 17, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अंतर्गत लेखांकन नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उगाही के आधार पर पहचाना गया है।

iii) विदेशी विनिमय दर में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):

ए) वर्ष की निवल लाभ/हानि ₹22.37 करोड़ का लाभ (पिछले वर्ष के लिए ₹10.39 करोड़ लाभ) शामिल है जो विदेशी मुद्रा आस्ति व देयता के एएस- 11 मूल्यांकन (प्रतिरूप को छोड़) के कारण प्राप्त अंतर के तहत दर्ज लाभ/ हानि है।

बी) वर्ष की में निवल लाभ/हानि लेखा में 2018-19 हेतु ₹29.01 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹11.95 करोड़ लाभ) के प्रतिरूप पुनर्मूल्यन लाभ शामिल है।

सी) वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि 2018-19 हेतु ₹ 2.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.62 करोड़ हानि) के वायदा पूनर्मूल्यन हानि शामिल है।

डी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखांकन मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

iv) कर्मचारी लाभ (एएस 15):

आईसीएआई द्वारा जारी किया गया एएस 15 के अनुसार बैंक ने कर्मचारी लाभों का लेखांकन किया है।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की अथ शेष और इति शेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

ए) तुलन-पत्र का मुख्य बीमांकिक अनुमान 2

विवरण	योजना का प्रकार		
	निधिक पेंशन	निधिक उपदान	गैर-निधिक छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	7.47%	7.47%	7.47%
प्रत्याशित वेतन वृद्धि की दर (वेतन संशोधन के एवज़ में 0.50% शामिल है)	5.75%	5.75%	5.75%
आस्तियों पर प्राप्ति	8.30%	8.30%	लागू नहीं

बी) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन-अथ शेष और इति शेष का मिलान (सारणी-1)

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) **वर्ष के आरंभ में पीवीओ**	**7,758.07**	**1,142.36**	**617.17**
बी) जोड़ें: ब्याज लागत	544.72	76.41	41.04
सी) जोड़ें: चालू सेवा लागत	535.23	73.15	62.37
डी) जोड़ें: पूर्व सेवा लागत#	0.00	0.00	0.00
ई) घटाएं : प्रदत्त लाभ	931.89	238.92	135.54
एफ) जोड़ें: दायित्व पर बीमांकिक हानि/लाभ प्राप्ति (-)	288.38	40.26	24.87
जी) **वर्ष के अंत में पीवीओ**	8194.51	1093.27	609.92

5. The LCR would undergo change due to change in the interest rate scenario, likely pick-up in the credit etc.
6. Bank has modest derivative exposures and its contribution to the LCR is not significant. Currently potential collateral calls are not significant.
7. Major currency is INR and in other significant currencies USD is significant, for which LCR is prepared on Global basis.
8. Investment committee is the top level committee comprising of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and the General Managers from significant departments like Treasury, Risk Management, Credit and Planning etc. This committee meets preferably twice in a week and as may be required depending upon the urgency. One of the major functions of the Investment committee is to review the Funds and Investment position of the Bank. The liquidity position and the projected cash inflow and the outflows will be discussed during this meeting.
9. ALCO reviews the position of LCR on monthly basis and provides the necessary directions if any.
10. Bank does not have any other major cash inflows and outflows omitted for the purpose of LCR computation.
11. In line with the RBI guidelines vide Circular No. DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated 31.03.2015, LCR for the FY-2018-19, represents the average of four quarters during the year. Further the quarterly average of June-2018, Sept. 2018, Dec. 2018 and March -2019 represents the daily average of the respective quarters.

10. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

i) Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):

There were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under AS-5.

ii) Revenue Recognition (AS 9):

As per Accounting Policy no. 8, given in Schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iii) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

a) The net profit/Loss for the year includes an amount of ₹ 22.37 Crore profit {₹10.39 Crores Profit for the previous year} being the profit/loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities (excluding Mirrors).

b) Net Profit/Loss for the year includes the Mirror Revaluation profit for 2018-19 of ₹29.01 Crore (₹11.95 Crores Profit for Previous year).

c) Net Profit/Loss for the year includes Forward Revaluation loss for 2018-19 of ₹2.67 Crore (₹1.62 Crore loss for Previous year).

d) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance-Sheet.

iv) Employee Benefits (AS 15):-

The Bank has accounted for employee benefits as per AS 15 issued by the ICAI.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

a. Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet

PARTICULARS	TYPE OF PLAN		
	FUNDED PENSION	FUNDED GRATUITY	UNFUNDED LEAVE ENCASHMENT
Discount Rate	7.47%	7.47%	7.47%
Salary Escalation Rate (includes 0.50% for wage revision)	5.75%	5.75%	5.75%
Return on Assets	8.30%	8.30%	NA

b. Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances (Table-1)

(₹ In Crores)

PARTICULARS	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) **PVO as at the beginning of the year**	**7,758.07**	**1,142.36**	**617.17**
b) Add: Interest Cost	544.72	76.41	41.04
c) Add: Current Service Cost	535.23	73.15	62.37
d) Add: Past Service Cost	0.00	0.00	0.00
e) Less: Benefits Paid	931.89	238.92	135.54
f) Add: Actuarial loss / gain (-) on obligation	288.38	40.26	24.87
g) **PVO as at the end of the year**	8194.51	1093.27	609.92

सी) नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथ शेष और इतिशेष का मिलान (सारणी-2)

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के आरंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**7,792.08**	**1,062.43**
बी) जोडें: नियोजित आस्तियों पर प्रत्याशित आय	646.74	88.18
सी) जोडें: अंशदान	690.61	195.48
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	931.89	238.92
ई) जोडें: बीमांकिक लाभ/(–)हानि	-50.64	-2.05
एफ) वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**8146.91**	**1105.12**

डी) तुलनपत्र में निर्धारित रकम

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	8194.51	1093.27
बी) वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	8146.91	1105.12
सी) निवल	-47.60	11.85
डी) अनिर्धारित परेषण देयता	0	0
ई) तुलनपत्र में निर्धारित आस्ति	-47.60	11.85

ई) लाभ एवं हानि खाते में पहचाना गया व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	535.23	73.15	62.37
बी) पूर्व सेवा लागत#	0.00	0.00	0.00
सी) ब्याज लागत	544.72	76.41	41.04
डी) घटाएं: नियोजित अस्तियों पर प्रत्याशित आय	646.74	88.18	0
ई) निवल बीमांकिक हानि/लाभ (–)	339.02	42.32	24.87
एफ) लाभ एवं हानि लेखा खाते में पहचाना गया व्यय	772.23	103.69#	128.29

एफ) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता का चलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	-34.01	79.93	0.00
लाभ एवं हानि खाते में पहचाने गए व्यय	772.23	103.68	128.29
अपरिशोधित व्यय#	0.00	0.00	0.00
दिए गए/प्रयुक्त अंशदान	690.61	195.48	0.00
अंतिम निवल देयता	47.61	-11.85	128.29

#: आरबीआई के पत्र सं. डीबीआर.बीपी. 9730/21.04.018/2017-18 दिनांक 27.04.2018 के अनुसार बैंक उपदान सीमा में हुई बढ़ोत्तरी (₹ 20 लाख तक) के चलते उपदान देय में अतिरिक्त प्रावधान को परिशोधित कर सकता है। तदनुसार बैंक ने आकलन कर यह निर्धारित किया है कि बैंक को ₹167.19 करोड़ तक की अपनी अतिरिक्त देयता को मार्च 2018 तिमाही से शुरू कर चार तिमाहियों में परिशोधित करना है। परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पहचाने गए व्यय उपर्युक्त के अतिरिक्त 125.40 करोड़ है और तदनुसार बैंक के पास कोई अपरिशोधित उपदान व्यय शेष नहीं है।

नवंबर 2017 से लंबित व प्रस्तावित वेतन संशोधन के लिए मार्च 31, 2019 तक ₹374 करोड़ का तदर्थ प्रावधान रखा गया है एवं पेंशन कोष संवर्धन हेतु 31 मार्च, 2019 तक ₹260 करोड़ की अतिरिक्त राशि रखी गई है।

c. Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance (Table-2)

(₹ in Crores)

PARTICULARS	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Fair Value of plan assets at the beginning of the year	**7,792.08**	**1,062.43**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	646.74	88.18
c) Add: Contributions	690.61	195.48
d) Less: Benefits Paid	931.89	238.92
e) Add: Actuarial gain / (-)loss	-50.64	-2.05
f) Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**8146.91**	**1105.12**

d. Amount recognized in the Balance-Sheet

(₹ In Crores)

PARTICULARS	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Present Value of obligation at the end of the year	8194.51	1093.27
b) Fair Value of plan assets at the end of the year	8146.91	1105.12
c) Net	-47.60	11.85
d) Unrecognised transitional liability	0	0
e) Asset Recognised in the Balance Sheet	-47.60	11.85

e. Expense recognized in the Profit and Loss Account

(₹ in Crores)

PARTICULARS	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) Current Service Cost	535.23	73.15	62.37
b) Past Service Cost	0.00	0.00	0.00
c) Interest Cost	544.72	76.41	41.04
d) Less: Expected Return on Plan Assets	646.74	88.18	0
e) Net Actuarial Loss / Gain(-)	339.02	42.32	24.87
f) Expenses Recognised in Profit and Loss Account	772.23	103.69#	128.29

f. Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet

(₹ in Crores)

PARTICULARS	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
Opening Net Liability	-34.01	79.93	0.00
Expenses recognised in Profit and Loss Account	772.23	103.68	128.29
Unamortized Expenditure	0.00	0.00	0.00
Contributions Paid / Utilised	690.61	195.48	0.00
Closing Net Liability	47.61	-11.85	128.29

#: As per RBI letter no: DBR. BP.9730/21.04.018/2017-18 dated 27.04.2018, the Bank is allowed to amortise additional provisions on Gratuity due to increase in limit to ₹ 20 Lakhs. Accordingly the Bank has assessed additional liability to the extent of ₹167.19 Crore to be amortised over four quarters starting from quarter end March 2018. Consequently expenses recognised during the F.Y. 2018-19 in addition to the above is 125.40 Crore and accordingly there is no unamortised gratuity expense.

For Pending settlement of the proposed wage revision effective from November, 2017, an adhoc provision of ₹374 Crores is held as at March 31, 2019 and additional amount of ₹ 260 Crore to built up pension fund is held as at March 31, 2019.

v) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17) Segment Reporting (AS 17):

भाग ए: कारोबार खण्ड/Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण Particulars	**चा.व. CY**	**पि.व. PY**	**चा.व. CY**	**पि.व. PY**	**चा.व CY**	**पि.व. PY**	**चा.व. CY**	**पि.व. PY**	**चा.व. CY**	**पि.व. PY**
राजस्व *Revenue*	***6,499***	***7,043***	***7,710***	***8,042***	***9,080***	***8,921***	***509***	***439***	***23,799***	***24,445***
परिणाम/Result	995	968	(4,385)	(5,950)	1,053	1,322	(915)	(866)	(3,253)	(4,526)
अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
अनाबंटित आय Unallocated Income	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	150	137
आय कर Income Tax	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(515)	(1,166)
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit / Loss	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
शुद्ध लाभ Net Profit	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(2,588)	(3,223)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
अन्य सूचना Other Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खण्डवार आस्तियां Segment Assets	76,073	85,954	1,26,337	1,32,297	78,707	78,387	27,589	24,861	3,08,707	3,21,499
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,572	2,478
कुल आस्तियां Total Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	3,11,279	3,23,977
खण्डवार देयताएं Segment Liabilities	72,501	82,622	1,20,404	1,27,168	75,011	75,348	26,293	23,897	2,94,209	3,09,035
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
कुल देयताएं Total Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,94,209	3,09,035

चा.व.–चालू वर्ष/CY – Current Year   पि.व.–पिछला वर्ष/PY – Previous Year

भाग बी: भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	22,656	23,529	1,293	1,053	23,949	24,582
आस्तियां	2,77,566	2,86,248	33,713	37,729	3,11,279	3,23,977

नोट:

1. जहाँ आवश्यक समझा गया हो वहाँ पिछली अवधि/वर्ष के आंकडों को पुन: वर्गीकृत/समूहित किया गया ताकि समीक्षाधीन अवधि के साथ उसकी तुलना की जा सके।
2. लेखांकन मानक पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने राजकोष परिचालन, कॉरपोरेट, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार खंड और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय को गौण /भौगोलिक खंड के रूप में अपनाया है।

vi) संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18):

ए) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध:

ए) अनुषंगी:

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहायक संस्थाएं:

प्रथमा बैंक

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके पारिश्रमिक:

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ता (₹ लाख में)	
			2018-19	2017-18
श्री मृत्युञ्जय महापात्र	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	21.09.2018 से	14.71	-
श्री मेलविन रेगो	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	13.08.2018 तक	20.23	28.31
श्री सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव	कार्यपालक निदेशक	19.09.2018 तक	15.89	24.07
श्री एस. कृष्णन	कार्यपालक निदेशक	01.11.2017 से	23.67	9.43
श्री अजय खुराना	कार्यपालक निदेशक	20.09.2018 से	12.61	-
कुल			87.11	61.81

डी) संगत पार्टी लेन-देन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
1.	बकाया उधार	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
2.	बकाया जमा	0.23	-	0.23
	वर्ष के दौरान अधिकतम	2.46	-	2.46
3.	बकाया निवेश	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
4.	बकाया अग्रिम	0.08	-	0.08
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.08	-	0.08
5.	गैर निधिक प्रतिबद्धता	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-

Part B: Geographic Segments

(₹ in Crores)

Particulars	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	22,656	23,529	1,293	1,053	23,949	24,582
Assets	2,77,566	2,86,248	33,713	37,729	3,11,279	3,23,977

Note:

1. Figures of the previous period/year have been reclassified/regrouped/recost wherever considered necessary to make them comparable with the period under review.
2. As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, bank has adopted Treasury Operations, Corporate, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments.

vi) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) Names of Related Parties and their Relationship:

a) Subsidiary:

Syndbank Services Limited

b) Associates:

Prathama Bank

Karnataka Vikas Grameena Bank

Andhra Pragathi Grameena Bank

c) Key Management Personnel and their remuneration:

Key Management Personnel	Designation	Period	Remuneration and other allowances (₹ in lakhs)	
			2018-19	2017-18
Sri Mrutyunjay Mahapatra	Managing Director & CEO	From 21.09.2018	14.71	-
Sri Melwyn Rego	Managing Director & CEO	Upto 13.08.2018	20.23	28.31
Sri C.H.S.S Mallikarjuna Rao	Executive Director	Upto 19.09.2018	15.89	24.07
Sri S Krishnan	Executive Director	From 01.11.2017	23.67	9.43
Sri Ajay Khurana	Executive Director	From 20.09.2018	12.61	-
TOTAL			87.11	61.81

d) Related Party Transaction

(₹ in Crores)

Sr No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
1.	Borrowings outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
2.	Deposits outstanding	0.23	-	0.23
	Maximum during the year	2.46	-	2.46
3.	Investments outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
4.	Advances outstanding	0.08	-	0.08
	Maximum during the year	0.08	-	0.08
5.	Non funded commitments	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
6.	प्राप्त पट्टे/एच-पी की व्यवस्था	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
7.	प्रदत्त पट्टे/एच-पी की व्यवस्था	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
8.	प्रदत्त ब्याज	0.02	-	0.02
9.	प्राप्त ब्याज	-	-	-
10.	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते	0.87	-	0.87
11.	प्रदत्त सेवाएँ	-	-	-
12.	प्राप्त सेवाएँ	-	-	-
13.	संविदाओं के प्रबंधन	-	-	-
14.	कोई अन्य प्राप्य	-	-	-
15.	कोई अन्य देय	-	-	-
16.	स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	-	-	-
17.	स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार संगत पार्टी प्रकटीकरण के संदर्भ में प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति को बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक माना जाए।

एएस 18 के पैरा 9''संगत पार्टी प्रकटीकरण'' के अनुपालन में उन अनुषंगियों के साथ कृत लेन-देन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अपने से संबंधित पार्टियों सहित अपने संव्यवहारों के बारे में किसी प्रकार के प्रकटीकरण से छूट देता है, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है ।

vii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20): (मूल)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**(258,82,947)**	(322,28,374)
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**1,51,19,33,362**	94,79,06,528
प्रतिशेयर अर्जन (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**(17.12)**	(34.00)
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	10.00

प्रति शेयर अर्जन (एएस 20): (ह्रासमान)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**(258,82,947)**	**(322,28,374)**
ह्रासमान ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**1,51,30,06,303**	**94,79,06,528**
प्रतिशेयर अर्जन (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**(17.11)**	**(34.00)**
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	**10.00**

viii) आय पर कर का लेखाकरण (एएस 22):

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं (डीटीए/डीटीएल) को निर्धारित किया है जिसका दिनांक 31-03-2019 के अनुसार प्रमुख घटक निम्नवत् हैं:

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर आस्तियां	31-03-2019	31-03-2018
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	213.14	213.60
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	18.12	49.52
प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के कारण	2700.81	2117.81
अन्य	122.89	93.23
योग	**3054.96**	**2474.16**
आस्थगित कर देयताएं		
धारा 36(1)(viii)के अंतर्गत विशेष आरक्षण	536.90	531.74
निवेशों पर मूल्यह्रास के कारण	235.96	315.36
स्थाई परिसंपत्तियों के डब्ल्यूडीवी में अंतर	9.44	34.60
योग	**782.30**	**881.70**
निवल (डीटीए)/डीटीएल	**(2272.66)**	**(1592.46)**

ix) अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस *25):*

बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डी.बी.एस.ए.आर.एस.सं. बी.सी. 2/08.91.001/2016-17 दिनांक 28 जुलाई, 2016 के अनुसार अपने खातों के त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है।

x) आस्तियों की हानि (एएस 28):

बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं हुई है ।

xi) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस29):

प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोडकर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अथ शेष	5.21	3.70
वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया/समायोजित	0.44	1.51
इति शेष	4.77	5.21
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

(₹ in Crores)

Sr No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
6.	Leasing /HP arrangements availed	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
7.	Leasing /HP arrangements provided	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
8.	Interest paid	0.02	-	0.02
9.	Interest received	-	-	-
10.	Remuneration and other allowances	0.87	-	0.87
11.	Rendering of services	-	-	-
12.	Receiving of services	-	-	-
13.	Management of contracts	-	-	-
14.	Any other receivable	-	-	-
15.	Any other payable	-	-	-
16.	Purchase of Fixed assets	-	-	-
17.	Sale of Fixed Assets	-	-	-

In terms of RBI Circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for related party disclosure.

The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9 of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

vii) Earnings Per Share (AS 20): (Basic)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**(258,82,947)**	(322,28,374)
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	**1,51,19,33,362**	94,79,06,528
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**(17.12)**	(34.00)
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

Earnings Per Share (AS 20): (Diluted)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**(258,82,947)**	(322,28,374)
Weighted Average Number of Diluted Equity Shares (B)	**1,51,30,06,303**	94,79,06,528
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**(17.11)**	(34.00)
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

viii) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Bank has recognised Deferred Tax Assets/Liabilities (DTA/DTL) and the major components as on 31.03.2019 are as follows:

(₹ in Crores)

Deferred Tax Assets	31-03-2019	31-03-2018
Provision for Leave Encashment	213.14	213.60
Provision for Restructured Assets	18.12	49.52
On account of timing difference towards provisions	2700.81	2117.81
Others	122.89	93.23
Total	**3054.96**	2474.16
Deferred Tax Liabilities		
Special Reserve u/s 36(1)(viii)	536.90	531.74
On account of depreciation on Investments	235.96	315.36
Difference in WDV of Fixed Assets	9.44	34.60
Total	**782.30**	881.70
Net (DTA)/DTL	**(2272.66)**	(1592.46)

ix) Interim Financial Reporting (AS 25):

The Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: D.B.S.A.R.S.L. No. BC. 2/08.91.001/2016-17 dated July 28, 2016.

x) Impairment of Assets (AS 28):

In the opinion of the management of the Bank, there is no indication of impairment of assets of the Bank.

xi) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS 29):

Movement of provisions (excluding provisions for other)

(₹ in Crores)

Particulars	Legal Cases/ Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	5.21	3.70
Provided/adjusted during the year	0.44	1.51
Closing Balance	4.77	5.21
Timing of Outflow/ uncertainties	Outflow on settlement/crystallization	

11. अन्य प्रकटीकरण

ए) **धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानीकरण:**

वर्ष के दौरान कुल धोखाधड़ी के 563 मामले थे जिसकी बकाया राशि ₹1609.33 करोड़ थी। उसे प्राप्त सीजीसी दावे को अलग करके पूर्णत: प्रदान किया गया और वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर अपरिशोधित प्रावधानों की प्रमात्रा अन्य ''आरक्षित निधियों'' से नामे करने पर **शून्य** है।

बी) **प्रावधान और आकस्मिक व्यय:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	136.62	608.56
एनपीए के लिए प्रावधान	5,137.61	7,620.08
आयकर/आस्थगित कर के लिए प्रावधान (समायोजन का निवल)	(514.83)	(1,165.64)
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(302.58)	(46.26)
पुन:संरचित खातों के लिए प्रावधान	(107.47)	(68.81)
कर्मचारी कल्याण निधि	20.00	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	1030.64	86.86
सेनवेट प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान	0.00	31.29
अरक्षित विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान	(6.00)	(9.00)
अन्य प्रावधान/(अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन)	13.50	9.61
कुल	5,407.49	7,086.69

सी) **अस्थायी प्रावधान के चलन:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(ए) अस्थायी प्रावधान खाते में अथ शेष	102.21	102.21
(बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	0.00	0.00
(सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	0.00	0.00
(डी) अस्थायी प्रावधान खाते में इतिशेष	102.21	102.21

डी) **भा.रि.बैं. द्वारा लगाए गए दंड:**

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47 (ए) (1) (सी) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बैंक पर ₹3.00 करोड़ का सकल दंड प्रभारित किया गया है (पिछले वर्ष में ₹5.00 करोड़)। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए, 46 & 47 के अंतर्गत एक करोड़ तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35, 35ए, 46 & 47ए के अंतर्गत दो करोड़ की राशि।

ई) **आरक्षित निधियों से आहरण किए गए:**

वर्ष के दौरान आरक्षित निधि से आहरण **शून्य** है (लाभ और हानि वर्ष से अनुमार्गण किए बिना)।

आईपीडीआई/ एटी-1 बाँड का पुनर्भुगतान

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने ₹378.26 करोड़ राशि के ब्याज का भुगतान किया है और मार्च 2019 तिमाही के दौरान आईपीडीआईआईएटी-1 बाँड पर ब्याज का भुगतान सांविधिक आरक्षित निधि खाते से आहरित करते हुए की गई राशि ₹129.74 करोड़ है जिस खर्च को लाभ व हानि खाते से लिया गया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.बीपी.बीसी. सं.50/21.06.201/2016-17 दिनांक 2 फरवरी 2017 के अनुपालन में है।

एफ) **ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति:**

क्र. सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	601	404
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	19,080	12,801
(सी)	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	18,753	12,604
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	928	601

जी) **बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले:**

क्र. सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या	108	51
(बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामलों की संख्या	762	741
(सी)	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों की संख्या	750	684
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	120	108

एच) **बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरूद्ध पारित अधिनिर्णय:**

क्र. सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(ए)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित न किए गए मामलों की सं.	2	5
(बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित मामलों की सं.	32	20
(सी)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित मामलों की सं.	33	23
(डी)	वर्ष के अंत में क्रियान्वित न किए गए मामलों की सं.	1	2

आई) **ग्राहकों की शिकायतें-कार्ड सेंटर से संबंधित-ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत:**

क्र. सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	698	1,236
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	71895	40,189
3	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	70901	40,727
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1692	698

11. **OTHER DISCLOSURES**

a) **Provisioning pertaining to Fraud Accounts:**

During the year, the total number of frauds occurred were 563 with an outstanding amount of ₹1609.33 Crores and the same are fully provided net of CGC claims received and the quantum of unamortised provision debited from "other reserves" as at the end of FY 2018-19 is Nil.

b) **Provisions and Contingencies:**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Provision for depreciation on investment	136.62	608.56
Provision towards NPA	5,137.61	7,620.08
Provision towards Income Tax and Deferred Tax	(514.83)	(1,165.64)
Other provisions and contingencies :		
Provision towards Standard Assets	(302.58)	(46.26)
Provision for Restructured Accounts	(107.47)	(68.81)
Staff Welfare Fund	20.00	20.00
Bad Debts written off	1030.64	86.86
Provision for Cenvat Reversal	0.00	31.29
Provision for Unhedged Foreign Currency	(6.00)	(9.00)
Other Provisions/(Reversal of Excess provisions)	13.50	9.61
Total	**5,407.49**	**7,086.69**

c) **Movement of Floating Provisions:**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(a) Opening Balance in the floating provision account	102.21	102.21
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
(d) Closing Balance in the floating provision account	102.21	102.21

d) **Penalties imposed by RBI:**

During the year, Reserve Bank of India has imposed aggregate penalty of ₹ 3.00 Crore (Rupees Three Crore only) on the Bank in the exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act,1949. (Previous Year ₹5.00 crore). Rs One Crore under section 35A,46 & 47 of Banking Regulation Act,1949 & Rs. Two Crore under 35, 35A, 46 & 47A of Banking Regulation Act,1949

e) **Draw down from Reserves:**

During the year, withdrawal from reserves is **NIL** (without routing from profit and loss year).

IPDI/AT-1 Bonds Repayment:-

During the Financial year 2018-19, the Bank has made payment of interest an amount of Rs. 378.26 crore and during the quarter March 2019 interest payment amount is Rs.129.74 crore on IPDII AT-1 Bonds by drawing from Statutory Reserve while routing the expenses through profit and loss account in compliance with RBI vide circular no, DBR.BP.BC.NO.50/21.06.201/2016-17 dated 2nd February 2017.

f) **Status of Customer Complaints:**

Sl. No.	Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	601	404
(b)	No. of Complaints received during the year	19,080	12,801
(c)	No. of Complaints redressed during the year	18,753	12,604
(d)	No. of Complaints pending at the end of the year	928	601

g) **Cases referred to Banking Ombudsman:**

Sl. No.	Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(a)	No. of Cases pending at the beginning of the year	108	51
(b)	No. of Cases referred to Banking Ombudsman during the year	762	741
(c)	No. of Cases disposed off during the year	750	684
(d)	No. of Cases pending at the end of the year	120	108

h) **Awards passed against the Bank by the Banking Ombudsman:**

Sl. No.	Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(a)	No. of Cases pending at the beginning of the year	2	5
(b)	No. of Cases referred to Banking Ombudsman during the year	32	20
(c)	No. of Cases disposed off during the year	33	23
(d)	No. of Cases pending at the end of the year	1	2

i) **Customer Complaints- Related to Card Centre- Registered for ATM Transaction:**

Sl. No.	Particulars	31-03-2019	31-03-2018
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	698	1,236
2	No. of complaints received during the year	71895	40,189
3	No. of complaints redressed during the year	70901	40,727
4	No. of complaints pending at the end of the year	1692	698

जे) **बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:**

(ए) **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र**

बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के "संपूर्ण चलनिधि संशोधन" के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा।

राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई ने, बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन से यू.एस. डॉलर 75.00 मिलियन की चुकौती संबंधी आश्वासन पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र (दि.31-12-2019 तक वैध) जारी किया है।

(बी) **कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:**

शाखाओं ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31-03-2019 को शून्य तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं (पिछला वर्ष ₹70.31 करोड़)।

कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता की साख पर उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा विदेशी बैंकों एवं भारत के बाहर स्थित विभिन्न भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी आश्वासन पत्र की रकम दि. 31-03-2019 की स्थिति के अनुसार शून्य (पिछले वर्ष ₹1,120.25 करोड़) है।

दि. 31-03-2019 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि शून्य (पिछले वर्ष ₹1,190.56 करोड़) है।

जब अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं से/के आश्वासन पत्र की गुणवत्ता, साख श्रेणी/वैश्विक श्रेणी, प्रतिभूतियाँ, संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ और उपलब्ध प्रति-गारंटी की गुणवत्ता पर विचार किया जाता है तब आश्वासन पत्र जारी करने के कारण वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/139 दिनांक 13.03.2018 में कथित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दि. 13.03.2018 से एलओयू/एलओसी जारी करना बंद कर दिया है।

के) **बीमा कारोबार:**

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त कुल आय ₹1840.42 लाख है जबकि पिछले वर्ष ₹1989.68 लाख था। इसमें ₹ 362.85 लाख (पिछले वर्ष ₹616.79 लाख) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹ 1477.57 लाख (पिछले वर्ष ₹1372.89 लाख) गैर-जीवन बीमा कारोबार से है।

एल) **जमाराशियों, अग्रिमों, उधार तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण:**

ए. **जमाराशियों का संकेन्द्रण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	32237.02	48,748.49
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	12.40%	17.87%

बी. **अग्रिमों का संकेन्द्रण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	32,024.03	30,308.22
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता (कुल अग्रिम ₹266698.07 करोड़)	12.01%	10.87%

उपरोक्त की गणना ऋण एक्सपोज़र एवं व्युत्पन्नी एक्सपोज़र को परिगणना में लेकर की गई है।

सी. **निवेश का संकेन्द्रण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल एक्सपोज़र	33,072.71	31,300.82
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र में बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र की प्रतिशतता (कुल एक्सपोज़र ₹281131.73 करोड़)	11.76%	10.79%

उपरोक्त की गणना ऋण एक्सपोज़र एवं व्युत्पन्नी एक्सपोज़र को परिगणना में लेकर की गई है।

डी. **अंतरा -समूह एक्सपोजर**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	1600.75	1,600.00
20 बड़ी अंतरा -समूह एक्सपोजर की कुल राशि	1600.75	1,600.00
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोजर में अंतरा -समूह एक्सपोज़र की प्रतिशतता	0.57	0.55%
अंतर -समूह एक्सपोज़र एवं विनियामक कार्यवाही में सीमाओं के भंग होने के विवरण	शून्य	शून्य

ई. **अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल एक्सपोज़र	3,887.09	4,499.72

jj) **Letter of Comfort issued by the Bank:**

(a) **Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches.**

The Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

Treasury and International Banking Department, Mumbai issued Letter of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid up to 31-12-2019) with approval from the Board of Directors of the Bank.

(b) **Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:**

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of Syndicate Bank, London Branch for providing Buyer's Credit, to the extent of Nil as on 31-03-2019 (Previous Year ₹70.31 Crores).

Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India is Nil as on 31-03-2019 (Previous Year ₹ 1,120.25 Crores).

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as at 31-03-2019 stands at Nil (Previous Year ₹ 1,190.56 Crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

The bank has stopped issuance of LoU/LoCs for trade credit with effective from 13.03.2018 as per the directions issued by Reserve Bank of India vide Circular No. RBI/2017-18/139 dated 13.03.2018.

k) **Insurance Business:**

The total income from the Bancassurance Business during the year 2018-19 is ₹1840.42 Lakh as against ₹ 1989.68 Lakh in the previous year. This comprises of ₹362.85 Lakh (Previous Year ₹616.79 Lakh) from Life Insurance business and ₹1477.57 Lakh (Previous Year ₹1372.89 Lakh) from Non Life Insurance business.

l) **Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:**

a. **CONCENTRATION OF DEPOSITS**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total Deposits of twenty largest depositors	32237.02	48,748.49
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	12.40%	17.87%

b. **CONCENTRATION OF ADVANCES**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total Advances to twenty largest borrowers	32,024.03	30,308.22
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank. (Total advances ₹266698.07 Crore)	12.01%	10.87%

The above is computed by taking into account credit exposure and derivative exposure.

c. **CONCENTRATION OF EXPOSURES**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	33,072.71	31,300.82
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ custome Total Exposure ₹281131.73 Crore	11.76%	10.79%

The above is computed by taking into account credit exposure, derivative exposure and investment exposure.

d. **INTRA-GROUP EXPOSURES**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total amount of intra-group exposures	1600.75	1,600.00
Total amount of top-20 intra-group exposures	1600.75	1,600.00
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.57	0.55%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon	Nil	Nil

e. **CONCENTRATION OF NPAs**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total Exposure to top four NPA accounts	3,887.09	4,499.72

एम) क्षेत्रवार अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	क्षेत्र*	31-03-2019			31-03-2018		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उसी क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए की प्रतिशतता	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उसी क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए की प्रतिशतता
ए	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	34402.60	5000.02	14.53%	33,466.00	3,708.27	11.08
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के योग्य उद्योग क्षेत्रों को अग्रिम	7118.61	745.18	10.47%	7261.00	611.66	8.42
3	सेवाएँ	16618.33	2,229.65	13.42%	20,045.00	2,446.43	12.20
4	वैयक्तिक ऋण	14356.78	520.59	3.63%	12,377.00	507.80	4.10
5	पीएसएलसी	1200.00	-	-	-	-	-
	उप-जोड (ए)	**73696.32**	**8495.44**	**11.53%**	**73,149.00**	**7,274.16**	**9.94**
बी	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	465.07	-	-	356.00	0.00	0.00
2	उद्योग	44846.22	9951.72	22.19%	58,109.92	13,928.85	23.97
3	सेवाएँ	74490.98	5384.33	7.23%	68,189.15	3,918.05	5.75
4	वैयक्तिक ऋण	23650.27	848.88	3.59%	23,542.00	637.54	2.71
	उप-जोड़ (बी)	**143452.54**	**16184.93**	**11.28%**	**1,50,197.07**	**18,484.44**	**12.31**
	कुल (ए+बी)	**217148.86**	**24680.37**	**11.37%**	**2,23,346.07**	**25,758.60**	**11.53**

एन) अनर्जक आस्तियों का चलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियाँ	25,758.60	17,609.31
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	11,592.01	14,309.28
उप-जोड़ (ए)	37,350.61	31,918.59
घटाएं:		
(i) स्तरोन्नयन	2,203.34	1,557.81
(ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	3,692.40	2,202.17
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन	5,743.86	2,313.15
(iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत उल्लेखित मदों को छोड़कर अन्य अपलेखन संबंधी मामलें	1,030.64	86.86
उप-जोड़ (बी)	12,670.24	6,159.99
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियाँ (ए-बी)	24,680.37	25,758.60

ओ) विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन का चलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
वर्ष के प्रारंभ में विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों में अथ शेष	7,937.29	6,254.69
जोड़ें : वर्ष के दौरान विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन	5,743.86	2,313.15
उप-जोड़ (ए)	13,681.15	8,567.84
घटाएं : वर्ष के दौरान पिछले विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों से की गई वसूलियाँ **(बी)**	744.02	630.55
वर्ष के अंत में इतिशेष **(ए-बी)**	12,937.13	7,937.29

पी) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
कुल आस्तियाँ	45152.48	44,646.83
कुल अनर्जक आस्तियाँ	2331.90	2,027.44
कुल एनपीआई	0.00	0.00
कुल राजस्व	1772.77	1,052.80

नोट: तुलन पत्र में कुल आस्तियों, कुल एनपीए और कुल एनपीआई के लिए आंकड़े को स्पॉट दर जीबीपी – 90.525 के साथ तैयार किया गया है। जब कि कुल राजस्व को तिमाही औसत दर (क्यूएआर)- अप्रैल 18 से जून 18 – 91.1475, जुलाई 18 से सितंबर 18 – 91.36, अक्तूबर 18 से दिसंबर 18 - 92.695 और जनवरी 19 से मार्च 19 – 91.665 पर तिमाही सकल राजस्व के साथ तैयार किया गया है।

क्यू) तुलनपत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है):

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

आर) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि बैंक ने किसी एसपीवी का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

m) Sector-wise Advances:

(₹ in Crores)

Sl. No	Sector*	31-03-2019			31-03-2018		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA's	% of Gross NPA's to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA's	% of Gross NPA'S to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	34402.60	5000.02	14.53%	33,466.00	3,708.27	11.08
2	Advances to industries						
	sector eligible as priority sector lending	7118.61	745.18	10.47%	7261.00	611.66	8.42
3	Services	16618.33	2,229.65	13.42%	20,045.00	2,446.43	12.20
4	Personal loans	14356.78	520.59	3.63%	12,377.00	507.80	4.10
5	PSLC	1200.00	-	-	-	-	-
	Sub-total (A)	**73696.32**	**8495.44**	**11.53%**	**73,149.00**	**7,274.16**	**9.94**
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	465.07	-	-	356.00	0.00	0.00
2	Industry	44846.22	9951.72	22.19%	58,109.92	13,928.85	23.97
3	Services	74490.98	5384.33	7.23%	68,189.15	3,918.05	5.75
4	Personal loans	23650.27	848.88	3.59%	23,542.00	637.54	2.71
	Sub-total (B)	**143452.54**	**16184.93**	**11.28%**	**1,50,197.07**	**18,484.44**	**12.31**
	Total (A+B)	**217148.86**	**24680.37**	**11.37%**	**2,23,346.07**	**25,758.60**	**11.53**

n) Movement of NPAs:

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Gross NPAs at the beginning of the year	25,758.60	17,609.31
Additions (Fresh NPAs) during the year	11,592.01	14,309.28
Sub Total (A)	37,350.61	31,918.59
Less:		
(i) Up gradations	2,203.34	1,557.81
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	3,692.40	2,202.17
(iii) Technical/Prudential Write-offs	5,743.86	2,313.15
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	1,030.64	86.86
Sub Total (B)	12,670.24	6,159.99
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	24,680.37	25,758.60

o) Movement of Technical/Prudential Write-offs:

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at the beginning of the year	7,937.29	6,254.69
Add : Technical / Prudential write-offs during the Year	5,743.86	2,313.15
Sub-total (A)	13,681.15	8,567.84
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year **(B)**	744.02	630.55
Closing balance as at the end of the year **(A-B)**	12,937.13	7,937.29

p) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total Assets	45152.48	44,646.83
Total NPAs	2331.90	2,027.44
Total NPIs	0.00	0.00
Total Revenue	1772.77	1,052.80

Note: The figures for Total Assets, Total NPA and Total NPI are drawn with the Balance Sheet position at FEDAI spot rate GBP – 90.525, while Total Revenue has been drawn with Total of Quarterly Gross Revenue at GBP FEDAI Quarterly Average Rates (QAR) – Apr 18 to Jun. 18 – 91.1475, Jul. 18 to Sep 18 – 91.36, Oct. 18 to Dec. 18 – 92.695 and Jan. 19 to Mar. 19 – 91.665.

q) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

r) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Bank has not sponsored any SPVs.

एस) अचल आस्तियाँ

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख बैंक के पास हैं।

टी) अंतर शाखा लेन-देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा।

यू) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरुकता निधि (डीईएफ)में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
डीईएफ को अंतरण के लिए चिह्नित खाते में अथ शेष	627.58	585.10
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित राशि	246.12	51.83
घटाएँ: डीईएफ द्वारा दावे के सापेक्ष प्रतिपूरित राशियाँ	7.60	9.35
डीईएफ को अंतरण हेतु चिह्नित खाते में इतिशेष	866.10	627.58

वी) अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
यूएफसीई प्रावधान के लिए अथ शेष राशि	51.00	60.00
जोड़ें: चालू वर्ष के दौरान प्रावधान की वृद्धि/विपर्यय	(-) 6.00	(-) 9.00
यूएफसीई प्रावधान के इतिशेष	45.00	51.00

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी 85 / 21.06.200 / 2013-14 दिनांक 15. जनवरी 2014 के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. बीडीओडी नं. बीपी.बीसी. 116/21.06.200 / 2013-14 दिनांक 03. जून 2014 के द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के संबंध में बैंक के पास नीति है।

बैंक की नीति के आधार पर उधारकर्ताओं से आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और तदनुसार वर्षांत 31-03-2019 के लिए न्यूनतम ₹15.27 करोड़ की पूंजी अपेक्षा के परिप्रेक्ष्य में ₹45 करोड़ राशिवाली यूएफसीई और ₹140.41 करोड़ का अतिरिक्त आरडब्ल्यूए का प्रावधान किया गया है।

डब्ल्यू) बैंक ने मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ₹1200 करोड़ मूल्य के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) की खरीदी की है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायित्व को पूरा करने की गणना में ली गई है।

एक्स) एमएसएमई अग्रिमों का पुनर्संरचना - भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अनुसार, निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत हैं :

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (₹ मिलियन में)
4340	1378.73

वाई) भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (आईएनडी एएस)

ए) बैंक में आईएनडी एएस के कार्यान्वयन स्थिति

कॉरपोरेट कार्य के मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से बैंक में आईएनडी एएस लागू होगा और बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से आईएनडी एएस (भारतीय लेखांकन मानक) के कार्यान्वयन के लिए शुरुआती कदम उठाए हैं और तदनुसार, उसके कार्यान्वयन के लिए सुनियोजित रणनीति बनाई गई है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वयन की स्थिति में अच्छी प्रगति हासिल की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2016 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति बनाई है जो कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती है। इस संचालन समिति में बैंक के विभिन्न कार्यात्मक विभागों के महाप्रबंधक शामिल हैं। इसके अलावा, बैंक के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, नियमित अंतरालों पर आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति की समीक्षा करती रहती है।

भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन में आस्थगन

आरबीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दि. 05, अप्रैल, 2018 के जरिए आईएनडी एएस के कार्यान्वयन में एक साल का आस्थगन (अर्थात् वर्ष 2019-20 से) घोषित किया है, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं.डीबीआर.बीपी.बीसी. सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा आईएनडी एएस के कार्यान्वयन को आगामी सूचना तक आस्थगित करने का निर्णय लिया है।

बी) अब तक की प्रगति:

- बैंक द्वारा वर्तमान लेखा ढांचे और आईएनडी एस (भारतीय लेखांकन मानक) के बीच अंतर को पहचानने के लिए एक नैदानिक अध्ययन पूरा किया गया है।
- इस नैदानिक अध्ययन के आधार पर बैंके ने इसके प्रभाव की गणना की है और जून 2018, सितंबर 2018 एवं दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाहियों के दौरान नमूना वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा है।
- बैंक ने नीति एवं प्रक्रिया में अपेक्षित परिवर्तन किया है।
- बैंक ने आईएनडी एएस के अंतर्गत लेखांकन नीति में अपेक्षित परिवर्तनों का निर्धारण किया है।
- बैंक अब कोर बैंकिंग प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तनों का मूल्यांकन कर रहा है और अनुमानित ऋण हानि नमूनों के लिए योग्य रूप-रेखा तैयार करना शुरू कर दिया है।

ज़ेड) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित/सुधार किया गया है।

s) Fixed Assets

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

t) Inter Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

u) Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in Crores)

Particulars	FY 2018-19	FY 2017-18
Opening balance of amounts transferred to DEAF	627.58	585.10
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	246.12	51.83
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	7.60	9.35
Closing balance of amounts transferred to DEAF	866.10	627.58

v) Unhedged Foreign Currency Exposure:

(₹ in Crores)

Particulars	FY 2018-19	FY 2017-18
Opening Balance of UFCE provision	51.00	60.00
Add: incremental/reversal of provision during the current year	(-)6.00	(-)9.00
Closing Balance of UFCE provision	45.00	51.00

The Bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) which is based on RBI Circular No.DBOD.No.BP.BC.85 / 21.06.200 / 2013-14 dated January 15, 2014 and clarifications received vide RBI Circular No. DBOD. No.BP.BC.116/21.06.200 / 2013-14 dated June 03, 2014.

Data has been obtained from the borrowers as per the Bank's policy and accordingly, provision of UFCE amounting to ₹ 45 Crores and additional RWA of ₹ 140.41 Crores has been provided, against which minimum capital requirement is ₹ 15.27 Crores for the year ended 31-03-2019.

w) The Bank has purchased Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)-under General Category to the tune of ₹1200 crore as on March 2019 and the same is taken into consideration for achievement of Priority Sector Obligation as per RBI norms.

x) Restructuring of MSME Advances:- As per the RBI circular No. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1,2019 ,the following details are furnished :

No of Accounts restructured	Amount (₹ in Million)
4340	1378.73

Y. Implementation of Indian Accounting Standards (Ind As)

a. Status on Implementation of IND AS within the Bank

IND AS is applicable to the Bank in accordance with the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs from FY 2018-19 and the Bank has initiated steps for implementation of IND AS (Indian Accounting Standards) from FY 2016-17 and accordingly put in place well-planned strategy for implementation and have made good progress during this financial year.

In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in August 2016, the Bank has set up a Steering Committee headed by the Executive Director that monitors the progress of the implementation. The Steering Committee comprises of General Managers from various functional departments of the Bank. Further, Bank's Audit Committee of the Board has been reviewing the overall progress of the implementation of IND AS at regular intervals.

Deferment of Indian Accounting Standards (Ind AS) implementation

RBI through the Press Release dated April 05, 2018 had deferred the implementation of Ind AS by one year (i.e. applicable from 2019-20) for Scheduled Commercial Banks. Further, RBI vide its circular no. DBR.BP.BC>No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 has decided to defer the implementation of Ind AS till further notice.

b. Progress made so far:

- The Bank has completed a diagnostic study to identify the differences between the current accounting framework and IND AS (Indian Accounting Standards).
- Based on the diagnostic study, the Bank has assessed the impact and filed the pro-forma financial statements for the quarter ended June 2018, September 2018 and December 2018 with the Reserve Bank of India.
- The bank has undertaken required changes in policies and procedures.
- The Bank has identified changes required in accounting policies under IND AS.
- The Bank is performing an assessment of the system changes required in the Core Banking System and has commenced the design of the Expected Credit Loss Models.

Z. Previous year figures

Previous year figures have been regrouped / rearranged / recast wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019
(अप्रत्यक्ष पद्धति/Indirect Method)

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	विवरण/PARTICULARS	31-03-2019 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2019	31-03-2018 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2018
ए. A.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	निवल लाभ (हानि)/Net Profit/(loss)	**(2588 29 47)**	(3222 83 74)
	योग : कर प्रावधान /Add: Tax provision	**(514 83 10)**	(1165 63 76)
	कर पूर्व लाभ (हानि)/Profit/(Loss) before taxes	**(3103 12 57)**	**(4388 47 50)**
	समायोजन के लिए /Adjustments for:		
	अचल आस्तियों में मूल्यह्रास /Depreciation on fixed assets	**217 22 34**	237 78 31
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों पर कृत मूल्यह्रास सहित) Depreciation on investments (including on matured debentures)	**136 61 78**	608 55 77
	बट्टा खाता डाले गए आशोध्य ऋण/अनर्जक/पुनर्संरचित आस्तियों संबंधी प्रावधान Bad debts written-off/Provision in respect of NPA/Restructured assets	**6060 78 47**	7638 12 60
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for Standard Assets	**(302 57 89)**	(46 26 35)
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)/Provision for Other items (Net)	**27 49 78**	51 91 03
	अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री पर (लाभ)/हानि (Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	**96 88**	55 40
	गौण ऋण पर (पृथक मान लिया गया) ब्याज की अदायगी/प्रावधान Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)	**807 10 27**	826 58 00
	अप्राप्य विदेशी विनिमय आरक्षित निधि उतार-चढ़ाव के लिए समायोजन Adjustment for Unrealised Foreign Exchange Fluctuation Reserve	**83 13 20**	3 02 83
	अनुषंगी/अन्य से प्राप्त लाभांश (पृथक मान लिया गया) Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)	**–**	–
	उप योग/Sub Total	**3927 62 26**	**4931 80 09**
	समायोजन /Adjustments for:		
	निवेश में (वृद्धि)/हानि /(Increase)/Decrease in investments	**4144 46 12**	(15497 38 84)
	अग्रिम में (वृद्धि)/हानि /(Increase)/Decrease in advances	**(421 31 70)**	(18652 64 14)
	अन्य आस्ति में (वृद्धि)/हानि /(Increase)/Decrease in other assets	**(14 36 75)**	(905 23 15)
	उधार में वृद्धि/(हानि)/Increase/(Decrease)in borrowings	**(3370 15 80)**	11428 08 75
	जमाराशि में वृद्धि/(हानि)/Increase/(Decrease) in deposits	**(12879 14 52)**	12215 24 27
	अन्य देयताएं एवं प्रावधान में वृद्धि/(हानि) Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	**2331 54 42**	(212 80 70)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी का निवल)/Direct taxes paid (Net of Refund)#	**(953 10 84)**	(621 48 45)
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (ए) Net cash from operating activities (A)	**(7234 46 81)**	**(7314 42 17)**
बी. B.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	अचल आस्तियों का क्रय/विक्रय अंतरण (Purchase)/ Sale-Transfer of fixed assets	**(141 90 09)**	(262 22 46)
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया निवल नकद (बी) Net cash used in investing activities (B)	**(141 90 09)**	**(262 22 46)**
सी. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	शेयर पूंजी /Share Capital	**1070 63 99**	512 73 27
	आबटन हेतु शेष शेयर आवेदन राशि Share Application Money Pending Allotment	**500 00 00**	
	शेयर प्रीमियम/Share premium	**2892 36 01**	3464 56 25
	असुरक्षित गौण बंधपत्र /Unsecured Subordinated Bonds	**(639 00 00)**	710 00 00
	लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश /Dividend paid including dividend tax	**–**	–
	असुरक्षित गौण बंध पत्रों पर प्रदत्त/प्रदेय ब्याज Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds	**(807 10 27)**	(826 58 00)
	वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (सी) Net cash from financing activities (C)	**3016 89 73**	**3860 71 52**
	नकद एवं नकद तुल्य में निवल वृद्धि (ए) + (बी) + (सी) Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	**(4359 47 17)**	**(3715 93 11)**

नोट: नकद एवं नकद तुल्य में उपलब्ध नकद, भा.रि. बैंक एवं अन्य बेंकों के पास जमाराशि एवं माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है
Note: *Cash & Cash Equivalents includes Cash on Hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice*

प्रदत्त प्रत्यक्ष करों को परिचालनगत गतिविधियों के परिणामस्वरूप माना गया और उन्हें निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों के बीच विभाजित नहीं किया गया है।
Direct taxes paid are treated as arising from Operating Activities and are not bifurcated between Investing & Financing Activities

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2019		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	
I. **वर्ष के प्रारंभ में शेष** **Balances at the beginning of the Year:**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**11684 16 40**		13108 94 79	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**9832 07 89**	**21516 24 29**	12123 22 61	25232 17 40
II. **वर्ष के अंत में शेष** **Balances at the end of the Year:**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**13612 82 82**		11684 16 40	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**3543 94 30**	**17156 77 12**	9832 07 89	21516 24 29
III. **वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह** **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**(4359 47 17)**		(3715 93 11)
नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

दीपेश देवचंद देढ़िया/DEEPESH DEVCHAND DEDHIA
सहायक महा प्रबंधक /Asst. General Manager

यू.एस. मजूमदार/US MAJUMDER
मुख्य वित्त अधिकारी/Chief Financial Officer

नागेश्वर राव वाई/ NAGESWARA RAO Y
विशेष कार्य अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक
Officer on Special Duty & Whole Time Director

(अनुपस्थिति की अनुमति/Leave of absence)
अजय के खुराना/AJAY K KHURANA
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एस कृष्णन/S KRISHNAN
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

मृत्युञ्जय महापात्र/MRUTYUNJAY MAHAPATRA
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी/MANAGING DIRECTOR & CEO

अजय विपिन नानावटी/AJAY VIPIN NANAVATI
अध्यक्ष/Chairman

"उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट केअनुसार/In terms of our report of even date attached"

कृते **वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 004494S/ S200037)
(एस गणेशन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 019530

कृते **जे एस उबेरॉय एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 111107W)
(हरिश बोनेजा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 045814

कृते **एस घोष एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार एलएलपी
(एफ आर एन: 302184E/ E300007)
(बितोल कुमार सरकार)
साझेदार
सदस्यता सं.: 015774

कृते **के के सोनी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 00947N)
(संत सुजात सोनी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 094227

कृते **फडनिस एंड गुप्ते**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 006600C)
(मनोज फडनिस)
साझेदार
सदस्यता सं.: 072707

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 10.05.2019

For **VAITHISVARAN & CO LLP**
Chartered Accountants
(FRN : 004494S/ S200037)
(S GANESAN)
Partner
Membership No : 019530

For **J.S. UBEROI & CO.**
Chartered Accountants
(FRN : 111107W)
(HARISH BHONEJA)
Partner
Membership No. 045814

For **S GHOSE & CO**
Chartered Accountants LLP
(FRN : 302184E/E300007)
(BITOL KUMAR SARKAR)
Partner
Membership No. 015774

For **K K SONI & CO**
Chartered Accountants
(FRN : 00947N)
(SANT SUJAT SONI)
Partner
Membership No. 094227

For **FADNIS & GUPTE**
Chartered Accountants
(FRN : 006600C)
(MANOJ FADNIS)
Partner
Membership No.072707

Place: Bengaluru
Date : 10.05.2019

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति/सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमारे विचार

1. हमने सिंडिकेटबैंक (''समूह'') के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च 2019 की स्थिति में समेकित तुलन पत्र तथा तत्संबंधी वर्षांत के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें निम्नलिखित मदें शामिल किए गए हैं।

   ए. सिंडिकेटबैंक (दि बैंक) के वित्तीय विवरण, हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दि. 10 मई 2019 के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखारपरीक्षित हैं।

   बी. अपने प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वैयक्तिक अनुषंगी की वित्तीय विवरणियाँ जो 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹16.12 करोड़ की कुल आस्तियों तथा तत्संबंधी वर्षांत के लिए ₹1.83 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, अलेखापरीक्षित हैं।

   सी. अपने संबंधित प्रबंधन द्वारा प्रमाणित 3 सहयोगी संस्थाओं की वित्तीय विवरणियाँ, जो 31 मार्च 2019 की स्थिति में ₹47,607 करोड़ की कुल आस्तियों और ₹4346 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, अलेखापरीक्षित हैं।

हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरणियाँ भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

ए) समेकित तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति;

बी) समेकित लाभ व हानि लेखे के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह की हानि, तथा

सी) समेकित नकद प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह का नकद प्रवाह।

हमारे राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'लेखापरीक्षा मानक' (एसए) का अनुपालन करते हुए की है। इन मानकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी आगे 'वित्तीय विवरणियों की कृत लेखापरीक्षा के संदर्भ में लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी' खंड में विस्तृत रूप से बताया गया है। 'भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान' द्वारा जारी 'आचार संहिता' एवं वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारे लिए लागू आचरणगत अपेक्षाओं के अनुपालन में हम यह सूचित करना चाहते हैं कि 'हम पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य आचरणगत जिम्मेदारियों

Independent Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements

To

The President of India/Members

Report on the audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of SYNDICATE BANK ("the Group"), which comprise the Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2019, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which the following are incorporated:

a. The financial statements of SYNDICATE BANK (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 10, 2019.

b. The unaudited financial statements of the standalone Subsidiary as certified by its management, whose financial statements reflect total assets of ₹16.12 crores as on March 31, 2019 and total revenue of ₹1.83 crores for the year then ended.

c. The unaudited financial statements of the 3 Associates as certified by their respective management whose financial statements reflect total assets of ₹47,607 crores as on March 31, 2019 and total revenue of ₹4,346 crores

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the consolidated financial statements, referred to in the above para give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as on March 31, 2019;

b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the Loss of the Group for the year ended on that date and

c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial

का वहन उन अपेक्षाओं व आचरण संहिता का अनुपालन करते हुए किया है'। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत 'लेखापरीक्षा साक्ष्य' हमारे राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदें

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदें, वे मद हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार वर्तमान अवधि की समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में अति महत्पूर्ण स्थान रखते हैं। एकल वित्तीय विवरणी की हमारी समग्र लेखापरीक्षा में और उस पर अपने राय तैयार करते समय इन मदों पर पर्याप्त विचार किया गया है और हम इन मदों पर कोई पृथक् राय व्यक्त नहीं करते हैं। हम अपनी रिपोर्ट में संसूचित करने के लिए निम्नांकित मदों को, जिनके बारे में विस्तृत विवरणी नीचे प्रस्तुत है, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में निर्धारित किया है:-

क्रम सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदें	लेखापरीक्षक की राय
1.	**आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण** आय का निर्धारण अग्रिमों एवं निवेशों से संबंधित उपचय के आधार पर, अग्रिमों/निवेशों के वर्गीकरण एवं उस पर प्रावधानीकरण, आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरसी) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान में लागू विवेकपूर्ण मानकों का अनुपालन करते हुए किया गया है। इन मानकों के अनुपालन में कुछ हद तक निर्णय लेना भी शामिल है। कृपया समेकित वित्तीय विवरणी की अनुसूची 17 की नोट सं.6 एवं 9 का संदर्भ लें।	हमने आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन किया है। हमारी लेखापरीक्षा में संरचना एवं परिचालन का परीक्षण, आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता और स्वतंत्र परीक्षण शामिल थे, जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है। – आईआरएसी पर जारी विवेकपूर्ण मानकों के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना का मूल्यांकन। – नमूना के आधार पर संबोधित संबद्ध आईटी नियंत्रण की जांच। – संबंधित क्षेत्रों में हुए हमें उपलब्ध कराए गए विभिन्न निरीक्षणों/लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट की समीक्षा। – विधिक मुद्दों, स्वत्व मूल्यांकन एवं बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के अन्य पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अभिमतों की विश्वसनीयता का निर्धारण। – नमूना के आधार पर चुने गए उधारकर्ताओं की फाइलों एवं उन खाते के परिचालनों की समीक्षा। – संबंधित विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का निष्पादन। – ब्याज, अन्य प्रभार, कमीशन आदि को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया की जाँच।
2.	**आकस्मिक देयताएँ** एएस 29 में यथा प्रस्तावित आकस्मिक देयता - वह प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं व आकस्मिक संपत्तियों में संभावित परिणामों एवं नकद प्रवाह का मूल्यांकन अपेक्षित होता है। आकस्मिक देयताओं की पहचान व उसके परिमाणीकरण करने के लिए प्रबंधन द्वारा आकलन व निर्णय की आवश्यकता होती है। समेकित वित्तीय विवरणी की अनुसूची 12 का संदर्भ लें।	हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के वैधीकरण के लिए निम्नांकित प्रक्रियाओं का पालन किया है :- – निहित पूर्वधारणाओं की व्यावहारिता का मूल्यांकन। – अभिलेख में उपलब्ध संबंधित दस्तावेज़ों की जांच। – विधिक राय, संबद्ध न्यायिक पूर्व निर्णयों एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं सहित उपलब्ध संबद्ध 'बाह्य साक्ष्य' पर विश्वास। – जहाँ-कहीं अपेक्षित हो वहाँ, 'प्रबंधन से पुष्टीकरण प्राप्त करना'

statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed, in the context of our audit of the consolidated financial statement as a whole, and informing our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sr. No.	Key Audit Matter	Auditors' Response
1.	**Income Recognition, Asset Classification & Provisioning** The recognition of income on accrual basis on Advances and Investments, Classification of Advances / Investments and Provisioning thereof are in accordance with the extant Prudential norms on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) issued by the Reserve Bank of India. Application of these norms involve certain degree of judgment. Refer Notes 6 & 9 to Schedule 17 of Consolidated Financial Statements	We have assessed the process adopted by the bank to ensure compliance with Prudential norms on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) issued by the Reserve Bank of India. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as under :- – Evaluating the design of internal controls relating to implementation of Prudential norms on IRAC. – Testing relevant IT Controls on sample basis. – Review of various audit / inspection reports made available to us in the relevant areas. – Placing reliance on the opinions of experts on legal matters, titles, valuation and other aspects of securities charged to the bank. – Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts. – Performing relevant analytical procedures. – Test Checking of Interest application, levying of other charges, commission etc.
2.	**Contingent Liabilities** The contingent liability as defined in AS 29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets requires assessment of probable outcomes and cash flows. The identification and quantification of contingent liabilities require estimation and judgment by the management. Refer Schedule 12 of Consolidated Financial Statements	We have carried out the validation of the information provided by the management by performing the following procedures :- – Evaluating reasonableness of the underlying assumptions. – Examining the relevant documents on record. – Relying on relevant external evidence available including legal opinion, relevant judicial precedents and industry practices. – Getting management confirmation wherever necessary.

क्रम सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदें	लेखापरीक्षक की राय
3.	**आईटी प्रणाली एवं नियंत्रण** - वित्तीय विवरणियों का निर्माण कार्य अधिकांशतः 'कोर बैंकिंग समाधान' एवं अन्य समर्थक सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर नियंत्रणों पर आश्रित होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए क्यि आईटी एप्लिकेशन डाटा यथा वांछित है और योग्य पद्धित के अनुसार इसमें परिवर्तन किए गए हैं, यथोचित आईटी नियंत्रणों की आवश्यकता होती है। ये नियंत्रण ऑउटपुट डाटा में गलती होने की संभावित जोखिम को कम करने में मदद करेगी। लेखापरीक्षा के ये परिणाम वर्तमान आईटी नियंत्रणों एवं प्रणालियों पर निर्भर होते हैं।	हमने अपेक्षित लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं एवं नमूना जांच को योजनाबद्ध एवं रूपांकित किया है और हमारा विचार है कि यह बैंक में मौजूद वर्तमान आईटी प्रणालियों की पर्याप्तता पर उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त होंगे। साथ ही, हमने आईएस एवं अन्य संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विश्वास किया है तथा चुनिंदा क्षेत्रों में आईएस विशेषज्ञों से राय प्राप्त किए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणी एवं उस पर लेखापरीक्षकों के विचार के अलावा कुछ अन्य जानकारी

अन्य जानकारी खंड को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक के निदेशक मंडल की है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण में जोड़ी गई मदें, अनुबंध सहित बोर्ड रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन एवं शेयरधारक सूचना शामिल है। जबकि इसमें समेकित वित्तीय विवरणी एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे विचार में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासनपूर्ण निष्कर्ष प्रदान नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे द्वारा कृत लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारी, 'अन्य जानकारी' का वाचन करना और इस बात का विचार करना कि कहीं समेकित वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त जानकारी की तुलना में यह 'अन्य जानकारी' में तात्विक असंगति या त्रुटि तो नहीं है।

हमारे किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस 'अन्य जानकारी' में कोई तात्विक त्रुटि है तो हमें उसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करना होगा। इस संदर्भ में उल्लेख करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

सिंडिकेट बैंक का प्रबंधन उन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 – ''समेकित वित्तीय विवरणियाँ'' लेखांकन मानक 23 – ''सहयोगी संस्थाओं की समेकित वित्तीय विवरणियों में निवेश के लिए लेखांकन'' की अपेक्षाओं, भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह का सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सिंडिकेटबैंक के प्रबंधन के इस उत्तरदायित्व में आंतरिक नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली की संरचना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है जो सिंडिकेटबैंक समूह की समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित होते हैं और

Sr. No.	Key Audit Matter	Auditors' Response
3.	**IT Systems & Control** Preparation of financial statements is highly dependent on Core Banking Solution and other supporting software and hardware controls. Appropriate IT Controls are required to ensure that these IT applications process data as expected and changes are made in an appropriate manner. Such controls contribute to mitigating the expected risk of erroneous output data. Audit outcome is dependent on the extant IT controls and systems.	We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, which in our opinion are adequate to provide reasonable assurance on the adequacy of IT controls in place. In addition we have relied on IS and other related audit reports and obtained inputs from IS experts in selected areas.

Information other than the Consolidated Financial Statement & Auditors' Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board Report's including annexures to Board Report. Corporate Governance and Shareholders Information, but does not include the consolidated financial statement and our auditors' report thereon.

Our opinion on consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Management of Syndicate Bank is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the requirements of the Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the requirements of Reserve Bank of India and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility of the management of SyndicateBank Group includes the design, implementation and maintenance of internal controls and risk management systems relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements of SyndicateBank Group that give a true and fair view and are free from material

सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा तात्विक त्रुटियों से युक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या भूलवश हमें सूचित किया गया है समूह के वैयक्तिक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा ऐसे आंतरिक नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन किया गया है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित हैं तथा संरचित प्रक्रियाएँ परिस्थितियों के अनुरूप हैं ताकि सिंडिकेटबैंक समूह की सभी गतिविधियों में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो सके। इन विवरणियों को पृथक वित्तीय विवरणियों तथा मदों से संबंधित अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर विचार प्रस्तुत करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए योजनाबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा का कार्य संपन्न करें ताकि यह यथोचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि समेकित वित्तीय विवरणियाँ तात्विक त्रुटियों से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणियों में दर्शाई गई राशियों एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों की तात्विक त्रुटियों के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या भूलवश इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में, लेखापरीक्षक समूह की समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं उसकी प्रस्तुति से संबंधित ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों के अनुरूप हो लेकिन वह बैंक की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर विचार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से न हो। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों के औचित्य का मूल्यांकन भी शामिल होता है, साथ ही, समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य, जो हमें प्राप्त हुए हैं, पर्याप्त हैं तथा हमारे लेखापरीक्षा विचार के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।

कृते वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन : 004494 एस / एस 200037	**कृते मेसर्स जे एस उबेरॉय एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफआरएन : 111107 डब्ल्यू	**कृते एस घोष एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एलएलपी एफआरएन : 302184ई / ई 300007
एस गणेशन साझेदार सदस्यता सं. : 019530	**हरीश भोनेजा** साझेदार सदस्यता सं. : 045814	**बितोल कुमार सरकार** साझेदार सदस्यता सं. : 015774
कृते मेसर्स के के सोनी एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 00947एन	**कृते मेसर्स फडनिस एंड गुप्ते** सनदी लेखाकार एफआरएन : 006600सी	
संत सुजात सोनी साझेदार सदस्यता सं. : 094227	**मनोज फडनिस** साझेदार सदस्यता सं. : 072707	

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 10.05.2019

misstatement, whether due to fraud or error. We are informed that the management of the individual entities of the group have implemented such internal controls and risk management systems that are relevant to the preparation of the financial statements and the designed procedures that are appropriate in the circumstances so that the internal controls with regard to all the activities of the SyndicateBank Group are effective. These statements have been prepared on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected, depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

For M/s VAITHISVARAN & CO LLP *Chartered Accountants* FRN : 004494S/S200037	**For M/s J S UBEROI & CO.** Chartered Accountants FRN : 111107W	**For M/s S GHOSE & CO** Chartered Accountants LLP FRN : 302184E/E300007
S GANESAN Partner Membership No. 019530	**HARISH BHONEJA** Partner Membership No. 045814	**BITOL KUMAR SARKAR** Partner Membership No. 015774
For M/s K K SONI & CO Chartered Accountants FRN : 00947N	**For M/s FADNIS & GUPTE** Chartered Accountants FRN : 006600C	
SANT SUJAT SONI Partner Membership No. 094227	**MANOJ FADNIS** Partner Membership No. 072707	

Place : Bengaluru
Date : 10.05.2019

तुलन-पत्र BALANCE SHEET

31 मार्च, 2019 का समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2019

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

पूंजी और देयताएँ **CAPITAL & LIABILITIES**	अनुसूची सं. Schedule No.	**As on दि. 31.03.2019 को**	As on दि. 31.03.2018 को
पूँजी /Capital	1	**2487 91 20**	1417 27 21
आबंटन हेतु शेष शेयर आवेदन राशि/Share Application Pending allotment		**500 00 00**	–
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**15787 92 63**	15155 14 36
जमाराशियाँ/Deposits	3	**259883 12 61**	272761 08 20
उधार/Borrowings	4	**25604 45 37**	29613 61 17
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**8707 44 64**	6645 58 05
योग/TOTAL		**312970 86 45**	325592 68 99
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ/ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**13612 82 82**	11684 16 40
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर देय राशि/ Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	**7**	**3543 94 30**	9832 07 89
निवेश/Investments	8	**77763 39 52**	81970 02 66
अग्रिम/Advances	9	**205044 40 03**	210683 86 80
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**2572 39 29**	2478 11 89
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**10433 90 49**	8944 43 35
योग/TOTAL		**312970 86 45**	325592 68 99
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**191299 62 93**	122848 78 05
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**5723 76 46**	5491 48 82
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

नागेश्वर राव वाई
विशेष कार्य अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक

(अनुपस्थिति की अनुमति)
अजय के खुराना
कार्यपालक निदेशक

एस कृष्णन
कार्यपालक निदेशक

मृत्युञ्जय महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अजय विपिन नानावटी
अध्यक्ष

डॉ. संजय कुमार
निदेशक

जी पी बोरा
निदेशक

जयंत पी गोखले
निदेशक

(अनुपस्थिति की अनुमति)
कमल किशोर संघल
निदेशक

सीए सुनील वशिष्ठ
निदेशक

दीपेश देवचंद देढ़िया
सहायक महा प्रबंधक

यूएस मजूमदार
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 10.05.2019

Nageswara Rao Y.
Officer on Special Duty & Whole Time Director

(Leave of absence)
Ajay K Khurana
Executive Director

S Krishnan
Executive Director

Mrutyunjay Mahapatra
Managing Director & CEO

Ajay Vipin Nanavati
Chairman

Dr. Sanjay Kumar
Director

G P Borah
Director

Jayant P Gokhale
Director

(Leave of absence)
Kamal Kishore Singhal
Director

CA Sunil Vashisht
Director

Deepesh Devchand Dedhia
Asst. General Manager

US Majumder
Chief Financial Officer

Place : Bengaluru
Date : 10.05.2019

लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	**As on दि. 31.03.2019 को**	As on दि. 31.03.2018 को
I	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज /Interest Earned	13	**21725 40 85**	21775 94 98
	अन्य आय/Other Income	14	**2223 82 03**	2806 05 00
	योग/TOTAL		**23949 22 88**	24581 99 98
II	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**15075 63 84**	15223 01 15
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**6053 61 75**	5492 55 39
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**5407 69 96**	7087 40 45
	योग/TOTAL		**26536 95 55**	27802 96 99
III	**लाभ/PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/Net Profit for the Year		**-2587 72 67**	-3220 97 01
	आगे लाया गया लाभ/हानि /Profit/(Loss) brought forward		**0**	0
	अनुषंगी उद्यमों में आय का शेयर/Share of earning in Associates	19	**63 52 34**	109 28 03
	योग /TOTAL		**-2524 20 33**	-3111 68 98
IV	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण /Transfer to :			
ए/A	सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve			
बी/B	आरक्षित पूंजी/Capital Reserve		**16 83 39**	61 89 22
सी/C	लाभ/हानि/Profit & Loss		**-2541 03 72**	-3173 58 20
डी/D	आयकर अधिनियम 1961, धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि /Special Reserve under Section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961			
ई/E	प्रस्तावित लाभांश/Proposed Dividend			
एफ/F	अंतिम लाभांश पर कर /Tax on Final Dividend			
	योग/TOTAL		**-2524 20 33**	-3111 68 98
	प्रति शेयर मूल अर्जन (प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्यवाले)/ Basic Earnings per share (Face Value of ₹10 each)		**-16.70**	-32.83
	प्रति शेयर मिश्रित अर्जन (प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्यवाले)/ Diluted Earnings per share (Face Value of ₹10 each)		**-16.70**	-32.83
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

कृते **वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 004494S/ S200037)

कृते **जे एस उबेरॉय एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 111107W)

कृते **एस घोष एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार एलएलपी
(एफ आर एन: 302184E/ E300007)

(एस गणेशन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 019530

(हरिश बोनेजा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 045814

(बितोल कुमार सरकार)
साझेदार
सदस्यता सं.: 015774

कृते **के. के. सोनी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 00947N)

कृते **फडनिस एंड गुप्ते**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 006600C)

(संत सुजात सोनी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 094227

(मनोज फडनिस)
साझेदार
सदस्यता सं.: 072707

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 10.05.2019

For **VAITHISVARAN & CO LLP**
Chartered Accountants
(FRN : 004494S/ S200037)

For **J.S. UBEROI & CO.**
Chartered Accountants
(FRN : 111107W)

For **S GHOSE & CO**
Chartered Accountants LLP
(FRN : 302184E/E300007)

S GANESAN
Partner
Membership No : 019530

HARISH BHONEJA
Partner
Membership No. 045814

BITOL KUMAR SARKAR
Partner
Membership No. 015774

For **K K SONI & CO**
Chartered Accountants
(FRN : 00947N)

For **FADNIS & GUPTE**
Chartered Accountants
(FRN : 006600C)

SANT SUJAT SONI
Partner
Membership No. 094227

MANOJ FADNIS
Partner
Membership No.072707

Place : Bengaluru
Date : 10.05.2019

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
	प्राधिकृत पूँजी /AUTHORISED CAPITAL 300,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹10/- / 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	**3000 00 00**	3000 00 00
I	**निर्गत, अभिदत्त, मांगी गई और प्रदत्त पूँजी/ ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED AND PAID UP CAPITAL**		
	अथ शेष/Opening Balance	**1417 27 21**	904 53 94
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions During the Year	**1070 63 99**	512 73 27
	248,79,11,952 (पिछले वर्ष 141,72,72,053) ईक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹10/- 248,79,11,952 (Previous Year 141,72,72,053) Equity Shares of ₹10 each.	**2487 91 20**	1417 27 21
ए/a)	**केंद्र सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government**		
	210,61,79,287 (पिछले वर्ष 103,55,39,388) ईक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹10/- 210,61,79,287 (Previous Year 103,55,39,388) Equity Shares of ₹10/- each	**2106 17 93**	1035 53 94
बी/b)	**जनता तथा अन्य द्वारा धारित/Held by Public and Others**		
	38,17,32,665 (पिछले वर्ष 38,17,32,665) ईक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹10/- 38,17,32,665 (Previous Year 38,17,32,665) Equity Shares of ₹10/- each	**381 73 27**	381 73 27
II	**बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर/Perpetual Non-Cumulative Preference Share**	**0**	0
	योग/TOTAL	**2487 91 20**	1417 27 21
III	**आबंटन हेतु शेष शेयर आवेदन राशि /Share Application Money pending allotment**	**500 00 00**	

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2019 को		As on दि. 31.03.2018 को	
I	**सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**				
	अथशेष /Opening Balance	**3472 75 55**		**3472 75 55**	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ (कटौती)/Additions/(Deductions) during the year	**-378 25 27**	**3094 50 28**	**0**	**3472 75 55**
II	**आरक्षित पूँजी/Capital Reserve**				
	अथशेष /Opening Balance	**347 97 10**		**286 07 88**	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**16 83 39**	**364 80 49**	**61 89 22**	**347 97 10**
III	**शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
	अथशेष /Opening Balance	**6635 12 58**		**3170 56 33**	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addtions during the year	**2892 36 01**	**9527 48 59**	**3464 56 25**	**6635 12 58**
IV	**पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
	अथशेष /Opening Balance	**1549 82 62**		**1595 61 99**	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**170 56 97**		**14 43**	
		1720 39 59		**1595 76 42**	
	घटाएँ : राजस्व आरक्षित निधि में अंतर्गत/Less: Transferred to Revenue Reserve	**22 99 71**	**1697 39 88**	**45 93 80**	**1549 82 62**
V	**सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
	अथशेष /Opening Balance	**581 16 40**		**581 16 40**	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581 16 40**	**0**	**581 16 40**
VI	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and Other Reserves**				
	अथशेष /Opening Balance	**4176 49 31**		**4141 07 11**	
	जोड़े(घटाएं): समेकन पर राजस्व आरक्षित निधि में परीवर्तन (Add/(Less): Changes in Revenue reserve on consolidation	**10 92 42**		**-10 51 60**	
	जोड़ें : पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से अंतरित Add: Transferred from Revaluation Reserve	**22 99 71**		**45 93 80**	
		4210 41 44	**4210 41 44**	**4176 49 31**	**4176 49 31**
VII	**विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
	अथशेष /Opening Balance	**28 92 07**		**25 89 24**	
	जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**83 13 20**	**112 05 27**	**3 02 83**	**28 92 07**
VIII	**विशेष आरक्षित निधि/Special Reserve** आयकर अधिनियम **1961** की धारा **36(1)** (**viii**) के अंतर्गत **[Under Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961]**				
	अथशेष /Opening Balance	**1536 46 93**		**1536 46 93**	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year	**0**	**1536 46 93**	**0**	**1536 46 93**
IX	**लाभ व हानि लेखा खाते में शेष/BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT**				
	अथशेष /Opening Balance	**-3173 58 20**			
	जोड़ें: सांविधिक आरक्षित निधियों से अंतरित Add: Transferred from Statutory reserve	**378 25 27**			
		-2795 32 93			
	जोड़ें/ घटाएं: लाभ व हानि लेखा खाते से अंतरण Add/ Less: Transfer from Profit and Loss Account	**-2541 03 72**	**-5336 36 65**	**-3173 58 20**	**-3173 58 20**
	योग/**TOTAL**		**15787 92 63**		**15155 14 36**

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
ए /A.I मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	**62 45 17**	92 02 20
ii) अन्यों से/From Others	**10659 98 33**	11970 74 21
II **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**73955 07 09**	68346 36 91
III **सावधि जमाराशियाँ/ Term Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**27133 59 32**	28405 47 05
ii) अन्यों से/ From Others	**148072 02 70**	163946 47 83
योग (ए)/TOTAL A (I+II+III)	**259883 12 61**	272761 08 20
बी/B.i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**230078 29 57**	241077 42 53
ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches Outside India	**29804 83 04**	31683 65 67
योग (बी)/TOTAL B (i+ii)	**259883 12 61**	272761 08 20

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I **भारत में उधार/Borrowings in India**		
ए a) भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**6060 00 00**	9821 00 00
बी b) अन्य बैंक/Other Banks	**6351 77 81**	4331 60 68
सी c) अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**1398 02 93**	875 25 82
डी d) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीई)/Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDE)	**194 00 00**	533 00 00
ई/e) अतिरिक्त टियर I बांड/Additional Tier I Bonds	**3250 00 00**	3250 00 00
एफ/f) गौण ऋण /Subordinated Debt	**4600 00 00**	4900 00 00
योग/Total	**21853 80 74**	23710 86 50
II भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India	**3750 64 63**	5902 74 67
योग TOTAL (I+II)	**25604 45 37**	29613 61 17
उपर्युक्त I और II में शामिल जमानती उधार/Secured Borrowings included in I and II above	**6060 00 00**	9821 00 00

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I देय बिल/Bills Payable	**2546 21 28**	845 97 15
II अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**45 84 98**	29 40 90
III उपचित ब्याज/Interest Accrued	**1323 70 94**	1489 03 92
IV मानक आस्तियों के संदर्भ में आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**837 83 51**	1140 41 41
V अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**3953 83 93**	3140 74 67
योग/TOTAL	**8707 44 64**	6645 58 05

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)/Cash in hand (including foreign currency notes)	**1049 18 85**	946 65 97
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि/Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	**12563 63 97**	10737 50 43
अन्य खातों में /In Other Accounts	**0**	0
योग/TOTAL	**13612 82 82**	11684 16 40

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I **भारत में / In India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए /a) चालू खातों में/Current Accounts	**72 32 45**	81 87 29
बी /b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**3396 04 69**	3930 46 80
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/Money at Call and Short Notice		
ए /a) बैंकों के पास /with Banks		5600 00 00
बी/b) अन्य संस्थाओं के पास /with Other Institutions	**0**	0
योग/TOTAL	**3468 37 14**	9612 34 09
II **भारत के बाहर/Outside India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए /a) चालू खातों में/in Current Accounts	**75 57 16**	11 17 80
बी /b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts		208 56 00
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि /Money at Call and Short Notice	**0**	0
योग/TOTAL	**75 57 16**	219 73 80
योग/TOTAL	**3543 94 30**	9832 07 89

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**76671 01 66**	80819 96 13
घटाएं : मूल्यह्रास/एनपीआई के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation/NPI	**1346 43 01**	1187 98 24
भारत में निवल निवेश /Net Investments in India	**75324 58 65**	79631 97 89
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**69436 94 97**	73029 49 99
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	**90 50**	90 50
शेयर/Shares	**242 14 35**	279 25 77
डिबेंचर और बंध पत्र /Debentures and Bonds	**3010 72 60**	3501 56 12
अनुषंगी और/या सहयोगी /Subsidiaries and/or Associates	**1716 76 61**	1642 31 85
अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जोखिम पूँजी, सीओडी इत्यादि /Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	**917 09 62**	1178 43 66
योग/TOTAL	**75324 58 65**	79631 97 89
II **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)**	**2454 44 72**	2373 40 47
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/ Less: Provision for depreciation	**15 63 85**	35 35 70
भारत के बाहर निवल निवेश /Net Investments Outside India	**2438 80 87**	2338 04 77
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**0**	0
डिबेंचर और बंध पत्र /Debentures and Bonds	**2438 80 87**	2338 04 77
अन्य/Others	**0**	0
योग/TOTAL	**2438 80 87**	2338 04 77
योग/TOTAL	**77763 39 52**	81970 02 66

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 9: अग्रिम (प्रावधानों का निवल)/SCHEDULE – 9: ADVANCES (Net of Provisions)

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
ए/A. i) खरीदे और भुनाए गए बिल /Bills Purchased and Discounted	**675 60 70**	1015 77 99
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण /Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**32646 58 78**	53402 76 36
iii) मीयादी ऋण /Term Loans	**171722 20 55**	156265 32 45
योग/Total	**205044 40 03**	210683 86 80
बी/B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित) / Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	**151292 97 62**	139520 86 93
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित /Covered by Bank / Government Guarantees	**36646 28 81**	32552 53 36
iii) अरक्षित /Unsecured	**17105 13 59**	38610 46 51
योग /Total	**205044 40 03**	210683 86 80
सी/C. I) **भारत में अग्रिम/Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/Priority Sector	**71084 88 78**	73219 13 35
ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**382 54 04**	2519 04 29
iii) बैंक/Banks	**102 09 56**	131 56 38
iv) अन्य/Others	**92620 94 88**	94325 96 14
योग /Total	**164190 47 26**	170195 70 16
II) **भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside of India**		
बैंकों से देय/Due from Banks	**33763 30 17**	30594 03 83
अन्यों से देय/Due from Others		
ए /a) खरीदे गए और भुनाए गए बिल /Bills Purchased and Discounted	**134 88 34**	194 93 41
बी/ b) सामूहिक ऋण /Syndicated Loans	**5029 28 40**	5126 64 74
सी/c) अन्य/Others	**1926 45 86**	4572 54 66
योग /Total	**40853 92 77**	40488 16 64
योग सी /TOTAL C (I+II)	**205044 40 03**	210683 86 80

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I **परिसर /Premises**		
पिछले वर्ष 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर At Cost / Revaluation as on March 31, of the preceding year	**2142 92 86**	2093 90 36
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन /Add: Additions during the year	**189 56 53**	49 52 87
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन Less : Deductions / Adjustments during the year	**2 42 29**	50 37
	2330 07 10	2142 92 85
घटाएं : अब तक मूल्यह्रास /Less: Depreciation to date	**359 43 16**	329 80 81
योग /Total	**1970 63 94**	1813 12 04
II **प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य /Capital Work in progress**	**9 44 17**	27 84 03
III **अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)/Other Fixed Assets (Including Furniture and Fixture)**		
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर /At Cost / as on March 31, of the preceding year	**1879 32 55**	1744 48 57
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन /Add: Additions during the year	**154 24 06**	228 69 17
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less : Deductions / Adjustments during the year	**72 13 70**	93 85 19
	1961 42 91	1879 32 55
घटाएं : अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**1369 11 73**	1242 16 73
योग/Total	**592 31 18**	637 15 82
योग/TOTAL (I + II + III)	**2572 39 29**	2478 11 89

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As at दि. 31.03.2019 को	As at दि. 31.03.2018 को
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	0
II	उपचित ब्याज /Interest accrued	**1673 55 35**	1776 94 58
III	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों को घटाकर) Tax paid in advance / Tax deducted at source (net of provisions)	**3738 84 24**	2951 11 60
IV	लेखन सामग्री व स्टांप /Stationery and Stamps	**35 39 08**	28 71 60
V	दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3 06**	3 23
VI	अन्य/Others	**4986 08 76**	4187 62 34
	योग /TOTAL	**10433 90 49**	8944 43 35

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2019 को	As on दि. 31.03.2018 को
I	बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो कर्ज के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	**517 25 24**	149 94 95
II	अंशतः प्रदत्त निवेशों/जोखिम निधियों के लिए देयता /Liability for partly paid Investments/Venture Funds	**26 61 26**	32 58 72
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता /Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	**158262 27 00**	87759 60 73
IV	ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ /Guarantees given on behalf of Constituents		
	a) भारत में/In India	**12639 52 30**	15241 75 29
	b) भारत के बाहर /Outside India	**7 24**	7 38
V	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व /Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**8668 15 31**	7034 19 24
VI	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है /Other items for which the Bank is contingently liable		
	I) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाना है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for	**2 77 91**	9 32 81
	II) अन्य/Others	**11182 96 67**	12621 28 93
	योग/TOTAL	**191299 62 93**	122848 78 05

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा /Interest / Discount on Advances / Bills	**15540 82 76**	15722 82 79
II	निवेशों पर आय/Income on Investments	**5667 01 10**	5199 58 89
III	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास मौजूद शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**362 59 91**	713 13 80
IV	अन्य/Others	**154 97 08**	140 39 50
	योग/TOTAL	**21725 40 85**	21775 94 98

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018
I	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**728 80 65**	709 87 40
II	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**364 27 08**	945 96 47
	घटाएँ : निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments	**0**	0
III	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	**2 56 59**	2 17 04
	घटाएँ : जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less : Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	**-3 53 47**	-2 72 44
IV	विनिमय लेन-देन पर प्राप्त लाभ/Profit on Exchange Transactions	**105 45 81**	194 93 86
	घटाएँ : विनिमय लेन-देन पर हुई हानि /Less : Loss on Exchange Transactions	**- 14**	-10 71 75
V	अनुषंगियों से लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय Income earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries	**0**	0
VI	विविध आय/Miscellaneous Income	**1026 25 51**	966 54 42
	योग /TOTAL	**2223 82 03**	2806 05 00

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018
I	जमाराशियों पर ब्याज /Interest on Deposits	**13474 61 26**	13722 85 63
II	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज /Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank borrowings	**108 16 85**	76 71 04
III	अन्य/Others	**1492 85 73**	1423 44 48
	योग /TOTAL	**15075 63 84**	15223 01 15

अनुसूची – 16: परिचालन व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2019	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018
I	कर्मचारियों को संदाय और उसके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**4071 21 32**	3605 20 99
II	किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	**381 01 36**	365 90 22
III	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**33 39 88**	28 32 83
IV	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**21 45 07**	28 62 59
V	बैंकों की संपत्तियों पर मूल्यहास/Depreciation on Bank's Property	**217 22 78**	237 79 12
VI	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**1 71 29**	1 43 44
VII	लेखापरीक्षकों के शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)/Auditors' Fees and Expenses (including for Branch Auditors)	**36 44 46**	35 23 15
VIII	विधि प्रभार/Law Charges	**21 60 78**	8 88 15
IX	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**86 35 29**	74 80 46
X	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**192 97 45**	143 98 22
XI	बीमा/Insurance	**256 34 09**	229 12 01
XII	अन्य व्यय/Other Expenditure	**733 87 98**	733 24 21
	योग/TOTAL	**6053 61 75**	5492 55 39

अनुसूची 17
समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति:
2018-19

1. **(ए) लेखांकन पद्धति:**

विदेशी कार्यालय सहित मूल बैंक की वित्तीय विवरणियों को जब तक अन्यथा न हो पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतों का पालन करते हुए तैयार किया जाता है । वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोट से युक्त होते हैं और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति के अनुरूप होते हैं। तथापि, विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुपालित होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित की जाने वाली आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाते हुए आकलन करें। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हो। लेखांकन अनुमानों में जब तक अन्यथा न हो किसी भी प्रकार के संशोधन को चालू अवधि तथा भावी अवधि में भविष्यलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है ।

(सी) लेखांकन नीति का उपयोग:

जब तक कि सांविधिक अपेक्षाओं द्वारा या लेखांकन मानकों के अनुपालन या कोई अन्य परिवर्तन जिसके फलस्वरूप वित्तीय विवरणी की अधिक सटीक प्रस्तुति की आवश्यकता न हो तब तक लेखांकन नीतियों का लगातार प्रयोग किया जाता है।

2. **समेकन प्रक्रिया**

मूल बैंक और उसके अनुषंगियों की समेकित वित्तीय विवरणी (सी एफ एस) को संबंधित वित्तीय विवरणी और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)/राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति (एन.ए.सी.ए.एस.) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) -21-''समेकित वित्तीय विवरणी'' के आधार पर तैयार किया गया है।

मूल बैंक और उसके अनुषंगियों की वित्तीय विवरणी को अंतर समूह लेन-देनों और अप्राप्त लाभ/ हानि को हटाकर और आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की रकमों को एक साथ जोड़कर सिलसिलेवार तरीके से एकत्रित किया गया है और जहाँ भी उचित है वहाँ एक समान लेखाकरण नीतियों के अनुसार आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

SCHEDULE – 17
CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:
2018-19

1. **(A) Basis of Accounting:**

The financial statements of the Parent Bank including foreign office have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. However, in respect of foreign office, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign country are complied with.

(B) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

(C) Use of Accounting Policy:

Accounting Policy is consistently used unless change is required by statute or for compliance with Accounting Standard or the change would result in a more appropriate presentation of the financial statements.

2. **CONSOLIDATION PROCEDURE**

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Parent Bank, its Subsidiary has been prepared on the basis of the financial statements and in accordance with Accounting Standard (AS) – 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) / National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS).

The financial statements of the Parent Bank and its Subsidiary have been aggregated on a line by line basis by adding together like sums of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group transactions and unrealized profit / loss and making necessary adjustments wherever practicable, to conform to the uniform accounting policies. The

अनुषंगियों की वित्तीय विवरणी को मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख पर तैयार किया जाता है।

समेकन तिथि को सहयोगी संस्थाओं में लंबी अवधि के निवेशों का मूल्यांकन ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत किया जाता है और सहयोगी संस्थाओं की निवल आस्तियों में मूल बैंक (निवेशक) के हिस्से में अभिग्रहणोत्तर परिवर्तन के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23 – ''सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए समेकित वित्तीय विवरणी में लेखांकन'' के अनुसार बाद में निवेश की रखाव रकम का समायोजन किया जाता है। सहयोगी संस्थाओं के परिचालनों की प्राप्तियों में निवेशक के हिस्से को लाभ एवं हानि की समेकित विवरणी में अलग रूप से दर्शाया गया है।

3. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर विदेशी मुद्रा राशि रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करते हुए अभिलेखित किया जाता है। प्रारंभिक निर्धारण हेतु निम्नलिखित विनिमय दरों का उपयोग किया जाता है:

ए) शाखाओं में (एफसीएनआर, ईईएफसी, आरएफसी) विदेशी मुद्रा देयता संबंधी लेनदेनों के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर) प्रकाशित किया जाता है।

बी) शाखाओं में विदेशी मुद्रा संबंधी आस्तियों तथा 'ए' श्रेणी की प्राधिकृत शाखा (कोष व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग) में आस्तियों व देयताओं संबंधी लेन-देन के लिए संव्यवहार की तिथि में बाजार दर पर।

3.2 सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनियम हाजिर/वायदा दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को, लाभ और हानि खातों में निर्धारित किया जाता है।

3.3 विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं को फेडाई के अंतिम हाजिर दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

3.4 व्यापार हेतु बकाया विदेशी विनिमय हाजिर एवं वायदा का पुनर्मूल्यांकन ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों तथा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं हेतु फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर किया जाता है। सीसीआईएल-शून्य कूपन प्रतिफल वक्र (जेडसीवाईसी) दरों के प्रयोग द्वारा बाजार भाव पर प्रदर्शित (एमटीएम) लाभ/हानि का वर्तमान मूल्य प्राप्त करने के लिए परिणामी बाजार भाव पर प्रदर्शित (एमटीएम) लाभ/हानि को बट्टाकृत किया जाता है और इसे लाभ/हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

3.5 गैर व्यापार वाले विदेशी विनिमय वायदा करारों के मामले में शुरुआत के प्रीमियम या छूट का परिशोधन करार की समयावधि पर व्यय अथवा आय के रूप में किया जाता है।

financial statements of the Subsidiary are drawn up to the same reporting date as that of the parent.

Long term investment in Associates, as on the date of consolidation, is valued under the Equity method and the carrying amount of the investment is adjusted thereafter for the post acquisition change in the parent's (Investor) share of net assets of the Associates in accordance with Accounting Standard (AS) 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The Investor's share of the results of operations of the Associates is reflected separately in the consolidated statement of Profit and Loss.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

3.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency. Following exchange rates are used for initial recognition:

a) For transactions involving foreign currency liabilities at branches (FCNR, EEFC, RFC) Weekly Average Rate (WAR) published by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

b) For transactions involving foreign currency assets at branches and assets and liabilities at 'A' designated branch (Treasury and International Banking Department) market rate on the date of transaction.

3.2 All the foreign currency monetary assets and liabilities are reported at closing exchange spot/forward rates notified by the FEDAI at the end of each quarter and the resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss A/c.

3.3 Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rate.

3.4 Outstanding foreign exchange spot and forward for trading are revalued at the exchange rates notified by the FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities". The resultant Marked to Market (MTM) gain/loss is discounted to arrive at present value MTM gain/loss by using CCIL- Zero Coupon Yield curve (ZCYC) rates and the same is recognized in Profit and Loss A/c.

3.5 In the case of foreign exchange forward contacts which are not intended for trading, premium or discount arising at the inception is amortised as expenses or income over the life of the contract.

3.6 मूल बैंक की एक शाखा लंदन में है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 11 (एएस-11) के अनुसार इसके परिचालन को 'गैर समाकलित विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ए) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, दोनों तथा आकस्मिक देयताओं को, फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित अंतिम हाजिर दरों पर परिवर्तित किया गया है ।

बी) आय तथा व्यय का परिवर्तन प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर (क्यूएआर) पर किया गया है।

सी) लेखांकन मानक-11 (एएस-11) के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी शाखा के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में संचित किया गया है।

डी) शाखा की विदेशी मुद्रा वाली (शाखा की स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) आस्तियों एवं देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में लागू हाजिर दर का उपयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

4. निवेश

प्रतिभूतियों में लेन-देन को ''निपटान तिथि'' पर अभिलेखित किया जाता है ।

4.1. वर्गीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल बैंक के निवेश संविभाग निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

ए) 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) निवेशों को परिपक्वता तक धारण करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यम एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित निवेश वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

बी) 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी) निवेश को अल्पावधि कीमत/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापार करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। इनको खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंतर्गत व्यापार किया जाना अपेक्षित है।

सी) 'विक्रय के लिए उपलब्ध' (एएफएस) निवेश उपर्युक्त (ए) एवं (बी) दोनों में शामिल नहीं है अर्थात वे निवेश, जो ''परिपक्वता तक धारित'' या ''व्यापार के लिए धारित'' वर्ग में नहीं आते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन पत्र में निवेश को निम्नलिखित छह वर्ग में व्यक्त किया जाता है:-

(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

3.6 The Parent Bank has a branch at London and the operations of the same is classified as "Non-Integral Operations" in accordance with Accounting Standard 11(AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing spot rates notified by the FEDAI at end of each quarter.

b) Income and Expenditure are translated at Quarterly Average Rates (QAR) notified by the FEDAI at end of each quarter.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

d) The Assets and Liabilities of the branch in foreign currency (other than local currency of the branch) are translated into local currency using applicable spot rate at the end of each quarter.

4. INVESTMENTS

The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".

4.1 Classification:

The Investment portfolio of the Parent Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

a) **"Held to Maturity" (HTM)** comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

b) **"Held for Trading" (HFT)** comprising Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

c) **"Available for Sale" (AFS)** comprises of Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

In the balance sheet, the investments are disclosed as per the following six classifications in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India:

(i) Government Securities

(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

(iii) शेयर

(iv) डिबेंचर और बंध पत्र

(v) अनुषंगी और/या सहयोगी

(vi) अन्य

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) की इकाइयों में मूल बैंक के निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है तथा इनका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है। वितरण की तिथि से तीन वर्षों के पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार इसे विक्रय के लिए उपलब्ध वर्ग में अंतरित किया जाता है (एएफएस) तथा इसे बाजार भाव पर निर्धारित कर दिया जाता है।

4.2 निवेश की अधिग्रहण लागत:

ए) निवेशों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसआईटी) को लागत से हटाकर एक बारगी व्यय के रूप में लिया जाता है।

बी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को लागत/बिक्री राशि से हटाकर ब्याज व्यय/आय माना जाता है।

सी) निवेशों की लागत को भारित औसत मूल्य पद्धति पर निर्धारित किया जाता है।

डी) अभिदान पर प्राप्त प्रोत्साहन रकम को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया जाता है। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधी प्रदत्त ब्रोकरेज/कमीशन/स्टांप शुल्क की गणना राजस्व व्यय के रूप में की जाती है।

4.3 मूल्यांकन पद्धति

ए) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन यदि उसका मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा है, तो भारित औसत अर्जन लागत पर किया जाता है, उन मामलों में प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की शेष अवधि तक निरंतर प्राप्ति आधार पर किया जाता है। ऐसे प्रीमियम का परिशोधन ''निवेश पर ब्याज'' शीर्ष के तहत आय में समायोजित किया जाता है।

बी) अस्थाई स्वभाव के अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों को छोड़कर अन्य अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों में किया गया निवेशों का मूल्यनिर्धारण अभिग्रहण लागत से ह्रास को कम करके किया जाता है।

सी) एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो अधिग्रहण मूल्य/बही मूल्य के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाता है। अंतरण के बाद,

(ii) Other Approved Securities

(iii) Shares

(iv) Debentures and Bonds

(v) Subsidiaries and / or Associates

(vi) Others

Parent Bank's investments in units of VCS's are classified under HTM category and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it is shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

4.2 Acquisition Cost of Investment:

a) Brokerage, Commission, Securities Transaction Tax (STT) etc., paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

b) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/sale consideration.

c) Cost of investments is determined at weighted average price method.

d) Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/ Commission/Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expense.

4.3 Method of Valuation:

a) Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity, on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

b) Investments in subsidiaries and joint ventures are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

c) Transfer of securities from HFT/AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/market value on the date of transfer whichever is lower. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for on acquisition price/book value. After transfer, these securities are immediately

इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनः मूल्यांकन किया जाता है और इससे मूल्यह्रास के होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

डी) एएफएस तथा एचएफटी के तहत धारित निवेशों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

ए) सरकार/अनुमोदित प्रतिभूतियाँ i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	फाइनेन्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) पर।
बी) केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम के बाँड द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ (अग्रिम प्रकृति का नहीं) एफबीआईएल/आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।	एफबीआईएल/आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
सी) ईक्विटी शेयर	यदि उद्धृत हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा अद्यतित तुलन पत्र के अनुसार शेयरों के अलग-अलग मूल्य पर (18 माह से अधिक पुराना नहीं), अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी
डी) अधिमानी शेयर	यदि उद्धृत हो, तो बाजार मूल्य पर या आरबीआई/एफबीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल पर, जो निर्मोचन मूल्य से अधिक न हो।
ई) बाँड एवं डिबेंचर (अग्रिम प्रवृत्ति का नहीं)	यदि उद्धृत हो, तो बाजार मूल्य पर या आरबीआई/एफबीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल पर, जो निर्मोचन मूल्य से अधिक न हो।
एफ) म्यूच्युअल फंड की यूनिट	उद्धृत होने पर, शेयर बाजार के भाव पर, उद्धृत न होने पर पुनःखरीद/निवल आस्ति मूल्य पर।

revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

d) Investments held under AFS and HFT are valued as under:

a) Government/ Approved Securities I. Central Govt. Securities II. State Govt. Securities	At market prices/YTM as published by Financial Benchmarks Pvt. Ltd. (FBIL). On appropriate yield to maturity basis as per FBIL/RBI guidelines.
b) Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FBIL/RBI guidelines.
c) Equity Shares	At market price if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise at ₹1 per company.
d) Preference Shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/ FBIL guidelines.
e) Bonds & Debentures (Not in nature of advances)	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/ FBIL guidelines.
f) Units of Mutual Funds	As per stock exchange quotation, if quoted at repurchase price/NAV, if unquoted.

जी) जोखिम पूँजी	18 महीने से अनधिक लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार घोषित एनएवी या विश्लेषित एनएवी। यदि 18 से अधिक महीने के निरंतर आधार पर एनएवी/लेखा परीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है, तो ₹ 1 प्रति जोखिम पूँजी निधि की दर पर किया जाता है।
एच) प्रतिभूति रसीदें	आरबीआई/ सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) यदि आस्ति दिनांक 01/04/2017 के बाद बेची गई है, तो प्रतिभूति रसीद (एसआर) का प्रावधान निम्न से अधिक है- ए) एसआर/ आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के अनुसार अपेक्षित प्रावधानिक दर और बी) अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधानिक दर, यह मानते हुए कि ऋण अनुमानतः बैंक की बही में जारी है ।
आई) वाणिज्यिक पत्र/सीओडी	लागत पर मूल्यांकित

उपरोक्त मूल्यांकन 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों में तिमाही आधार पर खंडवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास संकलित किए गए हैं। प्रत्येक वर्गीकरण के लिए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई है, उपलब्ध कराया गया है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को छोड़ दिया गया है । मूल्यह्रास हेतु प्रावधान होने पर, वैयक्तिक प्रतिभूति का बहीमूल्य बाजार भाव पर प्रदर्शित करने के पश्चात अपरिवर्तित रहती है। परिवर्तन के माध्यम से, प्राप्त लिखत पर मूल्यह्रास, चाहे मानक या एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो, एएफएस श्रेणी के अन्तर्गत धारित किसी प्रतिभूति की मूल्यवृद्धि पर तुलन नहीं किया जाता है।

4.4 देश में स्थित कार्यालयों के लिए आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियाम कों के अनुसार निवेशों को अर्जक एवं अनर्जक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। देश में स्थित कार्यालयों के निवेश निम्न परिस्थितियों में अनर्जक बन जाते हैं:

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता प्रतिलाभ सहित) 90 से अधिक दिनों तक बकाया हो और भुगतान न किए हों।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न होने के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन ₹ 1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाता है तो, ये इक्विटी शेयर एनपीआई माने जाएेंगे।

g) Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.
h) Security Receipts	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines. In case of assets sold after 01/04/2017 Provisioning of SR is higher of a. Provisioning rate required in terms of net asset value declared by the SR/RC and Provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.
i) Commercial Paper/COD	Valued at cost

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market. Depreciation on the instrument acquired by way of conversion, whether classified as standard or NPA, is not offset against the appreciation in any of other securities held under the AFS category.

4.4 Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in the case of domestic offices and respective regulators in the case of foreign offices. Investments of domestic offices become non-performing where:

- Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re 1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares will be reckoned as NPI.

- यदि किसी संस्था द्वारा ली गई ऋण सुविधा मूल बैंक बहियों में एनपीए के तौर पर चिह्नित है तो उसी संस्था द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति के लिए निवेश एवं इसके विपरीत को भी एनपीआई समझा जाएगा। निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किए गए अधिमानी शेयरों पर यथोचित परिवर्तन सहित उपर्युक्त शर्तें लागू होंगी।
- अग्रिम प्रकृति वाले डिबेंचर/बांड में निवेश, इस हेतु लागू मानदंडों के साथ एनपीआई की शर्तों के अधीन भी है।
- अनर्जक प्रतिभूतियों के संदर्भ में आय का निर्धारण नहीं होता है तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन प्रतिभूतियों पर अवमूल्यन हेतु प्रावधान किए जाते हैं। अनर्जक निवेशों के लिए किया गया प्रावधान अन्य अर्जक आस्तियों के संदर्भ में अधिमूल्यन के लिए समंजित नहीं होता है।

4.5 प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के निर्गम पर प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (अनर्जक वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में प्रतिभूति रसीद (एसआर) में किए गए निवेश का निर्धारण-i) निवल बही मूल्य (एनबीवी) अर्थात् वित्तीय आस्तियों के बही मूल्य में से धारित प्रावधान घटाना तथा ii) प्रतिभूति रसीद (एसआर) के निर्मोचन मूल्य से कम होता है। किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, संबंधित योजना के अंतर्गत एससी/एआरसी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीद लिखत में निर्दिष्ट वित्तीय आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति तक सीमित होने की स्थिति में ऐसे निवेशों के मूल्यांकन हेतु एससी/एआरसी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य को गणना में लिया जाता है।

4.6 निवेशों का निपटान:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि का निर्धारण लाभ एवं हानि खाते में संबंधित निवेशों के भारित औसत लागत/बहीमूल्य के आधार पर की जाती है और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्गीकरण में निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ के समान राशि का विनियोजन पूँजी आरक्षित निधि खाते में होता है।

बी) एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाता में निर्धारित किया गया है।

4.7 विदेशी शाखा में अस्थिर/स्थिर दर नोट तथा ऋण संबद्ध नोट के निवेश की 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार भाव पर प्रदर्शित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य अंकित मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ व हानि खाता में संबंधित प्रभार निर्धारित किए गए हैं।

- If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Parent Bank, investments in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. The above would apply mutatis-mutandis to Preference Shares where the fixed dividend is not paid.
- The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments
- In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation for such securities as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

4.5 In case of sale of NPA (financial asset) to securitisation Company (SC)/Asset. Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognised at lower of (i) Net Book Value (NBV) (i.e.)., book value less provisions held) of the financial asset: and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.

4.6 Disposal of Investments:

a) Profit/ loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

b) Profit/ loss on sale of Investment in AFS/ HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

4.7 Floating / Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available for Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

4.8 रेपो/प्रतिवर्ती रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियाँ संपार्श्विक उधार देने और लेने के संव्यवहारों के रूप में लेखांकित हैं। तथापि, प्रतिभूतियाँ सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद संव्यवहारों के मामलों के अनुरूप अंतरित की जाती है और प्रतिभूतियों के ऐसे चलन को रेपो/प्रतिवर्ती रेपो खातों और प्रतिप्रविष्टियों का उपयोग करते हुए परिलक्षित किए जाते हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता के दिनांक पर प्रतिवर्तित की जाती हैं। लागतों और राजस्वों का लेखांकन, जो भी स्थिति है, उसके अनुसार ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते के शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिवर्ती रेपो खाते के शेष का वर्गीकरण बैंकों में नकदी शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय मुद्रा के रूप में किया गया है।

4.9 विदेशी शाखा का निवेश:

ए) विदेशी शाखा में अस्थिर/स्थिर दर नोट के निवेश को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन अंकित मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

बी) खरीद के समय कोई प्रीमियम होने पर लिखत की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किए जाएंगे जबकि खरीद पर किसी भी प्रकार की छूट को छोड़ दिया जाता है।

सी) ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार भाव पर प्रदर्शित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य अंकित मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ व हानि लेखा में संबंधित प्रभार को निर्धारित किया जाता है।

5. व्युत्पन्न

5.1 मूल बैंक व्युत्पन्न संविदा जैसे विदेशी विनिमय वायदा संविदा, ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप और पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप, और वायदा दर करार में तुलनपत्र पर/तुलनपत्र से बाहर आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए या व्यापार उद्देश्य के लिए शुरुआत करता है। तुलनपत्र पर आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए हस्ताक्षरित संविदाएं इस प्रकार से संरचित होती हैं कि उनका तुलनपत्र में निहित मदों पर विपरीत व प्रतितुलन प्रभाव पड़ता है।

5.2 सभी वायदा संविदा को उद्योग में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार बाजार भाव पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

5.3 मूल बैंक मुद्रा फ्युचर्स के रूप में मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के सहयोग से व्युत्पन्न विनिमय व्यापार का काम कर रहा है। मुद्रा फ्युचर्स दैनिक आधार पर बाजार भाव पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

5.4 व्युत्पन्न लेनदेन हेतु ऋण एक्सपोजर का परिकलन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जिसकी निगरानी चालू ऋण एक्सपोजर पद्धति पर की जाती है।

4.8 The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

4.9 Foreign Branch's Investment:

a) Floating and Fixed Rate Note investments at Foreign Branch are classified as Available for Sale category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower.

b) Premium at time of purchase if any shall be amortised over the residual period of the instrument while any discount on purchase is ignored.

c) These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit & Loss A/c.

5. DERIVATIVES

5.1 The Parent Bank enters into derivative contracts, such as Foreign Exchange Forward Contracts, Interest Rate Swaps, Currency Swaps, and Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The Swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items.

5.2 All Forward Contracts are marked to market as per the generally accepted accounting practices prevalent in the industry.

5.3 Parent Bank is undertaking the Exchange Trade Derivatives in form of Currency Futures with recognized Stock Exchanges. Currency Futures are marked to market on daily basis.

5.4 The credit exposures for derivative transactions are calculated in accordance with the guidelines issued by RBI monitored on Current Credit Exposure method.

5.5 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देन को व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाता है।

6. अग्रिम

6.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक आवश्यक हो, उसके अनुसार किया जाता है।

6.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

6.3 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/बैंक/एफआई/एनबीएफसी को, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर अर्थात् बही मूल्य से धारित प्रावधान घटाकर, बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में, कमी को लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाला जाता है तथा एनबीवी मूल्य से अधिक मूल्य की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान उस साल के लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दिया जाता है जिस साल वह प्राप्त हुआ है।

7. परिसर, अन्य अचल आस्तियां एवं अवमूल्यन

7.1 परिसर एवं अन्य अचल संपत्तियों को परंपरागत लागत पर और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य से संचित ह्रास राशि को घटाकर निर्धारित किया जाता है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर तीन वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

7.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है।

7.3 आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के मामले में अचल आस्तियों से संबंधित मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यांकित रकम के संदर्भ में की जाती है तथा यह लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित होते हैं। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकित रकम के संदर्भ में की जाती है तथा लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित होते हैं। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप होनेवाले अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से निर्बंध आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

7.4 मूल्यह्रास की दर प्रयोज्य काल और अवशिष्ट मूल्य, यदि कोई हो, पर आधारित है और मूल्यह्रास की विधि में सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) को अपनाया गया है।

5.5 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

6. ADVANCES

6.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

6.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

6.3 In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC) / Banks / FIs / NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e. Book Value less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is reversed to Profit and Loss Account in the year in which the amounts are received.

7. PREMISES, OTHER FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

7.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every three years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

7.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated.

7.3 Depreciation in respect of fixed assets is calculated on with reference to cost or revalued amount, in case of assets revalued and the same is charged to Profit and Loss account. In the case of Revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation reserve to Free Reserve in the Balance Sheet.

7.4 The rate of Depreciation is based on the useful life and residual value, if any and the method of depreciation adopted is Straight Line Method (SLM).

परिवर्धन सहित अन्य अचल आस्तियों पर सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित दरों से मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है:

(ए) परिसर	दर (एसएलएम)
i) बैंक स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्ववाले/पट्टे पर लिए गए) – भवन का प्रयोज्य काल 60 वर्ष है	1.58%
ii) पट्टे पर लिए गए परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	10% पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

(बी) अन्य आस्तियां				
क्रम सं.	आस्ति का स्वरूप	प्रयोज्य काल (वर्ष)	अवशिष्ट मूल्य	मूल्यह्रास दर (एसएलएम)
1.	फर्नीचर व फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण – कंप्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर	10 वर्ष	5%	9.50%
2.	यूपीएस	6 वर्ष	5%	15.83%
3.	अन्य उपकरण	7 वर्ष	5%	13.57%
4.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	5 वर्ष	0	20.00%
5.	कंप्यूटर एवं एटीएम	XX	XX	XX
5. (i)	सर्वर हार्डवेयर, नेटवर्क उपकरण तथा स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)	5 वर्ष	0	20.00%
5. (ii)	उपर्युक्त 5 (i) को छोड़कर अन्य कंप्यूटर	3 वर्ष	0	33.33%
6.	मोटर कार, मोटर साइकिल आदि सहित वाहन	5 वर्ष	0	20.00%

7.5 अचल आस्तियों में जोड़ी गई आस्तियों पर मूल्यह्रास इसमें जोड़ने की तिथि से आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

8. कर्मचारियों के लाभ

8.1 कर्मचारियों के अल्पावधि लाभ :

ए. सेवा प्रदान किए जाने के 12 महीनों के भीतर पूर्ण रूप से देय कर्मचारी लाभ को कर्मचारियों के अल्पावधि लाभ के रूप में वर्गीकृत

Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of Straight Line Method at the following rates:

(A) PREMISES	Rates (SLM)
i) Parent Bank owned (freehold / leasehold) – Useful life of Building is 60 Years	1.58%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease – where lease period is not specified – where lease period is specified	10% Amortised over the residual period of lease

(B) OTHER ASSETS				
Sl. No.	Type of Asset	Useful Life (Yrs)	Residual Value	Dep. Rate (SLM)
1.	Furniture & Fittings, Electrical Equipments – Other than Computers and ATMs	10 Yrs	5%	9.50%
2.	UPS	6 Yrs	5%	15.83%
3.	Other Equipments	7 Yrs	5%	13.57%
4.	Electronic Equipments	5 Yrs	0	20.00%
5.	Computers and ATMs	XX	XX	XX
5. (i)	Server Hardware, Network Equipments and Automated Teller Machines (ATMs)	5 Yrs	0	20.00%
5. (ii)	Computers other than mentioned at 5 (i) above	3 Yrs	0	33.33%
6.	Vehicles including Motor Car, Motor Cycle etc.	5 Yrs	0	20.00%

7.5 Depreciation on any additions to fixed assets is provided on a pro rata basis from the date of such addition.

8. EMPLOYEE BENEFITS

8.1 Short Term Employee Benefits:

a. Employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service is classified as short term employee benefits and are recognized

किया जाता है तथा इन्हें कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई संबंधित सेवा अवधि में निर्धारित किया जाता है।

8.2 कर्मचारियों के दीर्घावधि लाभ :

i. भविष्य निधि के रूप में कर्मचारी लाभ एक निर्धारित अंशदान योजना है और भविष्य निधि हेतु, विकल्प चुननेवाले कर्मचारियों के संबंध में जिस वर्ष में अंशदान देय हैं उस वर्ष में अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है।

ii. ए. जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना के लिए विकल्प चुना है उनके संबंध में पेंशन लाभ एक निर्धारित लाभ की बाध्यता है और उसे 31 मार्च, 2010 तक मूल बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

बी. नई पेंशन योजना जो 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए लागू है। यह एक पूर्व निर्धारित दर युक्त निर्धारित अंशदान योजना है और बैंक की बाध्यता ऐसे अंशदान के लिए सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

iii. उपदान निधि देयता एक निर्धारित लाभ योजना है और उसे वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए वास्तविक मूल्यांकन पर दिया जाता है। उपदान देयता को बैंक के उपदान निधि न्यास में संचित किया जाता है।

iv. छुट्टी के नकदीकरण जैसी संचित और क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है।

9. राजस्व/ व्यय का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यत: उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/ कमीशन, गैर-बैंकिंग आस्तियों से आय, लॉकर किराया, अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी, अनर्जक आस्तियों से आय, एसडीआर / एस 4E खातों एवं दावा दायर खातों पर विधिक व्यय, जिनका हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है।

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्ति का अधिकार स्थापित किया जाता है।

सी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

डी) आयातित सोने के सिक्कों की परेषण-बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

ई) प्रतिरक्षा के लिए हस्ताक्षरित व्युत्पन्न लेन-देन पर ब्याज आय तथा व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है।

in the period in which the employee renders the related service.

8.2 Long term Employee Benefits:

i. Employee Benefits in the form of Provident Fund is a Defined Contribution Scheme and the contributions are charged to Profit & Loss Account in the year in which the contributions are due in respect of employees who have opted for Provident Fund.

ii. a. In respect of employees who have opted for Pension Scheme, Pension Benefit is a Defined Benefit Obligation and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year for the employees who have joined the Parent Bank up to 31st March, 2010. The Pension liability is funded by the Parent Bank to the Pension Fund Trust of the Parent Bank.

b. New Pension Scheme which is applicable to employees who joined the Parent Bank on or after 1st April, 2010 is a Defined Contribution Scheme at pre-determined rate and the obligation of the Parent Bank is limited to such contribution. The Contribution is charged to Profit & Loss Account.

iii. Gratuity liability is a Defined Benefit Plan and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year. The gratuity liability is funded to the Gratuity Fund Trust of the Parent Bank.

iv. Accumulated Compensated absences such as Leave Encashment are provided for based on actuarial valuation.

9. RECOGNITION OF REVENUE/EXPENSES

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees / commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills / tax refunds, income from non-performing assets, SDR/S4A accounts and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item as per RBI guidelines.

d) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

e) The Interest Income and Expenditure on Derivatives Transactions entered for hedging is accounted on accrual basis.

एफ) परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे भुगतान का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी एएस-19 (पट्टे) के नियमानुसार पट्टे की अवधि पर लाभ एवं हानि लेखा में परिलक्षित होते हैं।

10. आय पर कर

10.1. चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

10.2. कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

11. देशीय जोखिम प्रबंधन

मूल बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार देशीय जोखिम प्रबंधन नीति अपनायी है। निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) नगण्य जोखिम, कम जोखिम, मध्यम कम जोखिम, मध्यम जोखिम, मध्यम उच्च जोखिम, उच्च जोखिम, अति उच्च जोखिम/ प्रतिबंधित तथा ऋणेतर नाम से सात देशीय जोखिम श्रेणी का वर्गीकरण प्रकाशित करता है। देशीय निवेश जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है। प्रत्येक देश से संबंधित मूल बैंक का देशी निवेश (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक न होने पर ऐसे देशीय निवेश पर किसी प्रकार के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। देशीय जोखिम प्रावधानों (यदि आवश्यक हो, तो) को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ''अन्य देयताएँ और प्रावधान'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

12. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

मूल बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से बढ़ते हुए ऋण जोखिम को रोकने के लिए एक नीति अपनायी है तथा उसे अनुमोदित किया है।

13. आस्तियों की हानि

आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन-पत्र के दिनांक पर आस्तियों की वहन राशि का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि का निर्धारण उसी समय हो जाता है जब किसी आस्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

14. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात किया गया है:

- आय कर और धन कर के लिए प्रावधान
- अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन

f) Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS-19 (Leases) issued by ICAI.

10. TAXES ON INCOME

10.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

10.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

11. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Parent Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines. Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) publishes the Seven Country Risk Category classification, namely, Insignificant, Low, Moderate, High, Very High, Restricted and Off-credit. Provision for country risk exposure is made as per extant RBI Guidelines. If the country exposure (net) of the Parent Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is required on such country exposures. The Country Risk Provision (if required) is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under "Other Liabilities and Provisions".

12. UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The Parent Bank has framed and approved a policy for administration of credit risk rising out of Unhedged foreign currency exposures in accordance with extant RBI guidelines.

13. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

14. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

- Provision for Income Tax and Wealth Tax
- Provision / Write off of Non-Performing Advances and Investments

- मानक आस्तियों पर प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
- आकस्मिक व्ययों का अंतरण
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। प्रति ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया ह्रासमानित संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करते हुए की जाती है।

16. प्रावधान, आकस्मिकदेयताएँ और आकस्मिकआस्तियाँ

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ) के अनुसार मूल बैंक प्रावधान तभी निर्धारित करता है जब इसकी किसी गत घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान में कोई बाध्यता हो, यह संभव है कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े और तब बाध्यता राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब ही किया जाता है जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न हो। आकस्मिक आस्तियाँ वित्तीय विवरण में निर्धारित नहीं की जाती क्योंकि इससे कभी प्राप्त न की जा सकनेवाली लाभ का निर्धारण हो सकता है।

- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation / depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.

15. EARNINGS PER SHARE

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

16. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Parent Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची 18: 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

1. समूह की समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) में सिंडिकेटबैंक (मूल) और निम्नलिखित अनुषंगी एवं सहयोगी संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं।

ए) अनुषंगी:
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहयोगी संस्थाएं:
प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं में निवेश के ब्यौरे:

अनुषंगी	स्वामित्व
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड	100%
सहायक संस्थाएं :	
प्रथमा बैंक	35%
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	35%
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	35%

2. **अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं का वित्तीय विवरण**

(ए) अनुषंगी एवं सहयोगियों की गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण की रिपोर्टिंग तिथि को मूल बैंक की रिपोर्टिंग तिथि के समान यानि 31 मार्च, 2019 कर दिया गया है।

(बी) मूल बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए अनुषंगी और सहयोगी संस्थाएँ 'अपलिखित मूल्य पद्धति' के तहत मूल्यह्रास को उपलब्ध कराया है।

(सी) कर्मचारी के लाभ के संबंध में मूल बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली बीमांकित मूल्यह्रास के बदले सहयोगी संस्थाएं भारतीय जीवन बीमा निगम को किए गए अंशदान को लाभ/हानि लेखा में प्रभारित करता है।

(डी) एनपीए खाते में वसूली के विनियोजन के संबंध में मूल बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली वसूली में लागत, मूलधन और ब्याज की तुलना में सहयोगी संस्थाएं सर्व प्रथम लागत, ब्याज और मूलधन की वसूली को समायोजित करती है।

चालू वर्ष के लिए व्यावहारिकता/भौतिकत्व को विचार करते हुए समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी में उपर्युक्त नीतियों की भिन्नता के लिए उचित समायोजन नहीं किया गया है।

(ई) पूर्व वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सहायक संस्थाओं के राजस्व आरक्षित निधि के समेकन में परिवर्तन लेखापरीक्षित एवं बिना लेखापरीक्षित लाभ होने पर उसकी तुलनात्मक अंतर के कारण हुए परिवर्तन शामिल है।

3. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अनुषंगी के लेखे, कंपनी अधिनियम 2013 से संबंधित उपबंध के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के टिप्पणियों पर निर्भर है।

4. **पूँजी**

ए. बासेल III के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

ब्यौरे	31-03-2019	31-03-2018
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**9.31**	7.56
ii) टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**11.36**	9.41
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**2.87**	2.83
iv) कुल पूँजी अनुपात (सी.आर.ए.आर.) (%)	**14.23**	12.24
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता	**84.66**	73.07
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	**3,963.00**	3,989.80
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी, जिसमें;		
- पी.एन.सी.पी.एस.	**0.00**	0.00
- पी.डी.आई.	**0.00**	0.00
- अतिरिक्त टियर-1 बाण्ड	**0.00**	450.00
viii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें;		
- ऋण पूँजी लिखत	**0.00**	500.00
- अधिमानी शेयर पूँजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	**0.00**	0.00

नोट: दि. 31-03-2019 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 14.81 प्रतिशत हैं जबकि दि. 31.03.2016 की स्थिति में यह 12.67 प्रतिशत था।

SCHEDULE – 18 Notes on Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2019

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the group comprises the results of Syndicate Bank (parent) and the following Subsidiary and Associates.

a) **Subsidiary:**
Syndbank Services Limited

b) **Associates:**
Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank

Particulars of investments in Subsidiary and Associates

Subsidiary	Ownership
Syndbank Services Limited	100%
Associates :	
Prathama Bank	35%
Karnataka Vikas Grameena Bank	35%
Andhra Pragathi Grameena Bank	35%

2. **Financial Statements of the Subsidiary /Associates**

a. The unaudited financial statements of Subsidiary and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of parent. i.e. March 31, 2019.

b. The Subsidiary & Associates have provided depreciation under Written-Down Value method as against Straight Line Method being followed by the Parent Bank for the financial year.

c. In respect of employee benefits, Associates are charging contributions made to LIC of India to Profit & Loss Account as against actuarial valuation followed by the Parent Bank.

d. In respect of appropriation of recoveries in NPA accounts, Associates adjust the recovery first towards cost, Interest and principal as against cost, principal and interest being followed by the Parent Bank.

Appropriate adjustments for the above differences in the policies have not been made in preparation of consolidated financial statements for the current year considering practicality/ materiality.

e. Change in Revenue reserve on consolidation of Associates includes changes due to variation in audited vis-à-vis unaudited profits if any, in respect of the previous financial year.

3. The accounts of the subsidiary for the year ended March 31, 2019 are subject to the comments of the Comptroller and Auditor General of India under relevant provisions of the Companies Act, 2013.

4. **CAPITAL**

a. Capital Adequacy Ratio as per Basel III (₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	**9.31**	7.56
ii) Tier 1 Capital Ratio (%)	**11.36**	9.41
iii) Tier 2 Capital Ratio (%)	**2.87**	2.83
iv) Total Capital Ratio (CRAR) (%)	**14.23**	12.24
v) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	**84.66**	73.07
vi) Amount of equity capital raised (including Share Premium)	**3,963.00**	3,989.80
vii) Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which		
– PNCPS	**0.00**	0.00
– PDI	**0.00**	0.00
– Additional Tier I Bonds	**0.00**	450.00
viii) Amount of Tier 2 Capital raised; of which		
– Debt Capital Instrument	**0.00**	500.00
– Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)/Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0.00**	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Parent Bank as on 31-03-2019 as per Basel - II norms is 14.81% and as on 31-03-2016 it was 12.67%.

बी. वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने अधिमान्यता के आधार पर आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयर भारत सरकार को अधिमान्यता के आधार पर निम्नानुसार जारी किया है और इसके परिणामस्वरूप दि. 31.03.2019 तक बैंक में भारत सरकार का शेयरधारण 84.66% तक बढ़ गया।

- दि. 19.12.2018 को ₹728 करोड़ मूल्य के 18,36,99,217 ईक्विटी शेयर, अधिमान्यता के आधार पर ₹10 के अंकित मूल्य पर, ₹29.63 की प्रीमियम राशि के साथ जारी किया गया।
- दि. 27.02.2019 को ₹1,632 करोड़ मूल्य के 43,23,17.880 ईक्विटी शेयर, अधिमान्यता के आधार पर ₹10 के अंकित मूल्य पर, ₹27.75 की प्रीमियम राशि के साथ जारी किया गया।
- दि. 29.03.2019 को ₹1,603 करोड़ मूल्य के 45,46,22.802 ईक्विटी शेयर, अधिमान्यता के आधार पर ₹10 के अंकित मूल्य पर, ₹25.26 की प्रीमियम राशि के साथ जारी किया गया।

सी. वर्ष के दौरान बैंक ने 9.40% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ ₹339 करोड़ मूल्य के बासेल III अननुपालक आईपीडीआई बॉण्ड निष्पादित किया है।

डी. वर्ष के दौरान मूल बैंक ने 8.60% कूपन दर युक्त (प्रति वर्ष) ₹300 करोड़ मूल्य की न्यूनतर टाइर- II बॉण्ड श्रेणी के लिए परिपक्व राशि का भुगतान किया है।

ई. ईएसपीएस के माध्यम से वसूली गई ₹500 करोड़ की पूँजी को 'आबंटन हेतु शेष शेयर आवेदन राशि' माना जाए और पूँजी पर्याप्तता गणना में इन्हें शामिल न किया जाए।

5. निवेश

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी.बीसी. 102/21.04.048/2017-18 , दिनांक अप्रैल 2, 2018 के जरिए बैंक को 31 दिसंबर, 2017 एवं 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान उपगत बाज़ारी हानी को एफएस एवं एचएफटी निवेश में परिवर्तित कर उस हानि को जिस तिमाही के दौरान हानि हुई है उस तिमाही से चार तिमाहियों में समान रूप से समायोजित करने का विकल्प प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.113/21.04.048/2017-18, दिनांक 15 जून 2018 के माध्यम से एएफएस एवं एचएफटी निवेशों में बैंक को हुई बाज़ारी हानी को भी 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही में समायोजित करने का विकल्प प्रदान किया है।

मूल बैंक ने उपरोक्त दोनों विकल्पों का प्रयोग किया है और तदनुसार एएफएस एवं एचएफटी श्रेणी में सरकारी प्रतिभूतियों पर बैंक को हुई एमटीएम हानि को चार तिमाहियों में अर्थात् दिसंबर 2017, मार्च 2018 एवं जून 2018 को समाप्त तिमाहियों में समायोजित किया है और 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही की लाभ एवं हानि लेखा में ₹248.09 करोड़ को एमटीएम हानी के रूप में प्रभारित किया है और 30 सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही की विवरणी में ₹585.79 करोड़ मूल्य के समग्र शेष राशि को परिशोधित मूल्यह्रास के अंतर्गत दर्शाया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(1) **निवेश का मूल्य**		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	**74,980.77**	79,204.16
(बी) भारत के बाहर	**2,454.45**	2,373.40
(ii) मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	**1,346.43**	1,187.99*
(बी) भारत के बाहर	**15.64**	35.36
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	**73,634.34**	78,016.17
(बी) भारत के बाहर	**2,438.81**	2,338.04
(2) **निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन**		
(i) **अथशेष**	**1,223.35**	614.79
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**376.65**	628.13
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री के कारण अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**237.93**	19.57
(iv) **इतिशेष**	**1,362.07**	1,223.35

(विदेशी निवेशों को ग्रेट ब्रिटन पाउंड (जीबीपी) या तत्तुल्य में परिवर्तित किया जाएगा और उसके बाद उसे जीबीपी हेतु फेडाई द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा।)

* मूल्यह्रास के संबंध में उपरोक्त प्रावधान आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी.बीसी. 102/21.04.048/2017-18, दिनांक अप्रैल 2, 2018 में कथित निर्देशों के अनुसार एमटीएम हानि को सरकारी प्रतिभूतियों पर चार तिमाहियों में समायोजित करने के बाद किया गया है।

b. During the year, the Parent Bank has allotted on preferential basis equity shares to Government of India ("GOI") on preferential basis as detailed below and consequently the Government of India shareholding is at 84.66% as on 31.03.2019.

- 18,36,99,217 Equity Shares were allotted on 19.12.2018 under preferential basis at face value of ₹10 each at a premium of ₹29.63 aggregating ₹728 Crore.
- 43,23,17,880 Equity Shares were allotted on 27.02.2019 under preferential basis at face value of ₹10 each at a premium ₹27.75 aggregating ₹1,632 Crore.
- 45,46,22,802 Equity Shares were allotted on 29.03.2019 under preferential basis at face value of ₹10 each at a premium of ₹25.26 aggregating ₹1,603 Crore.

c. During the year, the Parent bank has exercised Call option for Basel III Non-compliant IPDI Bonds of ₹339 Crores carrying coupon rate of 9.40% p.a.

d. During the year, the Parent bank has paid maturity of Lower Tier II Bond Series X of ₹300 Crores carrying coupon rate of 8.60% p.a.

e. The capital of ₹.500 crore raised though ESPS treated as Share application money pending allotment is not considered for capital adequacy purposes.

5. INVESTMENTS

RBI vide circular no.DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 grants an option to spread mark to market loss on AFS and HFT investments for quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018, equally over four quarters commencing with the quarter in which loss is incurred. Further, RBI vide circular no DBR.No.BP.BC.113/21.04.048/2017-18 dated June 15, 2018 granted an option to spread mark to market loss on AFS and HFT investments for quarters ending June 30, 2018 as well.

The Parent Bank has availed both the options and accordingly has spread MTM loss on Government Securities in AFS and HFT category for the period Dec.17 March 18 and June 18 over four quarters and charged MTM loss to Profit & Loss account amounting to ₹.248.09 Crore for the period ended June 30, 2018 and balance entire unamortized depreciation amounting to ₹.585.79 Crore in the quarter ended September 30, 2018.

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(1) **Value of Investments**		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	**74,980.77**	79,204.16
(b) Outside India	**2,454.45**	2,373.40
(ii) Provisions for Depreciation and NPA		
(a) In India	**1,346.43**	1,187.99*
(b) Outside India	**15.64**	35.36
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	**73,634.34**	78,016.17
(b) Outside India	**2438.81**	2,338.04
(2) **Movement of provisions held towards depreciation on Investments**		
(i) Opening balance	**1,223.35**	614.79
(ii) Add: Provisions made during the year	**376.65**	628.13
(iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year on account of sale of investments	**237.93**	19.57
(iv) **Closing balance**	**1,362.07**	1,223.35

(Outside India Investments are converted to GBP equivalent and then converted to INR at FEDAI rates of GBP Currency.)

*The provision for Depreciation stated above is after Spread of the MTM losses on Government Securities over four quarters as permitted by RBI vide circular no.DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018.

5.1 रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2019 को इतिशेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) चलनिधि समायोजन रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	97.83 (102.83)	658.61 (665.51)	131.72 (77.74)	590.00 (621.83)
ii) सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ)	919.16 (0.00)	919.16 (0.00)	2.52 (0.00)	0.00 (0.00)
iii) मियादी रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	975.04 (303.17)	5,670.32 (9,242.30)	4,395.32 (911.16)	5,470.00 (9,242.30)
iv) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	1107.00 (0.00)	1181.00 (0.00)	594.00 (0.00)	1107.00 (0.00)
v) सीआरओएमएस उधार	103.31 (69.00)	4,924.85 (4,419.17)	954.03 (560.27)	1,499.99 (115.00)
vi) टीआरईपीएस उधार	500.00 (0.00)	4,400.00 (0.00)	1361.44 (0.00)	1,498.97 (0.00)
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i) चलनिधि समायोजन रिवर्स रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	92.73 (89.07)	6,301.48 (9,088.64)	518.71 (678.48)	0.00 (5,524.58)
ii) मियादी रिवर्स रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	2.77 (289.14)	2,142.70 (18,717.67)	150.71 (5,430.46)	0.00 (0.00)
iii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
iv) सीआरओएमएस उधार	10.00 (9.44)	1287.99 (3,679.99)	34.80 (742.94)	0.00 (0.00)
v) टीआरईपीएस उधार	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है, सीआरओएमएस एवं टीआरईपीएस उधार नहीं ।

5.2 गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

(i) दि. 31-03-2019 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	"निम्न निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की मात्रा	"अनिर्धारित" प्रतिभूतियों की मात्रा	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सा.क्षे.उ.	865.65 (1,432.33)	181.16 (1,258.01)	560.35 (0.00)	560.35 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1,586.73 (1,783.88)	858.85 (752.96)	75.25 (0.25)	0.25 (0.25)	0.25 (0.25)
(iii)	बैंक	2,257.23 (2,223.29)	105.23 (184.52)	836.96 (187.57)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी निगम	2,526.67 (2,831.15)	2,260.80 (2,137.81)	313.67 (346.72)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	सहयोगी संस्थाएँ/ संयुक्त उद्यम	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

5.1 Repo Transactions (in face value terms) (₹ in Crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2019
Securities sold under Repo				
i) Government Securities for LAF Repo	97.83 (102.83)	658.61 (665.51)	131.72 (77.74)	590.00 (621.83)
ii) MSF	919.16 (0.00)	919.16 (0.00)	2.52 (0.00)	0.00 (0.00)
iii) Government Securities for Term Repo	975.04 (303.17)	5,670.32 (9,242.30)	4,395.32 (911.16)	5,470.00 (9,242.30)
iv) Corporate Debt Securities	1107.00 (0.00)	1181.00 (0.00)	594.00 (0.00)	1107.00 (0.00)
v) CROMS Borrowing	103.31 (69.00)	4924.85 (4419.17)	954.03 (560.27)	1,499.99 (115.00)
vi) TREPS Borrowing	500.00 (0.00)	4400.00 (0.00)	1361.44 (0.00)	1498.97 (0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
i) Government Securities for LAF Reverse Repo	92.73 (89.07)	6301.48 (9088.64)	518.71 (678.48)	0.00 (5,524.58)
ii) Government Securities for Term Reverse Repo	2.77 (289.14)	2,142.70 (18,717.67)	150.71 (5430.46)	0.00 (0.00)
iii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
iv) CROMS Lending	10.00 (9.44)	1287.99 (3,679.99)	34.80 (742.94)	0.00 (0.00)
v) TREPS Lending	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(Figures in brackets are previous year figure.)

The above figures are inclusive of margin excluding CROMS & TREPS Lending/Borrowing.

5.2 Non-SLR Investment Portfolio

(i) Issuer composition of Non SLR investments as on 31-03-2019.

(₹ in Crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	865.65 (1,432.33)	181.16 (1,258.01)	560.35 (0.00)	560.35 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	Financial Institutions (including NBFCs)	1,586.73 (1,783.88)	858.85 (752.96)	75.25 (0.25)	0.25 (0.25)	0.25 (0.25)
(iii)	Banks	2,257.23 (2,223.29)	105.23 (184.52)	836.96 (187.57)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	Private Corporate	2,526.67 (2,831.15)	2,260.80 (2,137.81)	313.67 (346.72)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	''निम्न निवेश श्रेणी'' प्रतिभूतियों की मात्रा	''अनिर्धारित'' प्रतिभूतियों की मात्रा	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की मात्रा
(vi)	अन्य*	7,170.86 (2,930.45)	7,141.37 (2,868.49)	0.00 (61.96)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	996.37 (1,064.82)	***	***	***	***
	कुल	13,437.30 (10,162.80)	10,573.93 (7,228.31)	1,786.23 (596.50)	560.62 (0.27)	0.27 (0.27)

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

*अन्य में भारत सरकार से प्राप्त ₹6,802.00 करोड़ के पुनः पूंजीकरण बांड शामिल हैं। ''भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह वैयक्तिक आधार पर जारी किए जाने वाले बांड होने के कारण इसे निजी स्थानन पर रखा गया है।''

नोट:

1. कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।
2. ईक्विटी, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, उद्यम पूँजी, दरांकित आस्ति द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ और प्रतिभूति रसीद इन श्रेणियों के अंतर्गत पृथक नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें दरांकित/सूचीकृत दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त है। पुनःसंरचना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियाँ दरांकन के पात्र नहीं हैं।

(ii) अनर्जक गैर-एस.एल.आर. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019			31-03-2018		
	देशी	लंदन *	कुल	देशी	लंदन *	कुल
अथशेष	1,383.47	0.00	1,383.47	570.58	0.00	570.58
वर्ष के दौरान परिवर्धन 1 अप्रैल से	31.05	0.00	31.05	951.37	0.00	951.37
उपरोक्त अवधि के दौरान कमी (यूपीपीसीएल)	594.94	0.00	594.94	138.48	0.00	138.48
इतिशेष	819.58	0.00	819.58	1,383.47	0.00	1,383.47
धारित कुल प्रावधान	758.45	0.00	758.45	889.19	0.00	889.19

नोट : *निवेश के रुपए मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण मुद्रा दरों/आई.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव है।

(iii) एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।

(iv) एसजीएल उछाल

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एस.जी.एल. का कोई उछाल नहीं था।

5.3 एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹25,87,60,421.90 (पिछली वर्ष ₹94,64,79,349.50) को लाभ एवं हानि लेखा में लिया गया और तदनंतर पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित किया गया है।

5.4 एच.टी.एम. वर्ग की प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹296,72,69,784.00 (पिछले वर्ष ₹272,09,55,070) को लाभ एवं हानि खाते में नामे डाल दिया गया है और उसे भा.रि.बैं.के मास्टर परिपत्र के अनुसार अर्जित ब्याज: मद सं. II – निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची-13 में प्रतिबिंबित किया गया है।

6. व्युत्पन्न

6ए. वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली

वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2014-15 के दौरान बैंक ने यूएसडी 1400.00 मिलियन के स्थिर ब्याज दर एमटीएन फंड को 3 हिस्सों में संचयी करके 5½ वर्ष के लिए बढ़ाया है।

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
(vi)	Others*	7,170.86 (2,930.45)	7,141.37 (2,868.49)	0.00 (61.96)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	Provision held towards depreciation	996.37 (1,064.82)	***	***	***	***
	TOTAL	13,437.30 (10,162.80)	10,573.93 (7,228.31)	1,786.23 (596.50)	560.62 (0.27)	0.27 (0.27)

(Figures in brackets are previous year figure.)

*Others include Recapitalisation bonds (NON-SLR HTM Category) received from Govt. of India amounting to ₹6,802.00 Crore. "As per Government Notification it appears it is on one to one basis hence included in private placement."

Note:

1. Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.
2. Investment in Equities, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets backed Securities, Central Government Securities, and Security Receipts are not segregated under these categories as they are exempt from ratings / listing guidelines. Securities issued under restructuring are not subjected to ratings.

(ii) Non performing Non-SLR Investments

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019			31-03-2018		
	Domestic	London*	Total	Domestic	London*	Total
Opening balance	1,383.47	0.00	1,383.47	570.58	0.00	570.58
Additions during the year since 1st April	31.05	0.00	31.05	951.37	0.00	951.37
Reduction during the above period (UPPCL)	594.94	0.00	594.94	138.48	0.00	138.48
Closing balance	819.58	0.00	819.58	1,383.47	0.00	1,383.47
Total provisions held	758.45	0.00	758.45	889.19	0.00	889.19

Note: *Appreciation / Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates / INR rates.

(iii) Sale and transfers to / from HTM category

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

(iv) SGL Bouncing

There was no instance of SGL bouncing during the financial year 2018-19.

5.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹ 25,87,60,421.90 (Previous Year ₹94,64,79,349.50) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account.

5.4 The amortization charges of ₹296,72,69,784.00 (Previous Year ₹272,09,55,070) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

6. DERIVATIVES

6A. Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps

During the financial years 2011-12, 2012-13 and 2014-15, the parent Bank had raised Fixed Interest rate MTN funds in 3 tranches cumulating to USD 1400.00 Mio for 5½ Years.

मूल बैंक ने 1265 मिलियन डॉलर (यूएसडी) के लिए मध्यम अवधि नोटों पर लागू स्थाई ब्याज दर को लिबॉर से जुड़ी अस्थाई दर में परिवर्तित करने के लिए 'ब्याज दर स्वैप सुविधा' अपनाया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31-03-2019	31-03-2018
i)	अदला-बदली करार का नामित मूल-धन	**2,766.20**	5,865.75
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, होने वाली हानि	**13.83**	0.04
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**-15.89**	-30.57

नोट: किये गए सभी ब्याज दर अदला-बदली प्रतिपक्षी बैंकों के परिप्रेक्ष्य में है ताकि तुलनपत्र के अंतर की प्रतिरक्षा की जा सके।

- **मुद्रा अदला-बदली**

  ''मुद्रा-बदली'' सुविधा व्यापारियों को दी जाती है और यह अंतर-बैंक प्रतिक्षाकार के साथ परस्पर आधार पर संरक्षित की जाती है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31-03-2019	31-03-2018
i)	अदला-बदली करार का नामित मूल-धन	-	654.25
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	-	14.21
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	-	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	-	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	-	1.72

(1) हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वर्तमान ऋण निवेश (संभाव्य भावी निवेश) और प्रतिस्थापन जोखिम (सकारात्मक एमटीएम) भी शामिल हैं ।

(2) अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदला-बदली पर एमटीएम प्राप्य और देय को घटाकर है।

(3) वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) को बैंक द्वारा अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है । मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैक-टु-बैक आधार पर कवर किया गया है ।

(4) इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन प्रतिपक्षकारों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करते हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

(5) व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2018-19 में प्रस्तुत हैं ।

6बी. विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न

मुद्रा वायदा:

मूल बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है, बीएसई, एनएसई एवं एमसीएक्स। दि. 31-03-2019 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया संविदा नहीं है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न 'शून्य' है। मूल बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है

क्रम	विवरण	(₹ करोड़ में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की नामित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की नामित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य, जो ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार-दर-बाजार मूल्य, जो ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	

The parent Bank had entered into Interest Rate Swaps for USD 1265 Mio for converting the Fixed Interest Rates on Medium Term notes with the floating rates linked to Libor.

(₹ in Crores)

Sl. No.	Items	31-03-2019	31-03-2018
i)	The notional principal of swap agreements	**2,766.20**	5,865.75
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**13.83**	0.04
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**-15.89**	-30.57

Note: All Interest Rate Swaps undertaken are against counterparty Banks to hedge Balance Sheet gaps.

- **Currency Swaps**

  Currency Swaps was offered to Merchant and covered on Back-to-Back basis with Interbank Counterparty.

(₹ in Crores)

Sl. No.	Items	31-03-2019	31-03-2018
i)	The notional principal of the swap agreements	-	654.25
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	-	14.21
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	-	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	-	0.00
v)	The fair value of the swap book	-	1.72

(1) Losses have been defined as Total Credit Exposure which is inclusive of Current Credit Exposure (Potential Future Exposure) and Replacement Risk (Positive MTM).

(2) Fair Value of Swaps book is the Net of MTM receivable and Payable on the above Swaps.

(3) Forward Rate Agreement (FRA's) and Interest Rate Swaps (IRS's) were undertaken by the parent Bank to hedge its own books and for managing assets and Liabilities mismatches. Currency Swap has been undertaken with customer for hedging their exposures and covered back-to back with identical terms.

(4) These Derivatives transactions are entered with counterparties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters/limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn up in accordance with the RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 – Significant Accounting Policies 2018-19.

6.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The parent Bank is undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges namely BSE, NSE & MCX. There is no Outstanding Contracts under Currency future as at 31-03-2019.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The parent Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in Crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	**NIL**
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2016 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
iv)	Marked-to-Market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	

6. सी व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

- ✓ व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- ✓ बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर प्रतिपक्षकारों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।
- ✓ पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01 - सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- ✓ वर्ष के दौरान बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया है।
- ✓ मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को परस्पर मुद्रा अदला-बदली में शामिल किया गया। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- ✓ परस्पर मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसे जोखिम स्थिति के बगैर संरक्षित किया जाता है।
- ✓ केवल गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- ✓ मूल बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है ।
- ✓ मूल बैंक में प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली है ।
- ✓ व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।
- ✓ ऋण जोखिम की निगरानी काउंटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सीसीआईएल/सीएलएस के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है ।
- ✓ प्रतिपक्षकारों, बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- ✓ मूल बैंक के पास सम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत न ही कोई निवेश है और न ही उसके पास न्यून-ब्याज दर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- ✓ मूल बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है ।
- ✓ ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है ।
- ✓ भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपक्षकार बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- ✓ मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से निगरानी एवं आकलन करता है।
- ✓ संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- ✓ प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- ✓ लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में अलग से वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया है।
- ✓ बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और मूल बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचय के आधार पर होता है।
- ✓ प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो गई है। फिर भी, अवधि के दौरान कोई प्रतिरक्षा लेन-देन असुरक्षित नहीं हुआ है।
- ✓ विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को मासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।
- ✓ मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- ✓ **99.51%** व्युत्पन्न (कल्पित राशि के आधार पर) उस अल्प अवधि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनकी शेष परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम है ।

6.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) Qualitative Disclosure

- ✓ The parent Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- ✓ The Parent Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. The Parent Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counterparties. The Parent Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on two Exchanges.
- ✓ Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- ✓ During the year Parent Bank undertook FRA for hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- ✓ Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- ✓ Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- ✓ Currency swaps are undertaken for non-bank counterparty with ratings SYND 01 to 04 only.
- ✓ The Parent Bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- ✓ The Parent Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counterparties.
- ✓ Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Exposure Method (CEM).
- ✓ Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL/CLS.
- ✓ The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- ✓ The Parent Bank is neither having any exposure in complex derivatives nor it has any direct exposure to the sub-prime assets.
- ✓ The Parent Bank has neither crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- ✓ The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ✓ ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- ✓ Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- ✓ The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- ✓ Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- ✓ The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- ✓ The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Parent bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- ✓ Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to market losses. However during the period no Hedge Transaction turned naked.
- ✓ Transactions for market making purposes are marked-to-market at monthly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- ✓ Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- ✓ **99.51%** of Derivatives (based on notional amount) fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

बी) दि. 31.03.2019 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31-03-2019		31-03-2018	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	**व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)**				
	ए) प्रतिरक्षा के लिए	–	**2,766.20**	654.25	5,865.75
	बी) व्यापार के लिए	–	–	–	–
2	**बाज़ार-दर-बाज़ार स्थिति**				
	ए) आस्तियाँ (+)	–	–	7.67	0.04
	बी) देयताएँ (-)	–	**15.89**	5.95	30.60
3	ऋण एक्सपोज़र	–	**13.89**	14.21	42.40
4	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवीओ 01)**				
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	–	**-13.85**	-0.04	-38.24
	बी) व्यापार व्युत्पन्न पर	–	**0.00**	0.00	0.00
5	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवीओ 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम**				
	ए) प्रतिरक्षा पर				
	न्यूनतम	–	–	–	–
	अधिकतम	–	–	–	–
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं
	अधिकतम	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं

6डी. ऋण चूक अदला-बदली

वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बैंक ने ऋण चूक अदला-बदली में व्यापार नहीं किया है।

6ई. आरबीआई के साथ एफसीएनआर बी जमा की अदला-बदली

वर्ष 2013 में आरबीआई द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नई एफसीएनआर बी जमा के लिए स्वीकृत मुद्रा में 3 या उससे अधिक वर्षों की अवधि के लिए, एक 'यूएस डॉलर रियायती अदला-बदली खिडकी' उपलब्ध कराया गया है। दि.31.03.2019 की स्थिति के अनुसार यह शून्य है।

6एफ. आईपीडीआई/ एटी-1 बाँड का पुनर्भुगतान

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, मूल बैंक ने ₹378, 25,26,414/- (रुपये तीन सौ अठहत्तर करोड़ पच्चीस लाख छब्बीस हज़ार चार सौ चौदह मात्र) राशि पर ब्याज का भुगतान किया है और मार्च 2019 तिमाही के दौरान आईपीडीआईआईएटी-1 बाँड पर ब्याज का भुगतान सांविधिक आरक्षित निधि खाते से आहरित करते हुए की गई है, जो ₹129,74,10,000/- है इस खर्च को लाभ व हानि खाते से लिया गया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016-17 दिनांक 2 फरवरी 2017 के अनुपालन में है।

7. आस्ति गुणवत्ता

ए) i) अनर्जक आस्ति (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	**6.16%**	6.28%
(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. अथशेष	**25,758.60**	17,609.31
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**11,592.01**	14,309.28
सी. वर्ष के दौरान कटौती	**12,670.24**	6,159.99
डी. इतिशेष	**24,680.37**	25,758.60
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. अथशेष	**13,239.46**	10,410.98
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन	**5,794.18**	6,433.23
सी. वर्ष के दौरान कटौती	**6,405.91**	3,604.75
डी. इतिशेष	**12,627.73**	13,239.46
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
ए. अथशेष	**12,341.30**	7,049.74
बी. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**5,797.83**	7,876.05
सी. अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**6,632.09**	2,584.49
डी. इतिशेष	**11,813.04**	12,341.30
ई. प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	**66.43%**	60.71%

b) Quantitative Disclosures as on 31-03-2019.

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	31-03-2019		31-03-2018	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Deriva-tives
1	**Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	a) For Hedging	–	**2766.20**	654.25	5,865.75
	b) For Trading	–	–	–	–
2	**Marked To Market Positions**				
	a) Asset (+)	–	–	7.67	0.04
	b) Liability (-)	–	**15.89**	5.95	30.60
3	**Credit Exposure**	–	**13.89**	14.21	42.40
4	**Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)**				
	a) On Hedging Derivatives	–	**-13.85**	-0.04	-38.24
	b) On Trading Derivatives	–	**0.00**	0.00	0.00
5	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year**				
	a) On Hedging				
	Minimum	–	–	–	–
	Maximum	–	–	–	–
	b) On Trading				
	Minimum	**NA**	**NA**	NA	NA
	Maximum	**NA**	**NA**	NA	NA

6D. Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Parent Bank has not traded in Credit Default Swaps.

6E. FCNR B Deposit Swap with RBI

In 2013, RBI introduced a US Dollar concessional Swap window for Fresh FCNR B Deposit for the period of 3 years in any permissible currency for the minimum tenor of 3 years or more. As on 31.03.2019 it is NIL.

6F. IPDI/AT-1 Bonds Repayment

During the Financial year 2018-19, the Parent Bank has made payment of interest an amountof ₹378,25,26,414/- (Rupees Three Seventy Eight Crore Twenty Five Lacs Twenty Six Thousand Four Hundred and Fourteen Only) and during the quarter March 2019 interest payment amount is ₹.129,74,10,000/- on IPDIIAT-1 Bonds by drawing from Statutory Reserve while routing the expenses through profit and loss account in compliance with RBI vide circular no, DBR.BP.BC.NO.50/21.06.201/2016-17 dated 2nd February 2017.

7. ASSET QUALITY

a) *i) Non-Performing Assets* (₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(i) Net NPA to Net Advances (%)	6.16%	6.28%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**25,758.60**	17,609.31
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	**11,592.01**	14,309.28
c. Reductions during the year	**12,670.24**	6,159.99
d. Closing balance	**24,680.37**	25,758.60
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**13,239.46**	10,410.98
b. Additions during the year	**5,794.18**	6,433.23
c. Reductions during the year	**6,405.91**	3,604.75
d. Closing balance	**12,627.73**	13,239.46
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	**12,341.30**	7,049.74
b. Provisions made during the year	**5,797.83**	7,876.05
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	**6,632.09**	2,584.49
d. Closing balance	**11,813.04**	12,341.30
e. Provision Coverage Ratio (%)	**66.43%**	60.71%

ए. ii) आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान – (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 32/21.डी4.डी 18/2018-19 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार, प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है चूँकि दोनों शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।)

a) ii) Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs – In terms of RBI Circular No DBR.BP.BC.NO.32/21.D4.D18/2018-19 dated 01.04.2019, No disclosure is required since both the conditions are not breached.

बी/b) वर्ष 2018 – 19 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/Details of Accounts Restructured during the Year 2018-19 (₹ करोड़ में/₹ in Crores)

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण/ DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2019																						
क्र.सं S.No.	पुनर्संरचना का प्रकार / TYPE OF RESTRUCTURING		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत /UNDER CDR MECHANISM					एस एम ई के अंतर्गत /UNDER SME					अन्य /OTHERS					कुल /TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण/ ASSET CLASSIFICATION		मानक/ STD	अव–मानक SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/ LOSS	कुल/ TOTAL	मानक/ STD	अव–मानक SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/ LOSS	कुल/ TOTAL	मानक/ STD	अव–मानक/ SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/ LOSS	कुल/ TOTAL	मानक/ STD	अव–मानक/ SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/ LOSS	कुल/ TOTAL
1	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)/ Restructured accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या/ NO. OF BORROWER	1	0	13	0	**14**	51	76	831	7	**965**	40761	29609	49765	111	**120246**	40813	29685	50609	118	**121225**
		बकाया राशि AMT O/S	17.68	0.00	997.73	0.00	**1015.41**	7.07	11.88	93.27	2.54	**114.76**	1895.95	1027.45	1792.37	4.02	**4719.79**	1920.70	1039.33	2883.37	6.56	**5849.96**
		प्रावधान PROVISION	0.46	0.00	5.58	0.00	**6.04**	0.26	0.00	0.30	0.00	**0.56**	142.35	46.09	46.86	0.00	**235.30**	143.07	46.09	52.74	0.00	**241.90**
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER	0	0	0	0	**0**	3459	73	2	0	**3534**	4778	64	19	0	**4861**	8237	137	21	0	**8395**
		बकाया राशि AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	157.84	11.82	0.08	0.00	**169.74**	238.88	2.42	0.55	0.00	**241.85**	396.72	14.24	0.63	0.00	**411.59**
		प्रावधान PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	15.25	0.45	0.00	0.00	**15.70**	34.49	0.12	0.00	0.00	**34.61**	49.74	0.57	0.00	0.00	**50.31**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत /Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER	2	0	0	0	**2**	616	0	0	0	**616**	2346	0		0	**2346**	2964	0	0	0	**2964**
		बकाया राशि AMT O/S	58.28	0.00	0.00	0.00	**58.28**	40.86	0.00	0.00	0.00	**40.86**	636.71	0.00		0.00	**636.71**	735.85	0.00	0.00	0.00	**735.85**
		प्रावधान PROVISION	0.04	0.00	0.00	0.00	**0.04**	0.89	0.00	0.00	0.00	**0.89**	2.86	0.00		0.00	**2.86**	3.79	0.00	0.00	0.00	**3.79**
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as retructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER					**0**					**0**	4				**4**	4	0	0	0	**4**
		बकाया राशि AMT O/S					**0.00**					**0.00**	228.23				**228.23**	228.23	0.00	0.00	0.00	**228.23**
		प्रावधान PROVISION					**0.00**					**0.00**	11.28				**11.28**	11.28	0.00	0.00	0.00	**11.28**
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER	0	0	-1	1	**0**	-4	27	4	0	**27**	-5649	8061	8965	3	**11380**	-5653	8088	8968	4	**11407**
		बकाया राशि AMT O/S	0.00	0.00	-56.85	56.85	**0.00**	-3.40	4.70	1.76	0.00	**3.06**	-193.00	190.61	285.53	0.06	**283.20**	-196.40	195.31	230.44	56.91	**286.26**
		प्रावधान PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.12	0.00	0.00	**0.12**	-9.34	9.48	13.33	0.00	**13**	-9.34	9.60	13.33	0.00	**13.59**
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन/ Written off restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER	1	0	7	0	**8**	563	74	550	7	**1194**	35877	29557	-11117	-239	**54078**	36441	29631	-10560	-232	**55280**
		बकाया राशि AMT O/S	17.69	0.00	333.76	0.00	**351.45**	2.31	19.49	48.02	2.54	**72.36**	1943.96	1016.99	-19.19	-396.39	**2545**	1963.96	1036.48	362.59	-393.85	**2969.18**
		प्रावधान PROVISION	0.46	0.00	5.58	0.00	**6.04**	1.06	0.38	-0.05	0.00	**1.39**	116.94	45.57	-15.53	0.00	**147**	118.46	45.95	-10.00	0.00	**154.41**
7	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)* Restructured accounts as on 31.03.2019 (Closing figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या/NO. OF BORROWER	2	0	5	1	**8**	3559	102	287	0	**3948**	6355	8177	69866	353	**84751**	9916	8279	70158	353	**88706**
		बकाया राशि AMT O/S	58.27	0.00	607.12	56.85	**722.24**	200.06	8.91	47.09	0.00	**256.06**	406.35	203.49	2097.64	400.47	**3107.95**	664.68	212.40	2751.85	457.32	**4086.25**
		प्रावधान PROVISION	0.04	0.00	0.00	0.00	**0.04**	15.34	0.19	0.35	0.00	**15.88**	42.14	10.12	75.72	0.00	**127.98**	57.52	10.31	76.07	0.00	**143.90**

* उन मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर जिनके लिए उच्च प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) नहीं होता है। फिर भी, दिनांक 31-03-2016 की स्थिति के अनुसार इन खातों को शामिल करते हुए प्रावधान दर्शाए गए हैं।/*Excluding the figures of standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). However, the provisions as on 31-03-2016 have been shown including these accounts.

नोट/Note:

1. इतिशेष = प्रारंभिक शेष + नया – अपवर्जित – बट्टे खाते डाले गये, बंद किए गए आदि अर्थात् 7 =1+2+3-4+5-6./ Closing Balance = Opening Balance + Fresh – Excluded – Write Off, Closed, etc , i.e. 7 = 1 + 2 – 4 – 6.
2. मौजूदा खातों में ही गिरावट व स्तरोन्नयन हुए हैं, अतः इन्हें समायोजन हेतु नहीं लिया गया है ।/ Upgradations and Slippages happen within the existing accounts. Hence they are not taken account for tallying purpose

सी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(i) खातों की संख्या	शून्य	2
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)		38.49
(iii) कुल प्रतिफल		143.50
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल		0.00
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि		105.01
(vi) अनर्जक आस्ति की बिक्री पर लाभ-हानि खाते को प्रतिवर्तित की गई अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा		1.19

डी) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस सी)/पुन:निर्माण कंपनी (आर सी) के प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(i)	मौलिक रूप में बैंक द्वारा भेजी गयी अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	**953.84**	1,124.50
(ii)	मौलिक रूप में अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्ति द्वारा समर्थित	–	0.00
	कुल	**953.84**	1,124.50

प्रतिभूति रसीदों में निवेश संबंधी अतिरिक्त प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्ष के दौरान जारी एसआर	5 वर्ष से अधिक किंतु पिछले 8 वर्ष के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से अधिक पहले जारी एसआर
(i)	मौलिक रूप में बैंक द्वारा भेजी गयी अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	936.11	0.00	17.73
	उपरोक्त (i) के सापेक्ष धारित प्रावधान	105.64	0.00	17.73
(ii)	मौलिक रूप में अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्ति द्वारा समर्थित	0.00	0.00	0.00
	उपरोक्त (ii) के सापेक्ष धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
कुल (i) + (ii)		**936.11**	**0.00**	**17.73**

ई) दि.31.03.2019 के अनुसार नीतिगत ऋण पुन:संरचना योजना संबंधी प्रकटीकरण (वे खाते जो फिलहाल निष्क्रिय अवधि के अधीन है।)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर लागू किया गया है	रिपोर्टिंग तिथि यथा 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार बकाया राशि		रिपोर्टिंग तिथि यथा 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन शेष है।		रिपोर्टिंग तिथि यथा 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन हो गया है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
–	–	–	शून्य	–	–	–

नोट: दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु तैयार संशोधित ढ़ाँचें के संबंध में दि. 12.02.2018 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एसडीआर योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। अत: पूर्व इस योजना के अंतर्गत दर्शाए गए सभी खातों को, जो वर्तमान में क्रियान्वयन में है, 'असफल मामले' माना गया है और इन्हें एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

एफ) दि. 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों की दीर्घकालिक संरचना योजना (एस4ए) संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए का अनुप्रयोग किया गया है।	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान (नोट 2 देखें)
		भाग ए	भाग बी	
मानक के रूप में वर्गीकृत				
2	234.33	102.42	131.91 (नोट 1 का संदर्भ लें)	78.81
एनपीए के रूप में वर्गीकृत				
1	43.04	19.74	23.30	18.15

c) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(i) No. of accounts	**Nil**	2
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company/Reconstruction Company		38.49
(iii) Aggregate consideration		143.50
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years		0.00
(v) Aggregate gain / loss over net book value.		105.01
(vi) The quantum of excess provision reversed to the Profit & Loss A/c on account of sale of NPAs		1.19

d) Book value of Investments in Security Receipts of Securitisation Company (SCs)/Reconstruction Company (RCs).

(₹ in Crores)

	Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(i)	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	**953.84**	1,124.50
(ii)	Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying	–	0.00
	TOTAL	**953.84**	**1,124.50**

Additional Disclosures pertains to the Investment in Security Receipts:

(₹ in Crores)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 year ago
(i)	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	936.11	0.00	17.73
	Provisions held against (i)	105.64	0.00	17.73
(ii)	Backed by NPAs sold by other Banks/ Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provisions held against (ii)	0.00	0.00	0.00
TOTAL (i) + (ii)		**936.11**	**0.00**	**17.73**

e) Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in Crores)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2019		Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2019 with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date i.e 31.03.2019 with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classi-fied as standard	Classi-fied as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
–	–	–	NIL	–	–	–

Note: As per RBI Circular dated 12.02.2018 in respect of Revised Framework on Resolution of Stressed Asset, the SDR scheme has been discontinued with immediate effect. Therefore all accounts under this scheme which are under implementation have been treated as failed cases and classified as NPA.

f) Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31-03-2019

(₹ in Crores)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held (Refer Note 2)
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard				
2	234.33	102.42	131.91 **(Refer Note 1)**	78.81
Classified as NPA				
1	43.04	19.74	23.30	18.15

नोट 1. कुल बकाया राशि आईएनआर 131.91 करोड़ में से, आईएनआर 38.71 करोड़ एनपीए से संबद्ध है। इस खाते के लिए भाग ए मानक है।

नोट 2. धारित प्रावधान में निवेश के संबंध में (अर्थात् भाग बी) मौजूदा प्रावधान भी शामिल है।

जी) मौजूदा ऋणों की सुविधानुसार संरचना संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए उधार कर्ताओं की संख्या	सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए ऋणों की राशि		सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए ऋणों की एक्सपोजर आधारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	सुविधानुसार संरचना का अनुप्रयोग करने से पहले	सुविधानुसार संरचना का अनुप्रयोग करने के बाद
वित्तीय वर्ष 2017-18	01	0.00	146.25	14.00 वर्ष	14.00 वर्ष
वित्तीय वर्ष 2018-19	–	–	–	–	–

एच) एसडीआर योजना से पृथक स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन है।)

खातों की संख्या, जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को लागू किया है	31.03.2019 के अनुसार बकाया राशि		31.03.2019 के अनुसार बकाया राशि, जहाँ ऋण को ईक्विटी के रूप में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों की गिरवी लागू करना शेष है।		31.03.2019 के अनुसार बकाया राशि, जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों की गिरवी को लागू किया गया है।		31.03.2019 के अनुसार बकाया राशि जहाँ स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना प्रवर्तक ईक्विटी की बिक्री के जरिए नए शेयर जारी किए गए है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-	शून्य	-	-	-	-

नोट: दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु तैयार संशोधित ढ़ाँचे के संबंध में दि. 12.02.2018 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एसडीआर योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। अत: पूर्व इस योजना के अंतर्गत दर्शाए गए सभी खातों को, जो वर्तमान में क्रियान्वयन में है, 'असफल मामले' माना गया और इन्हें एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

आई) क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन है)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को लागू किया है।	31.03.2019 तक बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुन:संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

जे) खरीदे/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
(बी) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
(बी) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
1. बेचे गए खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
2. कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	**शून्य**	शून्य

के) मानक आस्तियों पर प्रावधान (₹ करोड़ में)

विवरण	दि. 31-03-2019 को	दि. 31-03-2018 को
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**837.84**	1,140.41

Note 1: Out of INR 131.91 Crore, INR 38.71 Crore belong to NPA. Part A is standard for this account.

Note 2: Provision held includes provision in respect of Investments (i.e. Part B) also.

g) Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ in Crores)

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible Structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
FY 2017-18	01	0.00	146.25	14.00 Year	14.00 Year
FY 2018-19	–	–	–	–	–

h) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31.03.2019		Amount outstanding as on 31.03.2019 with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on 31.03.2019 with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on 31.03.2019 with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
-	-	-	-	NIL	-	-	-	-

Note: As per RBI circular dated 12.02.2018 in respect of Revised Framework on Resolution of Stressed Asset, the scheme under change in management outside SDR has been discontinued with the immediate effect. Therefore all the accounts under this scheme which are under implementation have been treated as failed cases and classified as NPA.

i) Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31.03.2019		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
NIL	NIL	NIL	NIL

j) Details of non-performing financial assets purchased/sold:

A. Details of Non-Performing Financial Assets Purchased0

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL

B. Details of Non-Performing Financial Assets Sold. (₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
1. No. of Accounts Sold	**NIL**	NIL
2. Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
3. Aggregate Consideration Received	**NIL**	NIL

k) Provisions on Standard Assets (₹ in Crores)

Particulars	As on 31-03-2019	As on 31-03-2018
Provisions towards Standard Assets	**837.84**	1,140.41

8. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	**7.28%**	7.06%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में गैर ब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	**0.74%**	0.91%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	**0.94%**	1.25%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	**(0.87%)**	(1.05%)
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) (₹ करोड़ में)	**14.27**	14.39
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	**(7.99)**	(9.92)

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षकों द्वारा माना गया है ।

8. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	**7.28%**	7.06%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	**0.74%**	0.91%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	**0.94%**	1.25%
(iv)	Return on Assets (%)	**(0.87%)**	(1.05%)
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee (₹ in Crores)	**14.27**	14.39
(vi)	Profit per Employee (₹ in Lakhs)	**(7.99)**	(9.92)

Note: Working funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the Auditors.

9. आस्ति देयता प्रबंधन/ASSET LIABILITY MANAGEMENT

ऋण एवं अग्रिम, निवेश, जमा और उधार के परिपक्वता स्वरूप (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न परिपक्वता समूह के तहत)/THE MATURITY PATTERN OF LOANS AND ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS (UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY RESERVE BANK OF INDIA.)

As on 31-03-2019/दि.31-03-2019 तक (₹ करोड़ में/₹ in crores)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन और 2 महीने तक 31 days & upto 2 months	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक >2 months & upto 3 months	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक >3 months & upto 6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक > 6 months & upto 1 yr	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 yr to 3 yr	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 yr to 5 yr	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक >5 yr to 7 yr	7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक >7 yr to 10 yr	10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक > 10 yr to 15 yr	15 वर्ष से अधिक Over 15 years	कुल /Total
	1840.28	12351.88	3776.65	11751.68	16033.96	18433.15	16019.54	34304.22	107125.33	16537.78	8830.99	5270.07	3122.73	4498.69	**259896.96**
जमाराशि/Deposits	12802.99	3932.24	3191.49	6070.40	9794.95	9520.81	14107.15	18421.68	66584.54	20778.95	9266.10	8649.06	2564.51	6731.78	**192416.67**
अग्रिम/Advances	0.00	166.11	0.00	885.88	66.44	1579.17	1800.79	1293.60	12871.87	15444.40	14321.69	14741.22	11324.73	1577.25	**76073.15**
निवेश/Investments	0.00	6288.95	2000.26	0.00	837.96	744.71	620.43	2780.83	6240.24	2497.91	3093.15	500.00	0.00	0.00	**25604.45**
उधार/Borrowings	7106.11	3341.68	1001.54	4845.57	5651.83	3784.59	8021.54	3063.09	3985.27	2745.01	204.83	0.00	0.00	0.00	**43751.06**
विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency Assets	238.68	7149.28	1377.69	7246.58	6193.40	3111.90	3386.16	4957.67	3034.74	1051.88	0.00	0.00	0.00	0.00	**37747.99**
विदेशी मुद्रा देयताएँ/ Foreign Currency Liabilities	1840.28	12351.88	3776.65	11751.68	16033.96	18433.15	16019.54	34304.22	107125.33	16537.78	8830.99	5270.07	3122.73	4498.69	**259896.96**

नोट: विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को संबंधित जमा, अग्रिम, निवेश और उधार में शामिल किया गया है।
Note: Foreign Currency Assets & Liabilities are included in respective deposits, advances, investments and borrowings

10. एक्सपोज़र

ए. स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31-03-2019	31-03-2018
ए) प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	**29550.30**	29,275.06
(i) आवासीय बंधक- उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार; (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाने के लिए योग्य आवास ऋणों को अलग सा दर्शाया जाए).	**21572.78**	18,951.52
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा उधार (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा द्वारा संरक्षित (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार।	**5834.84**	8,790.28
(iii) गैर सी.आर.ई. के अंतर्गत कोई अन्य प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	**2142.68**	1,533.26
(iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत एक्सपोज़र		
ए. आवासीय	**0.00**	0.00
बी. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	**0.00**	0.00
बी) परोक्ष एक्सपोज़र राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र	**9686.33**	1,769.73
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र	**39236.63**	31,044.79

10. EXPOSURES

A. *Exposure to Real Estate Sector* (₹ in Crores)

Category	31-03-2019	31-03-2018
a) Direct Exposure	**29550.30**	29,275.06
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately).	**21572.78**	18,951.52
(ii) Commercial Real Estate (Fund based & non fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.).	**5834.84**	8,790.28
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	**2142.68**	1,533.26
(iv) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure	**0.00**	0.00
a. Residential b. Commercial Real Estate	**0.00**	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**9686.33**	1,769.73
Total Exposure to Real Estate Sector	**39236.63**	31,044.79

बी. पूंजी बाजार में एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**217.42**	237.12
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस. सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.34**	0.32
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए अग्रिम जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**0.00**	0.00
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**39.09**	41.39
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में बैंक द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.00**	0.00
(x) जोखिम पूंजी के अंतर्गत कुल एक्सपोज़र (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**128.12**	143.86
पूंजी बाजार के अंतर्गत कुल एक्सपोज़र	**384.97**	422.69

सी) मूल बैंक ने निम्नांकित कंपनियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना (एसडीआर) एवं एस4ए को लागू कर ईक्विटी शेयर हासिल किया है। दिनांक 31-03-2019 तक बकाया ईक्विटी शेयर संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	एसडीआर के तहत प्राप्त ईक्विटी शेयरों की संख्या
1	आधुनिक पॉवर एण्ड नैचुरल रिसोर्सस लिमिटेड	14,99,440
2	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	15,75,701
3	जीएमआर राजमंड्री एनर्जी लिमिटेड	5,59,00,000
4	पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड	1,28,074
5	गम्मान इंडिया लिमिटेड	2,26,96,508
6	एलएनटी हलोल शामलाजी टॉलवे लिमिटेड	5,94,92,481
7	प्रतिभा इंडस्ट्रीज	49,02,369
8	डायमंड पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर	9,23,433
9	जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड	7,00,00,000
10	बीआरजी आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड	1,45,48,286
11	आईकॉम टेली कंपनी लिमिटेड	66,59,707
12	हिंदूस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी	96,93,580
13	बेलोना एस्टट डेवलपर्स लिमिटेड	1,15,646
14	जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड	11,25,319
15	एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड	5,55,797
16	गुजरात एनआरई कोक	97,55,213
17	एमएसपी स्टील्स लिमिटेड *	51,55,213

* मोनेट इस्पात लिमिटेड 243012 शेयर एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना के अंतर्गत कम कर दिए गए हैं।

B. *Exposure to Capital Market* (₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**217.42**	237.12
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.34**	0.32
(iii) Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.00**	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**0.00**	0.00
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**39.09**	41.39
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stock brokers for margin trading	**0.00**	0.00
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**128.12**	143.86
Total Exposure to Capital Market	**384.97**	422.69

C. The Parent Bank has invoked Strategic Debt Restructuring (SDR) and S4A as per RBI guidelines in the following companies and acquired equity shares pursuant to invocation of SDR. The details of outstanding equity shares as on 31-03-2019 are as follows:

Sl. No.	Name of the Company	No. of Equity Shares acquired under SDR
1	Adhunik Power and Natural Resources Ltd	14,99,440
2	Monnet Ispat & Energy Ltd (*)	15,75,701
3	GMR Rajahmundry Energy Ltd	5,59,00,000
4	Patel Engineering Ltd	1,28,074
5	Gammon India Ltd	2,26,96,508
6	LNT Halol Shamlaji Tollway Ltd	5,94,92,481
7	Prathiba Industries	49,02,369
8	Diamond Power Infrastructure	9,23,433
9	Jaiprakash Power Ventures Ltd	7,00,00,000
10	BRG Iron and Steel Co Ltd	1,45,48,286
11	ICOMM Tele Ltd	66,59,707
12	Hindustan Construction Co	96,93,580
13	Bellona Estate Developers Ltd	1,15,646
14	Jindal Stainless Ltd.	11,25,319
15	SPML Infra Ltd	5,55,797
16	Gujrat NRE Coke	97,55,213
17	MSP Steels Ltd *	51,55,213

*Monnet Ispat Ltd 243012 Shares has been reduced under resolution plan approved by NCLT.

डी. जोखिम श्रेणी वार देशी एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च, 2019 तक एक्सपोज़र (निवल)	31 मार्च, 2019 तक धारित प्रावधान	31 मार्च, 2018 तक एक्सपोज़र (निवल)	31 मार्च, 2018 को धारित प्रावधान
नगण्य	**10,623.05**	**3.15**	4,074.97	शून्य
कम	**1,445.18**	–	3,686.97	शून्य
मध्यम कम	**9.24**	–	1.87	शून्य
मध्यम	**8.67**	–	2.94	शून्य
मध्यम अधिक	**0.45**	–	1.77	शून्य
उच्च	–	–	0.00	शून्य
अति उच्च/ प्रतिबंधित	–	–	0.00	शून्य
ऋणेतर	–	–	0.00	शून्य
कुल	**12,086.59**	**3.15**	7,768.52	शून्य

नोट: मूल बैंक ने 31-03-2019 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि एक्सपोज़र का विश्लेषण किया है और ऐसे एक्सपोज़र बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित मूल बैंक के कुल आस्तियों के **1%** की लक्ष्य के अंतर्गत है ।

ई. मूल बैंक द्वारा पार किए गए एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण:
शून्य

एफ. बेजमानती अग्रिम

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ ली गयी है:

(₹ करोड़ में)

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों पर चार्ज प्राप्त किए गए हैं।	
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	

11. प्रावधान

ए) आय कर प्रावधान

अपने कर परामर्शदाताओं की सलाह कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एमएटी लागू नहीं है, के आधार पर तैयार अपनी संगत नीति के अनुसरण में, बैंक ने अपनी चालू वर्ष की कर देयता का परिकलन किया है।

बी) वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
आयकर (लंदन शाखा सहित) के लिए प्रावधान	**165.38**	256.57
(डीटीए)/डीटीएल	**(680.21)**	(1,422.21)
कुल	**(514.83)**	(1,165.64)

12. चलनिधि कवरेज अनुपात

12.ए) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)		चालू वर्ष (मार्च - 2019)		पिछले वर्ष (मार्च -2018)	
		कुल अभारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल भारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल अभारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल भारित मूल्य (दैनिक औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)					
1	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		**49,108.40**		48,272.27
नकद बहिर्गमन					
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा, जिसमें :				
(i)	स्थायी जमा	**50,221.18**	**2,511.41**	56,201.19	2,786.98
(ii)	कम स्थायी जमा	**1,21,818.78**	**12,183.23**	88,375.69	8,764.97

D. *Risk Category wise Country Exposure*

(₹ in Crores)

Risk Category	Exposure (net funded) as at 31st March 2019	Provision held as at 31st March, 2019	Exposure (net funded) as at 31st March, 2018	Provision held as at 31st March, 2018
Insignificant	**10,623.05**	**3.15**	4,074.97	Nil
Low	**1,445.18**	–	3,686.97	Nil
Moderately Low	**9.24**	–	1.87	Nil
Moderate	**8.67**	–	2.94	Nil
Moderately High	**0.45**	–	1.77	Nil
High	–	–	0.00	Nil
Very High / Restricted	–	–	0.00	Nil
Off-Credit	–	–	0.00	Nil
Total	**12,086.59**	**3.15**	7,768.52	Nil

Note: The Parent Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31-03-2019 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Parent Bank.

E. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Parent Bank: NIL

F. Unsecured Advances

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

(₹ in Crores)

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	
Estimated value of such intangible collaterals.	

11. PROVISIONS

a) Income Tax Provision

Following its consistent policy based on the advice of its tax consultants that MAT is not applicable to the Public Sector Banks, the Parent Bank has calculated its current year tax liability.

b) Amount of provisions made for Tax during the year

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Provision for Income Tax (including London Branch)	**165.38**	256.57
(DTA)/ DTL	**(680.21)**	(1,422.21)
Total	**(514.83)**	(1,165.64)

12. LIQUIDITY COVERAGE RATIO

12.A. Quantitative Disclosures

(₹ in Crores)

Liquidity Coverage Ratio (LCR)		Current Year (March - 2019)		Previous year (March -2018)	
		Total Unweighted value (Daily Average)	Total Weighted value (Daily Average)	Total Unweighted value (Daily Average)	Total Weighted value (Daily Average)
High Quality Liquid Assets (HQLA)					
1	High Quality Liquid Assets (HQLA)		**49,108.40**		48,272.27
Cash outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
(i)	Stable deposits	**50,221.18**	**2,511.41**	56,201.19	2,786.98
(ii)	Less Stable deposits	**1,21,818.78**	**12,183.23**	88,375.69	8,764.97

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)		चालू वर्ष (मार्च - 2019)		पिछले वर्ष (मार्च -2018)	
		कुल अभारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल भारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल अभारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल भारित मूल्य (दैनिक औसत)
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें :				
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	519.63	130.34	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	23,708.47	9480.22	21,280.77	8,276.99
(iii)	असुरक्षित ऋण	23,201.58	23,210.47	17,363.85	17,573.65
4	सुरक्षित थोक निधीयन		853.80		1,365.25
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें :				
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजर्स से संबंधित बहिर्गमन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	64.69	64.69	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर कोष की हानि संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधा	24,668.19	3083.02	17,002.75	5,465.50
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	783.01	783.01	419.70	423.61
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	21,434.82	643.04	22,563.71	671.23
8	**कुल नकद की बहिर्गमन**		52,943.24		45,328.19
नकद आगमन					
9	रक्षित उधार (उदाहरण रिवर्स रेपो)	1,998.01	1,612.20	2,964.39	2,936.12
10	पूर्णरूप से अर्जक एक्सपोजरों से प्राप्त आगमन	22,782.40	15,017.82	25,043.48	17,591.47
11	अन्य नकद आगमन	345.76	251.65	188.04	186.10
12	**कुल नकद आगमन**	25,126.18	16,881.68	28,195.91	20,713.69
			समायोजित कुल मूल्य		समायोजित कुल मूल्य
13	**कुल एचक्यूएलए**		49,108.40		48,272.27
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		36,061.56		24,614.50
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात** (%)		136.18%		196.11%

12. बी) गुणात्मक प्रकटीकरण:

1. एल सी आर में योगदान हेतु मुख्य संचालक एस एल आर की आवश्यकता में अधिक तरल निवेश, आर बी आई द्वारा उपलब्ध, मार्जिनल स्टैंडिंग फेसलिटी (सीमांत/अल्प स्थायी सुविधा) और एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा है। जमा मुख्य बहिर्गमन है। परिपक्वता पूर्व निकासी हेतु विकल्प प्रदान किए बिना मीयादी जमा प्रतिग्रहण की प्रथा के प्रोत्साहन से कालांतर में अनुपात में सुधार आएगा।
2. उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्ति (एच क्यू एल ए) में मुख्यत: नकद, अतिरिक्त सी आर आर, एस एल आर की आवश्यकता में अपरिमितता होने पर सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपलब्ध एम एस एफ सुविधा, एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा आदि शामिल होते हैं।
3. निधीयन स्रोत मुख्य रूप से खुदरा जमा, गैर वित्तीय कॉर्पोरेट द्वारा जमा, अन्य वैध संस्थाओं द्वारा निधीयन पर संकेंद्रित है।
4. स्थाई जमाराशि में डीआईसीजीसी योजना के तहत 1 लाख तक संरक्षित जमाराशि शामिल हैं। हालांकि, बैंक के साथ स्थाई संबंध युक्त जमाकर्ताओं की जमाराशि और संव्यवहार खाते में मौजूद जमाराशि स्थाई जमाराशि नहीं मानी जाएगी।
5. ब्याज दर परिदृश्य में परिवर्तन होने से एल सी आर भी बदल जाता है और ऋण में भी वृद्धि होती है।
6. बैंक के पास संतुलित व्युत्पन्नी एक्सपोजर है और एल सी आर को उसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान संपार्श्विक मांगे भी महत्वपूर्ण नहीं है।
7. भारतीय मुद्रा महत्वपूर्ण मुद्रा है तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्रा में, अमेरिकी डॉलर महत्वपूर्ण है, जिसके लिए एलसीआर वैश्विक आधार पर तैयार की जाती है।
8. निवेश समिति उच्च स्तरीय समिति है जिसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक तथा महत्वपूर्ण विभागों; जैसे ट्रेजरी (राजकोष), जोखिम प्रबंधन, ऋण एवं आयोजना आदि के महा प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। यह समिति प्राय: सप्ताह में दो बार एवं तत्काल आवश्यकता पडने पर बैठती है। निवेश समिति की महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बैंक की निवेश स्थिति एवं निधियों की समीक्षा है। इस बैठक के दौरान तरलता स्थिति एवं प्रक्षेपित नकद का आगमन और बहिर्गमन पर चर्चा की जाएगी।

Liquidity Coverage Ratio (LCR)		Current Year (March - 2019)		Previous year (March -2018)	
		Total Unweighted value (Daily Average)	Total Weighted value (Daily Average)	Total Unweighted value (Daily Average)	Total Weighted value (Daily Average)
3	Unsecured wholesale funding of which:				
(i)	Operational deposits (all counterparties)	519.63	130.34	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	23,708.47	9480.22	21,280.77	8,276.99
(iii)	Unsecured debt	23,201.58	23,210.47	17,363.85	17,573.65
4	Secured Wholesale Funding		853.80		1,365.25
5	Additional requirements, of which				
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	64.69	64.69	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	24,668.19	3083.02	17,002.75	5,465.50
6	Other contractual funding obligations	783.01	783.01	419.70	423.61
7	Other Contingent funding obligations	21,434.82	643.04	22,563.71	671.23
8	**Total Cash Outflows**		**52,943.24**		**45,328.19**
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	1,998.01	1,612.20	2,964.39	2,936.12
10	Inflows from fully performing exposures	22,782.40	15,017.82	25,043.48	17,591.47
11	Other Cash Inflows	345.76	251.65	188.04	186.10
12	**Total Cash Inflows**	**25,126.18**	**16,881.68**	**28,195.91**	**20,713.69**
			Total adjusted value		Total adjusted value
13	**Total HQLA**		**49,108.40**		**48,272.27**
14	**Total Net Cash Outflows**		**36,061.56**		**24,614.50**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**136.18%**		**196.11%**

12. B.Qualitative Disclosures:

1. The main drivers for the contribution to the LCR are Excess liquid investments over the SLR (Statutory Liquidity Ratio) requirement, the Marginal Standing Facility (MSF) available from RBI and the facility to avail liquidity for LCR. Major outflows are the deposits. Promotion of acceptance of Term Deposits without pre-mature option will improve the ratio over a period.
2. High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of Cash, Excess CRR, Government Securities in excess of SLR requirements, Available MSF facility, Facility to avail liquidity for LCR.
3. Mainly the funding sources are concentrated with the retail deposits, Small Business Deposits and Deposits from non-financial corporate and funding from other legal entities.
4. Stable deposits comprise of deposits covered under DICGC scheme upto 1 Lakh. However, deposits of the depositors having established relationship with the Bank and deposits in transactional accounts are not considered as stable deposits.
5. The LCR would undergo change due to change in the interest rate scenario, likely pick-up in the credit etc.
6. Bank has modest derivative exposures and its contribution to the LCR is not significant. Currently potential collateral calls are not significant.
7. Major currency is INR and in other significant currencies USD is significant, for which LCR is prepared on Global basis.
8. Investment committee is the top level committee comprising of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and the General Managers from significant departments like Treasury, Risk Management, Credit and Planning etc. This committee meets preferably twice in a week and as may be required depending upon the urgency. One of the major functions of the Investment committee is to review the Funds and Investment position of the Bank. The liquidity position and the projected cash inflow and the outflows will be discussed during this meeting.

9. एल्को एलसीआर की स्थिति की मासिक आधार पर समीक्षा करती है और अपेक्षित होने पर आवश्यक दिशानिर्देश जारी करती है।
10. बैंक के पास एलसीआर की गणना के उद्देश्य से अन्य कोई महत्वपूर्ण नकद आगमन एवं परित्यक्त मौजूद नहीं है।
11. भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15, दिनांक 31.03.2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एलसीआर वर्ष की चारों तिमाहियों की औसत दर्शाती है। आगे, जून-2018, सितंबर-2018, दिसंबर-2018 एवं मार्च- 2019 तिमाहियों की औसत संबंधित तिमाहियों की दैनिक औसत को दर्शाती है।

13. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखांकन मानक के अंतर्गत (यथा प्रयोज्य) प्रकटीकरण निम्नवत् है:

i) **उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस 5):**

हमारे पास ऐसे कोई आय/व्यय मद अवधि पूर्व सामग्री मौजूद नहीं है जिसके लिए एएस-5 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

ii) **राजस्व की पहचान (एएस 9):**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में अनुसूची - 17 के अंतर्गत प्रदत्त लेखांकन नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुछ मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उगाही के आधार पर पहचाना गया है।

iii) **विदेशी विनिमय दर में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):**

ए) वर्ष के लिए लाभ/हानि के तहत ₹22.37 करोड़ लाभ (पिछले वर्ष के लिए ₹10.39 करोड़ लाभ) लाभ/हानि भी शामिल है जो एएस-11 विदेशी मुद्रा आस्ति व देयता के लयांकन (प्रतिबिंब को छोड़) के कारण प्राप्त अंतर के तहत दर्ज लाभ/हानि है।

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि 2018-19 हेतु ₹ 29.01 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹11.95 करोड़ लाभ) के प्रतिरूप पुनर्मूल्यन लाभ शामिल है।

सी) वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि 2018-19 हेतु ₹ 2.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.62 करोड़ हानि) के वायदा पुनर्मूल्यन हानि शामिल है।

डी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखांकन मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

iv) **कर्मचारी लाभ (एएस 15):**

आई सी ए आई द्वारा जारी किया गया एएस 15 के अनुसार मूल बैंक ने कर्मचारी लाभों का लेखांकन किया है।

परिनिश्चित हित दायित्व के वर्तमान मूल्य की अथशेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

ए) तुलन पत्र का मुख्य बीमांकित अनुमान

विवरण	योजना का प्रकार		
	निधिक पेंशन	निधिक उपदान	गैर-निधिक छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	7.47%	7.47%	7.47%
प्रत्याशित वेतन वृद्धि की दर (वेतन संशोधन के एवज़ में 0.50% शामिल है)	5.75%	5.75%	5.75%
आस्तियों पर प्राप्ति	8.30%	8.30%	लागू नहीं

बी) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन-अथ और इतिशेष का मिलान (सारणी-1)

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) वर्ष के आरंभ में पी वी ओ	**7,758.07**	**1,142.36**	**617.17**
बी) जोड़ें: ब्याज लागत	544.72	76.41	41.04
सी) जोड़ें: चालू सेवा लागत	535.23	73.15	62.37
डी) जोड़ें: पूर्व सेवा लागत#	0.00	0.00	0.00
ई) घटाएं : प्रदत्त लाभ	931.89	238.92	135.54
एफ) जोड़ें: बीमांकित हानि/लाभ पर दायित्व (-)	288.38	40.26	24.87
जी) वर्ष के अंत में पी वी ओ	**8,194.51**	**1,093.27**	**609.92**

9. ALCO reviews the position of LCR on monthly basis and provides the necessary directions if any.
10. Bank does not have any other major cash inflows and outflows omitted for the purpose of LCR computation.
11. In line with the RBI guidelines vide Circular No. DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated 31.03.2015, LCR for the FY-2017-18, represents the average of four quarters during the year. Further the quarterly average of June-2018, Sept-2018, Dec-2018 and March -2019 represents the daily average of the respective quarters.

13. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):

There were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under AS-5.

ii) Revenue Recognition (AS 9):

As per Accounting Policy no. 8, given in Schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iii) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

a) The net profit/Loss for the year includes an amount of ₹ 22.37 Crore profit {₹ 10.39 Crores Profit for the previous year} being the profit/loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities (excluding Mirrors).

b) Net Profit/Loss for the year includes the Mirror Revaluation profit for 2018-19 of ₹ 29.01 Crore (₹ 11.95 Crores Profit for Previous year).

c) Net Profit/Loss for the year includes Forward Revaluation loss for 2018-19 of ₹2.67 Crore (₹ 1.62 Crore loss for Previous year).

d) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance-Sheet.

iv) Employee Benefits (AS 15):

The Parent Bank has accounted for employee benefits as per AS 15 issued by the ICAI.

The Parent Bank has accounted for employee benefits as per AS 15 issued by the ICAI.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

a. Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet

Particulars	TYPE OF PLAN		
	Funded Pension	Funded Gratuity	Unfunded Leave Encashment
Discount Rate	7.47%	7.47%	7.47%
Salary Escalation Rate (includes 0.50% for wage revision)	5.75%	5.75%	5.75%
Return on Assets	8.30%	8.30%	NA

b. Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances (Table-1)

(₹ In Crores)

Particulars	Type of Plan		
	Pension	GRATUITY	Leave Encashment
a) PVO as at the beginning of the year	**7,758.07**	**1,142.36**	**617.17**
b) Add: Interest Cost	544.72	76.41	41.04
c) Add: Current Service Cost	535.23	73.15	62.37
d) Add: Past Service Cost	0.00	0.00	0.00
e) Less: Benefits Paid	931.89	238.92	135.54
f) Add: Actuarial loss / gain(-) on obligation	288.38	40.26	24.87
g) PVO as at the end of the year	**8194.51**	**1093.27**	**609.92**

सी) नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथ शेष और इतिशेष का मिलान (सारणी-2)

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के आरंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**7,792.08**	**1,062.43**
बी) जोडें: नियोजित आस्तियों पर प्रत्याशित आय	646.74	88.18
सी) जोडें: अंशदान	690.61	195.48
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	931.89	238.92
ई) जोडें: बीमांकित लाभ/(-) हानि	-50.64	-2.05
एफ) वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**8146.91**	**1105.12**

डी) तुलन – पत्र में निर्धारित रकम

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत पर देयता का वर्तमान मूल्य	8194.51	1093.27
बी) वर्ष के अंत पर नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	8146.91	1105.12
सी) निवल	-47.60	11.85
डी) अनिर्धारित परेषण देयता	0.00	0.00
ई) तुलन – पत्र में निर्धारित आस्ति	-47.60	11.85

ई) लाभ एवं हानि खाते में पहचाना गया व्यय (₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	535.23	73.15	62.37
बी) पूर्व सेवा लागत#	0.00	0.00	0.00
सी) ब्याज लागत	544.72	76.41	41.04
डी) घटाएं: नियोजित अस्तियों पर प्रत्याशित आय	646.74	88.18	0
ई) निवल बीमांकित हानि/लाभ (-)	339.02	42.32	24.87
एफ) **लाभ एवं हानि लेखा खाते में पहचाना गया व्यय**	772.23	103.69#	128.29

एफ) तुलन – पत्र में पहचानी गई देयता का परिचालन

(₹ करोड़ में]

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	-34.01	79.93	0
लाभ एवं हानि खाते में पहचाने गए व्यय	772.23	103.68	128.29
अपरिशोधित व्यय	0.00	0.00	0.00
दिए गए/प्रयुक्त अंशदान	690.61	195.48	0
अंतिम निवल देयता	8194.51	-11.85	128.29

#: आरबीआई के पत्र सं. डीबीआर.बीपी. 9730/21.04.018/2017-18 दिनांक 27.04.2018 के अनुसार मूल बैंक सीमा में हुई ₹20 लाख तक की बढ़ोत्तरी के चलते उपदान देय में अतिरिक्त प्रावधान को परिशोधित कर सकता है। तदनुसार मूल बैंक ने आकलन कर यह निर्धारित किया है कि बैंक को ₹167.19 करोड़ तक की अपनी अतिरिक्त देयता को मार्च 2018 तिमाही से शुरू कर चार तिमाहियों में परिशोधित करना है। परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पहचाने गए व्यय उपर्युक्त के अतिरिक्त ₹125.40 करोड़ है और तदनुसार बैंक के पास कोई अपरिशोधित उपदान व्यय शेष नहीं है।

नवंबर 2017 से लंबित प्रस्तावित वेतन संशोधन के लिए मार्च 31, 2019 तक ₹374 करोड़ का अनौपचारिक प्रावधान रखा गया है एवं पेंशन कोष प्रावधान हेतु 31 मार्च, 2019 तक ₹260 करोड़ की अतिरिक्त तदर्थ राशि रखी गई है।

c. Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance (Table-2)

(₹ In Crores)

Particulars	Type of plan	
	Pension	Gratuity
a) Fair Value of plan assets at the beginning of the year	**7,792.08**	**1,062.43**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	646.74	88.18
c) Add: Contributions	690.61	195.48
d) Less: Benefits Paid	931.89	238.92
e) Add: Actuarial gain / (-)loss	-50.64	-2.05
f) Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**8146.91**	**1105.12**

d. Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ in Crores)

Particulars	Type of plan	
	Pension	Gratuity
a) Present Value of obligation at the end of the year	8194.51	1093.27
b) Fair Value of plan assets at the end of the year	8146.91	1105.12
c) Net	-47.60	11.85
d) Unrecognised transitional liability	0.00	0.00
e) Asset Recognised in the Balance Sheet	-47.60	11.85

e. Expense recognized in the Profit and Loss Account

(₹ In Crores)

Particulars	Type of plan		
	Pension	Gratuity	Leave Encashment
a) Current Service Cost	535.23	73.15	62.37
b) Past Service Cost	0.00	0.00	0.00
c) Interest Cost	544.72	76.41	41.04
d) Less: Expected Return on Plan Assets	646.74	88.18	0
e) Net Actuarial Loss / Gain(-)	339.02	42.32	24.87
f) Expenses Recognised in Profit and Loss Account	772.23	103.69#	128.29

f. Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet

(₹ In Crores)

Particulars	TYpe of Plan		
	Pension	Gratuity	LEAVE Encashment
Opening Net Liability	-34.01	79.93	0
Expenses recognised in Profit and Loss Account	772.23	103.68	128.29
Unamortized Expenditure	0.00	0.00	0.00
Contributions Paid / Utilised	690.61	195.48	0
Closing Net Liability	8194.51	-11.85	128.29

#: As per RBI letter no: DBR.BP.9730/21.04.018/2017-18 dated 27.04.2018, the Parent Bank is allowed to amortise additional provisions on Gratuity due to increase in limit to ₹ 20 Lakhs. Accordingly the Parent Bank has assessed additional liability to the extent of ₹167.19 Crore to be amortised over four quarters starting from quarter end March 2018. Consequently expenses recognised during the F.Y. 2018-19 in addition to the above is ₹125.40 Crore and accordingly there is no unamortised gratuity expense.

For Pending settlement of the proposed wage revision effective from November, 2017, an adhoc provision of ₹374 Crores is held as at March 31, 2019 and additional adhoc amount of ₹260 Crore to built up pension fund is held as at March 31, 2019.

v) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)Segment Reporting (AS 17):

भाग ए: कारोबार खण्ड/Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष/Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन/ Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण/Particulars	चा.व. CY	पि.व. PY	चा.व. CY	पि.व. PY	चा.व CY	पि.व. PY	चा.व. CY	पि.व. PY	चा.व. CY	पि.व. PY
राजस्व/Revenue	6,499	7,043	7,710	8,042	9,080	8,921	573	548	23,862	24,554
परिणाम/Result	994	968	(4,385)	(5,950)	1,053	1,322	(851)	(754)	(3,188)	(4,414)
अनाबंटित व्यय/Unallocated Expenses	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
अनाबंटित आय/Unallocated Income	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	150	137
आय कर/Income Tax	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(515)	(1,165)
असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
निवल लाभ/Net Profit	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(2,524)	(3,112)
अन्य सूचना/Other Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खण्डवार आस्तियाँ/Segment Assets	76,073	85,954	1,26,337	1,32,297	78,707	78,387	27,589	24,861	3,08,707	3,21,499
अनाबंटित आस्तियाँ/Unallocated Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	4,264	4,094
कुल आस्तियाँ/Total Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	3,12,971	3,25,593
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities	72,501	82,622	1,20,404	1,27,168	75,011	75,348	26,293	23,897	2,94,209	3,09,035
अनाबंटित देयताएं/Unallocated Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(14)	(15)
कुल देयताएं/Total Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,94,195	3,09,020

चा.व.–चालू वर्ष/CY – Current Year पि.व.–पिछला वर्ष/PY – Previous Year

भाग बी: भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

विवरण	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	22,720	23,639	1,293	1,053	24,013	24,691
आस्तियाँ	2,79,258	2,87,864	33,713	37,729	3,12,971	3,25,593

नोट:

1. जहाँ आवश्यक समझा गया हो वहाँ पिछली अवधि/वर्ष के आंकडों को पुन: वर्गीकृत/समूहित किया गया ताकि समीक्षाधीन अवधि के साथ उसकी तुलना की जा सके।
2. लेखांकन मानक पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने खजाना परिचालन, कॉरपोरेट, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार खंड और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय को गौण/भौगोलिक खंड के रूप में अपनाया है।

vi) संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18):

ए) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध:

ए) अनुषंगी:
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहायक संस्थाएं:
प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके पारिश्रमिक:

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ता (₹ लाख में)	
			2018-19	2017-18
श्री मृत्युञ्जय महापात्र	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	21.09.2018 से	14.71	-
श्री मेलविन रेगो	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	13.08.2018 तक	20.23	28.31
श्री सीएच. एस एस मल्लिकार्जुन राव	कार्यपालक निदेशक	19.09.2018 तक	15.89	24.07
श्री एस कृष्णन	कार्यपालक निदेशक	01.11.2017 से	23.67	9.43
श्री अजय खुराना	कार्यपालक निदेशक	20.09.2018 से	12.61	-
योग			**87.11**	**61.81**

Part B: Geographic Segments

(₹ in Crores)

Particulars	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	22,720	23,639	1,293	1,053	24,013	24,691
Assets	2,79,258	2,87,864	33,713	37,729	3,12,971	3,25,593

Note:

1. Figures of the previous period/year have been reclassified/regrouped/ recost wherever considered necessary to make them comparable with the period under review.
2. As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, the parent bank has adopted Treasury Operations, Corporate, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments.

vi) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) **Names of Related Parties and their Relationship:**

a) **Subsidiary:**
Syndbank Services Limited

b) **Associates:**
Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank

c) **Key Management Personnel and their remuneration:**

Key Management Personnel	Designation	Period	Remuneration and other allowances (₹ in lakhs)	
			2018-19	2017-18
Sri Mrutyunjay Mahapatra	Managing Director & CEO	From 21.09.2018	14.71	-
Sri Melwyn Rego	Managing Director & CEO	Upto 13.08.2018	20.23	28.31
Sri CH S S Mallikarjuna Rao	Executive Director	Upto 19.09.2018	15.89	24.07
Sri S Krishnan	Executive Director	From 01.11.2017	23.67	9.43
Sri Ajay Khurana	Executive Director	From 20.09.2018	12.61	-
TOTAL			**87.11**	**61.81**

डी) संगत पार्टी लेन-देन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
1.	बकाया उधार	–	–	–
	वर्ष के दौरान अधिकतम	–	–	–
2.	बकाया जमा	0.23	–	0.23
	वर्ष के दौरान अधिकतम	2.46	–	2.46
3.	बकाया निवेश	–	–	–
	वर्ष के दौरान अधिकतम	–	–	–
4.	बकाया अग्रिम	0.08	-	0.08
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.08	-	0.08
5.	गैर निधिक प्रतिबद्धता	–	–	–
	वर्ष के दौरान अधिकतम	–	–	–
6.	प्रदत्त पट्टे/एच-पी व्यवस्था	–	–	–
	वर्ष के दौरान अधिकतम	–	–	–
7.	प्रदत्त पट्टे/एच-पी व्यवस्था	–	–	–
	वर्ष के दौरान अधिकतम	–	–	–
8.	प्रदत्त ब्याज	0.02	-	0.02
9.	प्राप्त ब्याज	–	–	–
10.	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते	0.87	-	0.87
11.	प्रदत्त सेवाएँ	–	–	–
12.	प्राप्त सेवाएँ	–	–	–
13.	संविदाओं के प्रबंध	–	–	–
14.	कोई अन्य प्राप्य	–	–	–
15.	कोई अन्य देय	–	–	–
16.	स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	–	–	–
17.	स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री	–	–	–

लेखा संबंधी टिप्पणियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार संगत पार्टी प्रकटीकरण के संदर्भ में प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक बोर्ड के पूर्णकालिक निदेश माना जाए।

नोट : एएस 18 के पैरा 9 ''संगत पार्टी प्रकटीकरण'' के अनुपालन में उन अनुषंगियों के साथ कृत लेन-देन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संगत पार्टियों के साथ कृत लेन देनों को प्रकटीकृत करने से छूट प्रदान करता है।

vii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20): (मूल)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**(252,42,033)**	(31,11,68,98)
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**1,51,19,33,362**	94,79,06,528
प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**(16.70)**	(32.83)
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	10.00

प्रति शेयर अर्जन (एएस 20): (ह्रासमान)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**(252,42,033)**	(31,11,68,98)
ह्रासमान ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**1,51,30,06,303**	94,79,06,528
प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**(16.68)**	(32.83)
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	10.00

viii) आय पर कर का लेखाकरण (एएस 22):

मूल बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं (डीटीए/डीटीएल) को निर्धारित किया है जिसका दिनांक 31.03.2019 के अनुसार प्रमुख घटक निम्नवत् हैं:

आस्थगित कर आस्तियाँ	(₹ करोड़ में)	
	31-03-2019	31-03-2018
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	**213.14**	213.60
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	**18.12**	49.52
प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के कारण	**2700.81**	2,117.81
अन्य	**122.89**	93.23
योग	**3054.96**	2,474.16

d) **Related Party Transactions**

(₹ in Crores)

Sr. No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
1.	Borrowings outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
2.	Deposits outstanding	0.23	-	0.23
	Maximum during the year	2.46	-	2.46
3.	Investments outstanding	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
4.	Advances outstanding	0.08	-	0.08
	Maximum during the year	0.08	-	0.08
5.	Non funded commitments	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
6.	Leasing /HP arrangements availed	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
7.	Leasing /HP arrangements provided	-	-	-
	Maximum during the year	-	-	-
8.	Interest paid	0.02	-	0.02
9.	Interest received	-	-	-
10	Remuneration and other allowances	0.87	-	0.87
11	Rendering of services	-	-	-
12	Receiving of services	-	-	-
13.	Management of contracts	-	-	-
14.	Any other receivable	-	-	-
15.	Any other payable	-	-	-
16.	Purchase of Fixed assets	-	-	-
17.	Sale of Fixed Assets	-	-	-

In terms of RBI Circular on notes to accounts , key management personnel are whole time directors of Board for related party disclosure.
The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9 of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

vii) Earnings Per Share (AS 20):- (Basic)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**(252,42,033)**	(31,11,68,98)
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	**1,51,19,33,362**	94,79,06,528
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**(16.70)**	(32.83)
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

Earnings Per Share (AS 20): (Diluted)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**(252,42,033)**	(31,11,68,98)
Weighted Average Number of Diluted Equity Shares (B)	**1,51,30,06,303**	94,79,06,528
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**(16.68)**	(32.83)
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

viii) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Parent Bank has recognised Deferred Tax Assets/Liabilities (DTA/DTL) and the major components as on 31.03.2019 are as follows:

Deferred Tax Assets	(₹ in Crores)	
	31-03-2019	31-03-2018
Provision for Leave Encashment	**213.14**	213.60
Provision for Restructured Assets	**18.12**	49.52
On account of timing difference towards provisions	**2700.81**	2,117.81
Others	**122.89**	93.23
Total	**3054.96**	2,474.16

आस्थगित कर देयताएं	(₹ करोड़ में)	
	31-03-2019	31-03-2018
ब्याज उपचित, परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं।	**0.00**	0.00
धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	**536.90**	531.74
निवेशों पर मूल्यहास के कारण	**235.96**	315.36
स्थाई परिसंपत्तियों के डब्ल्यूडीवी में अंतर	**9.44**	34.60
योग	**782.30**	881.70
निवल (डीटीए)/डीटीएल	**(2272.66)**	**(1,592.46)**

ix) **अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस 25):**
मूल बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डी.बी.एस.ए.आर.एस.सं. बी.सी. 2/08.91.001/2016-17 दिनांक 28 जुलाई, 2016 के खातों के त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है।

x) **आस्तियों की हानि (एएस 28):**
मूल बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्ति की हानि नहीं हुई है ।

xi) **प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस 29):**
प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोडकर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अथ शेष	**5.21**	3.70
वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया/ समायोजित	**0.44**	1.51
इति शेष	**4.77**	5.21
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

14. **अन्य प्रकटीकरण**

ए) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानीकरण:

वर्ष के दौरान मूल बैंक में कुल धोखाधड़ी के 563 मामले थे जिसकी बकाया राशि ₹1609.33 करोड़ थी। उसे प्राप्त सीजीसी दावे को अलग करके पूर्णत: प्रदान किया गया और वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर अपरिशोधित प्रावधानों की प्रमात्रा अन्य ''आरक्षित निधियों'' से नामे करने पर शून्य है।

बी) प्रावधान और आकस्मिक व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	**136.62**	608.55
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**5,137.61**	7,620.08
आय कर/आस्थगित कर के लिए प्रावधान	**(514.62)**	(1,164.92)
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**(302.58)**	(46.26)
पुन:संरचित खातों के लिए प्रावधान	**(107.47)**	(68.81)
कर्मचारी कल्याण निधि	**20.00**	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	**1,030.64**	86.86
अन्य प्रावधान/(अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन)	**7.49**	31.91
कुल	**5,407.69**	**7,087.41**

सी) अस्थायी प्रावधान के चलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(ए) अस्थायी प्रावधान लेखे में अथ शेष	**102.21**	102.21
(बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**0.00**	0.00
(सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**0.00**	0.00
(डी) अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	**102.21**	102.21

Deferred Tax Liabilities	(₹ in Crores)	
	31-03-2019	31-03-2018
Interest accrued but not due on securities	**0.00**	0.00
Special Reserve u/s 36(1)(viii)	**536.90**	531.74
On account of depreciation on Investments	**235.96**	315.36
Difference in WDV of Fixed Assets	**9.44**	34.60
Total	**782.30**	**881.70**
Net (DTA)/DTL	**(2272.66)**	**(1,592.46)**

ix) **Interim Financial Reporting *(AS 25):***
The Parent Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: DBS. ARS No.BC. 2/08.91.001/2016-17 dated July 28, 2016.

x) **Impairment of Assets (AS 28):**
In the opinion of the management of the parent Bank, there is no indication of impairment of assets of the Parent Bank.

xi) **Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):**
Movement of provisions (excluding provisions for other)

(₹ in Crores)

Particulars	Legal Cases/Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	**5.21**	3.70
Provided/adjusted during the year	**0.44**	1.51
Closing Balance	**4.77**	5.21
Timing of Outflow/uncertainties	**Outflow on settlement/crystallization**	

14. OTHER DISCLOSURES

a) Provisioning pertaining to Fraud Accounts:

During the year, the total number of frauds occurred in the Parent Bank were 563 with an outstanding amount of ₹1609.33 Crores and the same are fully provided net of CGC claims received and quantum of unamortised provision debited from "other reserves" as at the end of FY 2018-19 is Nil.

b) Provisions and Contingencies:

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Provision for depreciation on investment	**136.62**	608.55
Provision towards NPA	**5,137.61**	7,620.08
Provision towards Income Tax and Deferred Tax	**(514.62)**	(1,164.92)
Other provisions and contingencies :		
Provision towards Standard Assets	**(302.58)**	(46.26)
Provision for Restructured Accounts	**(107.47)**	(68.81)
Staff Welfare Fund	**20.00**	20.00
Bad Debts written off	**1030.64**	86.86
Other Provisions/(Reversal of Excess provisions)	**7.49**	31.91
Total	**5407.69**	7,087.41

c) Movement of Floating Provision

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
(a) Opening Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**0.00**	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**0.00**	0.00
(d) Closing Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21

डी) भा.रि.बैं. द्वारा लगाए गए दंड:

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47 (ए) (1) (सी) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में मूल बैंक पर ₹3.00 करोड़ का सकल दंड प्रभारित किया गया है (पिछले वर्ष में ₹5.00 करोड़)। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए,46 & 47 के अंतर्गत एक करोड़ तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35, 35ए, 46 & 47ए के अंतर्गत दो करोड़ की राशि।

ई) आरक्षित निधियों से आहरण किए गए:

वर्ष के दौरान आरक्षित निधि से आहरण शून्य है।

आईपीडीआई/ एटी-1 बाँड का पुनर्भुगतान:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, मूल बैंक ने ₹378.26 करोड़ राशि के ब्याज का भुगतान किया है और मार्च 2019 तिमाही के दौरान आईपीडीआईआईएटी-1 बाँड पर ब्याज का भुगतान ₹129.74 करोड़ सांविधिक आरक्षित निधि खाते से आहरित करते हुए की है जिस खर्च को लाभ व हानि खाते से लिया गया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016-17 दिनांक 2 फरवरी 2017 के अनुपालन में है।

एफ) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**601**	404
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	**19,080**	12,801
(सी)	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	**18,753**	12,604
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	**928**	601

जी) बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या	**108**	51
(बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामलों की संख्या	**762**	741
(सी)	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों की संख्या	**750**	684
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	**120**	108

एच) बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध पारित अधिनिर्णय:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(ए)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित न किए गए मामलों की सं.	**2**	5
(बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित मामलों की सं.	**32**	20
(सी)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित मामलों की सं.	**33**	23
(डी)	वर्ष के अंत में क्रियान्वित न किए गए मामलों की सं.	**1**	2

आई) ग्राहकों की शिकायतें-कार्ड सेंटर से संबंधित-ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**698**	1,236
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**71,895**	40,189
3	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	**70,901**	40,727
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**1,692**	698

जे) मूल बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

(ए) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

मूल बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई ने, बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन से यू.एस.डॉलर 75.00 मिलियन की चुकौती संबंधी आश्वासन पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन मूल्य का प्रतिबद्धता पत्र (दि.31-12-2019 तक वैध) जारी किया है।

(बी) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

शाखाओं ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31-03-2019 को शून्य तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं (पिछला वर्ष ₹70.31 करोड़)।

d) Penalties imposed by RBI

During the year, Reserve Bank of India has imposed aggregate penalty of ₹ 3.00 Crore (Rupees Three Crore only) on the Parent Bank in the exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act,1949. (Previous Year ₹5.00 crore). ₹ One Crore under section 35A, 46 & 47 of Banking Regulation Act,1949 & ₹ Two Crore under 35, 35A, 46 & 47A of Banking Regulation Act,1949

e) Draw down from Reserves:

During the year, withdrawal from reserves is **NIL**.

IPDI/AT-1 Bonds Repayment:-

During the Financial year 2018-19, the Parent Bank has made payment of interest an amount of ₹ 378.26 crore and during the quarter March 2019 interest payment amount is ₹129.74 crore on IPDIIAT-1 Bonds by drawing from Statutory Reserve while routing the expenses through profit and loss account in compliance with RBI vide circular no, DBR.BP.BC. No. 50/21.06.201/2016-17 dated 2nd February 2017.

f) Status of Customer Complaints

Sl. No.	Particulars	31-03-2019	31-03-2018
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	**601**	404
2	No. of complaints received during the year	**19,080**	12,801
3	No. of complaints redressed during the year	**18,753**	12,604
4	No. of complaints pending at the end of the year	**928**	601

g) Cases referred to Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31-03-2019	31-03-2018
1	Complaints Pending at the beginning of the year	**108**	51
2	Cases referred to the Banking Ombudsman during the year	**762**	741
3	Cases Disposed during the year	**750**	684
4	Cases pending at the end of the year	**120**	108

h) Awards passed against the Parent Bank by the Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31-03-2019	31-03-2018
1	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	**2**	5
2	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	**32**	20
3	No. of awards implemented during the year	**33**	23
4	No. of unimplemented Awards at the end of the year	**1**	2

i) Customer Complaints – Related to Card Centre – Registered for ATM Transaction

Sl. No.	Particulars	31-03-2019	31-03-2018
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	**698**	1,236
2	No. of complaints received during the year	**71,895**	40,189
3	No. of complaints redressed during the year	**70,901**	40,727
4	No. of complaints pending at the end of the year	**1,692**	698

j) Letters of comfort issued by the Parent Bank

(a) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches

The Parent Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

Treasury and International Banking Department, Mumbai issued Letter of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid up to 31-12-2019) with approval from the Board of Directors of the Parent Bank.

(b) Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of Syndicate Bank, London Branch for providing Buyer's Credit, to the extent of Nil as on 31-03-2019 (Previous Year ₹70.31 Crores).

कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता की साख पर उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा विदेशी बैंकों एवं भारत के बाहर स्थित विभिन्न भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी आश्वासन पत्र की रकम दि. 31-03-2019 की स्थिति के अनुसार शून्य (पिछले वर्ष ₹1,120.25 करोड़) है।

दि. 31-03-2019 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि शून्य (पिछले वर्ष ₹ 1,190.56 करोड़) है।

जब अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं से/के आश्वासन पत्र की गुणवत्ता, साख श्रेणी/वैश्विक श्रेणी, प्रतिभूतियाँ, संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ और उपलब्ध प्रति-गारंटी की गुणवत्ता पर विचार किया जाता है तब जारी आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता।

के) बीमा कारोबार

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त कुल आय ₹ 1840.42 लाख है जबकि पिछले वर्ष ₹ 1989.68 लाख था। इसमें ₹ 362.85 लाख (पिछले वर्ष ₹616.79 लाख) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹ 1477.57 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1372.89 लाख) गैर-जीवन बीमा कारोबार से है।

एल) जमाराशियों, अग्रिमों, उधार तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

ए. जमाराशियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	**32237.02**	48,748.49
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	**12.40%**	17.87%

बी. अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	**32,024.03**	30,308.22
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता (कुल अग्रिम ₹266698.07 करोड़)	**12.01%**	10.87%

सी. एक्सपोज़र का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल एक्सपोज़र	**33,072.71**	31,300.82
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर मूल बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र की प्रतिशतता (कुल एक्सपोज़र ₹281131.73 करोड़)	**11.76%**	10.79%

डी. अंतरा-समूह एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
अंतरा-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	**1,600.75**	1,600.00
20 बड़ी अंतरा-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	**1,600.75**	1,600.00
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोज़र में अंतरा -समूह एक्सपोज़र की प्रतिशतता	**0.57**	0.55%
अंतरा -समूह एक्सपोज़र एवं विनियामक कार्यवाही में सीमाओं के भंग होने के विवरण	**शून्य**	शून्य

ई. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल एक्सपोज़र	**3,887.09**	4,499.72

Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India is Nil as on 31-03-2019 (Previous Year ₹ 1,120.25 Crores).

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as at 31-03-2019 stands at Nil (Previous Year ₹ 1,190.56 Crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings/ World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

k) Insurance Business

The total income from the Bancassurance Business during the year 2018-19 is ₹ 1840.42 Lakh as against ₹ 1989.68 Lakh in the previous year. This comprises of ₹ 362.85 Lakh (Previous Year ₹ 616.79 Lakh) from Life Insurance business and ₹ 1477.57 Lakh (Previous Year ₹ 1372.89 Lakh) from Non Life Insurance business.

l) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

A. CONCENTRATION OF DEPOSITS

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total Deposits of twenty largest depositors	**32237.02**	48,748.49
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Parent Bank	**12.40%**	17.87%

B. CONCENTRATION OF ADVANCES

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total Advances to twenty largest borrowers	**32,024.03**	30,308.22
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Parent Bank. (Total advances ₹266698.07 Crore	**12.01%**	10.87%

C. CONCENTRATION OF EXPOSURES

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	**33,072.71**	31,300.82
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Parent Bank on borrowers / customer Total Exposure ₹.281131.73 Crore	**11.76%**	10.79%

D. INTRA-GROUP EXPOSURES

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total amount of intra-group exposures	**1600.75**	1,600.00
Total amount of top-20 intra-group exposures	**1600.75**	1,600.00
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Parent bank on borrowers/ customers	**0.57**	0.55%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon	**Nil**	Nil

E. CONCENTRATION OF NPAs

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total Exposure to top four NPA accounts	**3,887.09**	4,499.72

एम) क्षेत्रवार अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	क्षेत्र*	31-03-2019			31-03-2018		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	किसी क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए की प्रतिशतता	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	किसी क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए की प्रतिशतता
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	34,402.60	5,000.02	14.53%	33,466.00	3,708.27	11.08
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के योग्य उद्योग क्षेत्रों को अग्रिम	7,118.61	745.18	10.47%	7,261.00	611.66	8.42
3	सेवाएँ	16,618.33	2,229.65	13.42%	20,045.00	2,446.43	12.20
4	वैयक्तिक ऋण	14,356.78	520.59	3.63%	12,377.00	507.80	4.10
5	पीएसएलसी	1,200.00	-	-	-	-	-
	उप-जोड (ए)	**73,696.32**	**8,495.44**	**11.53%**	**73,149.00**	**7,274.16**	**9.94**
बी	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	465.07	-	-	356.00	0.00	0.00
2	उद्योग	44,846.22	9,951.72	22.19%	58,109.92	13,928.85	23.97
3	सेवाएँ	74,490.98	5,384.33	7.23%	68,189.15	3,918.05	5.75
4	वैयक्तिक ऋण	23,650.27	848.88	3.59%	23,542.00	637.54	2.71
	उप-जोड (बी)	**1,43,452.54**	**16,184.93**	**11.28%**	**1,50,197.07**	**18,484.44**	**12.31**
	कुल (ए+बी)	**2,17,148.86**	**24,680.37**	**11.37%**	**2,23,346.07**	**25,758.60**	**11.53**

एन) अनर्जक आस्तियों का चलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियाँ	**25,758.60**	17,609.31
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**11,592.01**	14,309.28
उप-जोड (ए)	**37,350.61**	31,918.59
घटाएं:		
(i) स्तरोन्नयन	**2,203.34**	1,557.81
(ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	**3,692.40**	2,202.17
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन	**5,743.86**	2,313.15
(iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत उल्लेखित मदों को छोड़कर अन्य अपलेखन संबंधी मामलें	**1,030.64**	86.86
उप-जोड़ (बी)	**12,670.24**	6,159.99
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियाँ (ए-बी)	**24,680.37**	25,758.60

ओ) विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन का चलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
वर्ष के प्रारंभ में विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों में अथ शेष	**7,937.29**	6,254.69
जोड़े : वर्ष के दौरान विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन	**5,743.86**	2,313.15
उप-जोड़ (ए)	**13,681.15**	8,567.84
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों से की गई वसूलियाँ **(बी)**	**744.02**	630.55
वर्ष के अंत में इति शेष **(ए-बी)**	**12,937.13**	7,937.29

m) Sector-wise Advances

(₹ in Crores)

Sl. No.	Sector*	31-03-2019			31-03-2018		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA's	% of Gross NPA'S to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA's	% of Gross NPA'S to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	34402.60	5000.02	14.53%	33,466.00	3,708.27	11.08
2	Advances to industries						
	sector eligible as priority	7118.61	745.18	10.47%	7261.00	611.66	8.42
	sector lending						
3	Services	16618.33	2,229.65	13.42%	20,045.00	2,446.43	12.20
4	Personal loans	14356.78	520.59	3.63%	12,377.00	507.80	4.10
5	PSLC	1200.00	-	-	-	-	-
	Sub-total (A)	**73696.32**	**8495.44**	**11.53%**	**73,149.00**	**7,274.16**	**9.94**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	465.07	-	-	356.00	0.00	0.00
2	Industry	44846.22	9951.72	22.19%	58,109.92	13,928.85	23.97
3	Services	74490.98	5384.33	7.23%	68,189.15	3,918.05	5.75
4	Personal loans	23650.27	848.88	3.59%	23,542.00	637.54	2.71
	Sub-total (B)	**143452.54**	**16184.93**	**11.28%**	**1,50,197.07**	**18,484.44**	**12.31**
	Total (A+B)	**217148.86**	**24680.37**	**11.37%**	**2,23,346.07**	**25,758.60**	**11.53**

n) Movement of NPAs

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Gross NPAs at the beginning of the year	**25,758.60**	17,609.31
Additions (Fresh NPAs) during the year	**11,592.01**	14,309.28
Sub Total (A)	**37,350.61**	31,918.59
Less:		
(i) Up gradations	**2,203.34**	1,557.81
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**3,692.40**	2,202.17
(iii) Technical/Prudential Write-offs	**5,743.86**	2,313.15
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	**1,030.64**	86.86
Sub Total (B)	**12,670.24**	6,159.99
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	**24,680.37**	25,758.60

o) Movement of Technical/Prudential Write-offs

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Opening balance of Technical / Prudential written- off accounts as at the beginning of the year	**7,937.29**	6,254.69
Add : Technical / Prudential write-offs during the Year	**5,743.86**	2,313.15
Sub-total (A)	**13,681.15**	8,567.84
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year **(B)**	**744.02**	630.55
Closing balance as at the end of the year **(A-B)**	**12,937.13**	7,937.29

पी) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
कुल आस्तियाँ	**45,167.69**	44,646.83
कुल अनर्जक आस्तियाँ	**1,984.39**	2,027.44
कुल एनपीआई	**0.00**	0.00
कुल राजस्व	**1,788.18**	1,052.80

नोट: तुलन पत्र में कुल आस्तियों, कुल एनपीए और कुल एनपीआई के लिए आंकड़े को स्पॉट दर जीबीपी – 90.525 के साथ तैयार किया गया है। जब कि कुल राजस्व को तिमाही औसत दर (क्यूएआर)– अप्रैल 18 से जून 18 – 91.1475, जुलाई 18 से सितंबर 18 – 91.36, अक्तूबर 18 से दिसंबर 18-92.695 और जनवरी 19 से मार्च 19 – 91.665 पर तिमाही सकल राजस्व के साथ तैयार किया गया है।

क्यू) तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है):

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

आर) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि बैंक ने किसी एस.पी.वी. का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

एस) अचल आस्तियाँ
बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल बैंक के पास हैं।

टी) अंतर शाखा लेन-देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

यू) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ)में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
डीईएएफ को अंतरण के लिए प्रारंभिक शेष राशि	**627.58**	585.10
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	**246.12**	51.83
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावे के के लिए प्रतिपूरित राशियां	**7.60**	9.35
डीईएएफ को अंतरित इतिशेष राशि	**866.10**	627.58

वी) अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
यूएफसीई प्रावधान के लिए प्रारंभिक शेष राशि	**51.00**	60.00
जोड़ें: चालू वर्ष के दौरान प्रावधान की वृद्धि/विपर्यय	**(-)6.00**	(-)9.00
यूएफसीई प्रावधान के इतिशेष	**45.00**	51.00

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी 85 / 21.06.200 / 2013-14 दिनांक 15. जनवरी 2014 के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबी ओडी सं. बीपी.बीसी. 116/21.06.200 / 2013-14 दिनांक 03 जून 2014 के द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के संबंध में बैंक के पास नीति है।

मूल बैंक की नीति के आधार पर उधारकर्ताओं से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं और तदनुसार वर्षांत 31-03-2019 के लिए न्यूनतम ₹15.27 करोड़ की पूंजी अपेक्षा के परिप्रेक्ष्य में ₹45 करोड़ राशिवाली यूएफसीई और ₹140.41 करोड़ का अतिरिक्त आरडब्ल्यूए का प्रावधान किया गया है।

डब्ल्यू) मूल बैंक ने मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ₹1200 करोड़ मूल्य के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) की खरीदी की है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायित्व को पूरा करने की गणना में ली गई है।

एक्स) पिछले वर्ष के आंकड़े
पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित/सुधार किया गया है ।

p) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2019	31-03-2018
Total Assets	**45,167.69**	44,646.83
Total NPAs	**19,84.39**	2,027.44
Total NPIs	**0.00**	0.00
Total Revenue	**1,788.18**	1,052.80

Note: The figures for Total Assets, Total NPA and Total NPI are drawn with the Balance Sheet position at FEDAI spot rate GBP – 90.525, while Total Revenue has been drawn with Total of Quarterly Gross Revenue at GBP FEDAI Quarterly Average Rates (QAR) – Apr 18 to Jun 18 – 91.1475, Jul. 18 to Sep 18 – 91.36, Oct. 18 to Dec. 18 – 92.695 and Jan. 19 to Mar. 19 – 91.665.

q) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

r) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Parent Bank has not sponsored any SPVs.

s) **Fixed Assets**
In respect of certain premises of the Parent Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Parent Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

t) Inter Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

u) Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in Crores)

Particulars	FY 2018-19	FY 2017-18
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**627.58**	585.10
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	**246.12**	51.83
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	**7.60**	9.35
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**866.10**	627.58

v) Unhedged Foreign Currency Exposure

(₹ in Crores)

Particulars	FY 2018-19	FY 2017-18
Opening Balance of UFCE provision	**51.00**	60.00
Add: incremental/reversal of provision during the current year	**(-)6.00**	(-)9.00
Closing Balance of UFCE provision	**45.00**	51.00

The Parent Bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) which is based on RBI Circular No.DBOD.No.BP.BC.85 / 21.06.200 / 2013-14 dated January 15, 2014 and clarifications received vide RBI Circular No. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200 / 2013-14 dated June 03, 2014.

Data has been obtained from the borrowers as per the Parent Bank's policy and accordingly, provision of UFCE amounting to ₹ 45 Crores and additional RWA of ₹ 140.41 Crores has been provided, against which minimum capital requirement is ₹ 15.27 Crores for the year ended 31-03-2019.

w) The Parent Bank has purchased Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)-under General Category to the tune of ₹1200 crore as on March 2019 and the same is taken into consideration for achievement of Priority Sector Obligation as per RBI norms.

x) Previous year figures
Previous year figures have been regrouped / rearranged/recast wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

अनुसूची-19 : अनुषंगियों द्वारा अर्जित शेयर/SCHEDULE-19 : SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES

(₹ हजार में/in Thousands)

		31-03-2019 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2019	31-03-2018 समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2018
I	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक/Andhra Pragathi Grameena Bank	**49 48 45**	72 02 20
II	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक/Karnataka Vikas Grameen Bank	**17 68 76**	35 74 74
III	प्रथमा बैंक/Prathama Bank	**-3 64 87**	1 51 09
	योग/TOTAL	**63 52 34**	109 28 03

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(अप्रत्यक्ष पद्धति/Indirect Method) (₹ हजार में/₹ in thousands)

	विवरण/PARTICULARS	31-03-2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31-03-2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
ए. A.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	निवल लाभ (हानि)/Net Profit/(loss)	**(2587 72 67)**	(3220 97 01)
	जोड़ें : कर प्रावधान /Add: Tax provision	**(514 62 18)**	(1164 92 60)
	कर के पहले लाभ (हानि)/Profit/(Loss) before taxes	**(3102 34 85)**	**(4385 89 61)**
	समायोजन के लिए /Adjustments for:		
	अचल आस्तियों में मूल्यह्रास /Depreciation on fixed assets	**217 22 78**	237 79 12
	अनुषंगियों से अर्जित शेयर में परिवर्तन (आरआरबी) Change in the Share of Earnings from Associates (RRBs)	**74 44 76**	98 76 43
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों पर कृत मूल्यह्रास सहित) Depreciation on investments (including on Matured debentures)	**136 61 78**	608 55 77
	बट्टा खाता डाले गए आशोध्य ऋण/अनर्जक आस्तियों संबंधी प्रावधान Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	**6060 78 47**	7638 12 60
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान /Provision for Standard Assets	**(302 57 89)**	(46 26 35)
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)/Provision for other items (Net)	**27 49 78**	51 91 03
	अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री पर (लाभ)/ हानि (Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	**96 88**	54 84
	गौण ऋण पर (पृथक मान लिया गया) ब्याज की अदायगी/प्रावधान Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)	**807 10 27**	826 58 00
	अप्राप्य विदेशी विनिमय आरक्षित निधि उतार-चढ़ाव के लिए समायोजन Adjustment for Unrealised Foreign Exchange Fluctuation Reserve	**83 13 20**	3 02 83
	अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश (पृथक मान लिया गया) Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)	**-**	-
	उप योग/Sub Total	**4002 85 18**	**5033 14 66**
	समायोजन /Adjustments for:		
	निवेशों में (वृद्धि)/हानि /(Increase)/Decrease in investments	**4070 01 36**	(15596 15 27)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/हानि /(Increase)/Decrease in advances	**(421 31 70)**	(18652 64 14)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/हानि /(Increase)/Decrease in other assets	**(16 37 20)**	(904 99 44)
	उधार में वृद्धि/(हानि)/Increase/(Decrease) in borrowings	**(3370 15 80)**	11428 08 75
	जमाराशियों में वृद्धि/(हानि)/Increase/(Decrease) in deposits	**(12877 95 59)**	12213 13 28
	अन्य देयताएं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(हानि) Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	**2331 57 79**	(213 52 12)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी को घटाकर)/Direct taxes paid (Net of Refund)#	**(953 10 85)**	(621 48 45)
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (ए) Net cash from operating activities (A)	**(7234 46 81)**	**(7314 42 73)**
बी. B.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	अचल आस्तियों का (क्रय)/विक्रय-अंतरण (Purchase)/ Sale-Transfer of fixed assets	**(141 90 09)**	(262 21 90)
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया निवल नकद (बी) Net cash used in investing activities (B)	**(141 90 09)**	**(262 21 90)**
सी. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	शेयर पूंजी /Share Capital	**1070 63 99**	512 73 27
	आबंटन हेतु शेष शेयर आवेदन राशि Share Application Money Pending Allottment	**500 00 00**	
	शेयर प्रीमियम/Share premium	**2892 36 01**	3464 56 25
	असुरक्षित गौण बंधपत्र /Unsecured Subordinated Bonds	**(639 00 00)**	710 00 00
	लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश /Dividend paid including dividend tax	**-**	-
	असुरक्षित गौण बंध पत्रों पर प्रदत्त/प्रदेय ब्याज Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds	**(807 10 27)**	(826 58 00)
	वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (सी) Net cash from financing activities (C)	**3016 89 73**	**3860 71 52**
	नकद एवं नकद तुल्यों में निवल वृद्धि (ए) + (बी) + (सी) Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	**(4359 47 17)**	**(3715 93 11)**

नोट: नकद एवं नकद तुल्यों में उपलब्ध नकद, भा.रि.बैंक एवं अन्य बैंकों के पास जमा राशि एवं माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है
Note: Cash & Cash Equivalents includes Cash on Hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice
प्रदत्त प्रत्यक्ष करों को परिचालनगत गतिविधियों के परिणामस्वरूप माना गया है और उन्हें निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों के बीच विभाजित नहीं किया गया है।
Direct taxes paid are treated as arising from Operating Activities and are not bifurcated between Investing & Financing Acitivities

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2019		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	
I. **वर्ष के प्रारंभ में शेष Balances at the beginning of the Year:**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**11684 16 40**		13108 94 79	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**9832 07 89**	**21516 24 29**	12123 22 61	25232 17 40
II. **वर्ष के अंत में शेष Balances at the end of the Year:**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**13612 82 82**		11684 16 40	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**3543 94 30**	**17156 77 12**	9832 07 89	21516 24 29
III. **वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**(4359 47 17)**		(3715 93 11)
नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

दीपेश देवचंद देढ़िया/DEEPESH DEVCHAND DEDHIA
सहायक महा प्रबंधक /Asst. General Manager

यू.एस. मजूमदार/US MAJUMDER
मुख्य वित्त अधिकारी/Chief Financial Officer

नागेश्वर राव वाई/ Nageswara Rao Y
विशेष कार्य अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक
Officer on Special Duty & Whole Time Director

(अनुपस्थिति की अनुमति/Leave of absence)
अजय के खुराना/AJAY K KHURANA
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एस कृष्णन/S KRISHNAN
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

मृत्युञ्जय महापात्र/Mrutyunjay Mahapatra
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी/MANAGING DIRECTOR & CEO

अजय विपिन नानावटी/AJAY VIPIN NANAVATI
अध्यक्ष/Chairman

"उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार/In terms of our report of even date attached"

कृते **वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 004494S/ S200037)

कृते **जे एस उबेरॉय एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 111107W)

कृते **एस घोष एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार एलएलपी
(एफ आर एन: 302184E/ E300007)

(एस गणेशन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 019530

(हरिश बोनेजा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 045814

(बितोल कुमार सरकार)
साझेदार
सदस्यता सं.: 015774

कृते **के. के. सोनी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 00947N)

कृते **फडनिस एंड गुप्ते**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 006600C)

(संत सुजात सोनी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 094227

(मनोज फडनिस)
साझेदार
सदस्यता सं.: 072707

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 10.05.2019

For **VAITHISVARAN & CO LLP**
Chartered Accountants
(FRN : 004494S/ S200037)

For **J.S. UBEROI & CO.**
Chartered Accountants
(FRN : 111107W)

For **S GHOSE & CO**
Chartered Accountants LLP
(FRN : 302184E/E300007)

(S GANESAN)
Partner
Membership No : 019530

(HARISH BHONEJA)
Partner
Membership No. 045814

(BITOL KUMAR SARKAR)
Partner
Membership No. 015774

For **K K SONI & CO**
Chartered Accountants
(FRN : 00947N)

For **FADNIS & GUPTE**
Chartered Accountants
(FRN : 006600C)

(SANT SUJAT SONI)
Partner
Membership No. 094227

(MANOJ FADNIS)
Partner
Membership No.072707

Place: Bengaluru
Date : 10.05.2019

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

31 मार्च, 2019 का तुलन पत्र/BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2019

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	नोट सं. Notes No.	As at दि. 31.03.2019 को	As at दि. 31.03.2018 को
I **इक्विटी और देयताएं/EQUITY AND LIABILITIES**			
1 **शेयरधारकों की निधि/Shareholders Funds:**			
ए /a) शेयर पूँजी/Share Capital	3	**2,500,000**	2,500,000
बी/b) आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	4	**151,256,815**	145,576,797
2 **आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन पत्र की राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENTS**		–	–
3 **गैर-चालू देयताएं/NON-CURRENT LIABILITIES**			
ए /a) दीर्घावधि उधार/Long Term Borrowings			
बी/b) आस्थगित कर देयताएं (निवल)/Deferred Tax Liabilities (Net)			
सी/c) अन्य दीर्घावधि देयताएं/Other Long Term Liabilities			
डी/d) दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions	5	**3,004,359**	2,510,159
4 **चालू देयताएं/CURRENT LIABILITIES**			
ए /a) अल्पावधि उधार/Short Term Borrowings			
बी/b) व्यापार देय राशि/Trade Payables			
सी/c) अन्य चालू देयताएं/Other Current Liabilities	6	**3,893,875**	2,856,195
डी/d) अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions	7	**619,400**	619,400
कुल/TOTAL		**161,274,449**	154,062,551
II **आस्तियां/ASSETS**			
1. **गैर-चालू आस्तियां/NON-CURRENT ASSETS**			
ए /a) अचल आस्तियां/Fixed Assets			
(i) मूर्त आस्तियां/Tangible Assets	8	**122,456**	167,429
(ii) अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets		–	–
(iii) प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital Work in Progress		–	–
(iv) अमूर्त आस्तियां जो प्रक्रियाधीन है/Intangible Assets under Development		–	–
बी/ b) गैर-चालू निवेश/Non-Current Investments		–	–
सी/c) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/Deferred Tax Asset (Net)	9	**1,185,953**	1,061,828
डी/d) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances	10	**1,500**	1,500
ई/e) अन्य गैर-चालू आस्तियां/Other Non-Current Assets			
2. **चालू आस्तियां/CURRENT ASSETS**			
ए /a) चालू निवेश/Current Investments		–	–
बी/ b) माल सूची/Inventories		–	–
सी/c) व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivables	11	-	1,512,021
डी/d) नकद और नकदी समतुल्य राशि /Cash and Cash Equivalents	12	**138,349,004**	149,847,419
ई/e) अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances	13	**187,210**	1,067,684
एफ/f) अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets	14	**21,428,327**	404,670
कुल/TOTAL		**161,274,449**	154,062,551
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	2		

इसमें उल्लिखित नोट तुलन पत्र का अभिन्न भाग बनते हैं/Notes referred to herein forms an integral part of Balance Sheet

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(एस कृष्णन/S.Krishnan)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जगन मोहन प्रह्लाद/Jagan Mohan Prahlad)
निदेशक/Director

तारीख/Date : 10.05.2019
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार - एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(रेखा देव आनंद/CA REKHA DEV ANAND)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./M. No. 029789

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दि. 31-03-2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31-03-2019

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	ब्यौरे/PARTICULARS	नोट सं. Notes No.	2018-19	2017-18
I.	**परिचालन से प्राप्त राजस्व/Revenue From Operations**	15	**9,277,723**	34,267,837
II.	**अन्य आय/Other Income**	16	**8,991,555**	9,189,316
III.	**कुल राजस्व/Total Revenue**		**18,269,278**	43,457,153
IV.	**व्यय/Expenditure :**			
	वेतन और भत्ते/Salary & Allowances	17	**6,420,521**	7,690,562
	परिचालन व्यय/Operational Expenses	18	**4,032,017**	9,896,348
	मूल्यह्रास/Depreciation	8	**44,973**	81,322
V.	**कुल व्यय/Total Expenses**		**10,497,511**	17,668,232
VI.	**कर से पहले लाभ/Profit Before Tax**		7,771,767	25,788,921
VII.	**कर संबंधी व्यय/Tax Expenses**			
	– चालू कर/Current Tax		**2,215,874**	7,182,356
	– आस्थगित कर/Deferred Tax		**(124,125)**	(66,568)
VIII.	**उक्त अवधि के लिए लाभ/Profit for the Period**		**5,680,018**	18,673,133
IX.	ईपीएस – मूल और ह्रासमान (अंकित मूल्य ₹ 10/-) EPS – Basic and Diluted (Face value of ₹10/-)		**22.72**	74.69
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes to Accounts	2		
	इसमें उल्लिखित नोट, लाभ व हानि लेखे का अंतिम भाग बनते हैं Notes referred to herein forms an integral part of Profit and Loss Account			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(एस कृष्णन/S.Krishnan)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जगन मोहन प्रह्लाद/Jagan Mohan Prahlad)
निदेशक/Director

तारीख/Date : 10.05.2019
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(रेखा देव आनंद/CA REKHA DEV ANAND)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./M. No. 029789

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)
Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)
टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं
NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	दि. **31.03.2019** को **AS AT 31.03.2019**	दि. 31.03.2018 को AS AT 31.03.2018
नोट सं./Note No. 3: शेयर पूंजी/SHARE CAPITAL		
प्राधिकृत/Authorised :		
1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10/1,00,00,000 equity shares of ₹10 each	**100,000,000**	100,000,000
(पी.वाई. 1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10)/(P.Y. 1,00,00,000 equity shares of ₹10 each)		
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी/Issued, subscribed and paid up Capital		
2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त/2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid	**2,500,000**	2,500,000
(पी.वाई. 2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त)/(P.Y. 2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid)		
उपर्युक्त सभी शेयर सिंडिकेटबैंक तथा इसके नामिती द्वारा धारित हैं/All the above shares are held by SyndicateBank and its Nominees		
कुल/Total	**2,500,000**	2,500,000

नोट सं. /NOTE 3.01: शेयरों की संख्या का मिलान/Reconciliation of number of Shares

विवरण/Particulars	ईक्विटी शेयर /Equity Shares	
	दि. **31.03.2019** को **AS AT 31.03.2019**	दि. 31.03.2018 को AS AT 31.03.2018
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर/ Shares outstanding at the beginning of the year	**250,000**	250,000
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर/Add: Shares Issued during the year	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान खरीदे गए शेयर/ Less: Shares bought back during the year	-	-
वर्ष 31.03.2019 की समाप्ति पर बकाया शेयर/Shares outstanding at the end of the year 31.03.2019	**250,000**	250,000

नोट सं./NOTE 3.02: शेयरों से जुड़े अधिकांश अधिमान एवं प्रतिबंध Rights, preferences and restrictions attached to shares

ईक्विटी शेयर ए पूर्णत: प्रदत 10/- रूपये प्रति के 2,50,000 ईक्विटी शेयर। प्रत्येक शेयर धारक को लाभांश अधिकारों, मतदान अधिकारों एवं समापन अधिकारों के सभी संबंधों में एक समान देखा जाएगा। Equity Shares: a) 2,50,000 Equity shares of Rs 10/- each fully paid. Each shareholder is shall rank pari-pasu in all respects relating todividend rights, voting rights , and winding up rights.

नोट सं./Note No. 4: आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus		
सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**17,979,043**	16,111,730
जोडें: लाभ व हानि लेखे के विवरण में अधिशेष से अंतरित रकम Add: Amount transferred from Surplus Balance in the Statement of Profit and Loss Account	**568,002**	1,867,313
अंतिम शेष/Closing Balance	**18,547,045**	17,979,043
लाभ व हानि लेखा विवरण में अधिशेष/Surplus in the Statement of Profit and Loss:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**127,597,754**	110,847,199
वर्ष के लिए लाभ/Profit for the Year	**5,680,018**	18,673,133
घटाएं/Less: विनियोजन/Appropriations		
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण/Transfer to General Reserve	**568,002**	1,867,313
घटाएं : पूर्व अवधि के लिए लेखांकित अतिरिक्त मूल्यह्रास का कृत संशोधन Less:-Excess Deprn accounted for earlier period rectified	-	55,265
लाभ व हानि लेखा विवरण में निवल अधिशेष/Net Surplus in the Statement of Profit and Loss A/c	**132,709,770**	127,597,754
नोट सं./Note No. 5: दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions		
उपदान के लिए प्रावधान/Provision for Gratuity	**3,004,359**	2,510,159
कुल/Total	**3,004,359**	2,510,159
नोट सं./Note No. 6: अन्य चालू देयताएँ/Other Current Liabilities		
पीएफ में प्रबंधन का अंशदान/Mgmt. cont. PF	**1,606,555**	1,383,823
व्ययों के लिए लेनदार/Creditors for Expenses	**2,279,440**	969,870
देय आय कर/Income Tax Payable	-	31,000
देय टीडीएस (विक्रेता)/(vendors)TDS Payable	-	18,360
उचंत/उचंत व्यावसायिक कर/Professional Tax Suspense/Suspense	**7,880**	1,200
देय दर एवं कर/Rates and Taxes Payable	-	451,942
कुल/Total	**3,893,875**	2,856,195
नोट सं./Note No. 7: अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for Leave Encashment	**619,400**	619,400
कुल/Total	**619,400**	619,400

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)
Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

नोट सं./Note No. 8 : अचल आस्तियाँ/Fixed Assets

ब्यौरे/Particulars	सकल खण्ड/Gross Block				मूल्यह्रास खण्ड/Depreciation Block				निवल खण्ड/Net Block	
	दि. 01.04.2018 को शेष राशि Balance as on 01.04.2018	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the Year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	**दि. 31.03.2019 को शेष राशि Balance as on 31.03.2019**	दि. 01.04.2018 को प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2018	वर्ष के लिए परिवर्धन Additions for the Year	पिछली अवधि के अतिरिक्त मूल्यह्रास परिवर्तित Excess Depren Earlier Period Reversed	**दि. 31.03.2019 को शेष राशि Balance as on 31.03.2019**	दि. 31.03.2018 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2018	**दि. 31.03.2019 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2019**
मूर्त आस्तियाँ: Tangible Assets:										
फर्नीचर/Furniture	87,214	–	–	**87,214**	**78,214**	–	–	**78,214**	9,000	**9,000**
विद्युत जुडनार Electrical Fittings	24,450	–	–	**24,450**	**22,450**	–	–	**22,450**	2,000	**2,000**
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स Computer & Pheripherals	794,886	–	–	**794,886**	**773,804**	2,588	–	**776,392**	21,082	**18,494**
मोबाइल फोन Mobile Phones	19,800	–	–	**19,800**	**19,800**	–	–	**19,800**	–	–
मोटर कार/Motor Car	644,570	–	–	**644,570**	509,223	42,386	–	551,609	135,347	**92,961**
कुल/Total	1,570,920	–	–	**1,570,920**	**1,403,491**	44,973	–	**1,448,464**	167,429	**122,456**
पिछला वर्ष Previous Year	**1,570,920**	–	–	**1,570,920**	**1,266,904**	**81,322**	**55,265**	**1,403,491**	**304,016**	**167,429**

नोट सं./Note No. 9: आस्थगित कर/DEFERRED TAX

	आयकर अधिनियम के अनुसार As Per Income Tax Act	वित्तीय विवरणियों के अनुसार As per Financial Statements	समयांतराल Timing Difference	समयांतराल पर कर Tax on Timing Difference
निम्नलिखित के कारण अस्थाई अंतर Temporary Difference on Account of				
(i) मूल्यह्रास / Depreciation	61,770	44,973	16,797	(4,367)
(ii) उपदान हेतु प्रावधान / Provision For Gratuity	-	494,200	(494,200)	128,492
(iii) छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान / Provision For Leave Encashment	-	-	-	-
वर्ष के लिए आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset for the Year				**124,125**
Deferred Tax Asset as on 01-04-2018 / दि. 01-04-2018 की स्थिति में आस्थगित कर आस्ति				**1,061,828**
दि. 31-03-2019 की स्थिति में आस्थगित कर आस्ति Deferred Tax Asset as on 31-03-2019				**1,185,953**

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्यह्रास का परिकलन/Calculation of depreciation under Income Tax Act, 1961

ब्यौरे/Particulars	**दि. 01.04.2018 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 01.04.2018**	**वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year**	**वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year**	**दि. 31.03.2019 को शेष राशि Balance as on 31.03.2019**	**मूल्यह्रास की दर Depn. Rate**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास Depreciation for the Year**	**दि. 31.03.2019 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2019**
फर्नीचर/Furniture	33,222	-		33,222	10%	3,322	29,900
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स/Computer & pheripherals	14,364			14,364	40%	5,746	8,618
संयंत्र एवं मशीनरी/Plant & machinery	351,344			351,344	15%	52,702	298,642
कुल/Total	**398,930**	**-**	**-**	**398,930**		**61,770**	**337,160**

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं
NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2019 को	As at दि. 31.03.2018 को
नोट सं./Note No. 10: दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances		
दूरभाष जमा/Telephone Deposits	**1,500**	1,500
कुल/Total	**1,500**	1,500
नोट सं./Note No. 11: व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivable		
(बेजमानती, अच्छे समझे गए और छह महिने से कम)/(Unsecured, Considered good and less than six months)		
सिंडिकेटबैंक/SyndicateBank	**–**	1,384,532
अन्य/Others	**–**	127,489
कुल/Total	**–**	1,512,021
नोट सं./Note No. 12: नकद और नकदी समतुल्य राशि/Cash and Cash Equivalents		
नकदी शेष/Cash in Hand	**–**	–
अनुसूचित बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Scheduled Banks		
मीयादी जमाराशि में/In Term Deposit	**136,200,000**	145,200,000
चालू खाते में-सिंडिकेटबैंक/In Current A/c – SyndicateBank	**2,149,004**	4,647,419
कुल/Total	**138,349,004**	149,847,419
नोट सं./Note No. 13: अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances		
कर्मचारी त्योहार अग्रिम/Staff Festival Advance	**7,800**	86,590
पूर्वदत्त बीमा/Prepaid Insurance	**7,125**	7,125
प्रतिदेय आयकर/Income Tax Refundable	**172,285**	973,969
कुल/Total	**187,210**	1,067,684
नोट सं./Note No. 14: अन्य चालू आस्तियाँ/Other Current Assets		
वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त प्रदत्त आयकर की वापसी/Income Tax Excess Paid Receivable for 2017-18	**923,280**	–
वसूली हेतु शेष प्रदत्ता दावे/Claims paid pending for recovery(CMS Amount)	**20,484,650**	–
जमाराशियों पर उपचित ब्याज/Interest Accrued on Deposits	**–**	394,652
विक्रेताओं के प्रदत्त वस्तु सेवा कर/GST Paid to vendors	**20,397**	10,018
कुल/Total	**21,428,327**	404,670

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	2018-19	2017-18
नोट सं./Note No. 15: परिचालन से प्राप्त राजस्व/REVENUE FROM OPERATIONS		
हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware Testing Charges	**378,800**	4,684,024
अनियमित खुदरा ऋणों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवा प्रभार/Service charges for follow-up of Irregular Retail Loans	**3,976,799**	13,640,264
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income	**–**	1,608,012
इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से प्राप्त आय/Internet Banking Password Income	**836,019**	5,032,643
कियोस्क वसूली से प्राप्त आय/KIOSK Collection Income	**2,379,360**	4,362,742
विविध सेवा से प्राप्त आय/Miscellaneous Service Income	**–**	512,235
आउटसोर्सिंग आय/Outsourcing Income	**1,706,745**	4,427,917
कुल/Total	**9,277,723**	34,267,837
नोट सं./Note No. 16: अन्य आय/OTHER INCOME		
बैंक ब्याज/Bank Interest	**8,991,555**	9,189,316
कुल/Total	**8,991,555**	9,189,316
नोट सं./Note No. 17: वेतन और भत्ते/SALARY AND ALLOWANCES		
कर्मचारियों का वेतन/Staff Salaries	**5,214,495**	6,492,363
पेंशन, भविष्य निधि और अन्य को अंशदान/Contribution to Pension, Provident and other Funds	**222,732**	312,737
उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity and Leave Encashment	**494,200**	235,550
अन्य भत्ते और परिलब्धियां/Other Allowances & perquisites	**380,142**	503,581
कर्मचारी कल्याण अतिरिक्त लाभ/Staff Welfare Additional benefit	**108,952**	146,331
कुल/Total	**6,420,521**	7,690,562
नोट सं./Note No. 18: परिचालन संबंधी व्यय/OPERATIONAL EXPENSES		
कार्ड वैयक्तीकरण व्यय/Card Personalisation expenses	**-**	873,181
ई-फाइलिंग प्रभार/E-Filing charges	**-**	54,353
इंटरनेट बैंकिंग लेखन सामग्री व्यय/Internet Banking Stationary Expenses	**-**	262,500
खुदरा ऋण अनुवर्ती कार्रवाई व्यय /Retail Loan Follow up expense	**271,414**	954,735
दूरभाष प्रभार/Telephone charges	**38,831**	54,761
पंजीकरण और नवीकरण/Registration and Renewals	**5,000**	5,000
फाइलिंग शुल्क/Filing fees	**35,662**	9,207
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/Auditor's Remuneration:		
लेखा परीक्षा शुल्क/Audit fees	**25,000**	25,125
कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit fees	**25,000**	25,000
लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses	**39,909**	5,000

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	2018-19	2017-18
एसएमएस प्रभार/SMS Charges	**43,751**	79,733
यात्रा व्यय/Travelling Expenses	**44,467**	97,962
वाहन रख-रखाव व्यय/Vehicle Maintenance Expenses	**202,969**	191,288
विधिक व्यय/Legal expenses	**45,500**	–
कार बीमा/Car Insurance	**8,533**	9,846
डाक व्यय/Postal expenses	**2,388**	3,903
मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**43,930**	37,304
विराम और वाहन व्यय/Halting & Conveyance	**19,486**	68,253
कार्यालय का किराया/Office Rent	**105,000**	312,000
आंकड़ा प्रविष्टि प्रभार/Data Entry Charges	**-**	959,540
कंप्यूटर का रख-रखाव/Computer Maintenance	**30,100**	47,149
विविध व्यय/Miscellaneous Expenses	**71,197**	51,761
विद्युत प्रभार/Electricity Charges	**15,000**	36,000
डाक व्यय/Postal Charges	–	5,267
कियोस्क वसूली व्यय/KIOSK Collection Expenses	**1,723,680**	2,941,854
आउटसोर्सिंग व्यय/Outsourcing Expenses	**1,184,511**	2,748,262
बट्टे खाते में डाले गए कर व्यय/Tax Expenses written off	**50,689**	37,364
कुल/Total	**4,032,017**	9,896,348

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(एस कृष्णन/S.Krishnan)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जगन मोहन प्रह्लाद/Jagan Mohan Prahlad)
निदेशक/Director

तारीख/Date : 10.05.2019
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(रेखा देव आनंद/CA REKHA DEV ANAND)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./M. No. 029789

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित नोट

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

अनुसूची सं. 2: लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

ए. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

इन वित्तीय विवरणों को प्रायोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अनुसार उपचय आधार पर परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया गया है ।

बी. राजस्व की पहचान

i) कारोबार प्रक्रिया बाह्यनियोजन (बी.पी.ओ.) सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान, समय एवं सामग्री, निर्दिष्ट मूल्य और यूनिट मूल्य संविदाओं पर की गयी है । समय एवं सामग्री, यूनिट मूल्य संविदा से प्राप्त राजस्व की पहचान, प्रदान की गयी संगत सेवाओं के रूप में की गयी है । नियत कीमत संविदाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान आनुपातिक समापन पद्धति तथा समापन के स्तर निर्धारित करने की संविदागत लागत के अनुसार की गयी है।

ii) सेवा की पहचान, सेवा कर/जीएसटी घटाने के बाद की जाती है ।

iii) ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि तथा लागू होनेवाली दर को गणना में लेकर समय अनुपात के आधार पर की गयी है ।

सी. अचल आस्तियाँ

अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास को घटाने के बाद अभिग्रहण की परंपरागत लागत पर किया गया है ।

कंपनी अचल आस्तियों के अभिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागतों का पूंजीकरण करती है ।

डी. मूल्यह्रास

i) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट मूल्यह्रास नीति को अपनाया है।

ii) आस्तियों में किए गए परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान उनके अभिग्रहण की तारीख को प्रचलित दरों पर आनुपातिक आधार पर किया गया है।

ई. आस्तियों की हानि

आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है। यदि किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर हानि का संकेत मिलता है तो, जब कभी आस्तियों की रखाव रकम उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य से अधिक है ।

एफ. कराधान

कर व्यय में, चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर का आंकन भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली रकम पर किया जाता है । आस्थगित आय करों की पहचान, आय के वित्तीय विवरण के निर्धारण तथा कर उद्देश्य हेतु उनकी पहचान करने के बीच के समय अंतर के लिए लगाए जाने वाले भावी कर के परिणामों के लिए की जाती है। कर की दरों में हुए परिवर्तन के कारण से आस्थगित कर आस्ति तथा देयताओं पर पड़नेवाले प्रभाव की पहचान, तुलन-पत्र की तारीख तक लागू कर की दरों और लागू किए गए या वास्तविक रूप से लागू किए गए कर संबंधी कानूनों का प्रयोग करते हुए आय लेखे में की गयी है । आस्थगित कर आस्तियों की केवल उस सीमा तक पहचान की गयी और आगे ले जाया गया है जिस पर यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि पर्याप्त मात्रा में भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त की जा सके । पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया गया और पहचान की गयी, जिस से भावी कर योग्य आय उपलब्ध है, जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त हो सके ।

Schedule No. 2 : Notes to Accounts

1. Significant Accounting Policies

A. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis in accordance with the applicable mandatory Accounting Standards and the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

B. Revenue Recognition

i) Revenue from Business Process Outsourcing (BPO) services are recognized on time and material, fixed price and unit priced contracts. Revenue on time and material, unit priced contracts is recognized as the related services are rendered. Revenue from fixed price contracts is recognized as per the proportionate completion method with contract cost determining the degree of Completion.

ii) Services are Recognized net of Service Tax/GST.

iii) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

C. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at historical cost of acquisition less accumulated depreciation.

The company capitalizes all direct costs relating to the acquisition of the fixed assets.

D. Depreciation

i) The Company has adopted the depriciation policy as specified in Schedule II of Companies Act, 2013 from the FY 2017-18.

ii) Depreciation on the additions to the assets is provided on pro-rata basis, at their respective rates with reference to the date of acquisition.

E. Impairment of Assets

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use.

F. Taxation

Tax expense comprises of current and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Indian Income Tax Act. Deferred income taxes are recognized for the future tax consequenses attributable to timing differences between the financial statement determination of income and their recognition for tax purposes. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in the tax rates are recognized in income using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable incomes will be available against which such deferred tax assets can be realized. Unrecognized deferred tax assets of earlier year are reassessed and recognized to the extent that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized.

जी. खण्डवार रिपोर्टिंग

कंपनी, मुख्यतः सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। कंपनी, हार्डवेयर परीक्षण, रिटेल ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई, डाक प्रेषण, कार्ड वैयक्तीकरण सेवाएं, विभिन्न प्रकार के ग्राहक संबंधी आंकडों का संग्रहण तथा बैंकिंग परिचालनों से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करती है।

इन सभी सेवाओं में समान प्रकार के जोखिम और प्रतिलाभ शामिल हैं। इसलिए पहचान की गयी एक ही रिपोर्ट योग्य खण्ड है, यानी, सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करना। कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है।

एच. कर्मचारी लाभ

कंपनी के सभी कर्मचारी सिंडिकेटबैंक के स्थायी कर्मचारी हैं और वे प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं । सभी कर्मचारी लाभ-भविष्य निधि में सांविधिक अंशदान, पेंशन निधि, उपदान निधि और छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयता का प्रावधान सिंडिकेटबैंक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया है।

आई. आकस्मिक देयताएं

कोई आकस्मिक देयताएं नहीं हैं।

जे. प्रावधान

प्रावधानों की पहचान तभी की जाती है जब पिछले परिणामों के कारण से वर्तमान दायित्व शामिल होता है और यह संभव है कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके । प्रावधानों को उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं किया गया है और उसका निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है और मौजूदा प्रबंधन प्राक्कलन को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है ।

के. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी, सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है जो प्रबंधक वर्ग को उन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों के लिए अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं की राशियों तथा आलोच्य वर्ष के अंत में परिचालन संबंधी परिणामों को प्रभावित करता है । ये प्राक्कलन चालू परिणामों और कार्रवाइयों के संबंध में प्रबंधक वर्ग की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होने के बावजूद वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता है ।

एल. प्रति शेयर अर्जन

मूल प्रतिशेयर अर्जन का परिकलन, उक्त अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए किया गया है । हटाया गया प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान बकाया ह्रासमान ईक्विटी के बराबर शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ परिणाम ह्रासमान न हो ।

G. Segment Reporting

The company operates as an outsourcing service provider to Syndicate Bank. The company provides services of Hardware testing, Retail loan follow-up, Mailer despatch, creating various customer database and other services facilitating banking operations.

All these services have similar risk and returns. Thus, there is only one identified reportable segment that is outsourcing service to Syndicate bank. There is no reportable geographical segment either.

H. Employee Benefits

All the staff of the company are permanent employees of Syndicate Bank and are on deputation to the company. All the employee benefits - statutory contributions to Provident Fund, Pension Fund, Gratuity Fund and Liability towards Leave Encashment are provided based on information given by Syndicate Bank.

I. Contingent liabilities

There are no contingent liabilities.

J. Provisions

Provisions are recognized when there is present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect ofwhich a reliable estimate can be made. Provsions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

K. Use of Estimates

The preparation of financial statements in confirmity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

L. Earning per share

Basic earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period except where the results would be anti-dilutive.

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दि. 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars	2018-19	2017-18
परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
सतत परिचालन के संबंध में कराधान से पहले लाभ/Profit before tax from continuing operations	**7,771,767**	25,788,921
कराधान से पहले लाभ और निवल नकदी प्रवाह के समाधान हेतु किया गया गैर नकदी समायोजन Non-cash adjustment to Reconcile Profit before tax to Net Cash Flows		
सतत परिचालनों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Continuing Operations	**44,973**	81,322
उपदान/छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Gratuity/Leave Encashment Provisions	**494,200**	235,550
कर व्यय अपलिखित/Tax Expenses Written Off		37,364
आस्ति की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of Assets	–	–
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Leave Encashment Provision	–	
ब्याज आय/Interest Income	**(8,991,555)**	(9,189,316)
कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/Operating Profit before Working Capital Changes	**(680,614)**	16,953,841
कार्यशील पूंजी में उतार–चढ़ाव/Movement in Working Capital:		
व्यापार देय राशि में हुई वृद्धि/(कमी)/Increase/(decrease) in Trade Payable		
अन्य चालू देयताओं में हुई वृद्धि (कमी)/Increase/(decrease) in other Current Liabilities	**1,037,680**	(1,002,018)
व्यापार प्राप्य राशियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in trade receivable	**1,512,021**	3,097,105
दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in long term loans and advances	–	
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in short term loans and advances	**880,474**	(597,304)
अन्य चालू आस्तियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in other current assets	**(21,023,657)**	644,624
परिचालनों से सृजित नकद/Cash Generated from Operations	**(18,274,096)**	19,096,248
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल वापसी)/Direct Taxes Paid (Net of Refund)	**(2,215,874)**	(7,182,356)
परिचालन कार्यकलापों से नकद/Net Cash from Operating Activities	**(20,489,970)**	11,913,892
कार्यकलापों से प्राप्त नकद प्रवाह/Cash Flow from investing activities	**(20,489,970)**	11,913,892
आस्ति की खरीदी/Purchase of Assets		
आस्ति की बिक्री/बट्टा खाते में डाली गयी आस्ति/Sale of Assets/Asset Written off	–	–
प्राप्त ब्याज/Interest received	–	
निवेश कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from investing activities	**8,991,555**	9,189,316
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/Cash flow from financing activities	**8,991,555**	9,189,316
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आगम राशि/Proceeds from issuance of share capital	–	–
वित्तीयन कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from financing activities	–	–
नकद और नकदी समतुल्य मदों में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	**(11,498,415)**	21,103,208
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the beginning of the year	**149,847,419**	128,744,211
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the end of the year	**138,349,004**	149,847,419
नोट: नकदी प्रवाह विवरण को नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखाकरण मानक – 3 में निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित है। **Notes:** Accounting Standard-3 on Cash Flow Statements as per the Companies Act, 2013.		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(एस कृष्णन/S.Krishnan)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(जगन मोहन प्रह्लाद/Jagan Mohan Prahlad)
निदेशक/Director

तारीख/Date : 10.05.2019
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(रेखा देव आनंद/CA REKHA DEV ANAND)
साझेदार/Partner
सदस्यता सं./M. No. 029789

प्रिय शेयरधारक,

विषय: ईसीएस (जमा)/खाते में सीधे जमा के माध्यम से लाभांश का भुगतान

1. कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
   ए) परेषण में हानि
   बी) तृतीय पक्षकारों द्वारा कपटपूर्ण भुनाई
   सी) डाक में देरी
2. इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने लाभांशों/ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) की शुरुआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांश की समय से सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
3. **आगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निदेश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।**
4. ईसीएस के अधीन शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। इस लेन-देन को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
5. संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट केंद्रों में स्थित सभी बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और आरबीआई इस सुविधा को अन्य केंद्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से केवल ईसीएस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक के लिए नया बैंक खाता खोलने की आवश्यक नहीं है क्योंकि शेयरधारक के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
6. कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश निर्देश वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और यदि आपने ईसीएस के लिए विकल्प दिया है तो ईसीएस अधिदेश दर्ज किया जाएगा।
7. **निवेशकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये शेयरों के संदर्भ में अपने निक्षेपागार सहभागियों (डीपी) के साथ बैंक खातों के ब्यौरे अद्यतन कराएं। कागजी रूप में रखे गये शेयरों के संदर्भ में इसके साथ संलग्न ईसीएस अधिदेश फार्म प्रस्तुत करें।**
8. आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण और आपके बैंक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। कृपया पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित आईएफएससी कूट और एमआईसीआर कूट पंक्ति (कोड लाइन) की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके।
9. सिंडिकेटबैंक की सभी शाखाएं सीबीएस (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रही हैं। हमारे पास बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे संलग्न ईसीएस अधिदेश में अपनी 14 अंकों वाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को सीधे उनके खाते में जमा किया जा सके।
10. कृपया ईसीएस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात **मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड,** युनिट सिंडिकेटबैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31 - 32, गच्चीबाउली,फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुड़ा हैदराबाद – 500 032 को अग्रेषित करें।
11. आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा

भवदीय,

सन्तोष बारिक

(संतोष कुमार बारीक)
कंपनी सचिव

दिनांक: 10.05.2019

Dear Shareholder,

Sub: Payment of Dividend through ECS (Credit)/Direct Credit to the account.

1. At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
   a) Loss in transit,
   b) Fraudulent encashment by third parties,
   c) Postal delay
2. To avoid these problems, the Reserve Bank of India (RBI) has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/interest etc. that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
3. **Further, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.**
4. Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder after the transaction is effected.
5. This facility is presently available to shareholders having Bank Account with all Banks at certain specified centres and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder.
6. Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
7. **Investors are requested to update bank account details with their Depository Participants (DP) in respect of shares held in electronic form. ECS Mandate form annexed may be submitted in respect of shares held in physical form.**
8. We request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and certified by your Bank. Please attach a self-attested copy of PAN Card and a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the IFSC Code and MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.
9. All the branches of SyndicateBank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/Current/Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the ECS Mandate for DIRECT CREDIT of dividend to their accounts.
10. Kindly send the ECS Form/Bank Mandate duly filled, directly to our Registrar and Share Transfer Agent viz. **M/s Karvy Fintech Private Limited,** Unit: SyndicateBank, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032.
11. The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.

Yours faithfully,

(Santosh Kumar Barik)
COMPANY SECRETARY

Date: 10.05.2019

This Page is Left Blank

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा)
ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म
(केवल कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के लिए ही प्रस्तुत किया जाए)

ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT)
ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES
(to be submitted only in respect of shares held in physical form)

मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट सं. 31 – 32, गच्चीबाउली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032

M/s Karvy Fintech Private Limited.
Unit : SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No. 31 – 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :
2. पता/Address :
3. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :
4. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

   ए) बैंक का नाम
   A) Bank Name :

   बी) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कोड)
   B) Branch Name & City (Pin Code) :

   सी) खाता संख्या (जो चेक बुक पर लिखा गया है)
   C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

   डी) खाते का प्रकार (कृपया निशान लगाएं)
   D) Account Type (Please tick) : बचत SB ☐ चालू Current ☐ नकदी उधार Cash Credit ☐
   (बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)
   (SB Account, Current A/c or Cash Credit) :

   ई) बैंक खाते का खाता बही पन्ना सं. (यदि चेक बुक पर दिया गया है)
   E) Ledger Folio No. of the Bank A/c
   (If appearing on the Cheque Book) :

   एफ) बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर अंकित बैंक और शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या
   F) 9-Digit Code No. of the Bank & Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित चेक पन्ने की एक फोटो प्रति या निरस्त किया हुआ एक कोरा चेक संलग्न है:
Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

घोषणा/DECLARATION

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही है। यदि अपूर्ण या गलत सूचना के कारण लेन-देन में विलंब होता है या संपन्न ही नहीं होता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी।
I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold SyndicateBank responsible.

स्थान/Place :
दिनांक/Date :

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर
Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं ।
Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place :
दिनांक/Date :

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of the Manager of Bank Concerned

टिप्पणी: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का अवश्य उल्लेख करें ।
NOTE : Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.

अनुलग्नक: 1) एकल/प्रथम शेयरधारक के 'पैन' कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति ।
ENCL: Self-attested copy of PAN Card of the sole/first shareholder.

2) बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त किया गया चेक पन्ना ।
Copy of/Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

फॉर्म 2 बी

(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

नामांकन प्रपत्र

(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम...और...

और .... जो सिंडिकेटबैंक के फोलियो नं. ....के अन्तर्गत शेयरधारक हूँ/हैं एतद्द्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता/करती हूँ /करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण संबंधी सभी अधिकार होंगे और/या राशि देय होगा।

नामिती का नाम और पता

नाम : ______________________________

पता : ______________________________

____

जन्म तिथि* (* यदि नामिती नाबालिग हो)

**नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक ______________________________

नाम और पता ______________________________

____

(** यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

दिनांक :

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

दिनांक:

गवाह का नाम, पता और हस्ताक्षर:

नाम और पता	दिनांक सहित हस्ताक्षर
1. ______________________________	
______________________________	______________________________
2. ______________________________	
______________________________	______________________________

अनुदेश:

1. नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है। यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते हैं, जिस पर शेयरधारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे ।
2. नाबालिग को नामित किया जा सकता है और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए ।
3. सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझीदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं। एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है ।
4. शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा ।
5. नामिति के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
6. नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जिसकी एक प्रति शेयरधारक को वापस लौटा दी जायेगी।

कार्यालय उपयोग हेतु

नामांकन प्रपत्र क्र. सं. .... दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

पंजीकरण सं. .... दिनांक: ....

टिप्पणी: ....

....

अनुलग्नक : पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति

FORM 2 B

(See rules 4 CCC and 5 D)

NOMINATION FORM

(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We...and...
and .... the holder(s) of shares under the Folio No. .... of SyndicateBank wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of shares shall vest in the event of my or our death.

Name and Address of Nominee

Name :

Address :

Date of Birth* (* To be furnished in case the nominee is a minor)

**The Nominee is a minor whose guardian is

Name and Address:

(** To be deleted if not applicable)

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

....

Date :

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

Date :

Address, name and signature of witnesses :

Name and Address	Signature with date
1.	
2.	

Instructions:

1. The Nomination can be made by individuals only applying/holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination/nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar and Share Transfer Agent of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE

SL. NO. .... NOMINATION FORM RECEIVED ON ....

REGISTRATION NO. .... DATE: ....

REMARKS: ....

....

Encl : Self-attested copy of PAN Card

प्रिय शेयरधारक,

विषय: कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल : कागज रहित कार्यप्रणाली अपनाएं

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) ने कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कागज रहित कार्यप्रणाली अपनाने की अनुमति कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल (ग्रीन इनीशिएटिव) लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में, उक्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. 17/2011 दिनांक 21.01.2011 और 18/2011 दिनांक 29.04.2011 के अनुसार कंपनियाँ अब अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिस/दस्तावेज (वार्षिक आम बैठक से संबंधित बुलावा पत्र, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इत्यादि) को उनके पंजीकृत ई-मेल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती हैं।

समाज के व्यापक हित की दृष्टि से यह एक अनूठी पहल है। इससे कागज की खपत बहुत कम होगी और आम जनता के लिए हरा-भरा पर्यावरण प्रदान करने के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।

बैंक के प्रत्येक शेयरधारक के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि वह बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसूचना प्राप्त करने के लिए केवल आपको अपना ई-मेल आईडी बैंक के पास पंजीकृत कराना होगा।

ई-मेल संसूचना के लिए पंजीकरण करने से मिलनेवाले लाभ

- संसूचना तत्काल प्राप्त होगी
- कागज की खपत कम होगी और पेड़ों को बचाया जा सकता है।
- डाक प्रेषण के दौरान दस्तावेज के गुम होने से बचाया जा सकता है।

यदि आप कोई अन्य ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो, कृपया उसे अपने डीपी में (यदि आपका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में है तो) और मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास (यदि आपके शेयर कागजी फार्म में है तो) तत्काल अद्यतन करवाएं।

बैंक, वर्ष 2018-2019 की वार्षिक रिपोर्ट उन निवेशकों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करेगा जिन्होंने उक्त सुविधा हेतु विकल्प दिए हैं।

कृपया नोट करें कि यदि आप इन सुविधाओं के बावजूद भी सभी संसूचनाओं को कागज़ी रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो, बैंक उसे आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएगी।

आइए, हम इस 'हरित पहल' (ग्रीन इनीशिएटिव) में सहभागी बनें।

शुभकामनाओं सहित

भवदीय,

(संतोष कुमार बारीक)
कंपनी सचिव

दिनांक: 10.05.2019

Dear Shareholder,

RE: Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless

The Ministry of Corporate Affairs ("Ministry") has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In accordance with the circular bearing no.17/2011 dated 21.04.2011 and 18/2011 dated 29.04.2011 issued by the Ministry, companies can now send various notices /documents (including notice calling Annual General Meeting, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report etc.) to their shareholders through electronic mode, to the registered email addresses of the shareholders.

It is a welcome move for the society at large, as this will reduce paper consumption to a great extent and allow public at large to contribute towards a greener environment.

This is also a golden opportunity for every shareholder of the Bank to contribute to the Corporate Social Responsibility initiative of the Bank. All you have to do is to register your e-mail id with the Bank to receive communication through electronic mode.

ADVANTAGES OF REGISTERING FOR E-COMMUNICATION

- Receive communication promptly
- Reduce paper consumption and save trees
- Avoid loss of document in postal transit

In case you desire to have a different e-mail id to be registered, please update the same in your DP (if you are holding shares in electronic form) and with M/s Karvy Fintech Private Limited (formerly, M/s Karvy Computershare Private Limited), Hyderabad, Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank (if you are holding shares in physical form) immediately.

The Bank will be sending Annual Report 2018-19, to the investors who have opted through electronic mode to the registered email – IDs of the Investors.

Kindly note that if you still wish to get a physical copy of all the communications, the Bank undertakes to provide the same at no extra cost to you.

Let's be part of this 'Green Initiative'.
With warm regards

Yours faithfully,

(Santosh Kumar Barik)
COMPANY SECRETARY

Date: 10.05.2019

सभी शेयरधारकों से अपील

प्रिय शेयरधारक,

संदर्भ: अप्रदत्त लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (दि. 16.10.2006 से लागू) की शर्तों के अनुसार वे लाभांश खाते में अंतरित करने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक बैंक के पास अदत्त रह जाते हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 205 की उप धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अंतरित किया जाना है। उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी सभी धनराशियों को जो सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती हैं, उन्हें दि. 16.10.2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2010-2011 तक के अप्रदत्त लाभांश को भारत सरकार के आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है। **उन शेयरधारकों ने जिन्होंने अपने लाभांश वारंट, वर्ष 2011-2012, 2012-2013 एवं अंतरिम तथा वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 के अंतिम लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त लाभांशों का दावा करने के लिए सहायता हेतु बैंक के निवेशक संपर्क केंद्र, कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु से संपर्क करें।**

सेबी ने अधिदेश दिया है कि लाभांश को निवेशकों के बैंक खाते में एनईएफटी ऑन–लाइन के माध्यम से सीधे जमा करें। हमारा आपसे अनुरोध है **यदि शेयरों को कागजी रूप में रखा गया है** तो आप अपने बैंक खाते के ब्यौरे को पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और निरस्त चेक पन्ने के साथ इस रिपोर्ट में संलग्न ईसीएस अधिदेश में भरकर निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें ताकि भविष्य में बैंक के लाभांश को सीधे जमा करने में सुविधा हो।

''कंपनी सचिव, सिंडिकेटबैंक, कॉरपोरेट कार्यालय, निवेशक संपर्क केंद्र, गाँधीनगर, बेंगलूरु – 560 009"

यदि शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखा गया है तो जिस डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) के पास डी मैट खाते को रखा गया है उसके पास अपने बैंक खाते के ब्यौरे अद्यतन करें ।

भवदीय,

संतोष बारिक

(संतोष कुमार बारीक)
कंपनी सचिव

दिनांक : 10.05.2019

दूरभाष सं.: 080 22283030
ई–मेल आईडी : inrc@syndicatebank.co.in
syndinvest@syndicatebank.co.in

Appeal to all Shareholders

Dear Shareholder,

RE: Unpaid Dividends

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the dividends remaining unpaid with the Bank for a period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend account, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956. In compliance of the above guidelines, all such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16.10.2013.

Unpaid dividends till Final 2010-2011 have already been transferred to IEPF of Government of India. **Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants for the year(s) 2011-2012, 2012-2013 and Interim and Final Dividend 2013-2014, 2014-2015 are requested to approach the Company Secretary at Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance in claiming their unpaid dividends.**

SEBI has mandated credit of dividend directly to the Bank account of investors through NEFT/online. We request you to update Bank account details by submitting ECS Mandate annexed to this report along with self-attested copy of PAN Card and cancelled cheque leaf to our office at the following address, **if the shares are held in physical form**, to facilitate direct credit of future dividends of the Bank.

"The Company Secretary, SyndicateBank, Investor Relations Centre, 2nd Cross, Gandhinagar, Corporate Office, Bengaluru - 560 009."

If the shares are held in Electronic form, Address and Bank account details may be updated with the Depository Participant (DP) with whom Demat account is maintained.

Yours faithfully,

(Santosh Kumar Barik)
COMPANY SECRETARY

Date : 10.05.2019

Phone No. 080 22283030
Email ID : inrc@syndicatebank.co.in
syndinvest@syndicatebank.co.in

पते में परिवर्तन –अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु अनुरोध

सेवा में,

कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: सिंडिकेटबैंक)
कार्वी सेलेनियम टावर बी
प्लॉट सं.: 31-32, गच्चीबाउली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500 032

प्रिय महोदय,

विषय: पते में परिवर्तन

मैं/हम एतद्द्वारा आपसे अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि पंजीकरण फोलियो सं. एस वाई एन .... के लिए मेरे/हमारे निम्नलिखित पते को अपने अभिलेखों में अद्यतन करें ।

	पुराना पता	नया पता
शहर :		
राज्य :		
पिन कोड :		
ई-मेल आई डी :		
दूरभाष संख्या :		

आपके अनुरोध पर, मैं/हम इसके साथ पते के पहचान की स्व-प्रमाणित प्रति तथा पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ/रहे हैं ।

कृपया पुष्टि करें कि परिवर्तित पते को अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

दिनांक:

भवदीय,

(______________________________)
प्रथम तथा संयुक्त धारक/कों के हस्ताक्षर
(पंजीकृत नमूने के अनुसार)

अनुलग्नक: 1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।
2. पता प्रमाण (स्व-प्रमाणित दूरभाष बिल / नवीनतम बिजली बिल / पासपोर्ट / मतदान पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेन्स / बैंक पासबुक जिसमें पता हो, के पहले पृष्ठ की प्रमाणित प्रति आदि।

REQUEST FOR UPDATION OF RECORDS – CHANGE OF ADDRESS

To

Karvy Fintech Private Limited
Unit : SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No.: 31 – 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032

Dear Sir,

Reg: Change of Address

I/We hereby request you to please update my/our change in address in your records for the Registered Folio No.: SYN……………………….

Old Address **New Address**

City :

State :

Pin Code :

Email ID :

Phone No. :

As requested by you, I / We am / are attaching herewith self-attested copy of Proof of Address (POA) and self-attested copy of PAN Card.

Kindly confirm having recorded the changed address.

Date : Yours faithfully,

(______________________________________)
Signature of the First and Jt. Holder(s)
(as per specimen Registered)

Enclosures:
1. Self-attested copy of PAN card.
2. Address Proof (Self-attested copy of Telephone Bill/Electricity Bill as on a recent date/Passport/Voters ID Card/Driving Licence/Attested copy of I page of Bank Passbook containing address, etc.)

This Page is Left Blank

भारत का विश्वसनीय एवं मैत्रीपूर्ण बैंकिंग साझेदार प्रगतिशील भी है... इस गौरवमयी उपलब्धि पर हम अपने 56 मिलियन ग्राहकों के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग और विश्वास के लिए आभार प्रकट करते हैं।

*स्रोत: भरोसा, शुल्क, डिजिटल सेवाएं और वित्तीय सलाह जैसे मानदंडों के आधार पर फोर्बस द्वारा विश्व के सर्वोत्कृष्ट बैंक 2019 की रैंकिंग

सिंडिकेटबैंक

विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण एवं प्रगतिशील

टोल फ्री: 1800 3011 3333 | 1800 208 3333 • www.syndicatebank.in

हमारा अनुसरण करें:

डिजिटल नवोन्मेषिता के माध्यम से विकास

Growth through Digital Innovations

भीम ऐप
BHIM App

आधार पे
AADHAAR PAY

सिंड यूपीआई ऐप

SyndUPI App

सिंड मोबाइल बैंकिंग

Synd Mobile Banking

सिंड ई पासबुक

Synd e Passbook

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

Toll Free: 1800 3011 3333 | 1800 208 3333 | www.syndicatebank.in

Follow us on :